उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

M.J.M.C. -07
मीडिया शोध

खण्ड

01

मीडिया शोध का स्वरूप

इकाई-1	5
मीडिया शोध : अर्थ, अवधारणा एवं प्रक्रिया	
इकाई-2	29
मीडिया शोध की पद्धतियाँ	
इकाई-3	54
मीडिया शोध के तत्त्व	
इकाई-4	73
मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध	
इकाई-5	83
मीडिया शोधः आवश्यकता एवं महत्ता	

परामर्श-समिति

प्रो0 केदार नाथ सिंह यादव — कुलपति - अध्यक्ष
डॉ0 हरीशचन्द्र जायसवाल — वरिष्ठ परामर्शदाता - कार्यक्रम संयोजक
प्रो0 के0 पी0 सिंह — सदस्य
प्रो0 ए0 एन0 द्विवेदी — सदस्य
डॉ0 रत्नाकर शुक्ल — कुलसचिव - सचिव

विशेषज्ञ समिति

1- प्रो0 जे0 एस0 यादव — पूर्व निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान , नई दिल्ली
2- प्रो0 राममोहन पाठक — निदेशक, मदन मोहन मालवीय, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3- प्रो0 सुधाकर सिंह — हिन्दी (प्रयोजनमूलक) विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी
4- डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय — जनसम्पर्क अधिकारी, बी0एच0यू0 वाराणसी
5- डॉ0 पुष्पेन्द्र पाल सिंह — अध्यक्ष-पत्रकारिता विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

सम्पादक

डॉ0 अर्जुन तिवारी- वरिष्ठ परामर्शदाता, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक मंडल

1- डॉ0 अरुण शर्मा - पत्रकारिता विभाग, म0गां0काशी विद्यापीठ, वाराणसी
2- डॉ0 प्रभा रानी - हिन्दुस्तान (दैनिक)- जगतगंज, वाराणसी
3- डॉ0 मुक्तिनाथ झा - पत्रकारिता विभाग, मं0 गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
4- डॉ0 विनोद कुमार सिंह - पत्रकारिता विभाग, मं0गा0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी
5- डॉ0 भरत कुमार - हिन्दुस्तान (अंग्रेजी दैनिक) वाराणसी

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की ओर से डॉ. अरूण कुमार गुप्ता कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, 2019
मुद्रक : चन्द्रकला युनिवर्सल प्रा. लि. 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड इलाहाबाद 211002

खण्ड-1 खण्ड-परिचय : मीडिया शोध का स्वरूप

'मीडिया शोध का स्वरूप' के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ सम्मिलित हैं :-

1- मीडिया शोध : अर्थ, अवधारणा एवं प्रक्रिया

2- मीडिया शोध की पद्धतियाँ

3- मीडिया शोध के तत्त्व

4- मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध

5- मीडिया शोध : आवश्यकता एवं महत्ता

कभी हम भुजाओं की शक्ति पर इठलाते थे, कुछ दिनों बाद भाप की शक्ति ने हमें बलवान बनागा। आज तो मीडिया के आश्चर्यजनक क्रान्ति उपस्थित कर दिया है। पूरा समाज, राष्ट्र, विश्व मीडिया से आन्दोलित हो रहा है जिसमें नित्य नवीन शोध चल रहा है । मीडिया शोध की आवधारणा और प्रक्रिया को प्रथम इकाई में सुस्पष्ट किया गया है। वैज्ञानिक शोध पद्धति के विविध स्वरूपों को सोदाहरण समझाने का प्रयास द्वितीय इकाई में है। मीडिया शोध के तत्त्व के अन्तर्गत परिकल्पना के विविध अंगों पर प्रकाश डाला गया है। मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सत्य के अनुसंधान से संदर्भित यह खण्ड मीडिया शोध की महत्ता के विविध पक्षों पर प्रकाश डालता है।

इकाई 1 - मीडिया शोधः अर्थ, अवधारणा एवं प्रक्रिया

इकाई की रूपरेखा -

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 मीडिया का अभिप्राय एवं परिभाषाएँ

1.3 शोध का तात्पर्य

1.3.1 शोध का अर्थ एवं परिभाषाएं

1.4 मीडिया शोध की अवधारणा

1.5 मीडिया शोध की प्रकृति एवं प्रक्रिया

1.6 मीडिया शोध के प्रमुख क्षेत्र

1.7 मीडिया शोध की प्रमुख प्रणालियाँ

1.7.1 प्रश्नावली प्रणाली

1.7.2 प्रश्नावली के प्रमुख भेद

1.7.2.1 प्रश्नावली की विशिष्टताएं

1.7.2.2 प्रश्नावली के प्रमुख भेद

1.7.3 आदर्श प्रश्नावली के गुण

1.7.4 प्रश्नावली प्रणाली का महत्व

1.7.5 अनुसूची प्रणाली

1.7.5.1 अनुसूची के भेद

1.7.5.2 आदर्श अनुसूची के मानक

1.7.5.3 अनुसूची प्रणाली के दोष

1.7.6 अनुमापन प्रणाली

1.7.6.1 पैमाना पद्धतियों के प्रमुख भेद

1.7.6.1 अंक पैमाना

1.7.6.2 संचार रिक्तता मानक यंत्र

1.7.6.3 तीव्रता मापक यंत्र

1.7.6.4 पद सूचक पैमाने

1.8 सारांश

1.9 शब्दावली

1.10 संदर्भ ग्रन्थ

1.11 प्रश्नावली

1.11.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1.11.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

1.11.3 बहु विकल्पीय प्रश्न

1.11.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप

- मीडिया के स्वरूप को जान लेंगे।
- शोध के स्वरूप को ज्ञान लेंगे।
- मीडिया-शोध के अभिप्राय को जान लेंगे।
- मीडिया-शोध की प्रकृति एवं क्षेत्र से परिचित हो जायेंगे।
- मीडिया-शोध की प्रमुख प्रणालियों को समझ सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

आज मीडिया का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आज के युग को मीडिया क्रांति को युग कहा जा रहा है। मीडिया ने समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है और स्वयं मीडिया का स्वरूप एवं उसकी दिशा समकालीन परिवेश की गतिविधियों से प्रभावित हो रही है। समकालीन समाज एवं मीडिया के अन्तर्सम्बन्धों एवं उसके विकास की दिशा को समझने के लिए शोध अत्यन्त आवश्यक है। मीडिया (संचार) शोध के द्वारा ज्ञान एवं मानवीय जीवन के अनेक नये क्षितिजों का उद्घाटन होता है। इसलिए मीडिया की वर्तमान दशा एक भविष्य में दिशा में सहायक होने वाले अनुसंधाओं को मीडिया-शोध में दक्ष होना आवश्यक है इस इकाई में मीडिया-शोध के स्वरूप एवं प्रणालियों आदि का सम्यक् परिचय दिया गया है।

1.2 मीडिया का अभिप्राय एवं परिभाषाएँ

मीडिया-शोध पर अध्ययन करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि मीडिया को वास्तविक अभिप्राय क्या है? मीडिया के अभिप्राय को स्पष्ट करने हेतु कुछ विद्वानों के अभिमत निम्नलिखित हैं-

एशले मौटंगु तथा फ्लोएड मैटसन के अनुसार -वह असंख्य ढंग जिनसे मानवता से सम्बन्ध रखा जा सकता है केवल शब्दों या संगीत, चित्रों या मुद्रण द्वारा, इशारों या अंको प्रदर्शन, टी0वी0 या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से सभी की आंखों तथा कानों तक संदेश पहुंचाने का माध्यम ही "मीडिया" कहलाता है।

फादर कामिल बुल्के के अनुसार"—मीडिया का एकवचन मीडियम है यानि का ध्रुवों के बीच का तत्व जो उन्हें आपस में जोड़ता है वो बहुसंख्यक माध्यम जो संचार के साधन के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं"

"Transmitting ii for mation, ideas and, attiudes from one person another by any medium like Radio, T.V. Newspaper etc. i.e. called Media.

Edwin Emery

मीडिया का अर्थ सूचना को एक स्था से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में प्रयुक्त उपकरणों से है। **- जार्ज ए0 मिलर**

राजसत्ता या शासन की व्यवस्था का आधार क्या हो ? सरकार का रूप कैसा हो ? स्वेच्छाचारी राजा या सैनिक अधिकारियों का शासन हो या स्वतंत्र और लोकप्रिय सरकार हो- ये सब मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है **- डेविड ह्यून**

मीडिया मानव चेतना को उद्दीप्त करने का सशक्त साधन है। युगबोध के प्रमुख तत्व के साथ ही मानवता के विकास और विचारोत्तेजन का राजमार्ग है जिससे जीवन संचालित होता है। समाज, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार तथा मानव-संघर्ष, क्रान्ति, प्रगति, दुर्तगतिमय जीवन संचार में उठने वाले ज्वार-भाटे को दिग्दर्शित करने में मीडिया ही सक्षम है। जनता, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के ये सजग प्रहरी जनसंचार के ही साधन है, जो हमें गरीबी का भूगोल, पूँजीपतियों का अर्थशास्त्र और नेताओं का समाजशास्त्र पढ़ाते हैं। हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान-प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया में प्रयुक्त साधन ही मीडिया है।

1.3 शोध (Research) का तात्पर्य

शोध को अन्वेषण, गवेषण, अनुसंधान और Research भी कहा जाता है। शोध का तात्पर्य है, सत्य की खोज के लिए व्यवस्थित प्रयत्न करना। प्राप्त ज्ञान की परीक्षा करने के लिए व्यवस्थित प्रयत्न भी शोध कहलाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहा जाये कि वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा सत्य की खोज करना प्राप्त ज्ञान की परीक्षा या ज्ञान प्राप्त करने का निरन्तर प्रयास करना ही शोध है, तथ्यों का अवलोकन करके कार्यकारण सम्बन्ध ज्ञात करना अनुसंधान की प्रमुख प्रक्रिया है।

1.3.1 शोध का अर्थ एवं परिभाषाएं

संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से अनुसंधान शब्द का निरुपण इस प्रकार है:-

अनुसंधानम् = अनु + सम् + धा + भावे ल्युट् अर्थात् किसी विषय में सभी दृष्टिकोण से निश्चयात्मक ज्ञान तथा उसका प्रमाणों से पुष्टि अथवा पुनः पुष्टि करने का नाम ही अनुसंधान है।

➢ अनुसंधान या शोथ को अंग्रेजी में Research शब्द से सम्बोधित करने के पीछे यही तर्क किया जाता है कि Re+search जिसका अर्थ है 'पुनः की जाने वाली खोज इसीलिए किसी समस्या या जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर उस पुनः खोज को Research कहते हैं

"To carry on research to investigate minutely and throughly."-
Webster University Dictionary

नवीन ज्ञान प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं)

Research is a scientific undertaking which by means of logical & systematised methods, aims to discover new fats or old facts and to analyse their sequences, inter relationship, causal explanations and the natural laws which govern them.-P.V. Young

(शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका कि उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों (Sequences). अन्तः सम्बन्धों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है)

1.4 मीडिया शोध की अवधारणा

वर्तमान में मीडिया का अर्थ अत्यंत ही विस्तृत हो गया है, इसके अन्तर्गत समाचार, पत्र, पत्रिका, समाचार, समितियाँ, विज्ञापन, जनसम्पर्क, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, विभिन्न चैनल, केबल, संचार की पारंपरिक पद्धतियाँ, व प्रणालियाँ, विकास पत्रकारिता, सामाजिक, विपणन आदि आते हैं। इनसे संबंधित तथ्यों तथा घटनाओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने या उनकी जाँच करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों एवं प्रणालियों से की गई व्यवस्थित खोज मीडिया शोध के अन्तर्गत आती है।

मीडिया शोध के अन्तर्गत मीडिया के विभिन्न पहलुओं के विकास, उनकी उपलब्धियों एवं प्रभाव आदि पर भी गहनता से विचार विमर्श तथा वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के निम्नलिखित केन्द्रीय विचारणीय बिन्दु होते हैं-

(1) मीडिया की प्रकृति क्या है?

(2) यह कैसे कार्य करता है ?

(3) इसमें कौन सी तकनीक लगाई जाती है?

(4) क्या यह किसी प्रकार से अन्य शोध कार्यों के सदृश या उनसे भिन्न है?

(5) यह क्या कार्य एवं अथवा सेवा प्रदान करता है?

(6) इसकी कीमत कितनी होती है?

(7) नए मीडिया तक किसकी पहुँच होगी ?

(8) क्या ये प्रभावी हैं ?

(9) क्या इनके, कार्य कौशल को सुधारा जा सकता है?

उपर्युक्त के साथ यह भी देखा जाता है कि -

(i) विषय वस्तु कैसी है?

(ii) भाषा कैसी है?

(iii) प्रस्तुतिकरण कैसा है?

(iv) विभिन्न माध्यमों द्वारा अपना प्र.ार बढ़ाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(v) मीडिया विपणन की नई-नई तकनीक कौन सी है?

(vi) मीडिया प्रबंधन के बदलते स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन।

(vii) मीडिया की भाषाशैली और समाचार तत्व किस तरह से बदल रहे हैं।

   (i) मीडिया की सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका है?

   (ii) आर्थिक विकास की गति को मीडिया ने किस तरह प्रभावित किया है।

   (iii) राजनीतिक जागरुकता पैदा करने में मीडिया की क्या भूमिका रही है?

मीडिया शोध में मीडिया के विभिन्न उपयोग एवं उनके उपयोगकर्ताओं के बारे में निम्नलिखित जानकारियों का अन्वेषण किया जाता है-

(1) लोगों के द्वारा मीडिया कैसे उपयोग में लाया जाता है?

(2) क्या मीडिया का उपयोग केवल सूचना के लिए किया जाता है या शिक्षा और मनोरंजन के लिए भी?

(3) किन श्रेणियों के लोग मीडिया का उपयोग अधिक करते हैं और क्यों ?

(4) सूचना एवं मनोरंजन के लिए अन्य प्रकार के मीडिया कौन-कौन से हैं ?

(5) मीडिया क्या तुष्टि प्रदान करता है?

(6) मीडिया की क्या उपयोगिता है ?

(7) क्या इन उपयोगों को मौलिक प्रक्षेपण के रूप में ग्रहण किया जा सकता है?

(8) तकनीक का प्रभाव समाचारों के प्रस्तुतिकरण पर किस तरह से पड़ रहा है?

(9) विज्ञापनों का मीडिया की विषयवस्तु और पाठके, दर्शके एवं श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?

मीडिया शोध में मीडिया के भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए लोग मीडिया को कितना महत्व देते हैं ? क्या यह लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकता है? क्या मीडिया के उपयोग का कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है? क्या यह प्रभाव तकनीक के कारण है या कार्यक्रम की सामग्री के कारण? मीडिया उपभोगकर्ता क्या देखना या सुनना पसंद करते हैं? मीडिया शोध इस बात का भी अध्ययन करता है कि किस प्रकार से तथा किन क्षेत्रों में मीडिया की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है? इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का समाधान मीडिया शोध द्वारा किया जाता है।

1.5 मीडिया शोध की प्रकृति एवं प्रक्रिया

मीडिया शोध में मीडिया से संबंधित सभी तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है। अतः मीडिया शोध की प्रकृति वैज्ञानिक कही जा सकता है। मीडिया शोध की प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्न लिखित हैं-

(1) शोध के क्षेत्र, या विषय का चुनाव

(2) शोध की समस्याओं को समझने के लिए विशिष्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण।

(3) सहायक ग्रंथ सूची का निर्माण।

(4) समस्या का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण

(5) समस्या के तत्वों का तार्किक विभाजन

(6) समस्या के तत्वों के आधार पर आवश्यक सामंग्री व प्रमाणों का निर्धारण।

(7) समस्या के हल की संभावना का परीक्षण

(8) आंकड़ों का वैज्ञानिक पद्धति से संकलन

(9) आंकड़ों व प्रभावों का विश्लेषण और निर्वचन

(10) प्रदर्शन के लिए सामग्री को व्यवस्थित करना।

(11) सामग्री को सहज एवं बोधगम्य बनाने का प्रयास करना।

1.6 मीडिया शोध के प्रमुख क्षेत्र

मीडिया से संबंधित प्रत्येक तथ्य मीडिया शोध का अध्ययन क्षेत्र है और अधिक स्पष्ट करने के लिए मीडिया शोध को निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया जाता है।

(क) नए सिद्धान्तों की खोज - मीडिया के क्षेत्र में नई-नई समस्याओं के उत्पन्न होने से नई परिस्थितियों के संदर्भ में मीडिया से संबंधित नए नियमों की खोज आवश्यक है। बदलती हुई परिस्थितियों में पुराने नियमों के आधार पर निष्कर्ष ग़लत हो जाते हैं। अतः निरंतर नए नियमों की खोज मीडिया शोध का एक प्रमुख लक्ष्य है।

(ख) पूर्व निर्धारित नियमों की जाँच - मीडिया शोध के माध्यम से पहले के निर्धारित नियमों अथवा सिद्धान्तों की सत्यता का परीक्षण भी किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ मीडिया के स्वरूप एवं संरचना में भी परिवर्तन आता रहता है। अतः मीडिया को संचालित करने वाले पूर्व निर्धारित नियम हमेशा सत्य सिद्ध नहीं होते। इस कारण इन प्रचलित नियमों का समय-समय पर परीक्षण आवश्यक हो जाता है। यदि नई परिस्थितियों में पुराने सिद्धान्त लागू नहीं होते तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है और नए नियमों का निरूपण किया जाता है। अथवा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन भी किया जाता है एडविन एल0 शूमैन ने अपनी पुस्तक 'प्रैक्टिकल जर्नलिज्म' में समाचार के लिए छः ककारों का सिद्धान्त एवं समाचार

संरचना के लिए विलोम स्तूपी संरवना को प्रतिपादित किया है। लेकिन आजकल विलोम स्तूपी संरचना ठोस समाचारों को छोड़कर अन्य समाचार जैसे खेल समाचार व्याख्यात्मक समाचार आदि में लागू नहीं होती। इसलिए पुराने सिद्धान्तों का परीक्षण करना भी मीडिया शोध के अन्तर्गत आता है।

(ग) नवीन अनुसंधान प्रणालियों की खोज-विकास के साथ-साथ ज्ञान प्राप्त करने के नये-नये साधनों की खोज भी आवश्यक है। जटिल सामाजिक तथ्यों को जानने के लिए अधिक से अधिक उपयोगी और वैज्ञानिक उपकरणों तथा पद्धतियों के विकास के लिए भी मीडिया -शोध किया जाता है, इसलिए नए नियमों की खोज और पुराने निबमों के सत्यापन के अतिरिक्त नई अनुसंधान प्रणालियों की खोज भी संचार-शोध का अध्ययन क्षेत्र है।

(घ) मीडिया संबंधित समस्याओं का अध्ययन - मीडिया अध्ययन क्षेत्र को तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है-

(क) मौलिक शोध

(ख) व्यावहारिक शोध

(ग) क्रियात्मक शोध

(क) मौलिक शोध :-मीडिया शोध के अन्तर्गत नए सिद्धान्तों की खोज, पूर्व निर्धारित नियमों की जाँच तथा नवीन शोध प्रणालियों की खोज को सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसा संभव है कि वर्तमान परिस्थितियों में पुराने नियम और सिद्धान्त लागू हों लेकिन उनमें कुछ आवश्यक संशोधन या परिमार्जन की आवश्यकता हो। मौलिक शोध के अन्तर्गत नए सिद्धान्तों व नियमों का अनुसंधान नई-नई स्थितियों, परिस्थितियों तथा समस्याओं के उत्पन्न होने पर किया जाता है। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि जो मीडिया, शोध ज्ञान प्राप्ति के लिए नए सिद्धान्तों का प्रतिपादन, पुराने सिद्धान्तों का संशोधन, परिमार्जन व परिवर्तन को अपना लक्ष्य मानता है, उसे भी मौलिक शोध कह सकते हैं।

(ख) व्यावहारिक शोध -व्यावहारिक शोध उस शोध को कहते हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यावसायिक मीडिया जीवन के अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान ढूँढने की कोशिश की जाती है। उदाहरण स्वरूप किसी समाचारपत्र का प्रकाशन करने से पूर्व पत्रकारिता का कोई शोधार्थी एक लंबे समय तक उस प्रकाशन क्षेत्र के पाठकों के प्रतिदर्श की रूपरेखा, मानसिकता, मनोवृत्ति, अभिरूचि, प्राथमिकता आदि का अध्ययन करके समाचारपत्र के समक्ष विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है तो उसे व्यावहारिक शोध कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी व्यावहारिक शोधों का संबंध मीडिया में सुधार, समाज सुधार, मीडिया व्याधियों का उपचार, मीडिया अधिनियम को बनाने या मीडिया नियोजनों को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने से होता है। शोधकर्ता या शोध संस्थान स्वयं समाधान नहीं करता, बल्कि उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह काम तो मीडिया प्रबंधकों, मीडिया नियोजकों, समाज सुधारकों, मीडिया प्रशासकों तथा अधिकारियों का होता है।

हलांकि मौलिक शोध ही व्यावहारिक शोध का आधार है और व्यावहारिक शोध के परिणामस्वरूप ही ऐसी उपकल्पनाएं प्राप्त हो जाती हैं जो मौलिक शोध को प्रेरित करती हैं। इस प्रकार ये दोनों शोध पद्धतियाँ एव-दूसरे की पूरक हैं।

(स) क्रियात्मक शोध - क्रियात्मक शोध एक प्रकार से व्यवहारिक शोध के समान ही है, क्योंकि इसका संबंध भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यावसायिक जीवन के कई पहलुओं से संबंधित समस्याओं का समाधान ढूंढने से होता है जिसका कि व्यावहारिक महत्व है। जब ऐसे शोधों के निष्कर्षों को क्रियात्मक रूप देने की किसी तात्कालिक अथवा भावी योजना से संबंध होता है, तो उसे क्रियात्मक शोध कहा जाता है।

संक्षेप में क्रियात्मक मीडिया शोध के अध्ययन क्षेत्र निम्नलिखित हैं:-

1. समाचारपत्र, पत्रिका एवं समाचार समितियों के विभिन्न पहलुओं पर शोध, पाठक शोध, प्रसार शोध, समाचार पत्र, प्रबंधन शोध, मुद्रक की विधाएं, साजसज्जा शोध एवं पठनीयता शोध इत्यादि।
2. रेडियो, टी0वी0, निजी चैनलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर रेटिंग आदि से जुड़े शोध।
3. वेब पत्रकारिता, एडवरटाईजिंग एवं उससे संबंधित पहलुओं का शोध।
4. पारंपरिक, आधुनिक तथा नवीनतम मीडिया (जैसे इंटरनेट, DTH) में अन्तर्सबंध, इंटरनेट एवं विज्ञापन का अर्न्तसंबंध, विज्ञापन अभियान, विज्ञापन एवं उपभोक्ता व्यवहार, मूल्यांकन, विज्ञापन एवं सामाजिक विपणन आदि।
5. पारंपरिक, आधुनिक तथा नवीनतम मीडिया (जैसे इंटरनेट,DTH आदि) द्वारा जनसम्पर्क, उनका अंतर्संबंध, जनसंपर्क साधन और कार्य पद्धतियाँ, जनसंपर्क और संकट समाचार आदि।
6. संचार, विकास संचार, आधुनिक संचार आदि पर शोध।
7. सामाजिक विपणन से जुड़ा शोध
8. नवीन संचार व मीडिया सिद्धान्तों की खोज, प्राचीन संचार व मीडिया सिद्धान्तों तथा विधियों का परीक्षण एवं संचार एवं मीडिया से संबंधित नवीन प्रणालियों की खोज।
9. संचार व मीडिया पर शोध।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मीडिया-शोध का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, जो समाज के विविध क्षेत्रों घटनाओं, क्रियाओं तथा परिस्थितियों से सम्बन्धित हैं।

1.7 मीडिया शोध का प्रमुख प्रणालियाँ -(Important Techniques of Media-Research)

मीडिया शोध की अनेक प्रणालियाँ हैं, जिनके द्वारा उच्चकोटि का अनुसंधान कार्य हो सकता है। इन प्रणालियों के बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं लेकिन उन सभी प्रणालियों में सर्वाधिक उपयुक्त प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं-

1- प्रश्नावली प्रणाली

2- अनुसूची प्रणाली

3- अनुमापन प्रणाली

1.7.1 प्रश्नावली प्रणाली :-

गूडे तथा हट्ट ने प्रश्नावली को परिभाषित किया है; "सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की पद्धति से है जिनमें एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है।" 'बोगार्डस के अनुसार, 'प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गयी प्रश्नों की एक तालिका है। यह प्रमाणीकृत परिणामों को प्राप्त करती है, जिनका सारणीयन तथा सांख्यिकीय उपयोग किया जा सकता है। 'पोप के शब्दों में, 'एक प्रश्नावली को प्रश्नों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैं जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना एक अनुसंधानकर्ता अथवा प्रगणक की व्यक्तिगत सहायता के देना होता है।' विलसन गी के अनुसार, 'प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों में अथवा छोटे चुने हुए एक समूह से जिसके कि सदस्य विस्तृत क्षेत्र में छिटके हुए हैं, सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है।' सिन पाओ यांग के अनुसार, 'अपने सरलतम रूपं में प्रश्नावली प्रश्नों की एक अनुसूची है, जिसे कि निदर्शन के रूप में चुने हुए व्यक्ति के रूप में डाक द्वारा भेजा जाता है।'

जॉन गालटंगे ने प्रश्नावली को लिखित-शाब्दिक उत्तेजना एवं लिखित शाब्दिक प्रत्युत्तेजना बताया है। लुण्डबर्ग ने प्रश्नावली को प्रेरणाओं का समूह बताया है वास्तव में प्रत्यक्ष वार्तालाप में इच्छा होते हुए भी व्यक्ति बहुत से तथ्य प्रकट करने में संकोच करता है। डाक द्वारा प्राप्त प्रश्नावली भेजने से उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से निःसंकोच अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर देता है। लुण्डबर्ग ने प्रश्नावली को ऐसा यंत्र बताया है जो उत्तरदाता को निःसंकोच वास्तविकता प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने आगे कहा, "प्रश्नावली मूल रूप से प्रेरणाओं का एक समूह है, जिसके द्वारा शिक्षित लोग उन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार को प्रकट करते हैं।'

निष्कर्षतः प्रश्नावली, प्रश्नों की ऐसी अवली अर्थात् पंक्ति या श्रृंखला है जो विवेच्य अथवा अनुसंधेय विषय से सम्बन्धित होती है, जिसका उत्तर सूचक अथवा उत्तरदाता स्वयं देता है। इस कार्य में अनुसंधाता की उपस्थिति, सहायता या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।

प्रश्नावली की विशिष्टताएं -

(1) प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर स्वयं उत्तरदाता को ही लिखना होता है।

(2) इसमें प्रश्नों की शब्दावली एवं भाषा बिल्कुल सरल, सहज व स्पष्ट होती हैं।

(3) इसमें उत्तरदाता अनुसंधाता से बिना प्रभावित हुए ही उत्तर देता है।

(4) प्रश्नावली डाक द्वारा अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से उन समस्त लक्षित व्यक्तियों के पास भेजी जाती है।

(5) यह अनुसंधेय विषय से संबंधित सूचना एकत्रित करने की प्रणाली या पद्धति है।

(6) यह विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचकों के विषय में सूचना एकत्र करने की सरल विधि है।

(7) इस प्रणाली में आंतरिक बातों या सूचनाओं को भी बिना संकोच के लिखने में उत्तरदाता को कठिनाई नहीं होती है।

(8) प्रश्नावली प्रणाली में डाक या कोरियर या अन्य संचार माध्यमों द्वारा उत्तरदाताओं के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है।

(9) यह सूचना प्राप्त करने का अपेक्षाकृत कम खर्चीला एवं सरल साधन है।

(10) यह समस्या से प्रत्येक पक्ष में संबंधित प्रश्नों का समूह है, जो एक सूची के रूप में होता है।

(11) प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए सूचक का साक्षर होना आवश्यक है।

(12) इस प्रणाली द्वारा सूचना शीघ्र प्राप्त की जा सकती है।

(13) प्रश्न रोचक एवं उत्सुक्तापूर्ण होने चाहिए।

1.7.1.2 प्रश्नावली के प्रमुख भेद -

लुम्डबर्ग ने प्रश्नावली को दो भागों में बाँटा है-

1. **तथ्य संबंधी प्रश्नावली -** ऐसी प्रश्नावली. में मीडिया या समाज से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न रहते हैं ? उदाहरण के लिए, आप कौन-कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं ? या आप कौन-कौन सा समाचार चैनल देखते हैं? आप मनोरंजन के लिए कौन से साधन का उपयोग करते हैं? समाचार प्राप्ति का सबसे विश्वसनीय माध्यम कौन सा है? इत्यादि।

2. **मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली -** ऐसी प्रश्नावली के माध्यम से सूचनादाता का मत अथवा मनोवृत्ति के संदर्भ में सूचना प्राप्त की जाती है। जनमत सर्वेक्षण तथा उपभोक्ता सर्वेक्षण आदि में इन प्रश्नावलियों का सर्वाधिक उपयोग होता है। रेडियो कार्यक्रमों के विषय में श्रोताओं की रूचि तथा किसी नवीन संचार तकनीकी के आविष्कार के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जानने के लिए ऐसी प्रश्नावलियों का उपयोग किया जाता है।

पी0 वी0 यंग ने प्रश्नावलियों के निम्नलिखित दो प्रकार बताए हैं-

1. संरचित प्रश्नावली : इसमें शोध आरंभ करने से पूर्व ही इसकी संरचना कर ली जाती है और बाद में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। पी0वी0 यंग ने इस संदर्भ में कैप्ट को उद्धृत किया है :- 'संरचित प्रश्नावलियां वे होती हैं, जिनमें निश्चित ठोस तथा पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे आवश्यक प्रश्न भी रहते हैं, जो अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत उत्तर पाने तक सीमित होते हैं। प्रश्नों का प्रकार चाहे प्रतिबंधित हो या अप्रतिबंधित, महत्वपर्ण बात यो यह है कि उन प्रश्नों को पहले से ही न कि साक्षात्कार के दौरान लिखित रूप

दे दिया जाता है।' ऐसी प्रश्नावलियों का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हों। प्राथमिक सूचनाओं को एकत्रित करना हो या संकलित सूचनाओं की पुनर्परीक्षा करनी हो। अध्ययन का उद्देश्य मीडिया संचार से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में सूचना एकत्रित करना, मतों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना हो सकता है। संरचित प्रश्नावली सूक्ष्म, गंभीर, निश्चित एवं विस्तृत क्षेत्र से पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सूचना एकत्रित करने में विशेष रूप से सहायक मानी जाती है।

2. असंरचित प्रश्नावली : संरचित प्रश्नावली की तरह प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है। परिस्थिति एवं अवसर के अनुकूल तत्काल प्रश्नों का निर्माण करना होता है। शोधकर्ता एक फार्म पर कुछ संकेत लिख लेता है, जिनकी सहायता से वह सम्बन्धित सूचनाएं एकत्र करता है। वह स्वयं उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है। इस प्रकार असंरचित प्रश्नावली एक साक्षात्कार-निर्देशक के ही समान है। प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं किया जाता है।

प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर भी प्रश्नावली के भिन्न-भिन्न भेद किये गये हैं- जिनमें से प्रमुख ये हैं -

1. बंद प्रश्नावली-इसे सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहते हैं। इसमें प्रश्नों के सामने उसके कुछ उत्तर दिये होते हैं। उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से मात्र टिक करना होता है।

बंद प्रश्नावली के द्वारा सूचना एकत्रित करने में सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्राप्त सामग्री का वर्गीकरण आसानी से हो जाता है। उत्तरों के विकल्प पहले से ज्ञात रहते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तरदाता को भी प्रश्नों का उत्तर देना होता है, क्योंकि उत्तर के विकल्प पहले ही से उपस्थित रहते हैं और उत्तरदाता को केवल हां या नहीं लिखना होता है या निशान लगाना होता है।

2. खुली प्रश्नावली- खुली प्रश्नावली को असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहा जाता है। इसमें उत्तरों के विकल्प नहीं दिये जाते हैं। उत्तरदाता किसी बंधन में नहीं रहता है। वह अपनी इच्छानुसार बड़ा या छोटा उत्तर लिख सकता है। प्रश्नों के आगे कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर रिक्त स्थान में उत्तरदाता द्वारा इच्छानुसार भरे जाते हैं।

(1) मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?

(2) मीडिया में बढ़ते हिंसा के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है?

(3) अश्लीलता के बढ़ते प्रभाव से मीडिया को कैसे बचा सकते हैं?

इस प्रश्नावली द्वारा उत्तरदाता की वास्तविक आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति संभव होती है। गुणात्मक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, खुली प्रश्नावली बहुत उपयोगी है।

3. चित्रमय प्रश्नावली - इसमें प्रश्नों के उत्तर चित्रों के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। यह एक प्रकार से बंद प्रश्नावली का ही एक रूप है। इसमें भी प्रश्नों के उत्तर पहले ही से

अंकित होते हैं। उन्हीं में से सूचनादाता उत्तर का चयन करता है। चित्रों के द्वारा प्रकट होने वाले उत्तरों में से जो चित्र सूचनादाता की सहमति व्यक्त करता है, उसी पर वह निशान लगा देता है। चित्रमय प्रश्नावली शोधकर्ता के कार्य को आकर्षक सुगम तथा रोचक बना देती है। आज के युग में आकर्षण का अत्यधिक महत्व है। प्रश्नों को रोचक बनाने तथा सूचनादाता को उत्तर देने की प्रेरणा में चित्रमय प्रश्नावली अत्यंत ही लाभकारी, एवं उपयोगी होती है। चित्रों के माध्यम से उत्तरदाता सरलता से उत्तर दे देता है। इस प्रकार की प्रश्नावली सामान्यतः अशिक्षित लोगों के लिए और भी अधिक उपयोगी एवं व्यावहारिक होती है।

4.मिश्रित प्रश्नावलीः यह बंद तथा खुली प्रश्नावली का ही मिश्रित रूप है। इसमें दोनों प्रश्नावलियों का उपयोग किया जाता है। आज मीडिया शोध में प्रायः मिश्रित प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। तथ्यों का विवरण एक दो उत्तरों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें इतनी विस्तृत स्वतंत्रता दी जा सकती है कि प्रत्येक उत्तर ही एक वर्ग बन जाए। ऐसा होने पर एकत्रित सामग्रियों अथवा तथ्यों में इतनी अधिक विविधता हो जाएगी कि उसका विश्लेषण, वर्गीकरण, एवं सारणीयन करना अत्यन्त कठिन हो जाएगा।

1.7.3 आदर्श प्रश्नावली के गुण-

ए0एल0 बाउले ने एक आदर्श प्रश्नावली के निम्नलिखित गुणों का वर्णन किया हैः-

1. प्रश्नों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो।
2. हाँ या नहीं में उत्तर दिये जा सकने वाले प्रश्नों की बहुतायत हो।
3. प्रश्न सहज बोधगम्य, सरल, सीधे तथा एक अर्थ वाले हों।
4. प्रश्न शालीन एवं शिष्टता से पूर्ण हो।
5. प्रश्नों द्वारा अभीष्ट सूचना प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जा सके।

कहने का आशय यह कि प्रश्नावली इतनी बड़ी भी नहीं होना चाहिए कि उत्तरदाता ऊब जाए। प्रश्नावली इतनी छोटी भी नहीं होना चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति ही न हो सके। प्रश्नावली रोचक, प्रेरणादायक, एवं सरल होनी चाहिए तथा उत्तरदाता का कम से कम समय लेना चाहिए। प्रश्नों में क्रमबद्धता एवं आकर्षक तत्व भी होने चाहिए। प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हों। समग्रतः ऐसे प्रश्न होने चाहिए, जिससे उत्तरदाता प्रेरित एवं उत्साहित हो और तत्पश्चात वह पूरी निष्ठा और तन्मयता से उत्तर दे।

प्रश्नावली की पूर्व तैयारी :-

(i) पूर्व तैयारी की प्रश्नावली एवं वास्तविक प्रश्नावली में कोई भेद नहीं होना चाहिए।

(ii) पूर्व तैयारी की प्रश्नावली प्रतिनिधि व्यक्ति के पास भेजी जानी चाहिए।

(iii) पूर्व तैयारी के आधार पर भी कई बार समग्र की एकरूपता या बहुरूपता का पता चलता है। इससे कई बार प्रतिदर्शन का आकार भी निर्धारित करने में सहायता मिलती है।

(v) पूर्व परीक्षा से कई कमि याँ एवं दोष दूर हो जाते हैं।

सहयोगात्मक एवं प्रत्येक प्रश्नावली के साथ एक व्यक्तिगत अनुरोधात्मक पत्र अवश्य भेजना चाहिए। इसमें ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उत्तरदाता किसी भी हालत में आपके अनुरोध को न ठुकराये।

1.7.1.4 प्रश्नावली के मुख्य उद्देश्यः

प्रश्नावली के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं :-

(1) सैद्धान्तिक उद्देश्य

(2) व्यावहारिक उद्देश्य

माडिया शोध में प्रतिनिधित्व की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। छोटे आकार के निदर्शन को पूरे समग्र पर लागू करना हमेशा सार्थक नहीं होता। अतएव बड़े आकार के प्रतिदर्श का अध्ययन करना मीडिया शोध के लिए अपेक्षित हैं। अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता सूचना संग्रह को कठिन बना देती है। प्रश्नावली प्रणाली में सूचना संग्रह करने में समय और धन भी कम लगता है, क्योंकि अनुसंधाता को स्वयं उत्तरदाता के पास नहीं जाना पड़ता। संपूर्ण क्षेत्र में प्रश्नावली के अलावा अन्य कोई भी प्रणाली विशाल अध्ययन क्षेत्र में इतनी किफायती, सार्थक, उपयोगी एवं लाभकारी नहीं है।

प्रश्नावली प्रणाली का व्यावहारिक उद्देश्य आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं का सफलतापूर्वक संग्रह करना है। सूचना प्राप्ति के साधन सूचना प्राप्ति को अनिवार्य नहीं बनाते। प्रत्येक आवश्यकता सूचना संग्रहण की जा सके। इसके लिए प्रश्नावली अत्यंत उपयोगी है। साक्षात्कार अथवा, अनुसूची के द्वारा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अनेकों बातों की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर उत्तरदाता स्वयं भरता है। उसके पास कोई अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं होता, जिसके सामने वह अपनी गोपनीय बातों को प्रकट करने में संकोच करे। तात्पर्य यह कि प्रत्येक सूचना सही व निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप सूचनादाता के जीवन में नहीं होता।

1.7.4 प्रश्नावली प्रणाली का महत्व एवं इसकी उपयोगिता -

प्रश्नावली प्रणाली मीडिया शोध का एक महत्वपूर्ण अंग है। मीडिया, स्रोत, संदेश, माध्यम एवं संग्राहक आदि विभिन्न पहलुओं के परीक्षण के लिए प्रश्नावली प्रणाली पर्याप्त उपयोगी और सार्थक है। मीडिया शोध में तथ्यों के संकलन के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है। किन्तु प्रश्नावली का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक किया जाता है। अध्ययन प्रणाली का सर्वाधिक प्रयोग उसके महत्व की सबसे बड़ी कसौटी है। प्रश्नावली का मीडिया या संचार शोध में इतना अधिक प्रचलन इस प्रणाली के महत्व एवं उपयोगिता का परिचायक है और इसका प्रचलन इसके विशिष्ट गुणो एवं सार्थकता के कारण है। प्रश्नावली के महत्व एवं उपयोगिता से संबंधित तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-

1. प्रश्नावली प्रणाली की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा विशाल क्षेत्र मे बिखरी हुई, विपुल जनसख्या का अध्ययन संभव है। किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से इतनी अधिक जनसंख्या का उसी कीमत पर सम्यक् अध्ययन संभव नहीं है। अन्य प्रणालियों द्वारा विशाल जनसंख्या का अध्ययन करने में समय, धन, ऊर्जा, एवं संसाधन अत्यधिक खर्च होते हैं।

2. इस प्रणाली से शोध प्रक्रिया में खर्च अपेक्षाकृत कम होता है।

3. इस प्रणाली में समय की भी बहुत बचत होती है। इस प्रणाली में प्रश्नावलियों को छपवाकर उन्हें एक साथ ही सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है और साधारणतया कुछ दिनों के बाद ये प्रश्नावलियाँ उत्तर के साथ पुनः वापस मिल जाती है।

4. संशोधन या अधूरी सूचनाओं के लिए अनुसंधाता को सूचक के पास पुनः नहीं जाना पड़ता जैसा कि साक्षात्कार या अवलोकन प्रणाली में होता है। अतः स्पष्ट है कि यह प्रणाली धन, समय एवं श्रम की दृष्टि काफी किफायती है।

5. इस प्रणाली में अनेक सहायकों की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए मानव संसाधन की दृष्टि से भी यह प्रणाली काफी किफायती है।

6. यह प्रणाली तटस्थतापूर्ण सूचना एकत्रित करने में बहुत ही उपयोगी व सार्थक सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति में पक्षपात रहित, वास्तविक, विश्वसनीय, प्रमाणिक सूचनाओं को प्राप्त करने की संभावना अधिक रहती है।

7. इस प्रणाली में अनावश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं से बचत होती है। साक्षात्कार या अवलोकन में वार्तालाप अथवा घटनाओं की बहुलता के कारण अनेकों ऐसी सूचनाओं का संग्रह हो जाता है। जिनका शोध विषय कोई संबंध नहीं होता। सुविचारित, प्रश्नावली में केवल विश्वसनीय, वास्तविक, एवं प्रमाणिक प्रश्न ही रखे जाते हैं। वे आकर्षक, सरस, उत्साहवर्धक, रोचक, तथा विषय से संबंधित होते हैं। विषयवस्तु का ध्यान रखकर अनुसंधाता सुविचारित ढंग से प्रश्नों का निर्माण करता है। इस प्रकार केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आते हैं, जो शोधकर्ता की दृष्टि से समस्या से सम्बद्ध होते हैं।

8. इस प्रणाली में तथ्यों को संकलित करना सुविधाजनक सरल सहज है, क्योंकि इसमें अनुसंधाता को अधिक परिश्रम, धन, समय तथा संसाधन नहीं लगाना पड़ता है। सूचक अपनी सुविधानुसार यथा समय प्रश्नों के उत्तर लिखता है। सूचक अनुसंधाता के सामने एक निश्चित समय पर बैठकर उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता।

9. कुछ शोध ऐसे होते हैं, जिनमें उत्तरदाताओं से एक निश्चित समय के बाद भी कई बार सूचना प्राप्त करनी होती है, जैसे मीडिया देखने या सुनने की आदतें। ऐसे सभी शोधों में प्रश्नावली प्रणाली ही सबसे अच्छी और सार्थक सिद्ध होती है क्योंकि इसमें कुल लागत कम आती है।

समग्रतः प्रश्नावली प्रणाली मानव संसाधन, धन, समय, ऊर्जा एवं श्रम की दृष्टि से किफायती एवं विश्वसनीय है। यही इसकी उपयोगिता का विशेष कारण है।

प्रश्नावली प्रणाली के दोष-

1. इस प्रणाली का प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने में किया जाता है। प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ना, समझना और फिर स्पष्ट भाषा में उत्तर लिखना शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही संभव है। मीडिया से संबंधित घटनाओं के अध्ययन में प्रायः अशिक्षित लोगों का ही अध्ययन करना पड़ता है, जिन पर प्रश्नावली के माध्यम से शोध करना कठिन है।

2. व्यक्तिगत लाभ देखने वाले उत्तरदाता बहुत उत्साह नहीं दिखाते, क्योंकि अधिकांश उत्तरदाता यही सोचते हैं कि इसमें उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्रायः उत्तरदाता उपेक्षापूर्ण ढंग से उत्तर भर देता है जिनके द्वारा यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि उत्तरदाता की वास्तविक सोच क्या है? इसी कारण से एलमर ने प्रश्नावली प्रणाली को अनुसंधान की एक अधूरी प्रणाली कहा है। इस संदर्भ में ए0 फ्लेसनर ने लिखा है, 'यह एक वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है, बल्कि सूचना एवं गैर-सूचना प्राप्त करने की एक सस्ती, सुलभ तथा द्रुतगामी प्रणाली है।

3. अधिकांश उत्तरदाता प्रश्नावली को महत्व नहीं देते। कुछ उत्तरदाता प्रश्नावलियों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और बहुत कम उत्तरदाता प्रश्नावलियों को ठीक-ठीक भरकर उत्तरदाता को वापस भेजने का कष्ट करते हैं।

4. इस प्रणाली अनुसंधाता की अनुपस्थिति के कारण वह उत्तरदाता को वास्तविक तथ्य प्रकट करने के लिए भावात्मक प्रेरणा नहीं दे पाता। अनुसूची प्रणाली में शोधकर्ता के सामने रहने से संप्रेषण की तीव्रता से जो मानवीय संवेदनात्मक प्रेरणा मिलती है वह प्रश्नावली प्रणाली में अनुपलब्ध रहती है। यह मानवीय संवेदना ही उत्तरदाता के मन में जिज्ञासा एवं प्रेरणा उत्पन्न करती है। अर्थात प्रश्नावली के द्वारा अपूर्ण तथा अपर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं।

5. इस प्रणाली में प्रश्न की अस्पष्टता या सूचक के भ्रम की स्थिति में कठिनाई आती है। अगर किसी उत्तरदाता को कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो मजबूर होकर वह या तो संबंधित प्रश्न को छोड़ देता है या अनुपयुक्त उत्तर भर देता है।

6. कुछ उत्तरदाता संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। उन्हें लिखित उत्तर देने में काफी झिझक होती है। ऐसे उत्तरदाता अपने हाथ से लिखकर अपने विषय में तथ्य प्रकट करने से डरते हैं।

7. हर व्यक्ति का अपना अलग हस्तलेखन होता है। कुछ लोग तो पेंसिल से ही उत्तर देते हैं, जिनको पढ़ना कठिन हो जाता है। भद्दा लेखन भी उत्तर को अस्पष्ट और अर्थहीन बना देता है। उसी प्रकार उत्तरों के कांट-छांट और पुनर्लेखन से भी अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं अस्पष्ट होने के कारण उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती है।

8. प्रश्नावली प्रणाली केवल साधारण समस्याओं के अध्ययन में ही सहायक, एवं लाभकारी होती हैं। यदि किसी गम्भीर एवं जटिल विषय का कुछ समय तक निरंतर अध्ययन करना हो, तो यह प्रणाली प्रायः अनुपयोगी सिद्ध होती है। प्रश्नावली प्रणाली के दोषों पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान पार्टेन ने लिखा है, 'इसमें तनिक भी शंका नहीं है कि सर्वोत्तम प्रश्नावली की अपेक्षा उत्तम साक्षात्कार के द्वारा अधिक गहन अध्ययन किया जा सकता है।

दूसरे प्रसिद्ध विचारक सीजर के मतानुसार, 'प्रश्नावली द्वारा प्राप्त उत्तरों से यह पता लगाना असंभव है कि कौन-सा उत्तर सूचनादाता का लापरवाहीपूर्ण अनुमान है और कौन-सा जानबूझकर दी गलत सूचना।'

उत्तरदाता प्रायः प्रश्नावली को एक व्यर्थ की चीज तथा उनके समय को बर्बाद करने वाली समझते हैं और इसलिए इसके द्वारा वास्तविक सूचनाओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परन्तु एल्बर्ट इलिस का विचार है, 'प्रेम तथा वैवाहिक संबंधों से संबंधित अनुसंधानों में प्रश्नावली प्रणाली तथ्यों को एकत्रित करने में साक्षात्कार प्रणाली की ही भांति संतोषप्रद है। इस प्रकार प्रश्नावली प्रणाली में गुण एवं दोष दोनों हैं। परन्तु पर्याप्त विवेकपूर्वक एवं अत्यन्त सावधानी से इस प्रणाली को सार्थक बनाया जा सकता है। जनमत सर्वेक्षणों, जनसंख्या आदि में 'प्रश्नावली' सर्वोत्तम है।

1.7.5 अनुसूची प्रणाली :-

इस प्रणाली में अनुसंधाता प्रश्नों की एक शृंखला का निर्माण करता है। इसमें प्रश्नों की सूची का उत्तर उत्तरदाता से पूछकर प्रश्नकर्ता स्वयं भरता है। प्रश्नावली प्रणाली से भिन्न यही इसके मूल विभेदक तत्व हैं। गूडे तथा हट्ट के शब्दों में 'अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है, जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने - सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं।'

कहने का आशय यह है कि प्रश्नों की आयोजित, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध सूची का नाम अनुसूची है। इसकी सहायता से शोधकर्ता उत्तरदाता से तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रश्नों के जो उत्तर उत्तरदाता द्वारा दिये जाते हैं, उन्हें यथास्थान अनुसंधाता द्वारा अनुसूची में भर लिया जाता है। अनुसूची प्राप्त सूचना का रिकार्ड बन जाती है। प्रश्नों के उत्तर आमने-सामने वार्तालाप के आधार पर प्राप्त किये जाते हैं। दूसरे शब्दों में अनुसूची अध्ययन की एक विधि है जिसकी सहायता से शोधकर्ता सूचना एकत्र करता है। इसमें वह स्वयं उत्तरों को भरता है।

1.7.5.1 अनुसूची के भेद :- अनुसूची को अध्ययन की प्रकृति एवं उनके उद्देश्यों के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। लुण्डबर्ग ने अनुसूची को तीन वर्गों में बांटा है -

(i) वैषयिक तथ्यों को लेखबद्ध करने के लिए अनुसूचियाँ

(ii) दृष्टिकोण तथा सम्मति को निर्धारित करने तथा मापने वाली अनुसूचियाँ

(iii) सामाजिक संगठनों तथा संस्थाओं की स्थिति जानने के लिए अनुसूचियाँ

श्रीमती यंग ने अनुसूची को निम्नलिखित पांच प्रकारों में विभाजित किया है; जो अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी है :-

1. अवलोकन अनुसूची
2. मूल्यांकन अनुसूची
3. संस्था सर्वेक्षण अनुसूची
4. साक्षात्कार अनुसूची
5. प्रलेख अनुसूची

1. अनुसंधाता अवलोकन अनुसूची का प्रयोग तब करता है, जब वह अवलोकन विधि द्वारा शोध करता है। तात्पर्य यह कि निरीक्षण अनुसूची में अध्ययन क्षेत्र में प्रश्न पूछकर तथ्यों को संकलित नहीं करना पड़ता है, बल्कि शोधकर्ता स्वयं क्षेत्रीय निरीक्षण करते समय प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखता जाता है।

2. मीडिया से संबंधित किसी घटना के संदर्भ में जब सूचनादाता की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मत, पसंद आदि की सांख्यिकीय माप करनी होती है, तब मूल्यांकन अनुसूची का ही सहारा लिया जाता है। मीडिया, संचार एवं मनोविज्ञान में इस प्रकार की अनुसूची का आजकल अधिकतम प्रयोग होने लगा है।

3. संस्था सर्वेक्षण अनुसूची उस अनुसूची को कहते हैं, जिसके द्वारा किसी संस्था से संबंधित समस्याओं का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी अनुसूची का निर्माण किसी विशिष्ट संस्था, एक संस्था के विशिष्ट पहलू के अध्ययन के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियां बहुत बड़ी होती हैं क्योंकि किसी संस्था का मूल्यांकन करने के लिए किसी समुदाय की प्रारंभिक शिक्षा अथवा स्वास्थ्य योजना आदि का अध्ययन करने के लिए ये अनुसूचियाँ श्रेयस्कर हैं

4. साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग प्रायः व्यक्तिगत साक्षात्कार में किया जाता है। सहायक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए एवं संकलित सूचना की परीक्षा के लिए भी यह अनुसूची उपयोगी हैं। अध्ययन के प्रारंभ में भी साक्षात्कार अनुसूची उपयोगी होती हैं। भिन्न-भिन्न सामाजिक संगठनों तथा शोध संस्थाओं के द्वारा भी इन अनुसूचियों की सहायता से सर्वेक्षण किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों में समस्या से संबंधित प्रामाणिक प्रश्न तथा सारणियाँ होती हैं जिन्हें शोधकर्ता उत्तरदाता से व्यक्तिगत साक्षात्कार करके भरता है। साक्षात्कार अनुसूची की विशेषता यह है कि शोधकर्ता केवल अनुसूची में सम्मिलित प्रश्नों के उत्तर तक ही अध्ययन को सीमित रखता है। बड़ी सावधानी के साथ प्रश्नों का निर्माण करके उत्तरदाता के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रश्नों के यथार्थ उत्तर अनुसूची में लेखबद्ध करना शोधकर्ता का कार्य है गौण प्रश्नों के उत्तर भी इस अनुसूची में स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की अनुसूची से लाभ यह होता है कि साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता से कहानी के रूप में विवरणात्मक सूचनाएं नहीं, बल्कि वर्गीकरण

व सारणीयन के महत्वपूर्ण आंकड़े संकलित किये जा सकते हैं। प्रबुद्ध साक्षात्कार कर्ता के मन में कभी-कभी अचानक ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं जिनके उत्तर से अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ जाती है।

5. वैयक्तिक अध्ययन में आत्मकथा, जीवन तथा डायरी आदि तथ्यों को संकलित करने में प्रलेख अनुसूची का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक सामग्री संकलित करने में भी इस अनुसूची का प्रायः उपयोग किया जाता है। समग्र की इकाइयों के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित करने के लिए भी प्रलेख अनुसूची अत्यंत लाभकारी एवं सहायक साबित होती है। इस प्रकार की अनुसूची में जिन प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, उनके उत्तर आत्मकथा, जीवन इतिहास, डायरी, दस्तावेज दफ्तरी रिकार्ड आदि में से खोजकर लिखे जाते हैं। प्रलेख अनुसूची को द्वितीयक आंकड़ों के संकलन में अत्यन्त उपयोगी एवं सार्थक माना जाता है।

1.7.5.2 आदर्श अनुसूची के मानक - श्रीमती यंग के अनुसार एक अनुसूची में निम्नलिखित दो प्रमुख मानकों का ध्यान रखना आवश्यक है-

1. सटीक एवं सक्षम सम्प्रेषण

2. उपयुक्त उत्तर

1. सक्षम सम्प्रेषण का तात्पर्य यह है कि प्रश्नों का अर्थ सभी उत्तरदाता द्वारा वही लगाया जाए, जो अर्थ शोधकर्ता द्वारा लगाया गया है। अनुसूची की भाषा इतनी सरल, स्पष्ट एवं बोधगम्य होनी चाहिए कि पढ़ने या सुनने वाले को उसका निश्चित अर्थ समझने में कोई भ्रम न हो। अर्थात् शोधकर्ता वास्तव में जो कुछ पूछना चाहता है, उत्तरदाता उसे उसी रूप में समझता है। कहने का आशय यह है कि अनुसंधाता एवं सूचक के बीच सहज सम्प्रेषणीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए।

2. एक आदर्श अनुसूची की यह विशेषता है कि अनुसूची ऐसी हो जिसके आधार पर उत्तरदाता वही उत्तर दे जो शोधकर्ता के लिए उपयोगी तथा आवश्यक हो। उदाहरण के लिए यदि उत्तरदाता से पूछा जाए कि वह कितनी पत्र/पत्रिकाओं को पढ़ता है और वह भ्रमवश केवल हिन्दी की पत्र/पत्रिकाओं की संख्या बताये और अंग्रेजी एवं अन्य भाषा की पत्र/पत्रिकाओं को छोड़ दे, तो यह उत्तर अधूरा एवं अनुपयुक्त होगा। अनुसूची के द्वारा वांछित, सही, स्पष्ट एवं पर्याप्त उत्तर मिलना चाहिए।

आर्दश अनुसूची के उपर्युक्त मानकों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएँ भी होनी चाहिए जो निम्नवत् हैं-

1. अनुसूची का आकार तथा रूप आकर्षक होना चाहिए।

2. प्रश्न स्पष्ट, सरल तथा भ्रमरहित होने चाहिए।

3. संकोच एवं झिझक उत्पन्न करने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए।

4. प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा उपयुक्त निष्कर्ष निकालने योग्य पर्याप्त सूचना मिल सके।

5. प्रश्नों के द्वारा प्राप्त तथ्य एवं आंकड़े सारणीयन तथा सांख्यिकीय विवेचन के योग्य हों।

6. प्रश्नों में पारम्परिक तारतम्यता होनी चाहिए।

7. प्रश्नों का आकार यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए।

8. पूरी अनुसूची का वैज्ञानिक एवं तर्कभूत वर्गीकरण होना चाहिए

एक आदर्श अनुसूची के निर्माण से पूर्व ही निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए जैसा सैक्रिस्ट ने माना है :-

1. मूल समस्या क्या है ?

2. समस्या में सांख्यिकी के उपयोग की क्या आवश्यकता है?

3. विश्लेषण तथा समाधान के लिए किस प्रकार के तथ्य चाहिए?

4. क्या उन तथ्यों का उपयुक्त स्वरूप प्राप्त होना संभव होगा?

5. क्या वे तथ्य उद्देश्य के लिए पर्याप्त होंगे?

6. क्या उनमें परिशुद्धता, निरंतरता तथा तुलनात्मकता संभव होगी?

7. क्या निर्धारित समय में तथ्य प्राप्त किये जा सकेंगे?

8. क्या प्राप्त तथ्यों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध होगा ?

9. तथ्यों की प्राप्ति के लिए किस-किस की अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा किस कार्यप्रणाली की आवश्यकता होगी?

ओ0 पी0 वर्मा के अनुसार आदर्श अनुसूची में सम्मिलित किए गये प्रश्नों के निर्माण के समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए-

1. छोटे, सरल तथा उत्तर देने में सहज प्रश्न

2. सारणीयन के योग्य प्रश्न

3. विषय से संबंधित प्रश्न

4. सही उत्तर प्राप्ति के लिए परोक्ष प्रश्न

5. जांच करने योग्य प्रश्न

6. पूर्वप्रमाणिक अर्थों से युक्त प्रश्न

7. अवैयक्तिक प्रश्न

8. संक्षिप्त अथवा चिन्हों में उत्तर लिखे जाने योग्य प्रश्न

9. कार्य-कारण को व्यक्त करने योग्य प्रश्न

निम्नलिखित प्रकारों के प्रश्नों को अनुसूची में नहीं रखना उत्तम होता है :-

1. लंबे तथा जटिल प्रश्न

2. व्यक्तिगत में डालने वाले प्रश्न

3. असमंजस जीवन से संबंधित प्रश्न

4. संदेहजनक प्रश्न

5. प्रेरक प्रश्न

6. ऐसे प्रश्न जिनकी सूचना अन्य साधनों से प्राप्त हो सकती है।

7. ऐसे प्रश्न जिनका सही उत्तर मिलना संभव नहीं होता।

इसके अलावा एक आदर्श अनुसूची से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्व परीक्षित हो। पूर्व परीक्षा करते समय शोधकर्ता को हर दोष, कमी, त्रुटि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूर्व परीक्षा से प्रायः निम्नलिखित कमियां सामने आती हैं :-

1. नापसंद किये जाने वाले प्रश्न।

2. साक्षत्कारकर्ता की असुविधायें ।

3. ऐसे प्रश्नों का ज्ञान हो ही जाता है, जिनका उत्तर 'मालूम नहीं' रूप में दिया जाता है।

4. सरसरी तौर पर ही प्रश्नों के उत्तर गलत ।

5. संदिग्ध अर्थवाले प्रश्न ।

6. अनेकार्थक प्रश्नों से बचना चाहिए।

एक आदर्श अनुसूची में उपर्युक्त मानकों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य विशेषताएं, भी होना चाहिए :-

1. कागजों पर अनुसूची स्पष्ट रूप से लिखी हो।

2. अनुसूची का आकार यथासंभव छोटा हो।

3. प्रश्नों का उत्तर, लिखने के लिए पर्याप्त जगह अनुसूची में होनी चाहिए।

4. अनुसूची में अनपेक्षित प्रश्नों से बचना चाहिए।

5. अनुसूची में प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते क्रम में ही होना चाहिए। एकाएक मूल या विशिष्ट प्रश्नों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। कुछ सामान्य प्रश्न पूछने के बाद ही विशेष, विशिष्ट या मौलिक प्रश्न की ओर मुड़ना चाहिए।

6. अनुसूची में विवरणात्मक प्रश्नों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक उत्तरदाता

अपने ढंग से विवरण पेश करेगा। उससे अनुसूची वास्तविकताओं पर आधारित नहीं हो पाएगी।

7. अनुसूची के प्रश्न विषय से सम्बद्ध औसत दर्जे के होने चाहिए।

1.7.2.3 अनुसूची प्रणाली के दोष

1. अनुसूची प्रणाली की सबसे बड़ी कमी सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या है। सार्वभौमिक प्रश्नों से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे प्रश्न जिनका कि सभी उत्तरदाता एक ही अर्थ लगा सकें तथा उसके यथार्थ अर्थ को समझकर एक ही उत्तर भी दे सकें।

2. अनुसूची प्रणाली द्वारा बहुत ही सीमित क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सूचना एकत्रित करने के लिए उसे उत्तरदाता के पास व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है।

3. सीमित साधनों द्वारा सीमित क्षेत्रों में ही अध्ययन किया जा सकता है।

4. अनुसूची प्रणाली का उपयोग सीमित भौगोलिक क्षेत्र में करना ही उचित एवं सार्थक होता है।

5. यह अधिक खर्चीली प्रणाली है क्योंकि इस प्रणाली में साक्षात्कार की व्यवस्था करने, तथ्यों को संकलित करने, कार्यकर्ताओं को रखने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने में काफी समय, धन एवं उर्जा का व्यय होता है।

6. आज की व्यस्त एवं भागम-भाग की दुनियाँ में सूचकों से यथासमय सम्पर्क साधना एक भारी समस्या है।

7. आत्मकेन्द्रित एवं अल्पभाषी सूचकों से यथासंभव बचना चाहिए।

8. सहृदय, सहयोगी एवं बहिर्मुखी सूचकों का चुनाव करना चाहिए।

9. इस प्रणाली का एक और दोष है कि साक्षात्कार करते समय उत्तरदाता कई बार साक्षात्कर्ता के प्रभाव में आ जाता है। इससे उत्तर में पक्षपात की पर्याप्त संभावना रहती है। इससे वास्तविक सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पातीं और शोध के निष्कर्ष अनुसंधाता के व्यक्तितत्व से प्रभावित हो जाते हैं।

1.7.6 अनुमापन प्रणाली :-

किसी अमूर्त घटना अथवा गुणनात्मक पहलुओं की गणना करना या मापना अत्यंत जटिल कार्य है। अद्यतन अनुसंधान प्रविधियों के विकास ने इन कार्यों को भी सरल एवं सहज बना दिया है। अर्थांत अमूर्त्त घटना गुणात्मक पक्षों के मापने की विधियों को ही अनुमापन प्रणाली कहा जाता है। मीडिया की विषयवस्तु प्रायः गुणात्मक होती है, जिनको संख्या में अथवा मात्रा में प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन कार्य है। मीडिया के कुछ विषय जैसे प्रसार, पाठक संख्या, प्रसारण का आकार, विज्ञापन दर आदि की माप सुविधापूर्वक हो सकती है। अखबार का स्तर, रेडियो की लोकप्रियता, दुरदर्शन की विश्वसनीयता विज्ञापन की प्रभावशीलता इंटरनेट की संप्रेषणीयता

आदि का माप सामान्य पैमाने से नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि **पैमानों** का निर्माण करना आवश्यक है, जिनके द्वारा मीडिया की विषय-वस्तु अर्थात् मीडिया उपभोक्ताओं के व्यवहार अथवा उनकी मनोवृत्तियों की माप की जा सके।

पैमाना पद्धतियों के प्रमुख भेद

मीडिया के क्षेत्र में प्रमुख पैमाने निम्नलिखित हैं :-

1.7.6.1 अंक पैमाना : अंक पैमाना में कुछ शब्द लिख दिये जाते हैं। प्रत्येक शब्द का एक अंक होता है। सूचक जिन शब्दों को प्रसन्नता देने वाला समझता है, उसके आगे सही (√) का चिन्ह लगा देते हैं। जितने सही के निशान होते हैं, उनकी गिनती कर ली जाती है। इस प्रकार कुल योग ही प्राप्तांक होते हैं। इन अंकों के आधार पर व्यक्ति के प्रवृत्तियों, रुझानों एवं मनोभावों का पता लग जाता है।

1.7.6.2 संचार रिक्तता मापक यंत्र : इन पैमानों की सहायता से भिन्न-भिन्न वर्गों अथवा समूहों या व्यक्तियों के बीच पाये जाने वाली संचार रिक्तता का पता लगाया जाता है। इस प्रकार के दो पैमाने प्रसिद्ध हैं-

(i) बोगार्डस का पैमाना

(ii) मीडियामितीय पैमाना

1.7.6.3 तीव्रता मापक यंत्र : व्यक्तियों की पसन्द, नापसंद, संवदनाओं, मनोवृत्तियों, मनोभावों आदि की तीव्रता या सघनता, विरलता को मापने के लिए इन पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है।

1.7.6.4 पदसूचक पैमाने : अनेक पदों को सापेक्षिक रूप में रखकर जो पैमाना बनाया जाता है उसे ही पदसूचक पैमाना कहते हैं। इन पैमानों को अधोलिखित प्रणालियों द्वारा बनाया जाता है

(i) युग्म तुलना

(ii) हॉरोविज प्रणाली

(iii) थर्सटन प्रणाली

1.8 सारांश

मीडिया के क्षेत्र में किये गये नये-नये तथ्यों की खोज ही मीडिया शोध हैं। इसके अध्ययन का क्षेत्र मनुष्य का जीवन एवं उसका सामाजिक प्रभाव हैं। सामाजिक हलचलों का मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? और मीडिया समाज को कहाँ तक प्रभावित करती है जैसे तथ्यों की खोज मीडिया शोध द्वारा ही संभव है। मीडिया शोध की अनेक प्रणालियाँ है जिनमें सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय प्रणालियां प्रश्नावली, अनुसूची एवं अनुमापन है।

1.9 शब्दावली

मीडिया - जन संचार के विविध माध्यम

शोध - अनुसंधान, ज्ञान के क्षेत्र में नये तथ्यों की खोज या ज्ञान ज्ञान का नये संदर्भ में नवीन प्रतिपादन।

प्रणालियाँ - शोध करने की विशिष्ट विधियाँ

1.10 संदर्भ ग्रंथ

डॉ0 रविन्द्र नाथ मुकर्जी - सामाजिक शोध व सांख्यिकी

ओम प्रकाश वर्मा - सामाजिक अनुसंधान

मनोज दयाल - मीडिया शोध

1.11 प्रश्नावली

1.11.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :-

1. मीडिया-शोध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
2. मीडिया शोध के प्रमुख क्षेत्रों का परिचय दीजिए।
3. मीडिया शोध की प्रमुख प्रणालियों पर प्रकाश डालिए।

1.11.2 लघु उत्तरीय प्रश्न :-

1. शोध क्या है?
2. प्रश्नावली प्रणाली की विशेषताएँ लिखिए।
3. अनुसूची प्रणाली के लाभ बताइये।
4. अनुमापन प्रणाली का परिचय दीजिए।

1.11.3 बहुविकल्पीय प्रश्न :-

1. प्रश्नावली प्रणाली में सूची भेजी जाती है-

(क) स्वयं द्वारा (ख) मित्र द्वारा (ग) डाक द्वारा (घ) नौकर द्वारा

2. अनुसूची प्रणाली में प्रश्न का उत्तर किसके द्वारा लिखा जाता है-

(क) सूचक द्वारा (ख) अनुसंधानकर्ता द्वारा (ग) सूचक के मित्र द्वारा

(घ) सूचक के शिक्षक के द्वारा

3. अनुमापन प्रणाली में उत्तरदाता का क्या मापा जाता है?

(क) उत्तरदाता का व्यवहार

(ख) उत्तरदाता का वजन

(ग) उत्तरदाता का ब्लड प्रेसर

(घ) उत्तरदाता की लम्बाई

1.11.4 बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर :-

1. ग

2. ख

3. क

इकाई 2 - मीडिया शोध की पद्धतियाँ

इकाई की रूपरेखा -

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 पद्धति : परिभाषा एवं तात्पर्य

2.3 वैज्ञानिक पद्धति : परिभाषा एवं स्वरूप

2.4 वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख सोपान

2.5 मीडिया शोध की प्रमुख विशेषताएँ

2.6 मीडिया शोध की प्रमुख वैज्ञानिक पद्धतियाँ-

- 2.6.1 अवलोकन शोध पद्धति
  - 2.6.1.1 अवलोकन पद्धति के प्रकार
  - 2.6.1.2 अवलोकन पद्धति की विशेषताएं
  - 2.6.1.3 अवलोकन पद्धति के गुण
  - 2.6.1.4 अवलोकन पद्धति के दोष
- 2.6.2 प्रयोगात्मक शोध पद्धति
- 2.6.3 जनगणना शोध पद्धति
- 2.6.4 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति
  - 2.6.4.1 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति का वैशिष्ट्य
  - 2.6.4.2 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति के प्रमुख भेद
  - 2.6.4.3 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति के विविध सोपान
  - 2.6.4.4 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति के स्रोत-साधन
  - 2.6.4.5 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति की उपयोगिता
  - 2.6.4.6 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति के दोष
- 2.6.5 मीडिया शोध की सांख्यिकीय पद्धति
  - 2.6.5.1 साँख्यिकीय पद्धति के प्रमुख सोपान
  - 2.6.5.2 साँख्यिकीय पद्धति की कमियाँ
  - 2.6.5.3 साँख्यिकीय पद्धति के गुण एवं उपयोगिता।
- 2.6.6 निदर्शन शोध पद्धति
  - 2.6.6.1 निदर्शन पद्धति की प्रमुख विधियाँ
  - 2.6.6.2 दैव निदर्शन पद्धति
  - 2.6.6.3 उदेश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति

2.6.6.4 संस्तरित निदर्शन पद्धति

2.6.6.5 बहुस्तरीय निदर्शन पद्धति

2.6.6.6 स्वयं निर्वाचित निदर्शन पद्धति

2.6.6.7 सुविधाजनक निदर्शन पद्धति

2.6.6.8 क्षेत्रीय निदर्शन पद्धति

2.6.6.9 निदर्शन पद्धति की मुख्य बाधायें

2.6.7 साक्षात्कार शोध पद्धति

2.6.7.1 साक्षात्कार पद्धति के प्रकार

2.6.7.2 साक्षात्कार की विशेषताएं

2.6.7.3 साक्षात्कार पद्धति के गुण

2.6.7.4 साक्षात्कार पद्धति के दोष

2.6.8 सर्वेक्षण शोध पद्धति

2.6.8.1 सर्वेक्षण शोध पद्धति के प्रकार

2.6.8.2 सर्वेक्षण शोध पद्धति के गुण

2.6.8.3 सर्वेक्षण शोध पद्धति के दोष

2.6.9 अन्तर्वस्तु विश्लेषण शोध पद्धति

2.7 सारांश

2.8 शब्दावली

2.9 संदर्भ ग्रन्थ

2.10 प्रश्नावली

2.10.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

2.10.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

2.10.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

2.10.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

2.0 उद्देश्य

- इस इकाई का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिक पद्धति के स्वरूप को जान सकेंगे।
- मीडिया शोध की वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताओं को जान लेंगे।
- मीडिया-शोध की विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में जान सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना

ईश्वर के विधान में मनुष्य सर्वोत्तम कृति है और मनुष्य के विधान में उसका समाज एवं सामाजिक विचित्रताएँ, उसे सामाजिक प्राणी बनाती हैं। इस प्राणी के मस्तिष्क का गुण है जिज्ञासा। मनुष्य अपने इस युग की क्षुधा को शान्त करने हेतु प्रकृति, शिक्षा का ही अध्ययन नहीं करता वरन् अपने अन्दर स्थित अर्न्तभूत ज्ञान का भी अध्ययन करता हैं। क्या ? कैसे ? क्यों ? जैसे प्रश्नों के उत्तर तलाशने में उसने मनमाने ढंग का परिचय नहीं दिया अपितु निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोगों की कसौटियों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों पर परखकर दिया है। आइये इसी सन्दर्भ में हम यह जानने का प्रयास करें कि क्या मीडिया शोध एक वैज्ञानिक पद्धति है?

"बड़ी मार कबीर की चित्त से दिया उतार" किसी को अपने चित्त से उतार देना, उससे न बोलना, उसकी बात न सुनना ही बहुत बड़ा दण्ड है। अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने की व्यग्रता सभी में होती है। अभिव्यक्ति एक सहज प्रक्रिया है। उपर्युक्त वर्णन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान किसी भी घटना या अज्ञात तथ्य के विषय में यथार्थ रूप में की गयी तथ्यपरक खोज है। इसमें किसी नये या पुराने तथ्य की पुष्टि भी हो सकती है; अथवा खण्डन भी हो सकता है, शोध के द्वारा सदैव किसी तथ्य के सत्य से पक्ष पर प्रकाश पड़ता है। अर्थात् शोध वह वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा समस्याओं और उनके निराकरण के बीच कार्य-करण सम्बन्धों, अन्तः सम्बन्धों तथा उसमें अर्न्तनिहित प्रक्रियाओं का अध्ययन विश्लेषण और निरूपण किया जाता है।

2.2 पद्धति (Method) : परिभाषा एवं तात्पर्य

किसी भी कार्य को सम्पादित करने में प्रयुक्त प्रणाली या कार्य करने के ढंग को पद्धति कहते हैं। यह जरूरी नहीं की यह वैज्ञानिक ही हो परन्तु "मीडिया", के सन्दर्भ में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक विधि या तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए।

"पद्धति में किसी कार्य करने के तरीके, ढंग, रीति, कायदा, प्रणाली, विधि,क्रमबद्धता सभी तत्व समाहित रहते हैं।" **फादर कामिल बुल्के**

"किसी कार्य को करने के ढंग को पद्धति या Method कहते हैं।"

ऑक्सफोर्ड अंग्रेज-हिन्दी डिक्शनरी

तात्पर्य यह है कि समाधान के लिए समस्या से जुड़े अनजान पहलुओं, अनसुलझे पक्षों को खोजने और उनसे सम्बन्धित उपलब्ध आँकड़ों का संग्रह करने, वर्गीकरण करने, सांख्यकीय तरीके से उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने और खोजे गये तथ्यों में पारस्परिक सम्बन्धों को ढूँढने और स्थापित करने में जिन तरीकों या प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है उसे पद्धति कहते हैं।

निम्नलिखित विवेचनों से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी-

प्रो0 मोजर (Prof. Moser) के अनुसार "पद्धतियाँ एक वैज्ञानिक के लिए वे मान्य सुव्यवस्थित तरीके हैं। जिन्हें वह अपने अध्ययन विषय से सम्बन्धित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है।"

इसने कुछ विशेषताएँ भी होती हैं जो अग्रलिखित हैं।

1- पद्धति, अध्ययन-विषय से सम्बन्धित तथ्यों, सूचनाओं या आँकड़ों को एकत्रित करने का एक तरीका है।

2- एक सुव्यवस्थित व परीक्षित तरीका होता है।

3- इसका सम्बन्ध सम्पूर्ण शोध से नहीं होता, इसका संबंध तो वहीं तक सीमित होता है जहाँ तक कि निर्भर योग्य तथ्यों, सूचनाओं आदि को एकत्रित किया जाता है।

4- यह सभी विज्ञानों के लिए समान नहीं होता प्रत्येक विज्ञान अलग-अलग पद्धतियों को अपनाता है।

5- एक ही शोध के लिए-अनेक पद्धतियां हो सकती है यह अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्य एवं कभी-कभी शोध के लिये उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है।

2.3 वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method) : परिभाषा एवं स्वरूप

"वैज्ञानिक पद्धति वह है, जिसके द्वारा वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता अपनी विषय वस्तु का अध्ययन एक नियंत्रित परिस्थिति में करके एक वैध सामान्यीकरण (Valid generalization) करते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक विधि में मूलतः दो तरह की विशेषताएँ होती है-

(i) वैज्ञानिक विधि में एक नियंत्रित परिस्थिति होती है इसका अर्थ यह है कि इसमें चरों (variables) का एक निश्चित सेट होता है जिसमें से कुछ को नियंत्रित कर रखा जाता है। उनके मापन की प्रविधियाँ निश्चित होती हैं तथा एक वैज्ञानिक प्रेक्षण भी किया जाता है।

(ii) वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता यह भी होती है कि इसके द्वारा प्राप्त परिणाम का विस्तृत सामान्यीकरण किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक वैज्ञानिक द्वारा समस्या के समाधान के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, उसे उन सभी लोगों पर भी लागू किया जाता है जो उस अध्ययन में शामिल तो नहीं किये गये थे परन्तु जिनकी विशेषताएं उन व्यक्तियों से मिलती-जुलती हैं जिन्हें वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन में शामिल किया था।

2.4 वैज्ञानिक शोध पद्धति के प्रमुख सोपान

किसी भी वैज्ञानिक विधि के निम्नलिखित प्रमुख सोपान होते हैं।

1. विषय या समस्या का निर्धारण।
2. व्यापक सहित सर्वेक्षण (विषयवस्तु से संबंधित)।
3. परिकल्पना का निर्धारण।
4. आंकड़ो का एकत्रीकरण।
5. परियोजना का क्रियान्वयन।
6. आँकड़ो का वर्गीकरण और विश्लेषण।
7. परिकल्पना की परख।
8. सामान्यीकरण और व्याख्या।
9. समान्य सूत्र का निर्धारण।
10. प्रतिवेदन का प्रारूपण।

2.5 मीडिया शोध की प्रमुख विशेषताएं

मीडिया-शोध की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

(i) मीडिया शोध में किसी समस्या के समाधान का एक वस्तुनिष्ठ (objective) एवं क्रमबद्ध (Systematic) प्रयास किया जाता है।

(ii). यह दृश्य अनुभवों पर आधारित होता है अतः वैज्ञानिक शोध का आधार जिस प्रकार आनुभाविक सबूत (empirical evidence) होता है। उसी प्रकार मीडिया शोध भी आनुभाविक सबूतों पर आधारित होता है।

(iii) मीडिया शोध में घटनाओं या तथ्यों का परीक्षण तथा परिशुद्ध वर्णन किया जाता है। इसमें वैध और विश्वसनीय परीक्षणों का प्रयोग कर आंकड़ों को संग्रह किया जाता है तथा उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करके प्राप्त परिणामों की परिशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है।

(iv) मीडिया शोध में किसी नियम, सिद्धान्त एवं सामान्यीकरण के विकास पर बल डाला जाता है।

(v) इसकी कार्यविधि क्रमबद्ध (Systematic), वस्तुनिष्ठ (objective) तथा तार्किक (logical) होती है। इसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात या पूर्वधारणा से बचा जाता है।

(vi) मीडिया शोध में अनुसंधानकर्ता अपने प्राप्त परिणाम एवं निष्कर्ष को एक खास ढंग से प्रस्तुत करता है, ताकि पाठक को किसी प्रकार का कोई संदेह, अस्पष्टता, आदि से ग्रसित न होना पड़े। वह शोध की समस्या, प्राकल्पना, डिजाइन आदि को एक विशेष प्रारूप में उपस्थित करता है जिससे मीडिया शोध में वैज्ञानिक स्वरूप की झलक स्पष्ट रूप से मिलती है।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया शोध एक वैज्ञानिक शोध पद्धति है।

अतः मीडिया शोध का अर्थ, समाचारपत्र, पत्रिका, समाचार समितियाँ, विज्ञापन, जनसम्पर्क, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, निजी चैनल, संचार की परम्परिक पद्धतियाँ व प्रणालियाँ, विकास संचार, सामाजिक विपणन आदि से सम्बन्धित तथ्यों तथा घटनाओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने या उनकी जाँच परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों या प्रणालियों से की गयी व्यवस्थित खोज है। जिससे स्पष्ट होता है कि मीडिया शोध वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा मानव जीवन के समस्त पहलुओं का चित्रण करने में सफल और ये साधन मानवीय जीवन में परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बन गया है। सूचना और विचार के सम्प्रेषण से मानव-मन को प्रभावित करने में मीडिया जिस तेजी और मजबूती के साथ लोकमत बनाने या बदलने की क्षमता रखता है। वैसा सामाजिक क्षेत्र का कोई अन्य उपकरण नहीं रखता है।

2.6 मीडिया शोध की प्रमुख वैज्ञानिक पद्धतियाँ

व्यवहारपरक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र संचार के साधनों (मीडिया) में शोध समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने के लिए तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथा आंकड़े संग्रह करने के लिए कुछ खास-खास पद्धतियों का प्रतिपादन किया गया है। जो पंद्धतियाँ अधिक महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा यहाँ की गयी है-

1- अवलोकन पद्धति
2- प्रयोगात्मक पद्धति
3- जनगणना पद्धति
4- सांख्यिकीय पद्धति
5- निदर्शन पद्धति
6- वैयक्तिक शोध पद्धति
7- साक्षात्कार पद्धति
8- सर्वेक्षण पद्धति
9- अन्तर्वस्तु विश्लेषण

2.6.1 अवलोकन शोध पद्धति :-

आंकड़े या प्रदत्त (Data) संग्रह की प्रविधि (Technique)के रूप में निरीक्षण या प्रेक्षण या अवलोकन सर्वाधिक पुरातन तथा आधुनिक शोध प्रविधि है। अवलोकन प्रविधि एक

ऐसी प्रविधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति को व्यवहारों तथा घटनाओं के दृश्य एवं श्रवण पक्षों को क्रमबद्ध ढंग से देख सुनकर उसका रिकार्ड तैयार करता है। प्रेक्षण विधि द्वारा आंकड़ों को संग्रह करते समय शोधकर्ता यह प्रत्यक्षण (Perception) करता है कि लोग क्या कर रहे थे? और क्या कर कह रहे हैं? तथा वह जो-जो कुछ देखता एवं सुनता है उसे रिकार्ड कर लेता है। जिसका बाद में सांख्यिकीय विश्लेषण कर वह निष्पक्ष और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचता है।

2.6.1.1 अवलोकन पद्धति के प्रकार - अध्ययन और अनुसंधान की दृष्टि से अवलोकन को कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे-

1- व्यक्तिगत अवलोकन

2- सामूहिक अवलोकन

3- अनियंत्रित अवलोकन

4- नियंत्रित अवलोकन

5- सहभागी अवलोकन

6- असहभागी अवलोकन

7- अर्द्ध-सहभागी अवलोकन

2.6.1.2 अवलोकन पद्धति की विशेषताएँ-इस विधि की निम्न विशेषताएं हैं-

1- प्रत्यक्ष अध्ययन

2- मानवीय इन्द्रियों का पूर्ण उपयोग

3- उद्देश्य पूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन

4- पारस्परिक एवं कार्यकारक संबंध का पता लगाना

5- अनुभाविक अध्ययन

6- निष्पक्ष अध्ययन

7- सामूहिक व्यवहार का अध्ययन

2.6.1.3 अवलोकन पद्धति के गुण - इस प्रविधि के गुण को निम्न प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है-

1- सरल अध्ययन

2- अध्ययन की आदिकालीन प्रविधि

3- प्रत्यक्ष साधन

2.6.2 प्रयोगात्मक पद्धति :-

यह पद्धति प्रायः विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी परिकल्पन की जाँच विविध स्थितियों एवं कारकों के संदर्भ में करता है। यह विधि अपेक्षाकृत अधिव वैज्ञानिक, तटस्थ, शुद्ध एवं निष्पक्ष होती है। इस पद्धति द्वारा प्राप्त निष्कर्ष भी अपेक्षाकृत प्रमाणिक एवं वस्तुनिष्ठ माने जाते हैं। इससे प्राप्त निष्कर्षों में सार्वभौमिकता के गुण पाये जाते हैं मीडिया-शोध क्रमशः प्रयोगात्मक पद्धति की उपयोगिता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। विविध जनसंचार माध्यमों के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए यह पद्धति सर्वाधिव उपयुक्त, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय मानी जा रही है। अनुसंधाता की परिकल्पना का जाँचने, परखने की यह सर्वोत्तम विधि है। इसके साथ परिस्थितियों या कारकों के प्ररिवर्तन से उर परिकल्पना में क्या अन्तर आता है? यह जानने के लिए भी यह पद्धति अत्यन्त उपयोगी है।

प्रयोगात्मक पद्धति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ग्रीनवुड ने लिखा है कि "प्रयोगात्मव पद्धति में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जिसमें विषयवस्तु पर पड़ने वाले अन्य सर्भ प्रभावों पर नियंत्रण कर लिया जाता है और केवल एक कारक को स्वतंत्र रूप से प्रभाव डालः के लिए लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता जाता है कि विशेष कारक द्वार पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना ही इस वैज्ञानिक पद्धति का मूल लक्ष्य होता है।"

अतः स्पष्ट है कि शोधकर्ता की किसी विशिष्ट परिकल्पना का प्रमाणिक अध्ययन इर विधि द्वारा सम्यक्रुपेण किया जा सकता है। इसके साथ ही उस परिकल्पना का विविध संदभे या परिस्थितियों में क्या स्वरूप उभरता है, उसे भी इस वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जाँचा/परखा ज सकता है।

लाभ-

(1) कार्य एवं कारण के पारस्परिक सम्बन्धों को जानने में अत्यन्त उपयोगी।

(2) वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष की प्राप्ति।

(3) परिकल्पना में हुए परिवर्तन की मात्रा का भी मापन संभव है।

2.6.3 जनगणना शोध पद्धति :-

यह पद्धति प्रायः भारत सरकार द्वारा देश की जनसंख्या को ज्ञात करते समय प्रयुक्त होती है। देश के विकास एवं योजना के लिए देश के प्रत्येक नागरिक का विकास आवश्यक होता है। निदर्शन विधि द्वारा यह कार्य अधूरा एवं अपर्याप्त होता है। इसमें शोध क्षेत्र या समूह

की प्रत्येक इकाई का महत्व होता है। पल्स पोलियों के टीकाकरण कार्यक्रम में प्रत्येक घर के प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण किया जाता है। एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को सम्बोधित किया जाता है। देश के प्रत्येक शिशु का पल्सपोलियो टीकाकरण करने के बाद ही हम देश को पल्स-पोलियो मुक्त देश घोषित कर सकते हैं। इसमें कुछ नमूनों (विशिष्ट क्षेत्र के कुछ चुने हुए शिशुओं) के टीकाकरण द्वारा काम नहीं चल सकता/यह पद्धति बहुत खर्चीली एवं लम्बा समय लेने वाली है अर्थात जनगणना पद्धति में धन, मानव संसाधन एवं समय की बहुत अधिक जरूरत होती है। इसे संगणक पद्धति भी कहा जाता है क्योंकि इस पद्धति में समग्र अथवा समूह की प्रत्येक इकाई का आकलन किया जाता है। किसी भी इकाई को छोड़ने से यह पद्धति अधूरी या अवैज्ञानिक मान ली जाती है। इस पद्धति का मीडिया शोध में अपेक्षाकृत कम प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति काफी खर्चीली एवं लम्बी होती है। फिर भी कभी-कभी इस पद्धति का प्रयोग मीडिया शोध में भी होता है। ध्यान रखना पड़ता है कि समग्र या समूह का आकार छोटा या सीमित रखना पड़ता है। छोटे समूह के प्रत्येक सदस्यों का अध्ययन ही मीडिया-शोध में सुविधा जनक है।

2.6.4 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति :-

वैयक्तिक पद्धति मीडिया-शोध में प्रचलित एक प्रमुख गुणात्मक पद्धति है। इसमें शोधकर्ता के द्वारा किसी एक घटक की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों एवं हलचलों का गहन अध्ययन किया जाता है। अर्थात् व्यक्ति विशेष या इकाई विशेष का सम्यक अध्ययन करने की शोध-पद्धति ही वैयक्तिक शोध-पद्धति है।

ओडम तथा जोचर 'वास्तव में इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग इतिहासकारों तथा राष्ट्रों के विवरणात्मक लेखों में देखने को मिलता है। इनका बाद में छोटे-छोटे समूहों तथा व्यक्तियों के विस्तृत अध्ययन द्वारा अनुसरण किया गया।' मेगस्थनीज और ह्वेनसांग के यात्रा विवरण आरंभिक वैयक्तिक अध्ययन के अच्छे उदाहरण हैं।

2.6.4.1 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति का वैशिष्ट्य-

1. व्यक्तिगत अध्ययन की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह एक सामाजिक इकाई का अध्ययन है। इसके अंतर्गत एक या कुछ विशिष्ट इकाइयों का गहन अध्ययन किया जाता है। वह इकाई, परिवार, जाति, संस्था अथवा संपूर्ण समुदाय हो सकता है।

2. व्यक्तिगत अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है कि इसमें किसी विषय का अत्यंत ही गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म एवं गम्भीर अध्ययन की इस पद्धति का मूल वैशिष्ट्य है।

3. व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का तीसरा वैशिष्ट्य है कि इस पद्धति के अंतर्गत शोधकर्ता एक ही इकाई पर केन्द्रित होता है। इकाइयों के संबंधों, क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं को संचालित करने वाले आधारभूत कारकों का गम्भीर तथा सूक्ष्म अध्ययन इस पद्धति का मूल लक्ष्य होता है।

पी0वी0 यंग ने कहा है, 'उनका उद्देश्य एक इकाई,व्यक्ति, परिवार, संस्था, सामाजिक समूह अथवा समुदाय के संपूर्ण जीवनचक्र या इस चक्र की किसी निश्चित प्रक्रिया का अध्ययन करना है।' अतएव संपूर्णता को वैयक्तिक अध्ययन का मूलाधार कहा जा सकता है।

4. वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इकाई का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, न कि गणनात्मक अर्थात् इसमें इकाइयों का अध्ययन ही गुणात्मक ही होता है। इसमें न तो तथ्यों का विश्लेषण सांख्यिकीय आधार पर किया जाता है और न ही निष्कर्ष सांख्यिकीय आधार पर निकाला जाता है। इसमें वर्णनात्मक विवेचन ही प्रस्तुत किया जाता है।

5. इस पद्धति के अध्ययन में शोध विषय के वर्तमान एवं भूत दोनों का गम्भीर अध्ययन करके भविष्य की दिशा की संभावनाओं पर भी यथासंभव प्रकाश डाला जाता है।

जैसे किसी महान पत्रकार का वैयक्तिक अध्ययन करना है तो उसके जीवनकाल की आरंभिक विशेषता यानी कि शैशवावस्था से बाल्यकाल की ओर, बाल्यकाल से किशोरावस्था की ओर आदि का भी अध्ययन ऐतिहासिक अध्ययन विधि को अपनाते हुए किया जायेगा।

2.6.4.2 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति के प्रमुख भेद -

वैयक्तिक अध्ययन के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं -

1. व्यक्ति विशेष का वैयक्तिक अध्ययन ।

2. समूह का वैयक्तिक अध्ययन ।

व्यक्ति विशेष का वैयक्तिक अध्ययन करते समय किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन अथवा उसके जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना का सम्यक् अध्ययन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी लड़के को लड़कियों से संचार या संप्रेषण करने में विशेष प्रकार की झिझक होती है। ऐसी स्थिति में यदि उस लड़के का वैयक्तिक अध्ययन करना है तो यह जानने की कोशिश की जायेगी कि उस लड़के की बहनें हैं अथवा नहीं, माँ, चाची,मौसी, ममेरी या मौसेरी बहन से उसके सांचारिक संबंध कैसे रहे हैं? इस संदर्भ में उस लड़के के व्यक्तिगत पत्रों, डायरियों, आत्मकथाओं, जीवनी, संस्मरण, लेख आदि लिखित स्रोतों का भी उपयोग किया जाता है।

किसी समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन करने में किसी इकाई जो कि एक वर्ग, जाति, समूह या समुदाय हो सकता है का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। समुदाय के आंतरिक जीवन का सर्वांगीण अध्ययन एक जटिल कार्य है। तथ्य संकलन के लिए समुदाय के वैयक्तिक अध्ययन में भी उन्हीं स्रोतों पर आश्रित होना पड़ता है, जो व्यक्ति के अध्ययन में उपयोगी हैं। समुदाय के वैयक्तिक अध्ययन में अत्यंत चतुराई, बुद्धि, कौशल, अनुभव, सावधानी एवं दूरदृष्टि

की जरूरत रहती है।

2.6.4.3 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति के विविध सोपान -

इकाई के विषय में जितनी अधिक सूचनाएं एकत्र की जा सकेंगी। इस पद्धति को सार्थकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से उतना ही सफल माना जाता है। यथासंभव सभी प्रकार की उपलब्धता लिखित सामग्री तथा साक्षात्कार के आधार पर लंबी अवधि तक पर्याप्त जानकारी एकत्रित करके उसके व्यावहारिक सत्य का परीक्षण किया जाता है। एक ही व्यक्ति की स्थिति को अनेक दृष्टियों से देखने का प्रयास किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना भी इस अध्ययन में अपेक्षित होता है। वैयक्तिक अध्ययन में शोधकर्ता को बहुत ही सोच-विचार कर और व्यवस्थित एवं नियोजित ढंग से अपने शोधकार्य को आगे बढ़ाना होता है ताकि उसमें संपूर्णता आ सके। इसी संपूर्णता को ग्रहण करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सोपानों का प्रयोग किया जाता है।

1. वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सर्वप्रथम शोध समस्या के स्वरूप की व्याख्या, आवश्यक है। समस्या का निर्धारण एवं व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित सोपान हैं।

(अ) वैयक्तिक विषयों का चुनाव

(ब) इकाइयों का संख्या का निर्धारण

(स) विश्लेषण की संपूर्णता का ध्यान

सर्वप्रथम वैयक्तिक विषयों का चयन किया जाता है। इस बात का निश्चय करना आवश्यक होता है कि वे इकाइयाँ सामान्य हों या विशिष्ट हों। यह भी निश्चित करना जरूरी है कि वैयक्तिक अध्ययन किस प्रकार का होगा अर्थात् इकाई के रूप में व्यक्ति को लिया जायेगा। अथवा समूह, वर्ग, संस्था या समुदाय के रूप में। इकाइयों का प्रकार निश्चित करने के बाद उनकी संख्या निश्चित करना भी आवश्यक है। संख्या इतनी हो जो संबंधित समस्या पर पर्याप्त प्रकाश डाल सके। वैयक्तिक अध्ययन में गंभीर एवं गहन अध्ययन करना पड़ता है। अतः इकाईयों की संख्या यथासंभव कम होनी चाहिए।

वैयक्तिक अध्ययन की समस्या की व्याख्या करते समय यह निश्चय करना भी आवश्यक है कि समस्या का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए किन-किन संबंधित पक्षों का अध्ययन किया जा रहा है। इन समस्त पक्षों का वर्णन, विश्लेषण, करना भी आवश्यक होता है।

2. समस्या की व्याख्या के बाद घटनाओं को क्रम में रखना अत्यंत आवश्यक है।

3. घटनाओं को क्रमबद्ध करने के बाद घटना के प्रेरक कारकों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। इसमें उन कारकों का अध्ययन करना वांछनीय है, जिनके कारण घटना घटी या उस वैयक्तिक स्थिति की वर्तमान दशा पैदा हुई।

4. वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की कार्यप्रणाली के अंतिम चरण में प्राप्त तथ्यों अथवा

सूचनाओं का विश्लेषण करके कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

समग्रतः वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके लिए समस्त प्रकार की लिखित सामग्रियों एवं साक्षात्कार आदि का उपयोग करते हुए समस्या का सम्यक् एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है।

2.6.4.4 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति के स्रोत और साधन-

चूंकि वैयक्तिक अध्ययन में इकाई का सूक्ष्म एवं सम्यक् अध्ययन किया जाता है इसलिए इसमें न केवल व्यक्ति के प्रकट व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है बल्कि उसके व्यवहार को प्रेरित करने वाले कारकों का ज्ञान भी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इकाई का सूक्ष्म, तथा गंभीर शोध करने के लिए इस पद्धति में निम्नलिखित स्रोत एवं साधन अत्यन्त सहायक सिद्ध होते हैं-

(क) डायरी : इसमें व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों एवं संस्थानों को समय के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से स्वयं लिखता है। मनुष्य का आंतरिक भावनाओं, गुप्त क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, संकल्पों, इच्छाओं, सफलताओं और असफलताओं की अभिव्यक्ति स्वयं उसी के द्वारा केवल डायरी में ही मिल सकती है। गुणात्मक व्यवहार तथा मानसिक झुकाव का अनुमान डायरी में लिखित सामग्री से ही मिल सकता है।

(ख) पत्र: व्यक्ति विशेष का दूसरे व्यक्तियों से संबंध, जीवन-दर्शन, व्यक्ति की अपनी भावनाएं एवं धारणाएं, जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि बहुत-सी घटनाओं का विवरण पत्रों से प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य यह कि पत्रों के माध्यम से व्यक्ति विशेष का आंतरिक व व्यक्तिगत जीवन अध्ययन आसानी से किया जा सकता है।

(ग) जीवन इतिहास : जीवन इतिहास को वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का एक प्रमुख अंग माना जाता है। जिस प्रकार वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में एक इकाई विशेष से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है,उसी प्रकार जीवन इतिहास में भी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन चित्रित होता है।

(घ) अन्य संग्रहित सामग्रियाँ : उपर्युक्त सामग्रियों के अतिरिक्त निम्न स्रोतों से भी विवेच्य सामग्रियाँ मिल सकती हैं-

(क) सरकारी विभागों के रिकार्ड

(ख) वंशावली

(ग) जीवन घटनाओं की सूची

(घ) स्कूल, जेल, न्यायालय आदि के रिकार्ड

(ङ) प्रमाणपत्र एवं प्रशंसा पत्र

(च) जनगणना का रिकार्ड

(छ) फोटो एलबम

(ज) प्रकाशित साहित्यिक रचनाएं तथा संस्मरण इत्यादि।

2.6.4.5 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति की उपयोगिता

1. वैयक्तिक अध्ययन अनेक महत्त्वपूर्ण उपकल्पनाओं के निर्माण में एक साधन के रूप में कार्य करता है। कुछ इकाइयों का अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनके आधार पर नवीन उपकल्पनाओं का जन्म होता है।

2. वैयक्तिक अध्ययन अनेक महत्वपूर्ण प्रपत्रों का निर्माण करने में हमारी सहायता करता है । यह महत्वपूर्ण प्रपत्र अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार निर्देशिका आदि है।

3.वैयक्तिक अध्ययन ऐसी पद्धति है जिसमें प्रायः प्रत्येक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित घटनाएं इतनी विविध होती हैं कि उन्हें समझने की चेष्टा करने में प्रत्येक विधि से लाभ उठाया जा सकता है।

4. वैयक्तिक अध्ययन के द्वारा समूह की भिन्न-भिन्न इकाइयों का गुण का पता चल पाता है।

5. वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में जीवन के प्रायः सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू का अध्ययन किया जाता है और इस रूप में स्वतः ही शोधकर्ता को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं।

6. वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों का गहन अध्ययन किया जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की सामाजिक धारणाओं एवं मूल्यों का भी ज्ञान इस विधि के अंतर्गत हो जाता है।

2.6.4.6 वैयक्तिक अध्ययन शोध पद्धति के दोष -

वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अत्यन्त उपयोगी होते हुए भी उसमें कुछ दोष भी हैं जिनका विवरण निम्नलिखित हैं-

1. उत्तरदाता वास्तविकता की तुलना में आत्म औचित्य पर अधिक बल दे देता है।

2. अनुसंधानकर्ता स्वयं यह देखना चाहता है कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है अथवा नहीं।

3. दस्तावेज प्रदान करने वाले अधिकतर उत्तरदाता समस्याग्रस्त होते हैं। इसलिए प्रमाणिक दस्तावेज देने में बहानाबाजी या आलस करते हैं।

4. अनुसंधानकर्ता प्रायः उत्तरदाता को प्रभावित कर सकता है।

5. वैयक्तिक अध्ययन पद्धति असंगठित तथा अवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें इकाइयों के चुनाव, सूचना संकलन आदि पर कोई निश्चित नियंत्रण नहीं होता।

6. इसमें थोड़ी-सी इकाई के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लिये जाते हैं इसलिए धोखा खाने की संभावना रहती है

7. इसमें पक्षपात की पर्याप्त संभावना बनी रहती है।

8. इस पद्धति में अशुद्धता की संभावना बनी रहती है, क्योंकि डायरी, पत्र, जीवन-इतिहास आदि प्रायः अवैज्ञानिक एवं दोषपूर्ण होते हैं।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं यदि कुछ सावधानियाँ बरती जायें तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को और अधिक उपयोगी एवं वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि यथासंभव प्रामाणिक एवं विश्वसनीय तथ्यों का ही संकलन हो। भावना या पक्षपात से प्रेरित तथ्यों से भरसक बचना चाहिए। तथ्यों के संकलन, विश्लेषण एवं सम्पादन के प्रति जागरूक रहकर एवं उपयुक्त निदर्शन और अनुसूची के प्रयोग द्वारा इस पद्धति को अपेक्षित वस्तुनिष्ठता प्रदान की जा सकती है।

2.6.5 मीडिया शोध की सांख्यिकीय पद्धति :-

इस पद्धति में सर्वप्रथम अध्ययन विषय से संबंधित संख्यात्मक, तथ्यों या आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है और फिर आंकड़ों का संपादन, वर्गीकरण व सारणीयन या संकेतीकरण किया जाता है। इसके बाद उन तथ्यों का विश्लेषण करके एक निश्चित निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार इस पद्धति में आरंभ से अंत तक संख्यात्मक तथ्यों को ही अध्ययन व निष्कर्ष का मुख्य आधार बनाया जाता है। इसलिए, इस पद्धति में घटनाओं का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव होता है परन्तु इस पद्धति की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी सहायता से केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। जिनको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं।

2.6.5.1सांख्यिकीय पद्धति के प्रमुख सोपान -

मीडिया शोध में पद्धति के विकास के मुख्यतः निम्नलिखित सोपान हैं -

(क) आंकड़ों का संकलन

(ख) आंकड़ों का विश्लेषण

(ग) आंकड़ों का प्रदर्शन

तर्कशास्त्रीय पद्धति में गुणात्मक विश्लेषण होता है, जबकि सांख्यिकीय पद्धति में आंकड़ों का विश्लेषण संख्यात्मक आंकड़ों के माध्यम से होता है। सांख्यिकीय विश्लेषण दो तथ्यों का पारस्परिक संबंध ही नहीं बतलाता अपितु उनकी माप तथा मात्रा भी बतलाता है। दो घटनाओं का कार्य-कारण संबंध तथा उस संबंध की निश्चित माप सांख्यिकीय विश्लेषण में की जाती है

2.6.5.2 - सांख्यिकीय पद्धति की कमियाँ

सांख्यिकीय पद्धति जहाँ संख्यात्मक विश्लेषण को सरल एवं सहज बना देती है, वहीं यह जटिल मानव व्यवहार के मनोभावों तथा गुणात्मक व्यवहारों का गहन अध्ययन करने में

असमर्थ भी है। सांख्यिकीय पद्धतियाँ दूसरी अनुसंधान पद्धतियों की भांति ही विशेष क्षेत्र में ही उपयोगी हैं। उनकी अपनी सीमाएं हैं, जो निम्नलिखित हैं-

1. मीडिया से संबंधित घटनाएं प्रायः जटिल होती हैं। उन्हें संख्या में व्यक्त करना कई बार न केवल मुश्किल, बल्कि असंभव हो जाता है। मनुष्य की भावना, संवेग, रूचि, ईमानदारी, ख्याति, तनाव, क्षमता, योग्यता आदि को मापा नहीं जा सकता। तात्पर्य यह कि सांख्यिकीय पद्धति मीडिया शोध के गुणात्मक पक्ष का अध्ययन करने में अपने को सीमित महसूस करती है।

2. सांख्यिकीय पद्धति समूह केन्द्रित है इसलिए यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं कर पाती हैं।

3. सांख्यिकीय पद्धति गहन अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। मानव व्यवहार इतना जटिल है कि दो-चार प्रश्नों के उत्तर लिखकर या कुछ मूर्त स्थितियों के संदर्भ में तथ्यों का संग्रहण करने से यथार्थ स्थिति ज्ञान नहीं हो पाती।

4. प्राकृतिक विज्ञान पर सांख्यिकीय पद्धति अधिक सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध होती है। परन्तु मीडिया या समाज की परिवर्तनशीलता के कारण सांख्यिकीय पद्धति मीडिया शोध में तुलनात्मक रूप से कम उपयोगी सिद्ध होती हैं।

5. सांख्यिकीय पद्धति वर्तमान स्थिति की तो व्याख्या कर सकती है परन्तु वह स्थिति क्यों और कैसे उत्पन्न हुई, उस पर प्रकाश डालने में असमर्थ है। मानव व्यवहार की प्रेरक शक्तियों का अनुभव सांख्यिकीय पद्धति के द्वारा नहीं होता।

2.6.5.3 सांख्यकीय पद्धति के गुण

सांख्यिकीय पद्धति न केवल सामाजिक विज्ञान में सार्थक, प्रासंगिक उपयोगी एवं सहायक सिद्ध हुई है, बल्कि संचार शोध में भी इस पद्धति का उपयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाता है।

वालिस और राबर्ट्स के अनुसार -

'सांख्यिकीय पद्धति एक ऐसा हथियार है, जो प्रयोगसिद्ध अनुसंधानों के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर आक्रमण करने अर्थात् उनका समाधान खोजने में प्रयोग किया जा सकता है।' इसलिये आज सांख्यिकी को 'मानव कल्याण का अंकगणित' कहा जाता है। मीडिया या संचार शोध में सांख्यिकीय पद्धति को प्रमाणिकता, विश्वसनीयता, वैषयिकता, वैधता आदि के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस पद्धति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण गुण हैं:

1.सांख्यिकीय पद्धति द्वारा तथ्यों की माप की जा सकती है। साथ-साथ इस पद्धति में निर्देशक तथा मापन प्रणालियों का उपयोग करते हुए मीडिया या संचार संबंधी गुणात्मक इकाइयों को भी गणनात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसे मीडियामेट्रिक्स कहा जा सकता है।

2. सांख्यिकीय पद्धति मीडियाई या संचारिक तथ्यों के विवरणात्मक वर्णन में सहायक

होती है। संख्यात्मक सामग्री के द्वारा प्रसार संख्या, विज्ञापनदाताओं की संख्या, दर्शक संख्या, श्रोता संख्या आदि की विशालता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।

3. यह पद्धति वस्तुनिष्ठ

4. मीडिया शोध में यह पद्धति केवल वर्तमान तथ्यों के विश्लेषण एवं अध्ययन में ही सहायक नहीं होती बल्कि इससे भविष्य का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है।

सांख्यिकीय पद्धति एक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ पद्धति है जिसके द्वारा हम मीडिया-शोध में निष्पक्ष एवं तटस्थ निष्कर्ष निकाल सकते हैं जिसके द्वारा हम वर्तमान की स्थितियों की दशा एवं दिशा का आकलन कर सकते हैं।

2.6.6 निदर्शन शोध पद्धति :-

किसी 'समूह'या 'समग्र' का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनी हुई इकाई को निदर्शन कहते हैं। कोई भी शोधकर्ता अपने अध्ययन को प्रारंभ करने के पूर्व यह निश्चित करता है कि वह अपने निदर्शन के चयन के लिए किस निदर्शन प्रविधि (Sampling Technique) का प्रयोग करे। जिस प्रकार किसी खेत की मिट्‌टी की परीक्षा के लिए थोड़ी सी मिट्‌टी को ही पर्याप्त माना जाता है, उसी प्रकार किन्ही व्यक्तियों, या विषयों के अध्ययन के लिए भी निदर्शन को उपयुक्त माना जाता है। निदर्शन का प्रमाणिक और प्रतिनिधित्व पूर्ण होना इसलिए आवश्यक माना जाता है कि अनुसंधान की सफलता इसी पर आधारित होती है।

2.6.6.1- निदर्शन पद्धति की प्रमुख विधियाँ -

निदर्शन के चयन की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं-

2.6.6.1.1 दैव निदर्शन पद्धति -

इस प्रकार की प्रविधि में प्रत्येक व्यक्ति या इकाई को समान रूप से चुने जाने की संभावना रहती है। इसीलिए दैव निदर्शन (Random Sampling) में पक्षपात की गुंजाइश नहीं रहती। इस निदर्शन के लिए निम्नलिखित प्रणालियों में से अनुसंधान की आवश्यकता या स्थिति के अनुरूप किसी एक का प्रयोग किया जाता है

(क) लाटरी प्रणाली - लाटरी निकालने के लिए अपनाई गई प्रणाली के समान होती है। सर्वप्रथम समग्र की सभी इकाईयों के नाम या क्रमांक छोटे-छोटे चौकोर कार्डों या कागज की चिटों में लिख लिए जाते हैं। फिर उन्हें किसी पेटी या डिब्बे में डालकर ऊपर-नीचे एवं दाहिने-बाएं करके इस प्रकार हिलाया जाता है कि सभी टुकड़े इधर-उधर अस्त-व्यस्त हो जाएं। इसके बाद आंखे बन्द करके अकस्मात उतने ही कार्ड या चिटें निकाल ली जाती है,जितनी निदर्शन के लिए आवश्यक होती हैं। इस विधि में कभी-कभी एक कार्ड या चिट निकालने के बाद पुनः समग्र को हिला-डुला कर मिला दिया जाता है और उसके बाद दूसरा कार्ड या चिट निकाली जाती है।

(ख) कोटा निदर्शन - इस प्रणाली में समग्र को कई वर्गों में विभक्त करके प्रत्येक वर्ग से अनुसंधानकर्ता अपेक्षित इकाईयों का चयन करता है। इस प्रकार चयन की गई इकाइयों को ही निदर्शन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

(ग) कार्ड अथवा टिकट प्रणाली - एक ही आकार-प्रकार के कार्डों या टिकटों पर 'समग्र' की सभी इकाइयों के नाम या क्रमांक लिखकर अथवा किसी प्रकार के विशेष प्रतीक-संकेतों से चिन्हित करके उन्हें एक गोल बेलनाकार ड्रम में डाल करके उस ड्रम को इस तेजी के साथ 50 बार घुमाया जाता है कि सभी कार्ड या टिकट इधर-इधर बिखर जाएं। फिर इस ड्रम से अचानक कोई एक कार्ड या टिकट निकाल लिया जाता है! इसी प्रकार जितने निदर्शनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही बार ड्रम को 50 बार घुमाने की क्रिया दोहराई जाती है और प्रत्येक बार ड्रम से एक कार्ड या टिकट आकस्मिक ढंग से निकाल लिया जाता है।

(घ) नियमित अंकन प्रणाली - यदि 'समग्र' की सभी इकाइयां किसी विशेष वर्ग, समूह या रूप के अनुसार व्यवस्थित हों तो यह प्रणाली अधिक उपयोगी मानी जाती है। इसमें 'समग्र' की सभी इकाइयां क्रमांकित करके उनकी सूची बना ली जाती है और उस सूची में किसी भी संख्या से चयनक्रम प्रारंभ करके जितने निदर्शनों की आवश्यकता होती है, उतनों का चयन कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ यदि अनुसंधानकर्ता को 100 दैनिक समाचार पत्रों के समग्र में से निदर्शन के रूप में 10 का चयन करना है तो उन समाचार पत्रों की सूची (नाम के अनुसार नहीं, क्रमांक के अनुसार) बनाकर किसी भी क्रम संख्या से चयन प्रारंभ करके 10 समाचार पत्रों के रूप में लिया जा सकता है। इस प्रणाली में यदि चयन क्रम संख्या 1 से प्रारंभ किया जाएगा तो 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 संख्याओं वाले क्रमांक के दैनिक समाचार पत्रों के क्रमांकों को निदर्शनों के रूप में लिया जाएगा।

(ङ) अनियमित अंकन प्रणाली - इस प्रणाली में समग्र की एक क्रमांक सूची बनाकर अकस्मात् ढंग से क्रमांकों के आगे निशान लगा दिया जाता है और इस प्रकार अंकित क्रमांकों की हो निदर्शन के रूप में चुन लिया जाता है।

(च) ग्रिड प्रणाली- इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग ऐसी स्थिति में अधिक उपयोगी होता है जब किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में से ही कुछ क्षेत्रों की निदर्शन के रूप में चयन करने की जरूरत होती है। इसके लिए सर्वप्रथम सर्वेक्षण क्षेत्र का एक स्पष्ट और तथ्यात्मक भौगोलिक मानचित्र बनाया जाता है। इसके पश्चात सेल्यूलाइड या प्लास्टिक की एक ग्रिड प्लेट बनाई जाती है। फिर शोधकर्ता यह देखता है कि उसे कितने क्षेत्रों से कितने निदर्शनों का चुनाव करना है। यह निश्चय कर लेने के पश्चात ग्रिड प्लेट में क्षेत्रों के लिए उतने ही वर्गाकार खाने और निदर्शनों के लिए छेद बना देता है। इसके बाद उस ग्रिड प्लेट को उसी आकार-प्रकार के पूर्व रचित भौगोलिक मानचित्र के ऊपर रख दिया जाता है। ग्रिड प्लेट पारदर्शक होने के कारण मानचित्र के रेखांकन स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार भौगोलिक मानचित्र के जिन स्थानों में वर्ग या छिद्र आ जाते हैं उनको पेंसिल या पेन की नोक से विन्हित किया जाता है और उन्हीं स्थानों या क्षेत्रों को निदर्शन की अभिष्ट इकाइयों के रूप में चुना जाता है।

(छ) टिपेट प्रणाली - यह विधि प्रो0 टिपेट द्वारा निर्मित चार अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक सूची पर आधारित है। इसमें अनुसंधाकर्ता सूची के किसी पृष्ठ से क्रमानुसार (Serially) या वर्णानुसार (Alphabetically) निदर्श चुन लेता है।

प्रणालियों के मूल में संयोगवश या 'दैवयोग' से ही निदर्शनों का चयन किया जाता है। इसीलिए इन्हें 'दैव निदर्शन प्रणाली' के भेद के रूप में जाना जाता है। ये दैव निदर्शन प्रणालियाँ प्रतिनिधित्वपूर्ण निष्पक्ष और सरल होने के कारण अधिक उपयोगी मानी जाती है।

2.6.6.3 उद्देश्य पूर्ण निदर्शन पद्धति -

अनुसंधाता को समग्र की सभी इकाइयों के परिचित होना चाहिए, और निदर्शनों का चयन करते समय उसे अपने मूल लक्ष्य पर केन्द्रित रहना चाहिए। जिन अनुसंधानों मे समग्र की कुछ विशिष्ट इकाइयां अधिक महत्वपूर्ण होती हैं उनके लिये यह प्रणाली अधिक उपयोगी होती है। इस प्रणाली की एक सबसे बड़ी कमी यह होती है कि निदर्शन की इकाईयों का चयन शोधकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए पक्षपात की संभावना बनी रहती है।

2.6.6.4 - संस्तरित अथवा वर्गीकृत निदर्शन पद्धति-

दैव निदर्शन प्रणाली और उद्देश्यपूर्ण निदर्शन-प्रणाली के अलावा एक तीसरे प्रकार की भी निदर्शन प्रणाली व्यवहार में लायी जाती है जिसे 'संस्तरित अथवा वर्गीकृत निदर्शन प्रणाली' (Stratified Sampling Technique) कहा जाता है। इस प्रणाली में अनुसंधानकर्ता 'समग्र' के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके उसको कई वर्गों, उपवर्गों एवं समूहों आदि के रूप में बाँट लेता है। इसमें यह होता है कि 'समग्र' का केवल एक ही गुण एक समूह का प्रतिनिधित्व करे, जैसे- उम्र, लिंग, धर्म, व्यक्ति, शिक्षास्तर, आय आदि। समग्र को यथासंभव अधिकाधिक वर्गों-उपवर्गों में विभाजित करने के बाद उपर्युक्त दैव निदर्शन पद्धतियों में से किसी उपयुक्त पद्धति के द्वारा प्रत्येक वर्ग के आवश्यकतानुसार संख्या में निदर्शन का चयन कर लिया जाता है। यह तीन प्रकार का होता है :-

(क) भारयुक्त संस्तरित निदर्शन - इस प्रणाली में समग्र के प्रत्येक वर्ग से या उपवर्ग से इकाइयों का चुनाव समानता के आधार पर किया जाता है। किन्तु बाद में जिन वर्गों की संख्या अधिक होती है। उनकी इकाइयां को अधिक भार देकर उनके प्रभाव में भी वृद्धि कर दी जाती है। यह वृद्धि उसी अनुपात में करना आवश्यक होता है जिस अनुपात में वर्ग की इकाइयाँ उसके समग्र में होती हैं।

(ख) समानुपातिक संस्तरित निदर्शन- इसमें प्रत्येक वर्ग में इकाइयों का चुनाव उसी अनुपात में किया जाता है। जिसमें वर्ग की सम्पूर्ण इकाइयाँ उसके समग्र में होती है।

(घ) असमानुपातिक संस्तरित निदर्शन - इसमें वर्ग से इकाइयों का कथन करते समय अनुपात का ध्यान नहीं रखा जाता है। केवल प्रत्येक वर्ग से समान संख्या में ही इकाइयों का चुनाव करने के नियम का पालन किया जाता है; चाहे उसके समग्र में किसी वर्ग की इकाइयों की संख्या कितनी ही क्यों न हो।

2.6.6.5 बहु-स्तरीय निदर्शन पद्धति -

इस प्रणाली में निदर्शन का चयन करने की प्रक्रिया कई स्तरों में पूरी होती है। इसीलिए इसे बहु-स्तरीय निदर्शन प्रणाली कहा जाता है। यह प्रणाली विस्तृत अध्ययन क्षेत्र से निदर्शन चयन में विशेष उपयोगी होती है। सर्वप्रथम सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र को कुछ सजातीय क्षेत्रों में विभक्त कर लिया जाता है। द्वितीय स्तर पर उपर्युक्त दैव निदर्शन पद्धति में से किसी एक विधि द्वारा प्रत्येक क्षेत्र से कुछ अंचलों या क्षेत्रों को अपने अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है। तृतीय स्तर पर इसके पूर्व अर्थात् द्वितीय स्तर पर चयन किए गए क्षेत्र या अंचल में से कुछ विशिष्ट समूहों का चयन पुनः दैव निदर्शन पद्धति से किया जाता है। इसके बाद चतुर्थ अर्थात अंतिम स्तर पर तृतीय स्तर में चयन किए गए विशिष्ट समूहों में से दैव निदर्शन प्रणाली द्वारा कुछ घंटों का चयन कर लिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बहु-स्तरीय प्रणाली, संस्तरित निदर्शन प्रणाली और दैव निदर्शन प्रणाली का एक समन्वित रूप है।

2.6.6.6 स्वयं निर्वाचित निदर्शन पद्धति -

इस पद्धति में शोधकर्ता निदर्शन का चयन करने के लिए बाध्य नहीं होता है। अध्ययन विषय में अपनी स्वयं की इच्छा अथवा किसी अन्य कारण से किसी समूह के व्यक्ति अपना नाम देकर स्वयं ही निदर्शन की इकाई बन जाते हैं।

2.6.6.7 सुविधा जनक निदर्शन पद्धति

इस प्रणाली में शोधकर्ता अपनी सुविधानुसार निदर्शन का चयन कर सकता है। शोधार्थी अपनी सुविधा का चयन विषय के स्वरूप समय, एवं धन, के अनुसार करता है। स्वेच्छया ढंग से निदर्शन चयन के कारण इसे अनियमित, अथवा अवसरवादी निदर्शन प्रणाली भी कहा जाता है। अनुसंधान गम्भीर की प्रकृति अथवा विशेष स्थिति में यह प्रणाली अधिक उपयोगी होती है।

2.6.6.8 क्षेत्रीय निदर्शन पद्धति

इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता अनेक छोटे-छोटे क्षेत्रों में से किसी एक का चयन अपनी सुविधा के अनुसार कर लेता है और उस क्षेत्र में सभी निवासियों का सम्पूर्ण अध्ययन करता है। यह प्रणाली सुविधाजनक तथा व्यावहारिक होने के कारण अधिक लोकप्रिय एवं उपयोगी होती है।

2.6.6.9 निदर्शन पद्धति की मुख्य बाधायें

ये बाधायें मूलतः निदर्शन के आकार, चयनकर्ता द्वारा पक्षपात से संबंधित हो सकती हैं। इसी कारण सभी बाधाओं को मुख्यतः दो वर्गों में बाँट सकते हैं।

(1) आकारगत बाधा

(2) पक्षपात होने की बाधा

आकार से संबंधित बाधायें मूलतः समग्र की प्रकृति, वर्गों की संख्या, साधनों की

उपलब्धता, अनुसंधान की प्रकृति, चयन की गई इकाइयों की प्रकृति, प्रश्नावली तथा अनुसूची के आकार, परिशुद्धता की मात्रा या निदर्शन प्रणाली इत्यादि के कारण हो सकती हैं। इसके निवारणार्थ, यदि समग्र की इकाइयों में एकरूपता हो तो छोटे आकार के उपयुक्त निदर्शन हो सकते हैं। किन्तु यदि इकाइयों में बहुत विभिन्नता हो तो निदर्शन का आकार भी बड़ा रखने से उसे विश्वसनीय, प्रामाणिक एवं प्रतिनिधित्व पूर्ण बनाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि 'समग्र'में वर्गों की संख्या कम हो और उनकी इकाइयों में भी एकरूपता हो तो छोटे निदर्शन का चयन करना उपयुक्त रहता है। इसके विपरीत समग्र में उपलब्ध सभी वर्गों से विभिन्नता हो तो निदर्शन का आकार बड़ा होगा। जब अनुसंधानकर्ता अपनी रूचियों एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छानुसार निदर्शन का चयन करता है तो उसमें सन्तुलित प्रतिनिधित्व का अभाव पाया जाता है। उद्देश्यपूर्ण प्रणाली में भी सुविधानुसार निदर्शन चयन के कारण पक्षपात की पर्याप्त संभावना रहती है। चुनी हुई इकाइयों के किसी कारण से उपलब्ध न होने, या किसी कारण से जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर देने, अथवा उनके स्थान पर दूसरी इकाइयों का चयन कर लेने से भी निदर्शन पक्षपात पूर्ण हो जाता है।

2.6.7 साक्षात्कार शोध पद्धति

साक्षात्कार व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सूचना एकत्रित करने एवं उन्हें लिखने की ऐसी क्रमबद्ध प्रविधि है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर आमने-सामने होकर बातचीत, संवाद या उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं।

"साक्षात्कार" क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने, सामाजिक या सामूहिक अन्तः क्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करती है।

2.6.7.1- साक्षात्कार पद्धति के प्रकार

साक्षात्कार के कई प्रकार होते हैं इनका विभाजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

(क) कार्य के आधार पर - (1) निदानात्मक साक्षात्कार (2) उपचार साक्षात्कार (3) अनुसंधान साक्षात्कार।

(ख) औपचारिकता के अधार पर - (1) औपचारिक साक्षात्कार (2) अनौपचारिक साक्षात्कार

(ग) सूचनादाताओं के आधार पर - (1) व्यक्तिगत साक्षात्कार (2) सामूहिक साक्षात्कार

(घ) उपागम के आधार पर - (1) निर्देशित साक्षात्कार (2) अनिर्देशित साक्षात्कार (3) संकेन्द्रित साक्षत्कार (4) पुनरावृत्ति साक्षात्कार

(ङ) अवधि के आधार पर - (1) अल्प सम्पर्क साक्षात्कार (2) दीर्घ संपर्क साक्षात्कार

2.6.7.2- साक्षात्कार पद्धति की विशेषताएँ

साक्षात्कार में प्रमुख रूप से निम्न विशेषताएं मिलती हैं -

(1) इनमें से दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर वार्तालाप आदि के द्वारा तथ्यों का संकलन करते हैं।

(2) साक्षात्कार का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है।

(3) इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध होना आवश्यक होता है।

(4) साक्षात्कार यदि आमने-सामने हो तो हमें अध्ययन के विषय से संबन्धित तथ्यों के अवलोकन का भी अवसर दिया जाता है।

(5) साक्षात्कार द्वारा गुणात्मक तथ्यों जैसे-भावनाएं, विचार, लोक विश्वास आदि का पता चल जाता है। इस प्रकार के व्यक्तिगत और आन्तरिक तथ्यों का पता किसी अन्य प्रकार से प्रायः नहीं मिल पाता।

(6) साक्षात्कार द्वारा अनुसंधानकर्ता को प्राक्कल्पनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। साक्षात्कार द्वारा प्राप्त विभिन्न लोगों के विचार एक अनुभव प्राक्कल्पनाओं के लिए बड़े काम के होते हैं।

(7) साक्षात्कार द्वारा भूतकालीन घटनाओं के बारे में भी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं।

2.6.7.3- साक्षात्कार पद्धति के गुण -

(1) सभी प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति

(2) सभी स्तर के लोगों से सूचनाओं की प्राप्ति

(3) अमूर्त घटनाओं का अध्ययन संभव

(4) बीती घटनाओं का अध्ययन संभव

(5) तथ्यों की जांच संभव

(6) नवीन तथ्यों की प्राप्ति संभव

2.6.7.4 साक्षात्कार पद्धति के दोष-

(1) इसमें साक्षात्कार-कर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों पूर्वाग्रह एवं पक्षपात का समावेश कर सकते हैं।

(2) यदि साक्षात्कारदाता झूठी सूचनाएं देता है तो अध्ययन की विश्वसनीयता नहीं रह जाती।

(3) कभी-कभी साक्षात्कार संभव नहीं हो पाता।

(4) साक्षात्कार से प्राप्त तथ्य यदि भूल जाय तो भी कठिनाई होती है।

(5) साक्षात्कार पर परिस्थितियों, माहौल आदि का असर पड़ता है।

(6) अपेक्षाकृत अधिक समय एवं धन खर्च होता है।

(7) प्रभावशाली उत्तरदाता भी साक्षात्कार प्रक्रिया में प्रभावित कर देता है।

2.6.8 सर्वेक्षण शोध पद्धति-

सर्वेक्षण, निरीक्षण,परीक्षण की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो कि किसी सामाजिक समूह अथवा सामाजिक जीवन के किसी पक्ष या घटना के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। सर्वेक्षण किसी निश्चित विषय,किसी निश्चित क्षेत्र, किसी निश्चित समयावधि में किसी अध्ययन के उद्देश्य से किया जाता है।

2.6.8.1सर्वेक्षण शोध पद्धति के प्रकार -

पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में विषय सामग्री, उद्देश्य तथा प्रविधियों आदि की दृष्टि से सर्वेक्षण कई प्रकार होते हैं-

(1) सामान्य तथा विशिष्ट सर्वेक्षण (2) प्रारम्भिक तथा मुख्य सर्वेक्षण (3) अन्तिम तथा आवृत्ति मूलक सर्वेक्षण (4) जनगणना या निदर्शन सर्वेक्षण

उद्देश्य के आधार पर सर्वेक्षण निम्न प्रकारों से विभाजित होते हैं-

(1) मूल्यांकन परक सर्वेक्षण (2) प्रसंगात्मक सर्वेक्षण (3) सहकारी सर्वेक्षण (4) व्याख्यात्मक सर्वेक्षण (5) अभिवृत्ति सर्वेक्षण (6) ट्रेंड सर्वेक्षण।

2.6.8.2 - सर्वेक्षण शोध पद्धति के गुण

अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वेक्षण का महत्व निर्विवाद है इसके गुणों और विशेषताओं को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है- (1) इसके माध्यम से किसी समस्या से संबंधित व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र का भी सुविधापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। (2) इसके द्वारा किसी विषय का अनुभाविक (Empirial) अध्ययन किया जा सकता है।(3) इससे प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ (objective) होते हैं। अतः इसे ज्यादा प्रमाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। (4) सर्वेक्षण की आधुनिक पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें निदर्शन, सांख्यिकीय पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण परिणाम शुद्ध एवं प्रमाणिक होते हैं। (5) इसमें चरों के पारस्परिक संबंधों के निधार्रण कार्य-कारण प्रतिमान पर किया जाता है। (6) इसके आधार पर विकास एवं सुधार की रचनात्मक योजना प्रस्तुत की जा सकती है। (7) विभिन्न समस्याओं का यर्थाथ ज्ञान सर्वेक्षण से हो जाता है। (8) व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसकी व्यापक उपयोगिता है। विपणन के क्षेत्र में आजकल सर्वेक्षण का महत्व बहुत बढ़ गया है (9) सर्वेक्षण

द्वारा विस्तृत सूचना का संकलन एवं व्यापक क्षेत्र का अध्ययन अपेक्षाकृत कम व्यय में संभव होता है।

2.6.8.3- सर्वेक्षण शोध पद्धति के दोष -

सर्वेक्षण के जहाँ बहुत सारे गुण हैं वहीं कुछ दोष भी हैं । सर्वेक्षण के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं :-

(1) इसके माध्यम से केवल सामान्य एवं व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन ही उपयुक्त रहता है। इसके द्वारा गंभीर एवं गहन अध्ययन संभव नहीं होता। (2) इसके द्वारा प्राप्त सूचना प्रायः सतही एवं सामान्य होती है। इसमें गम्भीरता नहीं पायी जाती। (3) सर्वेक्षण में विभिन्न उपकरणों का प्रयोग बहुत सरल नहीं होता क्योंकि अपरिचित और विभिन्न स्वभाव वाले, लोगों से सूचना प्राप्त करना एक कठिन कार्य होता है। (4) सर्वेक्षण में निर्दशन प्रविधि का प्रयोग काफी कठिन होता है क्योंकि अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होने पर चयनित इकाइयों के सम्पर्क में अनेक व्यवहारिक कठिनाईयां आती हैं। (5) सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार या टेलीफोन द्वारा सूचना संकलन में पूर्वाग्रह की सम्भावना बनी रहती है। (6) सर्वेक्षण के लिए विशेष ज्ञान एवं अनुभव की जरूरत होती है। (7) प्रायः यह तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन के लिए उपयोगी माना जाता है। (8) सफल एवं विस्तृत सर्वेक्षण में प्रशिक्षित विशाल मानव समुदाय की अपेक्षा रहती है।

2.6.9 अन्तर्वस्तु विश्लेषण शोध पद्धति-

इस पद्धति द्वारा हम किसी वस्तु, घटना, या व्यक्ति में अन्तर्निहित गुणों का सम्यक्‌रुपेण अध्ययन कर सकते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र की भाषा की संरचना एवं उसकी शैली का अध्ययन करना हो तो हमें उस समाचार पत्र को चुनना होगा और उसमें अभिव्यक्त समस्त विषय सामग्रियों का विश्लेषण एवं विवेचन करके उसकी स्वाभाविक विशिष्टता को स्पष्ट कर सकें। अन्तर्वस्तु विश्लेषण पद्धति के केन्द्र में स्वयं वह वस्तु, विषय या व्यक्ति ही रहता है। कहने का तात्पर्य यह कि किसी विषय-वस्तु या पुस्तक में अन्तर्निहित सामग्रियों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण करके उसकी विशिष्टता को उजागर करना ही अन्तर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का मूल लक्ष्य होता है।

इस पद्धति में सर्वप्रथम विषय से सम्बन्धित सभी तथ्यों एवं सामग्रियों का चयन किया जाता है। उसके बाद विवेच्य इकाइयों का चयन कर उनका तार्किक दृष्टि से विवेचन किया जाता है। उसके बाद इनका सांख्यिकीय दृष्टि मापन करके उन्हें विविध वर्गों एवं सारणियों में प्रस्तुत किया जाता है कि सामान्य पाठक एवं अध्येता भी इस विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को आसानी से समझ सके। उसके बाद समस्त सामग्री को एक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और यथास्थान विवरणात्मक शैली, चित्र एवं ग्राफ की सहायता से उसे सहज आकार देते हैं। लिखित प्रतिवेदन द्वारा इस प्रकार के अध्ययन को स्थायित्व एवं प्रमाणिकता प्रदान करते हैं।

अन्तर्वस्तु विश्लेषण पद्धति को सबसे बड़ा लाभ है कि हम उस विषय-वस्तु या संचार माध्यम से मुख्य झुकाव बिन्दुओं अथवा प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं। इससे सूक्ष्म अध्ययन की

प्रवृत्ति एवं ज्ञान की नयी दिशाओं के अनेक द्वार खुलते हैं। अन्तर्वस्तु विश्लेषण पद्धति द्वारा हम जब किसी विषय-वस्तु की प्रवृत्ति एवं झुकाव को समझ लेते हैं तब हमें उसके अनुरूप जन माध्यमों के चयन में बहुत सुविधा हो जाती है। चूँकि अन्तर्वस्तु विश्लेषण पद्धति विषय या सामग्री केन्द्रित होती है। अतएव इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण ही प्रधान होता है। इसमें अध्येता के व्यक्तित्व का प्रभाव या उसका पक्षपात नहीं होना चाहिए।

2.7 सारांश -

मीडिया के क्षेत्र में व्यवस्थित, तार्किक एवं क्रमबद्ध ढंग से किया गया अध्ययन ही वैज्ञानिक शोध पद्धति है, जिसके द्वारा ज्ञान के क्षेत्रों का अनुसंधान होता है। अथवा ज्ञात तथ्यों को नवीन ढंग से विवेचन एवं प्रतिपादन होता है मीडिया - शोध की प्रमुख वैज्ञानिक पद्धतियों का यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

2.8 शब्दावली -

(क) पद्धति - कार्य करने की व्यवस्थित विधि।

(ख) प्रणाली - अध्ययन करने की खास युक्ति का तरीका।

(ग) निदर्शन - समूह में से किसी एक प्रतिनिधि इकाई का चयन।

2.9 संदर्भ ग्रन्थ -

क- ओम प्रकाश वर्मा - सामाजिक अनुसंधान

ख- सुरेन्द्र सिंह - सामाजिक अनुसंधान

ग- मनोज दयाल - मीडिया शोध

2.10 प्रश्नावली -

2.10.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1- मीडिया शोध की प्रमुख वैज्ञानिक शोध पद्धतियों का परिचय दीजिए।

2- वैज्ञानिक शोध पद्धति के स्वरूप एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

3- वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का परिचय दीजिए।

4- निर्दशन पद्धति के स्वरूप एवं महत्व पर प्रकाश डालि

2.10.2 लघु उत्तरीय प्रश्न -

क- सांख्यिकीय पद्धति के स्वरूप को स्पष्ट करें।

ख- अवलोकन पद्धति के प्रमुख भेदों का परिचय दें।

ग- अन्तर्वस्तु विश्लेषण पद्धति क्या है।

घ- दैव निदर्शन के प्रमुख प्रकारों का परिचय दें

2.10.3 बहुविकल्पीय प्रश्न

क- जनगणना पद्धति में कितनी इकाईयों का चयन किया जाता है-

अ- एक ब- दो, स- सभी द- पाँच

ख- निदर्शन पद्धति का प्रकार नहीं है -

अ- दैव ब- कोटा स- लॉटरी (द) संस्तरित

ग- कौन सा साक्षात्कार पद्धति का भेद नहीं है -

अ- व्यक्तिगत साक्षात्कार ब- समूह साक्षात्कार

स- नियंत्रित साक्षात्कार द- अन्तर्वस्तु साक्षात्कार

2.10.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर -

क- अ

ख- द

ग- द

इकाई 3 - मीडिया शोध के तत्त्व

इकाई की रूपरेखा -

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 वैज्ञानिक शोध के तत्व

- 3.2.1 जिज्ञासा वृत्ति
- 3.2.2 धैर्य एवं सहनशीलता
- 3.2.3 साहस एवं उत्साह
- 3.2.4 कड़ा परिश्रम एवं लगन
- 3.2.5 उर्वर कल्पना शक्ति
- 3.2.6 वस्तुनिष्ठता
- 3.2.7 सत्यापन योग्यता
- 3.2.8 निश्चयात्मक निष्कर्ष
- 3.2.9 सामान्यीकरण
- 3.2.10 कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापन
- 3.2.11 भविष्य कथन

3.3 मीडिया शोध के मूल तत्व

- 3.3.1 परिकल्पना का निर्माण
  - 3.3.1.1 परिभाषा
  - 3.3.1.2 स्त्रोत
  - 3.3.1.3 स्वरूप
  - 3.3.1.4 विशेषतायें
  - 3.3.1.5 उपयोगिता
- 3.3.2 विवेच्य सामग्रियों का संग्रह
- 3.3.3 विवेच्य सामग्रियों का विश्लेषण
- 3.3.4 सिद्धान्त प्रतिपादन एवं निष्कर्ष निर्धारण
  - 3.3.4.1 तर्कशास्त्र की विधियाँ
  - 3.3.4.2 तर्कशास्त्रीय विधियों की प्रमुख समस्यायें
  - 3.3.4.3 सांख्यिकीय विधियाँ
  - 3.3.4.4 आगमन और निगमन विधियाँ
  - 3.3.4.5 सिद्धान्त प्रतिपादन परिकल्पना की भूमिक
- 3.3.5 मीडिया का चयन एवं प्रयोग

3.3.5.1 मुद्रित माध्यम का चयन
3.3.5.2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
3.4 मीडिया शोध के प्रेरक तत्व
3.4.1 प्रबल जिज्ञासु प्रवृत्ति
3.4.2 कार्य-कारण के रहस्यों का उद्‌घाटन
3.4.3 नवीन परिस्थितियों का अध्ययन
3.4.4 नवीन शोध पद्धतियों की खोज
3.5 मीडिया शोध की आधारभूत प्रतिस्थापनायें
3.5.1 कार्य-कारण सम्बन्ध की व्याख्या
3.5.2 प्रभावों का अध्ययन
3.5.3 आदर्श प्रतिरुपों की सम्भावना
3.5.4 निदर्शन की महत्ता
3.5.5 वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की महत्ता
3.6 सारांश
3.7 शब्दावली
3.8 संदर्भ ग्रन्थ
3.9 प्रश्नावली
3.9.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
3.9.2 लघु उत्तरीय प्रश्न
3.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न
3.9.4 वस्तुनिष्ट प्रश्नों के उत्तर

3.0 उद्देश्य

- इस इकाई का अध्ययन द्वारा आप वैज्ञानिक शोध पद्धति के तत्वों को जान सकेंगे।
- मीडिया शोध के निर्धारक मूल तत्वों को जान सकेंगे।
- मीडिया शोध के प्रेरक तत्वों को जान सकेंगे।
- इस इकाई के अध्ययन द्वारा आप मीडिया शोध के वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना

किसी वस्तु या तथ्य के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए उन तत्वों का ज्ञान आवश्यक होता है, जिनसे उसका निर्माण हुआ है। मनुष्य के शरीर की रचना पंच तत्वों से हुई है, यह हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार मीडिया-शोध की रचना किन-किन मूलभूत तत्वों से हुई

है उसका मान प्रत्येक अध्येता के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही मीडिया-शोध के प्ररक-तत्वों को भी जानना आवश्यक है। क्योंकि मीडिया-शोध के मूल में ये ही तत्व प्रेरणा के स्रोत सिद्ध होते हैं। इनसे ही प्रेरित होकर शोधकर्ता मीडिया-शोध के क्षेत्र में प्रवृत्त होता है। तत्पश्चात हमें मीडिया शोध की आधारभूत मान्यताओं को भी जानना चाहिए।

3.2 वैज्ञानिक शोध के तत्व

वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं-

3.2.1 - जिज्ञासा वृत्ति

3.2.2- धैर्य एवं सहन शीलता

3.2.3- साहस एवं उत्साह

3.2.4- कड़ा परिश्रम एवं लगन

3.2.5- उर्वर कल्पना शक्ति

3.2.6- वस्तुनिष्ठता

3.2.7- योग्यता

3.2.8- निश्चयात्मक निष्कर्ष

3.2.9- सामान्यीकरण

3.2.10- कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापन

3.2.11- भविष्य कथन

3.2.1 जिज्ञासा वृत्ति

मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियों में जिज्ञासा का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से ही अपने चारों ओर के वातावरण की विविध रोचक और आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं को जानने की इच्छा रखता है। जो व्यक्ति नवीन वस्तुओं, नये तथ्यों अथवा नये नियमों की खोज करना चाहते हैं उनके लिए जिज्ञासा की इस मूल प्रवृत्ति का अधिक महत्व है। जब तक वह अज्ञात या छिपी हुए घटनाओं या तथ्यों की व्यवस्था को जानने के लिए बहुत अधिक जिज्ञासु नहीं होगा वह उनकी गहराई तक नहीं पहुँच पायेगा। ठोस एवं वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति के लिए शोधार्थी की जिज्ञासु वृत्ति तर्काश्रित होनी चाहिए। सफल शोधार्थी को अपने अध्ययन को व्यवस्थित क्रम में सम्पादित करना चाहिए।

3.2.2 धैर्य एवं सहनशीलता

वैज्ञानिक पद्धति का अनुपालन करने वाले शोधार्थी को धैर्यवान एवं सहनशील होना चाहिए। विज्ञान का उद्देश्य ही सत्य की खोज करना है, लेकिन सत्य एवं ज्ञान की खोज करने के लिए वैज्ञानिक को अनेकानेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। संसार में जितनी महान् खोजें

हुई हैं वे सभी निरन्तर अभ्यास एवं परिश्रम से सम्पन्न हुई है। यदि मानवशास्त्रियों के कार्यों के विषय में देखने का प्रयत्न किया जाए तो ज्ञात होता है कि उनकी खोजों में भी असीम धैर्य एवं सहनशीलता की जरूरत होती है। सामाजिक मानवशास्त्री वर्षो तक दूर-दूर स्थित जनजाति में असुविधाओं और विपरीत परिस्थितियों में रहकर कार्य करते हैं।

3.2.3 साहस एवं उत्साह

वैज्ञानिक पद्धति के पालन में उत्साह एवं साहस की भी बहुत जरूरत होती है। जो शोधार्थी साहसी नहीं होता, प्रतिकूल जनमत या शक्तिसम्पन्न लोगों के अनावश्यक सुझावों के आगे झुक जाता है, और अपने अध्ययन के तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर सत्य की हत्या करने लगता है। उसकी पद्धति कभी भी वैज्ञानिक पद्धति नहीं कहला सकती। प्रत्येक वैज्ञानिक को यह समझना चाहिए कि संसार के बहुत कम लोग सत्य से प्रेम करते हैं व उसे स्वीकार करने का साहस रखते हैं। अतः सचाई की खोज करने व उसे व्यक्त करने वाले वैज्ञानिक को सभी प्रकार के छोटे-बड़े त्यागों को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस सत्य की खोज करने वाले वैज्ञानिक को चर्च से सम्बन्धित धार्मिक ढोंगियों ने फांसी की सजा दिलवाई थी क्योंकि वह अपनी सत्य खोज पर अडिग था। यही आशा की जाती है कि वह अपने द्वारा व्यवस्थित ढंग से प्राप्त किए गए तथ्यों को सच्चाई और निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करेगा चाहे उससे उसका या किसी अन्य का कितना भी मान व अपमान होता हो। कई सरकारी कार्यालयों में व हमारे देश की उच्च स्तरीय अनुसंधान संस्थाओं में प्रायः यह देखने व सुनने में आता है कि अनुसंधानकर्ता अपने नेताओं, बड़े अफसरों या प्रमुख शोध अधिकारियों की हां में हां मिलाने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए अपने अध्ययन के तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर जान-बूझकर गलत निष्कर्ष सामने रख देते हैं। निस्संदेह यह प्रवृत्ति उनमें साहस व बौद्धिक ईमानदारी के अभाव के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यह सर्वदा अनुचित है।

3.2.4 कड़ा परिश्रम और लगन

वैज्ञानिक को कठिन परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए अपितु लक्ष्य की कठोरता उसको निरन्तर प्रेरणा प्रदान करती रहती है। आलस्य, शिथिलता अथवा निराशा वैज्ञानिक अध्ययन में बाधक होती है सत्य की खोज करना एक कठिन कार्य है क्योंकि सत्य सागर की गहराई में दबे हुए मोतियों की तरह होता है। कठोर परीश्रम करने वाले वैज्ञानिक ही ऐसे मोतियों के रूपी बहुमूल्य सत्य खोज सकते हैं।

3.2.5 उर्वर कल्पना शक्ति -

वैज्ञानिक पद्धति वास्तविकताओं के अध्ययन पर बल देती है। इसमें कल्पना की अनियंत्रित उड़ानों को तनिक सा भी स्थान प्राप्त नहीं होता। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि वैज्ञानिक को किसी प्रकार की कल्पना अथवा अध्ययन सम्बन्धी पूर्व विचार रखने ही नहीं चाहिए। इनके बिना वैज्ञानिक पद्धति का पालन करना कठिन हो सकता है,कल्पना का सहारा अवश्य लिया

जाये लेकिन वह बिल्कुल आधार हीन न हो। व्यवहारिकता वास्तविकता का वातावरण उसे प्रभावित करता रहे। तभी वह कल्पना उर्वर कल्पना कहला सकेगी। इसकी सहायता से तथ्यों के विश्लेषण ओर नियमीकरण का कार्य सरल हो जाता है। क्रियात्मकता के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसमें बुद्धि, शक्ति, सही दृष्टिकोण, रचनात्मक व विभिन्न उत्तम व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण हों, तथापि सबसे अधिक आवश्यकता है इस बात की कि वैज्ञानिक अपनी कल्पनाशक्ति का समुचित प्रयोग करे। उसे पुरस्कार पाने के लिए ही कार्य करने या न पाने पर निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो उसकी पद्धति में वैज्ञानिकता की कमी हो सकती है।

3.2.6 वस्तुनिष्ठता

किसी भी अध्ययन को करते समय दो प्रकार के दृष्टिकोण अध्ययन को प्रभावित कर सकते हैं। यदि शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत विचारों व भावनाओं को अध्ययन में आने देता है तो उसका अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन ऐसे अध्ययन का विज्ञान में कोई स्थान नहीं होता क्योंकि इसके द्वारा खोजे गये सत्य पूर्वाग्रह युक्त एवं पक्षपात पूर्ण होते हैं। अध्ययन का दूसरे 'वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण' वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी होता है। इससे तात्पर्य यह है कि अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन में केवल यही प्रयत्न करता है कि वह विषय सम्बन्धी तथ्यों को बिल्कुल उसी प्राकृतिक रूप में खोज निकाले जैसे कि वे उसमें समाये हुए हैं। प्रेक्षण करते समय अध्ययनकर्ता की इन्द्रियाँ यथा आँख,नाक, कान, चर्म आदि जैसा अनुभव करें, उसे वस्तुओं का वैसा ही गुण बतलाना चाहिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए तथ्यों की तोड़-मरोड़ करना या उन्हें गलत बता देना अनुचित हैं। अध्ययनकर्त्ता को किसी प्रकार का नैतिक पक्षपात या बेईमानी का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए। जब तक उसका दृष्टिकोण स्वार्थी भांवना में रंगा होता है वह कभी भी सत्य की गहराई तक नहीं पहुंच पायेगा। इसलिए प्रत्येक वैज्ञानिक को अपनी खोज करते समय बिल्कुल तटस्थ रहना चाहिए। उस पर कोमल भावनायें, लोभ, या यश-अपयश की कामना कोई प्रभाव नहीं डालतीं। सामाजिक विज्ञानों में निस्संदेह यह एक कठिन कार्य है। इसका कारण, होता है कि इनमें अध्ययन की विषय वस्तु वह समाज ही होती है जिसमें व्यक्ति मित्र, शत्रु, हितैषी, अपनी जाति के बन्धु, धर्म, राष्ट्र या समुदाय के व्यक्ति आदि होते हैं जिनमें एक समाज वैज्ञानिक भी स्वयं होता है।

3.2.7 सत्यापन योग्यता

वैज्ञानिक पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इससे प्राप्त किये गये तथ्यों का कोई भी वैज्ञानिक चाहे जब परीक्षण व पुनः परीक्षण कर सकता है और उसका सत्य पा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति में ज्ञान प्राप्ति हेतु निश्चित क्रम होते हैं जिनके अनुसार कार्य करके कोई भी वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक कार्य का मूल्यांकन कर सकता है।

सत्यापन का यह कार्य सुगम बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति इस बात पर बल देती है कि किसी भी अध्ययन को पूर्ण करने के पश्चात् जब अध्ययनकर्ता उसका प्रतिवेदन या विज्ञप्ति तैयार करे तो उसे उसमें अपनी अध्ययन पद्धति और अध्ययन की अवस्थाओं का स्पष्टतया

उल्लेख करना चाहिए। समाज शास्त्र व मानव शास्त्र के अध्ययनों में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति प्रचलित है। इससे पक्षपात, द्वेषभाव आदि को जाना जा सकता है।

3.2.8 निश्चयात्मक निष्कर्ष

वैज्ञानिक पद्धति में निश्चित आधारों पर निश्चित तथ्य ढूंढने का प्रयास होता है। एक वैज्ञानिक के द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं कही जाती जिसे प्रमाणित करना सम्भव न हो। तथ्यों को अस्पष्टता से प्रभावित नहीं होने दिया जाता। किसी को काफी लम्बा बतलाने के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार एक वैज्ञानिक पांच फीट छः इंच या और कुछ निश्चित आकार का बतलाता है। सामाजिक विज्ञानों के विद्यार्थी प्रायः सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए कई बार अनिश्चित पदों का प्रयोग कर देते हैं लेकिन ऐसा करना वैज्ञानिक पद्धति की भावना के प्रतिकूल है।

3.2.9 सामान्यीकरण

वैज्ञानिक पद्धति का मूल उद्देश्य, सत्य की खोज करना है। अतः इसके द्वारा ऐसे नियमों या तथ्यों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है जो कि सदैव समान अवस्थाओं में प्रमाणिक सिद्ध हो सकें। स्पष्ट है कि हम किसी एक अत्यधिक सीमा वाले या अति विशेष घटना या तथ्य-समूह को लेकर उसके आधार पर ही कोई सामान्य नियम बनाना चाहेंगे तो उस नियम की सच्चाई का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होगा। जब अन्य उदाहरणों की कसौटी पर इसे परखने का अवसर आएगा तो उसकी अनुपयोगिता अवश्य प्रगट हो कर ही रहेगी।

3.2.10 कार्यकरण सम्बन्ध स्थापन

वैज्ञानिक पद्धति की मूल भावना यह होती है कि यह कारण और प्रभाव के सम्बन्ध पर बल देती है। यह भावना इस बात को मानती हैं कि संसार में ऐसा कोई भी परिणाम नहीं हो सकता जिसका कोई कारण न हो। यदि परिणाम द्वारा उस कारण को ढूँढने का प्रयास किया जाये तो हम उस प्रभाव को भली-भांति समझ सकते हैं। प्रभाव और कारण के इस परस्पर संबंध को आवश्यक ठहरा कर वैज्ञानिक पद्धति ने संसार के समस्त ज्ञान को तार्किकता व वास्तविकता का आधार प्रदान किया है। यही कारण है कि आज के युग में जबकि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति वैज्ञानिक ढंग से सोचने का प्रयास करता है, कोई भी व्यक्ति बीमारी को देवा-देवताओं की अकृपा या रहस्य के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ नहीं मानता।

3.2.11 भविष्य कथन

वैज्ञानिक पद्धति कारण और परिणामों के सहसम्बन्ध पर जोर देती है, अतः उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। किसी घटना, प्रवृत्ति या समस्या के कारणों और प्रभावों का एक बार भली प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन कर लिया जाये तो उसके आधार पर अध्ययनकर्ता वैसी ही अन्य घटना या समस्या के बारे में समान कारण देखते हुए, उसमें सम्भावित प्रभावों की भविष्यवाणी कर सकता है या समान प्रभावों को देखते हुए उसके सम्भावित

कारणों का पूर्वानुमान कर सकता है यदि अन्य सभी अवस्थाएँ समान हों। यह तो ठीक है कि वैज्ञानिक पद्धति का अनुपालन करने वाला अध्ययनकर्ता समान परिस्थितियों मे इस प्रकार की भविष्यवाणी कर सकता है. परन्तु यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि वैज्ञानिक होने के नाते मुख्य प्रयास यहीं करना चाहिए कि उसे वर्तमान तथ्यों का वैज्ञानिक पद्धति से सूक्ष्म विश्लेषण करने के यथोचित निष्कर्ष निकालना चाहिए क्योंकि उनके आधार पर एकदम पूर्ण भविष्य कथन करना ठीक नहीं होता। अधिक से अधिक भविष्य की प्रमुख संभावनाओं का संकेत करना ही शोधार्थी के लिए उचित है।

3.3 मीडिया शोध के मूल तत्व

विद्वानों ने मीडिया-शोध के स्वरूप एवं उनकी विशेषताओं का विवेचन करते हुए अनेक तथ्यों का उल्लेख किया है। इन तत्वों की संख्या निर्धारण में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं लेकिन उन सभी मतों में जो सर्वाधिक प्रमुख तत्व उभर कर आये हैं वे निम्नलिखित हैं-

1. परिकल्पना का निर्माण
2. विवेच्य सामग्रियों का संग्रह
3. विवेच्य सामग्रियों का विश्लेषण
4. सिद्धान्त प्रतिपादन एवं निष्कर्ष निर्धारण
5. मीडिया का चयन एवं प्रयोग

3.3.1 परिकल्पना का निर्माण

शोध अनुसंधान में जब हमें किसी नए सत्य का खोज करते हैं तो हम पूर्ण अज्ञान की दशा में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम सबसे पहले अपने ज्ञान, सूचना तथा अनुभव के आधार पर एक सम्भावित कार्य-कारण सम्बन्ध स्थिर करते हैं। इसके पश्चात पर्याप्त सामग्री संकलित करके उनका वैज्ञानिक विधि विश्लेषण करते हैं। हमारी कल्पना पूर्णतया सही हो सकती है अथवा केवल आंशिक रूप से या बिल्कुल निराधार भी हो सकती है लेकिन प्रत्येक दशा में उसके द्वारा हमें अनुसंधान कार्य में आगे बढ़ने में सहायता अवश्य मिलती है।

3.3.1.1 परिकल्पना की परिभाषा-(Definition of Hypothesis)

'A hypothesis is a tentative generalisation the validity of which remains to be tested. In its most elementary stage the hypothesis may be any hunch, gives imaginative ideas, which become the basis for action of investigation', Lundberg.

'A proposition which can be put to test to determine it validity.- Goode and Hatt.

'लुन्डबर्ग' के अनुसार - परिकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष है, जिसकी उपयुक्तता की परीक्षा अभी बाकी है। बिल्कुल प्रारम्भिक स्तर पर परिकल्पना केवल एक अनुमान, विचार अथवा कल्पना हो सकती है जिसके आधार पर हम आगे क्रियात्मक कार्य अथवा खोज कर सकते हैं।[1] गुड तथा हाट (Goode and Hatt) ने परिकल्पना को एक प्रस्ताव बतलाया है जिसकी सत्यता का पता लगाने के लिए परीक्षा की जा सकती है।

3.3.1.2 परिकल्पना के स्रोत - (Sources of Hypothesis)

परिकल्पना का स्रोत क्या है ? वह हमें कहां से प्राप्त होती है? गुड तथा हाट (Goode and Hatt) ने उसके निम्नलिखित स्रोत बताये हैं-

(क) सांस्कृतिक स्रोत- संस्कृति का सामान्य ढांचा न केवल परिकल्पना के निर्माण में सहायक होता है बल्कि उसकी गतिविधि का निर्देश भी करता है। किसी वर्ग की संस्कृति का वहां के लोगों की विचारधारा तथा दृष्टिकोण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है और जो भी परिकल्पनायें बनाई जाती हैं वे उनसे पर्याप्त सीमा तक प्रभावित रहती है। उदाहरणार्थ भारतीय संस्कृति में दार्शनिकता विशेषरूप से पायी जाती है। अतएव हमारी परिकल्पनाओं में उसका स्पष्ट प्रभाव रहेगा तथा उस विषय पर परिकल्पनाओं ने निर्माण में सहायता भी प्राप्त होगी।

(ख) वैज्ञानिक स्रोत - वैज्ञानिक स्रोत एवं सिद्धान्त भी परिकल्पनाओं को जन्म देता है। उदाहरणार्थ आत्म-हत्या के विभिन्न कारणों तथा सामाजिक प्रभावों की विवेचना करने के बाद उससे सम्बन्धित जिन नियमों का निर्माण किया जायगा उनका समष्टिमूलक नाम आत्म-हत्या का सिद्धान्त कहलायेगा। इस सिद्धान्त को पढ़कर कोई भी व्यक्ति उस सिद्धान्त का सम्बन्ध किसी अन्य सामाजिक घटना से जोड़ने का प्रयास कर सकता है। जैसे वह यह जानने का प्रयत्न करेगा कि आत्म-हत्या के सिद्धान्त का आवारागर्दी से भी कोई सम्बन्ध है अथवा नहीं। अथवा उसका आर्थिक या मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों से क्या सम्बन्ध है। इस प्रकार किसी सिद्धान्त के विभिन्न अंगों के विवेचन तथा अन्य सिद्धान्तों से उसके सम्बन्ध की सम्भावना अनेक परिकल्पनाओं को जन्म देती है।

(ग) तुलनात्मक स्रोत - दो तथ्यों के बीच समानता के कारण कभी-कभी नई परिकल्पना का जन्म होता है। हम जो तथ्य एक क्षेत्र में देखते हैं प्रायः उसी को हम दूसरे क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अनेक सिद्धान्तों तथा परिकल्पनाओं का जन्म होता है। उदाहरणार्थ समाज की इकोलाजिकल थ्योरी' का मूल आधार वनस्पति-शास्त्र है। वनस्पति शास्त्र में यह बात देखी गयी है कि बहुत से पौधे एक ही विशेष स्थान पर उगते हैं, अतएव इस आधार पर इस बात की कल्पना की गई कि मनुष्यों में भी इस प्रकार के भौगोलिक केन्द्रीकरण के लक्षण पाये जाते हैं।

(घ) व्यक्तिगत प्रज्ञा (Personal Experience) **-** केवल संस्कृति; विज्ञान अथवा तुलना ही उपकल्पना के निर्माण में सहायक नहीं होती वरन किसी व्यक्ति विशेष पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है यह भी परिकल्पना के निर्माण का एक महत्त्वपूर्ण अंग होता है। प्रायः तथ्य तो

रहते ही हैं, परन्तु उन्हें एक विशेष दृष्टिकोण से देख कर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति ही नई परिकल्पना का निर्माण करता है। उदाहरणार्थ न्यूटन के पहले सेब का गिरना किसने नहीं देखा था परन्तु उसके आधार पर गुरुत्वाकर्षण की कल्पना केवल उसी का काम था।

3.3.1.3 परिकल्पना का स्वरूप - कार्यशील परिकल्पना का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसकी सत्यता की जाँच आगे की जा सके। इसका अन्तिम परीक्षण एवं निष्कर्ष अर्थात् 'सत्यता की जाँच' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जिस परिकल्पना की जाँच नहीं हो सकती उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं।

3.3.1.4 कार्यशील परिकल्पना की विशेषताएँ - परिकल्पना की निम्न विशेषताएं हैं-

(क) विशिष्टता- परिकल्पना अस्पष्ट तथा सामान्य नहीं होनी चाहिए। वह किसी विषय के किसी खास पक्ष से सम्बन्धित होती है। एक व्यापक तथा सामान्य परिकल्पना प्रायः अध्ययन के क्षेत्र को बता तो सकती है लेकिन वह एक उपयोगी परिकल्पना नहीं बन सकती, जैसे बाल अपराध अथवा श्वेत कालर की प्रवृत्ति। बाल अपराध का विषय स्वयं में अत्यन्त विस्तृत है। उसके अनेक पहलू हैं। अतएव केवल उनका नाम लेने से किसी भी परिकल्पना का आभास नहीं मिलता। आरम्भ में लोगों में विस्तृत विषयों के चुनाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, परन्तु वास्तविक अनुसंधान केवल सीमित एवं विशिष्ट परिकल्पनाओं द्वारा ही सम्भव होता है।

(ख) विचार एवं भाषागत स्पष्टता-परिकल्पना में निहित विचार स्पष्ट, निश्चित तथा भ्रमरहित होने चाहिए। यदि प्रारम्भिक विचार ही अनिश्चित होगा तो आगे की विवेचना भी भ्रमपूर्ण होगी। इसके अतिरिक्त उसकी भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए ताकि अन्य लोग भी उसका सही-सही अर्थ समझ सकें। भाषा की स्पष्टता के लिए सामान्य शब्दावली के अतिरिक्त उस विषय की परिभाषिक शब्दावली का उपयोग करना चाहिए।

(ग) उपलब्ध अनुसंधान प्रणालियों से सम्बन्धित-परिकल्पना के निर्माण के साथ-साथ उनकी जांच करने की विधि का होना भी आवश्यक है। यदि अनुसंधान की उपलब्ध प्रणालियों के द्वारा उसकी जांच न हो सके तो उसे अव्यावहारिक समझना चाहिए तथा उसका वैज्ञानिक उपयोग नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ यदि हम 'व्यकित्व के स्तर' का पता लगाना चाहते हैं परन्तु उसके लिए हमारे पास उदित साधन नहीं है। ऐसी दशा में कोई भी परिकल्पना जिसके आधार पर हम उस स्तर का पता लगायें सही नहीं होगी, क्योंकि व्यावहारिक रूप से उसकी जांच सम्भव नहीं है

(घ) मुख्य सिद्धान्त से सम्बन्ति-यह उचित है कि चुनी हुई परिकल्पना किसी प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार ही हो। यद्यपि इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, परन्तु विज्ञान के समुचित तथा संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है। यदि विभिन्न परिकल्पनाओं के चुनाव अनायास ही परस्पर असम्बद्ध रूप में कर लिये जायें तो विस्तृत सिद्धान्त के सन्दर्भ में उसकी जांच नहीं की जा सकती है। भौतिक विज्ञान में, जिनमें कि अनुसंधान कार्य काफी उन्नति कर चुका है, विभिन्न अनुसंधानकर्ता छोटी-छोटी सम्बन्धित समस्याओं पर खोज करते हैं तथा

उनके आधार पर ही नये सिद्धान्तों का निर्माण करते हैं और उन सिद्धान्तों से ही नई परिकल्पनाओं का जन्म होता है।

(ङ) सर्वेक्षण द्वारा जाँच की सुविधा-परिकल्पना ऐसी न हो कि सर्वेक्षण द्वारा आँकड़े एकत्र करके उसकी जांच न हो सके। वह एक सदाचार अथवा आदर्श का वर्णन मात्र नहीं होना चाहिए, जैसे यह कहना कि सभी व्यापारी समाज के शोषक हैं। विषय प्रधानता तथा सर्वेक्षण द्वारा जांच की सुविधा व्यावहारिक परिकल्पना के आवश्यक लक्षण होते हैं।

3.3.1.5 परिकल्पना की उपयोगिता -

किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान में परिकल्पना की बहुत बड़ी उपयोगिता है। इसके अभाव में किसी प्रकार के निश्चयात्मक फल की प्राप्ति सम्भव नहीं है। अवैधानिक, असम्भव तथा दोषपूर्ण उपकल्पना से अनुसंधान में लगा हुआ समस्त श्रम व्यर्थ जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में परिकल्पना की निम्नलिखित उपयोगिता है-

(क) परिकल्पना अध्ययन को निश्चयात्मकता प्रदान करती है। उसके द्वारा अध्ययन विशिष्ट तथा लक्ष्योन्मुख बन जाता है तथा शोधकर्ता इधर-उधर न भटक कर एक विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। उसके अभाव में अनुसंधानकर्ता की गति वही होती है जो किसी नाविक की अज्ञात समुद्र में कम्पास अथवा रेडार के बिना होती है।

(ख) ठीक-ठीक परिकल्पना के निर्माण से आधा काम तो यों ही पूरा हो जाता है। शेष आधे काम में भी उससे बड़ी सहायता होती है। हमारा काम केवल इतना रह जाता है कि उपकल्पना की सत्यता की जाँच कैसे करें। इससे हमारी अनुसंधान की दिशा का निर्देश हो जाता है और बहुत सा व्यर्थ का परिश्रम बच जाता है। हमारा हर प्रयास एक निश्चित उद्देश्य तथा अर्थ रखने वाला हो जाता है।

(ग) जब हमें किसी.तथ्य या घटना का अध्ययन करते हैं तो हमें अनेक प्रकार की सामग्रियों से गुजरना पड़ता है। उन सभी सामग्रियों का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक नहीं होता। हमें केवल उन्हीं सामग्रियों का संकलन एवं अध्ययन करना चाहिए जो हमारे शोध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहायक हों। हमें अनुपयोगी सूचना का यथासंभव त्याग करना पड़ता है, तथा उपयोगी सूचना को ग्रहण करना पड़ता है उदाहरणार्थ, यदि हमें इस उपकल्पना की परीक्षा करनी है कि शिक्षा के प्रचार से प्रजनन दर कम होती है तो हमें सम्बन्धित व्यक्तियों के सन्तानों की संख्या तथा उनकी शिक्षा तक ही अपने को सीमित रखना पड़ेगा तथा इसी आधार पर हम यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि अशिक्षितों में सन्तानों की संख्या अधिक तथा शिक्षितों में कम होती है।

3.3.2 विवेच्य सामग्रियों का संग्रह

परिकल्पना की सत्यता प्रमाणित करने के लिए हमें कौन-कौन सी सूचना चाहिए और हम उसे कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सूचना एकत्र करने की अनेक विधियां हैं। उसे हम पुराने प्रकाशित ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं अथवा स्वयं ही सूचना एकत्र कर सकते हैं इस

सम्बन्ध में चार मुख्य विधियों का उपयोग होता है।

1- साक्षात्कार पद्धति

2- अनुसूची पद्धति

3- प्रश्नावली पद्धति

4- अवलोकन पद्धति

अनुसंधान के विषय तथा उद्देश्य एवं प्राप्त साधनों के आधार पर ही हम आंकड़ों के संकलन करने की विधि का चुनाव करते हैं। इसके लिए हमको विभिन्न विधियों तथा उनकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। आंकड़ों को एकत्र करते समय मुख्यतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे विषय से सम्बन्धित तथा प्रसंगानुकूल हों। कोई आवश्यक सूचना जो अनुसंधान के लिए उपयोगी हो छूट न जाय तथा संकलन की विधि ऐसी होनी चाहिए कि अशुद्ध तथा गलत आंकड़े न प्राप्त हो जायें।

3.3.3 विवेच्य सामग्रियों का विश्लेषण

समस्त संकलित सामग्रियों का सबसे पहले वर्गीकरण किया जाता है। समस्त समूह को उसकी समानता तथा विभिन्नता के आधार पर अनेक वर्गों तथा उपवर्गों में विभाजित किया जाता है इससे जटिल तथा अस्पष्ट समंकों का समूह सरल तथा समझने योग्य बन जाता है और विश्लेषण कार्य में सुविधा होती है। वर्गीकरण करने के लिए विवेच्य विषय के सम्बन्ध में शोधकर्ता को पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए क्योंकि शोध विषय की सभी इकाइयों का सूक्ष्म ज्ञान रखने वाला शोधकर्ता तथ्यों में व्याप्त समानता एवं असमानता के आधार पर विविध प्रकार का वर्ग या समूह बना सकता है। इसके बाद वह उपयुक्त सांख्यिकीय पद्धतियों से विश्लेषण करके अपेक्षित निष्कर्ष निकाल सकता है।

3.3.4 सिद्धान्त प्रतिपादन एवं निष्कर्ष निर्धारण

मीडिया शोध की वैज्ञानिक पद्धति में अन्तिम चरण सिद्धान्त प्रतिपादन अथवा सामान्यीकरण होता है। सामान्यीकरण की दो विधियाँ हैं। पहला-तर्कशास्त्र की विधि दूसरी-सांख्यिकीय विधि।

3.3.4.1 तर्कशास्त्र की विधियाँ - (Logical Methods)

(क) समानता की विधि - इस विधि के अनुसार जब दो घटनाओं का एक ही फल होता है और उनमें केवल एक तत्व समान रहता है तो फल इस फल को उस उभयनिष्ठ तत्व का प्रभाव समझना चाहिए। सूत्र रूप में उसका निम्नलिखित उदाहरण दिया जा सकता है-

अ + ब + स का फल क्ष है।

स + द + य का फल क्ष है।

अतएव स का फल क्ष है।

जैसे हम मान लें कि सभी अथवा अधिकांश शाकाहारी शिक्षित, ग्रामीण दीर्घजीवी होते हैं तथा सभ शाकाहारी अशिक्षित नगर निवासी भी दीर्घ जीवी होते हैं तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शाकाहार तथा दीर्घ जीवन में परस्पर कार्य कारण का सम्बन्ध है क्योंकि दोनों वर्गों में फल समान है किन्तु केवल एक तत्व शाकाहार ही ऐसा है जो दोनों में पाया जाता है।

(स) अन्तर की विधि (Method of Difference) - दूसरी विधि पहली विधि की सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियों से मिलकर बनी है। इसके अनुसार यदि किसी घटना के सभी तत्व समान रहें, केवल एक तत्व में ही परिवर्तन हो तथा तत्व रहने पर कोई फल उपस्थित तथा न रहने पर अनुपस्थित हो तो दोनों में कार्य कारण तथा सम्बन्ध मानना चाहिए। इसको सूक्ष रूप में निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है-

क + ख + ग का फ़ल क्ष है।

क + ख + 'ग के अभाव' का फल 'क्ष का अभाव' है।

अतएव ग का फल क्ष है।

उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि सभी शाकाहारी शिक्षित तथा ग्रामीण दीर्घायु होते हैं तथा सभी आमिष-भोजी शिक्षित ग्रामीण जल्दी ही मरते हैं। अतएव शाकाहार दीर्घ जीवन का कारण है।

(ग) सम्मिलित विधि (Joint Method) - इस विधि के अनुसार यदि दो या अधिक उदाहरणों में जिनसें कोई एक परिस्थिति समान रूप से पाई जाती है, कोई घटना घटित होती है तथा अन्य दो या अधिक उदाहरणों में जिनमें वह घटना घटित नहीं होती अन्य परिस्थितियों के भिन्न रहने के साथ ही साथ वह विशेष परिस्थिति नहीं पायी जाती है, जो कि पूर्व के उदाहरणों में पाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि उस विशेष परिस्थिति तथा घटना में कार्य कारण सम्बन्ध है। इस प्रकार इसमें प्रथम भाग तो समानता की विधि का तथा दूसरे भाग में अन्तर की विधि का उपयोग किया गया है। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से रख सकते हैं :-

अ + ब + स का फल र है।

अ + य + फ का फल र है।

क + ख + अ हीनता का फल र का अभाव है।

ग + घ + अ हीनता का फल र का अभाव है।

अतएव 'अ' और 'र' में कार्य कारण सम्बन्ध है।

(घ) शेषांश की विधि (Method of Residues) - इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम सर जान हर्शेल (Sir John Herschel) ने 18वीं शताब्दी में किया था। इस विधि के अनुसार यदि कोई घटना किन्ही विशेष परिस्थितियों में घटित होती है तथा पूर्व ज्ञान के

आधार पर यह ज्ञात है कि घटना के किसी एक अंग का उन परिस्थितियों में कुछ के साथ कार्य-कारण सम्बन्ध है तो ऐसा माना जायेगा कि शेष घटना का शेष परिस्थितियों के साथ भी कार्य-कारण सम्बन्ध है। नेपच्यून ग्रह की खोज इसी प्रकार से हुई। कई बार देखा गया कि यूरेनस ग्रह अपने निर्धारित पथ से विचलित हो गया था। लोगों ने इसका कारण खोजने का काफी प्रयास किया किन्तु कोई भी स्पष्ट कारण ज्ञात न होने पर लोगों ने अनुमान किया कि अन्तरिक्ष में ज्ञात ग्रहों से अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह भी मौजूद है। निरन्तर अभ्यास, अध्ययन एवं विविध शोध प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पना को निश्यात्मक स्वरूप प्रदान किया और घोषणा की कि अन्तरिक्ष में नया ग्रह अवश्य मौजूद है और उस ग्रह का नामकरण 'नेप्च्यून' किया गया।

(ङ) सह विचरण विधि (Method of Concomitant Variation) - जब किसी एक घटना में एक विशेष दिशा में विचलन किसी अन्य घटना में भी विचलन उत्पन्न करता है तो दोनों में कार्य-करण सम्बन्ध माना जाता है। इस विधि से घटना में विशेष तत्व का अभाव अथवा उसकी उपस्थिति नहीं होती है परन्तु उसी घटना में वृद्धि अथवा कमी होती है। इस प्रकार यह विधि सांख्यकीय प्रणाली अथवा संख्यात्मक माप का आधार है। उदाहरणार्थ यदि द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होने पर भावों में वृद्धि हो, तथा द्रव्य की मात्रा में कमी होने पर यदि मूल्यों में भी कमी आये तो समझना चाहिए कि द्रव्य की मात्रा तथा मूल्यों में परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध है।

3.3.4.2- तर्कशास्त्रीय विधियों की प्रमुख समस्यायें - इस विधि में प्रायः दो प्रकार की समस्यायें सामने आती हैं, जो निम्नलिखित हैं- कोई घटना किसी एक कारण से घटित नहीं होती। उसके अनेक कारण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति दो एक ज्वर पीड़ित व्यक्तियों को देखकर यह अनुमान करता है कि ऐसा मच्छरों के काटने से हुआ है। अतएव वह यह निष्कर्ष निकाल लेता है कि ज्वर का कारण मच्छरों का काटना है। परन्तु यह धारणा गलत है क्योंकि ज्वर का कारण केवल मच्छरों का काटना ही नहीं बल्कि और भी अनेक कारण हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ी सी घटनाओं के विवेचना द्वारा हम कोई ठीक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।

(ख) घटनाओं के प्रभावों की विविधता - जिस प्रकार किसी एक घटना के अनेक कारण हो सकते हैं, उसी प्रकार एक ही घटना अनेक प्रकार के फल प्रधान कर सकती है। कभी-कभी विभिन्न फलों के योग से ही एक नये फल का निर्माण हो जाता है। ऐसी दशा में फलों को देखकर किसी घटना तथा फल के बीच, कार्य-कारण सम्बन्ध स्थिर करना अत्यन्त कठिन होता है। इस कठिनाई को दूर करने का एकमात्र उपाय प्रारम्भिक नियमों का निर्माण है।

3.3.4.3. सांख्यिकीय विधियाँ -

सांख्यिकीय विधियों की प्रकृति गणितीय होती है। सांख्यिकीय आधार पर सामान्यीकरण अथवा कार्य-कारण सम्बन्ध निकालने के लिए यह आवश्यक है कि घटना का विवेचन संख्यात्मक

रूप से हुआ हो। पारस्परिक सम्बन्ध की मात्रा ज्ञात करने के लिए यह सम्बन्ध (Correlation) गुण सम्बन्ध (Association), सह विचरण (Covariance) तथा विवेचन (Factor analysis) इत्यादि गणितीय क्रियायें करनी पड़ती है। इसके अनुसार दो तथ्यों में समान दिशा में परिवर्तन होने पर उन्हें कारण सम्बन्ध मान लिया जाता है। सांख्यिकीय विधि की सफलता की दो प्रधान शर्तें हैं - एक तो सैम्पल प्रतिनिधित्वपूर्ण हो, दूसरे प्राप्त निष्कर्षों में अशुद्धता की सम्भावना का पता लगा लिया जाय। अत्यन्त, अल्प सैम्पल से प्राप्त निष्कर्ष प्रायः अशुद्ध होते हैं अतएव प्रर्याप्त मात्रा में सैम्पल होना भी आवश्यक है।

3.3.4.4 आगमन और निगमन विधियाँ (Inductive and Deductive Methods) - वैज्ञानिक अनुसंधान विधियों के दो और वर्गीकरण किये जाते हैं जिन्हें आगमन और निगमन विधियाँ कहते हैं। आगमन विधि के अनुसार विशिष्ट इकाइयों की विशेषताओं को समूह पर लागू किया जाता है तथा विशिष्ट घटनाओं के आधार पर ही सामान्य नियमों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। हम पहले विषय से सम्बन्धित घटनाओं अथवा इकाइयों का एक-एक करके अध्ययन एवं अवलोकन करते हैं और उन विशेषताओं का पता लगाते हैं जो कि समस्त घटनाओं अथवा इकाइयों में समान रूप से पायी जाती हैं। फिर उन सामान्य विशेषताओं के अधार पर ही नियमों सिद्धान्तों और सामान्य धारणाओं की रचना की जाती है। इस प्रकार आगमन रीति में हमारे तर्क की विधि विशिष्ट (Particular) से सामान्य की ओर होती है। इस प्रणाली में निरीक्षण एवं अवलोकन तथा प्रयोगों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त हम घटनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक तथ्यों एवं आंकड़ों को भी एकत्र करते हैं। इसीलिए इसे प्रयोगात्मक तथा सांख्यिकीय रीति के नाम से भी सम्बोधित करते हैं।

निगमन प्रणाली के अनुसार नियमों एवं सिद्धान्तों की रचना तथा सत्य बातों का ज्ञान मनुष्य, प्रकृति तथा समाज से सम्बन्धित कुछ स्वयं सिद्ध एवं आधारभूत बातों के आधार पर किया जाता है। इस प्रणाली का आधार तर्क है। इसके अन्तर्गत हम पहले तो कुछ सर्वमान्य एवं आधारभूत सत्य बातों को लेते हैं फिर उनके आधार पर तक-वितर्क द्वारा नियमों की रचना कर लेते हैं। निगमन विधि में निश्चित सिद्धान्तों को व्यक्तिगत इकाइयों पर लागू किया जाता है।

वास्तव में कौन सी विधि का उपयोग पहले होता है यह कह सकना अत्यन्त कठिन है। परिकल्पना का निर्माण आगमन विधि से भी हो सकता है और निगमन विधि से भी। जब हम बहुत सी घटनाओं को देखकर उनमें पाये जाने वाले समान लक्षण के आधार पर किसी परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो वह आगमन विधि द्वारा होता है।

3.3.4.5 सिद्धान्त प्रतिपादन में परिकल्पना की भूमिका - अनुसंधान का आरम्भ परिकल्पना से होता है और अन्त वैज्ञानिक नियम के निर्माण हो जाने पर। सर्वप्रथम परिकल्पना का निर्माण होता है। आरम्भ में उपकल्पना भी एक विचार अथवा अनुमान के रूप में होती है। इसे हम 'काम चलाऊ उपकल्पना' (Working Hypothesis) कह सकते हैं। उसके आधार पर सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करके तथा अन्य प्रकार से उसकी विवेचना करके हम एक निश्चित परिकल्पना का निर्माण करते हैं। यह अनुसंधान के क्षेत्र अथवा दिशा को

निर्देश करने वाला कोई अस्पष्ट विचार नहीं बल्कि निश्चित भाषा में लिखा हुआ एक सैद्धान्तिक वाक्य होती है जिसकी सत्यता की जाँच की जाती है।

परिकल्पना की परीक्षा के लिए उचित सूचना एकत्र की जाती है। विभिन्न परिस्थितियों में उसकी सत्यता की जाँच की जाती है तथा विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रों में परिकल्पना के सम्बन्ध का निरूपण किया जाता है। इस प्रकार, परीक्षा हो जाने के बाद यदि वह सही सिद्ध होती है तो उसे हम सिद्धान्त कहते हैं। परन्तु अनुसंधान का अन्त यहीं नहीं हो जाता। सिद्धान्त में अब भी पर्याप्त अस्पष्टता होती है वह केवल एक दिशा का निर्देशन करता है। उसकी ठीक-ठीक माप नहीं बतलाता है। इसलिये सिद्धान्त की विभिन्न परिस्थितियों में और भी कठिन परीक्षा की जाती है तथा उसे अधिक शुद्ध तथा पूर्ण बनाने की चेष्टा की जाती है। इसके लिए समस्त कारक तत्वों का पता लगाया जाता है तथा विभिन्न कारकों के निश्चित प्रभाव को जानने का प्रयत्न किया जाता है। अन्त में एक गणितीय सूत्र के रूप में उसका उल्लेख किया जाता है, और तब हम उसे 'वैज्ञानिक नियम' कहते हैं।

3.3.5 मीडिया चयन एवं प्रयोग

मीडिया शोध में जनसंचार माध्यमों का चयन एवं उनके प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि विविध जन संचार माध्यमों के श्रोता/दर्शकों की रूचियों एवं मानसिक क्षमताओं में काफी भिन्नता पायी गयी है। जनसंचार माध्यमों को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं:-

1 मुद्रित माध्यम

2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

3.5.1 मुद्रित माध्यम

इसके अन्तर्गत समाचार पत्र/पत्रिकायें,पुस्तकें, पम्प्लेट, बैनर एवं होर्डिंग्स आदि आते हैं। इनसे शोध-सामग्री एकत्र करना आसान होता है क्योंकि आप अपनी सुविधानुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया भी इलेक्ट्रानिक माध्यमों की तुलना में कम होती है।

3.5.2 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम

इसे प्रायः श्रव्य/दृश्य अथवा अद्यतन माध्यम भी कहा जाता है, इसके अन्तर्गत टी0वी0 सिनेमा, रेडियो, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, बेसिक टेलीफोन एवं मोबाइल आदि आते हैं। इसमें शोध प्रक्रिया की गति अत्यन्त तीव्र होती है। आज कल एसएमएस के जरिये तथ्यों एवं सूचनाओं की तुरन्त प्राप्ति हो जाती है और शीघ्र ही कम्प्यूटर की सहायता से विश्लेषण, वर्गीकरण एवं सारणीयन भी हो जाता है। इसके बाद निष्कर्ष भी तुरन्त प्राप्त कर लिये जाते हैं। इस माध्यम में परितर्वन की गति अतितीव्र होती है। अतः शोधकर्ता को भी अनुसंधान के इस क्षेत्र में काफी तेज, सजग एवं सतर्क रहना होगा।

3.4 मीडिया शोध के प्रेरक तत्व

मीडिया-शोध में किसी शोधकर्ता के लिए मुख्यतः निम्नलिखित तत्व प्रेरणा-स्रोत सिद्ध होते हैं-

3.4.1 प्रबल जिज्ञासु प्रवृत्ति

जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति के कारण मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण की विभिन्न वस्तुओं व घटनाओं के एवं तथ्यों के सम्बन्ध में जानने को इच्छुक रहता है। वह उनके ज्ञान द्वारा उन पर नियंत्रण पाने तथा उनमें निहित सत्यों के उद्घाटन हेतु निरन्तर प्रयास करता है। इसी प्रवृत्ति के कारण शोधकर्ता को नयी वस्तुओं या नियमों की खोज करने की प्रेरणा प्राप्त होती है।

3.4.2 कार्य-कारण के रहस्यों का उद्घाटन

मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में विभिन्न सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ होता है। उन पर विजय पाने के लिए वह उन कारकों की जानकारी करता है जिससे कि कारणों व प्रभावों के सहसम्बन्ध को स्थापित किया जा सके! मीडिया शोधकर्ता समाज के कार्य-कारण सम्बन्धों के रहस्यों के उद्घाटन के साथ उसके मीडिया के, पारस्परिक सम्बन्धों को भी उजागर करने का प्रयास करता है।

3.4.3 नवीन परिस्थितियों का अध्ययन

समाज में लगातार भांति-भांति के परिवर्तन आते रहते हैं जिनके फलस्वरूप कई नवीन व अप्रत्याशित घटनाएं उपस्थित होती हैं। उनके प्रभावों को जानने के लिए जनता में इच्छा उत्पन्न हो जाती है। सामाचार पत्र–पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, एवं कम्प्यूटर आदि के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप जो नवीन परिस्थितियाँ उपस्थित हो रही है। इन सबका अध्ययन करना मीडिया शोधकर्ता का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

3.4.4 नवीन शोध पद्धतियों की खोज

मीडिया शोथ में पुरानी अध्ययन पद्धतियों का परीक्षण या नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोगीकरण किया जा रहा है जिससे संचार माध्यमों एवं समाज के विभिन्न घटकों के पारस्परिक सम्बन्धों का आँकलन किया जा सके।

3.5 मीडिया शोध की आधारभूत प्रतिस्थापनायें

मीडिया शोध की कुछ आधारभूत मान्यताएँ जिनके आधार पर ही अनुसंधान संभव है। इन आधार पर मान्यताओं का मीडिया - शोध के मूल तत्वों से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनको समझने के बाद मूल तत्वों के स्वरूप को समझना आसान हो जाएगा।

3.5.1 कार्यकरण सम्बन्ध की व्याख्या

मीडिया शोध इस मान्यता पर आधारित है कि विभिन्न सामाजिक क्रियाओं के बीच कार्य-कारण सम्बन्ध होता है और आज के समय में मीडिया उसे एक सीमा तक प्रभावित भी कर रही है। कारक सदैव निश्चित फल प्रदान करते हैं। अतएव यदि उनका ज्ञान कर लिया जाय तो उनके द्वारा उत्पन्न बुरे प्रभावों को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिये, गरीबी अपराधों का कारण हो सकती है। दूसरे शब्दों में जहाँ गरीबी होगी वहाँ अपराध भी होंगे। अतएव अपराधों की रोकथाम के लिए गरीबी का दूर करना आवश्यक होता है। गरीबी निवारण एवं अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में मीडिया अपना गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। वह अपने विविध प्रकार के कार्यक्रमों एवं लेखों द्वारा समाज में व्याप्त इन समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक कर सकती है।

3.5.2 सामाजिक व्यवसायों एवं उस पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

विभिन्न सामाजिक घटनाएँ अनायास ही आकस्मिक रूप से बिना किसी क्रम के नहीं घटती। उनके पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं। यदि उन घटनाओं में कोई क्रम अथवा नियम न हो, तब उनका पूर्वानुमान कभी भी नहीं लगाया जा सकता। तब प्रत्येक घटना एक दूसरे से बिल्कुल असम्बन्धित तथा स्वतन्त्र होगी और उनके अध्ययन से किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। विभिन्न घटनाओं में भी एक नियमितता तथा क्रम है। यदि हम उस क्रम का पता लगा सकें तो हम उनके भविष्य की प्रगति को भी बता सकते हैं। इस व्यवस्था को मीडिया काफी प्रभावित कर रहा है और स्वयं भी प्रभावित हो रहा है।

3.5.3 आदर्श प्रतिरूपों (Ideal Types) की सम्भावना

विभिन्न सामाजिक तथ्य एक दूसरे से एकदम भिन्न भी नहीं है, उन्हें कुछ आदर्श प्रतिरूपों में बाँटा जा सकता है। ये प्रतिरूप एक विशेष गुण समूह के द्योतक होते हैं जो कि वर्ग की समस्त इकाइयों में पाये जाते हैं। इस प्रकार कुछ लोगों का अध्ययन कर उनकी विशेषताओं को समस्त वर्ग पर लागू किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 'विद्यार्थी' एक विशेष वर्ग का द्योतक है। समस्त विद्यार्थियों की रुचियों कार्य-विधियों, व्यवहारों तथा विचारों में काफी साम्य रहता है। अनेक ऐसे तत्व हैं जिनके आधार पर उन्हें अन्य वर्गों से अलग किया जा सकता है। इस प्रकार एक औसत विद्यार्थी का अध्ययन समस्त विद्यार्थी समाज के गुणों का आभास करा सकता है। वर्गों की उपस्थिति से ही मीडिया-शोध करना संभव है।

3.5.4 निदर्शन की महत्ता

इकाइयों को विभिन्न सजातीय वर्गों में बाँटने के अतिरिक्त एक मान्यता यह भी है कि समस्त समूह से एक प्रतिनिधित्वपूर्ण सैम्पल निकाला जा सकता है, तथा सैम्पल के अध्ययन पर आधारित निष्कर्ष समग्र पर लागू किये जा सकते हैं। मानव समाज बहत विशाल होता है तथा

प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन व्यावहारिक रूप में असम्भव है। अतएव निदर्शन प्रणाली का उपयोग आवश्यक है। यदि सैम्पल निकालने की सम्भावना न हो तो बहुत सा सामाजिक अनुसंधान का कार्य सम्भव ही न हो सकेगा।

3.5.5 वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की महत्ता

मीडिया शोध की एक निजी विशेषता यह है कि उसमें मनुष्य अनुसंधानकर्ता और विषय दोनों ही होते हैं। किन्तु विषय प्रधान अध्ययन उसी समय सम्भव है जब मनुष्य अपने को पूर्णतया तटस्थ मान कर अध्ययन करे तथा उसकी निजी भावनाएँ एवं विचार अध्ययन में परिलक्षित न हों। मीडिया शोध में वस्तुनिष्ठता के आशय द्वारा पाठक एवं श्रोता वर्ग में विश्वसनीयता पैदा की जा सकती है। मीडिया - शोध की प्रमाणिकता के लिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन आवश्यक है।

3.6 सारांश

मीडिया के क्षेत्र में शोधकर्ता को सर्वप्रथम वैज्ञानिक शोध के तत्वों से परिचित होना चाहिए। उसके बाद उसे मीडिया शोध के मूल तत्वों (परिकल्पना, संग्रह, विश्लेषण, संचार माध्यम एवं निष्कर्ष) को ठीक-ठीक समझना चाहिए तभी वह मीडिया के क्षेत्र में सार्थक एवं मूल्यवान शोध कर सकेगा। इस क्षेत्र में प्रवृत्ति होने के मूल में मीडिया शोध के प्रेरक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता को मीडिया शोध की आधारभूत प्रतिस्थापनों पर भी गम्भीर विचार करना चाहिए।

3.7 शब्दावली

निदर्शन (सैम्पलिंग) - समष्टि में चुनी गयी प्रतिनिधि इकाई

आगमन विधि - विवरणों के पश्चात नियम या सूत्र की प्रतिस्थापना

निगमन विधि - सर्व प्रथम नियम या सूत्र की प्रतिस्थापना तदन्तर उसकी व्याख्या

वस्तुनिष्ठ पद्धति - विषय केन्द्रित अध्ययन, जिसमें शोधकर्ता का व्यक्तित्व न प्रभावित करें।

विषयनिष्ठ पद्धति - शोधकर्ता के व्यक्तित्व एवं विचार से कन्द्रित अध्ययन।

परिकल्पना - शोध आरम्भ के समय शोधकर्ता के दिमाग में उपजा हुआ कच्चा खाका।

3.8 संदर्भ ग्रंथ

1- मीडिया शोध - मनोज दयाल

2- सामाजिक अनुसंधान की कार्यविधि - ड़ाँ हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव

3- सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय-गौरी शंकर

4- अनुसंधान प्रविधियाँ - सी० एम० चौधरी

3.9 प्रश्नावली

3.9.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1- वैज्ञानिक शोध पद्धति के तत्वों पर प्रकाश डालिए।

2- मीडिया शोध के मूल तत्वों के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।

3- मीडिया शोध में प्रेरक तत्वों से आप क्या समझते हैं।

3.9.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

1- शोध में वस्तुनिष्ठता का क्या तात्पर्य है ?

2- मीडिया शोध में परिकल्पना के महत्व पर प्रकाश डालिये।

3- शोध सामग्री के विश्लेषण की प्रमुख प्रणालियों का परिचय दीजिए।

4- सिद्धान्त निरूपण में तर्कशास्त्र की विधियों की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

5- मीडिया शोध की आधारभूत मान्यतायें क्या हैं ?

3.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1- वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धति में अधिक महत्व होता है-

(क) शोधकर्ता का (ख) विषय का

(ग) प्रतिपादन शैली का (घ) उत्तरदाता का

2- वैज्ञानिक शोध में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है -

(क) सत्यापन योग्यता (ख) वस्तुनिष्ठता

(ग) सामान्यीकरण (घ) कल्पनाशीलता

3- परिकल्पना का स्रोत कौन सा नहीं है।

(क) संस्कृति (ख) तुलनात्मक

(ग) महापुरुष (घ) व्यक्तिगत प्रज्ञा

4- सामग्री संग्रह की कौन सी विधि कम खर्चीली है?

(क) प्रश्नावली (ख) साक्षात्कार

(ग) अनुसूची (घ) अवलोकन

3.9.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

1- ख, 2- घ, 3-ग, 4-क

इकाई 4 - मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध

इकाई की रूपरेखा -

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 मीडिया शोध का अभिप्राय

4.3 सामाजिक शोध का अभिप्राय

4.4 सामाजिक शोध के उद्देश्य

4.4.1 शुद्ध सैद्धान्तिक उद्देश्य

4.4.2 व्यावहारिक उद्देश्य

4.5 मीडिया शोध और सामाजिक शोध में समानता

4.6 मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध में अन्तर

4.7 सारांश

4.8 शब्दावली

4.9 संदर्भ ग्रन्थ

4.10 प्रश्नावली

4.10.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

4.10.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

4.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

4.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों कें उत्तर

4.0 उद्देश्य -

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप जान लेंगे-

- मीडिया शोध का क्या अभिप्राय है?
- सामाजिक शोध का क्या अभिप्राय है ?
- सामाजिक शोध के मूल उद्देश्य क्या है ?
- मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध में समानता के बिन्दु कौन-कौन है?
- मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध में क्या अन्तर है ?

4.1 प्रस्तावना -

समाज एवं मीडिया में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते है फिर समाज के क्षेत्र व्यापक हैं और मीडिया उस क्षेत्र का एक विशेष अंग है। अतः मीडिया शोध की प्रकृति को समझने के लिए सामाजिक शोध का अभिप्राय एवं उसके मूल उद्देश्य को समझना आवश्यक है। समाज की घटनाओं एवं हलचलों तथा मानवीय कार्य व्यापार एवं पारस्परिक व्यवहारों के सम्बन्धों का व्यावहारिक एवं सूक्ष्म ज्ञान रखने वाला मीडिया कर्मी ही मीडिया का सफल अनुसंधानकर्ता हो सकता है। इसलिए इस इकाई में सामाजिक शोध के अभिप्रायों, उद्देश्यों एवं मीडिया से उसकी समानता एवं असमानता के बिन्दुओं को स्पष्ट किया गया है ताकि अध्येयता मीडिया शोध का सही दिशा में समाज सापेक्ष विकास कर सके।

4.2 मीडिया शोध का अभिप्राय

अनुसंधान या शोध शब्द का तात्पर्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति या पुराने ज्ञान की पुनः परीक्षा से है। अनुसंधान में हम सत्य की खोज के लिए व्यवस्थित प्रयत्न की परीक्षा करते हैं। आज मीडिया का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत होता जा रहा है, जिससे नित नए तक़नीकों द्वारा मीडिया को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं। मीडिया आज अखबारों, टेलीविजन, पत्र-पत्रिकाओं से बाहर निकलकर इंटरनेट और लैपटॉप तक अपने पाँव पसार चुका है। मीडिया शोध में, समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार समितियों, विज्ञापन, जनसंपर्क, रेडियो, टी0वी0, इंटरनेट, निजी चैनल, संचार की पारंपरिक पद्धतियाँ व प्रणालियाँ, विकास संचार, सामाजिक विपणन आदि से संबंधित तथ्यों तथा घटनाओं के नाम प्राप्त करने या उनकी जाँच परीक्षण के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों या प्रणालियों से की गई व्यवस्थित खोज किया जाता है। मीडिया शोध का तात्पर्य जनसंचार एवं पत्रकारिता की गतिविधियों से हैं। मीडिया शोध मीडिया के विभिन्न उपयोग एवं उपयोगकर्त्ता के बारे में जानकारी एकत्रित करता है।

जनसंचार एवं पत्रकारिता की सामान्य गतिविधियों के लिए और विशिष्ट कार्यों की जानकारी के लिए मीडिया शोध की आवश्यकता पड़ती है और सत्यता को उजागर करने के लिए मीडिया शोध की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक भ्रष्टाचारों, घोटालों आदि की तह तक पहुँचने के लिए किए गए प्रयत्न भी मीडिया शोध के अन्तर्गत आते हैं। मीडिया शोध, जनसंचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए की गई खोज है।

4.3 सामाजिक शोध का अभिप्राय

सामाजिक शोध एक ऐसी वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य समाज में व्याप्त नवीन तथ्यों की खोज करना है। इसमें सामाजिक घटनाओं व समस्याओं से संबंधित नई जानकारियों को एकत्र करना तथा उनका व्यवस्थित ढंग से विवेचन करना होता है। सामाजिक शोध के

अंतर्गत एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाएँ होती हैं। सामाजिक शोध द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में संबंधित जानकारी प्राप्त एवं एकत्रित की जाती है। सामाजिक शोध मानव के सामाजिक जीवन में व्याप्त सत्य एवं तथ्य की खोज करता है। सामाजिक शोध, सामाजिक समस्याओं के कार्य-कारणों की इच्छा, नवीन और अप्रत्याशित परिस्थितियों का अध्ययन करता है। सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक अवस्थाओं, सामाजिक धारणाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक संस्थाओं आदि के विषय में नवीन सत्यों का पता लगाना ही सामाजिक शोध है। सामाजिक शोध, समाज की घटनाओं के कार्य-कारण अथवा अन्य संबंधों का पता लगाता है और सामाजिक जीवन की विभिन्न विधाओं को संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों का सत्यापन करता है।

सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अध्ययन करने की एक वैज्ञानिक योजना ही सामाजिक शोध है। आज, सामाजिक शोध की उपादेयता को सभी बुद्धिजीवी वर्ग स्वीकार करते हैं। सामाजिक शोध द्वारा सामाजिक समस्याओं का निष्पक्ष विश्लेषण करना और उसका हल प्रस्तुत करना संभव होता है। इससे नवीन सिद्धान्तों एवं विचारों की खोज व उत्पत्ति होती है। और इससे मानव के ज्ञान भंडार में अभिवृद्धि होती है। रूढिवादी और अंधविश्वासी धारणाओं व परंपराओं को समाप्त करना सामाजिक शोध द्वारा भी संभव हो पाता है। अज्ञानता के कारण होने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान में सामाजिक शोध बहुत ही उपयोगी होता है।

सामाजिक शोध, सामाजिक समस्याओं के हल की दिशा में बहुत सहायक सिद्ध होता है। आज के इस युग में मानव-कल्याण और उत्तम सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए सामाजिक शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज मानव समुदाय का एक व्यवस्थित समूह है। यह समूह तमाम प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों से प्रेरित एवं प्रभावित होता है। देश, काल एवं परिवेश का प्रभाव मानव समाज पर पड़ना स्वाभाविक है। मानव जीवन के समस्त कार्यकलाप वहाँ की जलवायु, प्राकृतिक सम्पदा एवं जीवन शैली से प्रभावित होते रहते हैं। जब एक मानव समाज दूसरे मानव समाज के सम्पर्क में आता है दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और उन्हें मूल स्वरूप एवं जीवन शैली में अन्तर आता है। हाँ यह सत्य है कि विजेता समाज या विकसित समाज का अधिक प्रभाव पराजित या अविकसित समाज पर पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन के कारकों की खोज करना सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। सामाजिक शोध द्वारा समाज की कई बुराइयों, कुरीतियों एवं अधिविश्वासों का भी अध्ययन किया जाता है और उनके मूल कारकों की खोज करके उनका वैज्ञानिक समाधान भी प्रस्तुत किया जाता है। यह एक लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया है क्योंकि एक समाज अपनी जीवन पद्धति एवं कार्यशैली एकाएक नहीं बदल देता। उसमें परिवर्तम आता है परन्तु धीरे-धीरे। हाँ क्रांति की अवधारणा में अचानक पदलाव का संकेत अवश्य होता है, लेकिन क्रांति की अचानक नहीं घटती। ठसके पीछे अनेक क्रियायें एवं चिन्तन पद्धतियाँ सक्रिय रहती हैं।

सामाजिक व्यवहारों की वास्तविकताओं को जानने के लिये, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब उनका वैज्ञानिक पद्धति के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है तो उसे सामाजिक

शोध कहते हैं। परन्तु अपने ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान की कोटि में रखने के लिए आवश्यक है कि उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के दो मूलभूत आधारों का अवश्य समावेश हो-(क) निरीक्षण-इस प्रक्रिया द्वारा हम सामाजिक घटनाओं को करीब से एवं वास्तविक रूप से देखते हैं और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा (ख) कार्य-कारण सम्बन्धों के आधार पर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना। हमारे अध्ययन में जब ये दोनों आधार शामिल होते हैं, उसे सामाजिक शोध कह सकते हैं। सामाजिक शोध का वास्तविक अर्थ यह हुआ कि किसी सामाजिक घटना को समझने, उसके बारे में परिकल्पना का सत्यापन करने तथा फिर कार्य-कारण के आधार पर वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन करने में जिस विधि को अपनाया जाता है उसे सामाजिक शोध कहते हैं। अर्थात् मानवीय क्रियाकलापों के बीच सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य मानव के सामाजिक जीवन के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना है। इस विधि के अधार पर हम विभिन्न सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में कार्य-कारण सम्बन्धों का पता लगाते हैं और उसी आधार पर वैज्ञानिक नियमों की खोज भी करते हैं। सामाजिक शोध के अन्तर्गत निरीक्षण, वर्गीकरण, सामान्यीकरण एवं वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक शोध भी वैज्ञानिक अनुसंधान का ही एक अन्य रूप है। जिसके अन्तर्गत सामाजिक घटनाओं एवं कार्यकलापों के बारे में नये-नये सत्यों का उद्घाटन होता है।

सामाजिक शोध की परिभाषा में पॉलिन वी0 यंग ने लिखा है, "सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथा पुराने तथ्यों का अन्वेषण एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों अन्तः सम्बन्धों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। इसी प्रकार मोजर ने अपनी परिभाषा में लिखा है, "सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिये किये गये व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं।

पॉलिन, वी0 यंग तथा मोजर की परिभाषाओं से सामाजिक शोध के कुछ लक्षण स्पष्ट होते हैं जो कि इस प्रकार हैं : (1) सामाजिक अनुसंधान का सम्बन्ध सामाजिक घटनाओं से है। यह मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक योजना है। यह मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने, उसकी विभिन्न परिस्थितियों में पाई जानेवाली मनोवृत्ति, भावनाओं आदि की खोज करता है। (2) सामाजिक अनुसंधान के अन्तर्गत केवल नवीन तथ्यों की खोज ही नहीं की जाती बल्कि पुराने अर्थात् पूर्व स्थापित सिद्धान्तों एवं तथ्यों का सत्यापन किया जाता है। विज्ञान का उद्देश्य ही नवीन तथ्यों की खोज तथा उन्हें संचालित करने वाले नवीन नियमों की खोज करना है। गतिशील विज्ञानों में नियमों के प्रतिपादन के पश्चात् भी उनके बारे में खोज जारी रहती है क्योंकि घटनाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। (3) सामाजिक अनुसंधान मानवीय क्रियाकलापों या सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करता है और फिर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर उनमें कार्य-कारण सम्बन्धों की स्थापना करने का प्रयास करता है- (4) सामाजिक अनुसंधान से मानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करके उसे नियन्त्रित किया जाता है। संक्षेप में सामाजिक शोध का अभिप्राय यह है कि सामाजिक शोध

अनुसंधान की वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अन्तर्गत मनुष्य समाज के अन्तर्गत घटित होने वाले अनेक सामाजिक एवं मानवीय व्यवहारों के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित ज्ञानार्जन किया जाता है।

4.4 सामाजिक शोध के उद्देश्य

सामाजिक शोध के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं- (1) शुद्ध सैद्धान्तिक अथवा ज्ञान सम्बन्धी उद्देश्य तथा (2) व्यावहारिक अथवा उपयोगितावादी उद्देश्य।

4.4.1 शुद्ध सैद्धान्तिक उद्देश्य -

सैद्धान्तिक अथवा नये ज्ञान प्राप्ति की ललक किसी भी अनुसंधान का शुद्ध सैद्धान्तिक उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि करना होता है। इसीलिए ज्ञान की वृद्धि के लिए समय-समय पर ऐसे अनुसंधान होते रहते हैं जिनसे कोई भौतिक लाभ नहीं होता है। मानव में ज्ञान प्राप्त करने की ललक इतनी प्रबल होती है कि वह बिना किसी लाभ के भी शोध करता है। नये-नये ज्ञान की प्राप्ति से प्रेरित शोध निरन्तर होते रहते हैं और मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति करने के लिए उसे निरन्तर प्रेरित भी करती रहती है। इतना ही नहीं विद्वान शोधकर्ता पूर्व ज्ञान का जो अपने ढंग से परीक्षण एवं निरीक्षण करता है और उसमें आवश्यकतानुसार ज्ञान के नये आयामों को जोड़ता भी है। इस दृष्टि से यदि हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य पर विचार करें, तो पायेंगे कि इसका सैद्धान्तिक उद्देश्य मानव सामाजिक संगठन, उसके विभिन्न क्रियाकलाप, उनको संचालित करने वाले नियमों तथा विभिन्न तथ्यों में कार्य-कारण सम्बन्धों के आधारों की खोज करना है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य केवल नवीन तथ्यों का संकलन करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है वरन् पुराने तथ्यों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना है। सामाजिक नियमों की प्रकृति स्थिर नहीं होती है। इसका कारण यह है कि समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। इनमें परिवर्तन हो जाने की स्थिति में सामाजिक तथ्यों में भी परिवर्तन हो जाता है।

सामाजिक शोध का एक अन्य सैद्धान्तिक उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं या तथ्यों के अन्तर्गत व्याप्त पारस्परिक सम्बन्धों की खोज भी करना है। सामाजिक संरचना के अन्तर्गत प्रत्येक घटना या तथ्य का कोई न कोई प्रकार्य होता है- इनमें से प्रत्येक घटना या सम्बन्ध में पारस्परिक सम्बन्ध होता है। सामाजिक शोध का उद्देश्य इन्हीं पारस्परिक सम्बन्धों की खोज करना है।

अब प्रायः सभी प्रबुद्ध अध्येता इस बात से सहमत हैं कि सामाजिक घटनाएँ आकस्मिक या स्वतः उत्पन्न नहीं होती बल्कि कुछ स्वाभाविक नियमों से प्रेरित होती है। सामाजिक शोध का उद्देश्य इन्हीं स्वाभाविक नियमों की खोज करना है जो सामाजिक घटनाओं को निर्देशित, नियमित और नियंत्रित करती है। सामाजिक शोध का एक अन्य महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक उद्देश्य तथ्यों का अनुभव जन्य ज्ञान प्राप्त करके वैज्ञानिक अवधारणाओं का प्रतिपादन भी करना है।

4.4.2 व्यावहारिक उद्देश्य -

सामाजिक शोध का दूसरा प्रमुख उद्देश्य व्यावहारिक अथवा उपयोगितावादी है। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम मानव के सामाजिक जीवन तथा घटनाओं के बारे में जो ज्ञान प्राप्त

करते हैं उसका उपयोग व्यावहारिक जीवन में भी किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम सामाजिक समस्याओं का हल निकालते हैं और सामाजिक जीवन को उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनाने के लिए सामाजिक शोध की सहायता लेते हैं।

आधुनिक समाज एक गतिशील समाज है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इसकी गतिशीलता को और भी बढ़ा दिया है। अतः समाज जहाँ एक ओर निरन्तर प्रगति के पथ पर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका सामाजिक जीवन तथा उससे सम्बन्धित सामाजिक घटनाएं क्रमशः होती जा रही है। मानव समाज को अपनी निरन्तरता, संगठन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए इन समस्याओं का हल निकालना आवश्यक होता है और इन समस्याओं के हल निकालने के लिए इनका वैज्ञानिक अध्ययन करना आवश्यक होता है। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम इस समस्याओं के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और समाज की जटिल से जटिल समस्या को सुलझा लेते हैं।

सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य व्यावहारिक उद्देश्य सामाजिक तनावों को कम करके समाज में संगठन की स्थिति बनाये रखना है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अनुसंधान सामाजिक योजनाओं के निर्माण में भी अत्यधिक सहायता करता है। सामाजिक योजनाओं से जनमानस को लाभ होता है और समाज प्रगति करता है। परन्तु सामाजिक योजना की सफलता के लिए दो बातें आवश्यक है- (1) योजना को कितने प्रभावपूर्ण और व्यावहारिक रूप में बनाया गया है तथा (2) उसे क्रियान्वित करने में जनसमुदाय का सहयोग मिलेगा अथवा नहीं। इन दोनों बातों को जानने के लिए हमें जिस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, वह हमें सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वह सामाजिक नियन्त्रण में भी अत्यधिक सहायक होता है। किसी घटना विशेष को हम उसी सीमा तक नियन्त्रित कर सकते हैं, जिस सीमा तक हमारा उस घटना विशेष के सम्बन्ध में ज्ञान है। उदाहरणार्थ, यदि हमें छात्र-आन्दोलनों को कम करना है अथवा उनमें बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को कम करना है तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाये क्योंकि तभी हम किसी हल निकलने की बात सोच सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान हमारे लिये यह ज्ञान संभव बनाता है और हम इन घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं।

सारांशतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य केवल ज्ञान की वृद्धि, उसका विस्तार एवं पुनः परीक्षा होता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी व्यावहारिक कार्य के लिए अथवा किन्हीं समस्याओं का हल निकालने के लिए तत्पर नहीं होता। दूसरे शब्दों में सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन का अध्ययन, विश्लेषण तथा प्रत्यक्षीकरण करने की एक पद्धति है जिससे कि ज्ञान का विस्तार, शुद्धीकरण, या पुनः परीक्षा हो सके; चाहे वह ज्ञान एक सिद्धान्त के निर्माण में या एक कला को व्यवहार के काम में लाने में सहायक हो। कहने का आशय यह है कि

सामाजिक अनुसंधान का सम्बन्ध व्यावहारिक ज्ञान, अथवा व्यावहारिक समस्याओं से न होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति, उसका विस्तार तथा पुनः परीक्षा से होता है।

4.5 मीडिया शोध और सामाजिक शोध में समानता

मीडिया और समाज एक-दूसरे के पर्याय हैं तथा ये दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ही आवश्यक भी हैं। मीडिया समाज का ही एक अभिन्न अंग है। समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं को ही मीडिया द्वारा लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समाज और मीडिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। समाज के बिना मीडिया की कल्पना नहीं हो सकती तथा मीडिया के बिना समाज का कोई औचित्य नहीं है।

समाज का जैसा रूप हम देखते हैं ठीक वैसा ही रूप मीडिया द्वारा लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समाज में होने वाली गतिविधियों को प्रकारान्तर से मीडिया प्रकाशमान करता है। इसलिए मीडिया को समाज का दीपक और दर्पण दोनों कहा जाता है क्योंकि मीडिया ही स्थिति का यथातथ्य निरुपण भी करता है और यथासंभव उसका मार्ग दर्शन भी करता हैं। मीडिया समाज को नई दिशा प्रदान करता है। समाज को मीडिया से और मीडिया को समाज से अलग कर आँकना उचित नहीं होगा। क्योंकि मीडिया का विकास सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, शैक्षिक परिवर्तन पर निर्भर करता है।

मीडिया शोध और सामाजिक शोध दोनों ही शोध विधियाँ एवं प्रणालियाँ लगभग एक जैसी हैं। दोनों का उद्देश्य वस्तुनिष्ठता, तथ्यपरकता एवं संतुलन हासिल करना होता है। मीडिया शोध में भी आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण सामाजिक शोध की तरह वैज्ञानिक एवं शृंखलाबद्ध तरीके से किया जाता है। दोनों के परिणाम एवं निष्कर्ष भी लगभग समान होते हैं। मीडिया शोध का संबंध किसी भी घटना या तथ्य से हो सकता है। उसका उद्देश्य किसी स्पष्ट तथा निर्धारित समस्या से संबंधित नवीन तथ्यों एवं कारणों की खोज करना होता है, जबकि सामाजिक शोध में भी किसी सामाजिक समस्या से संबंधित नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। सामाजिक शोध एवं मीडिया शोध द्वारा न केवल नए तथ्यों की खोज की जाती है वरन् पुराने अथवा स्थापित सिद्धान्तों की पुनःपरीक्षा एवं सत्यापन किया जाता है और उसके आधार पर नवीन सिद्धान्तों की खोज भी की जाती है।

4.6 मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध में अन्तर

मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध में अनेक समानताओं के बावजूद इनमें कुछ अंतर भी हैं, जो निम्नवत हैं-

1) मीडिया शोध का तात्पर्य समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार समितियाँ, विज्ञापन, जनसंपर्क, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, निजी चैनल,संचार की पारंपरिक पद्धतियाँ व प्रणालियाँ,

विकास संचार, सामाजिक विपणन आदि से संबंधित तथ्यों तथा घटनाओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने या उनकी जाँच परीक्षण के लिए वैज्ञानिक पद्धतियाँ या प्रणालियों से की गई व्यवस्थित खोज से है। जबकि सामाजिक शोध का तात्पर्य सामाजिक तथ्यों या घटनाओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज है।

2) मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध के उद्देश्यों में पर्याप्त भिन्नता होती है। सामाजिक शोध का उद्देश्य मनुष्य के सामाजिक व्यावहारिक पहलुओं को उजागर करना है, वहीं दूसरी ओर मीडिया शोध में आम जनता को महत्वूपर्ण घटनाओं से परिचय कराना तथा लोगों पर पड़े उसके प्रभावों का भी आँकलन करना भी रहता है।

3) मीडिया शोध लोगों से संप्रेषण करता है, वहीं सामाजिक शोध ज्ञान के विकास पर केन्द्रित होता है।

4) सामाजिक शोध, समाज, नागरिक एवं व्यक्ति केन्द्रित होता है, वहीं मीडिया शोध जनसमूह केन्द्रित होता है।

5) मीडिया शोध नई-नई तकनीक का पर्याय बन चुका है जबकि सामाजिक शोध नई-नई तकनीकों का प्रयोग कर रहा है।

6) मीडिया शोध, सामाजिक शोध का अभिन्न अंग है क्योंकि सामाजिक शोध से ही मीडिया शोध की उत्पत्ति हुई है, जबकि मीडिया शोध द्वारा सामाजिक शोध को नया स्वरूप और आयाम प्राप्त हुआ है।

7) मीडिया शोध बुद्धिजीवी वर्ग को महत्त्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराता है जबकि सामाजिक शोध का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को अवगत कराना है।

8) सामाजिक शोध का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। वह सिर्फ प्रशिक्षण संस्थानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि समान के विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, उद्योगों तक अपना पैर फैला चुका है जबकि मीडिया शोध का दायरा अभी तक प्रशिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित है।

9) मीडिया शोध में नई तकनीकों के प्रयोग के कारण इसका कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत होता जा रहा है। जबकि सामाजिक शोध के साथ ऐसा ही नहीं है।

10) सामाजिक शोध पत्रिकाओं में शोध आलेखों की अधिकता होती है वहीं मीडिया शोध पत्रिकाओं में शोध आलेखों की अल्पता होती है। मीडिया शोध में विचार आलेखों की काफी कमी होती है।

11) मीडिया शोध व्यावहारिक एवं क्रियात्मक होते हैं जबकि सामाजिक शोध प्रायःमौलिक होते हैं।

12) मीडियां शोध जनसंचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए की गई खोज है जबकि सामाजिक शोध समाज के हर क्षेत्र में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए की गई खोज है।

13) मीडिया शोध अभी विकासमान अवस्था में है जबकि सामाजिक शोध की स्थिति काफी विकसित है।

14) मीडिया शोध में सामाजिक शोध की अपेक्षा अधिक दक्षता की आवश्यकता होती है।

15) मीडिया शोध में नित्य नये-नये प्रयोग हो रहे हैं जबकि सामाजिक शोध का ढाँचा प्रायः निश्चित सा हो चुका है।

4.7 सारांश

मीडिया शोध द्वारा हम समाज की वर्तमान गतिविधियों एवं भविष्य की दिशा का अध्ययन कर सकते हैं। मीडिया किस सीमा तक और किस रूप में समाज को प्रभावित कर रहा है, यह मीडिया शोध का मूल लक्ष्य है। मीडिया में कौन संचार माध्यम कितना प्रभावशाली है, इसका भी आँकलन हम मीडिया शोध द्वारा कर सकते हैं। सामाजिक शोध की दिशा में काफी काम हो चुका है लेकिन मीडिया शोध में अपेक्षाकृत कम काम हुआ है। मीडिया-शोध में अभी भी काम करने की अनेक संभावनायें हैं।

4.8 शब्दावली

मीडिया - जनसंचार के प्रमुख माध्यम समाचार- पत्र/पत्रिका, रेडियो, टी0वी0 आदि।

मीडिया शोध - जनसंचार माध्यमों में अनुसंधान

प्राइम टाइम - सर्वाधिक दर्शकों / श्रोताओं द्वारा देखा/सुना गया समय

गेटकीपर - विचारों के प्रसारण / प्रकाशन को प्रभावित करने वाले कारक

4.9 संदर्भ ग्रंथ -

मीडिया शोध - मनोज दयाल

सामाजिक अनुसधान की कार्यविधि - डॉ हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव

सामाजिक अनुसधान तथा सर्वेक्षण -.डॉ0 एस0 आर0 बाजपेयी

4.10 प्रश्नावली

4.10.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1- मीडिया शोध के अभिप्राय को स्पष्ट करें।

2- सामाजिक शोध के अर्थ एवं उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालें।

3- सामाजिक शोध एवं मीडिया शोध के पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन कीजिए।

4.10.2 लघु उत्तरीय प्रश्न -

1- सामाजिक शोध एवं मीडिया शोध के अन्तर को स्पष्ट करें।

2- मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध के समान बिन्दुओं पर प्रकाश डालें।

3- सामाजिक शोध के व्यावहारिक उद्देश्यों को स्पष्ट करें।

4.10.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1- मीडिया शोध एवं सामाजिक शोध के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे हैं ?

(क) विरोधी (ख) अन्यान्योश्रित

(ग) खतरनाक (घ) असंगत

2- सामाजिक शोध का विषय है -

(क) समाज की घटनाओं का निर्माण

(ख) समाज में रोजगार पैदा करना

(ग) सामाजिक घटनाओं का अध्ययन

(घ) राजनैतिक शक्तियों की सहायता

4.10.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

1- ख 2-ग

इकाई -5 मीडिया शोध : आवश्यकता एवं महत्ता

इकाई की रूपरेखा -

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 मीडिया शोध की उपयोगिता

- 5.2.1 स्वास्थ समाज की रचना में उपयोगिता
- 5.2.2 समाज के बेहतर भविष्य के लिए उपयोग
- 5.2.3 पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए उपयोग
- 5.2.4 जनसंचार माध्यमों के लिए उपयोग
- 5.2.5 विपणन क्षेत्र में उपयोग
- 5.2.6 मीडिया के प्रसार क्षेत्र में बृद्धि के लिए उपयोग
- 5.2.7 मीडिया में गुणात्मक सुधार के लिए उपयोग

5.3 राष्ट्रीय संदर्भ में मीडिया शोध की आवश्यकता

5.4 मीडिया शोध का महत्त्व

- 5.4.1 अज्ञानता निवारण में
- 5.4.2 लोक कल्याण में
- 5.4.3 सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने में
- 5.4.4 अंधविश्वास-निवारण में
- 5.4.5 संकीर्ण सोच के निवारण में
- 5.4.6 सामाजिक व्यवस्था को बनाने में
- 5.4.7 सामाजिक प्रगति में
- 5.4.8 सामाजिक समस्याओं के समाधान में
- 5.4.9 अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक

5.5 मीडिया के श्रेष्ठ शोधकर्ता में अपेक्षित योग्यतायें

- 5.5.1 व्यक्तित्व सम्बन्धी योग्यतायें
  - 5.5.1.2 प्रभावशाली व्यक्तित्व
  - 5.5.1.2 दृढ़ता
  - 5.5.1.3 धैर्य एवं सहनशीलता
- 5.5.2 बौद्धिक योग्यतायें
  - 5.5.2.1 उर्वर कल्पना शक्ति
  - 5.5.2.2 निर्णयात्मक क्षमता

5.5.2.3 सांख्यिकीय विश्लेषण में दक्षता
5.5.2:4 विचारों में स्पष्टता
5.5.2.5 तार्किक क्षमता
5.5.2.6 नीर-क्षीर विवेक
5.5.2.7 बौद्धिक ईमानदारी
5.5.3 व्यावहारिक योग्यतायें
5.5.3.1 शिष्ट व्यवहार
5.5.3.2 लचीला व्यवहार
5.5.3.3 सहज संवाद योग्यता
5.5.3.4 आत्म संयम
5.5.4 अनुसंधेय विषय सम्बन्धी योग्यतायें
5.5.4.1 विषय में स्वाभाविक रूचि
5.5.4.2 विषय का गहरा ज्ञान
5.5.4.3 लक्ष्योन्मुखी दृष्टि
5.5.5 अनुसंधान प्रक्रिया सम्बन्धी योग्यतायें
5.5.5.1 अनुसंधान पद्धतियों का पर्याप्त ज्ञान
5.5.5.2 उपयुक्त व्यक्ति, समय, स्थान् का बोध
5.5.5.3 उचित प्रशिक्षण क्षमता
5.5.5.4 संगठनात्मक योग्यता
5.5.6 वैज्ञानिक दृष्टि सम्बन्धी योग्यतायें
5.5.6.1 जिज्ञासुवृत्ति
5.5.6.2 वस्तुनिष्ठता
5.6 सारांश
5.7 शब्दावली
5.8 संदर्भ ग्रन्थ
5.9 प्रश्नावली
5.9.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
5.9.2 लघु उत्तरीय प्रश्न
5.9.3 बहुविकल्पीय प्रश्न
5.9.4 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप जान लेंगे कि-

- मीडिया शोध की आवश्यकता क्यों है ?
- राष्ट्रीय संदर्भ में मीडिया शोध की उपयोगिता क्या है?
- राष्ट्रीय विकास एवं स्वस्थ समाज के निर्माण की दृष्टि से मीडिया शोध का महत्व क्या है।
- श्रेष्ठ शोध कर्ता की अपेक्षित योग्यताओं को भी जान सकेंगे।

5.1 प्रस्तावना

आज के वैश्विक परिवेश में मीडिया एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। सशक्त मीडिया के द्वारा विकसित राष्ट्र अपना वर्चस्व दूसरे (अविकसित एवं विकाशील) राष्ट्रों पर स्थापित करते जा रहे हैं। सम्पन्न राष्ट्रों की संस्कृति, सभ्यता एवं रहन-सहन का तेजी से प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर पड़ रहा है। ये राष्ट्र मीडिया के क्षेत्र में अनेक उच्च स्तरीय शोध कार्य करवा रहे हैं और उनसे प्राप्त वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर अपने देश की भावी योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं।

यह स्पष्ट है कि आज के वैश्विक परिवेश में किसी राष्ट्र के विकास एवं सम्पन्नता में मीडिया अनेक प्रकार से योगदान कर रही है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए मीडिया-शोध की अत्यधिक आवश्यकता है। इस अध्ययन द्वारा हमें बेहतर समाज के निर्माण में एवं देश के विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण सूत्र मिल सकते हैं। मीडिया शोध की उपयोगिता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। इसके द्वारा ज्ञान-विज्ञान के अनेक नये क्षितिजों का विकास एवं उनका प्रचार-प्रसार हो रहा है। यही कारण है कि मीडिया शोध का महत्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी महत्ता से प्रेरित अनेक प्रतिभाशाली नवयुवक एवं नवयुतियाँ इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो रही हैं। मीडिया एवं उसके अनुसंधान क्षेत्र का महत्व प्रायः सभी समझदार लोग महसूस कर रहे हैं। खतरा इस बात है कि तात्कालिक लाभ या ग्लैमर मोह के चलते यदि अयोग्य एवं अक्षम लोग इस क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे तो मीडिया - शोध की गुणवत्ता प्रभावित होगी और तब वह न तो राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति कर पायेंगी और न वह समाज के विकास के लिए उपयोगी होगा। मीडिया शोध की प्रतिष्ठा की स्थापना में प्रतिभाशाली एवं योग्य शोधार्थियों की आवश्यकता है। इसलिए इस इकाई में मीडिया के श्रेष्ठ शोधकर्ता में अपेक्षित योग्यताओं का परिचय दिया गया है ताकि इन योग्यताओं से सम्पन्न प्रतिभाशील छात्र/छात्रा इस क्षेत्र में अग्रसर हों और मीडिया-शोध ऊंचाई प्रदान करें।

5.2 मीडिया शोध की उपयोगिता

मीडिया शोध की उपयोगिता को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है- (1) शुद्ध ज्ञान की खोज अथवा सत्य के नये क्षितिज का विस्तार (2) किसी सामाजिक घटना का ज्ञान एवं

उसकी समस्याओं का निदान। पहला उपयोग मनुष्य की ज्ञान पिपासा को शान्त करता है तो दूसरा उपयोग सामाजिक समस्याओं के समाधान द्वारा उसमें आत्मसंतुष्टि का संचार करता है। इस तरह से मीडिया शोध की उपयोगिता बहु आयामी है। यह शोधकर्ता पर निर्भर करता है कि वह उपयोगिता के किस आयाम को चुनता है।

मीडिया अनुसन्धान का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे हुए नियम का पता लगाना है। इन नियमों का तात्कालिक उपयोग हो भी सकता है और नहीं भी उदाहरण के लिए, यदि किसी मीडिया शोध द्वारा आत्महत्या के कारणों पर प्रकाश पड़ सके तो उसका उपयोग आत्महत्याओं के रोकने के लिए किया जा सकता है। परन्तु यदि किसी अनुसन्धान द्वारा यह सिद्ध हो कि विभिन्न संस्कृतियों का मूल स्रोत एक ही है, तो शायद समाज को ज्ञान वृद्धि के अलावा उससे कोई तात्कालिक लाभ प्राप्त न हो। अतएव ऐसी दशा में समाज को ज्ञान वृद्धि के लाभ से ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा।

5.2.1 स्वस्थ समाज की रचना में उपयोग

संचार अनुसन्धान का उद्देश्य समाज कल्याण की वृद्धि करना है। समाज कल्याण के लिए आवश्यक है कि सामाजिक संगठन इस प्रकार का हो कि जिससे विघटनकारी तत्वों को पनपने का अवसर न मिले तथा ऐसे मूल्यों और संस्थाओं को प्रोत्साहन मिले जो कि व्यक्ति तथा समाज के विकास में सहायक हों। अनुसन्धानों द्वारा अब हम इस निर्णय पर पहुँच चुके हैं कि समाज की संरचना ही अनेक अवांछित तत्वों की जननी है। चोरी, डकैती ठगी, घूसखोरी, वेश्यावृत्ति तथा अनेक अपराध दोषपूर्ण सामाजिक संगठन के कारण होते हैं। केवल कड़ी सजायें देकर हम इन अपराधों को दूर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें उस भूमि को साफ करना पड़ेगा जहाँ इन बुराइयों के कीटाणु जन्म लेते, बढ़ते तथा पोषण पाते हैं। मीडिया अनुसन्धान द्वारा हम इन बुराइयों की तह तक पहुँच सकते हैं और उन्हें निर्मल करने में सहायक हो सकते हैं। मीडिया अनुसन्धान, इस प्रकार से बुराईयों को मिटा कर एक स्वस्थ तथा प्रगतिशील समाज की रचना में सहायक सिद्ध हो सकती है।

5.2.2 समाज के बेहतर भविष्य के लिए उपयोग

सामाजिक अनुसन्धान का एक दूसरा उपयोग सामाजिक अनुशासन होता है। प्रत्येक समाज प्रगतिशील होता है। उसमें परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति तथा समाज एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अतएव यदि हमें मानव सामाजिक व्यवहार का ठीक-ठीक ज्ञान हो तो समाज की प्रगति को अनेक प्रकार की दोषपूर्ण प्रवृत्तियों को अनुशासित कर सकते हैं। इस कार्य में मीडिया एवं उसमें किये गये शोध से काफी सहायता मिल सकती है।

5.2.3 पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए उपयोग

ज्ञान स्वतः समाज के विकास में सहायक होता है। उन्नतिशील तथा पिछड़े समाज में केवल आर्थिक अन्तर ही नहीं होता, बल्कि उनमें बड़ा सामाजिक अन्तर भी पाया जाता है।

पिछड़े समाजों में अनेक प्रकार के विश्वास प्रचलित रहते हैं। उनकी संस्कृति भी बहुत कुछ अपरिष्कृत होती है। वे श्रेष्ठ तथा महत्तर मूल्यों से परिचित रहते हैं। इन्हें दूर करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अता कर सकता है।

5.2.4 जन संचार माध्यमों के लिए उपयोग

इसके अनेक व्यावहारिक लाभ भी हैं उदाहरण के सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन करके हम रेडियो, पत्र, प्रेस, इत्यादि प्रचार साधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। व्यापारी तथा व्यवसायी ग्राहकों का ध्यान आर्कर्षित करने के लिए इन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं। इन समस्त दशाओं में मानवीय व्यवहार की प्रवृत्तियों का सही-सही ज्ञान हो तो इन साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है।

मीडिया शोध द्वारा हम ज्ञान के विविध क्षेत्रों का भी अध्ययन कर सकते हैं। समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीय अध्ययन जैसे अनेक भेद हैं जिनके अध्ययन में मीडिया-शोध काफी उपयोगी हो सकता है। मीडिया शोध द्वारा ज्ञान के इन क्षेत्रों को नये-नये तथ्यों से भी समृद्ध किया जा सकता है। अतः मानव ज्ञान के अन्य अनुमानों के समृद्धि में भी मीडिया शोध का उपयोग हो सकता है।

5.2.5 विपणन क्षेत्र में उपयोग

विपणन के क्षेत्र में भी, मीडिया-शोध की काफी उपयोगिता है। आज के भू-मण्डलीकरण के दौर में बाजारवाद का वर्चस्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। विज्ञापन एवं विपणन के बीच घनिष्ठ रिश्ता है। विज्ञापनों द्वारा विपणन की गति एवं दिशा निर्धारित होती है। मीडिया के क्षेत्र में भी विज्ञापनों की महती भूमिका है। विज्ञापन को मीडिया की आधार भूमि कहना उपयुक्त होगा। विज्ञापनों के दबाव से मीडिया के कार्यक्रमों की रचना एवं उनका प्रसारण न केवल निर्धारित होता है अपितु काफी सीमा तक नियंत्रित भी होता रहा है। इस क्षेत्र में मीडिया-शोध के निष्कर्ष का ही प्रयास है कि अब विज्ञापन किसी कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से पहले ही नहीं दिखाया जाता है बल्कि कार्यक्रम के ज्वलन्त क्षणों में उन्हें बीच-बीच में अचानक दिखाया जाता है ताकि दर्शक बरबस उन विज्ञापनों को देखें और उसके प्रति आकर्षित हों। कार्यक्रमों के आरम्भ में दिखाये जाने वाले लम्बे-लम्बे विज्ञापनों का प्रचलन दिनों-दिन कम होता जा रहा है क्योंकि चतुर दर्शक विज्ञापन-प्रसारण की समाप्ति पर ही मुख्य कार्यक्रम देखने बैठते हैं। किस विज्ञापन का दर्शक पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है। किसी विज्ञापन के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू क्या-क्या हैं। कैसा विज्ञापन विपणन वृद्धि में सहायक है? कौन सा विज्ञापन विपणन में बाधक कारक सिद्ध हो रहा है। इस तरह के अनेक प्रश्नों का समाधान मीडिया शोध द्वारा संभव है। अतः एवं व्यापार के क्षेत्र में भी मीडिया शोध की अत्यधिक उपयोगिता है।

5.2.6 मीडिया के प्रसार क्षेत्र में वृद्धि के लिए उपयोग

मीडिया शोध का उपयोग जन संचार के प्रमुख माध्यमों (मुद्रित अथवा श्रव्य/दृश्य) की प्रसार संख्या में वृद्धि करने अथवा नये-नये क्षेत्रों में स्थापित करने में भी हो सकता है। मीडिया शोध द्वारा उस क्षेत्र विशेष के लोगों की रूचियों, स्वभावों, अपेक्षाओं, संस्कारों, आवश्यकताओं, सुविधाओं, असुविधाओं एवं सामाजिक व्यवहारों का गहन अध्ययन कर एक ऐसी रूप-रेखा प्रस्तुत कर सकता है जो उस अंचल विशेष के श्रोता एवं दर्शकों के अनुकूल हो। इस क्षेत्र में किये गये मीडिया-शोध के निष्कर्षों को ध्यान में रखकर कोई इलेक्ट्रानिक मीडिया कोई कार्यक्रम बनाये या कोई समाचार पत्र/पत्रिका अपना प्रकाशन करे तो निःसन्देह उन्हें अपने प्रसारण अथवा प्रकाशन क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। कुछ समाचार पत्र या इलेक्ट्रानिक माध्यम अपने प्रयत्न की वृद्धि एवं प्रसार संख्या के विस्तार में मीडिया-शोध का सहारा लेने लगे हैं! इस दृष्टि से आज मोबाइल संदेश (एस एम एस) की उपयोगिता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। मीडिया शोध में दिनों-दिन मोबाइल एवं कम्प्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है।

5.2.7 मीडिया में गुणात्मक सुधार के लिए उपयोग

वर्तमान समाज ज्ञान-विज्ञान के नित नये आविष्कारों से प्रभावित हो रहा है और मीडिया भी इन प्रभावों से अछूता नहीं है। मीडिया के क्षेत्र में नित नयी-नयी तकनीकें जुड़ रही हैं। लाइट, रंग एवं दृश्य योजना में ऐसे - ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। इन नित बदलती परिस्थितियों में मीडिया की भूमिका भी बदलती जा रही है। अपराध, हिंसा, बलात्कार, एवं युद्ध जैसी त्रासदियाँ मीडिया के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। ये उन्हें सनसनीखेज बनाकर मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। खतरनाक अपराधी महिमामण्डित हो रहे हैं। व्यापक प्रचार-प्रसार से अपराधियों एवं आतंकवादियों के हौसले बुलन्द हो रहे हैं। उनके कुत्सित कारनामों को मीडिया द्वारा ज्यादा कवर किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मीडिया समाज के हित की जगह अहित ज्यादा कर रहा है। इस दृष्टि से कुछ निजी चैनल एवं उनके द्वारा प्रदर्शित कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन संदर्भों में प्रतिभाशील मीडिया शोधकर्ता समाज हित एवं देश की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकता है। वह अपनी विवेक बुद्धि द्वारा मीडिया को अनर्थकारी तत्वों से छुटकारा दिला कर स्वस्थ वातावरण निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेहतर समाज के निर्माण एवं मीडिया का समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों की निर्मिति की दृष्टि से मीडिया-शोध अत्यन्त उपयोगी है।

5.3 राष्ट्रीय संदर्भ में मीडिया शोध की आवश्यकता -

भारत जैसे विकासशील देश में मीडिया-शोध की महती आवश्यकता है। जन-जन तक समाज हित के संदर्भ को पहुंचाने में मीडिया की सशक्त भूमिका है। इस संदेश का समाज पर

क्या प्रभाव पड़ता है? परिवर्तनशील समाज से मीडिया भी किस सीमा तक प्रभावित हो रहा है? इस तरह के मीडिया-शोध की आज बहुत जरूरत है। समाज विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान की तुलना में मीडिया-शोध का स्तर बहुत कम है।

आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देशों में अनुसन्धान भी पिछड़ी अवस्था में रहता है जबकि इन देशों में इसकी आवश्यकता विकसित देशों की अपेक्षा अधिक रहती है। उदाहरण के लिए भारतवर्ष के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जातीय बन्धनों, रूढ़िवादिता, निरक्षरता, संयुक्तपरिवार तथा उससे प्राप्त होने वाली सुरक्षा के कारण लोग बाहर जाने में हिचकते रहे हैं। हमारे सामाजिक मूल कुछ ऐसे रहे हैं जिनमें आलस्य और अकर्मण्यता को प्रोत्साहन मिलता है। विदेश जाने वाले बहुत समय तक धर्म-बहिष्कृत कर दिए जाते थे। भाग्यवाद हमारे धर्म का आधार बन गया। जिस समाज की संरचना इस प्रकार की हो वह यदि प्रचुर प्राकृतिक साधनों के बावजूद पिछड़ा बना रहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मीडिया अनुसन्धानों द्वारा हम यह जान सकते हैं कि इन विभिन्न संस्थाओं तथा मूल्यों का क्या अनुचित प्रभाव पड़ रहा है और इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन कानून बना कर नहीं वरन् धीरे-धीरे सावधानी के साथ जन चेतना को जागृत कर दूर किये जा सकते हैं।

भारतवर्ष की आर्थिक योजनाओं की असफलता का प्रमुख कारण यही है। वास्तव में हमारी समस्त योजनायें सरकार की योजनायें हैं, जनता की योजनाएँ नहीं। सरकार अपने साधनों से हजारों सहकारी समितियों का निर्माण एक दिन में कर सकती है परन्तु उनको स्थायी और सुचारू रूप से चलाना तब तक सम्भव नहीं जब तक जनता का उसमें सक्रिय सहयोग न हो। सहकारिता एक आर्थिक संगठन ही नहीं हमारे जीवन का अंग है। जब तक वह हमारे सामाजिक ढाँचे का अंग नहीं बन जाती सहकारिता आंदोलन की सफलता संदेहप्रद ही रहेगी। यही हाल सामुदायिक विकास योजनाओं का है। इन योजनाओं के पीछे जो दर्शन है वह हमारे ग्रामीण समाज से पूरे तौर पर मेल नहीं खाता। इसीलिए सरकार सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रही है पर गाँव वाले तटस्थ हैं। पंचायती राज के साथ यही कठिनाई है। पंचायत राज का प्रमुख उद्देश्य गाँवों की जनता में प्रजातन्त्र की भावना उत्पन्न करना है। जिससे कि उपयुक्त नेतृत्व का विकास हो सके। परन्तु उपयुक्त नेतृत्व केवल सौंप देने से ही तो नहीं आ जाता उसके लिए अन्य सामाजिक दशाओं के उत्पन्न करने की भी नितान्त आवश्यकता होती है। उसके अभाव में पंचायतें अवांछित तत्वों को ही प्रोत्साहन देंगी। अतएव पहली आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का गहन अध्ययन करके नए सामाजिक संगठन को इस योग्य बनाया जाय कि वह नए आदर्शों को उचित रूप से ग्रहण कर सके। इन सभी तथ्यों प्रति जागरूकता पैदा करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया - शोध द्वारा इसे जान सकते हैं, भारत के ग्रामीण जन किस सीमा तक सरकारी योजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं?

मीडिया की विषय-वस्तु एवं तकनीक नित्य परिवर्तनशील है। इलेक्ट्रानिक मीडिया तो पलक झपकते विश्व के किसी दर्शक प्रगति एवं वहाँ की घटनाओं का सीधा प्रसारण हमारे देश की जनता तक कर देती है। इसलिये मीडिया अनुसन्धान की आवश्यकता सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए भी है। हमारा समाज एक परिवर्तन काल से गुजर रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् जिन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ उसके कारण सामाजिक संरचना में मौलिक परिवर्तन हो रहे हैं। पुरानी संस्थाएँ क्षीण हो रही हैं, नई संस्थाएँ जन्म ले रही हैं तथा सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। जिन वर्गों के हाथ में सामाजिक नेतृत्व था, वे समाप्त हो रहे हैं और नए वर्ग उनका स्थान ग्रहण करते जा रहे हैं। ये सब परिवर्तन प्रगति के द्योतक हों, ऐसा भी नहीं है। नई व्यवस्था में विकृतियाँ और जटिलतायें भी बढ़ रही हैं मीडिया शोधकर्ताओं का बहुत बड़ा दायित्व है कि वे इन होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करें और बतावें कि हमारे कदम गलत दिशा की ओर तो नहीं पड़ रहे हैं।

पाश्चात्य देशों में सामाजिक समस्याओं पर समुचित अनुसन्धान हुआ है। परन्तु उनके निष्कर्षों को हम भारतीय परिस्थितियों में ज्यो का त्यों लागू नहीं कर सकते। सामाजिक तत्वों के साथ यही सबसे बड़ी कठिनाई है। मीडिया एवं उससे जुड़े हुए समाज के नियम सार्वभौमिक नहीं होते। देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार उनके प्रभाव में अन्तर पड़ सकता है। अतएव भारतीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन हमें अपने सामाजिक संगठन की पृष्ठभूमि में ही करना होगा। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी कार्य हुआ है वह बहुत अल्प है। इसके अलावा अधिकतर कार्य विदेशियों द्वारा हुआ है जिन्हें हमारी संस्कृति तथा परम्पराओं का समुचित ज्ञान नहीं था और उनके निष्कर्ष पूर्ण रूप से सही नहीं कहे जा सकते क्योंकि वे सारी समस्याओं का मूल पाश्चात्य संस्कृति में ढूँढने का प्रयास करते हैं।

भारत में मीडिया अनुसन्धान की आवश्यकता एक अन्य कारण से भी है। सरकार ने सैद्धान्तिक रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आर्थिक परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन भी आवश्यक भी है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की योजनाएँ भी अब सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। इन योजनाओं की सफलता के लिए भी हमारे समाज की संरचना का पूरा ज्ञान आवश्यक है। जब तक देश में सामाजिक आंकड़ों का अभाव रहेगा, सामाजिक उन्नति के लिए बनाई हुई योजनाएं भी सफल न होंगी। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि अधिकतर योजनाएँ इस अधूरे ज्ञान के आधार पर बन रही है। सामाजिक नियन्त्रण तथा निर्देशन के लिए आवश्यक है कि हमें सामाजिक व्यवस्था का पूरा ज्ञान हो। यह कार्य मीडिया अथवा मीडिया शोध द्वारा आसानी से हो सकता है।

पिछले कुछ वर्षों से अनुसन्धान की दिशा में कुछ प्रगति हुई है तथा सामाजिक सर्वेक्षणों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। परन्तु उसमें समन्वय तथा सामंजस्य का अभाव है। इसके साथ ही मीडिया द्वारा उन पर पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अतः आवश्यकता है कि मीडिया

द्वारा समाज की नयी-नयी घटनाओं एवं विकास योजनाओं पर प्रकाश पड़े। इसके साथ ही मीडिया शोध द्वारा प्रगति की वास्तविक स्थिति का आँकलन किया जा सकता है। इसलिए भारत जैसे विकासशील देशों के लिए मीडिया शोध अति आवश्यक है।

5.4 मीडिया शोध का महत्व

वर्तमान में मीडिया शोध का निम्नलिखित महत्त्व है :-

5.4.1 अज्ञानता निवारण में

वर्तमान परिवेश में मीडिया का अत्यधिक महत्व है। इसने समय एवं स्थान की दूरी को बहुत कम कर दिया है। विश्व के किसी भी कोने में घटित घटना का हम तुरन्त सीधा प्रसारण देख व सुन सकते हैं। इस क्षेत्र में शोध की अपरिमित संभावनायें हैं। मीडिया शोध का सबसे बड़ा महत्त्व यह है कि इससे हमारे ज्ञान के क्षितिज का विस्तार होता है। यह मानव स्वभाव है कि जो अज्ञात है या रहस्यमयी बना हुआ है, उसके बारे में जिज्ञासा बनी रहती है। इस प्रकार मीडिया शोध के माध्यम से जो अस्पष्ट है, स्पष्ट होता है यही कारण है कि आज के वैश्विक परिवेश में इसकी उपयोगिता या महत्व को स्वीकार किया जाने लगा है।

5.4.2 लोक कल्याण में

समाज कल्याण कार्य को वैज्ञानिक स्तर पर लाने में भी संचार अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है। प्रायः लोगों का ऐसा अनुमान होता है कि समाज कल्याण के कार्यों को कोई भी व्यक्ति या संस्था सफलतापूर्वक आयोजन तथा संचालित कर सकती है। परन्तु उनकी यह धारणा बिल्कुल निर्मूल ही है। क्योंकि बिना वैज्ञानिक ज्ञान तथा अनुभव के इन कार्यों का आयोजन या संचालन करने पर उसकी सफलता संदिग्ध ही रहती है। अतः समाज कल्याण के कार्यों को समाज में यदि ठोस आधार प्रदान करना हो तो संचार अनुसंधान की सहायता लेनी पड़ेगी। संचार माध्यमों के द्वारा हम समाज कल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रमों का प्रभावशाली प्रसारण कर सकते हैं। मीडिया के प्रभाव के फलस्वरूप समाज के किन वर्गों पर कितना प्रभाव पड़ा? समाज पर पड़ने वालों प्रभावों में और वृद्धि कैसे हो सकती है ? प्रभावत न होने वाले व्यक्तियों को मीडिया कैसे प्रभावित करे? प्रभावित व्यक्ति उसके असर में कैसे देर तक बना रहे? आदि अनेक प्रश्नों का समाधान मीडिया शोध द्वारा ही संभव है।

5.4.3 सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने में

मीडिया शोध के द्वारा हम सम्प्रेषण से जुड़े हुए अनेक नये तथ्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। इसके द्वारा शोधार्थी ज्ञान के अनेक नये आयामों का उद्घाटन कर सकता है।

5.4.4 अंध विश्वास निवारण में -

अनेक सामाजिक व्यवहारों एवं रीति रिवाजों में छाये अंध विश्वास को भी मीडिया शोध द्वारा दूर किया जा सकता है ।

5.4.5 संकीर्ण सोच के निवारण में

क्षेत्रीय प्रवृत्तियों एवं संकीर्ण विचारों को दूर कर समाज में संगठन एवं राष्ट्रीय एकता की स्थापना में भी मीडिया शोध का महत्व है।

5.4.6 सामाजिक व्यवस्था को बनाने में

संचार अनुसंधान का सबसे बड़ा महत्व यह है कि हम इससे प्राप्त ज्ञान के आधार पर समाज में अधिकाधिक नियन्त्रण स्थापित रख सकते हैं। विकासोन्मुख समाजों में परिवर्तन की गति बहुत ही तीव्र होती है। परिवर्तन की इस तीव्र गति का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति और समाज के व्यवस्थित सम्बन्धों में असन्तुलन उत्पन्न होने लगता है। यदि हम परिवर्तन की दिशा तथा परिणामों के बारे में संचार अनुसंधान के द्वारा पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लें तो हम अवांछित परिवर्तन पर नियन्त्रण लगाकर समाज व्यवस्था में सन्तुलन बना रह सकने में सफल होंगे। इसके माध्यम से हम विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं की क्रियाशीलता, उनकी प्रकृति और परिणामों का पता लगा सकते हैं और विघटनात्मक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण लगाने के लिये उपयुक्त साधनों की खोज कर सकते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मीडिया शोध अत्यन्त सहायक उपकरण है।

5.4.7 सामाजिक प्रगति में

प्रगति का सम्बन्ध समाज के कल्याण से होता है। इसकी परिभाषा में कहा गया है कि इससे मानवीय सुखों की वृद्धि होती है। परन्तु ऐसा हम तभी कर सकते हैं अर्थात् परिवर्तन को इस प्रकार नियोजित करके निर्देशित कर सकते हैं जब परिवर्तन के कारणों तथा परिस्थितियों के सम्बन्ध में पूर्वज्ञान हो ताकि उससे जन-कल्याण का लाभ हो। सामाजिक प्रगति की दृष्टि से भी मीडिया शोध का महत्व है।

5.4.8 सामाजिक समस्याओं के समाधान में

भारतीय समाज में अनेक समस्याएँ हैं यदि हमें इन समस्याओं का निदान प्रस्तुत करना हो तो उनका वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य है। इस देश के समक्ष निर्धनता, बेकारी, भिक्षावृत्ति, जातिवाद, सम्प्रदायवाद आदि ऐसी अनेक गम्भीर समस्याएं हैं। मीडिया अनुसंधान की सहायता से हम इनका वैज्ञानिक तथा निष्पक्ष अध्ययन कर सकते हैं और इनके कारणों का पता लगा सकते हैं। इसं दिशा में इलेक्ट्रानिक माध्यम अत्यधिक प्रभावकारी सिद्ध हो रहे हैं।

5.4.9 अन्य सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक

संचार अनुसंधान के द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह केवल समाज के विकास में ही सहायक नहीं होता बल्कि उससे अन्य क्षेत्रों के विकास में भी सहायता मिलती है। क्योंकि सभी सामाजिक क्षेत्र किसी न किसी रूप में मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर अनुसंधान पद्धतियों को **अधिकाधिक** उपयोगी एवं विश्वसनीय बनाया जाता

है। मीडिया अनुसंधान के अन्तर्गत केवल सामाजिक घटनाओं या समस्याओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता अपितु अध्ययन को अधिक से अधिक यथार्थ बनाने के लिये उन्नत प्रविधियों तथा उपकरणों की खोज भी की जाती है। जिसके आधार पर सामाजिक घटनाओं को और भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। मीडिया शोध सामाजिक-विज्ञानों, जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास आदि से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है, अतः मीडिया अनुसंधान द्वारा जो सिद्धान्त या नियम प्रतिपादित किये जाते हैं वे सामाजिक विज्ञानों की अनेक समस्याओं की तस्वीर पेश करते हैं।

संचार अनुसंधान के उपर्युक्त विवेचन में जिस महत्व के बारे में बताया गया है, उनके अतिरिक्त भी उसकी महत्ता की एक विशाल सूची प्रस्तुत की जा सकती है जैसे नवीन विचारों की उत्पत्ति, व्यावहारिक लाभ, सैद्धान्तिक लाभ आदि। इसकी इसी महत्ता के कारण सभी मीडिया क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर अनुसंधान किये जा रहे हैं। भारत जैसे अर्ध-विकसित देश में तो मीडिया शोध का और भी महत्व है क्योंकि अर्ध-विकसित देशों की अपनी अलग ही समस्याएं होती हैं। जिनके बारे में जानकारी सामाजिक अनुसंधान द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं।

5.5 मीडिया के श्रेष्ठ शोधकर्ता में अपेक्षित योग्यतायें

एक अनुसंधानकर्त्ता में आन्तरिक तथा बाह्य योग्यताओं का होना आवश्यक है ताकि वह अनुसंधान कार्य को पूरी लगन के साथ तटस्थ तथा निष्पक्ष होकर सम्पन्न कर सके। एक उत्तम अनुसंधानकर्ता की योग्यताओं के मुख्यतः निम्न प्रकार हैं-

5.5.1 व्यक्तित्व सम्बन्धी योग्यताएँ

उत्तम अनुसंधानकर्ता के शारीरिक तथा व्यक्तिगत गुणों के अन्तर्गत हम निम्नांकित गुणों का उल्लेख कर सकते हैं :

5.5.1.1 - प्रभावशाली व्यक्तित्व - अनुसंधान का आकर्षक व्यक्तित्व तथा अच्छा स्वास्थ्य उसके कार्य को बहुत ही सुगम बना देता है क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व वाला अनुसंधानकर्ता जब सूचनादाता के पास जाता है, उस पर अपना एक अमिट प्रभाव छोड़ता है और सूचनादाता से सत्य और विश्वसनीय तथ्य कहलवा सकने में सफल होता है। किसी भी अनुसंधान में सत्य और विश्वसनीय तथ्यों का कितना महत्व होता है, यह एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है।

5.5.1.2 - दृढ़ता - एक अनुसंधानकर्ता में अध्ययन अर्थात् दृढ़ता का गुण होना भी बहुत आवश्यक है। संचार अनुसंधान का कार्य ऐसा नहीं है जो एक ही क्रम से प्रगति करता चले। अनुसंधानकर्ता को पग-पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीच-बीच में अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं कि अनुसंधानकर्ता की हिम्मत टूटने लगती है। उदाहरणार्थ, अनुसंधानकर्त्ता एक ही सूचनादाता के पास अनेक बार जाता है, परन्तु वह उसे मिल नहीं पाता और जब कभी वह मिल भी जाता है, वह अनुसंधानकर्ता को गोल-मोल उत्तर देकर

टालने का प्रयत्न करता है। ऐसे समय में अनुसंधानकर्ता की लगन तथा दृढ़ता ही काम आती है और वह इन परिस्थितियों से बिना घबड़ाते हुए अपने कार्य को धैर्य के साथ करता चला जाता है।

5.5.1.3-धैर्य एवं सहनशीलता - सहनशीलता भी अनुसंधानकर्ता का एक आवश्यक गुण है। अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के दौरान अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे, कभी-कभी सूचनादाता उससे कटु व्यवहार कर दे या उससे सहयोग करने को तैयार नहीं होते। ऐसे समय में उसकी सहनशीलता ही काम आती है। सहनशीलता का गुण न होने पर हो सकता है कि वह घबड़ा कर अपने अनुसंधान कार्य को बीच में ही छोड़ दे। सहनशीलता वह गुण है जो अनुसंधानकर्ता को इन कष्टों को झेलने योग्य बनाती है और उसे अनुसंधान में संलग्न रखती है।

5.5.2 बौद्धिक योग्यताएँ

एक उत्तम अनुसंधानकर्ता में केवल उपर्युक्त शारीरिक तथा व्यक्तिगत गुणों का होना ही आवश्यक नहीं है। अनुसंधान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये उसमें कुछ बौद्धिक गुणों का होना भी आवश्यक है। ये गुण इस प्रकार स्पष्ट किये जा सकते हैं।

5.5.2.1 उर्वर कल्पनाशक्ति - अनुसंधान कार्य को सफलता पूर्वक चलाने के लिए केवल अनुसंधानकर्ता की बुद्धिमता ही पर्याप्त नहीं है, उसमें पर्याप्त मात्रा में रचनात्मक कल्पना शक्ति का होना भी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि तभी वह जटिल सामाजिक घटनाओं या समस्याओं में अन्तर्निहित सत्य की खोज कर सकता है। उसकी कल्पना-शक्ति जितनी ही प्रबल होगी, वह उतनी ही सफलतापूर्वक सामाजिक घटनाओं के रहस्यों को समझ सकने में सक्षम हो सकेगा।

5.5.2.2 - निर्णयात्मक क्षमता - अनुसंधान के दौरान अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिसमें अनुसंधानकर्ता को शीघ्र ही निर्णय लेना होता है ताकि उसका कार्य रुके नहीं। परन्तु ऐसा तभी संभव है जब अनुसंधानकर्ता में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता हो। यदि वह अपना निर्णय लेने में सोचने-समझने में ही समय गुजार देगा तब उसे अनुसंधान कार्य में परेशानी होगी। अतः उसमें इस गुण का होना बहुत आवश्यक है ताकि वह विषम परिस्थितियों में शीघ्र निर्णय लेकर मीडिया शोध को जारी रखे।

5.5.2.3 - सांख्यिकीय विश्लेषण दक्षता-अपने अनुसंधान के अन्तर्गत अनुसंधानकर्ता जिन तथ्यों का संकलन करता है उन्हें स्पष्ट तथा अर्थपूर्ण बनाने के लिए उनके वर्गीकरण, सारणीयन तथा विश्लेषण आदि में सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है। उसके निष्कर्ष इन्हीं सांख्यिकीय प्रक्रियाओं की परिशुद्धता पर निर्भर करते हैं। यह एक नीरस कार्य है परन्तु इसके अभाव में अनुसंधान में यथार्थता एवं प्रमाणिकता नहीं आ सकती। अतः अनुसंधानकर्ता में सांख्यिकीय क्षमता का होना अति आवश्यक है ताकि निष्कर्षों में परिशुद्धता एवं प्रमाणिकता आ सके।

5.5.2.4 - विचारों में स्पष्टता - अनुसंधानकर्ता में विचारों की स्पष्टता के लिये उसमें विवेचनात्मक बुद्धि होना चाहिए। सामाजिक घटनायें एवं उस पर पड़ते मीडिया के प्रभाव बहुत ही रहस्यपूर्ण होते हैं। उन्हें समझ लेना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अतः अनुसंधानकर्ता में यह गुण होना चाहिये कि वह इन्हें समझ कर स्पष्टरूप से विवेचन कर सके। यह गुण अनुसंधानकर्ता विषय से सम्बन्धित साहित्य का गहन अध्ययन करके विकसित कर सकता है।

5.5.2.5 - तार्किक क्षमता - अनुसंधान में ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के सूचनादाताओं से तथ्यों का संकलन करना पड़ता है। इसमें विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले तथा विभिन्न मानसिक स्थिति के सूचक अनुसंधानकर्ता के प्रश्नों का उत्तर अपने ढंग से देते हैं। अतः शोधकर्ता में पर्याप्त तार्किक क्षमता होनी चाहिए ताकि वह उत्तरदाताओं द्वारा ही गयी सूचनाओं का वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण एवं विवेचन कर सके। शोधकर्ता में यह भी क्षमता होनी चाहिए कि वह तार्किक आधार पर अध्ययन करके कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाल सके। इतना ही नहीं, कभी-कभी सूचनादाता अनुसंधानकर्ता से बड़े ही अजीबो-गरीब प्रश्न पूछ बैठते हैं। ऐसी स्थिति में यदि अनुसंधानकर्ता के पास पर्याप्त तार्किक क्षमता न हो तो वह उनके प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं दे सकेगा और उसकी स्थिति हास्यास्पद बनकर ही रह जायेगी।

5.5.2.6 - नीर-क्षीर विवेक- मीडिया शोधकर्ता में सही एवं गलत, उचित एवं अनुचित, नैतिक एवं अनैतिक तथा उपयोगी एवं अनुपयोगी तत्वों को पहचानने की नीर-क्षीर विवेक होना आवश्यक है। अन्यथा वह ग्राह्य तथ्यों को छोड़ सकता है और अग्राह्य तत्वों का संग्रह कर सकता है। इस संदर्भ में महाकवि तुलसीदास की उक्ति 'संग्रह त्याग न बिनु पहिचानें' एक प्रबल मार्गदर्शक का काम कर सकती है।

5.5.2.7- बौद्धिक ईमानदारी - अनुसंधान में बौद्धिक ईमानदारी का गुण होना अति आवश्यक है। भौतिक विज्ञानों में अनुसंधान किये जाते हैं उसमें अनुसंधानकर्ता का उनसे कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होता। परन्तु सामाजिक अनुसंधान में अपने ही लोगों का तथा अपने ही समाज का अध्ययन किया जाता है। जिसका अनुसंधानकर्ता स्वयं भी एक अंग होता है। अनुसंधानकर्ता जो कुछ भी निरीक्षण करता है, उसमें इस बात की सम्भावना कम है कि उसकी व्यक्तिगत भावनाओं, आदर्शों आदि का प्रभाव पड़े। यदि अनुसंधानकर्त्ता में बौद्धिक ईमानदारी का अभाव है तो उसके द्वारा निकाले गये निष्कर्षों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अतः अनुसंधानकर्ता में इस स्तर की बौद्धिक ईमानदारी होना आवश्यक है कि ताकि वह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, आदर्शों आदि के आग्रहों को अनुसंधान से दूर रखे। उसमें यह गुण होने पर ही वह समाज में प्रचलित मान्यताओं के विरुद्ध वास्तविकताओं को स्पष्ट करने का साहस कर सकेगा और तथ्यों को तोड़मरोड़ कर नहीं, बल्कि वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही बिना किसी के भय के समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकने का साहस कर सकेगा।

5.5.3 व्यावहारिक योग्यताएँ

अनुसंधानकर्ता में उपर्युक्त गुणों के अतिरिक्त मानवीय व्यवहार सम्बन्धी गुणों का होना भी आवश्यक है। ये योग्यतायें निम्नलिखित हैं-

5.5.3.1 - शिष्ट व्यवहार - व्यक्ति में शिष्टाचार का गुण केवल अनुसंधान कार्य में ही नहीं बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक शोधकार्य करने के लिए आवश्यक होता हैं। उसका मधुर व्यवहार शीघ्र ही उसे दूसरों का मित्र बना सकता है और वह उनसे वास्तविक तथ्यों को कहलवा सकने में सफल भी हो सकता है। इसीलिये अनुसंधानकर्ता में शिष्ट व्यवहार के गुण पर ध्यान दिया जाता है ताकि वह प्रत्येक व्यक्ति से उसकी स्थिति, विचारों तथा विश्वासों को ध्यान में रखकर ही व्यवहार करे। उदाहरणार्थ, यदि अनुसंधान का अध्ययन क्षेत्र ग्रामीण समाज है तो अनुसंधानकर्ता को चाहिये कि तड़क-भड़क तथा औपचारिकता को यथासंभव छोड़कर लोगों से सादगी से भरा सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे ताकि उसे वास्तविक तथ्यों का ज्ञान हो सके। क्योंकि गाँव के भोले-भाले लोग आडम्बर एवं दिखावटी रोब से भड़क सकते हैं और वे अपेक्षित सहयोग देने से कतराने लगते हैं। एक बार यदि एक भी ग्रामीण व्यक्ति भड़क गया तो असका असर पूरे गाँव पर पड़ता है।

5.5.3.2 लचीला व्यवहार-सूचनादाता भिन्न-भिन्न स्वभाव के हो सकते हैं, जैसे कुछ सूचनादाता बहुत ही गंभीर प्रकृति के होते हैं और कुछ बहुत ही हंसमुख प्रकृति के। इसी के साथ कुछ सूचनादाताओं के समस्याओं के प्रति विचार बहुत ही प्रतिकूल हो सकते हैं तो कुछ के विचार बिलकुल अनुकूल भी देखने को मिल सकते हैं। अतः अनुसंधानकर्ता के व्यवहार में इतना अधिक लचीलापन होना चाहिए कि वह इन सभी प्रकार के सूचनाताओं से तालमेल स्थापित कर सके।

5.5.3.3 - सहज संवाद योग्यता- प्रायः अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं से प्रश्नावली या अनुसूची भरवाने या साक्षात्कार के समय संवाद करना पड़ता है इस दौरान वह जिस प्रकार से सूचनादाताओं से बातचीत करता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से उन पर पड़ता है। यदि अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से अहंकारपूर्ण ढंग से बातचीत करता है और उनसे सूचनाओं की मांग आदेशात्मक रूप से करता है तो उसके ऐसे व्यवहार का सूचनादाता पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका प्रतिफल यह होता है कि सूचक अनुसंधानकर्ता को किसी भी प्रकार की सूचना देने से ही इन्कार कर देता है या तथ्यों को तोड़ - मरोड़ कर इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि उसका प्रभाव अनुसंधान के निष्कर्षों पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से जो भी बातचीत करे, वह बहुत ही सन्तुलित एवं सहज हो।

5.5.3.4- आत्म संयम - अनुसंधानकर्ता में आत्म-संयम की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अनुसंधानकर्ता के दौरान अनुसंधानकर्ता को अनेक ऐसी विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है या सूचनादाताओं द्वारा उसे ऐसी बातें कही जा सकती हैं जो उसके आत्म- सम्मान पर चोट पहुँचाये ऐसी दशा में उसका पूरा का पूरा अनुसंधान कार्य ही बाधित हो सकता है। अतः उसे उत्तेजना में न आकर स्वयं पर नियंत्रण एवं संयम रखना चाहिए। संयम खोने पर वह सही सूचनाओं की प्राप्ति से वंचित हो सकता है।

5.5.4 अनुसंधेय विषय सम्बन्धी योग्यताएँ

अनुसंधानकर्ता में अध्ययन-विषय से सम्बन्धित निम्नलिखित योग्यतायें होनी चाहिए-

5.5.4.1 - विषय में स्वाभाविक रूचि - अनुसंधान में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस विषय पर अनुसंधान कार्य कर रहा हो उसमें उसकी गहरी रूचि हो। विषय में रूचि के अभाव में उसे अपना शोध कार्य उबाऊ एवं नीरस लगने लगता है और हो सकता है कि वह उसे बीच में ही छोड़ बैठे या अनमने ढंग से शोध करे। विषय में गहरी रुचि होने पर, यदि विषय कठिन भी होता है तो उसकी अन्तरिक प्रेरणा उसके अंदर उत्साह बनाये रखती है और वह कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार रहता है और उससे न तो ऊबता है और न थकता है।

5.5.4.2- विषय का गहरा ज्ञान - अनुसंधानकर्ता के लिये यह आवश्यक है कि वह विवेच्य विषय के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ले। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह विषय से सम्बन्धित सभी उपलब्ध साहित्य का गहन अध्ययन ले है। विषय के पूर्व ज्ञान से वह न केवल अपने अध्ययन के लिए काम चलाऊ उपकल्पना का निर्माण करने में सफल होता है बल्कि अध्ययन क्रियाओं को भी सुचारू रूप से चलाने में सफल होता है। विषय के ज्ञान के अभाव में इस बात की संभावना बराबर बनी रहती है कि कहीं वह गलत निष्कर्ष न निकाल ले।

5.5.4.3 - लक्ष्योन्मुखी दृष्टि- यदि हम सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का सूक्ष्म निरीक्षण करें तो देखेंगे कि सभी पक्ष आपस में इतने सह-सम्बन्धित, उलझे तथा अस्पष्ट हैं कि अनुसंधानकर्त्ता किसी भी क्षण अपनी निर्धारित समस्या से विचलित हो सकता है। अतः अनुसंधानकर्ता की दृष्टि हमेशा लक्ष्योन्मुखी होनी चाहिए।

5.5.5 अनुसंधान प्रक्रिया सम्बन्धी योग्यताएँ

अनुसंधान कार्य में घर बैठे ही सामग्री या तथ्यों का संकलन नहीं हो जाता। इसके लिये अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों के संकलन की आवश्यकता पड़ती है। अतः अनुसंधानकर्ता के लिये कुछ व्यावहारिक क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक होता है। उसके इन गुणों को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है।

5.5.5.1 - अनुबन्ध पद्धतियों का पर्याप्त ज्ञान- अनुसंधान कार्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्त्ता को इस बात का पूर्ण ज्ञान हो उसके अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त होगी तथा वह किन उपकरणों का प्रयोग करेगा क्योंकि बिना अध्ययन पद्धतियों और उपकरणों के व्यावहारिक ज्ञान के उसका अध्ययन कार्य सूचारू रूप से नहीं चल सकता।

5.5.5.2 - उपयुक्त व्यक्ति, समय तथा स्थान का बोध-अनुसंधानकर्ता में व्यक्ति, समय तथा स्थान की पहचान का गुण भी होना चाहिए अन्यथा इस बात की सम्भावना

रहती है कि वह बिना किसी पूर्व निर्णय के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर मिलने पहुँच जाये। इस प्रकार के तथ्यों का अनुसंधान के निष्कर्षों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यह एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। उसे इस बात का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि उसे किस व्यक्ति से पूछने पर सम्बन्धित घटना या समस्या के बारे में जानकारी मिल सकती है तथा किस समय तथा किस स्थान पर उस व्यक्ति से मिलना उचित होगा। उदाहरणार्थ, दफ्तर में कार्य करने वाले बाबू से सैनिकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती, किसी गोष्ठी आदि के अवसर पर किसी से उसकी परिवार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त नहीं की ज्ग सकती तथा अफसर के सामने खड़े बाबू से घूस की बात नहीं की जा सकती। अतः अनुसंधानकर्ता में यह गुण होना चाहिये कि उसे व्यक्ति, समय तथा स्थान की पहचान हो क्योंकि वह तभी वास्तविक तथ्यों का संकलन कर सकने में सफल हो सकेगा।

5.5.5.3- उचित प्रशिक्षण क्षमता - अनुसंधानकर्त्ता को जब तक अनुसंधान कार्य का उचित प्रशिक्षण तथा अनुभव नहीं होगा, वह उसे कर सकने में सफल नहीं हो सकेगा। अपने अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर ही उसे अपने अनुसंधान कार्य में आ सकने वाली कठिनाइयों के बारे में ज्ञान होगा और वह उसका निदान खोज सकने में सफल हो सकेगा। इस प्रकार प्रशिक्षण तथा अनुभव अनुसंधानकर्त्ता की वह निधि है जिसके आधार पर वह अनुसंधान की रूपरेखा तैयार कर सकता है और संकलित सामग्री के आधार पर वास्तविक तथ्यों को खोज निकाल सकता है।

5.5.5.4- संगठनात्मक योग्यता - आधुनिक समय में अधिकतर अनुसंधान सर्वेक्षण प्रणाली द्वारा किये जाते हैं जिसमें अनेक कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। अतः अनुसंधानकर्ता में पर्याप्त संगठन शक्ति का होना आवश्यक है ताकि वह कार्यकर्ताओं से ठीक से काम ले सके। आधुनिक समय की यह भी प्रवृत्ति है कि सामाजिक अनुसंधान कार्य में अन्तः वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसके अन्तर्गत विभिन्न विज्ञानों के विशेषज्ञों से सहयोग प्राप्त किया जाता है। अतः यह अनुसंधानकर्त्ता की संगठन शक्ति पर निर्भर करता है कि वह उनका किस प्रकार अपने अनुसंधान में अधिक से अधिक उपयोग करता है।

5.5.6 वैज्ञानिक दृष्टि सम्बन्धी योग्यताएँ

अनुसंधानकर्त्ता में उपर्युक्त सभी गुणों के अलावा उसमें दृष्टि होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से सम्बन्धित निम्नलिखित गुण महत्वपूर्ण हैं-

5.5.6.1- जिज्ञासा वृत्ति - अनुसंधानर्त्ता में इस गुण का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह वह प्रेरक तत्त्व है जो अनुसंधानकर्त्ता को निरन्तर ज्ञान की खोज में लगाये रहता है। जिज्ञासा का गुण अनुसंधानकर्त्ता को सदैव अंधकार को अर्थात् जो अस्पष्ट है, उसे प्रकाश में लाने के लिये प्रेरित करता रहता है। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा पुराने तथ्यों का सत्यापन करना होता है और जिज्ञासा वह प्रेरक शक्ति है जो अनुसंधानकर्त्ता को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेरित करती रहती है।

5.5.6.2 - वस्तुनिष्ठता - अनुसंधानकर्ता में इस गुण का होना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि अपने इसी दृष्टिकोण के कारण वह अपने अध्ययन में निष्पक्षता तथा यथार्थता बनाये रख सकने में सफल होता है। सामाजिक अनुसंधान की एक अनिवार्य शर्त यह है कि हम तथ्यों को ठीक उसी रूप में देखे जिस रूप में वे हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब अनुसंधानकर्त्ता का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ हो। इसके अभाव में वह जिन तथ्यों का निरीक्षण करेगा, वे उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जायेंगे जिसके कारण सही निष्कर्ष नहीं प्राप्त किया जा सकते।

उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न शोधकर्ता ही निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं सार्थक अनुसंधान कर सकता है। अनुसंधान का महत्व एवं उसकी उपयोगिता मूलतः विशेषज्ञ एवं दक्ष अनुसंधाकर्ता पर ही निर्भर है, अतएव कुशल अनुसंधानकर्ता में उपर्युक्त गुणों का ज्ञान आवश्यक है इसलिए यहाँ पर उनका संक्षेप में परिचय दिया गया है।

5.6 सारांश

स्वस्थ समाज की रचना एवं विकास की दृष्टि से मीडिया-शोध बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय संदर्भ की अनेक समस्याओं को समाधान में मीडिया शोध की सहायता ली जा सकती है। इसकी उपयोगिता ने ही इसे आज परिवेश में अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। विज्ञापन, विपणन, अज्ञानता, सामाजिक जागरूकता पर्यावरण के प्रति सजगता, संकीर्ण सोच तथा समाज की अनेक कुरीतियों में मीडिया - शोध महत्वपूर्ण जरूरत है प्रतिभाशील मीडिया शोधार्थियों की जिनमें श्रेष्ठ शोधार्थी की अनेक अपेक्षित योग्यतायें हों।

5.7 शब्दावली

1. वैश्वीकरण - सम्पूर्ण विश्व में पूँजीवाद एवं व्यापार का प्रसार
2. आतंकवाद - अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गयी हिंसक कार्यवाहियाँ
3. भूमण्डलीकरण - विश्व के सभी देशों में आयी निकटता और मुक्त व्यापार व्यवस्था
4. अंधविश्वास - समाज में फैली हुई भ्रामक मान्यतायें
5. कुरीतियाँ - समाज के विकास में बाधक रीति-रिवाज

5.7 संदर्भ ग्रंथ

1- सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय - गौरी शंकर

2- मीडिया शोध - मनोज दयाल

3- सामाजिक अनुसंधान - डॉ हरिशचन्द्र श्रीवास्तव

4- अनुसंधान प्रविधियाँ - सी0 एम0 चौधरी

5.9 प्रश्नावली

5.9.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1- वर्तमान भारतीय परिवेश में मीडिया शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

2- समाज के किन-किन क्षेत्रों में आप मीडिया शोध की उपयोगिता मानते हैं।

3- मीडिया शोध की महत्ता के विभिन्न कारणों को स्पष्ट करें।

4- एक श्रेष्ठ मीडिया शोधकर्त्ता में कौन-कौन सी योग्यतायें होनी चाहिए।

5.9.2 लघु उत्तरीय प्रश्न

1- विपणन के क्षेत्र में मीडिया-शोध की क्या उपयोगिता है?

2- अज्ञानता निवारण में मीडिया की क्या भूमिका है? स्पष्ट करें।

3- श्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता की व्यक्तित्व सम्बन्धी क्या योग्यतायें हैं ?

4- अनुसंधान प्रक्रिया सम्बन्धी योग्यता से आप क्या समझते हैं ?

5- संगठनात्मक योग्यता का क्या तात्पर्य है?

5.9.3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1- मीडिया शोध की सैद्धान्तिक उपयोगिता क्या है ?

(क) शुद्ध ज्ञान की खोज (ख) समाज हित

(ग) देश हित (घ) अंधविश्वास निवारण

2- कौन सा इलेक्ट्रानिक मीडिया नहीं है ?

(क) कम्प्यूटर (ख) इंटरनेट

(ग) दूरदर्शन (घ) समाचार पत्र

3- एम० एस० क्या है ?

(क) मोबाइल द्वारा भेजा गया संदेश

(ख) रेडियो का प्रसिद्ध प्रसारण

(ग) दूर-दर्शन का लोकप्रिय कार्यक्रम

(घ) प्रसिद्ध धारावाहिक

4- मीडिया शोध-कर्ता की बौद्धिक योग्यता में क्या नहीं आता ?

(क) उर्वर कल्पना शक्ति

(ख) सांख्यिकीय योग्यता

(ग) सहनशीलता

(घ) वैचारिक स्पष्टता

5.9.4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

1- क

2- घ

3- क

4- ग

Notes

M.J.M.C. -07
मीडिया शोध

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

खण्ड

02

मीडिया शोध : प्रारूप

इकाई-6 मीडिया शोध में परिकल्पना निर्माण	5
इकाई-7 शोध प्रचना (अभिकल्प)	16
इकाई-8 अवलोकन या निरीक्षण विधि	25
इकाई-9 वैयक्तिक अध्ययन	38
इकाई-10 अन्तर्वस्तु विश्लेषण	50

परामर्श-समिति

प्रो0 केदार नाथ सिंह यादव	कुलपति - अध्यक्ष
डॉ0 हरीशचन्द्र जायसवाल	कार्यक्रम संयोजक
डॉ0 रत्नाकर शुक्ल	कुलसचिव - सचिव

विशेषज्ञ समिति

1- प्रो0 जे0 एस0 यादव	पूर्व निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान , नई दिल्ली
2- प्रो0 राममोहन पाठक	निदेशक, मदन मोहन मालवीय, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3- प्रो0 सुधाकर सिंह	हिन्दी (प्रयोजनमूलक) विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी
4- डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय	जनसम्पर्क अधिकारी, बी0एच0यू0 वाराणसी
5- डॉ0 पुष्पेन्द्र पाल सिंह	अध्यक्ष-पत्रकारिता विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

सम्पादक

डॉ0 अर्जुन तिवारी- वरिष्ठ परामर्शदाता, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक मंडल

1- प्रो0 श्रीनिवास पाण्डेय	-	समन्वयक, प्रयोजनमूलक हिन्दी (पत्रकारिता बी0एच0यू0 वाराणसी)
2- डॉ0 शिव कृपा मिश्र	-	उपसम्पादक- दैनिक जागरण, वाराणसी
3- डॉ0 पूर्णिमा पाठक	-	नवभारत टाइम्स (नई दिल्ली), वाराणसी
4- श्री राजेश नारायण दुबे	-	मीडिया सेंटर, दुर्गाकुंड, वाराणसी
5- डॉ0 वीरेन्द्र व्यास	-	अध्यक्ष-पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, मं0 गॉ0 ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से डॉ. अरूण कुमार गुप्ता, कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, मई 2019

मुद्रक : चन्द्रकला युनिवर्सल प्रा. लि. 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड प्रयागराज 211002

खण्ड-2 खण्ड-परिचय : मीडिया शोध : प्रारूप

'मीडिया शोध प्रारूप ' के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ सम्मिलित हैं :-

6- मीडिया शोध में परिकल्पना'

7- शोध प्रचना (अभिकल्प)

8- अवलोकन या निरीक्षण विधि

9- वैयक्तिक अध्ययन

10- अन्तर्वस्तु विश्लेषण

मीडिया शोध में परिकल्पना का अपना महत्त्व है। यह एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा ली जाती है। विषय से सम्बन्धित यह सामान्य अनुमान है। शोध अभिकल्प अनुसंधान की एक योजना, संरचना तथा नीति है जिसका उपयोग शोध से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शोध कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व हर पक्ष पर भली-भाँति विचार मंथन और योजना-निर्माण के तत्त्वों पर द्वितीय इकाई में प्रकाश डाला गया है। अवलोकन या निरीक्षण विधि में देखकर, सुनकर, स्पर्श द्वारा व्यवस्थित ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चौथी इकाई में वैयक्तिक अध्ययन की महत्ता बतलाई गयी है। सावधानीपूर्वक कुछ चुने हुए परिवारों के घरेलू जीवन के समस्त पहलुओं का यह गहन अध्ययन है। अन्तर्वस्तु विश्लेषण संचार के संदर्भ के विषयात्मक वर्णन की अनुसंधान प्रविधि है। जटिल तथ्यों को सरल बनाने का प्रयास इसी में होता है। इसमें तथ्यों की तुलना भी की जाती है।

इकाई 6 -मीडिया शोध में परिकल्पना निर्माण

इकाई की रूपरेखा -

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 परिकल्पना की परिभाषा

6.3 परिकल्पना की विशेषताएं

6.3.1 स्पष्टता

6.3.2 अनुभव सिद्धता

6.3.3 विशिष्टता

6.3.4 सिद्धान्तों से सम्बन्धित

6.3.5 उपलब्ध प्रविधियों से सम्बद्ध

6.4 परिकल्पना के प्रकार

6.4.1 आदर्श प्रारूपों से सम्बन्धित परिकल्पनाएँ

6.4.2 विश्लेषणात्मक चरों से सम्बन्धित परिकल्पनाएँ

6.4.3 अनुभव सिद्ध समरूपताओं से सम्बन्धित परिकल्पनाएँ

6.5 कार्यकारी परिकल्पना से स्रोत

6.5.1 व्यक्तिगत अनुभव

6.5.2 सामान्य संस्कृति

6.5.3 वैज्ञानिक सिद्धान्त

6.6 परिकल्पना का महत्व

6.6.1 अध्ययन की दिशा का निर्धारण

6.6.2 उपयोगी तत्वों के संकलन में सहायक

6.6.3 अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायक

6.6.4 तर्कसंगत निष्कर्षों में सहायक

6.6.5 सिद्धान्तों के निर्माण में सहायक

6.7 परिकल्पना की सीमाएं

6.8 सारांश

6.9 शब्दावली

6.10 संदर्भ ग्रन्थ

6.11 प्रश्नावली

6.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन क बाद आप -

- परिकल्पना की परिभाषा स्पष्ट कर सकेंगे।
- परिकल्पना के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे।
- परिकल्पना की महत्ता व गुण-दोष तथा सीमाओं से परिचित हो सकेंगे।
- परिकल्पना के स्रोत के बारे में जान सकेंगे।
- परिकल्पना की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।

6.1 प्रस्तावना

किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन कार्य में प्राकल्पना/उपकल्पना के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी सहायता के बिना यदि अध्ययन कार्य किया जाय तो घटनाओं की दुनिया में अनुसन्धानकर्ता ठीक वैसे ही भटकेगा जैसे कि एक गाँव के किसान को जिसने महानगरों का दर्शन नहीं किया है, मुम्बई या कोलकाता के राजपथ पर अकेला छोड़ दिया जाय। यह अनुसंधान कर्ता के लिए एक गाइड का काम करती है, उसे उद्देश्यहीन रूप से इधर-उधर भटकने से रोकती है और उसका हाथ पकड़कर सत्य के द्वार तक पहुँचाने में या झूठ को प्रमाणित करने में उसकी मदद करती है। प्राकल्पना में स्वयं निश्चितता का तत्व पाया जाता है। जिसके फल-स्वरूप अध्ययन को एक स्पष्टता प्राप्त होती है। उपकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सीमित करती है। अनुसंधान की दिशा निर्धारित करती है सम्बद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक होती है। उपकल्पना प्रत्येक दशा में सत्य को ढूंढ निकालने में सहायक सिद्ध होती है।

6.2 परिकल्पना की परिभाषा

विभिन्न विद्वानों ने उपकल्पना की प्रकृति को भिन्न-भिन्न परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट किया है। इनमें कुछ प्रमुख परिभाषाओं द्वारा परिकल्पना के अर्थ-उद्देश्यों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है :-

"परिकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है, जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी हैं। अपने बिल्कुल प्रारम्भिक स्तरों पर परिकल्पना एक अनुमान, कल्पनात्मक विचार अथवा पूर्वानुमान आदि कुछ भी हो सकती है, जो बाद में किसी भी क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन जाती है।

लुण्डबर्ग

"एक अस्थायी लेकिन केन्द्रीय महत्त्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है, उसे हम एक कार्यकारी परिकल्पना कहते हैं।" इसका तात्पर्य है कि परिकल्पना का महत्त्व

अनुसंधान के आरम्भ में ही नहीं होता बल्कि अनुसंधान के सभी स्तरों पर यह किसी न किसी रूप में अध्ययन का आधार बनी रहती है।

पी० वी०-यंग

''परिकल्पना एक ऐसी मान्यता है, जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा ली जा सकती है।''

गुडे एवं हाट

''**बोगार्डस**' ने लिखा है कि ''परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गयी एक मान्यता है।''

उपर्युक्त परिभाषाएँ स्पष्ट करती हैं कि उपकल्पना किसी विषय से संबंधित एक सामान्य अनुमान अथवा विचार है, जिसके संदर्भ में ही सम्पूर्ण अध्ययन किया जाता है। प्रारम्भिक स्तर पर एक उपकल्पना अनुसंधान कार्य का मार्ग-निर्देशन करती है, अध्ययन के बीच में यह अध्ययनकर्ता को इधर-उधर भटकने से रोकती है तथा अध्ययन के अन्त में यह उपयोगी निष्कर्ष प्रस्तुत करने तथा पूर्व निष्कर्षों का समापन करने में सहायता देती है।

6.3 परिकल्पना की विशेषताएँ

सामाजिक एवं बौद्धिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिकल्पना को लेकर अपना कार्य करता है यद्यपि ऐसी परिकल्पनाएं सदैव वैज्ञानिक नहीं होती। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए उपकल्पना में भी कुछ विशेषताएँ होनी चाहिए। 'गुडे तथा हाट' ने उपयोगी उपकल्पना की निम्नलिखित पाँच विशेषताओं का उल्लेख किया है :-

6.3.1 स्पष्टता -

परिकल्पना का अवधारणात्मक रूप से बिल्कुल स्पष्ट होना आश्यक है। एक अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन के लिए जिस परिकल्पना का निर्माण करता है, उसकी भाषा एवं कार्य इतना स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए कि जिससे उसकी मनमाने अर्थों में विवेचना न की जा सके। 'गुडे एवं हाट' का विचार है कि उपकल्पना को स्पष्ट बनाने के लिए इसमें दो विशेषताओं का समावेश होना आवश्यक है-प्रथम यह कि, परिकल्पना में प्रयुक्त किये गए शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, तथा दूसरी विशेषता यह कि किसी अवधारणा को परिभाषित करते समय ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे सभी लोग उसे समान अर्थ में समझ सकें।

6.3.2 अनुभव सिद्धता

परिकल्पना में अनुभव सिद्ध प्रामाणिकता का संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि शोधकर्ता अपनी परिकल्पना की सत्यता की जांच करने के लिए नई प्रविधियों को भी विकसित कर सकें तो इसमें कोई हानि नहीं होती। सच तो यह है कि अनेक परिकल्पनाएँ नयी अध्ययन प्रविधियों के विकास में भी सहायक होती है।

6.3.3 विशिष्टता

परिकल्पना सामान्य न होकर विशिष्ट होनी चाहिए। यदि अध्ययन-विषय के सभी पक्षों को लेकर एक सामान्य परिकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है तो अध्ययनकर्ता एक समय में विषय के सभी पक्षों का यथार्थ अध्ययन नहीं कर सकता। इस दृष्टिकोण से परिकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परिकल्पना अध्ययन-विषय के किसी विशेष पक्ष से ही सम्बन्धित हो। केवल इसी प्रकार अध्ययन-कर्ता अपना ध्यान विषय के एक विशेष पक्ष पर केन्द्रित करके वास्तविक सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है।

6.3.4 सिद्धान्तों से सम्बन्धित

परिकल्पना का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह पहले प्रस्तुत किये गये किसी सिद्धान्त अथवा सिद्धान्तों से सम्बन्धित हो। यदि कोई परिकल्पना किसी भी सिद्धान्त से सम्बन्धित नहीं होती तो उसकी सत्यता की परीक्षा करना अक्सर बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि किसी परिकल्पना का निर्माण करने से पहले अध्ययन विषय से सम्बन्धित साहित्य और ज्ञान को समझना आवश्यक हो जाता है। पूर्व स्थापित सिद्धान्तों के सन्दर्भ में बनायी गयी परिकल्पना अधिक क्रमबद्ध होती है। यदि सभी अध्ययनकर्ता स्वतन्त्र रूप से परिकल्पनाओं का निर्माण करने लगें तो इनके आधार पर विकसित ज्ञान की प्रकृति कठिनता से ही वैज्ञानिक हो सकती हैं। इस संबंध में 'गुडे और हाट' का विचार है कि ''जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से पूर्व स्थापित सिद्धान्तों पर आधारित होता है, तो ज्ञान में यथार्थ योगदान की संभावना अधिक हो जाती है।

6.3.5 उपलब्ध प्रविधियों से सम्बद्ध

परिकल्पना का निर्माण करते समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसका उपलब्ध प्रविधियों द्वारा परीक्षण किया जा सके। इस संबंध में 'गुडे एवं हाट' ने लिखा है कि ''एक सिद्धान्त बनाने वाला जो यह नहीं जानता कि उसकी परिकल्पना की जाँच करने के लिए कौन-कौन सी प्रविधियाँ उपलब्ध हैं, उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रह जाता है।'' वास्तविकता यह है कि यह कथन प्रत्येक परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल और परिवर्तनशील है कि कभी-कभी उपलब्ध प्रविधियों के अनुरूप परिकल्पनाओं का निर्माण करना होता है। प्रायः इस श्रेणी की परिकल्पनाओं का उपयोग प्रयोगात्मक अनुसंधान में किया जाता है तथा एक चर का अन्य चरों के साथ सह-सम्बन्ध देखने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसी परिकल्पना अन्य परिकल्पनाओं की तुलना में अधिक अमूर्त और परिमार्जित प्रकृति की होती है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इस श्रेणी की परिकल्पनाओं का महत्त्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस श्रेणी की परिकल्पनाओं की परीक्षा के लिए अब अन्तर-अनुशासनीय विधि को भी महत्त्व दिया जा रहा है।

6.4 परिकल्पना के प्रकार

सामाजिक अध्ययन से सम्बन्धित परिकल्पनाओं का कोई भी निश्चित वर्गीकरण कर सकना एक कठिन कार्य है। वास्तव में उपकल्पना का अध्ययन विषय से घनिष्ठ संबंध होता है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक समस्याओं तथ सामाजिक घटनाओं का क्षेत्र जितना व्यापक होगा, परिकल्पनाओं की संख्या भी उतनी ही अधिक और विविधता पूर्ण हो सकती है। इसके पश्चात भी 'गुडे एवं हाट' ने सभी परिकल्पनाओं के तीन प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है:

6.4.1 आदर्श प्रारूपों से संबंधित परिकल्पनाएं

इस श्रेणी के अन्तर्गत वे परिकल्पनाएँ आती हैं, जिनका उद्देश्य तर्कपूर्ण ढंग से विभिन्न कारकों के बीच पाये जाने वाले सह-सम्बन्ध को बताना होता है। ऐसी परिकल्पनाओं की परीक्षा के लिए सर्वप्रथम सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और बाद में तथ्यों के तर्कपूर्ण क्रम को आदर्श मानकर सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

6.4.2 विश्लेषणात्मक चरों से सम्बन्धित परिकल्पनाएँ

इस प्रकार की परिकल्पना का उद्देश्य विभिन्न चरों का तार्किक विश्लेषण करना ही नहीं होता बल्कि विभिन्न चरों के बीच पाये जाने वाले सह-सम्बन्ध को भी प्रस्तुत करना होना अत्यधिक आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि उपकल्पना का निर्माण करते समय अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि परिकल्पना किसी आदर्श को प्रस्तुत करने वाली न हो बल्कि उसके द्वारा किसी विचार अथवा अवधारणा की सत्यता की परीक्षा की जा सके। 'गुडे और हाट' ने लिखा है कि ऐसी परिकल्पनाएँ आदर्शात्मक होती है कि सभी 'पूँजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं' अथवा 'सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं। ऐसी परिकल्पनाएँ प्रयोग सिद्ध अथवा अनुभव सिद्ध नहीं होती और इसलिए इन्हें वैज्ञानिक उपकल्पनाएँ नहीं कहा जा सकता। इस दृष्टिकोण से यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वैज्ञानिक अवधारणायें केवल वे होती हैं, जिनमें अंतिम रूप से अनुभव सिद्धता का समावेश होता है।

6.4.3 अनुभव समरूपताओं से सम्बन्धित परिकल्पनाएँ

इस श्रेणी की परिकल्पनाएँ व्यक्ति के सामान्य जीवन में प्रचलित विचारों, मान्यताओं, विश्वासों, कहावतों और किवदन्तियों पर आधारित होतीं हैं। ऐसे परिकल्पनाओं का परीक्षण केवल सामान्य अवलोकन के आधार पर नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए अनुभव सिद्ध सर्वेक्षण करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यह विश्वास कि "बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है" अथवा "गंजा व्यक्ति धूर्त और धनवान होता है", किसी ऐसी परिकल्पना के निर्माण में सहायक नहीं हो सकते जिसकी वास्तविक तथ्यों के आधार पर परीक्षा की जा सके। इसके पश्चात भी ऐसे विश्वासों के प्रभाव की सीमा को केवल अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है।

6.5 कार्यकारी परिकल्पना के स्त्रोत-

परिकल्पना के अर्थ तथा विशेषता को समझ लेने के पश्चात यह जान लेना भी आवश्यक हैं कि वे कौन से स्त्रोत हैं जिनसे एक शोधकर्ता को किसी विशेष परिकल्पना के निर्माण में प्रेरणा मिलती है ? वास्तव में परिकल्पना के स्त्रोत वैयक्तिक भी हो सकते हैं, और बाह्य भी। वैयक्तिक आधार पर परिकल्पना का सबसे बड़ा स्त्रोत स्वयं अनुसंधान कर्ता की प्रतिभा और सूझ-बूझ है। एक अनुसंधानकर्ता अक्सर अपनी दूरदर्शिता, विचारों की मौलिकता तथा अनुभवों के आधार पर उपयोगी परिकल्पना का निर्माण कर सकता है। इसके अतिरिक्त, परिकल्पना का बाह्य स्त्रोत कोई भी सिद्धान्त, विचार, उपन्यास, प्रतिवेदन अथवा नाटक हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि जब कभी भी अनुसंधानकर्ता किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित एक सामान्य विचार के आधार पर अपनी परिकल्पना का निर्माण करता है, तो उसे परिकल्पना का बाह्य स्त्रोत कहा जाता है। 'गुडे एवं हाट' ने परिकल्पना के चार स्त्रोतों का उल्लेख किया है:

6.5.1 व्यक्तिगत अनुभव

अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव भी परिकल्पनाओं के महत्वपूर्ण स्त्रोत होते हैं। उदाहरण के लिए, लम्ब्रोसो ने एक चिकित्सक होने के बावजूद भी अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण किया कि 'अपराधी जन्मजात होते हैं, तथा अपनी शारीरिक विशेषताओं में वे सामान्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं। बाद में एकत्रित तथ्यों के आधार पर यह परिकल्पना पूर्णतया सत्य प्रमाणित हुई।

6.5.2 सामान्य संस्कृति

मानव की गतिविधियों को प्रभावित करने में संस्कृति का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार और उसका चिन्तन बहुत कुछ अपनी संस्कृति के अनुरूप ही देखा जाता है। ऐसी स्थिति में किसी अनुसंधान कार्य के लिए बनाई जाने वाली परिकल्पनाओं पर भी एक समाज विशेष की संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर 'गुडे और हाट' ने लिखा है कि "अधिकांश सांस्कृतिक मूल्य न केवल अनुसंधान के प्रति रूचि को बढ़ाने में आवश्यक होते हैं। बल्कि लोक-प्रज्ञा परिकल्पनाओं के निर्माण में एक स्त्रोत के रूप में भी सहायक होती है।

6.5.3 वैज्ञानिक सिद्धान्त

समय-समय पर प्रस्तुत किये जाने वाले वैज्ञानिक सिद्धान्त भी परिकल्पनाओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। वास्तव में अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन द्वारा केवल नये सिद्धान्तों का निर्माण ही नहीं करता बल्कि नई परिस्थितियों में पहले से स्थापित सिद्धान्तों का परीक्षण भी करता है। इस दृष्टिकोण से जब कभी भी किसी कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, तो पूर्व सिद्धान्तों के निष्कर्षों का भी उसमें कुछ न कुछ सीमा तक समावेश होता है। वास्तविकता

यह है कि अधिकाश नई परिकल्पनाएँ किसी न किसी वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर ही बनाई जाती है।

6.6 परिकल्पना का महत्त्व

किसी भी अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में परिकल्पना की भूमिका अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है। परिकल्पना के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए 'जहोदा और कुक' ने लिखा है कि "परिकल्पनाओं का निर्माण तथा सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य होता है।" इसी प्रकार 'गुडे एवं हाट' का कथन है कि "अच्छे अनुसंधान में परिकल्पना का निर्माण करना सर्वप्रमुख चरण है।" वास्तविकता यह है कि कोई भी सामाजिक अनुसंधान परिकल्पना के अभाव में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। परिकल्पना एक प्रकार का प्रकाश-स्तम्भ है, जो अध्ययनकर्ता को दिशा-निर्देश देता है तथा उसे व्यर्थ की सूचनाओं के संग्रह से रोकता है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में परिकल्पना के महत्त्व अथवा कार्यों को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है:-

6.6.1 अध्ययन कि दिशा का निर्धारण

परिकल्पना की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए 'पी0वी0यंग' का कथन है कि "परिकल्पना से अनुसंधानकर्ता ऐसे तथ्यों को एकत्रित करने से बच जाता है, जो बाद में अध्ययन-विषय के लिए व्यर्थ सिद्ध होते हैं।" वास्तव में प्रत्येक सर्वेक्षण और अनुसंधान के लिए बहुत अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है। परिकल्पना की सहायता से जब अध्ययन को एक दिशा मिल सकती है, तो अध्ययनकर्ता भी व्यर्थ के परिश्रम, समय एवं धन के व्यय से बच जाता है।

6.6.2 उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायक

किसी भी सामाजिक घटना अथवा समस्या का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता के सामने अनेक प्रकार के तथ्य आते हैं। कभी-कभी उन तथ्यों की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता को न समझ पाने के कारण अध्ययनकर्ता उपयोगी तथ्यों को छोड़कर व्यर्थ के तथ्यों के संकलन में लग जाता है। इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण अध्ययन अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक बन जाता है। इस स्थिति में "परिकल्पना की सहायता से यह निश्चित करना आसान हो जाता है कि किन तथ्यों को एकत्रित किया जाये और किन्हें सरलता से छोड़ दिया जाये।"

6.6.3 अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायक

परिकल्पना द्वारा अध्ययन क्षेत्र को इस प्रकार सीमित करना संभव हो जाता है कि अनुसंधानकर्ता अपना ध्यान अध्ययन के एक विशेष पहलू अथवा कुछ विशेष तथ्यों पर ही केन्द्रित कर सके। वास्तव में प्रत्येक अध्ययन विषय के बहुत से पहलू हो सकते हैं। यदि अध्ययनकर्ता सभी पहलुओं को एक साथ लेकर अध्ययन करना प्रारम्भ कर दे तो किसी भी पहलू की गहराई में जाकर तथ्यों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। अध्ययन की वैज्ञानिकता के

लिए अध्ययन क्षेत्र का सीमित होना अत्यन्त आवश्यक है। यह परिकल्पना की सहायता से ही संभव हो सकता है।

6.6.4 तर्कसंगत निष्कर्षों में सहायक

आरम्भ में ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि परिकल्पना वह मान्यता है जिसके द्वारा अनुसंधान कार्य आरम्भ करने से पहले ही एक कामचलाऊ निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। यह निष्कर्ष सत्य है अथवा असत्य, इसका परीक्षण बाद में एकत्रित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। तथ्यों के आधार पर यदि परिकल्पना से सम्बन्धित निष्कर्ष सही प्रमाणित होता है तो उसे एक सामान्य नियम के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इस आधार पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि यदि परिकल्पना का सावधानी से निर्माण किया जाये तो यह उपयुक्त और तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने में अत्यधिक सहायक होती है।

6.6.5 सिद्धान्तों के निर्माण में सहायक

सामाजिक शोध का अन्तिम उद्देश्य सिद्धान्तों का निर्माण करना होता है। इस कार्य में परिकल्पना की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, परिकल्पना का निर्माण साधारणतया किसी पूर्व स्थापित सिद्धान्त के आधार पर होता है। एक शोधकर्ता जब नई परिस्थितियों के संदर्भ में किसी पुराने सिद्धान्त की सार्थकता को देखने का प्रयत्न करता है, तो परिकल्पना उसके इस कार्य को बहुत अधिक सरल बना देती है। परिकल्पना की सहायता से जो सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किये जाते हैं वे नये सिद्धान्तों का निर्माण करने में अधिक सहायक सिद्ध होते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि किसी भी अनुसंधान में परिकल्पना का महत्त्व केन्द्रिय है। यही कारण है कि सामाजिक घटनाओं से सम्बन्धित कोई भी ऐसा शोध कार्य नहीं होता जिसमें किसी न किसी परिकल्पना को आधार मानकर तथ्यों को एकत्रित न किया जाय।

6.7 परिकल्पना की सीमाएँ

सामाजिक शोध में परिकल्पना के महत्त्व को देखते हुए यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह एक दोषरहित विधि है तथा कोई भी परिकल्पना वैज्ञानिक अध्ययन का आधार बन सकती है। सावधानी, पूर्वक बनाई गयी परिकल्पना जहाँ एक ओर वैज्ञानिक अध्ययन का मार्ग-निर्देशन करती हैं वहीं एक दोषपूर्ण अथवा भ्रमपूर्ण परिकल्पना अध्ययन के रास्तें में अनेक बाधाएँ भी उत्पन्न कर सकती हैं। इसका तात्पर्य है कि परिकल्पना - निर्माण की भी अपनी कुछ सीमाएँ हैं, जिसको ध्यान में रखकर ही इसके दोषों से बचा जा सकता है।

1- परिकल्पना की सबसे बड़ी सीमा अथवा दोष स्वयं अनुसंधानकर्ता की असावधानी है। एक ओर अनुसंधानकर्ता अक्सर अपनी भावनाओं अथवा पूर्वाग्रहों के आधार पर परिकल्पना का निर्माण कर लेता है वहीं ओर अपनी परिकल्पना में उसका विश्वास इतना अटूट

होता है कि वह उससे हटकर तथ्यों को देखना और समझना ही नही चाहता। इसके फलस्वरूप एक विशेष परिकल्पना पर आधारित सम्पूर्ण अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। साधारणतया अनेक अनुसंधानकर्ता अपनी परिकल्पना को प्रमाणित करना अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं, जो अत्यधिक दोषपूर्ण मनोवृत्ति है।

2- परिकल्पना की दूसरी सीमा स्वयं सामाजिक अध्ययनों से सम्बन्धित है। सामाजिक घटनाएँ अत्यधिक जटिल और परिवर्तशील होती है। इस स्थिति में विषय से सम्बन्धित विस्तृत सूचनाएं एकत्रित करने से पहले ही अपने मन में कोई सामान्य अनुमान लगा लेना बहुत कठिन होता है। आरम्भिक अनुमान अक्सर गलत परिकल्पनाओं के लिए उत्तरदायी होतं हैं।

3- परिकल्पना के निर्माण में सांस्कृतक विशेषताओं का भी बहुत महत्त्व होता है। वर्तमान स्थिति यह है कि आज विभिन्न संस्कृतियों के बीच इतना अधिक आदान-प्रदान हो रहा है कि किसी भी समाज में संस्कृति का रूप विशुद्ध नहीं है। इसके फलस्वरूप यदि किसी सांस्कृतिक विशेषता को ही परिकल्पना का स्रोत मान लिया जाता है तो अक्सर उसके दोषपूर्ण होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

4- परिकल्पना के निर्माण का एक अन्य प्रमुख स्रोत प्रचलित सिद्धान्त होते हैं। साधारणतया किसी सिद्धान्त के आधार पर एक परिकल्पना का निर्माण तो कर लिया जाता है लेकिन अक्सर यह नहीं देखा जाता कि वह सिद्धान्त कितना अधिक व्यवहारिक अथवा उपयोगी है। इसके फलस्वरूप परिकल्पना अध्ययनकर्ता को दिशा-निर्देश देने के स्थान पर उसे अनेक भ्रमपूर्ण स्थितियों में डाल देती है।

5- परिकल्पना की एक महत्त्वपूर्ण सीमा पूर्वगामी सर्वेक्षण की पद्धति से सम्बन्धित है। साधारणतया परिकल्पना का निर्माण किसी पूर्वगामी सर्वेक्षण अथवा सामान्य अवलोकन की सहायता से किया जाता है। कठिनाई यह है कि शीघ्रता में किए गए पूर्वगामी सर्वेक्षण के द्वारा शोधकर्ता को उत्तरदाताओं से अक्सर सही सूचनाएँ प्राप्त नहीं हो पातीं। इस स्तर पर सूचनाओं की सत्यता को देख सकना भी बहुत कठिन होता है। इसके परिणामस्वरूप उन सूचनादाताओं के आधार पर बनायी गयी परिकल्पना भी दोषपूर्ण हो जाती है।

कार्यकारी उपकल्पना के उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक शोध में उपकल्पना के महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सच है कि एक दोषपूर्ण परिकल्पना सम्पूर्ण अध्ययन को अवैज्ञानिक बना सकती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना के निर्माण से ही बचने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। परिकल्पना की सीमाएँ केवल इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि परिकल्पना का निर्माण अत्यधिक सावधानी-पूर्वक किया जाना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पना वह महत्त्वपूर्ण आधार है, जो अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण कर एक अर्न्तदृष्टि प्रदान कर सकती है।

6.8 सारांश

परिकल्पना एक ऐसा विचार है, जो किसी तथ्य के विषय में खोज करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए हमें साधारण ज्ञान के आधार पर यह ज्ञात है कि लोकतंत्र में समाचार पत्र के अन्दर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, किन्तु यह केवल विचार है, पूर्वानुमान है, पूर्व कल्पना है। जब तक परीक्षा करके इस तथ्य को प्रमाणित न किया जाये तो यह विचार सर्वमान्य नहीं हो सकता है।

6.9 शब्दावली

1- परिकल्पना - कामचलाऊ सामान्यीकरण

2- तात्विक उपकल्पना - दो-अथवा दो से अधिक चरों के बीच अनुमान पर आधारित सम्बन्ध।

3- सांख्यिकीय उपकल्पना - तात्विक परिकल्पना के एक पहलू को परिणात्मक एवं सांख्यिकीय शब्दों में व्यक्त करना।

6.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

1- डा0 मनोज दयाल - मीडिया शोध, प्रकाशक-हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला।

2- रवीन्द्र नाथ मुखर्जी- सामाजिक शोध व सांख्यिकी।

3- डा0 अर्जुन तिवारी- सम्पूर्ण पत्रकारिता।

6.11 सन्दर्भ ग्रन्थ -

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1- परिकल्पना का अर्थ स्पष्ट कीजिए

2- परिकल्पना की महत्ता बताइये

3- परिकल्पना की सीमाएँ क्या हैं ?

4- परिकल्पना के प्रकारों का संक्षप्त उल्लेख करें।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

1- परिकल्पना के अर्थ परिभाषा व महत्व पर प्रकाश डालिए।

2- परिकल्पना शोध के लिए आवश्यक है ? सिद्ध कीजिए।

3- परिकल्पना के प्रकार, गुण-दोष व सीमाओं का उल्लेख कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

(1) परिकल्पना का अर्थ है

(क) कामचलाऊ सामान्यीकरण

(ख) कल्पना

(ग) निष्कर्ष

(घ) इनमें से कोई नहीं

2- परिकल्पना निष्कर्ष है

(क) हाँ

(ख) नहीं

(ग) सिद्ध किया जाने वाला निष्कर्ष है

(घ) इनमें से कोई नहीं

3- परिकल्पना के स्त्रोत नहीं है

(क) वैयक्तिक सिद्धान्त

(ख) सामान्य संस्कृति

(ग) व्यक्तिगत अनुभव

(घ) कल्पना

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

(1) क (2) ग (3) घ

इकाई 7 - शोध प्ररचना (अभिकल्प)

इकाई की रूपरेखा -

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 शोध अभिकल्प का अर्थ व परिभाषा

7.3 शोध अभिकल्प के प्रकार

7.3.1 प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प

7.3.2 अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प

7.3.3 वर्णनात्मक शोध अभिकल्प

7.3.4 निदानात्मक शोध अभिकल्प

7.4 शोध अभिकल्प के कार्य

7.5 शोध अभिकल्प की उपयोगिता एवं महत्व

7.6 सारांश

7.7 शब्दावली

7.8 संदर्भ ग्रन्थ

7.9 सम्बन्धित प्रश्न

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- शोध प्ररचना का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कर सकेंगे।
- शोध प्ररचना के विविध प्रकारों से परिचित हो सकेंगे।
- शोध - अभिकल्प (प्ररचना) के कार्यों का उल्लेख कर सकेंगे।
- शोध प्ररचना के महत्व को जान सकेंगे।
- अनुसंधान की समस्या का निरुपम कर सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

अनुंसधान की पूर्व योजना बनाना अनुसंधान का प्रारूप तैयार करना है। कोई भी खिलाड़ी अच्छा खेल, खेल सकता है परन्तु यदि उसे खेल की तकनीक सिखाई जाए, तो और भी अच्छी तरह खेल सकता है। ओलम्पिक खेलों के कीर्तिमान से यह प्रमाणित होता है कि प्रशिक्षण और पूर्वाभ्यास का खेलों के कीर्तिमान पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार यदि अनुसंधान

की योजना पहले से बना ली जाये, उसके हर पक्ष पर विचार कर लिया जाय तो अनुसंधान कार्य और भी अधिक सफलता-पूर्वक किया जा सकता है।

अनुसंधान के साधन सीमित होते हैं। धन, श्रम और समय सभी कुछ सीमित होते हैं। इन सबको ध्यान में रखकर अनुसंधान की योजना इस प्रकार बनायी जाती है कि उसका लक्ष्य अधिक से अधिक ठीक ढंग से पूरा हो सके। जो अनुसंधान प्रारूप के अनुसार योजनाबद्ध नहीं होता, उसे तितर-बितर अनुसंधान कार्य कहते हैं। प्रस्तावित शोध प्रचना के अनुसार जाँच करने के लिए पाइलट स्टडी की जाती है। इससे यह पता चलता है कि अनुसंधान प्रारूप में कहां-कहाँ कमियाँ रह गयी हैं। उन कमियों को दूर करके शोध प्रचना को अन्तिम रूप दिया जाता है। अनुसंधान प्रचना वह निर्देशिका है जो हर पग पर अनुसंधान-कर्ता का मार्गदर्शन करती है। जिस प्रकार इमारत के निर्माण से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, उसी प्रकार अनुसंधान करने से पहले अनुसंधान की पूरी योजना बनायी जाती है। योजना बनाना ही शोध प्रचना कहलाती है।

7.2 शोध अभिकल्प का अर्थ व परिभाषा

शोध अभिकल्प क्या है? इसे स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने विभिन्न परिभाषायें प्रस्तुत की हैं :-

"एक शोध अभिकल्प शोध का तार्किक तथा व्यवस्थित आयोजन एवं निर्देशन है।" इस कथन से स्पष्ट होता है कि शोध अभिकल्प अध्ययन केवल एक व्यवस्थित प्रारूप ही नहीं है बल्कि यह अध्ययन से सम्बद्ध विभिन्न प्रारूप को तार्किक आधार पर भी प्रस्तुत करता है।

पी0 वी0 यंग

"जिस स्थिति में कोई निर्णय लिया जाता है, उसके उत्पन्न होने से पहले ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को ही हम अभिकल्प अथवा प्रारूप कहते हैं।" इससे स्पष्ट होता है कि शोध अभिकल्प शोध कार्य से पहले ही लिया जाने वाला एक ऐसा निर्णय है जो अध्ययन के स्वरूप तथा उसकी दिशा को स्पष्ट कर सके।

एकॉफ

शोध अभिकल्प की अनिवार्यता तथा सार्वभौमिककता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, "शोध अभिकल्प किसी भी अध्ययन की एक योजना है। अतः इसका आयोजन प्रत्येक अध्ययन में किया जाता है, चाहे वह अध्ययन नियन्त्रित हो अथवा अनियन्त्रित, भावना प्रधान हो अथवा वस्तुनिष्ट।"

विमल शाह

"शोध अभिकल्प अनुसन्धान की एक योजना, संरचना तथा नीति है जिसका उपयोग शोध से सम्बद्ध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने एवं विवाद पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है।"

करलिंगर

उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि शोध अभिकल्प शोध कार्य आरम्भ करने से पहले ही निर्मित एक ऐसी व्यवस्थित रूपरेखा है जो कुछ विशेष उद्देश्यों के संदर्भ में अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करती हैं। शोध अभिकल्प का निर्माण करते समय शोधकर्ता केवल इसी तथ्य को ध्यान में नहीं रखता कि उसके अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक है अथवा अन्वेषणात्मक, बल्कि उसे यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक निर्धारित समय एवं सीमित साधनों के अन्तर्गत वह किन पद्धतियों का प्रयोग करके अधिक से अधिक निष्कर्ष प्राप्त कर सकता है। वैसे तो भौतिक विज्ञानों में भी शोध अभिकल्प का निर्माण करना उपयोगी होता है लेकिन सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में शोध अभिकल्प इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सामाजिक जीवन की असीम व्यापकता में से उपयोगी, तार्किक तथा संगत तथ्य तब तक प्राप्त नहीं किये जा सकते जब तक शोधकर्त्ता एक निश्चित क्षेत्र से आबद्ध रहते हुए कार्य न करें। इस प्रकार जो शोध अभिकल्प, केवल सामाजिक घटनाओं के अध्ययन से ही सम्बद्ध होता है उसे हम सामाजिक शोध का अभिकल्प कहते हैं।

7.3 शोध अभिकल्प के प्रकार

सामाजिक घटनाओं की विविधता को देखते हुए किसी एक सर्वमान्य शोध अभिकल्प की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में शोध अभिकल्प तभी उपयोगी होता है जब वह अध्ययन विषय की प्रकृति के अनुरूप हो।

शोध अभिकल्पों के चार प्रमुख्य प्रकारों को स्पष्ट किया जा सकता है।

7.3.1 प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प

समाजशास्त्रीय शोध की वैज्ञानिकता के विरुद्ध प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि इसमें प्रौद्योगिकीकरण का अभाव होने के कारण इन्हें वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अब प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प को व्यवहार में लाना आरम्भ कर दिया है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन विषय को कुछ नियन्त्रित अवस्थाओं में रखकर विभिन्न का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार जब सामाजिक घटनाओं को भी कुछ नियन्त्रित दशाओं में रखकर परीक्षण के आधार पर अध्ययन की रूप-रेखा तैयार की जाती है। तब ऐसे प्रारूप को हम परीक्षणात्मक अथवा प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प कहते हैं। इस प्रकार प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प की सहायता से यह जानना सम्भव हो जाता है कि किसी नवीन परिस्थिति का एक विशेष सामाजिक तथ्य पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ा। विमल शाह का कथन है, " प्रयोग शब्द शोध के उस भाग की ओर संकेत करता है जिसमें कुछ चरों को नियन्त्रित कर लिया जाता है जबकि अन्य चरों में इस प्रकार परिवर्तन लाया जाता है जिससे नियन्त्रित चरों पर उनके प्रभाव को देखा जा सके।" इससे स्पष्ट होता है कि प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त प्रयोगशाला पद्धति का ही उपयोगी विकल्प है तथा अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक अनुसन्धानों में इसका उपयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं।

पश्चात परीक्षण (After only - Experiment) परचात् परीक्षण वह प्रविधि

है जिसके अन्तर्गत सर्वप्रथम लगभग समान विशेषताओं वाले दो समूहों का चयन कर लिया जाता है। इनमें से किसी एक समूह को नियन्त्रित समूह तथा दूसरे को प्रयोगात्मक समूह के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यदि दोनों समूहों में परिवर्तन बहुत कुछ समान होता है तो यह मान लिया जाता है है कि प्रयोगात्मक समूह पर नई दशाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत, यदि प्रयोगात्मक समूह में नियन्त्रित समूह की अपेक्षा परिवर्तन अधिक होता है तो इसे नई दशाओं के प्रभाव का परिणाम मान लिया जाता है।

(b) पूर्व पश्चात् परीक्षण (Before-After - Experiment) इस विधि के अन्तर्गत अध्ययन के लिए केवल एक ही समूह का चयन किया जाता है अथवा यह कहा जा सकता है कि किन्हीं ऐसे दो समूहों का चयन नहीं किया जाता जिनमें से एक अध्ययन के लिए नियन्त्रित रखने की आवश्यकता हों। ऐसे शोध के लिए चयनित समूह का दो विभिन्न अवधियों में अध्ययन करके पूर्व और पश्चात् के अन्तर को देखा जाता है। यही अन्तर परीक्षण अथवा उपचार का परिणाम मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी गाँव के किसानों पर कृषि सम्बन्धी नवाचारों के प्रभावों का अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम हम किसी समूह अथवा गाँव में एक अनुसूची के माध्यम से यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि वर्तमान कृषि सम्बन्धी नवाचार वहाँ के कृषकों को किस सीमा तक प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी जानकारी परीक्षण से पूर्व की जानकारी होगी। इसके पश्चात् हम एक निश्चित अवधि तक नियमित रूप से ग्रामीणों को रेडियो, दूरदर्शन अथवा ग्राम सेवकों के माध्यम से कृषि सम्बन्धी नवाचारों की जानकारी देंगे। निश्चित अवधि समाप्त हो जाने पर पूर्व निर्मित्त अनुसूची द्वारा पुनः यह देखा जायेगा कि कृषि सम्बन्धी नवाचारों ने ग्रामीणों को किस सीमा तक प्रभावित किया। यह परीक्षण के पश्चात् की जानकारी होगी। पूर्व और पश्चात् की जानकारी के बीच जो अन्तर प्राप्त होगा उसी को परीक्षण का परिणाम माना जायेगा।

(c) ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण (Ex-post-facto Experiment) ऐतिहासिक तथ्यों को हम न तो नियन्त्रित कर सकते हैं और न ही उनमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण विधि वह विधि है जिसमें हम विभिन्न आधारों पर प्राचीन अभिलेखों के विभिन्न पक्षों की तुलना करके एक उपयोगी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। अभिलेखों की तुलना से अनेक महत्वपूर्ण परिणामों की माप करना भी सम्भव हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें अनुसूचित एवं पिछड़ी हुई जातियों पर कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करना है तो इस कार्य में अनेक ऐतिहासिक तथ्य भी प्रयोग का महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं।

7.3.2 अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध अभिकल्प (Exploratory or Formulative Research Design)

जब किसी समस्या के सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्ष की पर्याप्त जानकारी नहीं होती एवं शोधकर्ता का उद्देश्य किसी विशेष सामाजिक घटना के लिए उत्तरदायी कारणों को खोज निकालना होता है, तब अध्ययन के लिए जिस शोध अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसे हम अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध अभिकल्प कहते हैं। हंसराज ने लिखा है, " अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशिष्ट अनुसन्धान के लिए परिकल्पना का निर्माण करके एवं उससे सम्बद्ध अनुभव प्राप्त करने

के लिए आवश्यक है''। समाज वैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, इसलिए अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध अभिकल्प ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा घटनाओं में व्याप्त नियमितता और श्रृंखलाबद्धता को स्पष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी शोध-विषय की उपयुक्तता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार के शोध अभिकल्प का निर्माण किया जाता है।

अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प की सफलता कुछ अनिवार्य दशाओं पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे शोध-अभिकल्प की योजना तैयार करने के लिए कुछ विशेष दशाओं पर ध्यान देना अथवा उनका पालन करना अनिवार्य होता है।

(a) साहित्य का सर्वेक्षण (Review of Literature) अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य का अधिक से अधिक अध्ययन किया जाय। साहित्य के सर्वेक्षण से परिकल्पना के निर्माण में सहायता मिलती है तथा शोधकर्ता इधर-उधर भटकने से बच जाता है। इसमें शोधकर्ता के श्रम, समय और व्यय में भी बचत होती हैं।

(b) अनुभवी व्यक्तियों से सम्पर्क (Experience Survey) सामाजिक ज्ञान का एक बड़ा भाग अलिखित वर्ग के रूप में विद्यमान होता है। इस स्थिति में शोधकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों से अध्ययन-विषय से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त किया जाय जिन्हें समस्या के विषय में पर्याप्त अनुभव होता है। इस प्रकार से संचित व्यावहारिक अनुभव शोधकर्ता को न केवल अध्ययन - विषय की वास्तविकता से परिचित कराते हैं बल्कि उसके लिए पथ-प्रदर्शक का भी कार्य करते हैं।

(c) सूचनादाताओं का चयन (Selection of Respondents) अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प की सफलता इस तथ्य पर आधारित है कि तथ्यों के संकलन के लिए ऐसे सूचनादाताओं का चयन किया जाय जिनसे अध्ययन के लिए वास्तविक अन्तरदृष्टि प्राप्त हो सके। यह कार्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों विधियों से किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से गाँव पंचायत के पदाधिकारियों, अभिभावकों तथा कुछ प्रबुद्ध नागरिकों से सूचनाएँ प्राप्त करना अप्रत्यक्ष विधि से सम्बन्धित है। ऐसी सभी सूचनाएँ अध्ययन को वास्तविक अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है।

(d) उपयुक्त प्रश्न पूछना (Proper Questioning) अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्ययन-विषय से सम्बन्धित प्रश्न पूछने में किसी उपयुक्त विधि को अपनाया जाय। इसके अभाव में यथार्थ सूचनाए एकत्रित नहीं की जा सकती जिसके फलस्वरूप कितनी भी सावधानी से निर्मित किया गया अभिकल्प अनुपयोगी हो जाता है।

(e) अन्तर्दृष्टि-प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण (Analysis of Insight stimulating cases) इसका तात्पर्य है कि अध्ययन-विषय से सम्बन्धित कुछ पक्ष अथवा क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बारे में शोधकर्ता का ज्ञान सीमित हो परन्तु उसके निरन्तर विश्लेषण एवं अनुशीलन से अध्ययन विषय से सम्बन्धित एक व्यावहारिक अन्तर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है।

7.3.3 वर्णनात्मक शोध अभिकल्प (Descriptive Research Design)

वर्णनात्मक शोध अभिकल्प वह विशेष प्रारूप है जिसका उद्देश्य किसी अध्ययन-विषय के बारे में यथार्थ तथ्य एकत्रित करके उन्हें एक विवरण के रूप में प्रस्तुत करना होता है। सामाजिक जीवन के अध्ययन से सम्बन्धित अनेक विषय इस प्रकार के होते हैं जिनका अतीत में कोई गहन अध्ययन प्राप्त नहीं होता। ऐसी दशा में यह आवश्यक हाता है कि अध्ययन से सम्बन्धित समूह, समुदाय अथवा विषय के बारे में अधिक से अधिक सूचनाएँ एकत्रित करके उन्हें जन-सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। ऐसे अध्ययनों के लिए जिस शोध अभिकल्प का निर्माण किया जाता है कि उसी को हम वर्णनात्मक शोध अभिकल्प कहते हैं।

वर्णनात्मक शोध अभिकल्प की प्रकृति को इसकी पाँच प्रमुख विशेषताओं के आधार पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है- (1) ऐसे शोध अभिकल्प का उद्देश्य अध्ययन से सम्बन्धित विषय अथवा समस्या के अधिकाधिक पक्षों को विस्तार से स्पष्ट करना होता है। (2) यदि किसी समूह, समुदाय अथवा विशेषता का पूर्व में कोई अध्ययन न किया गया हो तो उसका प्रारम्भिक अध्ययन करने के लिए वर्णनात्मक शोध अभिकल्प को अधिक उपयुक्त समझा जाता है। (3) वर्णनात्मक शोध के सभी चरण वैज्ञानिक विधि के समानान्तर होते हैं। (4) साधारणतया ऐसे शोध अभिकल्प में अध्ययन के लिए किसी विशेष परिकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं होता। अध्ययनकर्ता का उद्देश्य विषय के सभी पक्षों से सम्बन्धित अधिकाधिक सूचनाएँ एकत्रित करना होता है (5) ऐसे शोध में शोधकर्ता की भूमिका एक सुधारक अथवा भविष्यवक्ता की न होकर एक तटस्थ अवलोकनकर्ता की होती है।

7.3.4 निदानात्मक शोध अभिकल्प (Diagonostic Research Design)

यह सच है कि प्रत्येक सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य सामाजिक ज्ञान में वृद्धि करना है लेकिन अनेक अध्ययन - विषय इस प्रकार के होते हैं कि उनमें कार्य-कारण के सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता ह। ऐसा मुख्यतः तब होता है जब शोधकर्ता का उद्देश्य किसी समस्या के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात करके उनका समाधान करने के आधार प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार एक शोधकर्ता जब किसी समस्या के वास्तविक कारणों को जानने तथा उनका निराकरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किसी शोध अभिकल्प का निर्माण करता है, तब ऐसे अभिकल्प को 'निदानात्मक शोध अभिकल्प' कहते हैं।

निदानात्मक शोध अभिकल्प की प्रकृति को इसकी कुछ विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है:- (1) ऐसे शोध अभिकल्प का उद्देश्य मुख्यतः किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए व्यावहारिक आधार पर प्रस्तुत करना होता है। (2) निदानात्मक शोध अभिकल्प के प्रथम चरण में ही एकाधिक परिकल्पनाओं का निर्माण कर लिया जाता है जिससे अध्ययन को सही दिशा प्राप्त हो सके। (3) इस शोध अभिकल्प के द्वारा समस्या की गहराई में छिपे प्रत्येक विषय का अध्ययन किया जाता है। (4) समस्याओं के कारणों की खोज वैज्ञानिक पद्धति द्वारा की जाती है। मनमाने रूप से एकत्रित तथ्यों के आधार पर नहीं। (5) निदानात्मक शोध अभिकल्प ज्ञान की वृद्धि में रूचि लेने के पश्चात् भी मुख्यतः किसी विशेष समस्या के समाधान का एक माध्यम ही होता है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि समुचित शोध अभिकल्प का निर्माण सामाजिक शोध की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि सामाजिक घटनाओं में इतनी अधिक विविधता है कि सभी अध्ययन-विषय के लिए एक सामान्य शोध अभिकल्प उपयोगी नहीं हो सकता। शोध अभिकल्प का निर्माण सदैव अध्ययन विषय की प्रकृति, उद्देश्यों एवं परिकल्पना के अनुरूप किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि सभी शोध अभिकल्प एक-दूसरे से पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं हैं।

7.4 शोध अभिकल्प के कार्य

शोध प्ररचना के मुख्य कार्य निम्नवत हैं :-

(1) पूर्वनिर्धारित प्राक्कल्पना का तात्कालिक स्थितियों के सन्दर्भ में निरीक्षण करना।

(2) विभिन्न शोध-पद्धतियों के प्रयोग की सम्भावनाओं का स्पष्टीकरण करना।

(3) सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान को आकर्षित करना।

(4) विस्तृत शोध कार्य के लिए अपरिचित क्षेत्र में व्यवस्थित प्राक्कल्पना का आधार प्राप्त करना।

(5) शोध-कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारम्भ करने में सहायता करना।

(6) किसान की सीमाओं में विस्तार करके उसके क्षेत्र का विकास करना।

(7) अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शोधकर्ता को प्रेरित करना।

7.5 शोध अभिकल्प की उपयोगिता व महत्व

जिस प्रकार फौज का कमाण्डर निशाने पर हमला करने के लिए अपने साधनों के अनुसार पहले से पूरी योजना बना लेता है और दुश्मन की हर सम्भावित चाल की काट-छांट निकाल लेता है, तब आक्रमण करता है, उसी प्रकार जनसंचार अनुसंधान भी उद्देश्यपूर्ण प्रयास हैं। इसका भी लक्ष्य होता है। अतः अनुसंधान प्रारम्भ करने से पहले उसके हर पक्ष पर भली-भाँति विचार करके योजना बनायी जाती है।

7.6 सारांश

अनुसंधान के प्रारम्भ होने से पहले अनुसंधान की पूरी योजना बनाना ही अनुसंधान प्रारूप तैयार करना है। अनुसंधान की योजना ही उसका प्रारूप या प्ररचना है। अनुसंधान प्ररचना के अन्तर्गत अध्ययन की समस्या का निरूपण, आंकड़ा संकलन की विधि, समग्र और निर्देशन आदि निश्चित किये जाते हैं। समय और साधन के अनुसार अनुसंधान प्ररचना बनायी जाती है। अनुसंधान प्ररचना के तीन प्रमुख प्रकार हैं। घटना का वस्तुगत विवरण प्रस्तुत करने के लिए विवरणात्मक अनुसंधान प्ररचना होती है। घटनाओं में कार्यकारण स्थापना और उपकल्पना की जांच के लिए अन्वेषणमूलक प्ररचना होती है जबकि नियंत्रित स्थिति में प्रायोगिक परिवर्त्यीक प्रभाव को देखने के लिए प्रायोगिक अनसंधान प्ररचना बनायी जाती है।

7.7 शब्दावली

प्रचना - प्रारुप / अभिकल्प / डिजाइन

शोध प्रचना - अनुसंधान के लिए योजना बनाना ही शोध प्रचना है

अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रचना - घटनाउं. के कार्य-कारण की खोज के लिए योजना बनाना।

7.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

रवीन्द्र नाथ मुखर्जी — सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी

हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव — सामाजिक अनुसंधान की कार्य विधिकी

डा0 मनोज दयाल — मीडिया शोध

7.9 सम्बन्धित प्रश्न -

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1- शोध प्रारूप क्या है ?

2- वर्णनात्मक शोध प्रचना के प्रमुख लक्षण की विवेचना कीजिए।

3- प्रायोगिक शोध प्रचना से आप क्या समझते हैं ।

निबन्धात्मक प्रश्न -

1- शोध प्रचना का उद्देश्य परिभाषा एवं विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

2- शोध कार्य में शोध प्रारूप के महत्व पर एक निबन्ध लिखिए।

3- अनुसंधान प्रारूप से आप क्या समझते हैं ? गवेषणात्मक और प्रायोगिक प्रचना में अन्तर बतलाइये।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1- शोध प्रारूप का अर्थ है

(क) योजना बनाना

(ख) शोध करना

(ग) उपकल्पना बनाना

(घ) इनमें से कोई नहीं

2- अन्वेषणात्मक शोध प्रचना है

(क) कार्य-कारण सम्बन्ध जानने के लिए योजना बनाना।

(ख) घटना का वर्णन करना

(ग) प्रयोग करना

(घ) इसमें से कोई नहीं

3- शोध प्रचना से बचत होती है

(क) समय की

(ख) धन की

(ग) श्रम की

(घ) उपर्युक्त सभी

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर-

(1) - क (2)-क (3)-घ

इकाई 8 - अवलोकन या निरीक्षण विधि

इकाई की रूपरेखा -

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 परिभाषा एवं अर्थ

8.3 विधि की विशेषताएँ

8.4 अवलोकन की अन्तर्वस्तु

8.5 अवलोकन के प्रकार

- 8.5.1 सहभागी अवलोकन
- 8.5.2 असहभागी अवलोकन
- 8.5.3 अनियंत्रित अवलोकन
- 8.5.4 नियंत्रित अवलोकन

8.6 अवलोकन की सीमाएं

8.7 सारांश

8.8 शब्दावली

8.0 सन्दर्भ ग्रन्थ

8.0 सम्बन्धित प्रश्न

8.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप -

- अवलोकन या निरीक्षण को स्पष्ट कर सकेंगे।
- निरीक्षण विधि को जान सकेंगे।
- निरीक्षण विधि के विविध आयामों का उल्लेख कर सकेंगे।
- निरीक्षण विधि की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।
- निरीक्षण विधि की सीमाओं को जान सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

अवलोकन या निरीक्षण अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। अवलोकन तब भी था जब मानव जाति के पास अध्ययन की कोई विधि नहीं थी। प्राचीन कालीन विद्वानों के पास अवलोकन

के अतिरिक्त तथ्यों को देखने की दूसरी विधि नहीं थी। इन विद्वानों ने प्रकृति और समाज की गतिविधियों का निरन्तर अवलोकन किया। समाज के विषय में दार्शनिकों ने जो कुछ भी कहा है वह शुद्ध अवलोकन पर आधारित है। गुडे एवं हाट के अनुसार "अवलोकन से विज्ञान का आरम्भ होता है और प्रमाणिकता के लिए विज्ञान पुनः अवलोकन तक पहुँचता है।

अवलोकन भौतिकी और मानसिक दोनों ही होता है। यह नहीं समझना चाहिए कि अवलोकन केवल आंकड़ों से देखने की विधि है। सभी ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त सूचनाएं अवलोकन के अन्तर्गत आती हैं। अतः देखना, सुनना, स्पर्श करना और महसूस करना अवलोकन है।

8.2 परिभाषा एवं अर्थ

अवलोकन अंग्रेजी के शब्द 'आबजरवेशन' (Observation) का अनुवाद है। अंग्रेजी के इस शब्द का अर्थ होता है, 'किसी चीज को मस्तिष्क के सामने रखना।'' अतः ध्यान से देखना और उसके हर पक्ष को समझना अवलोकन की विशेषता है। उद्देश्यपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान अवलोकन कहलाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि 'उद्देश्यपूर्ण देखना' अवलोकन है। यों तो हर समय हम कुछ न कुछ देखा ही करते हैं। शहर की भीड़-भाड़ से गुजरते हुए हम बहुत कुछ देखते हैं, परन्तु यह सब निरीक्षण नहीं होता। इसे हम केवल देखना कह सकते हैं। जब हमारे देखने का कोई उद्देश्य होता है, तो ऐसा देखना अवलोकन हो जाता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि केवल आँखो से देखना निरीक्षण नहीं है। इसलिए हमें अवलोकन की उस परिभाषा से सहमत नहीं होनी चाहिए, जिसमें आँख द्वारा देखने पर बल दिया गया है। अन्य इन्द्रियों को भी अवलोकन में सम्मिलित किया है परन्तु आँखो पर भरोसा अधिक किया जाता है। जबकि हमारा यह कथन है कि प्रत्यक्ष बात के सभी स्त्रोत (आँख, नाक, कान, त्वचा संवेदना और तथ्यगत अनुमान) अवलोकन के अन्तर्गत आते हैं। हमारे अनुसार "उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित ढंग से सचेत होकर ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना और अनुमान लगाना अवलोकन है।"

सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्ष अवलोकन से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वे प्रमाण के रूप में प्रयोग होते हैं। अनुसंधानकर्ता केवल अवलोकन से आंकड़े प्राप्त नहीं करता बल्कि प्रश्नावली साक्षात्कार, समाजमिति और प्रोजेक्टिव विधियों से भी आंकड़े प्राप्त किये जाते हैं। अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों को दूसरी विधियों से प्राप्त आंकड़ों से तुलना करके प्रमाणिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

8.3 अवलोकन विधि की विशेषताएं

अवलोकन विधि की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है :-

1- घटना जिस समय घटती है अवलोकन द्वारा उसे उसी समय देखा जा सकता है। जिस समय घटना घटती है उसी समय उसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेने से प्रमाणिक आंकड़े प्राप्त होते हैं परन्तु यह भी हो सकता है कि घटना के घटने तक अनुसंधानकर्ता को प्रतीक्षा करनी पड़े। इस कारण अनुसंधान में विलंब हो सकता है। प्रयोगशाला में यदि किसी घटना का निर्माण हो सकता है तो तरन्त देखा जा सकता है।

2- अनुसंधान के कुछ ऐसे विषय होते हैं जो अपने बारे में बताने से इन्कार कर देते हैं, या किसी प्रकार से अनिच्छा प्रकट करते हैं। परन्तु अवलोकन द्वारा अनिच्छुक विषयों का भी अध्ययन किया जा सकता है

3- अध्ययन के कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अपनी बात कहने की क्षमता नहीं रखते। मानवशास्त्रियों ने जनजातियों के अध्ययन करने में कठिनाई का अनुभव किया है। यदि बच्चों पर अनुसंधान करना हो तो वे भी अपनी बात नहीं कह सकते। अतः अनुसंधान विधि की यह विशेषता है कि इसके द्वारा उनके व्यवहारों का अवलोकन हो सकता है जो स्वयं अपने बारे में नहीं बता सकते हैं।

4- अवलोकन हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। अवलोकन प्रमाणिक और परिशुद्ध हो इसके लिए आवश्यक है कि अवलोकनकर्त्ता प्रशिक्षित हो। अवलोकन की क्षमता सीख लेने से अवलोकन के परिणाम परिशुद्ध, प्रमाणिक और विश्वसनीय हो सकते हैं। अवलोकन विधि की सीमाओं का उल्लेख हम आगे करेंगे।

8.4 अवलोकन की अन्तर्वस्तु

अवलोकन विधि द्वारा जो कुछ देखा जाता है उसे अवलोकन अनुसूची बनाते समय या अवलोकन का उद्देश्य निश्चित करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देनी चाहिए:

1- अवलोकन के पात्र इसके अन्तर्गत यह निश्चित करना होता है कि अवलोकन किनका करना है। जिनका अवलोकन करना है वे लोग आपस में संबंधित कैसे हैं ?

2- पटभूमि - अवलोकन कहाँ करना है ? जैसे सड़क पर, परिवार में, कारखाने में, अथवा प्रयोगशाला में। पटभूमि की सभी सामाजिक विशेषताओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

3- उद्देश्य-उद्देश्य से अभिप्राय अवलोकन के पात्रों के एकत्रित होने के उद्देश्य से है। जैसे, बच्चे खेल के मैदान में किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं ? किसी स्थान पर दर्शकों की भीड़ क्यों लग रही है? अवलोकन के अन्तर्गत पात्रों के व्यवहार का उद्देश्य जानना आवश्यक है।

4- सामाजिक व्यवहार - अवलोकन द्वारा यह जानना होता है कि "वास्तव में हो क्या रहा है?" सामाजिक व्यवहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पर ध्यान देना आवश्यक है:

(अ) वे उत्तेजनाएं कौन सी है, जिनसे सामाजिक व्यवहार या घटना उत्पन्न हो रही है।

(ब) ये व्यवहार किस ओर लक्षित हैं। जैसे, भीड़ किस पर आक्रमण करना चाहती है।

(स) सामाजिक क्रियाओं का स्वरूप क्या है जैसे, सोचना, दौड़ना, बैठना और शोर मचाना आदि।

(द) सामाजिक व्यवहार के क्या लक्ष्य हैं ?

(य) सामाजिक व्यवहारों के परिणाम क्या निकल रहे हैं ? दूसरे किस प्रकार प्रभावित या उत्तेजित हो रहे हैं ?

(र) सामाजिक व्यवहार के गुण क्या हैं अर्थात् व्यवहारों में कितनी गहनता, निरन्तरता और प्रभावशीलता है? व्यवहार कितनी देर तक चल रहा है।

5- सामाजिक व्यवहार की बारम्बारता - घटना कब घटती है ? कितनी देर तक घटती रहती है ? किस कारण से कब घटने लगती है? कितने देर के बाद घटती है, समाप्त हो जाती है और फिर घटती है ?

8.5 अवलोकन के प्रकार

अवलोकन सरल कार्य नहीं है। निरीक्षक तथा निरीक्षित की अनेक समस्याएं होती हैं। अवलोकनकर्ता में सूझ-बूझ, अर्न्तदृष्टि, व्यवहार-कुशलता और धैर्य का होना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान का जैसा विषय होता है, अवलोकन का प्रकार उसी के अनुसार निर्धारित करना पड़ता है। कुछ अनुसंधानकर्ता, बड़े साहसी हुये हैं। जन-जातियों में जाकर, जान का जोखिम उठाकर उन्होंने अवलोकन किया है। अगर यह जानना हो कि कारखाने में मजदूर क्या करते हैं, तो अनुसंधानकर्ता स्वयं मजदूर के रूप में कार्य करके मजदूरों का व्यवहार ज्ञात कर सकता है। किसी समुदाय में अवलोकन हेतु प्रवेश करने से पहले बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। अवलोकनकर्ता को अपनी पहचान बतानी या छुपानी चाहिए। वह अपनी पहचान को छिपाकर भी अवलोकन कर सकता है। यदि वह अपनी पहचान प्रकट करना चाहता है, तो उसे कुछ ऐसा करना होगा कि समुदाय के सभी लोग उसे स्वीकारने को तैयार हों।

अवलोकन की घटना पर नियंत्रण होना और एक महत्वपूर्ण समस्या है। अधिकांश सामाजिक घटनाएं ऐसी होती है जिन पर निरीक्षक का नियंत्रण नहीं होता है। लोग किस आस्था के साथ सूर्य ग्रहण में गंगा स्नान करते हैं, उसे तभी देखा जा सकता है जब ग्रहण लगता है। निरीक्षक अपनी सुविधानुसार न ग्रहण लगा सकता है, न लोगों को गंगा स्नान के लिए प्रेरित कर सकता है। यह स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर है। यह घटना जब घटित होगी तभी उसका अवलोकन किया जा सकता है।

प्रयोगशाला में घटनाओं को नियंत्रित अवस्था में बार-बार उत्पन्न किया जा सकता है। दर्शकों को फिल्म या नाटक बार-बार दिखाये जा सकते हैं और उनके प्रभाव का अवलोकन किया जा सकता है। यहाँ पर अवलोकन स्थिति पर निरीक्षक का नियंत्रण होता है। आवश्यकतानुसार

वह दशाओं को भी बदल सकता है। प्रयोगशाला में वह अधिक प्रकाश, अंधेरा, गर्मी या सर्दी की स्थितियाँ उत्पन्न करके उनके प्रभाव को देख सकता है। नियंत्रित अवलोकन में प्रयोग के गुण होते हैं।

उपरोक्त समस्याओं की व्याख्या के आधार पर हम अवलोकन का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में दर्शा सकते हैं :-

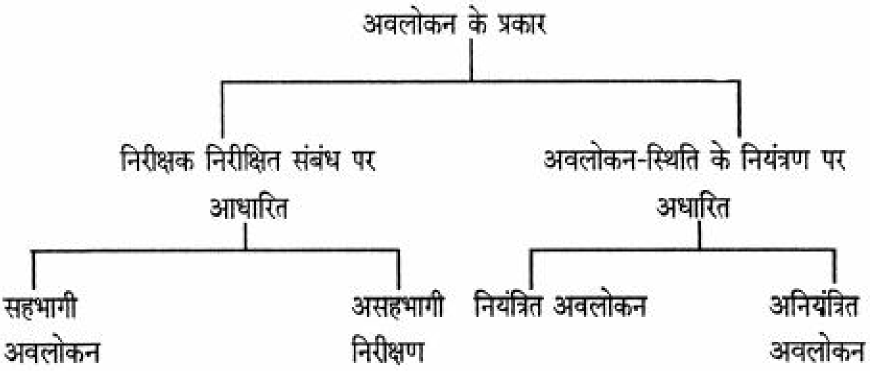

पी० वी० यंग ने अवलोकन का वर्गीकरण, इन दोनों आधारों को मिलाते हुए इस प्रकार किया है-

(1) अनियंत्रित एवं असहभागी अवलोकन

(2) अनियोजित एवं सहभागी अवलोकन

(3) नियंत्रित अवलोकन।

8.5.1 सहभागी अवलोकन

सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक सामाजिक घटना अनेक दूसरे लोगों से सम्बन्धित होती है। यदि अवलोकनकर्ता निरीक्षित समूह या समूदाय में पूर्ण रूप से घुल-मिलकर अवलोकन करता है, तो इसे सहभागी अवलोकन कहते हैं। समूह या समुदाय के प्रतिदिन के जीवन में घुल मिलकर भाग लेना सहभाग करना है। अनुसंधानकर्ता किसी समूह में अधिक घुल-मिल सकता है या कम घुल मिल सकता है। अनुसंधानकर्ता जार्ज लुण्डवर्ग ने सहभाग के अंशों पर सहभागी अवलोकन को चरम सीमावर्ती सहभागी अवलोकन (extreme form of participation) या कम चरम सीमावर्ती सहभागी अवलोकन (less extreme form of participation) बताया है। कम चरम सीमावर्ती को अर्द्ध सहभागी अवलोकन (Quasi - participant observation) भी कहा जा सकता है। हम इन दोनों प्रकार के अवलोकन को सहभागी अवलोकन के अन्तर्गत ही रखेंगे। सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता निरीक्षित समूह की भाषा, वेशभूषा और रहन-सहन कुछ इस तरह अपना लेता है कि समूह वाले उसे अपने ही सदस्य के समान स्वीकार कर लेते हैं। जब भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार की दूरियाँ मिट जाती है तो सहभाग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पी० वी० यंग के अनुसार सहभागी अवलोकन के अन्तर्गत निरीक्षक और निरीक्षित में परस्पर मानसिक दूरी नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, समूह जब अवलोकनकर्ता को

अपरिचित, अजनबी, संदेहजनक, परदेशी नहीं मानते हैं, तो वे उसे अपने जीवन में सहभागी बना लेता है। इस प्रकार समूह द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद अवलोकनकर्ता सामूहिक जीवन के हर पक्ष का हर तरह से, नजदीक से, सही अर्थों में अध्ययन करता है। हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुसंधानकर्ता 'ख' को गन्दी बस्तियों का अध्ययन करना था। अध्ययन के उद्देश्य से अपने एक नगर की गन्दी बस्ती में किराये पर खोली प्राप्त कर ली। वहां रहकर उसने धीरे-धीरे अपना परिचय बढ़ाया और वहाँ के लोगों के साथ चाय के चटकलों,होटलों और गलियों के जीवन को वह समझने लगा। उसने देखा छोटे से कमरे में किस प्रकार छः-छः परिवार एक साथ रहते हैं। उसी में खाना पकाते हैं, बीमार रहते हैं, सोते हैं, और बच्चे पैदा करते हैं। सार्वजनिक शौचालय के सामने किस प्रकार लाइनें लगती हैं। सार्वजनिक नल से पानी भरने के लिए किस प्रकार क्यू लगाना पड़ता है। लोग किस प्रकार अर्ध-अपराधी जीवन बिताते हैं। सब कुछ अपने आंखों से देख सुनकर उसे पता चला कि इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग अमानवीय जीवन बिता रहे हैं।

इसी गन्दी बस्ती का अध्ययन केवल क्षणिक सर्वेक्षण से सफलता-पूर्वक नहीं किया जा सकता। मानवशास्त्रियों ने, अपनी जान को खतरे में डालकर, जनजातियों का अध्ययन किया है। ऐल्विन नामक मानवशास्त्री ने असम की जनजातियों का सहभागी निरीक्षण किया। उनके बीच रहकर उन्होंने जनकल्याणकारी काम भी किया। यह भी देखा गया है कि मानवशास्त्रियों ने सहभागी निरीक्षण और मिशनरी कार्य के बीच जनजातीय समूह से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लिया कि प्रेम और विवाह करके वहीं बस गये।

सहभागी अवलोकन की उपयोगिता (Advantages of Participant Observation)-

सहभागी निरीक्षण घनिष्ठ सम्बन्ध पर आधारित होता है। निरीक्षणकर्ता और निरीक्षित की दूरी मिट जाती है। निरीक्षणकर्ता समूह के सदस्य के समान स्वीकार कर लिया जाता है। उससे कुछ छिपाया नहीं जाता। उस पर भरोसा किया जाता है। इस प्रकार के निरीक्षण के निम्नलिखित उपयोग हैः-

1) समूह का स्वाभाविक अध्ययन - अनुसंधानकर्ता के वैज्ञानिक उद्देश्य की जानकारी लोगों को नहीं होती है। वे उसे अपना ही आदमी समझते रहते हैं। उसके समक्ष स्वाभाविक रूप से बोलते - चालते, रहते-सहते और प्रतिदिन का व्यवहार करते हैं। इस सहज और स्वाभाविक स्थिति का अवलोकन कर लिया जाता है। यदि यह पता चल जाय कि अध्ययनकर्ता उनका अवलोकन कर रहा है, तो वे सहज और स्वाभाविक न होकर बनावटी हो सकते हैं। अतः सहभागी निरीक्षण का यह लाभ है कि इससे अध्ययनधीन घटना का स्वाभाविक अध्ययन होता है।

2) समूह की क्रियाओं का वास्तविक अर्थ समझना- सहभागी निरीक्षक समूह की प्रत्येक क्रिया या वास्तविक अर्थ समझता है। उस क्रिया का जन-जीवन में जो महत्व होता है उसे भी समझता है। निरीक्षक समूह की प्रत्येक क्रिया का वास्तविक अर्थ समझता है। उस क्रिया का जन-जीवन में जो महत्व होता है उसे भी समझता है। अगर कोई विदेशी आकर भारत में होली का हुड़दंग देखे तो सही अर्थ नहीं समझ पायेगा, परन्तु भारतीय जीवन में सहभाग करने वाला होली की रंगरेलियां,

जन-उल्लास और हंसी - मजाक को भली-भांति समझेगा।

3) समूह से निकटता - सहभागी निरीक्षक समूह में घुल-मिलकर रहता है। इसलिए वह उनके बहुत निकट हो जाता है। उसे अजनबी समझकर दूर नहीं रखा जाता है।

4) समूह द्वारा स्वागत और स्वीकृति- सहभागी निरीक्षक समूह का बनकर रहता है। इसलिए उसे अपना ही आदमी समझकर स्वीकार करते हैं, जबकि असहभागी निरीक्षक को सरलता से स्वीकार नहीं किया जाता।

5) भाषा की जानकारी - सहभागी निरीक्षक समूह की बोलचाल की भाषा को भली-भांति समझता है। भाषा न जानने से विचारों का आदान-प्रदान नहीं हो पाता है। समूह की भाषा जानने से सहभागी निरीक्षक हर बात की वास्तविकता को समझता है और दूसरों को समझा भी सकता है।

सहभागी निरीक्षक की उपयोगिता देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह विधि प्रश्नावली से कहीं उत्तम है। इसके द्वारा घटनाओं की गहराई और वास्तविक व्यवहार का पता चलता है।

सहभागी अवलोकन की सीमाएं (Disadvantages of participant observation) -

सहभागी निरीक्षक भी साधारण मनुष्य की सहज प्रवृत्तियाँ रखता है। उसे भी क्रोध, प्रेम और आत्म-प्रशंसा की अनुभूति होती है। कुछ चीजों को वह पसन्द कर सकता है और कुछ को नापसन्द कर सकता है। कुछ घटनाओं से उसकी सहानुभूति है और कुछ के प्रति उसमें आक्रोश भी जागृत हो सकता है। समूहके झगड़ों में वह पक्षधर भी बन सकता है। इन सभी कारणों से सहभागी निरीक्षण की निम्नलिखित सीमाएं भी बनती है :-

1) वस्तुनिष्ठता की कमी-सहभागी निरीक्षक समूह के जीवन में कुछ इस तरह घुल-मिल जाता है कि उसमें भावनाएँ जग उठती हैं। प्रेम, क्रोध, भय,सहानुभूति, असहानुभूति आदि भावनाओं के कारण वह तटस्थ दृष्टा नहीं रह जाता। भावनाओं से ओत-प्रोत होने के कारण उसके निरीक्षण में वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाती है।

2) सहभागी अवलोकन का स्तर - सामूहिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपना एक सामाजिक स्थान या स्तर बना लेता है, फिर वह उस स्तर की रक्षा करना चाहता है। अपने स्तर की मर्यादा से वह संतुष्ट होता है और अपमान से खिन्न होता है। सहभागी निरीक्षक का भी सामूहिक जीवन में एक स्तर बन जाता है। उस स्तर की रक्षा में वह आत्म-सन्तोष ढूंढता है। इस कारण वह तटस्थ वैज्ञानिक अवलोकन नहीं कर पाता।

3) सामूहिक जीवन के संघर्ष में पक्षपात-हर समूह के अपने झगड़े होते हैं,लोग गुटों और स्वार्थ समूहों में बंटे रहते हैं।जब उनमें टकराव होता है तो सहभागी निरीक्षक को न चाहते हुए भी, किसी न किसी पक्ष का साथ देना पड़ता है। इस तरह वह समूह के झगड़े-झंझट में फंस जाता है।

4) घटनाओं की उपेक्षा - सहभागी निरीक्षक सामूहिक जीवन की घटनाओं को देखते - देखते उनसे इतना परिचित हो जाता है कि वे घटनाएँ उसे अनोखी या महत्वपूर्ण नहीं लगती। इस कारण वह अनेक घटनाओं की उपेक्षा कर जाता है।

5) कुछ समूहों का सहभागी अवलोकन सम्भव नहीं होता- समाज अनेक समूहों और उपसमूहों में विभाजित होता है। हर समूह की अपनी संस्कृति होती है। कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जिनकी संस्कृति अपराधपूर्ण और उनका व्यवसाय समाजविरोधी होता है। चोरों और डाकुओं के समूह में घुसकर सहभागी निरीक्षण संभव नहीं होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामूहिक जीवन में केवल घुल-मिल जाने से ही कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे सहभागी निरीक्षक वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाता है। वह समूह का सदस्य अधिक और वैज्ञानिक कम हो जाता है। इन कमियों से तभी बचा जा सकता है जबकि सहभागी निरीक्षक बड़ा ही कुशल और योग्य व्यक्ति हो

8.5.2 असहभागी अवलोकन

सामाजिक दूरी बनाये रखकर निरीक्षण करना असहभागी निरीक्षण में है। इस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता निरीक्षित घटना या समूह का अंग नहीं बनता। वह अपने को तटस्थ रखकर, समूह की एकता से दूर रहकर, वैज्ञानिक, दृष्टिकोण से जो कुछ होता रहता है उसे दूर से देखा करता है। सह-सामूहिक जीवन में रमता नहीं है। अगर किसी जनजाति के किसी सामूहिक नृत्य का निरीक्षण कर रहा हो, तो स्वयं उस नृत्य में सम्मिलित नहीं होता बल्कि दूर से वह उनका निरीक्षण करता रहेगा। वह लगातार सामूहिक जीवन में उपस्थित भी नहीं रहता है। वह निश्चित समय पर जाकर अवलोकन करता है और लौट आता है। लोगों से न घुलने-मिलने के कारण उसका अजनबी होने का महत्व (strangers value) बना रहता है। लोग उसका आदर करते हैं, उसे निष्पक्ष समझते हैं और किसी भी प्रकार उसे हानिकारक नहीं मानते।

सामाजिक घटनाओं से दूरी रखते हुए जब निरीक्षण किया जाता है तो निरीक्षक की भावनाएँ उसमें सम्मिलित नहीं होने पाती। वह तटस्थ वैज्ञानिक के रूप में वस्तुनिष्ठ अवलोकन करता है। होने वाली घटनाओं को पक्षपातपूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। असहकारी निरीक्षण की कुछ उपयोगिताएं भी हैं और सीमाएँ भी है।

असहभागी अवलोकन की उपयोगिताएं-

1- **वैज्ञानिक दृष्टिकोण -** असहभागी निरीक्षणकर्ता सामूहिक जीवन के जंजाल में नहीं फंसता। घटनाओं के प्रति उसकी रूचि या अरूचि उत्पन्न नहीं होती। समूह के सदस्यों से भी उसका अलगाव और विलगाव का सम्बन्ध नहीं होता। इन कारणों से वह तटस्थ होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवलोकन करता है। उसकी वैज्ञानिकता वस्तुनिष्ठता बनी रहती है।

2- **अजनबी होने का सम्मान -** असहभागी निरीक्षक को मेहमान या आगन्तुक का दर्जा दिया जाता है। उसका किसी घटना या व्यक्ति से लगाव नहीं होता है, इसलिए उससे किसी को शिकायत नहीं होती। वह जहाँ भी जाता है उसकी आवभगत की जाती है।

3- **निर्लिप्त दृष्टिकोण-** हम पहले ही बता चुके हैं कि असहभागी निरीक्षक निरीक्षित से सामाजिक दूरी बनाये रखता है। वह किसी घटना या व्यक्ति के प्रति आकर्षित या विकर्षित नहीं होता। किसी भी वस्तु से उसका लगाव उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी दशा में वह निर्लिप्त होकर अवलोकन करता है। अर्थात् घटना जिस रूप में घटती है उसी रूप में उसका अवलोकन करता है।

4- **सूक्ष्म ब्यौरा-** असहभागी निरीक्षक के लिए हर घटना नई, अनोखी और तात्कालिक होती है। जब उन घटनाओं से उसका पूर्व परिचय नहीं होता तब वह प्रत्येक घटना का सूक्ष्म ब्यौरा देता है। छोटी से छोटी बात को भी रिकार्ड करता है।

असहभागी अवलोकन की सीमाएं -

1- **घटनाओं का सही अर्थ न समझ पाना-** असहभागी निरीक्षक घटनाओं को एक-एक करके देखता है। छिट-पुट भी देखता है। सम्पूर्ण समूह के जीवन में किसी घटना का वास्तविक महत्व वह समझ नहीं पाता। वह घटनाओं को सामूहिक जीवन के यथार्थ से जोड़ नहीं पाता है। किसी असहभागी निरीक्षक को तीज त्यौहार बड़े अच्छे लगेंगे। बहुत से रस्म और रिवाज उसकी समझ में नहीं आयेंगे। कोई विदेशी निरीक्षक रक्षा-बन्धन के अवसर पर केवल इतना ही देखेगा कि बहन, भाई के हाथ में धागा बाँधती है, परन्तु वह इस पर्व के मर्म और संकल्प को नहीं समझ पायेगा।

2- **केवल घटित घटना का अवलोकन-** असहभागी निरीक्षक के समक्ष जो घटित होता है उसी का वह अवलोकन कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब वह निरीक्षण करने आये तो समूह में ऐसी घटनाएँ घट रही हों जो आकस्मिक हों, जैसे लोग लड़ रहे हों, या गर्मी में पेड़ की छाँव में अलसाए से सो रहे हों। ऐसी दशा में, असहभागी निरीक्षण की सबसे बड़ी सीमा यही है कि निरीक्षक जिस समय आता है, उस समय जो घटित होता है उसी को देखता है। उस समय घटित होने वाली घटना प्रतिनिधि घटना नहीं भी हो सकती है। यह भी सम्भव है कि उस समय घटित होने वाली घटना पूरे समूह का केवल अंश मात्र हो।

3- **सन्देहजनक स्थिति -** असहभागी निरीक्षक अजनबी होता है। लोगों से घुलता-मिलता नहीं है उसके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। अतः लोग उसके बारे में तरह-तरह के सन्देह करते हैं। जब निरीक्षक पर सन्देह हो जाता है तो उससे लोग कतराते है और अपनी बात छिपाते हैं।

4- **अजनबीपन का बोध -** असहभागी निरीक्षक अजनबी होता है। अतः उसे असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लोग उससे घुल-मिल कर बातें नहीं करते। या तो उसका तिरस्कार किया जाता है, या आवभगत करके उसे टाल दिया जाता है। दोनों ही दशाओं में वह अनावश्यक- सा हो जाता है।

8.5.3 अनियंत्रित अवलोकन

जेलखाना एक नियन्त्रित स्थिति है। अगर कैदियों का निरीक्षण करना हो तो उन्हें जिस तरह चाहा जाए रखा जा सकता है। उनके भोजन, काम, सोने-जागने के समय और बात-चीत पर नियंत्रण रखा जा सकता है। किसी भी घटक को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जैसे कैदियों से कम या अधिक मेहनत ली जा सकती है। परन्तु सामाजिक जीवन जेलखाने के समान या प्रयोगशाला के समान नियंत्रण हीन नहीं होता है। घटनाएं अपने आप घटित होती है, उन पर निरीक्षक का अधिकार नहीं होता। आवश्यकतानुसार - कारणों को (घटकों को) बढ़ाया-घटाया नहीं जा सकता। जितनी भी सामाजिक घटनाएं प्रयोगशाला के बाहर होनी है उनमें से अधिकांश का निरीक्षण अनियन्त्रित निरीक्षण होता है।

अनियन्त्रित निरीक्षण वह निरीक्षण है जिसमें निरीक्षक का निरीक्षित स्थिति पर नियंत्रण नहीं होता। घटनाएं जिस रूप में घटती रहती हैं उसका उसी रूप में अवलोकन किया जाता है। समाज वैज्ञानिक अनुसंधान में सहभागी निरीक्षण और असहभागी निरीक्षण दोनों ही अनियन्त्रित भी हो सकते हैं। सामाजिक घटना की विशेषताओं के कारण अनियन्त्रित निरीक्षण ही सम्भव हो पाता है। इससे प्राप्त आंकड़े, अगर निरीक्षणकर्ता कुशल है तो, स्वाभाविक और विश्वसनीय होते हैं।

8.5.4 नियंत्रित अवलोकन

सामाजिक घटना पर अनेक घटकों का प्रभाव पड़ता रहता है। सभी घटक मिल-जुलकर सामूहिक रूप से प्रभाव डालते हैं। नये घटक के जुड़ जाने से स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। सामाजिक अनुसन्धान में कारण और उसका परिणाम जानने के लिए नियंत्रित अवलोकन किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन वह है जिसमें निरीक्षक का, निरीक्षित स्थिति पर, पूर्ण नियंत्रण होता है। वह अनुसन्धान के उद्देश्य के अनुसार किसी भी घटक में हेर-फेर कर सकता है। किसी भी घटक पर नियंत्रण रखकर उसका प्रभाव जांच सकता है। जैसें एक छोटे से कमरे में अगर बहुत से लोग एकत्रित हों, और पर्याप्त आक्सीजन का अभाव हो, तो उनके व्यवहारों का आक्सीजन बढ़ा कर देखा जा सकता है। आक्सीजन की कमी के समय के व्यवहार और पर्याप्त आक्सीजन मिलने के पश्चात् व्यवहार में अन्तर देखा जा सकता है। आक्सीजन की कमी से लोग चिड़चिड़े और आक्रामक हो सकते हैं, और आक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने से लोग शान्त और सन्तुलित हो सकते हैं। इस उदाहरण में आक्सीजन (घटक) के बढ़ाने और घटाने पर निरीक्षक का नियंत्रण था। इस कारण नियंत्रित परिस्थिति में अवलोकन द्वारा किसी घटक का परिणाम जाना जा सकता है। नियंत्रित निरीक्षण पर आधारित अनुसंधान जो कि प्रायः प्रयोगशाला-स्थिति में सम्भव होता है विश्वसनीय है। इस अवलोकन के आधार पर उपकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है। परन्तु सामाजिक स्थिति पर नियंत्रण रखकर निरीक्षण करना कठिन होता है।

8.6 अवलोकन की सीमाएं

अवलोकन से प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन है। इसी कारण इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। घटना किस रूप में घटती है उसका अवलोकन उसी रूप में किया जाता है। यदि निरीक्षक कुशल नहीं है तो अवलोकन दोषपूर्ण हो जाता है। निरीक्षित घटना पर नियंत्रण होने के कारण उसके घटित होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और जरा-सी चूक होने पर स्थिति लुप्त हो सकती हैं। इन सीमाओं को हम निम्न प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं :

1) **घटना के घटित होने की प्रतीक्षा-**सामाजिक घटना जबतक स्वाभाविक रूप से नहीं घटेगी तब तक उसके अध्ययन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जैसे विशेष पर्व पर लोगों का व्यवहार देखने के लिए, उस पर्व के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करने में समय और साधन की हानि होती है, और अनुसंधान को काफी समय तक रोकना पड़ता है।

2) समय की अवधि - सामाजिक घटना थोड़े समय के लिए घटित है और यदि उसका उसी अवधि के बीच अवलोकन न किया जा सका तो उसी रूप में पुनः अवलोकन सम्भव नहीं होगा। अतः अवलोकन निश्चित समय के अन्दर ही हो जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश अवलोकनकर्ता समय पर घटना का अवलोकन नहीं कर पाता है तो वह उस घटना से हाथ धो बैठता है। कुछ सामाजिक घटनाएं, उसी रूप में, दुबारा फिर कभी घटती ही नहीं।

3) कुछ घटनाएं अवलोकनार्थ सामने नहीं आतीं-अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं का निरीक्षण संभव नहीं होता। पारिवारिक कलह और झगड़े सर्वथा देखे नहीं जा सकते। निजी जीवन के अनेक पक्ष देखे नहीं जा सकते। व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में यदि स्नानगृह में होता है तो उसके व्यवहारों को देखा नहीं जा सकता। इस कारण अवलोकन केवल उन्हीं घटनाओं तक सीमित है जो अवलोकनार्थ के सामने प्रकट होती है।

4) आत्मगत घटना का अवलोकन सम्भव नहीं-व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार उसके विचारों और इरादों से निर्धारित होते हैं। विचार, इरादे, प्रेरणाएं आदि आत्मगत पक्षों का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होता। उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है, या उसके जानने की विधियाँ अलग होती हैं। अवलोकन इस सीमा को पार नहीं कर पाता।

5) निरीक्षक की व्यक्तिगत सीमाएं-निरीक्षक का निरीक्षण कला में दक्ष होना आवश्यक है। यदि वह वस्तुनिष्ठ नहीं है, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है, तो उसका निरीक्षण विश्वसनीय नहीं होगा। अगर निरीक्षक अवलोकन को व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप नहीं दे पाता है तो उसका अवलोकन छिट-पुट प्रकार का होगा, विश्वसनीय नहीं।

8.7 सारांश

कोई भी अनुसंधान कार्य तब तक अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, जब तक कि उसमें निरीक्षण-प्रविधि का प्रयोग न किया गया हो। एक निरीक्षक-प्रविधि प्राथमिक सामग्री के संग्रहण की प्रत्यक्ष प्रविधि है। निरीक्षण का तात्पर्य उस प्रविधि से है जिसमें नेत्रों द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तथ्यों का विचारपूर्वक संकलन किया जाता हो, साथ ही अनुसंधानकर्ता अध्ययन के अंतर्गत आये समूहों के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए उससे दूर बैठकर उनके व्यक्तिगत व सामाजिक व्यवहारों का अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा निरीक्षण करता है।

8.8 शब्दावली

निरीक्षण -	देखना, अवलोकन करना।
निरीक्षण विधि -	कार्य-कारण अथवा पारस्परिक सम्बन्ध को जानने के लिए स्वभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण।
सहभागी निरीक्षण-	समूह के सदस्य के रूप में निरीक्षण करना।

8.9 संदर्भ ग्रन्थ

हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव - सामाजिक अनुसंधान की कार्य विधिकी

डा0 मनोज दयाल - मीडिया शोध

रवीन्द्र नाथ मुखर्जी - सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी

8.0 सम्बंधित प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न-

1- निरीक्षण की परिभाषा एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।

2- सहभागी अवलोकन क्या है।

3- नियन्त्रित व अनियंत्रित अवलोकन में अन्तर स्पष्ट करें।

4- अवलोकन की सीमाएं क्या हैं निर्धारित कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न -

1- निरीक्षण के विविध प्रकारों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।

2- निरीक्षण प्रविधि है स्पष्ट करें।

3- निरीक्षण की विशेषताएं व प्रकारों पर प्रकाश डालिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -

1- निरीक्षण का अर्थ है ।

(क) देखना (ख) अवलोकन करना (ग) निरीक्षण करना (घ) उपर्युक्त सभी

2- निरीक्षण का सही अभिप्राय है

(क) कार्य-कारण जानने के लिए घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण

(ख) सतही निरीक्षण

(ग) यथार्थ निरीक्षण

(घ) इनमें से कोई नहीं

3- सहभागी निरीक्षण है

(क) समूह में भागीदारी कर घटनाओं का निरीक्षण

(ख) समूह के बाहर रहकर निरीक्षण

(ग) उपर्युक्त दोनों

(घ) इनमें से कोई नहीं

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

1 - (घ) 2 - (क) 3-(क)

इकाई 9 - वैयक्तिक अध्ययन

इकाई की रूपरेखा -

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ एवं परिभाषा

9.3 वैयक्तिक अध्ययन की विशेषताएं

- 9.3.1 एक या कुछ सामाजिक इकाइयों का अध्ययन
- 9.3.2 व्यक्तिगत अध्ययन
- 9.3.3 सम्पूर्ण अध्ययन
- 9.3.4 समस्या का गहन अध्ययन
- 9.3.5 गुणात्मक अध्ययन न कि संख्यात्मक
- 9.3.6 ऐतिहासिक अध्ययन

9.4 वैयक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यताएं

- 9.4.1 समयतत्व का प्रभाव
- 9.4.2 परिस्थितिजन्य
- 9.4.3 मानव की मौलिक एकता

9.5 वैयक्तिक अध्ययन के प्रकार

- 9.5.1 व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन
- 9.5.2 समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन

9.6 वैयक्तिक अध्ययन की प्रविधियाँ व तथ्यों के स्रोत

- 9.6.1 प्रलेखीय तथ्यों के स्रोत
- 9.6.2 स्वयं संकलित तथ्यों के स्रोत

9.7 वैयक्तिक अध्ययन का महत्व

9.8 वैयक्तिक अध्ययन विधि की सीमाएं

9.9 सारांश

9.10 शब्दावली

9.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

9.12 सम्बन्धित प्रश्न

9.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप -

- वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट कर सकेंगे।
- वैयक्तिक अध्ययन की विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे।
- वैयक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यताएं जान सकेंगे।
- वैयक्तिक अध्ययन का महत्व जान सकेंगे।
- वैयक्तिक अध्ययन की सीमा जान सकेंगे।

9.1 प्रस्तावना

वैयक्तिक अध्ययन किसी इकाई का गहन अध्ययन है। गहन अध्ययन के लिए प्रतिनिधि इकाई चुननी होती है और उस इकाई का हर तरह से अध्ययन किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन के लिए कम से कम इकाइयों से प्राप्त आंकड़े पर जो निष्कर्ष निकलता है वह बहुत विश्वसनीय माना जाता है। सी0 एच0 कूले के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन से हमारा प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट होता है और जीवन के प्रति बड़ी साफ अन्तदृष्टि उत्पन्न होती है। इसके द्वारा व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। अप्रत्यक्ष या अमूर्त अध्ययन नहीं होता है। पी0 वी0 यंग के अनुसार वैयक्तिक अध्ययन जीवन की खोज तथा विवेचना करने की पद्धति है, चाहे वह इकाई एक व्यक्ति, परिवार संस्था, सांस्कृतिक समूह अथवा सम्पूर्ण समूह समुदाय हो। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अन्तर्गत इकाई का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, न कि गणनात्मक। तात्पर्य यह है कि इसमें इकाइयों का अध्ययन गुणात्मक ही होता है। इसमें न तो तथ्यों का विश्लेषण सांख्यिकीय आधार पर किया जाता है और न ही निष्कर्ष सांख्यिकीय आधार पर निकाला जाता है।

9.2 वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ व परिभाषा

वैयक्तिक अध्ययन वास्तव में गहन अध्ययन की एक पद्धति है। गहन अध्ययन के लिए यह जरूरी है कि अध्ययन किए जाने वाली इकाईयों की संख्या बहुत सीमित हो। यहाँ पर यह स्पष्टतः समझ लेना चाहिए कि वैयक्तिक अध्ययन में हमारी यह इकाई केवल व्यक्ति ही नहीं, वरन् परिवार, संस्था, समूह या समुदाय भी हो सकती है। इकाई चाहे जो भी हो, इस पद्धति के अन्तर्गत उसके प्रत्येक दृष्टिकोण से, उसकी सम्पूर्णता में, गहन अध्ययन किया जाता है। अग्रलिखित परिभाषाओं से यह बात और भी स्पष्ट हो जायेगी।

(1) "वैयक्तिक अध्ययन सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिससे अध्ययन किये जाने वाली सामाजिक इकाई की एकात्मक प्रकृति की पूर्णतया रक्षा हो सकती है।"

सर्वश्री गुडे एवं हॉट

(2) "वैयक्तिक अध्ययन की परिभाषा व्यक्तिगत इकाई के गहन तथा सम्पूर्ण अध्ययन के रूप में दी जा सकती है, जिसमें अनुसन्धानकर्ता अपनी सम्पूर्ण कुशलता व प्रविधियों का प्रयोग करता है अथवा वैयक्तिक अध्ययन किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना का व्यवस्थित संकलन है, जिससे हम इस बात का पता लगा सकें कि वह समाज की एक इकाई के रूप में किस प्रकार कार्य करता है।"

श्री सिन पाओ यंग

(3) "वैयक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था सांस्कृतिक वर्ग अथवा समस्त जाति हो, के जीवन का अनुसन्धान व उसकी विवेचना करने की एक पद्धति को कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा सामाजिक शोधकर्ता एक सामाजिक इकाई के अन्तर्गत उसे प्रभावित करने वाले नाना प्रकार के कारणों को एक समन्वित समग्रता (Integrated whole) के रूप में देखने का प्रयोग करता है।

श्रीमती पी0 वी0 यंग

(4) "वैयक्तिक विषय एक व्यक्ति, एक संस्था या समुदाय या समूह हो सकता है, जिसे अध्ययन की इकाई के रूप में माना जाता है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सम्पूर्ण परिस्थिति के सम्मिलित रूप, प्रक्रिया के विवरण और घटनाओं के अनुक्रम, जिससे व्यवहार घटित होते हैं, मानव-व्यवहार का इसके सम्पूर्ण ढांचे में अध्ययन है।" **प्रो0 क्लीफोर्ड आर शॉ**

(5) "वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें किसी एक व्यक्ति, परिस्थिति अथवा एक संस्था का अत्यन्त सावधानी, पूर्वक एवं सम्पूर्ण निरीक्षण किया जाता है।" **सर्वश्री बीसेंज एण्ड बीसेंज**

(6) "यह सावधानीपूर्वक कुछ चुने हुए परिवारों के घरेलू जीवन के समस्त पहलुओं का गहन अध्ययन है। अपने सर्वोत्तम रूप में यह सबसे श्रेष्ठ पद्धति है, लेकिन सामान्य हाथों में यह अधिक से अधिक अविश्वसनीय सामान्य निष्कर्षों को सुलझाने का कार्य कर सकती है।

श्री एल्फ्रेड मार्शल

9.3 वैयक्तिक अध्ययन की विशेषताएँ

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम वैयक्तिक अध्ययन की कुछ प्रमुख विशेषताओं को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं -

9.3.1 एक या कुछ सामाजिक इकाईयों का अध्ययन (Study of one or some social units)

वैयक्तिक अध्ययन की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अनेक सामाजिक इकाइयों का अध्ययन नहीं है, यह तो एक या कुछ इनी-गिनी इकाईयों तक ही सीमित होता है। यह

इकाई कोई व्यक्ति, परिवार, संस्था, समूह या जाति हो सकती है। वास्तविकता यह है कि वैयक्तिक अध्ययन में जिस गहन व सूक्ष्म अध्ययन पर बल दिया जाता है उसमें अध्ययन-इकाइयों का बहुत ही सीमित होना बहुत जरूरी है।

9.3.2 व्यक्तिगत अध्ययन (Individual Study)

वैयक्तिगत अध्ययन इस प्रविधि की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। इस विशेषता का तात्पर्य यह है कि इस प्रविधि के अन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता एक ही इकाई को लेकर उस पर जुट जाता है। अर्थात् अध्ययन इकाई चाहे वह व्यक्ति, संस्था, जाति या कोई समुदाय हो का उसके व्यक्तिगत स्तर में अलग से सम्पूर्ण अध्ययन किया जाता है। हाँ यह बात अलग है कि उस विशेष इकाई के बारे में 'क्या' और 'कितना' अध्ययन किया जाये।

9.3.3 सम्पूर्ण अध्ययन (Whole Study) -

व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि किसी भी इकाई का सम्पूर्णता में अध्ययन करती है। दूसरे शब्दों में, यह प्रविधि उस विशेष इकाई, जिसका कि अध्ययन करना है, के किसी विशेष पक्ष या पहलू को न लेकर सम्पूर्ण को ही अध्ययन का केन्द्र बनाती है। सम्पूर्णता से हमारा तात्पर्य अध्ययन को मनौवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राणीशास्त्रीय आदि सभी दृष्टियों से सम्पन्न करना है। इकाई की एकता और समग्रता को बनाये रखने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है-

(क) सूचना का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत रखा जाता है।

(ख) सम्बन्धित इकाईयों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जाती है।

(ग) सम्बन्धित इकाईयों को विशिष्ट वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कि एक इकाई एक वर्ग की प्रतिनिधि बन जाये। और

(घ) अध्ययन समय के आधार पर किया जाता है अर्थात् भूतकाल को वर्तमान के साथ इस भांति सम्बन्धित रखा जाता है कि उसमें एक तर्क-युक्त संगति दृष्टिगोचर हो।

9.3.4 समस्या का गहन अध्ययन (Intensive study of the problem)

व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत अध्ययन से सम्बन्धित इकाई का अत्यन्त गहन अध्ययन किया जाता है। यह गहन अध्ययन काफी लम्बे समय तक चल सकता है क्योंकि इसमें इकाई का भूतकाल या उसकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक अध्ययन आवश्यक हो जाता है। शायद यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि इसमें इकाई से सम्बन्धित गहन से गहन सूचनाएं भी एकत्र करने का प्रयत्न किया जाता है।

9.3.5 गुणात्मक अध्ययन न कि संख्यात्मक (Qualitative study are not quantitative)

वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की एक और विशेषता यह है कि इस पद्धति के अन्तर्गत गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, संख्यात्मक नहीं। पहली बात तो यही है कि इसमें इकाईयों का अध्ययन ही

गुणात्मक होता है, साथ ही तथ्यों का निष्कर्ष निकालने में या कुछ व्यक्त करने में संख्याओं का सहारा नहीं किया जाता है।

9.3.6 ऐतिहासिक अध्ययन (Historical study)

वैयक्तिक अध्ययन में इकाई का अध्ययन न केवल एक लम्बे समय तक चलता है अपितु भूतकाल में उस इकाई की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक का विवेचन किया जाता है अर्थात् इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन समय के क्रम से इतना पीछे हटकर व फैलाकर किया जाता है कि उचित निष्कर्ष निकालने योग्य पर्याप्त व निर्भर योग्य सूचनायें संकलित हो सके।

9.4 वैयक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यतायें

वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अपने अध्ययन-कार्य में कुछ आधारभूत सत्य को स्वीकार करती है। इसकी यह मान्यतायें इस प्रकार है -

9.4.1 समय तत्व का प्रभाव

वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की पहली मान्यता यह है कि व्यक्ति या समाज के जीवन पर समय तत्व के प्रभाव की अनदेखी नहीं की जा सकती अर्थात् समय बलवान होता है। इस मान्यता का अर्थ यह है कि किसी भी घटना का अध्ययन करते समय उस घटना को समय के एक छोटे दायरे के अन्दर बाँधकर नहीं रखना चाहिए। आज जो घटित हो रहा है, हो सकता है उसका बीजारोपण आज से 15 वर्ष पहले हुआ हो और उसका प्रभाव आगे कई वर्षों तक रहे। इसलिए यह आवश्यक है कि उस वैयक्तिक स्थिति का अध्ययन लम्बे समय तक पूर्ण रूप में किया जाये।

9.4.2 परिस्थिति जन्य

इस प्रविधि की दूसरी मान्यता यह है कि मानव-व्यवहार परिस्थितियों से परिचालित होता है। वैयक्तिक अध्ययन द्वारा यह मालूम किया जा सकता है कि किन-किन परिस्थितियें में मानव कैसा व्यवहार करता है। चूँकि एक ही परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में भी बार-बार आ सकती है, अतः उसके प्रभाव का अनुमान एक का ही गहन अध्ययन करके पहले से ही लगाया जा सकता है।

9.4.3 मानव की मौलिक एकता

वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की अन्तिम मान्यता 'मानव की मौलिक एकता' में विद्यमान है। इसका तात्पर्य यह है कि इस पद्धति को अपनाने वाला अनुसन्धानकर्ता या शोधकर्ता यह मानकर चलता है कि मानव-मानव में कुछ यौगिक एकता है और वह इस अर्थ में कि मानव की मूल प्रकृति सभी समान परिस्थितियों में लगभग एक जैसी होती है। उदहरण के लिये ईमानदार बने रहना कठिन होता है क्योंकि सभी में प्रेम, वात्सल्य आदि मूल प्रकृतियाँ समान है। अतः कुछ ही इकाईयों को वैयक्तिक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को सामान्यतया सब पर लागू किया जा सकता है।

9.5 वैयक्तिक अध्ययन के प्रकार

वैयक्तिक अध्ययन को दो भागों में बाँटा जा सकता है। ये निम्नवत हैं-

9.5.1 व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन

इस प्रकार में किसी एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक विशेष घटना का वैयक्तिक अध्ययन किया जाता है। इस वैयक्तिक अध्ययन को करने के लिए उस व्यक्ति, उसके पारिवारिक सदस्यों मित्रों तथा उसके जानकार लोगों से अनेक प्रणालियों की सहायता से सूचना प्राप्त की जाती है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति से सम्बन्धित अनेक साधन जैसे डायरी, पुस्तक, लेख, आत्मकथा, जीवन, इतिहास, पत्र, कविता आदि से भी सूचना प्राप्ति में मदद मिलती है।

9.5.2 समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन

इसमें किसी एक इकाई, जो कि एक वर्ग, जाति, समूह या समुदाय हो सकता है का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में अत्यंत चतुरता, बुद्धि, कौशल, अनुभव एवं सावधानी की आवश्यकता रहती है। एक समुदाय का वैयक्तिक उसकी भीतरी स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन हेतु सामग्री संकलन की एक पद्धति है। इसके लिये प्रायः उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो कि वैयक्तिक अध्ययन में प्रयोग किये जाते हैं।

9.6 वैयक्तिक अध्ययन के प्रकार

किसी भी व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन की अपनी कुछ प्रविधियाँ होती हैं और तथ्यों के स्रोत भी। वैयक्तिक अध्ययन में भी ऐसा ही है। वैयक्तिक अध्ययन की प्रविधियों में साक्षात्कार तथा निरीक्षण प्रविधियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इनके माध्यम से अनुसन्धानकर्ता अपने अध्ययन विषय से सम्बन्धित तथ्यों व सूचनाओं को स्वयं एकत्रित या संकलित करता है। इन्हें प्राथमिक या संकलित सामग्री या तथ्य कहते हैं। परन्तु इन तथ्यों से अतिरिक्त भी अनुसन्धानकर्ता को पुस्तक, पत्र, डायरी, सरकारी रिकार्ड आदि से भी तथ्यों को संकलित करना पड़ता है। इन द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें प्रलेखीय या द्वितीय सामग्री या तथ्य कहते हैं। इस प्रकार वैयक्तिक अध्ययन में तथ्यों के स्रोतों को अग्रांकित मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जा सकता है-

9.6.1 प्रलेखीय तथ्यों के स्रोत

वैयक्तिक अध्ययन करते समय द्वितीयक तथ्यों को जो जिन स्रोतों से प्राप्त किये जाते हैं, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं :-

1- डायरियाँ - वैयक्तिक अध्ययन प्रविधि के सर्वप्रथम स्रोत में 'डायरी' भी एक है। डायरियाँ व्यक्तियों द्वारा स्वयं लिखी जाती है। इनमें व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को

नोट करता है। इस प्रकार डायरी में व्यक्ति की व्यक्तिगत, यहाँ तक कि अत्यंत गुप्त बातें भी लिखी रहती हैं। यदि हमें व्यक्ति के जीवन के वास्तविक तथ्य खोजना है तो हमें उस व्यक्ति के डायरी से ही वह सूचना प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें जो कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा नहीं पूछी जा सकती, हमें आसानी से डायरी द्वारा प्राप्त हो सकती है।

2-पत्र-वैयक्तिक अध्ययन के क्षेत्र में पत्रों का भी महत्व कम नहीं है। यह ठीक है कि पत्रों के द्वारा हमें सामग्री व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप में प्राप्त नहीं हो पाती, परन्तु फिर भी पत्रों से हमें काफी सामग्री प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति विशेष का दूसरे व्यक्तियों से सम्बन्ध, जीवन-दर्शन, व्यक्ति की अपनी भावनाएं व धारणाएं जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि बहुत-सी घटनाओं का विवरण पत्रों से प्राप्त हो सकता है। संक्षेप में, पत्रों के माध्यम से व्यक्ति विशेष का आन्तरिक व व्यक्तिगत जीवन अध्ययन आसानी से किया जा सकता है।

3-जीवन इतिहास- वैयक्तिक अध्ययन विधि का एक प्रमुख यन्त्र 'जीवन-इतिहास है। यदि जीवन-इतिहास' को वैयक्तिक अध्ययन का ही एक भाग समझा जाए तो अतिश्योक्ति न होगी, क्योंकि जिस प्रकार वैयक्तिक अध्ययन विधि में एक इकाई विशेष से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती हैं, उसी प्रकार जीवन इतिहास में भी व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन चित्रित होता है।

जीवन-इतिहास जीवन का मूर्तिमान स्वरूप है। इसमें जीवन का सार है। अधिकतर जीवन-इतिहास में व्यक्ति विशेष की पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाली परिवारिक घटनायें, व्यक्ति के जीवन की विशेष महत्वपूर्ण घटनायें, परिस्थिति परिवर्तन का व्यक्ति विशेष पर प्रभाव, व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और समकालीन परिस्थिति के अनुसार भविष्य के प्रति व्यक्ति की धारणा आदि का विवरण होता है। यह जीवन-इतिहास व्यक्ति विशेष द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा भी लिखा जाता है अथवा स्वयं अनुसन्धानकर्ता को कभी-कभी किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से लिख भी सकता है।

''व्यक्तिगत प्रपत्र व्यक्ति अनुभव की क्रमबद्धता प्रकट करते हैं जिनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व सामाजिक सम्बन्धों आदि के बारे में ज्ञान प्रकट करते हैं। जिनमें व्यक्ति के व्यक्तिगत सामाजिक सम्बन्धों के साथ ही व्यक्ति की मानसिक विचारधारा तथा भावनाओं का भी अध्ययन हो सकता है। उसी प्रकार पारिवारिक फोटो एलबम, स्कूल, जेल, पुलिस, कोर्ट, दफ्तर आदि के रिकार्ड आदि से भी महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त हो सकती हैं। परन्तु इन सबकी अपनी निजी सीमायें हैं। अतः उनका प्रयोग बिल्कुल ही आंख मूँदकर नहीं करना चाहिए। साथ ही, उचित सन्दर्भ को जाने बिना यदि मनमाने ढंग से उनका प्रयोग किया गया तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है।

श्रीमती पी0 वी0 यंग

9.6.2 स्वयं संकलित तथ्यों के स्त्रोत -

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि प्राथमिक तथ्यों को, इस कारण 'प्राथमिक' माना जाता है क्योंकि इसका संकलन मौलिक रूप में स्वयं अनुसन्धानकर्ता ही करता है। वैयक्तिक अध्ययन में इन तथ्यों का संकलन सम्बन्धित व्यक्ति के साथ लम्बे साक्षात्कार द्वारा अथवा प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा

किया जाता है। साक्षात्कार अथवा अवलोकन के द्वारा व्यक्ति सम्बन्धित प्रमुख घटनाओं, विशिष्ट परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाएें, ऐसी घटनायें हैं जो उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है अथवा उसके जीवन को एक नया मोड़ प्रदान करती हो, उसके अनुभवों, बदलती हुई परिस्थितियों के प्रभावों की जानकारी की जा सकती है।

सामाजिक मेल मिलापों, वार्तालापों, नाटकीय विधियों, भावनात्मक अध्ययनों, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों आदि के माध्यम से भी अध्ययन इकाई के सम्बन्ध में प्राथमिक व मौखिक तथ्यों व सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है।

श्रीमती पी0 वी0 यंग

9.7 वैयक्तिक अध्ययन का महत्व

शायद यह कहना अनुचित न होगा कि "वैयक्तिक जीवन अध्ययन विधि के विरोध में चाहे कुछ भी कहा गया हो, परन्तु यह सत्य है कि सामाजिक इकाईयों के अध्ययन में यह विधि आधारभूत रहेगी।

किसी भी प्रकार से सामाजिक अनुसन्धान को ले लीजिए, उसमें सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता होती है और किसी भी सूक्ष्म अध्ययन के लिए यह विधि सर्वोत्तम है। इस बात को और भी स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हम वैयक्तिक अध्ययन विधि का महत्व निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं-

1) महत्वपूर्ण प्राक्कल्पनाओं का साधन - वैयक्तिक अध्ययन विधि अनेक महत्वपूर्ण प्राक्कल्पनाओं का निर्माण करने में एक साधन के रूप में कार्य करती है। इसमें अनेक इकाइयों का विस्तृत एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है और निष्कर्षों पर पहुँचा जाता है। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्राक्कल्पनाओं का निर्माण सम्भव है और किया भी जाता है। वास्तव में सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन एवं वैयक्तिक अध्ययन दो ही तो महत्वपूर्ण स्रोत है, प्राक्कल्पनाओं का निर्माण करने में।

2) अति महत्वपूर्ण प्रपत्रों का साधन - वैयक्तिक अध्ययन-विधि अनेक महत्वपूर्ण प्रपत्रों का निर्माण करने में हमारी मदद करती है। यह महत्वपूर्ण प्रपत्र अनुसूची, साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्देशिका आदि हैं। किसी विशेष वर्ग की कुछ विशेष इकाईयों का अति सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात, हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें, उनकी रूचियों, मनोवृत्ति आदि अनेक बातों का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है और ऐसा होने पर हमको सामाजिक अनुसन्धान से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण प्रपत्रों का निर्माण करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती।

3) अति गहन अध्ययन - जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वैयक्तिक अध्ययन विधि के अन्तर्गत व्यक्तिगत इकाईयों का जो कि सामाजिक अनुसन्धान का आधार है, अति गहन अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रविधि के अन्तर्गत इकाइयों के केवल समस्या से

सम्बन्धित विशिष्ट पहलुओं का ही अध्ययन नहीं, वरन् इकाइयों के सभी पहलुओं का हर दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और इस रूप में यह अति गहन अध्ययन होता है।

प्रो0 बर्गेस ने सम्भवतः इस विधि को इसीलिए सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यन्त्र कहकर पुकारा है। स्पष्ट ही है कि इस रूप में भी वैयक्तिक अध्ययन - विधि अति महत्वपूर्ण है।

4) इकाईयों का वर्गीकरण एवं विभाजन - वैयक्तिक अध्ययन विभिन्न इकाईयों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने एवं वर्गीकृत करने में भी सहायता करता है। इस विधि के द्वारा हम व्यक्तिगत अध्ययन में सूक्ष्मता प्राप्त करके इकाईयों के विभिन्न गुणों से परिचित हो जाते हैं। इससे निर्दशन निकालने में भी हमें आसानी हो जाती है।

5) व्यक्तिगत अनुभवों का स्त्रोत - वैयक्तिक अध्ययन-विधि अनुभवों को प्राप्त करने का एक विस्तृत स्त्रोत है। वास्तव में इस विधि में अन्य विधियों से कहीं अधिक अनुभव अनुसन्धानकर्ता को प्राप्त हो जाते हैं। वैयक्तिक अध्ययन विधि में जीवन के (इकाई सम्बन्धित) प्रायः सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू का अध्ययन किया जाता है और इस रूप में स्वतः ही अनुसन्धानकर्त्ता को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं।

6) व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवत्तियों का अध्ययन - वैयक्तिक अध्ययन विधि के अन्तर्गत व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की सामाजिक धारणाओं एवं मूल्यों का भी ज्ञान इस विधि के अन्तर्गत हो जाता है। एक व्यक्ति की किस-किस परिस्थिति में क्या-क्या भावनाएँ तथा किस प्रकार की मनोवृत्ति रहती है इस विधि से मालूम होता है। इस प्रकार के ज्ञान से वैयक्तिक भावनाओं एवं मतोवृत्तियों में परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाया जाना सम्भव है।

7) सामग्री की सर्म्पूणता - वैयक्तिक अध्ययन विधि का अत्यधिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस प्रविधि के द्वारा जो सामग्री संकलित की जाती है वह अपने में सम्पूर्ण होती है। इतनी सम्पूर्णता एवं पर्याप्त मात्रा में सामग्री और किसी अन्य विधि से प्राप्त करना कठिन हीं नहीं, अत्यंत दुष्कर कार्य भी है।

अतः सामाजिक अनुसन्धान में वैयक्तिक अध्ययन-विधि का महत्व स्पष्ट ही है। प्रो0 सी0 एच0 कूले ने इस प्रविधि का महत्व बताते हुए लिखा है कि ''वैयक्तिक अध्ययन विधि हमारे बोधज्ञान को विकसित करती है एवं जीवन को स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करती है- यह प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारों का अध्ययन करती है, न कि अप्रत्यक्ष व अमूर्त साधनों द्वारा।''

9.8 वैयक्तिक अध्ययन विधि की सीमायें

यद्यपि इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि वैयक्तिक अध्ययन-विधि का समाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। फिर भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस विधि की अपनी कुछ सीमाएँ भी हैं। कुछ सीमाओं को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

1) केवल कुछ ही इकाईयों के आधार पर निष्कर्ष- वैयक्तिक अध्ययन - विधि की सबसे मुख्य एवं प्रथम सीमा यह है कि इसके अन्तर्गत केवल कुछ ही इकाइयों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं और इसी कारण यदि उन विशेष परिस्थितियों अथवा विशेषगुणों को, जिनकी उपस्थिति के कारण ये निष्कर्ष निकाले गए हैं, ध्यान में न रखा जाए तथा निष्कर्षों को सामान्य रूप से सभी इकाईयों पर लागू किया जाये तो निश्चय ही धोखा खाने की सम्भावना रहती है।

2) अवैज्ञानिक विधि - वैयक्तिक अध्ययन को अवैज्ञानिक विधि कहकर भी सम्बोधित किया गया है। इतना ही नहीं यह असंगठित विधि भी है। वास्तव में इकाईयों के चुनाव एवं सूचना-संकलन करने पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं रहता। साथ ही, कोई निश्चित वैज्ञानिक एवं संगठित प्रविधि का सहारा भी नहीं लिया जाता है। इस रूप में अवैज्ञानिक विधि है।

3) पक्षपात की समस्या - वैयक्तिक अध्ययन-विधि में एक प्रमुख समस्या यह है कि इस प्रकार की विधि में सदैव ही पक्षपात आने की पूर्ण सम्भावना रहती है। अनुसन्धानकर्ता एक व्यक्ति से सम्बन्धित प्रायःउन सभी घटनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन करता है जो कि उसके स्वयं के जीवन में भी घटित होते हैं।

4) अधिक अशुद्धता - वैयक्तिक अध्ययन-विधि में डायरी, पत्र, जीवन, इतिहास आदि से प्राप्त सामग्री का उपयोग होता है। लेकिन ये सब रिकार्ड एवं प्रपत्र साधारणया दोषपूर्ण होते हैं। इतना होते हुए भी इस विधि में इन्हीं सब सामग्रियों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में अध्ययन में शुद्धता एवं यर्थाथ स्थिति का स्पष्टीकरण केवल दुष्कर ही नहीं वरन् असम्भव भी है।

5) अप्रमाणिक तथ्य - वैयक्तिक अध्ययन-विधि के अन्तर्गत जिन तथ्यों का अनुसन्धानकर्ता संकलन करता है उनका प्रमाणीकरण करना सम्भव नहीं है। अनुसंधानकर्त्ता एक व्यक्ति के जीवन से सम्बन्धित जो भी कुछ सूचनायें संकलित करता है उनका सत्यापन या प्रमाणीकरण इसलिए सम्भव नहीं क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि दूसरे व्यक्ति के जीवन जिसका कि वह अध्ययन कर रहा हो, में भी वही घटनायें या परिस्थितियाँ घटित हों। इस रूप में अध्ययन के निष्कर्ष भी गलत निकल सकते हैं।

6) निदर्शन प्रणाली का अभाव - वैयक्तिक अध्ययन-विधि की एक अन्य सीमा यह है कि इस विधि में निदर्शन प्रणाली का अभाव है और इसके कारण ही इस में सही प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन नहीं हो पाता है। केवल मनमाने ढंग से चुनी हुई कुछ इकाइयों के आधार पर ही अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो कि सही नहीं होते।

7) अत्यधिक समय एवं धन की आवश्यकता - वैयक्तिक अध्ययन-विधि अत्यधिक खर्चीली एवं समय नष्ट करने वाली प्रविधि है। इस विधि के अनुसार यदि सौ व्यक्तियों का भी अध्ययन किया जाये तो कम से कम तीन साल का समय हर दशा में लगेगा। इसके लिए न

केवल कई हजार रूपये की आवश्यकता पड़ेगी बल्कि यह भी भय रहेगा कि इस बीच अध्ययन के लिए चुने गये कुछ व्यक्ति इधर-उधर चले न जायें।

8) **दोषपूर्ण जीवन इतिहास** - वैयक्तिक अध्ययन - विधि अपने अध्ययन में जीवन इतिहासों का अधिक प्रयोग करती है। परन्तु जीवन इतिहास दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होते हैं। इसमें घटनायें बढ़ाचढ़ा कर लिखी जाती है। जीवन इतिहास स्वयं के शब्दों में स्वयं की कहानी होने के कारण यर्थाथता से परे होता है। इतना ही नहीं, अनुसंधानकर्त्ता जीवन-इतिहास लिखते सभय अपने अनुभव भी सम्मिलित कर लेता है। साथ ही कभी-कभी तो जीवन-इतिहास में ऐसी घटनायें भी लिखी जाती है जो कि सूचनादाता के जीवन में कभी घटित ही नहीं हुई है। अतः स्पष्ट ही है कि जीवन - इतिहास काफी दोषपूर्ण होते हैं, और इसी कारण वैयक्तिक अध्ययन - विधि की सहायता से निकाले गये निष्कर्षो में भी अवैज्ञानिकता एवं असत्यता की सम्भावना रहती है।

9.9 सारांश

किसी इकाई के सम्पूर्ण अस्तित्व के अन्वेषण और व्याख्या करने की विधि ही वैयक्तिक अध्ययन विधि है। किसी इकाई के जटिल व्यवहारों की व्याख्या करना और उस इकाई के जीवन चक्र के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करना ही वैयक्तिक अध्ययन है। वैयक्तिक अध्ययन आंकड़ों को संयोजित करने की विधि है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी व्यक्ति, समूह, वर्ग, संस्था या समुदाय के सम्पूर्ण अंगों का गुणात्मक विधि से साक्षात्कार तथा लिखित उपलब्ध सामग्री की सहायता लेकर सूक्ष्म, गहन तथा समय क्रम के अनुसार शोध किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन में हम एक विशेष प्रकार के सतत् अनुभवों का एक शृंखलाबद्ध चित्र प्रस्तुत करते हैं।

9.10 शब्दावली

वैयक्तिक अध्ययन	-	व्यक्ति का समग्र अध्ययन
जीवन इतिहास (लाइफ हिस्ट्री)	-	व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का चित्रण
निदर्शन	-	प्रतिनिधि इकाई

9.11 संन्दर्भ ग्रन्थ

डा0 मनोज दयाल	-	मीडिया शोध
रवीन्द्रनाथ मुखर्जी	-	सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी
हरिशचन्द्र श्रीवास्तव	-	सामाजिक अनुसंधान की कार्य विधिकी
डा0 अर्जुन तिवारी	-	सम्पूर्ण पत्रकारिता।

9.12 सम्बन्धित प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1- वैयक्तिक अध्ययन क्या है।

2- वैयक्तिक अध्ययन की विशेषताएँ लिखिए।

3- वैयक्तिक अध्ययन की आधारभूत मान्यताएँ क्या हैं।

4- वैयक्तिक अध्ययन का महत्व बताएँ।

निबन्धात्मक प्रश्न -

1- वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ, उद्देश्य एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

2- वैयक्तिक अध्ययन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

3- वैयक्तिक अध्ययन की परिभाषा,प्रकार तथा महत्व बताएँ।

वस्तु निष्ठ प्रश्न -

1- वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ है

(क) इकाई का अध्ययन

(ख) समूह का अध्ययन

(ग) दोनों

(घ) इनमें से कोई नहीं

2- वैयक्तिक अध्ययन से बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है-

(क) हाँ

(ख) नहीं

(ग) छोटी इकाई का अध्ययन

(घ) इनमें से कोई नहीं

3- वैयक्तिक अध्ययन आंकडों का संयोजन मात्र है।

(क) हाँ

(ख) नहीं

(ग) स्वतन्त्र प्रविधि

(घ) इनमें से कोई नहीं

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर -

1- (ग) 2-(ख) 3-(क)

इकाई 10 - अन्तर्वस्तु विश्लेषण

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 अन्तर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा

10.3 अन्तर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य

10.4 अन्तर्वस्तु विश्लेषण के विभिन्न प्रयोग

10.5 अर्न्तवस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरण

10.6 अर्न्तवस्तु विश्लेषण के प्रकार

10.7 विश्लेषण की रूपरेखा का निर्माण

10.8 अन्तर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि

10.9 अंतर्वस्तु विश्लेषण में प्रतिदर्श के स्तर

10.9.1 समाचार पत्रों का प्रतिदर्श

10.9.2 समय का प्रतिदर्श

10.9.3 आर्थिक पत्रकारिता का प्रतिदर्श

10.9.4 पाठकों का प्रतिदर्श

10.10 अन्तर्वस्तु विश्लेषण की सीमाएं

10.11 सारांश

10.12 शब्दावली

10.13 संदर्भग्रंथ

10.14 सम्बन्धित प्रश्न

10.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप

- अन्तर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा स्पष्ट कर सकेंगे।
- अन्तर्वस्तु की विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे।
- अन्तर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि को जान सकेंगे ।
- अन्तर्वस्तु विश्लेषण के महत्व से परिचित हो सकेंगे।
- अन्तर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता का उल्लेख कर सकेंगे।

10.1 प्रस्तावना

जन संचार (Mass Media) व सम्प्रेषण (Communication) के साधनों का निरंतर विस्तार आधुनिक युग की विशेषता है। इन साधनों के कारण-विश्व सिमट कर छोटा हो गया है। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने वाले के मस्तिष्क में कुछ राष्ट्रों या प्रान्तों या नगरों का एक मोटा सा नक्शा खिंच जाता है। रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन आदि के कारण जन-साधारण भी अनेक संस्कृतियों से परिचित हो जाता है।

जनसंचार व संप्रेषण के साधन के अन्तर्वस्तु का विश्लेषण करने से बहुत से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अन्तर्वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा किसी विशेष समय से सम्बन्धित तथ्यों की विशेषताओं का पता चलता है। उस समय के समाज की प्रकृति पर प्रकाश भी पड़ता है। बिखरी हुई विषम-सामग्री को व्यस्थित करके सही-सही समझाने का अवसर मिलता है। विस्तृत घटनाओं को संक्षिप्त एवं सरल ढंग से समझ सकते हैं। रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन आदि के अन्तर्वस्तु की प्रक्रिया का विश्लेषण करने से समाज में इसकी उपयोगिताओं पर प्रकाश पड़ता है। इसका पता चलता है कि सामाजिक समस्याओं के निवारण में सम्प्रेषण के इन साधनों का कहां तक सहयोग है। बीती हुई घटनाओं का सही विश्लेषण, और सम्प्रेषण साधनों के प्रभाव का सही मूल्यांकन किसी राष्ट्र के नीति निर्धारण में सहायक हो सकता है।

अन्तर्वस्तु विश्लेषण एक तरह से पुरानी विधि है। एक विधि के रूप में प्रयोग होने से पहले भी इतिहासकारों ने घटनाओं और संचार के रिकार्ड का विश्लेषण किया है। किसी विशेष समय के समाज का इतिहास लिखने के लिए उस समय के सम्प्रेषण-साधनों के अन्तर्वस्तु का विश्लेषण बहुत दिनों से होता आया है। अनुसंधान की दृष्टि से आद यह विधि बड़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ मान लिया हमें किसी विदेशी राष्ट्र के प्रति समाचार पत्रों के दृष्टिकोण का पता लगाना है। इसके लिए हम कुछ प्रमुख समाचार पत्रों का चयन करेंगें। किसी भी समाचार पत्र की विचारधारा का पता उसके सम्पादकीय से लगता है। इसलिए सभी संपादकीय लेखों को कुछ वर्षों में वर्गीकृत किया जायेगा। वर्गीकरण का आधार संपादकीय की लेख की प्रकृति पर आधारित होता है। कुछ सम्पादकीय विदेशी राष्ट्र के पक्ष में, कुछ विपक्ष में और कुछ तटस्थ प्रतीत होंगे। अतः इन वर्गों (पक्ष, विपक्ष, तटस्थ) के आधार पर प्रत्येक समाचार पत्र के संपादकीय की आवृत्ति की गणना की जा सकती है।लेखों को सारणी द्वारा तीन वर्गों में विभाजित करके दर्शाया जा सकता है। अध्ययन उद्देश्य के आधार पर इन लेखों को इनकी विशेषताओं के आधार पर अन्य अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

10.2 अन्तर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा

अंतर्वस्तु विश्लेषण या सामग्री विश्लेषण मीडिया या विषयवस्तु विश्लेषण संचार शोध की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट पद्धति है। इसे सांकेतिकरण के नाम से भी जाना जाता

है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मीडिया सामग्री का संकलन एवं विश्लेषण किया जाता है। यह गुणात्मक हो सकता है, गणनात्मक भी हो सकता है, सैद्धान्तिक हो सकता है, और व्यावहारिक भी।

कुछ परिभाषाएं -

'अन्तर्वस्तु विश्लेषण संचार के व्यक्त संदर्भ के विषयात्मक, क्रमबद्ध एवं परिणामात्मक वर्णन की एक अनुसंधान प्रविधि है।' **बर्नार्ड बेरेल्सन**

'अंतर्वस्तु विश्लेषण लोगों पर परीक्षण करके उनके बारे में कुछ जानने का साधन है, जो लोग लिखते हैं, टेलीविजन के लिए कुछ उत्पादित करते हैं या फिल्म बनाते हैं, उन पर परीक्षण करके उन लोगों के बारे में जानने का साधन है।'

अरथर असा की ''मीडिया रिसर्च टेक्नीक्स'' से

'अंतर्वस्तु विश्लेषण क्रमबद्ध वर्गीकरण एवं संचार सामग्री का सामान्य रूप से पूर्व निर्धारित श्रेणियों के अनुसार वर्णन की एक शोध तकनीक है, जिसमें गुणात्मक या गणनात्मक या दोनों प्रकार के विश्लेषण हो सकते हैं।'

चार्ल्स आर0 राइट की मास कम्यूनिकेशन :ए सोशलाजिकल परस्पेक्टिव (1986) से

'अंतवस्तु विश्लेषण के द्वारा मीडिया उपभोक्ताओं के बारे में भी अप्रत्यक्ष रूप से यह जाना जा सकता है कि वे क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं या क्या देखते हैं।'

जार्ज बी0 जीरो

'अंतर्वस्तु विश्लेषण क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ एवं गणनात्मक तरीके से चरों को मापने के लिए संसार के अध्ययन एवं विश्लेषण की एक पद्धति है।'

एफ0 एन0 कर्लिन्जर

कर्लिन्जर की परिभाषा तीन अवधारणों से संबंधित है, जिसका वर्णन यहाँ वांछनीय है। सर्वप्रथम तो अंतर्वस्तु विश्लेषण क्रमबद्ध होता है। तात्पर्य यह कि अंतर्वस्तु का चयन विधिवत होना चाहिए तभी अंतर्वस्तु की सही पहचान संभव है। इसलिए सांकेतिकरण एवं विश्लेषण प्रविधि में एकरूपता होनी चाहिए। क्रमबद्धता का अर्थ यह भी है कि मूल्यांकन के लिए एक और केवल एक ही तरीका शोध में आरंभ से अंत तक अपनाया जायेगा।

दूसरा, अंतर्वस्तु विश्लेषण वस्तुनिष्ठ होता है। तात्पर्य यह कि शोधकर्ता का व्यक्तिगत पक्षपात या प्रभाव शोध पर नहीं आना चाहिए।

तीसरा अंतर्वस्तु विश्लेषण मुख्यतया गणनात्मक होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य संदेश सामग्री का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति सिर्फ परिमापन से ही

संभव है। लेकिन परिमापन का अर्थ यह नहीं कि शोधकर्ता अन्य पहलुओं के संदर्भ में बिल्कुल अंधा ही हो जाये। फेस्टिंजर तथ्र डेनियल ने वेरेल्सन का उदाहरण देते हुए अंतर्वस्तु विश्लेषण को इस प्रकार व्यक्त किया है, 'अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार से स्पष्ट विषय की वैषयिक, व्यवस्थित तथा गुणात्मक व्याख्या करने की अनुसंधान प्रणाली हैं।'

दूसरे शब्दों में अंतर्वस्तु विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल तथा अस्पष्ट गुणात्मक सामाजिक तथ्यों के स्वरूप को सरल तथा बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया जाता हैं। वैज्ञानिक व्यवहार को वैज्ञानिक तथ्यों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संक्षेप में अंतर्वस्तु विश्लेषण कहते हैं।

10.3 अन्तर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य

वृहद रूप में अंतर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य मीडिया संगठन की बाह्य एवं आंतरिक स्वतंत्रता का अध्ययन करना होता है। साथ-साथ यह भी जानना कि मीडिया संगठन किस प्रकार से सामग्री का चयन एवं प्रक्रियाकरण करता है।

इसके अलावा इसका उद्देश्य अभिलेखित वास्तविक घटनाओं को ऐसे आंकड़ों के रूप में परिवर्तित करना है, जिनके साथ आवश्यक रूप से वैज्ञानिक ढंग की सहायता से कार्य किया जा सके ताकि मीडिया या संचार संबंधी ज्ञान के कोष का विकास संभव हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि अंतर्वस्तु योग्य विषयात्मक तथ्यों की उत्पत्ति संभव हो सके जो परिमापन एवं परिमाणात्मक क्रिया के प्रति संवेदनशील हों, वैज्ञानिक सिद्धान्तों के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों तथा जिनके आधार पर अध्ययन के क्षेत्र से परे अन्य समूहों के विषय में भी सामान्यीकरण करने में सहायता प्राप्त हो सके। इन्हीं उद्देश्यों को केन्द्र मानकर अंतर्वस्तु विश्लेषण किया जाता है।

10.4 अन्तर्वस्तु विश्लेषण के विभिन्न प्रयोग

डी0 पी0 कार्टराइट ने अपनी पुस्तक (एनालिसिस, ऑफ क्वालीटेटिव मेटिरियल) में अंतर्वस्तु विश्लेषण के विभित्र प्रयोगों की चर्चा की है, जो निम्नलिखित हैं :-

1- संचार सामग्री में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों का वर्णन करना।

2- विद्वता के विकास का पता लगाना।

3- संचार सामग्री के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भिन्नताओं को स्पष्ट करना।

4- संचार के माध्यमों अथवा स्तरों की तुलना करना।

5- संचार मानदंडों का निर्माण करना एवं उन्हें प्रयोग में लाना।

6- प्राविधिक अनुसंधान क्रियाओं में सहायता प्रदान करना।

7- प्रचार की प्रविधियों को स्पष्ट करना।

8- संचार सामग्री की पठनीयता का परिमापन करना।

9- संचार सामग्री की शैली संबंधी विशेषताओं का अन्वेषण करना।

10- संचारकर्त्ताओं के इरादों एवं अन्य विशेषताओं का पता लगाना।

11- व्यक्तियों एवं समूहों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का पता लगाना।

12- प्रचार के अस्तित्व का प्रमुख रूप से वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए पता लगाना।

13- राजनैतिक एंव सैनिक गुप्तचर शक्ति की जानकारी प्राप्त करना।

14- विभिन्न समूहों की अभिरूचियों, मनोवृत्तियों, मूल्यों अर्थात् सांस्कृतिक प्रतिमानों को परावर्तित करना।

15- ध्यान के केन्द्र बिन्दु को स्पष्ट करना।

16- संचार के प्रति मनोवृत्तीय एवं व्यावहारात्मक प्रत्युत्तरों का वर्णन करना।

10.5 अन्तर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरण

आर0 डी0 वीमर एवं जे0 आर0 डोमिनिक ने अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरणों को निर्धारित किया है, जो निम्नलिखित है :-

1- शोध प्रश्न या उपकल्पना का निर्माण

2- अंतर्वस्तु के समग्र की स्पष्ट परिभाषा

3- समग्र से उचित प्रतिदर्श की चयन करना।

4- विश्लेषण के लिए इकाइयों का चयन करना।

5- सामग्रियों की श्रेणी का निर्माण करना।

6- परिमापन पद्धति स्थापित करना।

7- संकेत निर्धारकों को प्रशिक्षित करना तथा पायलॉट अध्ययन करना।

8- सामग्रियों को स्थापित परिभाषाओं के अनुसार कोडिंग करना।

9- संकलित आंकड़ों का विश्लेषण करना।

10- निष्कर्ष निकालना

यह आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा उक्त क्रमानुसार ही संपादित या क्रियान्वित किये जायें। जहाँ विश्लेषण की इकाइयों के संदर्भ में वेरेल्सन ने प्रमुख इकाइयों का उल्लेख किया है :-

1- शब्द

2- विचारधारा

3- पात्र

4- मद

5- स्थान

6- समय

सबसे छोटी इकाई होने के बावजूद भी शब्दों को अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। विचारधारा के इकाई के रूप में लाभपूर्ण होने के बावजूद भी इसका प्रयोग अत्यधिक कठिन है। एक विचारधारा से अभिप्राय एक वाक्य, किसी वस्तु के विषय में पूर्व कल्पना से है। पात्र,समय एवं स्थान अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयों के रूप में शैक्षिक अनुसंधान में अत्यधिक उपयोगी नहीं हैं। पात्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति से है। इसका प्रयोग बाल कहानियों का विश्लेषण करते समय किया जा सकता है स्थान तथा समय का इकाई के रूप में प्रयोग उस समय किया जाता है जब अंतर्वस्तु का भौतिक परिमापन किया जाता है। मद भी विचार की भांति ही उपयोगी इकाई है। मद एक संपूर्ण लेख, समाचार, कहानी, रेडियो वार्ता, टेलीविजन कार्यक्रम, कक्षा के अंतर्गत विचार-विमर्श के रूप में पाया जाता है। यूँ तो ऊपर वर्णित परिमापन पद्धति स्थापित करना जटिल होता है। फिर भी प्रत्येक सामग्री में परिमापन की निहित योग्यता पाई जाती है। हाँ, यह बात भी न्यायोचित है कि कुछ सामग्री परिमापन के लिए अधिक उपयुक्त होती है और कुछ कम उपयुक्त। अंक निर्धारित करते समय तीन महत्वपूर्ण तरीके अपनाये जाते हैं :

1- नामिक परिमापन

2- मान निर्धारण अथवा क्रम सूचक परिमापन

3- निर्णय

वेरेल्सन ने परिमापन के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को चिन्हित किया है, जो निम्नलिखित है :-

1- यदि विश्लेषित की जाने वाली सामग्री प्रतिनिधित्वपूर्ण हो, तो गणना सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए।

2- यदि विभिन्न श्रेणियों में पाये जाने वाले मद, विश्लेषित की जाने वाली सामग्री में बड़ी सख्या में पाये जाते हों, तो प्रत्येक श्रेणी के लिए मदों की गणना सतर्कता के साथ करनी चाहिए।

10.6 अन्तर्वस्तु विश्लेषण के विभिन्न प्रयोग -

अंतर्वस्तु विश्लेषण का सबसे विस्तृत प्रयोग एंच0डी0 लैसवेल द्वारा किया गया है, जिन्होंने निम्नलिखित संचार प्रारूप तैयार किया था :-

प्रारूप	शोध क्षेत्र
कौन रहता है	स्त्रोत विश्लेषण
क्या	संदेश विश्लेषण
किससे	संग्राहक विश्लेषण
किस माध्यम से	माध्यम विश्लेषण
किस प्रभाव के साथ	प्रभाव विश्लेषण

उक्त प्रारुप के आधार पर अंतर्वस्तु विश्लेषण को न केवल क्या यानी की मीडिया के संदेश विश्लेषण तक ही सीमित रखना न्यायोचित नहीं है। इसके अंतर्गत मीडिया से संबंधित कौन यानी स्त्रोत, किसको यानी संग्राहक, चैनल यानी कि माध्यम तथा प्रभाव आदि का भी अध्ययन विस्तार से किया जाता है।

दूसरी ओर अंतर्वस्तु विश्लेषण न केवल समाचार पत्र तक ही सीमित है, बल्कि पत्रिका, समाचार समिति, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट, पाठ्य पुस्तक, कहानी आदि पर भी व्यापक अध्ययन किया जाता है।

इस प्रकार अंतर्वस्तु विश्लेषण को क्रियात्मक एवं संरचनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित प्रकारों से बांटा जा सकता है :

अंतर्वस्तु विश्लेषण

क्रियात्मक	**संरचनात्मक**
1- क्या (सामग्री या अंतर्वस्तु)	1- समाचारपत्र
2- कौन (स्त्रोत)	2- पत्रिका
3- किसको (लक्षित जन समूह)	3- समाचार समिति
4- चैनल (माध्यम)	4- रेडियो
5- प्रभाव	5- टेलीविजन
	6- फिल्म
	7- इंटरनेट
	8- पाठ्य पुस्तक
	9- कहानी

समाचार चाहे वह समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार समिति, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट से जुड़ा हो, के अंतर्वस्तु विश्लेषण का सबसे अधिक व्यापक प्रयोग एच0डी0 लैसवेल ने किया है। यहाँ पर समाचारों के अंतर्गत कुछ विशेष संकेतों के प्रयोग की बारम्बारता का अध्ययन किया जाता है तथा इसके आधार पर यह देखने का प्रयास किया जाता है कि संपूर्ण स्थिति 'अनुकूल' 'उदासीन' अथवा 'प्रतिकूल' है ?

दूसरी ओर राइट ने समाचार पत्रों का अंतर्वस्तु विश्लेषण करने के लिए एक अधिक जटिल प्रविधि का प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 'संपादकीय' से कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण कथनों को चुनते हुए उन्हें विचार की अनुकूलता को प्रदर्शित करने वाली श्रेणियों में निर्णायक द्वारा वर्गीकृत कराया है।

पियर्स ने पाठ्य पुस्तकों की अंतर्वस्तु का विश्लेषण के संदर्भ में काफी सघन अध्ययन करने के बाद यह प्रमाणित किया कि पाठ्य-पुस्तक राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होती है।

इसके अलावा 'वेरेल्सन' एवं 'साल्टर' ने कहानियों की अंतर्वस्तु का विश्लेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य किया है। आपने 1937 तथा 1943 की अवधि के दौरान सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कथा साहित्य की 8 पत्रिकाओं का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इनमें बहुत कम पात्र ऐसे थे जिन्हें राष्ट्रीय मानव जातीय उत्पत्ति के आधार पर स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता था तथा इनमें प्रत्येक कहावतों का प्रयोग किया गया था।

10.7 अन्तर्वस्तु विश्लेषण की रूपरेखा का निर्माण

विश्लेषण की रूपरेखा के निर्माण में निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण है :-

1- तथ्यों का विशिष्ट विवरण

2- सारणीकरण की योजना का निर्माण

3- रूपरेखा का ढांचा तैयार करना

वेरेल्सन के अनुसार इस ढांचे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए :-

विषयवस्तु : संचार किस विषय में है ?

निर्देशन : विषय के प्रति किया गया बर्ताव अनुकूल अथवा प्रतिकूल है।

मानदंड : वह आधार क्या है जिस पर निर्देशन का वर्गीकरण किया गया है।

मूल्य : कौन से मूल्य स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से सामने आये हैं?

ढंग : उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किन ढंगों अथवा कार्यों का प्रयोग किया गया है?

6- लक्षण : व्यक्तियों की कौन-सी विशेषताएं स्पष्ट की गयी हैं ?

7- कर्ता : क्रिया को कौन आरंभ करता है?

8- अधिकार : किसके नाम में कथन जारी किये जाते हैं ?

9- उत्पत्ति : संचार की उत्पत्ति का स्थान क्या है?

10- लक्ष्य : संचार किसके प्रति विशिष्ट रूप से निर्देशित है ?

इसे किस प्रकार कहा गया है ?

1- संचार का स्वरूप : यह कथा, समाचार, टेलीविजन इत्यादि क्या है?

2- कथन का स्वरूपः विश्लेषण की इकाई का व्याकरणात्मक अथवा वाक्यीय स्वरूप क्या है?

3- तीव्रता : संचार में कितनी शक्ति अथवा उत्तेजनात्मक मूल्य पाया जाता है।

4- युक्ति : संचार की सैद्धान्तिक अथवा प्रचारात्मक प्रकृति क्या है?

5- प्रत्येक चर की श्रेणी को भरा जाना चाहिए।

6- सामग्री को इकाई बद्ध करने की कार्यरीति की स्थापना की जानी चाहिए।

7- विश्लेषण : रूपरेखा एवं इकाईबद्ध.करने की कार्यरीति को प्रयोग में लाना चाहिए।

10.8 अन्तर्वस्तु विश्लेषण की प्रविधि

ऊपर वर्णित अंतर्वस्तु के प्रमुख चरण विश्लेषण की रूपरेखा का निर्माण एवं विश्लेषण की रूपरेखा के प्रयोग के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शोधकर्ता अंतर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य निर्धारण के बाद विश्लेषण की इकाई की पहचान करना है। समाचार पत्रों के अंतर्वस्तु, विश्लेषण में समाचार, आलेख, विशेष आलेख, फीचर, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र, फोटो, कार्टून आदि को विश्लेषण की इकाई कहा जाता है। शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, पृष्ठ आदि भी विश्लेषण की इकाई हैं। उसी प्रकार रेडियो एवं दूरदर्शन कार्यक्रम को भी विश्लेषण की इकाई कहा जाता है।

विश्लेषण की इकाई की पहचान के बाद विश्लेषण की श्रेणियाँ निर्धारित की जाती हैं। जैसे आर्थिक पत्रकारिता का अंतर्वस्तु विश्लेषण किया जा रहा है तो आर्थिक पत्रकारिता को कृषि, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, आयात, निर्यात, विदेशी विनिमय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बजट, जनसंख्या, कर, आर्थिक योजनाएं आदि श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

उसके बाद सूचना के स्त्रोतों का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे समाचार पत्र में आर्थिक पत्रकारिता का अंतर्वस्तु विश्लेषण में सूचना के स्त्रोत विदेशी समाचार समितियां जैसे

रायटर, ए0एफ0पी0, ए0पी0 या अन्य भारतीय समाचार समितियाँ जैसे यू0 एन0 आई0, पी0टी0आई0, यूनीवार्ता, भाषा एवं रिपोर्टर, संवाददाता, संपादक, पाठक, स्वतंत्र पत्रकार या अन्य हो सकते हैं।

समाचारों का संतुलन एवं वस्तुनिष्ठता मापते समय यह देखा जा सकता है- 'पूर्णतः संतुलित', 'अंशतः संतुलित' या 'असंतुलित' तथा 'पूर्णतः वस्तुनिष्ठ', 'अंशतः वस्तुनिष्ठ', या अवस्तुनिष्ठ'।

इसके बाद आर्थिक पत्रकारिता का स्थानीकरण अध्ययन करने में देखा जाता है कि वे कहां पर छपे हैं। प्रथम पृष्ठ, संपादकीय पृष्ठ, पत्रिका पृष्ठ, परिशिष्टांक, प्रतिष्ठित पृष्ठ, वाणिज्य पृष्ठ या अन्य। तत्पश्चात् आर्थिक पत्रकारिता की दिशा का अध्ययन किया जाता है, जैसे सूचनात्मक, शिक्षाप्रद, विश्लेषणात्मक या अन्य। फिर आर्थिक पत्रकारिता के स्तर का अध्ययन किया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय या अन्य।

उसके बाद आर्थिक पत्रकारिता के कालम आकार का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक कालम, दो कालम, तीन कालम, चार कालम, पांच कालम, बैनर या अन्य।

तत्पश्चात् आर्थिक पत्रकारिता के आकार को कालम सेंटीमीटर में मापा जाता है। बाद में इस सूत्र को अपनाया जाता है:

आर्थिक पत्रकारिता को दिये गये स्थान का प्रतिशत,

$$= \frac{\text{आर्थिक पत्रकारिता को दिया गया स्थान (कालम सेंटीमीटर में)}}{\text{कुल स्थान}} \times 100$$

यहां एक बात गौरतलब है कि जब समग्र में से प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है, तो उस प्रतिदर्श को समग्र का प्रतिनिधि होना चाहिए। तात्पर्य यह कि जिस अनुपात में समग्र में विभिन्न इकाइयों का प्रतिशत है, उसी अनुपात में प्रतिदर्श में भी इकाइयों का प्रतिशत होना चाहिए।

10.9 अन्तर्वस्तु विश्लेषण में प्रतिदर्श के स्तर

10.9.1 समाचार पत्रों का प्रतिदर्श -

समाचार पत्रों का प्रतिदर्श : यदि इंदौर के समाचारपत्रों में आर्थिक पत्रकारिता का अंतर्वस्तु विश्लेषण करना है, तो सबसे पहले इंदौर के संपूर्ण समाचार पत्रों में से ऐसे समाचार पत्रों का चयन करना होगा, जो इंदौर के सभी समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों। उदाहरण के तौर पर यदि हम इंदौर के पांच समाचार पत्र - 'नई दुनिया', 'दैनिक भास्कर', 'चौथा संसार,' 'नवभारत' एवं 'फ्री प्रेस' को चुनते हैं, तो ये सभी समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रसार संख्या के आधार पर नई दुनिया एवं दैनिक भास्कर हिन्दी के बड़े समाचारपत्र हैं जबकि चौथा संसार एवं नवभारत हिन्दी के

मध्यम समाचारपत्र हैं एवं फ्री प्रेस अंग्रेजी का छोटा समाचार पत्र है। इस प्रकार इन पाँचों समाचार पत्रों में बड़े, मध्यम, छोटे, हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचर पत्र सम्मिलित हैं। इसलिए इन्हें इंदौर के समाचार पत्रों का प्रतिनिधि प्रतिदर्श माना जा सकता है। इसे प्रतिदर्शन स्तर-। कहा जा सकता है।

10.9.2 समय का प्रतिदर्श

यदि उक्त अध्ययन में 2 निरंतर सप्ताह एवं 2 निर्मित सप्ताह लिये जाते हैं, तो वह पूरे वर्ष का बहुत हद तर प्रतिनिधित्व कर सकता है। दो निरंतर सप्ताह का अर्थ है दो सप्ताह लगातार। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल,2002 से 14 अप्रैल, 2002 तक। उसी तरह दो निर्मित सप्ताह का अर्थ है एक सप्ताह का सोमवार, अगले सप्ताह का मंगलवार, उसके अगले दो बुधवार। यानी दो निर्मित सप्ताह में 14 सप्ताह का अध्ययन समाहित है। जैसे 12 अगस्त, 2002 (सोमवार), 20 अगस्त (मंगलवार), 28 अगस्त, 2002 (बुधवार), 5 सितंबर 2002, (वीरवार), 13 सितंबर, 2002, (शुक्रवार), 21 सितंबर, 2002 (शनिवार), 29 सितंबर, 2002 (रविवार), 7 अक्टूबर, 2002 (सोमवार), 15 अक्टूबर, 2002 (मंगलवार), 23 अक्टूबर, 2002 (बुधवार), 31 अक्टूबर, 2002 (वीरवार), 8 नवंबर, 2002 (शुक्रवार), 16 नवंबर, 2002, (शनिवार), एवं 24 नवंबर, 2002 (रविवार) को दो निर्मित सप्ताह के रूप में चुना जा सकता है। इस प्रकार दो निरंतर एवं दो निर्मित सप्ताह का अर्थ हुआ 1अप्रैल, 2002 से 24 नवम्बर, 2002 तक। तात्पर्य यह कि ये पूरे वर्ष 2002 का बहुत ही अच्छा प्रतिनिधि प्रतिदर्श साबित हो सकते हैं। इसे प्रतिदर्शन स्तर - ।। कहा जा सकता है।

10.9.3 आर्थिक पत्रकारिता का प्रतिदर्श

इसमें आर्थिक पत्रकारिता के विभिन्न श्रेणी जैसे-कृषि, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, आयात-निर्यात, विदेशी विनिमय, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बजट, जनसंख्या, कर आर्थिक नीति नियोजन आदि को लिया जाता है। ये श्रेणियां इतनी व्यापक एवं विस्तृत हैं कि ये संपूर्ण आर्थिक पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। इसे प्रतिदर्शन स्तर-।।। कहा जा सकता है।

10.9.4 पाठकों का प्रतिदर्श

इसके अंतर्गत विभित्र पाठक वर्ग जो आर्थिक पत्रकारिता को समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, उन्हें कई वर्गों में बांटा जाता है। जैसे-व्यापारी वर्ग, सरकारी कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, गृहणी वर्ग, निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी वर्ग, व्यावसायिक वर्ग आदि। ये सभी वर्ग मिलकर पाठकों के समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसे प्रतिदर्शन स्तर-IV कहा जा सकता है।

इसी प्रकार चार विभिन्न स्तरों पर प्रतिदर्श चुनने के कारण इसे बहुस्तरीय निदर्शन पद्धति भी कहा जाता है।

10.10 अन्तर्वस्तु विश्लेषण की सीमाएं

1- अंतर्वस्तु विश्लेषण वास्तव में गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए सांख्यिकीय पद्धति अपनायी जाती है। परन्तु इस पद्धति में

मानकता की कमी के कारण कई बार गुणात्मक तथ्य, गणनात्मक तथ्यों में यथार्थता के साथ नहीं परिवर्तित हो पाते।

2- इसमें संकेत निर्धारण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जिसमें संकेत निर्धारक के व्यक्तिगत पक्षपात एवं प्रभाव का भय बना रहता है। अभी हाल के वर्षों में सूचना क्रांति के चलते ऐसे साफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, जिससे कम्प्यूटर के माध्यम से अंतर्वस्तु विश्लेषण किया जा सकता है। यह कम्प्यूटर संकेत निर्धारक का काम कर सकता है, जिससे वस्तुनिष्ठता स्वतः स्थापित हो सकती है। वीमर एवं डोमिनिक (1999) ने लिखा है, 'भविष्य में कम्प्यूटर अनेक विश्लेषणों का अभिन्न अंग होगा तथा इसका प्रयोग प्रायःसंकेत निर्धारक की तरह होगा।

3- अंतर्वस्तु के परिमापन में सबसे महत्वपूर्ण समस्या इकाइयों के निर्धारण की है। उदाहरण के लिए एक समाचार पत्र के संपादकीय में विश्वकप के विषय में छपे विचार को 'अनुकूल' उदासीन अथवा प्रतिकूल घोषित की गयी संपूर्ण संपादकीय अभिलेखन की एक इकाई तथा स्तंभ सेंटीमीटर आगणन की एक इकाई होगी। चाहे जो भी हो, परिमापन के लिए इकाई का निर्धारण संपूर्ण अंतर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्यों के आधार पर ही होना चाहिए।

4- अंतर्वस्तु विश्लेषण में श्रेणियों की समस्या भी इसे सीमा बंधित करती है। वास्तव में परिमापन न केवल आगणन की इकाइयों पर बल्कि श्रेणियों के अंतर्गत क्रमबद्ध संबंधों की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है।

लैजर्सफेल्ड तथा बार्टन ने गुणात्मक सामग्री के सांकेतिकरण के संदर्भ में तीन प्रकार की श्रेणीकरण की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है:

1- द्विभाग, 2- क्रम तथा 3-चर।

द्विभागों का प्रयोग करने वाली श्रेणीकरण की व्यवस्था में अध्ययन किये जाने वाले गुण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के विषय में निर्णय लिये जाते हैं। जब हम तीव्रता को व्यक्त करते हैं। तो श्रेणियों की इस व्यवस्था को क्रम कहते हैं। यहाँ पर श्रेणियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इनके मान निर्धारित किये जा सकते हैं। जब हम श्रेणियों को इस प्रकार बनाते हैं कि क्रम की स्थापना के अतिरिक्त एक परम शून्य तथा समान अंतराल की विशेषताएं भी पायी जाती हैं, तो श्रेणीकरण की इस व्यवस्था को चर कहते हैं। श्रेणीकरण की यह व्यवस्था मात्र कुछेक इकाइयों जैसे- दूरी, धन, समय, ऊर्जा आदि संबंधी इकाइयों पर ही प्राप्त हो सकती है।

10.11 सारांश

अन्तर्वस्तु विश्लेषण विधि द्वारा किसी समय से सम्बन्धित घटनाओं की प्रकृति की जानकारी होती है। बिखरी हुई लिखित या अलिखित विषय-वस्तु को व्यवस्थित करके मात्रात्मक रूप में समझने का अवसर मिलता है। रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन आदि के अन्तर्वस्तु की विशेषताओं के विश्लेषण से इन साधनों की सामाजिक उपयोगिता पर प्रकाश पड़ता है। अन्तर्वस्तु विश्लेषण अवलोकन और प्रमाणन की एक विधि है। इकाई द्वारा सम्प्रेषण की अन्तर्वस्तु का वैषयिक, व्यवस्थित और भावात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसकी सहायता से साक्षात्कार प्रश्नावली, अनुसूची

आदि की अन्तर्वस्तु का विश्लेषण भी किया जा सकता है। इसमें मात्रात्मक ढंग से तथ्यों की तुलना की जाती है।

10.12 शब्दावली

अन्तर्वस्तु	-	सामग्री
विश्लेषण	-	व्याख्या
अन्तर्वस्तु विश्लेषण	-	बिखरे गुणात्मक आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से मात्रात्मक रूप देना।

10.13 संदर्भ ग्रंथ

1- डा0 मनोज दयाल : मीडिया शोध

2- हरिशचन्द्र श्रीवास्तव : सामाजिक अनुसंधान की कार्य विधिकी

3- रवीन्द्र नाथ मुखर्जी : सामाजिक शोध एवं सांख्यिकीय

10.14 सम्बन्धित प्रश्न

लघुउत्तरीय प्रश्न

1- अन्तर्वस्तु विश्लेषण क्या है।

2- अन्तर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य पर प्रकाश डालिये।

3- अन्तर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता बताइये।

4- अन्तर्वस्तु विश्लेषण की सीमाएं क्या है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1- अन्तर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालिये।

2- अन्तर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषा, उद्देश्य एवं प्रविधि का उल्लेख करें।

3- सिद्ध करें कि यह एक प्रमाणन एवं अवलोकन विधि है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1- अन्तर्वस्तु विश्लेषण का अर्थ है-

क- तथ्यों का विशिष्ट विवरण

ख- तथ्यों का अवलोकन

ग- तथ्यों का प्रमाणन

घ- उपर्युक्त सभी

2- अन्तर्वस्तु विश्लेषण है

क- अवलोकन प्रविधि

ख- प्रविधि

ग- प्रमाणन प्रविधि

घ- उपर्युक्त सभी

3- अन्तर्वस्तु विश्लेषण का अर्थ है

क- भीतरी वस्तु का विश्लेषण

ख- वाह्य वस्तु का विश्लेषण

ग- तथ्यों का विश्लेषण

घ- इनमें से कोई नहीं

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (क) 2. (घ) 3. (ग)

Notes

M.J.M.C. -07
मीडिया शोध

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

खण्ड

03

मीडिया शोध : विधि तंत्र

इकाई- 11	5
आंकड़ा संचयन के उपकरण - प्रश्नावली	
इकाई- 12	17
साक्षात्कार	
इकाई- 13	29
सर्वेक्षण	
इकाई- 14	41
निदर्शन (सैम्पलिंग)	
इकाई- 15	54
मीडिया की विधाएँ और शोध	

परामर्श-समिति

प्रो0 केदार नाथ सिंह यादव	कुलपति - अध्यक्ष
डॉ0 हरीशचन्द्र जायसवाल	कार्यक्रम संयोजक
डॉ0 रत्नाकर शुक्ल	कुलसचिव - सचिव

विशेषज्ञ समिति

1- प्रो0 जे0 एस0 यादव	पूर्व निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान , नई दिल्ली
2- प्रो0 राममोहन पाठक	निदेशक, मदन मोहन मालवीय, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3- प्रो0 सुधाकर सिंह	हिन्दी (प्रयोजनमूलक) विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी
4- डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय	जनसम्पर्क अधिकारी, बी0एच0यू0 वाराणसी
5- डॉ0 पुष्पेन्द्र पाल सिंह	अध्यक्ष-पत्रकारिता विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारित विश्वविद्यालय, भोपाल

सम्पादक

डॉ0 अर्जुन तिवारी- वरिष्ठ परामर्शदाता, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक मंडल

1- प्रो0 श्रीनिवास पाण्डेय	- समन्वयक, प्रयोजनमूलक हिन्दी (पत्रकारिता बी0एच0यू0 वाराणसी)
2- डॉ0 शिव कृपा मिश्र	- उपसम्पादक- दैनिक जागरण, वाराणसी
3- डॉ0 पूर्णिमा पाठक	- नवभारत टाइम्स (नई दिल्ली), वाराणसी
4- श्री राजेश नारायण दुबे	- मीडिया सेंटर, दुर्गाकुंड, वाराणसी
5- डॉ0 वीरेन्द्र व्यास	- अध्यक्ष-पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, मं0 गॉ0 ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की ओर से डॉ. अरूण कुमार गुप्ता, कुलसचिव द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, मई 2019

मुद्रक : चन्द्रकला युनिवर्सल प्रा. लि. 42/7 जवाहर लाल नेहरू रोड प्रयागराज 211002

खण्ड-3 खण्ड-परिचय : 'मीडिया शोधः विधि तंत्र'

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ हैं :-

11- आंकड़ा संचयन के उपकरण-प्रश्नावली

12- साक्षात्कार

13- सर्वेक्षण

14- निदर्शन

15- मीडिया की विधाएँ और शोध

शोध सम्बन्धी आंकड़ों के संचयन का सबसे सुगम और व्याहारिक उपकरण प्रश्नावली है। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की तालिका होती है जिसकी विस्तृत रूपरेखा इकाई 11 में प्राप्त है। अगली इकाई में साक्षात्कार को सोदाहरण स्पष्ट किया गया है। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आन्तरिक जीवन में प्रवेश पा लेता है। सर्वेक्षण समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान का एक वैज्ञानिक साधन है। पहले से निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के किसी समूह के कुछ निश्चित प्रतिशत का चयन निदर्शन है। समग्र का अध्ययन करने में स्थान पर कुछ चुने तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष इसी विधि से निकाला जाता है। मीडिया शोध के विधि-तंत्र की सफलता रिपोर्टिंग, विज्ञापन, जनसम्पर्क के क्षेत्र में सिद्ध होती है। अंतिम इकाई में पत्रकारिता के विभिन्न आयामों में शोध की महत्ता को सुस्पष्ट किया गया है।

इकाई-11 आंकड़ा संचयन के उपकरण-प्रश्नावली

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावनो

11.2 प्रश्नावली का अर्थ एवं परिभाषा

11.3 अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं

11.4 प्रश्नावली के प्रकार

- 11.4.1 संयोजित प्रश्नावली
- 11.4.2 बन्द प्रश्नावली
- 11.4.3 खुली प्रश्नावली
- 11.4.4 असंयोजित प्रश्नावली
- 11.4.5 चित्रमय प्रश्नावली
- 11.4.6 मिश्रित प्रश्नावली

11.5 प्रश्नावली की रचना करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें

11.6 प्रश्नावली तथा अनुसूची में अन्तर

11.7 प्रश्नावली प्रविधि का महत्व व गुण

- 11.7.1 विस्तृत जनसंख्या का अध्ययन
- 11.7.2 सूचनाओं को बार-बार प्राप्त करने की सुविधा
- 11.7.2 सूचनाओं को बार-बार प्राप्त करने की सुविधा
- 11.7.3 निम्नतम व्यय
- 11.7.4 सूचनाओं का शीघ्र प्राप्त होना
- 11.7.5 सुगमता
- 11.7.6 स्वतंत्र व प्रमाणिक सूचना
- 11.7.7 स्वयं प्रशासित

11.8 प्रश्नावली की सीमाएं

11.9 सारांश

11.10 शब्दावली

11.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

11.12 सम्बन्धित प्रश्न

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

1. प्रश्नावली के बारे में जान सकेंगे।
2. प्रश्नावली की विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे।
3. प्रश्नावली के विविध प्रकारों से परिचित हो सकेंगे।
4. प्रश्नावली व अनुसूची में अन्तर स्पष्ट कर सकेंगे।
5. प्रश्नावली के महत्व से परिचित हो सकेंगे।

11.1 प्रस्तावना

प्रश्नावली प्रणाली मीडिया या संचार शोध का एक अनिवार्य रूप है। मीडिया, स्रोत, संदेश, माध्यम एवं संग्राहक आदि विभिन्न पहलुओं के परीक्षण के लिए प्रश्नावली को अत्यन्त उपयोगी एवं लाभकारी समझा जाता है। अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाता बिखरे होते हैं। अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन की आवश्यकतानुसार उनका चयन करता है। क्षेत्रीय अनुसंधान में हम यह मानकर चलते हैं कि 'जिस पर बीत रही है' वह अपना अनुभव स्वयं बता सके। अध्ययन क्षेत्र में जब इस तरह के उत्तरदाता मौजूद हों तो उनके पास पहुंचना आवश्यक है। समस्या यह होती है कि किस उपकरण अथवा तरकीब के साथ उनसे सूचनाएं प्राप्त की जायें। प्रश्न पूछने पर ही व्यक्ति अपने दिल की बात कहता है। प्रश्नों द्वारा आंकड़े प्राप्त करने के उपकरण को प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली विधि में तीन बातों का अध्ययन किया जाता है–(1) प्रश्नों की अन्तर्वस्तु (2) प्रश्नावली का प्रारूप व (3) प्रश्नावली को सफल बनाने की समस्या।

ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जिन्हें कि कोई न कोई उत्तरदाता ठीक से नहीं समझ पाता है और उस अवस्था में यथार्थ सूचना पाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उन प्रश्नों को सही तौर पर कोई उन्हें समझा दें। पर इस प्रकार की कोई भी सहायता अनुसन्धानकर्ता से उत्तरदाता को प्रश्नावली प्रविधि के अन्तर्गत नहीं मिल पाती है जिसके कारण या तो उत्तर गलत दिया जाता है अथवा न समझे हुए प्रश्नों को यूं ही खाली छोड़ दिया जाता है।

प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक आयोजित व क्रमबद्ध सूची है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्राथमिक तथ्यों को संकलित करना होता है। प्रश्नावली व अनुसूची में अन्तर केवल इतना ही है कि अनुसूची प्रविधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता से मिलकर प्रश्नों के उत्तर को भरता है जबकि प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दिया जाता है और उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि वे प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखकर फिर डाक द्वारा ही प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता के पास भेज दें।

11.2 प्रश्नावलीः का अर्थ तथा परिभाषा

आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक विषय से सम्बन्धित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची को प्रश्नावली कहते हैं जिसे कि डाक द्वारा भेजकर सूचना एकत्रित की जाती है। पर विभिन्न विद्वानों ने इसके अर्थ को अपने-अपने ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है।

(1) ''सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रविधि से है जिसमें कि एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है।''

–गूड एवं हॉट

(2) ''प्रश्नावली बड़ी संख्या में लोगों से अथवा छोटे चुने हुए एक समूह से जिसके कि सदस्य विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, सीमित मात्रा में सूचना प्राप्त करने की एक सुविधाजनक प्रणाली है।''

–विलसन गी

(3) ''मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसे कि शिक्षित लोगों के सम्मुख, उन प्रेरणाओं के अन्तर्गत उनके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।''

–लुण्डबर्ग

(4) ''प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की एक तालिका है।''

–बोगार्डस

11.3 अच्छी प्रश्नावली की विशेषतायें

श्री ए० एल० बाउचे ने एक उत्तम प्रश्नावली की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है–

(1) तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए।

(2) ऐसे प्रश्नों का होना श्रेष्ठ है जिनका कि उत्तर संख्या में अथवा 'हाँ' या 'नहीं' में दिया जा सकता है।

(3) प्रश्न इतने सरल, सीधे और सार्थक हो, कि शीघ्र समझ में आ सके।

(4) प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जाये कि उनका उत्तर देते समय मिथ्या झुकाव के प्रवेश की सम्भावना कम हो।

(5) प्रश्न अशिष्टपूर्ण अथवा दृष्टतापूर्ण अथवा परीक्षात्मक नहीं होने चाहिये।

(6) प्रश्न जहाँ तक हो एक-दूसरे को पुष्ट करने वाले हों।

(7) प्रश्न इस प्रकार के हों कि इच्छित सूचना प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जा सके।

11.4 प्रश्नावली के प्रकार

प्रश्नावली को रचना के आधार पर प्रश्नों की प्रकृति अथवा तथ्यों की प्रकृति के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है।

श्रीमती यंग ने प्रश्नावली के दो प्रकारों का उल्लेख किया है–

11.4.1 संयोजित प्रश्नावली

जिसकी रचना अनुसन्धान कार्य आरम्भ करने से पूर्व कर ली जाती है और (ख) असंयोजित प्रश्नावली जिसमें कि प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता, अपितु केवल अध्ययन, विषय, क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में उल्लेख रहता है। उसी प्रकार प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर भी प्रश्नावलियों के भिन्न-भिन्न प्रकारों जैसे–बन्द प्रश्नावली खुली प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली आदि का उल्लेख किया जाता है। इन सभी प्रकार की प्रश्नावलियों के सम्बन्ध में कुछ संक्षेप मे विवेचन कर लेना आवश्यक है–

11.4.2 बन्द, सीमित या प्रतिबन्धित प्रश्नावली

इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के सामने सम्बन्धित उत्तर भी साथ लिखे रहते हैं और उत्तरदाता को अपना उत्तर केवल इन्हीं में से छांटना होता है। इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं और उत्तरदाता को अपना स्वतन्त्र मत देने की छूट नहीं दी जाती है।

इस प्रकार की प्रश्नावलियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनसे प्राप्त सामग्री का वर्गीकरण करने में बहुत सुविधा रहती है, क्योंकि सूचनादाताओं के उत्तर पहले दिए गए सम्भावित उत्तरों में से ही होते हैं।

11.4.3 खुली असीमित अथवा अप्रतिबन्धित प्रश्नावली

जिन प्रश्नावलियों में उत्तरदाता को अपने उत्तर को व्यक्त करने में पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाती है, उसे खाली, असीमित अथवा अप्रतिबन्धित प्रश्नावली होते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावलियों में सम्भावित उत्तर नहीं दिए जाते हैं बल्कि उत्तरदाताओं से यह आशा की जाती है कि वे अपनी इच्छानुसार अपने उत्तरों को प्रकट करें।

11.4.4 असंयोजित प्रश्नावली

इस प्रकार की प्रश्नावली में किसी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है बल्कि केवल उन विषयों आदि का उल्लेख होता है जिनके सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार असंयोजित प्रश्नावली एक साक्षात्कार निर्देशक के ही समान है। प्रश्नावली में साक्षात्कार नहीं किया जाता है इसलिए असंयोजित प्रश्नावली को वास्तव में प्रश्नावली ही नहीं कहा जा सकता। फिर भी श्रीमती यंग आदि ने इसे प्रश्नावली का ही एक स्वरूप माना है।

1.4.5 चित्रमय प्रश्नावली

इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सम्भावित उत्तर चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उन चित्रों के द्वारा प्रकट होने वाले उत्तरों में से जो चित्र सूचनादाता की सम्मति व्यक्त करता है उसी पर वह निशान लगा देता है। इस प्रकार के चित्रों के होने से

प्रश्नावली में नवीनता व आकर्षण दोनों ही गुण उत्पन्न हो जाते हैं और अत्यधिक व्यस्त आदमी भी इन चित्रों की ओर आकर्षित होकर उत्तर देने को प्रेरित होते हैं क्योंकि इसमें कम से कम समय एवं प्रयत्न की आवश्यकता होती है।

ऐसी प्रश्नावलियाँ अशिक्षित, बच्चे तथा कम बुद्धिमान व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करने के लिये विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती है। साथ ही इस प्रकार की प्रश्नावलियों के उत्तरों की जाँच करना सरल होता है।

11.4.6 मिश्रित प्रश्नावली

मिश्रित प्रश्नावलियों में ऊपर लिखी गई प्रश्नावलियों का मिश्रण रहता है। प्राय: प्रतिबन्धित व अप्रतिबन्धित प्रकार के प्रश्नों को मिलाकर जो प्रश्नावली बनाई जाती है। उसे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। आज सामाजिक सर्वेक्षणों में प्राय: इसी प्रकार की प्रश्नावलियों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथ्यों के सम्बन्ध में सूचनाएं किसी एक निश्चित प्रकार के प्रश्नों के द्वारा ही सम्भव नहीं है। इसीलिए आवश्यकतानुसार प्रतिबन्धित व अप्रतिबन्धित प्रश्नों यहाँ तक कि चित्रमय प्रश्नों का भी उपयोग किया जाता है।

11.5 प्रश्नावली की रचना करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें

एक प्रश्नावली की रचना करते समय हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए–

(1) प्रश्नावली की रचना करने का काम तभी आरम्भ करना चाहिये जबकि अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों का तुलनात्मक महत्व हमारे लिए स्पष्ट हो जाए जिससे कि विभिन्न पक्षों को महत्व के अनुपात में ही हम प्रश्नावली में प्रश्नों को सम्मिलित कर सकें। इसके बिना सन्तुलित प्रश्नावली की रचना सम्भव नहीं।

(2) भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दो अर्थ वाले शब्दों, अप्रचलित शब्दों, तकनीकी शब्दों एवं भावात्मक शब्दों के प्रयोग से सचेततापूर्वक बचना चाहिए।

(3) प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त खाली जगह प्रत्येक प्रश्न के सामने होनी चाहिए।

(4) प्रश्नावली की रचना का एक आवश्यक अंग प्रश्नावली के साथ भेजा जाने वाला पत्र-सहगामी पत्र होता है। इसकी रचना भी बड़ी सावधानी से करनी चाहिए और उसकी उत्तरदाताओं को अध्ययन के उद्देश्य से परिचित करवाते हुए सूचना भेजने का विभिन्न अनुरोध करना चाहिए और यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई सूचना को गुप्त रखा जाएगा।

(5) प्रश्न सरल और सीधे हो ताकि उत्तरदाता उसे आसानी से समझ सके।

(6) प्रश्नावली में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अध्ययन की प्रत्येक इकाई की स्पष्ट व्याख्या भी दे दी जाए। जैसे 'बच्चा', 'युवक' और 'वयस्क' शब्दों की व्याख्या किये बिना अगर हम उन्हें प्रश्नों में प्रयोग करेंगे तो अलग-अलग उत्तरदाता अपनी-अपनी समझ के अनुसार उत्तर देंगे।

(7) प्रश्नावली की रचना करते समय उसके भौतिक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रश्नावली का आकार बहुत छोटा या बहुत बड़ा न हो, सुन्दर व स्पष्ट रूप में वह छपा हो, कागज का रंग आकर्षक हो तथा प्रश्न एक सिलसिले से व्यवस्थित हों। वास्तव में, प्रश्नावली को हम जितने व्यवस्थित व सन्तुलित ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे, उतनी सफलता हमें सूचनाओं को एकत्रित करने में प्राप्त होंगी।

(8) प्रश्नावली शिक्षित व्यक्तियों को भेजी जाती है, अत: यह आवश्यक है कि उनकी प्रकृति को देखते हुए ही प्रश्नों की संख्या निश्चित करनी चाहिए। यदि उत्तरदातागण अधिक व्यस्त प्रकृति के हों तो अपेक्षाकृत कम प्रश्नों को ही प्रश्नावली में सम्मिलित करना चाहिए। वैसे भी कम प्रश्नों का होना ही उचित है।

(9) प्रश्न इस प्रकार के न हों कि जिससे उत्तरदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुँचे।

11.6 अनुसूची तथा प्रश्नावली में अन्तर

अनुसूची व प्रश्नावली दोनों ही अध्ययन-विषय से सम्बन्धित प्रमाणिक तथ्यों को एकत्रित करने के उद्देश्य से पूछे गए प्रश्नों की एक सूची होती है। परन्तु अनुसूची तथा प्रश्नावली में कुछ आधारभूत भिन्नताएँ भी हैं जो कि इस प्रकार है–

(1) अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर लिखने का कार्य स्वयं अनुसन्धानकर्त्ता अथवा क्षेत्र कार्यकर्त्ता को करना पड़ता है। इसके विपरित प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर लिखने का काम स्वयं सूचनादाता ही करता है। इस काम में उसे अनुसन्धानकर्त्ता से कोई मदद नहीं मिलती है।

(2) अनुसूची प्रविधि में सूचना प्राप्त करने के लिये स्वयं अनुसन्धानकर्त्ता अथवा क्षेत्र कार्यकर्त्ता को सूचनादाता से साक्षात्कार करके सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है।

इसके विपरित प्रश्नावलियों को एक डाक द्वारा सूचनादाता के पास पहुँचा दिया जाता है। अनुसन्धानकर्त्ता को व्यक्तिगत रूप में पहुँचने की आवश्यकता नहीं।

(3) अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए सूचनादाता आवश्यकतानुसार अनसुन्धानकर्ता की सहायता ले सकता है क्योंकि उत्तर देते समय वह सूचनादाता के सम्मुख उपस्थित रहता है। पर प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर देते समय सूचनादाता को इस प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पाती है। वह प्रश्न को स्वयं जितना या जिस रूप में समझ पाता है उसी रूप में उसको उत्तर भर देता है।

(4) अनुसूची में स्वयं अनुसन्धानकर्त्ता या क्षेत्र कार्यकर्त्ता के उपस्थित होने के कारण प्रश्नों का स्पष्टीकरण करने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु प्रश्नावली में चूँकि प्रश्नों को समझाने के लिए स्वयं अनुसन्धानकर्त्ता या क्षेत्र कार्यकर्त्ता उपस्थित नहीं रहते, इस कारण प्रश्नों का स्पष्टीकरण करने के लिये नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी जाती है।

(5) अनुसूची में सूचनादाता स्वतन्त्र होकर यथार्थ एवं सही उत्तर प्रदान नहीं कर पाता है क्योंकि उसके सामने अनुसन्धानकर्त्ता उपस्थित रहता है। अत: अनेक बातों को कहने में संकोच करता है। प्रश्नावली को भरते समय अनुसन्धानकर्त्ता के अनुपस्थित होने के कारण सूचनादाता नि:संकोच होकर अपनी इच्छानुसार उत्तर देता है।

(6) अनुसूची में प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन का चुनाव करने में कोई कठिनाई नहीं होती है क्योंकि निदर्शन के अन्तर्गत शिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है।

इसके विपरीत प्रश्नावली में प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव एक समस्या होती है क्योंकि हमें केवल शिक्षित लोगों को ही निदर्शन के रूप में चुनना होता है।

(7) अनुसूची का प्रयोग सीमित क्षेत्र में सूचना एकत्रित करनें के लिए किया जाता है। क्योंकि इसमें सूचनादाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यक होती है। इसके विपरीत प्रश्नावली का प्रयोग अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए सूचनादाताओं से भी सूचना प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि इसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है।

(8) अनुसूची की सहायता से प्रत्येक सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक स्तर के लोगों से सूचना प्राप्त की जा सकती है क्योंकि इसमें स्वयं अनुसन्धानकर्ता सूचनादाता को प्रश्न समझाकर उनसे उत्तर प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत प्रश्नावली के द्वारा केवल शिक्षित व्यक्तियों से ही सूचना प्राप्त की जा सकती है क्योंकि प्रश्नावली के प्रश्नों को सूचनादाता को स्वयं समझाना तथा उनका उत्तर लिखना पड़ता है।

(9) अनुसूची में प्रत्युत्तर की सम्भावना अधिक रहती है क्योंकि–अनुसन्धानकर्त्ता अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति बातचीत अनुरोध आदि के द्वारा सूचनादाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित कर सकता है। परन्तु प्रश्नावली में प्रत्युत्तर की सम्भावना कम होती है, क्योंकि इसमें पत्र ही सहयोग की प्रार्थना करने का एक साधन होता है जो कि प्रभावपूर्ण नहीं भी सिद्ध हो सकता है।

(10) अनुसूची सूचना प्राप्ति का एक महंगा और अधिक समय लेने वाला साधन है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने का प्रश्न आता है।

इसके विपरीत विस्तृत क्षेत्र से भी सूचना प्राप्ति के साधन के रूप में प्रश्नावली तुलनात्मक रूप से कम खर्चीला व सरल साधन है।

11.7 प्रश्नावली-प्रविधि का महत्व व गुण

अनुसन्धान कार्य के लिए प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की जो प्रविधियाँ प्रचलित हैं उनमें प्रश्नावली प्रविधि का अपना महत्व है क्योंकि इससे गुण तथ्यों को

एकत्रित करने के कार्य को सरल बना देते हैं। इनके विषय में संक्षेप में हम इस प्रकार विवेचना कर सकते हैं–

11.7.1. विस्तृत जनसंख्या का अध्ययन

प्रश्नावली प्रविधि की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इसकी सहायता से विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए लोगों का अध्ययन करना सरल होता है। अन्य प्रविधि द्वारा विशाल जनसंख्या का अध्ययन करते समय धन तथा परिश्रम तो अत्यधिक खर्च होता ही है, साथ ही एक सूचनादाता के पास से दूसरे सूचनादात्ता के पास झांकते हुए सूचनाओं को एकत्रित करना बहुत कठिन होता है। प्रश्नावली प्रविधि इन परेशानियों से अनुसन्धानकर्ता की रक्षा करती है।

11.7.2 सूचनाओं को बार-बार प्राप्त करने की सुविधा

कुछ अनुसन्धान ऐसे होते हैं जिनमें सूचनादाताओं से एक निश्चित समय के बाद भी कई बार सूचना प्राप्त करनी होती है जैसे पारिवारिक बजट सम्बन्धी आँकड़े।

ऐसे समस्त अनुसन्धानों में प्रश्नावली प्रविधि सबसे अच्छी रहती है क्योंकि इसमें कुछ कम लागत आती है।

11.7.3 निम्नतम व्यय

प्रश्नावली प्रविधि का एक और लाभ यह है कि इस प्रविधि को अपनाने से अध्ययन कार्य पर होने वाला व्यय बहुत कम आता है। इसका कारण यह है कि इस प्रविधि में किसी प्रकार के क्षेत्र कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती हैं। इसलिए उन पर होने वाले व्यय की बचत हो जाती है।

11.7.4 सूचनाओं का शीघ्र प्राप्त होना

प्रश्नावली प्रविधि के द्वारा सूचनाओं को कम से कम समय के अन्दर प्राप्त करना सम्भव होता है इसका कारण स्पष्ट है। इस प्रविधि में प्रश्नावलियों को छपवाकर उन्हें एक साथ ही सूचनादाता के पास भेज दिया जाता है और साधारणतया कुछ दिनों के हेरफेर में वे प्रश्नावलियां उत्तर सहित पुन: वापस भी मिल जाती हैं। इसके विपरीत अनुसूची, साक्षात्कार आदि प्रविधियों के अन्तर्गत अनुसन्धानकर्त्ता को एक-एक सूचनादाता के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सूचना एकत्रित करनी पड़ती है।

11.7.5 सुगमता

प्रश्नावली प्रविधि के अन्तर्गत सूचनाओं को एकत्रित करना सरल है क्योंकि इसमें अनुसन्धानकर्त्ता को अधिक परिश्रम, धन तथा समय नहीं लगाना पड़ता है और साथ ही सूचनादाता अपनी रूचि के अनुकूल समब पर प्रश्नों के उत्तर लिखने की सुविधा प्राप्त कर पाता है और उसे अनुसन्धानकर्त्ता के सामने एक निश्चित समय पर बैठकर

उत्तर देने के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ती है।

11.7.6 स्वतन्त्र तथा प्रमाणिक सूचना

प्रश्नावली प्रविधि से एक और लाभ यह होता है कि इसमें सूचनादाता को सूचना देने के मामले में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। इस प्रविधि का यह गुण है कि इसमें अनुसन्धानकर्त्ता के व्यक्तित्व का प्रभाव सूचनादाता पर नहीं पड़ता है और न ही उसके विचार सूचनादाता के विचारों को पथभ्रष्ट करने में सफल होते हैं, ऐसे स्थिति में पक्षपात रहित विश्वसनीय व प्रमाणिक सूचनाओं को प्राप्त करने की सम्भावनाएँ अधिक होती हैं।

11.7.7 स्वयं प्रशासित

प्रश्नावली प्रविधि की एक और उल्लेखनीय उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए अनुसन्धानकर्त्ता को न तो स्वयं अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित होना पड़ता है और न ही कार्यकर्ताओं के संगठन में दिमाग को उलझाना पड़ता है। इसमें तो प्रश्नावलियों को अपनाकर डाक द्वारा ठीक पते पर भेज देने मात्र से सूचनाओं के संग्रहण कार्य का चक्र अपने आप चलने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रश्नावली प्रविधि स्वयं संगठित व स्वयं प्रशासित व्यवस्था है।

11.8 प्रश्नावली की सीमाएँ

यह सच है कि प्रश्नावली प्रविधि एक अत्यन्त उपयोगी प्रविधि है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह कोई दोष रहित प्रविधि है। प्रश्नावली प्रविधि की भी अपनी कुछ आधारभूत कमियाँ व सीमाएँ है जो कि इस प्रकार हैं–

(1) प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन सम्भव न होना– प्रश्नावली प्रविधि की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसके अन्तर्गत प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शनों का चुनाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अधिकांश सामाजिक अनुसन्धानों में शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों से सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जो कि प्रश्नावली प्रविधि के अन्तर्गत सम्भव नहीं है।

(2) भावात्मक प्रेरणा का अभाव–प्रश्नावली प्रविधि में अनुसन्धानकर्त्ता सूचनादाता से कई मील दूर होता है। जिसके फलस्वरूप अनुसन्धानकर्त्ता अपने व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा सूचनादाता को, वास्तविक तथ्यों को प्रकट करने के लिए भावात्मक प्रेरणा नहीं दे पाता है और प्रश्नों का उत्तर देना सूचनादाता के लिए औपचारिक विधि मात्र रह जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रश्नावली के द्वारा अपूर्ण तथा अपर्याप्त सूचनाएँ प्राप्त होने की सम्भावनाएँ अधिक रहती है।

(3) अपूर्ण सूचना–प्रश्नावली को भरने में प्राय: सूचनादाता अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्योंकि उससे उनके किसी स्वार्थसिद्धि की आशा नहीं रहती है और न ही

अनुसन्धानकर्त्ता की उपस्थिति का कोई प्रभाव उन पर पड़ने की सम्भावना होती है। इसलिए अक्सर केवल बला टालने के लिए लापरवाही से प्रश्नों के उत्तर भर दिए जाते हैं जो कि पूर्ण व स्पष्ट नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में; उत्तर प्राय: अधूरे रह जाते हैं और उनके आधार पर यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि सूचनादाता क्या कहना चाहते हैं।

(4) प्रत्युत्तर प्राप्ति की समस्या–प्राय: यह देखा जाता है कि पत्र द्वारा कई बार याद दिलाने पर भी भेजी गई प्रश्नावलियों में से क्रम संख्या में प्रश्नावलियाँ उत्तर सहित लौटकर आती है जिसके फलस्वरूप प्रत्युत्तर की समस्या इसलिए पैदा हो जाती है कि उत्तर पाने के लिए पत्र लिखने के अतिरिक्त अनुसन्धानकर्त्ता के पास और कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए कई पत्र भेजने के बाद भी उत्तर न मिलने पर उसे चुप बैठ जाना पड़ता है और उस अवस्था में जितनी सूचना उसे प्राप्त होती है वह अध्ययन विषय की वास्तविकता को पूर्णतया प्रकट नहीं कर पाती है।

(5) सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असम्भव–प्रश्नावली में अनुसूची की भाँति ही ऐसे प्रमाणिक सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण सम्भव नही होता है जो प्रत्येक प्रकार के समूह, सांस्कृतिक प्रतिमान में पलने वाले लोगों तथा सभी आर्थिक व सामाजिक स्तर के लोगों के लिए उपयुक्त हो, इसका परिणाम यह होता है कि अलग-अलग आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक समूह के लोग एक ही प्रश्न का अपने-अपने दृष्टिकोण से अलग-अलग अर्थ लगाते है और उनके उत्तरों में इतनी विविधता होती है कि उनके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष असम्भव सा हो जाता है।

(6) खराब लेख– प्रश्नावली प्रविधि में प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता स्वयं लिखता है, पर यह लिखावट अधिकांश क्षेत्रों में बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि प्रश्नों के उत्तर प्राय: जल्दबाजी में दिए जाते हैं। इसका परिणाम यह है कि उनको पढ़ना और उनके अर्थ को समझाना स्वयं ही एक समस्या बन जाती है। कुछ लोग तो पेंसिल से ही उत्तर भर देते हैं जो कि समय बीतने के साथ अस्पष्ट हो जाते हैं और उनको पढ़ना कठिन होता है। उसी प्रकार उत्तरों में काट-छांट और पुनर्लेख से भी अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ अस्पष्ट होने के कारण उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाती है।

(7) गहन अध्ययन असम्भव–प्रश्नावली प्रविधि का उपयोग साधारण अध्ययन के हेतु समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है। यदि किसी गहन समस्या का कुछ समय तक निरन्तर अध्ययन करना हो तो यह प्रविधि प्राय: अनुपयुक्त सिद्ध हुई है। प्रश्नावली द्वारा प्राप्त तथ्य केवल कुछ मोटे-मोटे तथ्यों को एकत्रित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। प्रश्नावली को भरने में एक आधा घण्टा समय लगता है। इतने कम समय में गहन एवम् विस्तृत सूचना प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त कि कुछ सहायक सूचनाएँ हमें प्राप्त हो जाएँ, प्रश्नावली से और कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों

मूल्यों, भावनाओं तथा उसके आन्तरिक जीवन में गहराई तक जिस भाँति बैठना सम्भव होता है वैसा प्रश्नावली प्रविधि से कहीं भी सम्भव नहीं है।

(8) उत्तर लिखने में अनुसन्धानकर्ता की सहायता का अभाव–प्रश्नावलियों में केवल इस प्रकार के प्रश्नों को शायद ही सम्मिलित किया जा सकता है जिन्हें कि सभी उत्तरदाता सरलतापूर्वक और सही तौर पर समझ लें।

11.9 सारांश

प्रश्नावली आँकड़े संकलन करने का अनुसंधान उपकरण है। प्रश्नावली लिखित प्रश्नों का प्रारूप है। उत्तरदाता के विषय में तथ्य उनकी इच्छा, भाव, संवेग, विश्वास, उसका अतीत एवं वर्तमान मालूम करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली संरचित या असंरचित होती है। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए मुक्त, अमुक्त, द्विवर्गाश्रित, वैकल्पिक, श्रेणी क्रमबद्ध एवं चित्रावली के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्नावली द्वारा उत्तरदाता का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तरदाता का महत्व बढ़ाना चाहिए।

प्रश्नावली से प्राप्त आँकड़ें 'मौखिक' होते हैं। व्यक्त किये गये शब्दों के अतिरिक्त उनकी परख करने का दूसरा उपाय नहीं है। उत्तरदाता के उद्देश्यों को समझकर जांच की जा सकती है। अधिकांश उत्तरदाता प्रश्नावली का सही उत्तर देते हैं।

11.10 शब्दावली

प्रश्नावली–प्रश्नों की उद्देश्यपूर्ण श्रृंखला

अनुसूची–प्रश्नों की सूची, जिनके उत्तर आमने-सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं।

चित्रमय प्रश्नावली–प्रश्नों के सम्भावित उत्तर चित्रों द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं।

11.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

रवीन्द्र नाथ मुखुर्जी–सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी

डा० मनोज दयाल–मीडिया शोध

हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव–सामाजिक अनुसंधान की कार्य विधिकी

11.12 सम्बन्धित प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं।

2. प्रश्नावली व अनुसूची में क्या अंतर है।

3. प्रश्नावली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

4. प्रश्नावली का महत्व बतायें।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्रश्नावली पर निबन्ध लिखिए।

2. प्रश्नावली का अर्थ, उद्देश्य, परिभाषा एवं प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

3. प्रश्नावली, अनुसूची से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. प्रश्नावली का अर्थ है।

(क) प्रश्नों की सूची, जिसका उत्तर अनुसंधानकर्ता सामने भरवाता है

(ख) प्रश्नों की सूची जिसका उत्तर डाक द्वारा मंगाया जाता है।

(ग) दोनों

(घ) कोई नहीं

2. प्रश्नावली के उत्तर अत्यन्त संक्षिप्त होते हैं

(क) हां

(ख) नहीं

(ग) कह नहीं सकते

(घ) इनमें से कोई नहीं

3. प्रश्नावली की विशेषता है।

(क) प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए।

(ख) ऐसे प्रश्नों का होना श्रेष्ठ है जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है।

(ग) प्रश्न सरल, सीधे व एक अर्थ के होने चाहिए।

(घ) उपर्युक्त सभी

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (ग)

2. (क)

3. (घ)

इकाई -12 साक्षात्कार

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 अर्थ

12.3 परिभाषा

12.4 साक्षात्कार के प्रकार

12.5 साक्षात्कार के प्रमुख चरण

12.6 साक्षात्कार प्रविधि का महत्व

12.7 साक्षात्कार की विशेषताएं

12.8 साक्षात्कार के उद्देश्य

12.9 साक्षात्कार की सीमाएं

12.10 सारांश

12.11 शब्दावली

12.12 सन्दर्भ ग्रन्थ

12.13 सम्बन्धित प्रश्न

12.0 उद्देश्य :

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

1. साक्षात्कार की परिभाषा स्पष्ट कर सकेंगे।
2. साक्षात्कार के विविध आयामों से परिचित हो सकेंगे।
3. साक्षात्कार प्रविधि के महत्व के बारे में जान सकेंगे।
4. साक्षात्कार के प्रमुख चरणों का उल्लेख कर सकेंगे।
5. साक्षात्कार की विशेषताओं का उल्लेख कर सकेंगे।

12.1 प्रस्तावना

साक्षात्कार अन्तरक्रिया की प्रक्रिया है। यह विज्ञान की अपेक्षा एक कला है। यह गुणात्मक आंकड़ों, विचारों, मूल्यों, इरादों, मतों आदि को मात्रात्मक करने में सहायक होता है। मनुष्य कागज के टुकड़े के समान नहीं है जिसे उड़ जाने पर उठाकर दबा दिया जाए। मनुष्य के पास भाषा, तर्क, कल्पना आदि की सुविधाएं होती हैं जिनके बारे में साक्षात्कार से आंकड़े प्राप्त होते हैं। गुडे एवं हॉट ने लिखा है कि साक्षात्कार वह बुनियाद

है जिसके ऊपर अनुसंधान के अन्य अंग निर्भर रहते हैं। साक्षात्कार आंकड़ा-संकलन की प्रक्रिया का साधन है। साक्षात्कारकर्ता का यह उद्देश्य होता है कि वह उत्तरदाता को अनावरण कर दे और पर्दा हटाकर उसकी उन अभिवृत्तियों और मूल्यों को जान सके, जिनसे उसका जीवन प्रभावित होता है।

साक्षात्कार वह व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता बहुत कुछ अपनी कल्पना के आधार पर किसी अनजाने व्यक्ति के आन्तरिक जीवन में प्रवेश करता है।

12.2 अर्थ

शोध के लिए सूचना की आवश्यकता होती है। ये सूचनाएं कई विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है। जब कोई सूचना व्यक्ति या व्यक्तियों से आमने-सामने होकर प्रश्न या बातचीत के द्वारा प्राप्त की जाती है तो इसे साक्षात्कार कहते है। इसमें प्रश्न करने वाला व्यक्ति और उत्तर देने वाला व्यक्ति (उत्तरदाता) दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। इसके लिए प्रश्नकर्त्ता पहले से ही प्रश्न तैयार करके लाता है और यदि उत्तरदाता को भी पूर्व सूचना हो तो वो भी अपनी कुछ तैयारी कर लेता है।

जो सूचनाएं परोक्ष रूप से नहीं प्राप्त हो पाती हैं या कोई व्यक्ति सूचना छुपाना चाहता है तो इसके लिए साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके द्वारा बातो-बातों में सामने वाले को उलझाकर अपनी मनचाही या उसके द्वारा छुपाई जाने वाली सूचना भी प्राप्त कर ली जाती है। इस विधि में संचार कौशल और भाषा पर पकड़ की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचना प्राथमिक सूचना होती है क्योंकि यह सीधे, व्यक्ति से बात करने पर आधारित होती है। इसमें दूसरे व्यक्ति का विचार शामिल नहीं होता।

12.3 परिभाषा

"साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आन्तरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप में प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित है।

–डा० पी० वी० यंग

"साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति है जिनमें अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर-प्रति उत्तर करते रहें, यद्यपि साक्षात्कार के सामाजिक शोध के उद्देश्य में सम्बन्धित पक्षों से अध्ययन विषय के सम्बन्ध में काफी कुछ विविध उत्तर प्राप्त होने चाहिए।

–श्री पी० एम० पामर

"साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने व सामाजिक या

सामूहिक अन्तःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में ली जाती है।''

श्री सिनपाओ यांग

प्रो० गुड एवं हॉट ने साक्षात्कार को मूल रूप में एक सामाजिक प्रक्रिया माना है।

12.4 साक्षात्कार के प्रकार

साक्षात्कार को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जां सकता है–

(अ) कार्यों के आधार पर वर्गीकरण–कार्य के आधार पर साक्षात्कार निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं–

(1) कारक परीक्षक साक्षात्कार–जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गम्भीर घटना या समस्या के कारकों की खोज करना होता है तो इसे कारक परीक्षक साक्षात्कार कहते हैं।

(2) उपचार साक्षात्कार–जब किसी साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से सम्बन्धित सुझावों की खोज करना होता है तो उसे उपचार साक्षात्कार कहते हैं।

(3) शोध सम्बन्धी साक्षात्कार–ऐसे ऐसे साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य शोध कार्य हेतु सूचनाओं को एकत्र करना होता है।

(ब) औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण–

(1) औपचारिक साक्षात्कार–इसे नियंत्रित साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता अनुसूची जो पूर्वनिर्मित होती है, में दिये गये प्रश्नों को ही पूछता है और प्राप्त उत्तर को नोट करता है।

(2) अनौपचारिक साक्षात्कार-इसको अनियंत्रित या स्वतंत्र साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसमें किसी भी विशेष अनुसूची की सहायता नहीं ली जाती है। साक्षात्कारकर्त्ता विषय पर आधारित कुछ मुख्य प्रश्न करता है और साक्षात्कारदाता उसका उत्तर विचारों आदि के रूप में देता है।

(स) सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर–

संख्या के आधार पर साक्षात्कार को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है–

(1) व्यक्तिगत साक्षात्कार–इसमें साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है। इसमें प्रश्नोत्तर का सिलसिला चलता रहता है। इसमें अधिक सूचना प्राप्त की जा सकती है और यदि अनुसूची की भाषा कठिन हो तो उसे सरलता से समझाया भी जा सकता है।

(2) सामूहिक साक्षात्कार–इसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कारकर्त्ता व्यक्तियों के समूह से बारी-बारी से कुछ प्रश्न करता है, समूह के सभी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति, उसका उत्तर देते हैं। यह विधि बड़ी

जनसंख्या में सामग्री संकलन का सर्वोत्तम ढंग है।

(द) अध्ययन पद्धति के आधार पर–

(1) निर्देशित साक्षात्कार–यह अनियंत्रित या असंचालित साक्षात्कार से मिलता-जुलता है। इसमें साक्षात्कारकर्त्ता साक्षात्कारदाता के समक्ष कोई कठिन समस्या या प्रश्न रखता है। साक्षात्कारदाता विवरण में उसका उत्तर देता है। साक्षात्कारकर्त्ता धैर्य से उत्तर को सुनता है उसको बीच में नहीं टोकता। इसमें पूर्वनिर्मित कोई अनुसूची नहीं होती है।

(2) संकेन्द्रित साक्षात्कार–संकेन्द्रित साक्षात्कार के लिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कारदाता किसी निश्चित एवं विशेष परिस्थिति में जो कि शोध का मुख्य विषय है, रह चुका हो। साक्षात्कारकर्त्ता अपना ध्यान इस चीज पर केन्द्रित करता है कि घटना अवस्था या परिस्थिति का अध्ययन किये जाने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा और घटना के द्वारा उत्पन्न विचारों, तथा मानसिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें साक्षात्कार निर्देशिका की सहायता ली जा सकती है।

(3) पुनरावृत्ति साक्षात्कार–समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। किन्तु कुछ परिवर्तन ऐसे होते है जिनका कि समुदाय पर प्रभाव थोड़े समय में सामने नहीं दिखाई देता। इस प्रकार के प्रभावों का अध्ययन एक बार को साक्षात्कार के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसलिए साक्षात्कार बार-बार किया जाता है। अतः ऐसे साक्षात्कार को पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहा जाता है।

उदाहरण–एक ऐसा कस्बा जिसमें बड़ी-बड़ी फैक्टरियां और औद्योगिक संस्थान बनाए गये हैं तो इस औद्योगीकरण का प्रभाव धीरे-धीरे काफी समय तक पड़ेगा जिसके अध्ययन के लिए पुनरावृत्ति साक्षात्कार की आवश्यकता पड़ेगी।

12.5 साक्षात्कार के प्रमुख चरण

वास्तव में साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग इतना आसान नहीं है जितना कि सुनने पर लगता है। अतः प्रक्रिया को सुगम और सार्थक बनाने के लिए इसके चरणों का निर्माण किया गया है।

साक्षात्कार के प्रमुख पांच चरण होते हैं–

(1) साक्षात्कार की तैयारी

(2) साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया

(3) साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रमाणीकरण

(4) साक्षात्कार की सम्पत्ति

(5) रिपोर्ट।

(1) साक्षात्कार की तैयारी–साक्षात्कार करने के पूर्व उसकी तैयारी कर लेना अति आवश्यक है क्योंकि बिना होम–वर्क के साक्षात्कार का संचालन सही दिशा में नहीं हो सकता। तैयारी करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है–

(i) समस्या की पूर्ण जानकारी–साक्षात्कार कर्त्ता को अपने अध्ययन विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिसके आधार पर वह प्रश्नों का निर्माण कर सके और वाद-विवाद की स्थिति आने पर साक्षात्कारदाता कभी भी उस पर भारी न पड़ सके।

(ii) साक्षात्कार निर्देशिका की रचना–साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कार निर्देशिका का अपना अलग महत्व है। यह निर्देशिका एक लिखित प्रलेख होती है जिसमें अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध रूप में निर्देश दिया रहता है। इसमें अनुसूची की भांति प्रश्न नहीं दिये रहते बल्कि साक्षात्कार करने की संक्षिप्त रूप में पद्धति और आवश्यक निर्देश दिये रहते हैं।

साक्षात्कार निर्देशिका अध्ययन समस्या की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त वर्णन है।

(iii) साक्षात्कारदाताओं का चुनाव–साक्षात्कारदाताओं का चुनाव वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं पर अध्ययन निर्भर करता है। अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं के स्रोत यही साक्षात्कारदाता होते है। इनका चुनाव किसी भी प्रकार की निदर्शन विधि द्वारा किया जा सकता है। यह अध्ययन की समस्या पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की निदर्शन विधि को अपनाया जाय। कभी-कभी साक्षात्कारदाताओं की खोज भी करनी पड़ती है। यह अध्ययन की समस्या पर निर्भर है।

(iv) साक्षात्कारदाताओं के सम्बन्ध में ज्ञान–साक्षात्कारदाताओं के चयन के बाद उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। साक्षात्कारदाताओं के विचार प्रकृति, सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि आदि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।

(v) समय और स्थान का निर्धारण–साक्षात्कार की तैयारी में अंतिम और महत्वपूर्ण बात है, समय और स्थान इन दोनों ही चीजों का निर्धारण साक्षात्कार दाता की सुविधानुसार करना चाहिए। इसके लिए पत्र या टेलीफोन द्वारा सलाह ली जा सकती है।

(2) साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया–प्रथम चरण की तैयारी पूरी होने के बाद साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना पड़ता है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में बांटा गया हैं–

(i) सम्पर्क की स्थापना–साक्षात्कार में सामाजिक अंत:क्रिया की प्रथम सीढ़ी सम्पर्क स्थापना है। सबसे पहले साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कारदाता से उचित अभिवादन के साथ मिलना चाहिए। पोशाक पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। चेहरा खिला एवं हंसमुख होना चाहिए। मिलते ही तुरन्त अपना परिचय देना चाहिए।

(ii) साक्षात्कार का प्रारम्भ–साक्षात्कार प्रारम्भ करने से पहले साक्षात्कारदाता को अपना उद्देश्य और संस्था का नाम बताकर उसे विश्वास में ले लेना चाहिए। तत्पश्चात् साक्षात्कारदाता से सहयोग की प्रार्थना करनी चाहिए।

(iii) प्रमुख साक्षात्कार का प्रारम्भ–इस स्तर पर साक्षात्कारकर्त्ता को पहले प्राथमिक प्रश्न पूछने चाहिए जैसे आपका नाम, परिवार के सदस्य, आयु आदि। इसके

बाद अध्ययन से सम्बन्धित सरल प्रश्न पूछने चाहिए। साक्षात्कारदाता को अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए।

(iv) उत्साहवर्धक वाक्य–साक्षात्कर्त्ता को समय-समय पर कुछ उत्साहवर्धक वाक्य दोहराते रहना चाहिए जिससे साक्षात्कारदाता का उत्साहवर्धन होता रहे। जैसे–"यह आपने एकदम नई और महत्वपूर्ण बात कही" आदि।

(v) क्षोभकर प्रश्नों से बचना–साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्त्ता को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिससे उत्तरदाता क्रोधित हो जाय या उसे बात बुरी लग जाए।

(vi) स्मरण कराना–साक्षात्कार के समय कभी-कभी ऐसा समय आता है जब उत्तरदाता अपने अनुभवों का वर्णन करते-करते उसमें डूबने लगता है। और वह विषय से काफी दूर चला जाता है। ऐसे में उसे वापस विषय पर लाने के लिए स्मरण कराना पड़ता है जैसे–"अभी आप इसके बारे में कुछ कह रहे थे" आदि।

(vii) कुछ अन्य सामान्य बातें–हमेशा जटिल, सरल प्रश्न ही पूछने चाहिए। अति सूक्ष्म प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए। बातचीत का तरीका, हावभाव, शारीरिक सफाई आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए।

(viii) सूचना नोट करना–साक्षात्कार में कई बातें सामने आती है इन सब बातों को नोट करना चाहिए। उत्तर बड़ा होने पर सांकेतिक भाषा या शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और बाद में उसको विस्तार से लिखना चाहिए।

(3) साक्षात्कार का नियंत्रण निर्देशन एवं प्रमाणीकरण–साक्षात्कार को समय सीमा में पूरा करने, वांछित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए तथा साक्षात्कार को विषय से भटकाव के लिए साक्षात्कार का नियंत्रण और निर्देशन भी साक्षात्कारकर्ता को ही करना पड़ता है। इसके लिए उसके भाषाई कौशल और चतुराई की आवश्यकता होती है। इसी से नियंत्रण और निर्देशन किया जा सकता है।

(4) साक्षात्कार की समाप्ति–जब उत्तरदाता सब कुछ बता चुका होता है तो उसके बोलने की गति धीमी हो जाती है तो यह समझ लेना चाहिए कि ये समाप्ति की स्थिति है। अन्त में साक्षात्कारकर्त्ता को धन्यवाद देना चाहिए और उसके द्वारा प्राप्त सहयोग को उपकार बताना चाहिए। सभी सूचनाओं को गुप्त रखने का आश्वासन देना चाहिए। और अन्त में नमस्कार अथवा फिर मिलेंगे कहकर साक्षात्कार की समाप्ति करनी चाहिए।

(5) रिपोर्ट–साक्षात्कार करने के बाद जब साक्षात्कारकर्ता घर लौटता है तो उसका सर्वप्रथम कार्य रिपोर्ट लिखना होता है। किसी भी स्थिति में रिपोर्ट लिखने का कार्य अधिक टालना नहीं चाहिए। क्योंकि अनुसंधान का निष्कर्ष इस रिपोर्ट पर ही निर्भर करता है। अत: प्रत्येक दशा में साक्षात्कारकर्त्ता को पहले रिपोर्ट लिखने का कार्य करना चाहिए। साक्षात्कार के समय लिखे गये नोट इस समय काम आते हैं साथ ही साथ उसे अपनी स्मरण शक्ति का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्ट सदैव सत्य और पक्षपात रहित हो।

12.6 साक्षात्कार प्रविधि का महत्व

सामाजिक खोज कार्यों में साक्षात्कार प्रविधि का अत्यधिक महत्व है गुड एवं हॉट के अनुसार "समकालीन खोज में साक्षात्कार का अधिक महत्व हो गया है क्योंकि वह गुणात्मक साक्षात्कार का पुर्निर्धारण है।" इसके महत्व को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है–

(1) **सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन**–इसके द्वारा ग्राय: सभी प्रकार की सूचनाएं सम्बन्धित व्यक्ति से सीधे तौर पर प्राप्त हो जाती है।

(2) **अमूर्त एवं अदृश्य घटनाओं का अध्ययन**–वास्तव में व्यक्तिगत धारणाएं, भावनाएं, संवेग विचार आदि ऐसी अनेक घटनाएं है जिनका प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। इसका तो केवल प्रभाव होता है जो सिर्फ व्यक्ति महसूस करता है और इस प्रभाव का अध्ययन सिर्फ साक्षात्कार द्वारा ही सम्भव हो सकता है।

(3) **भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन**–इस प्रविधि द्वारा अनेक भूतकालीन घटनाओं एवं उनके प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। मानव जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी पुनरावृत्ति भविष्य में सम्भव नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में साक्षात्कार ही एक मात्र साधन है।

(4) **पर्याप्त मनोवैज्ञानिक अध्ययन**–मनोवैज्ञानिक अध्ययन की सुविधा भी साक्षात्कार प्रविधि का एक अनुपम लाभ है। व्यक्ति के विचार और अर्न्तमन में चल रहे संघर्ष का अध्ययन सिर्फ साक्षात्कार प्रविधि द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन से ही सम्भव है।

(5) **परस्पर प्रेरणात्मक अध्ययन**–साक्षात्कार में कम से कम दो व्यक्ति तो होते ही है। इन व्यक्तियों द्वारा आपस-विचारों का आदान-प्रदान होता है। दोनों एक दूसरे से प्रेरित और उत्साहित होते रहते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि परस्पर प्रेरणा मिलने के कारण एक-दूसरे की मन की बात जल्द ही प्रकट हो जाती है जो कि एक सफल साक्षात्कार का रहस्य है।

(6) **सूचनाओं का सत्यापन सम्भव**–इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन भी सम्भव होता है। चूंकि साक्षात्कार में अधिकतर घटनाओं का स्वतंत्र वर्णनात्मक स्पष्टीकरण होता है। अत: एक बार कही गयी बात की सत्यता उसके स्पष्टीकरण में प्रकट हो जाती है।

12.7 साक्षात्कार की विशेषताएं

इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है–

(1) **दो या दो से अधिक व्यक्ति**–इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति निकटतम सम्पर्क में वार्तालाप करते हैं।

(2) **आमने सामने के प्राथमिक सम्पर्क**–इस विधि में आमने-सामने के प्राथमिकं सम्बन्ध स्थापित किये जाते है।

(3) विशिष्ट उद्देश्य–इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आमने-सामने के सम्बन्ध किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाए जाते है।

(4) सामग्री संकलन–इसकी मुख्य विशेषता है कि इसके द्वारा शोध आदि के लिए प्राथमिक सामग्री सूचना का संकलन किया जाता है।

(5) मनोवैज्ञानिक अध्ययन– आमने-सामने होने से व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी सम्भव हो पाता है। कई बातें वह बिना कहे अपने हाव-भाव से कह जाता है।

12.8 साक्षात्कार के उद्देश्य

इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(1) प्राकल्पनाओं का प्रमुख साधन–इसका प्रमुख उद्देश्य प्राकल्पना के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करना है। इसके द्वारा साक्षात्कारकर्त्ता को अन्य व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं को जानने के साथ ही साथ कई सामाजिक अनुभव भी प्राप्त होते है।

(2) निरीक्षण का अवसर–इसका एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि इससे निरीक्षण का एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यदि कोई अजनबी व्यक्ति आपके घर में निरीक्षण के लिए आता है तो शायद आपको बुरा लगेगा और वह निरीक्षण भी नहीं कर पायेगा। किन्तु यदि साक्षात्कार करने के बहाने शोधकर्त्ता आपके घर पहुंचता है तो वह आपके घर, पास-पड़ोस और घर के वातावरण का आसानी से निरीक्षण करता है। इस प्रकार साक्षात्कार से निरीक्षण का भी अवसर भी मिलता है।

(3) आन्तरिक एवं व्यक्तिगत सूचना–साक्षात्कार प्रविधि द्वारा अनेकों आन्तरिक और व्यक्तिगत तथ्यों के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। अनेक गुणात्मक तथ्य जैसे व्यक्तिगत विचार, भावनाएं, मनोवृत्ति, प्रवृत्ति जो कि मानव के आन्तरिक जगत में विद्यमान रहते है। साक्षात्कार प्रविधि द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं।

(4) प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा सूचना–साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष एवं आमने-सामने के सम्पर्क स्थापना द्वारा सूचना का संकलन करना है। इस विधि में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का प्रत्यक्ष/आमने-सामने सम्पर्क स्थापित किया जाता है। वास्तव में इस प्रकार के प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा व्यक्ति से उसकी अनेक आंतरिक बातें, भावनाओं और मनोवृत्तियों का अध्ययन सम्भव है।

12.9 साक्षात्कार की सीमाएं

साक्षात्कार प्रविधि के अनेक लाभ हैं, परन्तु ऐसा होते हुए भी अन्य प्रविधियों की भाँति साक्षात्कार प्रविधि की भी सीमाएं और दोष है। इसकी कुछ प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं–

(1) साक्षात्कारदाता पर निर्भरता–इसमें साक्षात्कारदाता पर पूर्णत: निर्भर रहना पड़ता है। इस सम्बन्ध में दो बातें है। एक तो साक्षात्कारदाता को साक्षात्कार के लिए राजी करना एक टेढ़ी खीर है। दूसरे यदि साक्षात्कारदाता साक्षात्कार के लिए राजी हो भी जाए तो वह स्वतंत्रता-पूर्वक अपना वर्णन करना ही अधिक पसंद करता है। इतना ही नहीं, समस्या उस समय जटिल हो जाती है जब साक्षात्कारकर्त्ता को किसी भावनात्मक घटना का पता लगाना होता है। यदि किसी से प्रेम विवाह आदि के बारे में पूछा जाय तो वह इन्कार कर देगा। इस प्रकार साक्षात्कारकर्त्ता को सदैव उत्तरदाता की दमा पर निर्भर रहना पड़ता है।

(2) व्यक्तिगत पूर्वाग्रह–इस प्रविधि की मुख्य कमी यह है कि इस प्रविधि में व्यक्तिगत पक्षपात या पूर्वाग्रह के समावेश होने की अधिक सम्भावना होती है। इसलिए सामग्री की विश्वसनीयता सदैव संदिग्ध रहती है। सूचनादाता तो अपने भाव एवं पक्षपात मिश्रित सूचना देता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कारकर्त्ता भी अपना स्वयं का भी पक्षपात उसमें समाहित कर देता है।

(3) स्मरण शक्ति पर निर्भरता–इस प्रविधि में पूर्णरूप से साक्षात्कारकर्त्ता को अपनी स्मरण शक्ति पर निर्भर करना पड़ता है क्योंकि साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्त्ता ऐसी स्थिति में नहीं होता कि वह सभी सूचनाओं को नोट कर सके। वह साक्षात्कार समाप्त करने के बाद घर लौटने पर ही सूचनाओं को लिखता है परन्तु इस समय वह अनेक बाते भूल जाता है और गलत भी नोट कर सकता है जो कि निष्कर्षों में भी त्रुटि पैदा कर सकते है।

(4) हीन भावना–इस प्रविधि का एक दोष यह भी है कि इससे साक्षात्कारकर्त्ता में हीन भावना आ जाती है। क्योंकि उसे अनेक व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है और इस प्रक्रिया में अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग तरह का व्यवहार करते है। जिसमें कटुता और अवहेलना भी झेलनी पड़ती है।

इन व्यवहारों के कारण ही साक्षात्कारकर्त्ता में एक हीन भावना पनपने लगती है। इस हीन भावना का असर सूचनाओं के संकलन पर भी पड़ता है। वह अनेक सूचनाओं का संकलन करना छोड़ देता है। या फिर मनमाने ढंग से खाना-पूर्ति करता है। जोकि अध्ययन के लिए काफी हानिकारक है।

(5) अशुद्ध रिपोर्ट–अशुद्ध रिपोर्ट भी साक्षात्कार प्रविधि की एक महत्वपूर्ण सीमा है। अनेक प्रकार के पक्षपात, भावनाओं, व्यक्तिगत विचारों के समाविष्ट होने के कारण साक्षात्कारकर्त्ता द्वारा लिखी गयी रिपोर्ट में अशुद्धता की मात्रा अधिक होती है।

(6) कुशल साक्षात्कारकर्त्ता की समस्या–इस प्रविधि के लिए कुशल साक्षात्कारकर्त्ता की आवश्यकता होती है। उसके पास उच्चतम योग्यता का होना आवश्यक है साथ ही उसके साथ एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। उसमें बुद्धि चातुर्य एवं कौशल होना चाहिए। इन सब गुणों के होने पर ही साक्षात्कार में सफलता प्राप्त हो सकती है। परन्तु अधिकतर साक्षात्कारकर्त्ता इन गुणों से भरपूर नहीं होते। इसका

परिणाम यह होता है कि साक्षात्कार सही प्रकार से नहीं हो पाता और संकलित तथ्य अप्रमाणिक, असत्य और अविश्वसनीय हो जाते है।

(7) अत्यधिक समय की आवश्यकता–इस प्रविधि में अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है। साक्षात्कारकर्त्ता को अनेक व्यक्तियों से साक्षात्कार करना पड़ता है। एक-एक उत्तरदाता के पास कई बार जाना पड़ता है इतना ही नहीं साक्षात्कार के समय भी उत्तरदाता आवश्यक बात बताने में काफी समय नष्ट कर देते है।

अत: स्पष्ट है कि इस पद्धति में समय की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है।

(8) व्यय की अधिकता–इस प्रविधि में साक्षात्कारकर्त्ता द्वारा काफी व्यय करना पड़ता है। उत्तरदाताओं को फोन करने से लेकर समय और स्थान के चयन तक मे पैसे खर्च करने पड़ते है। कहीं यदि उत्तरदाता कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उससे मिलने के लिए कई बार जाना पड़ता है। वहीं व्यक्ति के स्तर के अनुसार साक्षात्कार कर्त्ता को स्वयं का भी स्तर रखना पड़ता है।

साक्षात्कार के टूल्स पर भी काफी व्यय करना पड़ता है जैसे टेप-रिकार्ड, माईक आदि। अत: इस प्रविधि में धन खर्च करने का साहस भी होना चाहिए क्योंकि अधिक व्यय के कारण साक्षात्कारकर्त्ता का बजट बिगड़ सकता है जिसको पूरा करने के लिए वह कहीं न कहीं कटौती करेगा जिसका असर पूरे शोध पर पड़ सकता है।

इसमें संदेह नहीं कि इस प्रविधि की अनेक सीमाएं है। परन्तु वास्तव में ये सीमाए अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में कुछ गुणों के साथ कुछ कमियां भी पायी जाती हैं जो कि उसके महत्व को एक प्रकार से बढ़ाती हैं।

इस विधि में सुधार और विकास का क्रम जारी है और इसे एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में स्वीकृति मिलती जा रही है।

12.10 सारांश

अनुसंधान की सर्वाधिक प्रचलित प्रविधियों में सम्भदत: इस प्रविधि (साक्षात्कार) का स्थान सर्वोपरि है। इस प्रविधि की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें अनुसधानकर्ता अपनी 'अध्ययन वस्तु-मनुष्य' से आमने-सामने के सम्बन्ध स्थापित कर वार्तालाप कर सकता है और इस प्रकार मनुष्य की भावनाओं एवं मनोवृत्तियों का अध्ययन कर सकता है। प्रो० आलपोर्ट ने इस प्रविधि की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि 'यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लोग क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव करते हैं और क्या याद रखते हैं, उनकी भावनाएं एवं उद्देश्य क्या हैं, तो उनसे स्वयं क्यों नहीं पूछते?' वास्तव में साक्षात्कार प्रविधि की उत्पत्ति यहीं से आरम्भ होती है।

12.11 शब्दावली

साक्षात्कार–कुछ विषयों को लेकर 'व्यक्तियों के आमने-सामने के मिलन को साक्षात्कार कहा जा सकता है।

औपचारिक–नियंत्रित

अनौपचारिक–स्वतंत्र/अनियंत्रित

संकेन्द्रित–निश्चित एवं विशेष परिस्थिति

12.12 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव : सामाजिक अनुसंधान की कार्य विधिकी
2. रवीन्द्रनाथ मुखर्जी : सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी
3. डा० मनोज दयाल : मीडिया शोध

12.13 सम्बन्धित प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. साक्षात्कार का अर्थ क्या है।
2. साक्षात्कार के प्रमुख चरण क्या हैं।
3. साक्षात्कार की परिभाषा दें।
4. साक्षात्कार प्रविधि का महत्व लिखें।
5. साक्षात्कार प्रविधि की विशेषताएं लिखिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. साक्षात्कार के उद्देश्य, अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए।
2. साक्षात्कार के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
3. साक्षात्कार प्रविधि का महत्व व सीमाएं क्या हैं उल्लेख करें

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. साक्षात्कार का अर्थ है

(क) दर्शन

(ख) साकार

(ग) मिलन

(घ) उद्देश्य को लेकर बातचीत

2. साक्षात्कार एक प्रविधि है

(क) हाँ

(ख) नहीं

(ग) कह नहीं सकते

(घ) इनमें से कोई नहीं

3. साक्षात्कार विधि है या प्रविधि

(क) विधि

(ख) प्रविधि

(ग) मिलन

(घ) इनमें से कोई नहीं

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर

1. (घ)
2. (क)
3. (ख)

इकाई-13 सर्वेक्षण

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं

13.3 सर्वेक्षण के उद्देश्य या कार्य तथा अध्ययन क्षेत्र

13.4 सर्वेक्षण के प्रकार

- 13.4.1 सामान्य तथा विशिष्ट सर्वेक्षण
- 13.4.2 अंतिम तथा आवृत्ति मूलक
- 13.4.3 प्रारम्भिक तथा मुख्य सर्वेक्षण
- 13.4.4 जनगणना तथा निदर्श सर्वेक्षण
- 13.4.5 अन्य प्रकार

13.5 सर्वेक्षण : गुण एवं उपयोगिता

13.6 सर्वेक्षण के दोष

13.7 सर्वेक्षण का आयोजन

13.8 सारांश

13.9 शब्दावली

13.10 सन्दर्भ ग्रंथ

13.11 सम्बन्धित प्रश्न

13.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

1. सर्वेक्षण का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट कर सकेंगे।
2. सर्वेक्षण की विशेषताओं को जान सकेंगे।
3. सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख कर सकेंगे।
4. सर्वेक्षण के विविध प्रकारों को जान सकेंगे।
5. सर्वेक्षण की उपयोगिता एवं सीमाओं से परिचित हो सकेंगे।

13.1 प्रस्तावना

सर्वेक्षण एक गम्भीर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य हैं और अपने सर्वेक्षण द्वारा निर्भरयोग्य निष्कर्षों को प्रस्तुत करना प्रत्येक सच्चे सर्वेक्षणकर्ता का पवित्र कर्तव्य है। इस कर्त्तव्य का पालन मनमाने ढंग से सर्वेक्षण कार्य को करके नहीं किया जा सकता। इसके लिए सुनिश्चित आयोजन की आवश्यकता है। कहां जाना है, कैसे जाना है यह सोचे-समझे

बगैर ही जो व्यक्ति घर से चल देता है उसके लिए भटक जाना सरल होता है। यही बात सर्वेक्षण पर भी लागू होती है। क्रमबद्ध आयोजन के बिना सर्वेक्षण में सफलता उतनी ही अनिश्चित है जितना कि योजना-विहीन रूप में किसी व्यापार में धन लगाकर लाभ की आशा करना।

सर्वेक्षण द्वारा न केवल समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, अपितु समस्याओं का समाधान ढूंढने का भी प्रयत्न किया जाता है। इस अर्थ में सर्वेक्षण समस्याओं का अध्ययन व समाधान का एक वैज्ञानिक साधन है। इसमें अध्ययन कार्य किसी मनमाने ढंग से न होकर वैज्ञानिक विधि के आधार पर होता है और कोई भी निदान या निष्कर्ष वास्तविक निरीक्षण परीक्षण पर सुप्रतिष्ठित होता है।

13.2 सर्वेक्षण का अर्थ एवं परिभाषाएं

हिन्दी का सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी के Survey शब्द का रूपान्तरण है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दकोशों में इसका अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है–

Survey the act of vicwing examining or inspecting in detail, esp for some specific purpose. The compact Edition of the Oxford English Dictionary. Survey to view comprehensively and entensively to examine in detail.

Chambers 20th Centary Dictionary.

Survey चारों ओर देखना, पर्यवलोकन करना–अंग्रेजी हिन्दी कोष[3]

सर्वेक्षण–चारों ओर से निरीक्षण करना, पूरी जांच पड़ताल के साथ निरीक्षण करना

–लोक भारतीय प्रमाणिक हिन्दी कोष[4]

सर्वेक्षण किसी निश्चित विषय, किसी निश्चित क्षेत्र, किसी निश्चित जीवन समूह तथा किसी निश्चित समयावधि में किसी अध्ययन के उद्देश्य से किया जाता है।

परिभाषाएं

सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ ध्यानपूर्वक किसी वस्तु या घटना का निरीक्षण परीक्षण करना है। यदि यह निरीक्षण-परीक्षण सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना से सम्बन्धित है तो उसे मोटे तौर पर सामाजिक सर्वेक्षण कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से सर्वेक्षण निरीक्षण-परीक्षण की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो कि किसी समूह अथवा किसी घटना के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है।

वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार, "वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया आलोचनात्मक निरीक्षण ही सर्वेक्षण कहलाता है।

'डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार, "एक समुदाय के सम्पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पहलू जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन के सम्बन्ध में तथ्यों के बहुत कुछ व्यवस्थित व विस्तृत संकलन व विश्लेषण को ही मोटे तौर पर सर्वेक्षण कहते हैं।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण वास्तव में किसी विषय या समस्या के सम्बन्ध में निर्भर योग्य तथ्यों के संकलन व विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जो कि कुछ वैज्ञानिक सिद्धान्तों व मान्यताओं पर आधारित होने के कारण प्रयोग सिद्ध निष्कर्षों को निकालने में सहायक सिद्ध होता है। वैज्ञानिक तौर पर तथ्यों के संकलन, विश्लेषण व निष्कर्षीकरण की वैज्ञानिक प्रणाली को भी सर्वेक्षण कहा जाता है।

कुछ विद्वानों ने सर्वेक्षण को एक समुदाय के सामाजिक जीवन के एक अध्ययन के रूप में देखा है, तो कुछ विद्वानों ने उसे व्याधिकीय समस्याओं व समाज-सुधार से सम्बन्धित माना है, तो अन्य ने एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप मे परिभाषित किया है।

श्री वेल्स के शब्दों में, ''साधारण तौर पर सर्वेक्षण को किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले एक मानव-समूह की सामाजिक संस्थाओं व क्रियाकलापों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिनपाओ यांग के अनुसार, ''सर्वेक्षण प्रायः लोगों की दशाओं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल है।

श्रीमती पी० वी० यंग के अनुसार, ''सामाजिक सर्वेक्षण समाज-सुधार की किसी क्रियात्मक योजना के निरूपण और निश्चित भौगोलिक सीमाओं में व्याप्त तथा निश्चित सामाजिक परिणामों व सामाजिक महत्व वाली किसी प्रचलित या तात्कालिक व्याधिकीय व्यवस्था अवस्था के सुधार से सम्बन्धित हैं। इन अवस्थाओं की माप व तुलना किसी ऐसी परिस्थितियों के साथ हो सके जिसे कि आदर्श रूप में स्वीकार किया जा सके।

श्री बर्जेस के मतानुसार, 'एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक परियोजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया उस समुदाय की दशाओं व आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है।

श्री मोर्स का कथन है, ''सामाजिक सर्वेक्षण कुछ परिभाषित उद्देश्यों के लिए किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति अथवा जनसंख्या का वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित रूप में विश्लेषण करने की एक पद्धति है।

सर्वेक्षण वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के किसी सामाजिक घटना के अथवा सामूहिक जीवन के निषय में निर्भर योग्य तथ्यों को संकलित किया जाता है ताकि घटना की वास्तविकताओं का अध्ययन विश्लेषण तथा निष्कर्षीकरण किया जा सके और यदि वह घटना व्याधिकीय है तो उसके समाधान के लिए आवश्यक परियोजना बनाकर समाज-सुधार की दशा में योगदान दिया जा सके।

13.3 सर्वेक्षण के उद्देश्य या कार्य तथा अध्ययन क्षेत्र

श्री मोजर के शब्दों में ''सर्वेक्षण जन-जीवन के किसी पक्ष पर प्रशासन सम्बन्धी तथ्यों को जानने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अथवा किसी कार्य-कारण सम्बन्ध की खोज करने के लिए अथवा समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के किसी पक्ष पर नया प्रकाश डालने के लिए किया जा सकता है।

इन सभी उद्देश्यों को अथवा सर्वेक्षण के कार्य या महत्व को हम इस प्रकार

प्रस्तुत कर सकते हैं।

(1) तथ्यों का संकलन–सामूहिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं और व्यवहारों के सम्बन्ध में गणनात्मक आंकड़ों का संकलन सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए औद्योगिक विकास की प्रकृति व परिणाम, सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक क्रिया-कलाप व विचार, मनोरंजन के तरीके, आर्थिक स्थिति, रहन-सहन की दशाएं, परिवार की रचना, जनसंख्या की प्रकृति, वैवाहिक स्थिति आदि विषयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने का काम सर्वेक्षण निरन्तर करता है। बाजार सर्वेक्षण द्वारा व्यापारिक संस्थाएं यह जान सकती हैं कि उनके मालों की खपत या बिक्री की सम्भावना किस बाजार में कितनी है, उसी प्रकार उद्योगपति उत्पादन सम्बन्धी कार्य क्षमता के बारे में जानकारी सर्वेक्षण विधि द्वारा प्राप्त कर सकता है।

(2) समस्याओं का अध्ययन–गरीबी, बेरोजगारी, गन्दगी बीमारी, अभाव, अशिक्षा, अपराध व बाल अपराध वेश्यावृत्ति शिक्षावृत्ति, आत्महत्या, विवाह-विच्छेद, सामाजिक संघर्ष व तनाव आदि ऐसी ही सामाजिक समस्याएं हैं जो कि मानव के दु:ख-दर्द को मुखरित करती है। सर्वेक्षण इन समस्याओं के अन्दर तक घुस उनके अन्तर्निहित कारणों को जानने का प्रयत्न करता है जिससे कि उसका समाधान किया जा सके।

कार्य-कारण सम्बन्ध की खोज–कार्य-कारण सम्बन्धों को खोजना सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि इसके बिना कोई भी अध्ययन वैज्ञानिक यथार्थता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसकी प्रथम मान्यता है कि प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होगा।

सिद्धान्तों की पुनर्परीक्षा–सर्वेक्षण विद्यमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में वास्तविक तथ्यों का संकलन कर इस बात की परीक्षा करता है कि एक घटना के सम्बन्ध में जो पुराने सिद्धान्त हैं वे अभी भी ठीक है या नहीं और यदि नहीं हैं तो परिवर्तित परिस्थितियों में खरा उतरने के लिए किस प्रकार का सिद्धान्त उचित होगा।

समस्याओं का समाधान–सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर समाज कल्याण की एक रचनात्मक परियोजना को प्रस्तुत करना भी सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है।

अध्ययन क्षेत्र–श्री मोजर ने सर्वेक्षण के अध्ययन विषय तथा क्षेत्र को चार भागों में विभाजित किया है:–

(1) जन संख्यात्मक विशेषताएं (2) सामाजिक पर्यावरण

(3) सामाजिक क्रियाएं (4) विचार तथा मनोवृत्तियां

सर्वेक्षण के अन्तर्गत परिवार की रचना, वैवाहिक स्थिति, जन्म व मृत्यु दर, आयु संरचना, स्त्री-पुरुष अनुपात, जन्म–नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन सम्बन्धित क्रियाएं, अखबार पढ़ना, रेडियो सुनना, त्योहार, विधवा विवाह, अन्तरजातीय विवाह आदि तमाम क्षेत्र अध्ययन के विषय हो सकते हैं।

13.4 सर्वेक्षण के प्रकार

पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में विषय सामग्री, उद्देश्य तथा प्रविधियों आदि की दृष्टि से सर्वेक्षण कई प्रकार के होते हैं। इनके प्रमुख प्रकारों को इस प्रकार देखा जा सकता है–

13.4.1 सामान्य तथा विशिष्ट सर्वेक्षण

जनसंचार अनुसंधान के प्रमुख दो भेदों सामान्य और विशिष्ट के आधार पर सर्वेक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। सामान्य सर्वेक्षण का उद्देश्य जहां सामान्य जानकारी प्राप्त करना होता है। वहीं विशिष्ट सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी विशिष्ट समस्या को लेकर सर्वेक्षण करना होता है। इस प्रकार के अध्ययन में प्राक्कल्पनाओं का भी निर्माण किया जाता है।

13.4.2 अंतिम तथा आवृत्ति मूलक

अंतिम सर्वेक्षण उसे कहते है जिसके आधार पर अध्ययन के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया जाता है पर आवृत्तिमूलक सर्वेक्षण में हम समय-समय पर सूचना प्राप्त करते रहते हैं। सूचना प्राप्ति की इसी पुनरावृत्ति के कारण हम इसे आवृत्ति मूलक सर्वेक्षण कहते हैं।

13.4.3 प्रारंभिक तथा मुख्य सर्वेक्षण

प्रारंभिक सर्वेक्षण का अर्थ किसी विषय के मुख्य सर्वेक्षण के पूर्व किये गये प्रारंभिक अध्ययन से है। इसका आयोजन मुख्य सर्वेक्षण में आने वाली कठिनाइयों को जानने के उद्देश्य से किया जाता है। मुख्य सर्वेक्षण का तात्पर्य निर्धारित विषय के संपूर्ण सर्वेक्षण से है।

13.4.4 जनगणना या निदर्श सर्वेक्षण

जनगणना सर्वेक्षण में समाज की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जबकि निदर्श सर्वेक्षण में हम निदर्शन के आधार पर कुछ चुनी हुई इकाइयों का ही सर्वेक्षण करते हैं। सामान्य जनसंचार अनुसंधान में प्राय: निदर्श सर्वेक्षण ही किये जाते हैं जबकि विशिष्ट जनसंचार अनुसंधान में यथोपयोगी किसी भी विधि द्वारा सर्वेक्षण का कार्य करते है।

करलिंगर ने सूचना संकलन की दृष्टि से सर्वेक्षण को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया है–

1. व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वेक्षण

2. डाक प्रश्नावली सर्वेक्षण

3. टेलीफोन सर्वेक्षण

4. पेनल सर्वेक्षण

5. नियंत्रित सर्वेक्षण

पूर्वोक्त प्रकारों के अलावा विभिन्न उद्देश्यों कारणों आदि के आधार पर सर्वेक्षणों के कुछ और प्रकार भी बनाये जा सकते हैं जैसे–

13.4.5 अन्य प्रकार

1. सार्वजनिक सर्वेक्षण–जिस सर्वेक्षण के तथ्यों को जनता से गोपनीय नहीं रखा जाता बल्कि उनका स्पष्ट रूप से प्रकाशन किया जाता है उसे सार्वजनिक सर्वेक्षण कहते है जैसे शिक्षा प्रसार आदि से संबंधित सर्वेक्षण।

2. गुणात्मक सर्वेक्षण–गुणात्मक विषयों जैसे किसी रीति-रिवाज, किसी मनोवृत्ति आदि को लेकर किये गये सर्वेक्षण गुणात्मक सर्वेक्षण कहे जाते है।

3. गोपनीय सर्वेक्षण–इसमें तथ्यों को प्रकाशित नहीं किया जाता बल्कि सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है। यहां यह ज्ञातव्य है कि गोपनीय सर्वेक्षण में केवल तथ्यों और उनके दाताओं की ही गोपनीयता रहती है। निष्कर्षों का प्रकाशन बिना किसी का नाम दिये किया जाता है।

4. मात्रात्मक सर्वेक्षण–इसमें समस्या के मात्रात्मक तथ्यों को एकत्र किया जाता है। जैसे अन्तर्जातीय विवाह, शिक्षा का स्तर आदि।

5. जनमत सर्वेक्षण–जनमत सर्वेक्षण का आयोजन उस समय किया जाता है जब किसी समस्या के बारे में जनमत की जानकारी करनी हो। इस प्रकार के सर्वेक्षण में साधन एवं धन दोनों की बड़ी भूमिका होती है।

6. सरकारी सर्वेक्षण–किसी प्रकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षणों को सरकारी सर्वेक्षण कहते हैं। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा तरह-तरह के सर्वेक्षण आयोजित किये जाते है। कृषि, उद्योग-धंधे, सिंचाई आदि के बारे में प्राय: सरकार सर्वेक्षणों का आयोजन करती रहती है। इस प्रकार के सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर आयोजित किये जाते हैं तथा इसमें काफी धन की भी आवश्यकता पड़ती है।

7. अर्द्ध-सरकारी सर्वेक्षण–जो सर्वेक्षण अर्द्ध सरकारी संस्थाओं जैसे–नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा कराये जाते है। उन्हें अर्द्ध सरकारी सर्वेक्षण कहते है।

8. गैर सरकारी सर्वेक्षण–ऐसे सर्वेक्षण निजी क्षेत्रों द्वारा आयोजित किये जाते हैं। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। इस प्रकार के सर्वेक्षण सीमित और प्राय: निजी उद्देश्यों को लेकर आयोजित किये जाते हैं।

9. प्रत्यक्ष सर्वेक्षण–अध्ययन की गहनता की दृष्टि से इस प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किये जाते हैं। इसमें तथ्यों की विश्वसनीयता एवं सूक्ष्मता की दृष्टि से, अवलोकन के माध्यम से स्वयं ही सर्वेक्षण किया जाता है।

10. अप्रत्यक्ष सर्वेक्षण–अप्रत्यक्ष सर्वेक्षण में गुणात्मक विषयों जैसे–सत्यता, बुद्धिमानी आदि को लेकर अध्ययन किया जाता है।

11. नगरीय सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्रों में नगरीय समस्याओं को लेकर कराये जाने वाले सर्वेक्षण नगरीय सर्वेक्षण कहे जाते हैं, जैसे नगरों में श्रमिक कल्याण की सुविधाएँ।

12. ग्रामीण सर्वेक्षण–जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इस प्रकार के सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण समस्याओं को लेकर आयोजित किये जाते है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों की स्थिति आदि।

13.5 सर्वेक्षण : गुण एवं उपयोगिता

अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वेक्षण का महत्व निर्विवाद है। इसके गुणों और विशेषताओं को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है–

1. इसके द्वारा किसी विषय का अनुभविक अध्ययन किया जाता है।

2. इसके माध्यम से किसी समस्या से संबंधित व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र का भी सुविधापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।

3. इसमें चरों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण कार्य-कारण प्रतिमान पर किया जाता है।

4. इससे प्राप्त निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ होते हैं। अत: इसे ज्यादा प्रमाणिक और विश्वसनीय माना जाता है।

5. इसके आधार पर विकास एवं सुधार की रचनात्मक योजना प्रस्तुत की जा सकती है।

6. सर्वेक्षण की आधुनिक पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें निदर्शन, सांख्यिकी आदि का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण परिणाम शुद्ध और प्रामाणिक होते है।

7. सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत सूचना का संकलन एवं व्यापक क्षेत्र का अध्ययन अपेक्षाकृत कम व्यय में संभव होता है।

8. विभिन्न समस्याओं का यथार्थ ज्ञान सर्वेक्षण से होता है।

9. व्यावहारिक दृष्टि से इसकी व्यापक उपयोगिता है। विपणन के क्षेत्र में आजकल सर्वेक्षण का महत्व बहत बढ गया है।

13.6 सर्वेक्षण के दोष

सर्वेक्षण में जहां पर बहुत सारे गुण है वहीं कुछ दोष भी हैं। सर्वेक्षण के प्रमुख दोष इस प्रकार हैं–

1. सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार या टेलीफोन द्वारा सूचना संकलन में पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है।

2. इसके द्वारा प्राप्त सूचना प्राय: सतही एवं सामान्य होती है। इसमें गंभीरता नहीं पायी जाती।

3. इसके माध्यम से केवल सामान्य एवं व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन ही उपयुक्त रहता है। इसके द्वारा गंभीर एवं गहन अध्ययन संभव नहीं होता।

4. यह प्राय: तात्कालिक समस्याओं के लिये ही उपयोगी और उचित होता है।

5. सर्वेक्षण में निदर्शन विधि का प्रयोग काफी कठिन होता है क्योंकि अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होने पर चयनित इकाइयों से संपर्क में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती है।

6. विस्तृत सर्वेक्षण कार्यों के लिए प्रशिक्षित सर्वेक्षणकर्ताओं की एक अच्छी खासी टीम की आवश्यकता होती है।

7. सर्वेक्षणात्मक अध्ययन से प्राय: किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

8. सर्वेक्षण के आयोजन के लिए विशेष ज्ञान, अनुभव एवं सुविज्ञता की आवश्यकता होती है। साधारण व्यक्ति इसका आयोजन एवं संचालन नहीं कर सकता।

13.7 सर्वेक्षण का आयोजन

किसी भी विषय के सर्वेक्षण को सुचारू रूप से संचालित करने तथा सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए पहले से एक योजना बना ली जाय। पूर्व योजना के बिना सर्वेक्षण कार्य में काफी कठिनाई आती है तथा कभी-कभी लक्ष्य से भटकने की भी संभावना रहती है। पूर्व योजना बना लेने से सर्वेक्षण का हर काम नियंत्रित एवं व्यवस्थित रहता है। इस संबंध में **पार्टन** (Parton) का कहना है कि किसी सर्वेक्षण की योजना,संगठन और संचालन किसी व्यापार को चलाने जैसा है। दोनों के लिए विशेष लगन, चतुरता, प्रबंध की योजना तथा विशेष अनुभव या उसी प्रकार के काम के प्रशिक्षण आवश्यकता है।

सर्वेक्षण कार्य में भी अनुसंधान के लगभग सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। सर्वेक्षण कार्य प्राय: बड़े पैमाने पर होते हैं अत: इसमें कार्य के प्रबंध कौशल की भी आवश्यकता पड़ती है। बड़े पैमाने पर आयोजित सर्वेक्षण में कार्यकर्ताओं का सही ढंग से नियोजन, उनका उचित प्रशिक्षण आदि कार्य भी कुशलतापूर्वक निभाने पड़ते है। नीचे सर्वेक्षण के विविध का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है–

1. सर्वेक्षण समस्या का चयन–कोई भी सर्वेक्षण किसी समस्या को लेकर ही प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर समस्या से तात्पर्य सर्वेक्षण विषय से है। विषय के स्पष्ट ज्ञान के अभाव में सर्वेक्षण का कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता।

2. उद्‌देश्यों का स्पष्टीकरण–सर्वेक्षण के लिए विषय का चुनाव कर लेने के पश्चात इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक होता है कि विषय से संबंधित किन-किन पहलुओं का सर्वेक्षण करना है। इसके लिए विषय से संबंधित कुछ निश्चित उद्‌देश्यों को भी निर्धारित कर लिया जाता है। सर्वेक्षण के उद्‌देश्यों के निर्धारण से हमें कार्यकर्ताओं के चयन, सर्वेक्षण के बजट, सर्वेक्षण में लगने वाले समय आदि का मोटे तौर पर अंदाजा हो जाता है।

3. सर्वेक्षण क्षेत्र का निर्धारण–समस्या के चयन एवं उद्‌देश्यों के निर्धारण के पश्चात् हमें पर्वेक्षण क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण करना आवश्यक होता है। सर्वेक्षण क्षेत्र का निर्धारण विषय की प्रकृति और उद्‌देश्य को दृष्टि में रखकर किया जाता है।

4. सर्वेक्षण की इकाइयों का निर्धारण–किसी भी सर्वेक्षण में तथ्यों का संकलन उसकी इकाइयों से ही किया जाता है। इसलिए सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले इकाइयों का समुचित निर्धारण कर लेना चाहिए। ऐसा न करने पर सर्वेक्षण कार्य में न केवल कठिनाई होती है बल्कि यह भी संभावना बनी रहती है कि सर्वेक्षण के दौरान आवश्यक इकाइयां छूट जाय और अनावश्यक इकाइयाँ शामिल हो जाय।

सर्वेक्षण क्षेत्र में प्राय: क्षेत्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन नहीं दिया जाता। इसके लिए निदर्शन (Sampling) का सहारा लिया जाता है।

5. कार्यकर्ताओं का चयन और प्रशिक्षण–बड़े सर्वेक्षणों में कई सर्वेक्षणकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम बनानी पड़ती है। सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों का चयन किया जा रहा है उनमें कार्य के प्रति ईमानदारी, लगन, धैर्य, परिश्रम और प्रत्युत्पन्न बुद्धि हैं कि नही। इन गुणों की परख कर लेने के बाद सर्वेक्षण कार्य के सुचारू संपादन के लिए उनको समुचित और पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

6. बजट का निर्धारण–जैसा कि कहा जा चुका है सर्वेक्षण कार्य में प्राय: कई लोग काम करते है, व्यक्तिगत सर्वेक्षण बहुत ही कम होते है। इसलिए किसी भी सर्वेक्षण कार्य के लिए विभिन्न मदों में होने वाले खर्चे का अनुमान लगाकर बजट बना लेना चाहिए। बजट के अनुमानों के आधार पर ही धन की व्यवस्था की जाती है। जाहिर है, बिना पैसे के कोई काम संभव नहीं है।

7. सर्वेक्षण के उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण–किसी सर्वेक्षण की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि तथ्यों के संकलन के लिए हमने किन उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण किया है। उपकरण और प्रविधियां तथ्यों के संकलन के अनुकूल रहीं तो सर्वेक्षण का उद्‌देश्य आसानी से पुरा हो जाता है।

8. तथ्यों का संकलन-सर्वेक्षण का वास्तविक कार्य तथ्यों के संकलन से ही प्रारंभ होता है। इसके लिए प्रशिक्षित सर्वेक्षणकर्ता सर्वेक्षण क्षेत्र में जाकर निर्धारित इकाइयों से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद उत्तरदाताओं से निर्धारित उपकरणों या विधियों द्वारा वह तथ्यों का संकलन करते हैं। तथ्यों के संकलन के समय इस बात के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि कोई आवश्यक सूचना छूटने न पाये और साथ ही सूचनाएँ सही भी हों। तथ्यों के संकलन में सावधानी ही नही निष्पक्षता सें भी काम लेना चाहिए। सर्वेक्षण के परिणामों की विश्वसनीयता इन्हीं बातों पर निर्भर करती है।

9. तथ्यों का संपादन, व्यवस्थापन, वर्गीकरण एवं सारणीयन-तथ्यों का यथोचित संकलन कर लेने के पश्चात् उनका संपादन करते हैं। यदि कोई सूचना अधूरी या अस्पष्ट होती है तो उसे ठीक करते हैं। संपादन के पश्चात् तथ्यों का व्यवस्थापन करते है ताकि सूचनाओं के बर्गीकरण में आसानी हो। वर्गीकरण करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि तथ्यों में कोई हेर-फेर न हो। तथ्यों के वर्गीकरण के पश्चात् विश्लेषण की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की सारणियों का निर्माण करते हैं। तथ्यों को सारणीबद्ध कर लेने से उनका परस्पर तुलनात्मक एवं वैज्ञानिक अध्ययन संभव हो जाता है।

10. तथ्यों का विश्लेषण, व्याख्या और सामान्यीकरण-संकलित तथ्यों को सारणीबद्ध कर लेने के पश्चात् हम उनका विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। इस काम में हम प्राय: सांख्यिकी की सहायता लेते हैं। यदि सर्वेक्षण में तथ्यों का संकलन जनगणना विधि से न होकर निदर्शन विधि से किया गया होता है तो हम तथ्यों की व्याख्या के साथ-साथ उनका सामान्यीकरण भी करते है। सामान्यीकरण में यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि निदर्शों द्वारा प्राप्त परिणाम किस सीमा तक तथा किस प्रकार समग्र पर लागू होते हैं।

11. निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन-सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर हम उनका निष्कर्ष निकालते हैं। और अन्त में सम्पूर्ण सर्वेक्षण का एक प्रतिवेदन (Report) तैयार करते हैं। इसमें सर्वेक्षण के परिणामों को ठीक-ठीक समझने की सुविधा रहती है। सर्वेक्षण का प्रतिवेदन ही स्थायी दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाता है जो भविष्य में अन्य अध्ययनों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। सर्वेक्षणकर्ता आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन का प्रकाशन भी कराते हैं।

13.8 सारांश

किसी भी सर्वेक्षण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व सर्वेक्षण की प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्य के आधार पर विचार करके एक योजना बना लेना परमावश्यक है। इसका कारण यह है कि सर्वेक्षण की योजना जितनी ही, सही, व्यावहारिक, त्रुटि रहित तथा अनुसन्धान के उपयुक्त होगी, सर्वेक्षण का कार्य भी उतने ही सुविधाजनक ढंग से संचालित करना संभव होगा। सर्वेक्षण के दौरान भी सर्वेक्षणकर्ता को बराबर सतर्कतापूर्वक

जॉच करते रहना चाहिए कि काम योजना के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। जहां उसे योजना तथा वास्तविक सर्वेक्षण में अन्तर दिखाई पड़े अथवा पूर्व-निश्चित योजना ठीक-ठीक काम करती न जान पड़े वहां उसे सामयिक परिस्थिति के अनुसार योजना में तुरन्त आवश्यक परिवर्तन या परिवर्द्धन कर देना चाहिए।

13.9 शब्दाबली

सर्वेक्षण–ध्यानपूर्वक किसी वस्तु या घटना का निरीक्षण-परीक्षण करना

सर्वे–चारों ओर देखना, निरीक्षण करना।

सामाजिक सर्वेक्षण–सामाजिक दशा स्थिति अथवा परिस्थिति या समस्या का निरीक्षण व विश्लेषण।

13.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

रवीन्द्र नाथ मुखर्जी–सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी

हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव–सामाजिक अनुसंधान की कार्य विधिकी

डा० मनोज दयाल–मीडिया शोध

13.11 सम्बन्धित प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सर्वेक्षण क्या है? स्पष्ट करें।
2. सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं परिभाषा बेताएं।
3. सर्वेक्षण के प्रकारों का उल्लेख करें।
4. सर्वेक्षण की प्रमुख समस्याएं बताएं।
5. सर्वेक्षण के गुण व दोषों का उल्लेख करें।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण आयोजन पर विस्तृत निबंध लिखें।
2. सर्वेक्षण के चरणों की क्रमबद्ध विवेचना कीजिए।
3. सर्वेक्षण के अर्थ, उद्देश्य, परिभाषा एवं प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

व्रस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. सर्वेक्षण का अर्थ है।

(क) सर्वे

(ख) अवलोकन

(ग) ध्यानपूर्वक किसी वस्तु या घटना का निरीक्षण-परीक्षण

(घ) इनमें से कोई नहीं

2. सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताएं हैं

(क) सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति सामाजिक है न कि प्राकृतिक

(ख) सामाजिक सर्वेक्षण का सम्बन्ध तात्कालिक समस्या या अवस्था से होता है।

(ग) सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यावहारिक होता है।

(घ) उपर्युक्त सभी

3. सामाजिक सर्वेक्षण है।

(क) सामाजिक दशा, स्थिति अथवा परिस्थिति या समस्या का निरीक्षण

(ख) प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण-परीक्षण

(ग) दोनों

(घ) इनमें से कोई नहीं

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (ग)
2. (घ)
3. (क)

इकाई-14 निदर्शन (सैम्पलिंग)

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्‌देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 निदर्शन का अर्थ

- 14.2.1 निदर्शन पद्धति की परिभाषा
- 14.2.2 निदर्शन की आवश्यकता क्यों ?

14.3 निदर्शन की आधारभूत मान्यताएं

- 14.3.1 समग्र की एकरुपता
- 14.3.2 प्रतिदर्श न्यायदर्श के चुनाव की संभावना
- 14.3.3 निकटतम शुद्धता की संभावना

14.4 निदर्शन पद्धति के प्रकार

- 14.4.1 देव निदर्शन पद्धति
- 14.4.2 सरल देव निदर्शन
- 14.4.3 स्तरित निदर्शन
- 14.4.4 गुच्छ निदर्शन
- 14.4.5 बहुसोपानीय निदर्शन
- 14.4.6 क्षेत्रीय निदर्शन
- 14.4.7 उद्‌देश्यपूर्ण निदर्शन
- 14.4.8 सुविधाजनक निदर्शन
- 14.4.9 कोटा निदर्शन
- 14.4.10 स्वयं निर्वाचित निदर्शन
- 14.4.11 पैनल निदर्शन
- 14.4.12 आदर्श निदर्शन

14.5 एक अच्छे निदर्शन की विशेषताएं

14.6 निदर्शन प्रक्रिया के मुख्य चरण

14.7 निदर्शन पद्धति के गुण

14.8 निदर्शन पद्धति के दोष एवं सीमाएं

14.9 सारांश

14.10 शब्दावली

14.11 संदर्भ ग्रंथ

14.12 सम्बन्धित प्रश्न

14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप :

(क) निदर्शन की परिभाषा स्पष्ट कर सकेंगे।

(ख) निदर्शन के विविध प्रकारों से परिचित हो सकेंगे।

(ग) निदर्शन पद्धति के गुण-दोष व सीमाओं से परिचित हो सकेंगे।

(घ) निदर्शन के आधारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

14.1 प्रस्तावना

मनुष्य निदर्शन पद्धति का उपयोग प्राचीन काल से करता आया है। किसी बड़े समूह में से कुछ अंशों के आधार पर उस बड़े समूह की विशेषताओं को जानने की कला बड़ी पुरानी है। जनसाधारण, वैज्ञानिक और अनेक संस्थाएं इसके उपयोग से परिचित हैं। गेहूँ के ढेर में से एक मुट्ठी गेहूँ लेकर ग्राहक पूरे ढेर की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। उबलते हुए चावल में से कुछ चावल लेकर गृहिणी पूरी पतीली के चावल के पकने या न पकने के बारे में जानकारी करती है। यदि चावल का बर्तन बहुत बड़ा है तो चावल को चलाकर या उलट-पलट कर गृहिणी कई जगह के दानों की जांच करती है। अतः जितना बड़ा ढेर होगा, उतने ही अधिक स्थानों से नमूना लेकर सही मूल्यांकन संभव होगा। एक चिकित्सक कुछ बूंद खून लेकर मरीज के सारे खून की विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। निदर्शन पद्धति से आँकड़े एकत्र कर शीघ्रता से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इन रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र के विकास के लिए योजना निर्धारित होती है।

14.2 निदर्शन का अर्थ

निदर्शन पद्धति को समझने के लिए पहले न्यायदर्श (Sample) को समझना आवश्यक है। न्यायदर्श को दूसरे शब्दों में 'नमूना' और बानगी भी कहा जाता है। एक आदर्श न्यायदर्श में अपने समूह अथवा समग्र की समस्त विशेषताएँ पायी जाती हैं। न्यायदर्श अपने समग्र का प्रतिनिधि 'अंश' होता है। इसी अंश के आधार पर सम्पूर्ण का ज्ञान होता है। यदि न्यायदर्श-चयन ठीक तरह नहीं हुआ तो प्रतिनिधि न्यायदर्श प्राप्त नहीं होंगे। प्रतिनिधित्व पूर्ण आदर्श न्यायदर्श के चुनाव की प्रक्रिया को निदर्शन कहते हैं।

14.2.1 निदर्शन (Sampling) की परिभाषा

निदर्शन किसी सम्पूर्ण समूह का एक ऐसा भाग है जो समग्र का प्रतिनिधित्व

जियके द्वारा व्यवस्थित तरीके से प्रतिनिधित्व पूर्ण या आदर्श न्यायदर्श के चुनाव की सम्भावना रहती है। निदर्शन पद्धति के अन्तर्गत वे सब प्रविधियां आती हैं जिनके द्वारा यथेष्ट आकार में प्रतिनिधि न्यायदर्शों का चयन किया जाता है। इन न्यायदर्शों की विश्वसनीयता की जांच भी सम्भव है। वैज्ञानिक आधार पर विकसित विद्यार्थियों द्वारा निदर्शन त्रुटि (Sampling Error) और म नक त्रुटि (Standard Error) का पता लगाया जा सकता है।

समाज वैज्ञानिक **बोगार्ड्स** ने निदर्शन को इस तरह परिभाषित किया है, ''पहले से निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के किसी समूह में से कुछ निश्चित प्रतिशत का चुनाव करना निदर्शन पद्धति है।''

अध्ययन क्षेत्र में समग्र की सम्पूर्ण इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयां चुन ली जाती हैं; जिनमें समस्त इकाइयों के सभी गुण समान अनुपात में विद्यमान हों। उदाहरण के लिए यदि हम समाचार पत्र में कार्यरत समस्त पत्रकारों का अध्ययन न करके कुछ ऐसे चुने हुए पत्रकारों का अध्ययन करें जो सारे पत्रकारों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करें। इस प्रकार समग्र का अध्ययन न करके उसके एक चुने हुए भाग का अध्ययन करना 'निदर्शन पद्धति' के द्वारा अध्ययन करना कहलाता है।

गूड एवं हॉट के अनुसार 'एक निदर्शन, जैसा नाम से स्पष्ट है, किसी विशाल संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है। अर्थात् निदर्शन किसी विशाल समूह का वह भाग है, जो उस सम्पूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीमती यंग के अनुसार, एक सांख्यिकी निदर्शन उस सम्पूर्ण समूह अथवा योग का एक अति लघु चित्र है जिससे निदर्शन लिया गया है।

R. S. Weiss (आर० एस० वीस, के अनुसार 'निदर्शन का उद्देश्य ऐसे तरीके से उपरूप (Subset) का चुनाव करना है जिससे समग्र के उचित प्रतिनिधित्व की सम्भावना में वृद्धि हो। जे० एच० म्यूलर एवं के० एफ० शुरूलर ने निदर्शन की वैज्ञानिक परिभाषा प्रस्तुत की है, ''वास्तव में 20वीं शताब्दी में निदर्शन का विकास एक तकनीकी युक्ति के रूप में हुआ, जिसके द्वारा तार्किक ढंग से सूचना प्राप्त की जा सकती है।

फ्रेंक मार्टन के शब्दों में, निदर्शन शब्द का प्रयोग केवल किसी समग्र चीज की इकाइयों के एक सेट या भाग के लिए किया जाना चाहिए, जिसे इस विश्वास के साथ चुना गया है कि वह समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा।

जे० ए० जान के अनुसार, 'समग्र से चुने गये व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह को जिसमें सभी व्यक्ति नहीं सम्मिलित होते हैं, समग्र का एक प्रतिदर्शन या प्रतिदर्श या निदर्शन कहा जाता है।' एफ० एन० कर्विजर के अनुसार, 'प्रतिदर्श या प्रतिदर्शन या निदर्शन के किसी अंश को उस समग्र के प्रतिनिधि के रूप में लेना है। जोहान गाल्टंग के शब्दों में, 'अध्ययन के लिए चुनी गयी इकाइयों का समूह संभावित इकाइयों के सम्पूर्ण का उपसमूह है।

वाई० डी० केलकर के अनुसार, 'निदर्शनात्मक अनुसंधान में हम समग्र के संबंध के निष्कर्ष निकाले गये हैं समग्र के केवल एक भाग से सम्बन्धित होता है। फेयर चाइल्ड के शब्दों में एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों, मामलों या निरीक्षणों को एक समग्र विशेष में से निकालने की प्रक्रिया या पद्धति अथवा अध्ययन हेतु एक समग्र में से एक भाग को चुनना निदर्शन पद्धति कहलाती है।'

निदर्शन पद्धति का प्रयोग केवल वैज्ञानिक अध्यंयन में ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी किया जाता है। टिप्पेट ने लिखा है–''बड़े समूह में से एक छोटा भाग लेने की विधि सामान्यतः भली प्रकार समझी और विस्तृत रूप में काम में लायी जाती है।

14.2.2 निदर्शन की आवश्यकता क्यों?

निदर्शन पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में किया जाता है।

(1) अनुसंधान का क्षेत्र अति व्यापक होने पर निदर्शन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि व्यापक क्षेत्र में प्रत्येक इकाई से सम्पर्क करना कठिन होता है।

(2) किसी क्षेत्र के विकास, नयी योजना की सफलता का मूल्यांकन आदि करने के लिए निदर्शन पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है।

(3) शीघ्रता से परिवर्तित होने वाली वस्तुओ के अनुसंधान में निदर्शन पद्धति की आवश्यकता पड़ती है। समग्र की सभी इकाइयों के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस परिस्थिति से शीघ्रता से परिणाम पर पहुंचने के लिए निदर्शन पद्धति ही उचित होती है।

(4) व्यक्तिगत स्तर पर अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता कम धन और समय के कारण निदर्शन पद्धति पर भरोसा करता है।

14.3 निदर्शन की आधारभूत मान्यताएं

निदर्शन पद्धति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार सम्भाविता या प्रायिकता का सिद्धान्त है। समग्र की इकाइयों की विशेषताओं में कम अन्तर होने के कारण प्रतिनिधि इकाई के चुनाव की सम्भावना बढ़ जाती है। सजातीय समग्र से प्रतिनिधि इकाई के चुनाव पर आधारित निष्कर्ष लगभग सही अथवा प्रामाणिक होंगे। प्रामाणिक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए विधिवत् उचित न्यायदर्शों का चुनाव करना आवश्यक है। निदर्शन पद्धति की आधारभूत मान्यताएं निम्नलिखित हैं।

(1) सम्भाविता या प्रायिकता सिद्धान्त–सम्भाविता या प्रायिकता का सिद्धान्त निदर्शन का मुख्य आधार है। सम्भाविता इस प्रत्याशा की माप है कि एक घटना घटित होगी या नहीं। किसी भी घटना के होने या न होने से सम्बन्धित अनुमान को सम्भाविता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने या न होने की अनिश्चितता की दिशा में अनुमान लगाया जाता है। उदाहरणार्थ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्के को दस बार हवा

में उछाला जाय तो पांच बार हेड और पांच बार टेल की सम्भावना हो सकती है।

वैज्ञानिक विधि के सन्दर्भ में सम्भाविता को दो प्रकार से समझा जा सकता है।

(क) सम्भाविता का सिद्धान्त इस बात की ओर संकेत करता है कि किसी दिये हुए कथन के सत्य होने की संभावना है। सम्भाविता की यह अवधारणा कथन के विषय में ज्ञान की मात्रा से सम्बन्धित है। निदर्शन से इस धारणा का विशेष सम्बन्ध है।

(ख) घटना के घटित होने या न होने की किसी श्रृंखला में एक घटना के घटित होने की आवृत्ति उस घटना के घटित न होने की आवृत्ति का अनुपात होता है।

14.3.1 समग्र की एकरूपता

सामाजिक घटनाओं में विभिन्नता पायी जाती है। दो घटनाएं पूर्णतया समान गुणों वाली नहीं होती। किन्तु ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इन विभिन्न प्रकार की घटनाओं में कुछ एकरूपता पायी जाती है। एक तरफ लुण्डवर्ग का मानना है, यदि तथ्यों में अत्यधिक एक रुपता पायी जाती है अर्थात् सम्पूर्ण तथ्यों की विभिन्न इकाइयों में अन्तर बहुत कम है, तो सम्पूर्ण में से कुछ या कोई इकाई समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करेगी। दूसरी तरफ स्टीफान ने लिखा है, 'आधुनिक बड़े समाजों में विभिन्न प्रजाति, राष्ट्र, धर्म, आर्थिक स्थिति, पेशा, प्रथा परम्परा, मनोवृत्तियों तथा रूचियों के लोग इतना अधिक घुले-मिले रहते हैं कि उनमें समानता का दर्शन नहीं होता है। इसके विपरीत, जीवन के प्रत्येक पक्ष में विविधताओं का ही बोलबाला होता है और एक-दूसरे को अलग करना कठिन होता है। इस प्रकार स्पष्ट विभाजनों के प्रभाव से ऐसे निदर्शन का चुनाव जटिल हो जाता है जो कि समुदाय में विद्यमान समस्त विविधताओं का प्रतिनिधित्व कर सके।

निदर्शन में सजातीय समग्र का होना एक आधारभूत आवश्यकता है। इकाइयों की समानता के आधार पर ही सफल निदर्शन सम्भव है। सजातीय समग्र से ही प्रतिनिधि न्यायदर्शों का चुनाव किया जा सकता है। प्रतिनिधि न्यायदर्शों के आधार पर ही विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त करके प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यदि समग्र की इकाइयों में अधिक भिन्नता है तो संगणना पद्धति का उपयोग करना पड़ता है। सामाजिक घटनाओं में अधिक एकरूपता नहीं पायी जाती। भारत जैसे देश में विभिन्न प्रजाति, भाषा, धर्म, जाति, परम्परा आदि के कारण सामाजिक व्यवहार में अत्यधिक विभिन्नता पायी जाती है। ऐसे समग्र के अध्ययन में निदर्शन पद्धति व्यर्थ सिद्ध होगी। किन्तु भारतीय संस्कृति की इस विभिन्नता में भी एकरुपता के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार अन्य समग्र की विभिन्न इकाइयों में भी एकरूपता पायी जा सकती है। तात्पर्य यह है कि समग्र यदि एकरूप है, तो निदर्शन के बहुत ही छोटे या नगण्य आकार से भी काम चल जाता है। जैसे–खून की जांच, खून की एक बूंद से भी हो सकती है। लेकिन यदि समग्र में बहुरुपता है तो कई बार समग्र पर पायलट अध्ययन करके सभी प्रकार की इकाइयों को सम्मिलित करते हुए निदर्शन के आकार को निश्चित किया जाता है।

14.3.2 प्रतिनिधि न्यायदर्श के चुनाव की सम्भावना

सम्पूर्ण समूह में से कुछ इकाइयां प्रतिनिधि रूप में चुनी जा सकती हैं। अर्थात् यदि सभी वर्गों की इकाइयां निदर्शन में आ जायें, तो उन्हें समग्र का प्रतिनिधि कहा जाता है। निदर्शन पद्धति की आधार-भूत मान्यता है कि समग्र में से विधि पूर्वक कुछ प्रतिनिधि इकाइयों के चुनाव की सम्भावना रहती है। सजातीय समग्र में यह सम्भावना बढ़ जाती है। यह मान्यता सांख्यिकीय नियमितता नियम पर आधारित है। नियमितता नियम का आधार सम्भाविता सिद्धान्त है। नियमितता नियम यह प्रतिपादित करता है कि समग्र दैव निदर्शन (Random Sampling) द्वारा चुना गया न्यादर्श समग्र का उचित प्रतिनिधित्व कर सकता है। किसी समग्र में से दैव निदर्शन द्वारा बड़ी संख्या में चुने गये न्यायदर्शों मे औसत रूप में समग्र के गुण होंगे। इस नियम का आधार यह है कि प्रकृति में एक नियमितता पायी जाती है। अर्थात् प्राकृतिक कार्य व्यवस्थित और नियमित होते हैं। अनुसंधान में समग्र को इकाइयों के गुण, धर्म के अनुसार कुछ वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है। प्रत्येक वर्ग की इकाई अपने वर्ग के गुणधर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। अत: प्रत्येक वर्ग में से यथेष्ट संख्या में न्यायदर्शों का चुनाव कर लिया जाता है। ये इकाइयां समग्र के विभिन्न वर्गों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। सभी इकाइयां मिलकर सम्पूर्ण जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करेंगी।

14.3.3 निकटतम शुद्धता की सम्भावना

कोई न्यायदर्श सम्पूर्ण रूप से समग्र की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अत: निष्कर्ष पूर्णरूपेण सही नहीं हो सकते। यूं तो कोई भी निदर्शन अपने समग्र का शत-प्रतिशत प्रतिनिधित्व कभी नहीं करता। प्रत्येक इकाई में कुछ न कुछ अंतर होता है पर निदर्शन के निष्कर्ष पर्याप्त मात्रा में समग्र पर लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिये, यदि किसी समाचार पत्र में पांच सौ पत्रकार हैं और उनमें से 100 इकाइयों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 25 प्रतिशत पत्रकार सिगरेट पीते हैं, तो यह कहना पर्याप्त मात्रा में सही होगा कि इस समाचार पत्र के 25 प्रतिशत पत्रकार सिगरेट पीते हैं। हो सकता है कि समग्र रूप से 500 इकाइयों का अध्ययन करने पर परिणाम 24.7 प्रतिशत निकले। इस अन्तर को मिदर्शन त्रुटि कहते हैं। परन्तु यह अन्तर इतने बड़े समूह के अध्ययन में विशेष महत्व नहीं रखता। अत: निदर्शन की तीसरी मान्यता यह है कि परिणाम काफी सीमा तक शुद्ध होते हैं–शत प्रतिशत नहीं।

14.4 निदर्शन पद्धति के प्रकार

निदर्शन पद्धति का प्रमुख उद्देश्य प्रतिनिधि न्यायदर्शों का यथेष्ट संख्या में विधिपूर्वक चुनाव करना है। न्यायदर्श चयन की अनेक प्रविधियां प्रचलित हैं। सर्वाधिक प्रचलित और उपयोगी दैव निदर्शन प्रविधि है। दैव निदर्शन प्रविधि के बहुत से रूप हैं।

ये सभी रूप संभाविता सिद्धान्त पर आधारित हैं। इसलिए दैव निदर्शन (Probability or Random Sampling) प्रविधियों को संभाविता निदर्शन भी कहा जाता है। दूसरी प्रकार की निदर्शन प्रविधियां संभाविता सिद्धान्त का प्रयोग नहीं करती, इसलिए इन्हें असंभाविता निदर्शन (Non-Probability Sampling) कहते हैं। इसे अदैव-निदर्शन भी कहा गया है।

14.4.1 दैव निदर्शन पद्धति

दैव निदर्शन को संभावित निदर्शन भी कहा जाता है। पार्टेन के अनुसार, 'दैव निदर्शन शब्द उस समय प्रयुक्त किया जाता है, जब समग्र में से प्रत्येक व्यक्ति या तत्व को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है।

दैव निदर्शन में चुनाव दैव तौर पर किया जाता है, ताकि किसी भी इकाई को प्राथमिकता न मिले। इसमें किसी भी एक इकाई के चुने जाने का अवसर उतना ही रहता है, जितना कि अन्य किसी इकाई के चुने जाने का।

दैव निदर्शन, निदर्शन के चुनाव की ऐसी पद्धति है, जिसमें चुनने वाला अपनी इच्छा से किसी इकाई को नहीं चुन सकता, बल्कि संयोग या अवसर से जो इकाई निदर्शन में स्थान प्राप्त कर ले उसी का अध्ययन किया जा सकता है। समग्र की सूची में से बिना पूर्व विचार या पक्षपात के सभी इकाइयों को समान महत्व देकर कुछ को चुन लिया जाता है। दैवयोग से जो इकाई चुनी जाये, वह अनिवार्य रूप से अध्ययन का अंग बन जाती है। प्रत्येक इकाई को चुने जाने का बराबर मौका मिलता है। दैव निदर्शन को समानुपातिक निदर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि निदर्शन में चुनी हुई इकाइयों का वही अनुपात होता है, जो उनके कर्मो का समग्र में अनुपात होता है। मीडिया या संचार से संबंधित विभिन्न तथ्यों में भिन्नता अधिक होने के कारण शत-प्रतिशत समानुपातिक निदर्शन कठिन होता है, किन्तु फिर भी पर्याप्त मात्रा में वह अनुपात समान होता है। दैव-निदर्शन एवं विचार से समस्त वैज्ञानिक निदर्शनों का मूल आधार है।

14.4.2 सरल दैव निदर्शन

इसकी मान्यता यह है कि सजातीय समग्र में से चुना गया प्रत्येक न्यायदर्श अपने समग्र के तत्वों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस सम्बन्ध में म्यूलर और शुसलर ने लिखा है कि सरल दैव निदर्शन ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा समान चुनाव की संभावना पूरी होती है। सरल दैव निदर्शन की एक विशेषता यह भी है कि यदि समग्र में से अनेक न्यायदर्शों का चुनाव करना है तो कोई तत्व न्यायदर्श में मिश्रित रूप से आ सके उसका जोड़ा बन.ना होगा। उदाहरणार्थ अ ब स द य पांच व्यक्तियों का एक छोटा समग्र है। यदि प्रत्येक न्यायदर्श में दो व्यक्ति होने हैं तो सभी संभव जोड़ों के प्रतिनिधित्व की पूर्ण संभावना होनी चाहिए। इस प्रकार हम 10 जोड़े का न्यायदर्श पाते हैं।

अब	बस	सद	दय
अस	बद	सद	
अद	बय		
अय			

इस तरह सरल दैव निदर्शन में सभी जोड़ों की संभावना 10 में से एक होनी चाहिए।

दैव निदर्शन के गुण

दैव निदर्शन के निम्नलिखित गुण होते हैं;

पक्षपात रहित–इस विधि से न्यायदर्श चुनने पर पक्षपात की सम्भावना नहीं रहती। चुनाव पर चुनने वाले की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। हर इकाई के चुनाव का समान अवसर होता है।

संयोग पर आधारित चुनाव--चुनाव करने वाले को अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। किसी न्यायदर्श का चुनाव सोच-समझकर नहीं बल्कि संयोग से होता है।

न्यायदर्श चुनाव की सही विधि– इसके अन्तर्गत किन्हीं विशेष विधियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती चुनाव के लिए विस्तृत योजना नहीं बनानी पड़ती।

14.4.3 स्तरित निदर्शन (Stratified Sampling)

स्तरित निदर्शन को 'वर्गीय' या 'मिश्रित' निदर्शन भी कहा जाता है। स्तरित निदर्शन में दैव निदर्शन का भी उपयोग होता है। इस प्रविधि से न्यायदर्श के अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण होने की आशा रहती है। यदि समग्र में अधिक विभिन्नता हो तो इस प्रविधि का प्रयोग होता है। समग्र को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके प्रत्येक धर्म में से उपन्यादर्श का चयन किया जाता है। सर्वप्रथम समग्र के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है। विभिन्नता से पूर्ण समग्र को कुछ सजातीय स्तरों या वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। यह वर्गीय विभाजन प्राय: आयु, लिंग, धर्म, भाषा, प्रजाति, जाति आदि के आधार पर किया जाता है।

14.4.4 गुच्छ निदर्शन

गुच्छ निदर्शन का प्रयोग अत्यधिक विशाल समग्र में अति उपयोगी होता है। जब इकाइयों की सूची किसी भी तरह प्राप्त नहीं होती तो गुच्छ निदर्शन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। प्राय: यह देखने को मिलता है कि मनुष्य किसी न किसी समूह में रहता है, किसी भी समग्र की जनसंख्या कुछ स्वाभाविक समूहों में विभाजित होती है। उदाहरण के लिए, लोगों में समचार-पत्र पढ़ने की आदतों का अध्ययन करते समय उस देश को अलग-अलग राज्यों, अलग-अलग जिलों एवं कस्बों में बांटकर उनमें से लोगों के समूह या गुच्छ पर सरलता से अध्ययन किया जा सकता है।

14.4.5 बहु सोपानीय निदर्शन

इसके अन्तर्गत प्रत्येक सोपान पर एक ही प्रकार की प्रतिदर्श इकाई का प्रयोग किया जाता है, किन्तु अन्य इकाइयों की तुलना में कुछ से अधिक सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रतिदर्शन के अन्तर्गत प्रत्येक इकाई से कुछ न कुछ सूचना अवश्य एकत्र की जाती है। किन्तु सम्पूर्ण प्रतिदर्श के कुछ उप प्रतिदर्शों से अतिरिक्त ऐसा

अधिक विस्तृत सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

14.4.6 क्षेत्रीय निदर्शन

इसके अन्तर्गत शोधकर्त्ता भिन्न-भिन्न, छोटे-छोटे क्षेत्रों में से किसी एक का चुनाव करता है। इसके बाद उस क्षेत्र के सभी निवासियों का सम्पूर्ण अध्ययन करता है। इसकी मान्यता यह है कि क्षेत्रीय एकरूपता का प्रयोग निदर्शन के लिए किया जाता है। क्षेत्र का निर्धारण अध्ययन की प्रकृति के आधार पर किया जाता है।

14.4.7 उद्देश्यपूर्ण निदर्शन

इस प्रविधि के अन्तर्गत सोच-विचार कर प्रतिनिधित्वपूर्ण न्यायदर्श का चुनाव किया जाता है। इस निदर्शन का प्रयोग करने के लिए समग्र की सभी विशेषताओं से परिचित होना आवश्यक है। सविचार निदर्शन का प्रयोग विशेषज्ञ द्वारा ही उचित होता है जो समग्र से प्रतिनिधि इकाइयों को समझ बूझकर चुन सकता हो। एडोल्फ जेन्सन के अनुसार उद्देश्यपूर्ण या निर्णयात्मक निदर्शन से अर्थ इकाइयों के समूह की एक संख्या को इस प्रकार चुनना कि चुने हुए समूह मिलकर उन विशेषताओं के सम्बन्ध में यथासम्भव वही औसत अथवा अनुपात प्रदान करें जोकि समग्र में हैं और जिनकी सांख्यिकीय जानकारी पहले से ही हो। उदाहरण के लिए यदि हमें पूर्वांचल के समाचार पत्रों का अध्ययन करना है तो हमें वाराणसी, इलाहाबाद व गोरखपुर के समाचार पत्रों को निदर्शन में सम्मिलित करना आवश्यक है। इस प्रकार के निदर्शन का प्रयोग विज्ञापन में प्रायः होता है खासकर पुराने व नये प्रदत्त के तुलनात्मक अध्ययन में।

14.4.8 सुविधाजनक निदर्शन

अनुसंधान कर्त्ता अपनी सुविधा के अनुसार न्यायदर्श का चुनाव करता है। धन, समय, ऊर्जा, संसाधन योग्यता आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न स्रोतों के माध्यम से अपनी इच्छानुसार निदर्शन चुन लिया जाता है।

14.4.9 कोटा निदर्शन

यह प्रविधि जनमत का अध्ययन करने में बड़ी उपयोगी है। जनता की अभिवृत्तियों का अध्ययन भी इसी प्रविधि से किया जाता है। केवल उसे निर्धारित कोटा का ध्यान रखना पड़ता है। कोटा निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें साक्षात्कारकर्ता को कुछ पूर्व निश्चित स्थानों (नगर, ग्राम, जिला राज्य) से पूर्व निर्धारित विशेषताओं (आयु, लिंग, जाति, धर्म, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति आदि) वाले उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करनी पड़ती है। कोटा प्रतिदर्शन वर्गीय प्रतिदर्शन का ऐसा रूप है, जिसमें स्तरों के अन्तर्गत किया गया चुनाव यादृच्छिक होता है।

14.4.10 स्वयं निर्वाचित निदर्शन

इसके अन्तर्गत व्यक्ति स्वयं अपना नाम देकर निदर्शन की इकाई बन जाये और शोधकर्ता को उसका चुनाव न करना पड़े, तो उसे स्वयं निर्वाचित निदर्शन कहा जाता है। रेडियो व टेलीविजन का श्रोता व दर्शक फीडबैक किसी न किसी प्रोग्राम के बारे में अवश्य भेजते हैं।

14.4.11 पैनल निदर्शन

इसमें एक ही व्यक्ति से उन्हीं प्रश्नों को कालान्तर में पूछा जाता है। पैनल प्रतिदर्शन आज भी टेलीविजन हिंसा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक प्रचलित तरीका माना जाता है। पैनल निदर्शन से घटनाओं की प्रवृत्तियों का अध्ययन, परिवर्तनशील व्यक्तियों की पहचान तथा उनका विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है।

14.4.12 आदर्श प्रतिदर्श

मीडिया शोध के अन्तर्गत विशेष रूप से संचार संबंधी सर्वेक्षण के तहत एक आदर्श प्रतिदर्श वह है जो कुशलता, प्रतिनिधित्वपूर्णता, विश्वसनीयता प्रामाणिकता तथा लचीलेपन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आदर्श प्रतिदर्श वह है, जो प्रत्येक प्रतिदर्शन इकाई पर न्यूनतम समय, धन, ऊर्जा व प्रयासों का व्यय करने पर अधिकतम लाभपूर्ण सूचना प्रदान करें।

14.5 एक अच्छे निदर्शन की विशेषताएं

आदर्श या एक अच्छे निदर्शन की विशेषता होती है कि वह समग्र का वास्तविक प्रतिनिधि हो। लुण्डवर्ग के अनुसार 'निदर्शन का प्रतिनिधित्वपूर्ण होना या न होना अध्ययन विषय के तथ्यों में एकरुपता की मात्रा तथा निदर्शन के चुनाव की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। निदर्शन का आकार एवं उसके समग्र की प्रतिनिधित्वपूर्णता एक-दूसरे के समानुपाती होती है। निदर्शन का आकार उसकी प्रतिनिधित्वता की कोई आवश्यक गारण्टी नहीं है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के चुनाव, व्यक्तिगत स्वार्थ, असावधानी, इकाइयों का प्रतिनिधित्व, इच्छा आदि के कारण निदर्शन में पक्षपात आ जाता है। इसलिए निदर्शन को पक्षपात एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। निदर्शन का आकार संसाधनों के अनुसार होना चाहिए। एक अच्छे निदर्शन की एक पहचान है कि वह सामान्य ज्ञान एवं तर्कों पर आधारित हो। उसे व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित होना चाहिए।

14.6 निदर्शन प्रक्रिया के मुख्य चरण

निदर्शनों का चयन करते समय शोधकर्ता को सबसे पहले समग्र का निर्धारण करना पड़ता है। इसके बाद निदर्शन की इकाई का निर्धारण साधन सूची के अनुसार करनी चाहिए। निदर्शन इकाई के बाद उसका आकार का निर्धारण करना चाहिए। इसी

क्रम में निदर्शन पद्धति का चुनाव कर निदर्शन का चयन करना चाहिए।

14.7 निदर्शन पद्धति के गुण

मीडिया शोध में निदर्शन पद्धति का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाने लगा है।

(1) इस पद्धति से जनगणना पद्धति की तुलना में समय की बचत होती है क्योंकि इसमें समग्र का केवल एक अंश या भाग लिया जाता है।

(2) इस पद्धति में शोधकर्त्ता का ध्यान कुछ निश्चित बिन्दुओं पर निर्भर करता है, इसलिए गहन अध्ययन किया जा सकता है। गहन अध्ययन के कारण परिणाम शुद्धता के निकट होता है।

(3) निदर्शन पद्धति में कम इकाइयों की वजह से उनका संगठन, आयोजन एवं प्रबन्धन अत्यन्त ही सरल व सहज हो जाता है।

(4) इस पद्धति से धन व ऊर्जा की बचत होती है कारण कि इसमें समग्र का एक टुकड़ा ही अध्ययन के लिए लिया जाता है।

(5) हर व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना मुश्किल है, ऐसी स्थिति में निदर्शन ही एकमात्र पद्धति है, जिसके द्वारा जटिल मीडिया शोध संभव है।

14.8 निदर्शन पद्धति के दोष एवं सीमाएं

इस पद्धति के अनेक व्यावहारिक लाभ होते हुए दोष हैं, जो निम्नवत् हैं :-

प्रतिनिधित्व की समस्या–निदर्शन की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता का सबसे बड़ा आधार उसका प्रतिनिधित्वपूर्ण गुण है। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि सामाजिक इकाइयों में भिन्नता और विविधता बहुत अधिक होती है क्योंकि उत्तरदाताओं में भिन्नता और विभिन्नता बहुत अधिक होती है। यह भिन्नता और विविधता जितनी अधिक होगी, प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन का चुनाव उतना ही कठिन हो जाता है।

पक्षपात की संभावना–निदर्शन के चुनाव में पक्षपात की पूर्ण सम्भावना होती है– खासकर उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति में। इसमें अनुसंधान के तमाम परिणाम अत्यंत भ्रामक एवं मिथ्यापूर्ण होंगे।

विशेष ज्ञान की जरूरत– निदर्शन प्रणाली सुनने में जितनी सरल व सहज लगती है, व्यावहारिक दृष्टि से उतनी ही जटिल है। थोड़ी सी असावधानी बरतने से इसकी प्रतिनिधित्व पूर्णता नष्ट हो जाती है। इस पद्धति का प्रयोग करने के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है।

निदर्शन पर कायम रहने में कठिनाई– निदर्शन में कम इकाइयां होने पर सम्पर्क की कठिनाई, भौगोलिक पृथकता अथवा पर्दाप्रथा आदि ऐसे कारण हो सकते हैं, जिससे निदर्शन की चुनी हुई इकाईयों पर स्थिर रहना कठिन हो जाता है।

14.9 सारांश

अध्ययन क्षेत्र में समग्र की सम्पूर्णता का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि समग्र में से कुछ ऐसी इकाइयां चुन ली जाती हैं, जिसमें समस्त इकाइयों के सभी गुण विद्यमान हों। उदाहरण के लिए यदि हम समाचार पत्र में कार्यरत समस्त पत्रकारों का अध्ययन न करके कुछ एसे चुने हुए पत्रकारों का अध्ययन करें जो सारे पत्रकारों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करें। इस. प्रकार समग्र का अध्ययन न करके उसके एक चुने हुए भाग का अध्ययन करना 'निदर्शन पद्धति' के द्वारा अध्ययन करना कहलाता है।

14.10 शब्दावली

समग्र–सम्पूर्ण इकाई

अंश–कुछ इकाई

निदर्शन या प्रतिदर्शन–किसी सम्पूर्ण समूह का एक ऐसा भाग है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता हो।

14.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. रवीन्द्रनाथ मुखर्जी : सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी

2. डा० मनोज दयाल : मीडिया शोध प्रकाशक हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूल

3. डा० अर्जुन तिवारी : सम्पूर्ण पत्रकारिता

14.12 सम्बन्धित प्रश्न

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. निदर्शन क्या है? स्पष्ट कीजिए।

2. निदर्शन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिये।

3. निदर्शन के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए

4. निदर्शन की क्या सीमाएं हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

(1) निदर्शन एक शोध पद्धति है। इसकी विशद विवेचना कीजिए।

(2 निदर्शन पद्धति के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालिए।

(3) सिद्ध कीजिए कि निदर्शन एक व्यावहारिक पद्धति है।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

(1) निदर्शन पद्धति से अध्ययन किया जाता है

(क) समग्र का

(ख) कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का

(ग) सम्पूर्ण इकाइयों का

(घ) इनमें से कोई नहीं

(2) शोधकर्ता ने एक समाचार पत्र के सिर्फ कुछ पत्रकारों पर अध्ययन किया। यह पद्धति है

(क) निदर्शन

(ख) जनगणना

(ग) प्रायोगिक

(घ) सभी उपर्युक्त

(3) निदर्शन का अर्थ है–

(क) सामान्य

(ख) विशिष्ट

(ग) समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयां

(घ) कुछ का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयां

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर

1. (ख)
2. (क)
3. (ग)

इकाई-15 मीडिया की विधाएँ और शोध

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 मीडिया शोध और प्रिंट मीडिया

15.2.1 रीडरशिप शोध

15.2.2 प्रसार शोध

15.2.3 पत्र प्रबंधन शोध

15.2.4 साज-सज्जा शोध

15.2.5 पठनीयता शोध

15.3 इलेक्ट्रानिक मीडिया शोध

15.3.1 रेटिंग शोध

15.3.2 नान रेटिंग शोध

15.4 संगीत शोध

15.5 मीडिया शोध और रिपोर्टिंग

15.6 विज्ञापन शोध

15.7 जनसम्पर्क शोध

15.7.1 अन्वेषणात्मक शोध

15.7.2 निदानात्मक शोध

15.8 प्रतिपुष्टि

15.9 सारांश

15.10 शब्दावली

15.11 संदर्भ ग्रंथ

15.12 प्रश्नावली

15.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आपको ज्ञात होगा कि

(1) रिपोर्टिंग में शोध का क्या महत्व है ?

(2) प्रिंट मीडिया में शोध कैसे हो सकता है ?

(3) इलेक्ट्रानिक मीडिया शोध से कैसे लोकप्रिय हो चला है ?

(4) जनसम्पर्क में शोध की क्या महत्ता है ?

(5) विज्ञापन क्षेत्र में शोध की आवश्यकता क्यों है?

15.1 प्रस्तावना

मीडिया शोध के तकनीकी पक्ष को जान लेने के बाद यह जानना आवश्यक है कि पत्रकारिता की विभिन्न विधाओं में शोध कार्य की क्या उपयोगिता है। कहा जाता है कि 'जीवनं सत्य शोधनम्' (जीवन सत्य शोध का ही पर्याय है। जीवन से सम्पृक्त पत्रकारिता भी नित्य प्रति शोध कार्य से संश्लिष्ट है। रिपोर्टिंग, एडिटिंग, प्रतिपुष्टि, जनसम्पर्क, विज्ञापन क्षेत्र में, शोध की प्रवृत्ति से नवोन्मेष हो रहा है। दिन प्रतिदिन आश्चर्यजनक तथ्यों का उद्घाटन मीडिया शोध का ही सुपरिणाम है।

15.2 मीडिया शोध और प्रिंट मीडिया

प्रिंट मीडिया शोध में उन्हीं नियमों, सिद्धान्तों, विधियों, प्रविधियों एवं पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जो सामाजिक शोध में भी प्रयुक्त होती है। प्रिन्ट मीडिया शोध आज इसलिए नये क्षितिज को स्पर्श कर रहा है, क्योंकि इसमें अधिक व्यावहारिक क्रियात्मक शोध की संभावनाएं हैं।

मीडिया शोध के अन्तर्गत सर्वप्रथम समाचारपत्र शोध एवं पत्रिका शोध ही विकसित किये गये हैं सबसे पहले इस प्रकार के शोध का बीजारोपण महविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हुआ। वर्ष 1924 में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन स्कूल्स एवं वहां के पत्रकारिता विभागों द्वारा 'जर्नलिज्म बुलेटिन' का प्रकाशन किया गया, जिसके प्रथमांक में ही विलियम ब्लेयर द्वारा लिखित एक लेख प्रकाशित हुआ। इस आलेख का शीर्षक था 'रिसर्च प्रोबलम्स एवं न्यूजपेपर्स एनालिसिस'। इसमें पत्रकारिकता में शोध की विविध संभावित समस्याओं की एक सूची भी प्रकाशित की गयी थी

1930 के दशक में प्रिंट मीडिया विज्ञापन में संबंधित अनगिनत शोधलेख प्रकाशित हुए। जैसे-जैसे मात्रात्मक शोध की विधियां-प्रविधियाँ अधिक स्वीकार की जानें लगीं, वैसे-वैसे समाचार पत्र एवं पत्रिका के शोध अधिक प्रायोगिक होने लगे। सबसे पहले वर्ष 1957 में इस प्रवृत्ति के विकास को जाने-माने संचार वैज्ञानिक विलवर श्रेम द्वारा 'पब्लिक ओपीनियन क्वार्टरली' में प्रकाशित शोधों में अवलोकित किया गया। विलवर श्रेम ने 'जर्नलिज्म क्वार्टरली' में पिछले 20 वर्षों में प्रकाशित शोधों का समीक्षात्मक अध्ययन किया।

वर्ष 1960 में समाचारपत्र एवं पत्रिका की प्रतिस्पर्धा रेडियो एवं टेलीविजन से बढ़ने लगी। इस कारण समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने अधिक पाठकों का ध्यानाकर्षित किया तथा विज्ञापकों ने इन क्षेत्रों में अपने पूंजी निवेश बढाये। इन्हीं कारणों से निजी क्षेत्रों में प्रिंट मीडिया शोध में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। साथ-साथ 1970 के दशक में 'न्यूज रिसर्च सेन्टर' की स्थापना हुई। इसने प्रिन्ट मीडिया में समाचार शोध को नयी दिशा दी। वर्ष 1976 में घटती हुई प्रसार संख्या व पठनीयता के अध्ययन के लिये' न्यूजपेपर रीडरशिप प्रोजेक्ट' की स्थापना की गयी। प्रिंट मीडिया शोध में शिक्षाविदों की बढ़ती हुई रुचि-अभिरूचि के कारण वर्ष 1979 में 'न्यूजपेपर रिसर्च जर्नल' का प्रकाशन आरंभ

हुआ। यह समाचार पत्र में प्रबंध में संबंधित व्यावहारिक एवं क्रियात्मक शोध पर केन्द्रित था।

वर्ष 1991 में बोगार्ट ने रीडरशिप प्रोजेक्ट का संपूर्ण इतिहास प्रस्तुत किया। वास्तव में वर्ष 1977 में न्यूजपेपर रिचर्स काउंसिल की स्थापना न्यूजपेपर एडवर्टाइजिंग ब्यूरो के उपसमूह के रूप में हुई, जिसके आरंभ में मात्र 75 सदस्य थे। वर्ष 1992 तक इस उप-समूह में सदस्यों की संख्या बढ़कर 200 तक पहुँच गयी। वर्ष 1992 के ही अंतिम माह में 'न्यूजपेपर एडवरटाइजिंग ब्यूरो' का अमेरिकन न्यूजपेपर पब्लिशर्स एसोसियेशन में विलय हो गया। कालांतर में दुनिया के लगभग उन सभी समाचार पत्रों के पास अपना पूर्णरूपेण एवं पृथक् शोध विभाग स्थापित हुआ जिसकी प्रसार संख्या एक लाख से अधिक थी। पत्रिका के साथ-साथ लगभग ऐसे ही हुआ और इनके भी अपने पृथक् एवं पूर्णरुपेण शोध विभागों का गठन होने लगा।

आर0 डी0 वीमर-एवं जे0 आर0 डोमिनिक ने प्रिंट मीडिया शोध के मुंख्यतः निम्नलिखित पांच प्रकार के शोधों में बांटा है-:

1- रीडरशिप शोध

2- प्रसार शोध

3- समाचार पत्र प्रबंध शोध

3- टाइपोग्राफी एवं साज-सज्जा शोध

5- पठनीयता शोध

15.2.1 रीडरशिप शोध

अमेरिका में अनेक रीडरशिप शोध किये गये। जार्ज गैलोप संगठन के इस प्रकार के शोध विधि के विकास का जनक माना जाता है, जिसमें पाठकों को समाचारपत्र की प्रतियाँ दिखाई गयीं और उन आलेखों को पहचानने को कहा गया, जिन्हें न लोगों ने पढ़ा था। 1960 एवं 1970 के दशक में रीडरशिप शोध प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि महानगरों में समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं की प्रसार संख्या व पठनीयता घटने लगी।

1990 के दशक की दुर्बल अर्थव्यवस्था एवं अन्य माध्यमों से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा ने रीडरशिप शोध को महत्वपूर्ण बना दिया है। रीडरशिप शोध का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापकता एवं विस्तृत है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि समाचार पत्र एवं पत्रिका कौन पढ़ता है ? किस प्रकार के पाठक को किस प्रकार से संतुष्टि मिलती है? पाठक इन्हें कितनी देर पढ़ता है?

15.2.2 प्रसार शोध

प्रसार शोध का संबंध समाचारपत्र एवं पत्रिका दोनों से है। पहले प्रकार के प्रसार शोधका संबंध पाठकों के एक विशेष समूह से है, जबकि दूसरे प्रकार शोध का संबंध एक अन्य एवं विशिष्ट पाठक वर्ग से है। दोनों ही स्थितियों में विभिन्न पहलुओं, इनके मूल्य निर्धारण एवं वितरकों को दिये जाने वाले लाभांशों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें पूर्व परीक्षण, पश्चात् तत्काल परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, पहचान परीक्षण, स्मरण परीक्षण, पैमाना परीक्षण आदि का प्रयोग किया जाता है।

15.2.3 पत्र प्रबंधन शोध

1990 के दशक में यह पाया गया कि समाचार पत्र प्रबंध में शोध का त्वरित गति से विकास हुआ। समाचार पत्र संगठनों का आकार व्यापक हो गया। इससे एक जटिल प्रबंधन संरचना का निर्माण हुआ। दूसरा, मीडिया में प्रतिस्पर्धा तीव्रतर हो गयी। इस प्रतियोगी माहौल में उन समाचार पत्रों को अधिक लाभ मिलता, जिनके पास दक्षतापूर्ण प्रबंधकीय तकनीक उपलब्ध थी। तीसरा, समाचारपत्र उद्योग दक्ष एवं व्यावसायिक मीडिया कर्मियों पर अधिक आश्रित होने लगा। प्रबंधन अपने मीडिया कर्मियों एवं मीडिया व्यावसायियों के लक्ष्य निर्धारण एवं व्यावसायिक संतुष्टि के लिए व्यावहारिक एवं क्रियात्मक शोध का सहारा लेने लगे। दुर्बल विज्ञापन नीतियों एवं पद्धतियों ने इस संगठनों को असहनीय नुकसान पहुँचाया। इसके चलते अन्ततोगत्वा प्रबंधन को शोध का सहारा लेना पड़ा, ताकि अधिक दक्षतापूर्वक संगठन का संचालन हो सके।

15.2.4 साज-सज्जा शोध

इस प्रकार के शोध के अंतर्गत शोधकर्ता विभिन्न टाइपोग्राफी एवं साज-सज्जा तत्वों का परीक्षण करता है। टाइपोग्राफी एवं साज-सज्जा के अध्ययन के प्रयोगात्मक विधि को प्राय: अपनाया जाता है। दूसरी ओर, ग्राफिक्स का प्रभाव पाठकों पर देखा गया और पाया गया कि इसके परिणाम काफी ठोस, टिकाऊ एवं स्थायी हैं। टाइपोग्राफी एवं साज-सज्जा का अध्ययन विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के डिजाइन तत्वों का पाठकों की समाचार प्राथमिकता पर प्रभाव देखने के लिए किया जाता है।

15.2.5 पठनीयता शोध

पठनीयता शोध प्रिंट मीडिया शोध का एक अभिन्न अंग है। इसके अन्तर्गत एक समाचारपत्र या पत्रिका के पाठक की संख्या निर्धारित की जाती है तथा पाठक की ऐसी संख्या बढ़ाने में कौन-कौन से तत्व प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण हैं, यह जानना भी इस शोध में उपयोगी, सार्थक एवं प्रासंगिक है। इसलिये पठनीयता को ग्रहणशीलता के विभिन्न तत्वों का कुल योग भी कहा जाता है जिसके भिन्न-भिन्न सूत्र प्रयोग में लाये जाते हैं।

15.3 इलेक्ट्रानिक मीडिया शोध

शोध विधियों, प्रविधियों, पद्धतियों एवं तकनीकों में त्वरित विकास के कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शोध प्रगति पर है। यद्यपि प्रसारण, मीडिया शोध का तुलनात्मक रूप से नया क्षेत्र है, यथापि इसके शोध क्षेत्र व आयाम अल्पावधि में ही काफी विकसित हो गये हैं। वास्तव में रेडियो के लिए विज्ञापन को स्वीकृति प्रदान करना ही इलेक्ट्रानिक मीडिया शोध के विकास में प्रथम चरण है। प्रसारण शोध का बीजारोपण करने वाले प्रसारक नहीं, बल्कि विज्ञापक हैं।

इलेक्ट्रानिक मीडिया शोध दो श्रेणियों में वर्गीकृत है :

1- रेटिंग शोध

2- नान रेटिंग शोध

15.3.1 रेटिंग शोध

रेटिंग प्रसारण शोध की महत्वपूर्ण विधि है। इसकी उपयोगिता एवं सार्थकता सही समय पर सही निर्णय लेने में है। रेटिंग तथ्यों को संकलित करने का सर्वप्रमुख यंत्र है - इलेक्ट्रानिक रेटिंग संग्रहण यंत्र, जिसे विशेषकर आडिमीटर कहा जाता है। आडिमीटर का निर्माण नेल्सन द्वारा किया गया था। रेटिंग तथ्यों को संगृहीत करने का दूसरा महत्वपूर्ण यंत्र है - डायरी। डायरी का प्रयोग रेडियो और टेलीविजन दोनों के लिए ही किया जाता है। इसक महत्ता इसलिए भी है कि जो काम आडिमीटर नहीं कर सकता वह काम डायरी काफी आसानी से कर लेती है। रेटिंग तथ्यों को संकलित करने का तीसरा महत्त्वपूर्ण यंत्र है- टेलीफोन।

नेल्सन एवं अरविट्रॉन ने विशेष प्रकार के रेटिंग अध्ययन के लिए टेलीफोन को ही उपयुक्त एवं बतलाया। वास्तव में टेलीफोन का प्रयोग दैव निदर्शन पद्धति से सरलता एवं सहजापूर्वक किया जा सकता है। रेटिंग तथ्यों को संगृहीत करने का चौथा महत्त्वपूर्ण यंत्र है-पीपुल मीटर्स। पीपुल मीटर्स से यह आसानी से पता चलाया जा सकता है कि किसी टेलीविजन सेट को कितने लोग देख रहे हैं? साथ-साथ वे लोग कौन-सा कार्यक्रम एवं कौन-सा चैनल देख रहे हैं?

15.3.2 नॉन रेटिंग शोध

नॉन-रेटिंग शोध का प्रयोग सभी प्रकार के बाजारों के अध्ययन में किया जाता हैं। यह शोध बाजारों की स्थिति का शोध करने में काफी प्रासंगिक है। इसी कारण से सभी प्रकार के प्रसारक एवं केबल प्रबंधक हर निर्णय प्रक्रिया में इस शोध का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रबंधन विभाग में नॉन-रेटिंग शोध को काफी गंभीरतापूर्वक लिया जाता है। साथ-साथ यह इलेक्ट्रानिक मीडिया के विविध कार्यक्रमों में अत्यंत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण एवं प्रभावी यंक्ष के रूप में प्रयुक्त होता है।

किसी भी कार्यक्रम के उत्पादन के विभिन्न चरणों में उसका परीक्षण करना प्रभावशील उत्पादकता की दृष्टि से वाछनीय समझा जाता है। किसी कार्यक्रम के चयन, गेट कीपिंग, मूल्यांकन, प्रक्रिया, प्रस्तुति के पश्चात् हर अवस्था में उसका वैज्ञानिक रीति से परीक्षण करके संपूर्ण कार्यक्रम को स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगी, प्रासंगिक एवं प्रभावी बनाया जाता है। प्रसारण केन्द्रों द्वारा भी इस प्रकार का परीक्षण एवं प्रयोग किया जाने लगा है।

व्यापारिक पहलुओ का परीक्षण केन्द्रित समूह, सापिंग केन्द्र एवं आडिटोरियम प्रकार की स्थिति में भी किया जा सकता है। प्रायः व्यापार से संबंधित कार्यक्रम को टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाता है, जब तक कि फीड फारवर्ड के तहत अलग-अलग परिस्थितियों में उसकी परीक्षण न कर लिया जाये। प्रयोजन करने वाले भी, चाहे वे रेडियो से जुडे. हों या टेलीविजन से, वे गलत संदेश श्रोताओं या दर्शकों तक नहीं पहुँचाना चाहते।

15.4 संगीत शोध

संगीत कार्यक्रम का एक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण अवयव है। इसलिए फीडफारवार्ड प्रक्रिया में इस बात को गंभीरता से देखा जाता है कि कार्यक्रम के साथ कौन-सा गाना रहेगा और कौन-सा नहीं रहेगा। संगीत कब, कहाँ और कितना होगा? संगीत के दो महत्वपूर्ण परीक्षण हैं जिन्हें आडिटोरियम संगीत परीक्षण एवं काल-आउट शोध कहा जाता है। आडिटोरियम संगीत परीक्षण में यह देखा जाता है कि कौन-सा गाना नवीनतम् है एवं कौन-सा गाना निवर्तमान हो चुका है। काल-आउट शोध का प्रयोग संगत एवं धुन के लिये किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन-सा संगीत एवं धुन कब और कहाँ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। आडिटोरियम संगीत परीक्षण एवं काल-आउट शोध दोनों ही कार्यक्रम निदेशक या संगीत निदेशक के लिये समान रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा दोनों के द्वारा एक ही उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है।

15.5 मीडिया शोध और रिपोर्टिंग

मीडिया शोध का उद्देश्य मीडिया से संबंधित अवयवो, प्रकियाओं क्षेत्रों तथ्यों,घटनाओं आदि के संदर्भ मे सत्य की खोज करना है वही दूसरी ओर रिपोर्टिंग चाहे वह प्रिंट मीडिया के लिए हो, या इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिये हो, हर परिस्थिति में यहॉ भी सत्य की खोज वैज्ञानिक तरीके से करनी होती है मीडिया शोध मे अनुसंधानकर्ता , तथ्यपरकता, संतुलन एवं वस्तुनिष्ठता का विशेष ध्यान रखता है। ताकि परिणामो मे अभिमति एवं पक्षपात न आ जाये। रिपोर्टिंग मे भी तथ्यपरकता, संतुलन एवं वस्तुनिष्ठता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि निष्कर्ष अभिमतिपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण न हो। इसलिए रिपोर्टिंग की भी विधियॉं एवं प्रणालियाँ वही होती है जो मीडिया शोध की होती है।

मीडिया शोध के डेड लाइन की अवधि काफी बड़ी होती है, जबकि रिपोर्टिंग के डेड लाइन की अवधि काफी छोटी होती है। इसलिए इतने कम समय मे मीडिया शोध की विभिन्न पद्धतियों एवं प्रणालियो को कई बार रिपोर्टिंग मे विस्तृत एवं व्यापक रूप मे लागू कर पाना न केवल मुश्किल बल्कि जटिल एवं समस्यापूर्ण भी हो जाता है। रिपोर्टिंग यदि दैनिक समाचार पत्र या समाचार समिति के लिए हो तो डेड लाइन की अवधि और भी अत्यल्प हो जाती है। यदि रिपोर्टिंग साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक समाचार पत्र, पत्रिका आदि के लिये हो, तो डेड लाइन की सीमा बढ़ जाती है।

दैनिक समाचारपत्रो में भी आजकल यह प्रवृत्ति तेजी से विकसित हो रही हैकि वे नॉन वी.आई.पी. रिपोर्टिंग करने लगे है।, जिसमें पाठकों का सर्वेक्षण करके पाठको से यह जानना चाहते है कि भारत का अगला संभावित प्रधानमंत्री कौन है? या भारत का सबसे लोकप्रिय किकेट खिलाड़ी कौन है? या सबसे कम विवादित नेता कौन है? क्या बलात्कारियो को मौत की सजा मिलनी चहिये? या सबसे अधिक लोकप्रिय फिल्म अभिनेता कौन है? या सबसे सुन्दर फिल्म अभिनेत्री कौन है? आदि। आजकल इस प्रकार के सर्वेक्षण मे आँकड़ो का संकलन करने मे इंटरनेट का प्रयोग भी धड़ल्ले से हो रहा है और इसमे पाठको की सहभागिता त्वरित गति से बढ. रही है।

दैनिक समाचार पत्र पाठको का चुनाव के दौरान भी सर्वेक्षण करते है और यह पता लगाते है कि पाठको की राय मे किस पार्टी को बहुमत मिलेगा या संयुक्त पार्टी की सरकार बनेगी? इस दौरान ये दैनिक समाचारपत्र पाठको पर चुनाव पूर्व सर्वेक्षण करते है। तात्पर्य यह कि इन सभी प्रकार के सर्वेक्षणो के पूर्व एवं उपरांत मीडिया शोध की विभिन्न पद्वतियो जैसे निदर्शन पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सांख्यिकीय पद्धति , अवलोकन पद्धति वैज्ञानिक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, अंतर्वस्तु विश्लेषण कैंप पद्धति, संभावना का गणितीय सिद्धान्त आदि तथा मीडिया शोध की विभिन्न प्रणालियो में किया जाता है। बाद में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय माध्य एवं विचरण की माप के माध्यम से किया जाता है।

मनकेकर ने लिखा था कि जब भी भारत मे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गयी तो यह लड़ाई मात्र मालिको एवं संपादको की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई बनकर रह गयी। उन्होने लिखा कि आम पाठको के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो दूर उन्हें अभिव्यक्ति का ही मौका नही मिलता। मनकेकर का मानना है कि पत्रकारिता शोषितों पीड़ितों और प्रताड़ितों के लिये होनी चाहिए। पत्रकारों को उनके लिये लिखना चाहिए, जो नहीं लिख सकता है, उनके लिये लड़ना चाहिये, जो नही लड़ सकता है, उनके लिये बोलना चाहिए जो नही बोल सकता है, उनके लिए रोना चाहिये जो नही रो सकता है।

इलेक्ट्रानिक मीडिया का शोध अदभुत होता है। इसके हर क्षेत्र मे अलग अलग प्रकार के शोध की आवश्यकता होती है। इसलिये इसके अंतर्गत विपणन शोध, फारमैट शोध, प्रोग्राम शोध , उपभोक्ता शोध, केद्रित समूह शोध, लक्षित जनसमूह शोध, स्टेशन शोध, छवि शोध, व्यक्तित्व शोध, विज्ञापन शोध, मात्रात्मक शोध, एवं गुणात्मक शोध आते है। इन सबकी अलग अलग परिस्थितियों मे अलग अलग प्रकार से उपयोगिता , प्रासंगिकता एवं सार्थकता सिद्ध होती है। इसका इस्तेमाल सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक, विवरणाात्मक, व्यावसायिक एवं पेशेवर विधियों को संतुलन बिंदु पर लाकर किया जाता है।

15.6 विज्ञापन शोध

मीडिया शोध के अंतर्गत इसके संप्रेषणीय पहलुओं को अधिक लिया जाता है। विपणन शोध के अंतर्गत इसके प्रबंधकीय, योजनात्मक एवं वाणिज्य बिंदुओ को अधिक उजागर किया

जाता है। इसलिये विज्ञापन शोध को न केवल पाठक/श्रोता/दर्शक केद्रित कहा जाता है, बल्कि उपभोक्ता/ केता केद्रित भी कहा जाता है।

मीडिया शोध हो या विपणन शोध, दोनो के अन्तर्गत ही विज्ञापन शोध के विभिन्न पहलुओं को विषयानुसार एवं समयानुसार एक संतुलन बिन्दु पर लाकर अध्ययन करना वांछनीय समझा जाता है। विज्ञापन शोध की बहुआयामी प्रासंगिकता के कारण इसकी व्यापकता एवं विशालता त्वरित गति से बढ़ती जा रही है। विज्ञापन को आज सर्वशक्तिमान एवं सर्वत्र विद्यमान समझा जाने लगा है। इसलिये कहा भी जाता है विज्ञापन वह है जो गंजे को कंघी खरीदने के लिए विवश करे। यह भी कहा जाता है कि विज्ञापन के बिना व्यापार करना अंधेरे मे तीरंदाजी करने जैसा है।

इसलिये यह प्रश्न उठता है कि क्या विज्ञापन व्यय एवं विज्ञापन की प्रभावशीलता एक दूसरे के समानुपाती है? इस बात की आंशिक सत्यता एवं आंशिक मिथ्या की स्थिति में विज्ञापन शोध की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। विज्ञापन वह विद्या है जिससे किसी के मस्तिष्क को तब तक जकड़ दिया जाता है जब तक कि उसके जेब से पैसे न निकल जायं ।

अतः विज्ञापन के विभिन्न क्षेत्रो मे विज्ञापन व्यय, विज्ञापन श्रम, विज्ञापन उर्जा, विज्ञापन समय को विज्ञापन प्रभावशीलता से समानुपाती या अधिकतम उपयोगी बनाने के लिए जो कमबद्ध एवं वैज्ञानिक स्वरूप अपनाया जाता है, उसे ही विज्ञापन शोध कहा जाता है। उसे मूल्यांकन शोध या प्रभावशीलता शोध भी कहा जाता है।

विज्ञापन शोध मूलतः व्यावहारिक एवं क्रियात्मक होता है, जिसमे प्रायः प्रयोगशाला सर्वेक्षण क्षेत्र शोध एवं अंतर्वस्तु विश्लेषण होता है।

15.7 जनसंपर्क शोध

जनसंपर्क की कला एवं विधा उतनी ही पुरानी है,जितना पुराना मानव जीवन। जनसंपर्क एक लम्बे समय तक शोधात्मक स्वरूप को ग्रहण नही कर सका एवं तर्क, वितर्क तथा कुतर्क के बीच झूलता रहा। आज जनसंपर्क को प्रभावी बनाने, इसकी उपयोगिता को सार्थक सिद्ध करने एवं न्यूनतम धन, समय, शक्ति संसाधन व लागत से अधिकतम लाभकारी बनाने के लिये जनसंपर्क शोध की आवश्यकता गंभीरता पूर्वक महसूस की जाने लगी है। हाल के कुछेक वर्षो मे जनसंपर्क पर जितने भी शोध हुए है उनमे अधिकांश व्यावहारिक एवं कियात्मक है। लीन्डेनमैन ने पाया कि 75 प्रतिशत जनसंपर्क कर्मियो ने स्वीकारा है कि शोध जनसंपर्क प्रकिया का एक अभिन्न अंग है। इसके निम्नलिखित दो रूप हैं :-

15.7.1 अन्वेषणात्मक शोध

यदि किसी शोध योजना का उददेश्य किसी जनसंपर्क की घटनाओ में अंतर्निहित कारणों य विचारों को खोज निकालना है, तो उससे संबंधित रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध कहते है। जनसंपर्क से संबंधित अन्वेषणात्मक शोध मे इसके विभिन्न कार्यो की चर्चा करना यहाँ वांछनीय है। इसे निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. जनसंपर्क शोध समस्या के महत्व पर प्रकाश डालना तथा **संबंधित विषय पर शोधकर्ताओं** का ध्यानाकर्षित करना।

2. पूर्व निर्धारित परिकल्पनाओ का तात्कालिक दशाओं में **परीक्षण करना।**

3. भिन्न-भिन्न शोध पद्धतियों की उपयुक्तता की संभावनाओ को स्पष्ट करना।

4. शोध कार्य में संबंधित अनिश्चित दशाओं को एक निश्चित रूप देना।

5. जनसपर्क में नवीन शोध कार्यो को एक निश्श्चि दिशा प्रदान करने के लिए नवीन परिकल्पनाओ को विकसित करना।

6. जनसंपर्क की किसी विशेष समस्या जैसे लोगो की बदलती मनोवृत्ति, जनमत आदि के व्यापक एवं गहन अध्ययन के लिये एक व्यावहारिक आधारशिला तैयार करना।

15.7.2 निदानात्मक शोध

चूँकि जनसम्पर्क शोध भी एक व्यावहारिक एवं कियात्मक शोध है, इसलिए इसमे भी जनसम्पर्क की समस्या, मनोवृत्ति में सकारात्मक बदलाव की समस्या, जनमत सर्वेक्षण की समस्या आदि के कारण का अध्ययन करके निदानात्मक शोध की तरह समाधान कार्य में न जुटकर जनसंपर्क प्रबंधकों आयोजको, पी.आर.एस.आई. आदि का प्रत्यक्षतः या परोक्षतः ध्यान इन समस्याओ की ओर खीचा जाता है।

जनसंपर्क के संदर्भ मे यहाँ निदानात्मक शोध की प्रकृति की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं को यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है ।

1. जनसंपर्क मे निदानात्मक शोध का उददेश्य मुख्यतः जनसंपर्क की किसी विशेष समस्या अथवा समस्याओ के समाधान के लिये व्यावहारिक आधार प्रस्तुत करना होता है।

2. निदानात्मक शोध के प्रथम चरण मे ही एकाधिक परिकल्पनाओ का निर्माण कर लिया जाता है, जिससे अध्ययन को सही दिशा प्राप्त हो।

15.8 प्रतिपुष्टि

जब स्रोत कोई ध्वनि उत्पन्न करता है, या लिखकर संदेश भेजता है या अपने शारीरिक अवयवों को समायोजित करके कोई संदेश प्रेषित करता है, तो संग्राहक कुछ बोले या न बोले, उसके शारीरिक समायोजन में स्वतः कुछ परिवर्तन आने लग जाता है। यह परिवर्तन उसके मुखड़े पर, सिर पर हाथ आदि पर साफ देखने को मिलता है यह संग्राहक की प्रत्युत्तेजना है। संग्राहक की कोई भी प्रत्युत्तेजना की कोई भी प्रत्युत्तेजना चाहे वह शाब्दिक हो या अशाब्दिक, उसे प्रतिपुष्टि कहते है। यह प्रतिपुष्टि कहते हैं यह प्रतिपुष्टि सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है। जब प्रतिपुष्टि से यह पता चलता है कि स्रोत के इच्छित संदेश संग्राहक तक पूर्णतः या अंशतः पहुंच गये है, तो उसे सकारात्मक प्रतिपूष्टि कहते हैं। जब श्रोता या दर्शक जो जोर

से तालिया बजाने लगे तो उस परिस्थिति में भी प्रतिपुष्टि सकारात्मक होने के संकेत मिलते हैं। दूसरी ओर जब यह पता चलता है कि स्रोत के इच्छित संदेश को संग्राहक ने गलत ढंग से ग्रहण **कर लिया है, तो उसे नकारात्मक प्रतिपुष्टि कहते है।** जब श्रोता या दर्शक वक्ता पर जूते चप्पल **चलाने लग जायें तो उस परिस्थिति में भी प्रतिपुष्टि नकारात्मक होने के संदेश मिलते हैं।**

प्रतिपुष्टि की प्रभावशीलता संचार के स्वरूप पर निर्भर करती है । यदि संचार अन्तर वैयक्तिक है तो प्रतिपुष्टि हर क्षण, हर पल एवं हर वक्त सकारात्मक होने की संभावना रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि संचार में केवल एक ही व्यक्ति या इकाई होती है। इस परिस्थिति में स्रोत ही संग्राहक की भी भूमिका निभाता है। इसलिये इनकोडिंग डिकोडिग, की समानता बरकरार रहती है। संचार मे अवरोध नगण्य होता है। खुद का दृष्टिकोण, अवधारणा या सोच,खुद को स्वीकार करना है। खुद की संस्कृति , खुद के लिये समझना सरलतम होता है। अतः अंतरावैयक्तिक संचार मे प्रतिपुष्टि की बारम्बारता , प्रभावशीलता एवं सकारात्मकता अधिकतम रहने की संभावना होती है।

यदि समूह संचार है, जिसमे दो या दो से अधिक व्यक्ति या इकाई हो सकते है, तो प्रतिपुष्टि की अंतरंगता, तात्कालिकता, प्रत्यक्षता एवं बारम्बारता घटने लगती है। प्रतिपुष्टि की अंतरंगता, तात्कालिकता, प्रत्यक्षता, बारम्बारता एवं प्रभावशीलता समूह के आकार के समानुपाती होती है।यदि समूह छोटा है, तो अन्य परिस्थितियो के समान रहने पर प्रतिपुष्टि की अंतरंगता तात्कालिकता, प्रत्यक्षता, बारम्बारता एवं प्रभावशीलता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है।

15.9 सारांश

आजकल की पत्रकारिता विशिष्ट एवं प्रतियोगितात्मक हो चली है। खोजी पत्रकारिता , अन्वेषणात्मक पत्रकारिता में गहन चिन्तन मनन अनुसंधान की अपेक्षा होती है। मीडिया में रिपोर्टिंग की कला मे शोधात्मक दृष्टि की आवश्यकता है। 'जो देखा,वह लिख दिया' यह पत्रकारिता नहीं है, अपितु जहाँ किसी की नजर न जाए, वहाँ हमारे रिपोर्टर पहुँच जॉय यही मीडिया की उपलब्धि है। प्रबंधन, रिपोर्टिंग और जनसमपर्क तथा विज्ञापन में शोध वृत्ति से विशिष्टता आ जाती है।

15.10 शब्दावली

रिपोर्टिंग : समाचार संकलन की विधा

पेज मेकअप : साज सज्जा, पृष्ठ की मनोरम प्रस्तुति

15.11 संदर्भ ग्रन्थ

1. जनसंचार समग्र : डॉ. अर्जुन तिवारी

2 **मीडिया शोध : डॉ मनोज दयाल**

15.12 प्रश्नावली

15.12.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. रीडरशिप शोध क्या है?
2. प्रतिपुष्टि किसे कहते है?
3. विज्ञापन जगत मे शोध का क्या महत्व है?

15.12.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. मीडिया शोध और रिपोर्टिंग के अन्तर्सम्बन्धो पर प्रकाश डालिये।
2. जनसम्पर्क शोध की उपयोगिता को लिखिए।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

M.J.M.C. -07
मीडिया शोध

खण्ड

04

मीडिया शोधः विश्लेषण-तकनीक

इकाई-16 5

वर्गीकरण एवं सारणीयन

इकाई-17 29

सांख्यिकीय विश्लेषण

इकाई-18 46

केन्द्रीय प्रवृत्ति

इकाई-19 54

माध्य माध्यिका एवं बहुलक

परामर्श-समिति

प्रो0 केदार नाथ सिंह यादव	कुलपति - अध्यक्ष
डॉ0 हरीशचन्द्र जायसवाल	कार्यक्रम संयोजक
डॉ0 रत्नाकर शुक्ल	कुलसचिव - सचिव

विशेषज्ञ समिति

1- प्रो0 जे0एस0 यादव	पूर्व निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली
2- प्रो0 राममोहन पाठक	निदेशक, मदन मोहन मालवीय, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी
3- प्रो0 सुधाकर सिंह	हिन्दी (प्रयोजनमूलक) विभाग, बी.एच.यू. वाराणसी
4- डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय	जनसम्पर्क अधिकारी, बी.एच.यू. वाराणसी
5- डॉ0 पुष्पेन्द्र पाल सिंह	अध्यक्ष-पत्रकारिता विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

सम्पादक

डॉ0 अर्जुन तिवारी-वरिष्ठ परामर्शदाता, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक मंडल

1- प्रो0 श्रीनिवास पाण्डेय	- समन्वयक, प्रयोजनमूलक हिन्दी (पत्रकारिता बी0एच0यू0 वाराणसी)
2- डॉ0 शिव कृपा मिश्र	- उपसम्पादक- दैनिक जागरण, वाराणसी
3- डॉ0 पूर्णिमा पाठक	- नवभारत टाइम्स (नई दिल्ली), वाराणसी
4- श्री राजेश नारायण दुबे	- मीडिया सेंटर, दुर्गाकुंड, वाराणसी
5- डॉ0 वीरेन्द्र व्यास	- अध्यक्ष-पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, मं0 गॉ0 ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

खण्ड-4 खण्ड-परिचय : मीडिया शोध : विश्लेषण-तकनीक

इस इकाई के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ सम्मिलित हैं :-

16- वर्गीकरण एवं सारणीयन

17- सांख्यिकीय विश्लेषण

18- केन्द्रीय प्रवृत्ति

19- माध्य, माध्यिका एवं बहुलक

शोध के विश्लेषण और उसकी विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी इस खण्ड में दी गई है। निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली से प्राप्त तथ्यों के वर्गीकरण तथा सारणीयन को उदाहरणों के साथ समझाया गया है। वर्गीकरण, सारणीयन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण के विविध तथ्यों को जान लेने के बाद छात्र केन्द्रीय प्रवृत्ति से अवगत हो जाता है। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक की विशेषताओं से सुपरिचित होकर कोई भी शोधार्थी किसी-निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। इस पूरे खण्ड के अध्ययनोपरांत निर्णय एवं निष्कर्ष पर सरलता से पहुँचा जा सकता है।

इकाई - 16 वर्गीकरण एवं सारणीयन

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 वर्गीकरण

- 16.2.1 वर्गीकरण का अर्थ एवं परिभाषा
- 16.2.2 आदर्श वर्गीकरण की विशेषताएं
- 16.2.3 वर्गीकरण का आधार
- 16.2.4 वर्गीकरण के प्रकार

16.3 सारणीयन

- 16.3.1 सारणीयन के उद्देश्य
- 16.3.2 उत्तम सारणी के गुण
- 16.3.3 सांख्यिकीय सारणियों के प्रकार
- 16.3.4 सारणी निर्माण के आवश्यक नियम व सावधानियां
- 16.3.5 सारणीयन के लाभ या उपयोगिता
- 16.3.6 सारणीयन की सीमाएं

16.4 सारांश

16.5 शब्दावली

16.6 संदर्भ ग्रन्थ

16.7 प्रश्नावली

16.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप–

- वर्गीकरण का अर्थ समझ सकेंगे।
- मीडिया शोध में उपयोगी वर्गीकरण के प्रकारों को समझ सकेंगे।
- सारणीयन और मीडिया शोध प्रविधि के सम्बन्ध को जान सकेंगे।
- विभिन्न प्रकार के सारणीयन से परिचित हो सकेंगे।
- सारणीयन के नियमों को जान सकेंगे

16.1 प्रस्तावना

सामाजिक अनुसंधान, शोध या सर्वेक्षण का आधार अध्ययन विषय से सम्बन्धित वास्तविक तथ्य है। इन तथ्यों को वास्तविक निरीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि की सहायता से एकत्रित किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित तथ्यों के ढेर से कुछ भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता और न ही विषय के सम्बन्ध में कुछ जाना जा सकता है। तथ्यों का पहाड़ कुछ नहीं कहता जब तक उसे एक व्यवस्थित रूप प्रदान न किया जाये और उसके लिए तथ्यो का वर्गीकरण व सारणीयन आवश्यक होता है। जब हम तथ्यों को उनमें पाई जाने वाली समानता या विभिन्नता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में व्यवस्थित रूप में विभाजित करते हैं तो वह वर्गीकरण कहलाता है अतः जब वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका के रूप में कुछ स्तम्भों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित कर देते हैं तो वह सारणीयन कहलाता है। ये दोनों ही आवश्यक हैं क्योंकि इनके बिना न तो तथ्यों का व्यवस्थित रूप सम्भव होता है और न ही उनके पारस्परिक संबंधों को उचित रूप में समझा जा सकता है। इसीलिए तथ्यों का वर्गीकरण व सारणीयन सामाजिक अनुसंधान का एक अनिवार्य अंग बन गया है। अतः इनके विषय में अलग-अलग विवेचन कर देना अति आवश्यक होगा।

16.2 वर्गीकरण

आधुनिक युग में सांख्यिकीय विज्ञान का बहुत महत्व है। इसका प्रयोग संसार के समस्त वैज्ञानिक कार्यों में होता है। साधारण व्यक्ति भी अपने दैनिक जीवन में इसका किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। फिर भी बहुत कम ऐसे मनुष्य हैं जिनको सांख्यिकीय विज्ञान का थोड़ा भी ज्ञान है। सांख्यिकी का मुख्य कार्य किसी भी विषय में सांख्यिकीय तथ्यों को एकत्रित करना और इन तथ्यों को क्रम से प्रदर्शित करना है जिससे विषय का विश्लेषण वैज्ञानिक रीति से किया जा सके। इस विश्लेषण के लिए तथ्यों का वर्गीकरण पहला चरण है। पर इस संबंध में और सब विवेचना करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम वर्गीकरण के अर्थ को ठीक से समझ जायें।

16.2.1 वर्गीकरण का अर्थ व परिभाषा (Meaning and Definitin of classification)–

किसी विषय पर सर्वेक्षण कार्य के दौरान एकत्रित की हुई सामग्री प्रायः बड़ी मात्रा में और बिखरी हुई दशा में होती है। इनमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। अतः विश्लेषण कार्य के लिए उन्हें सीधे तौर पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। उन्हें उपयोगी बनाने के लिए समस्त एकत्रित तथ्यों को उनकी समानता, भिन्नता या अन्य किसी आधार पर कुछ निश्चित श्रेणियों में व्यवस्थित करना आवश्यक

होता है। यदि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले 2000 विद्यार्थियों के खर्चों के आंकड़े सामने आते हैं तो उनसे किसी प्रकार का निष्कर्ष निकालना असंभव हो जाता है, क्योंकि तुलना, विश्लेषण और निर्वचन के लिए यह आवश्यक है कि आंकड़े संघनित रूप में किए जाए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि समान को असमान से पृथक रखा जाए। नि:सन्देह सभी 2000 विद्यार्थी इस दृष्टिकोण से एक समान है कि वे एक ही संस्था के विद्यार्थी है और छात्रावास में रहते हैं। परंतु उनमें असमानाएं दूसरे प्रकार की होंगी।

कुछ एक सीट के कमरे में रहते हैं और कुछ दो और तीन सीट के कमरों में होंगे, कुछ महंगे छात्रावासों मे रहते होंगे, कुछ अपेक्षाकृत सस्ते छात्रावासों में कुछ ने अपने खाने का निजी किया प्रबंध होगा और कुछ मे संयुक्त भोजनशाला (मेस) में स्थान प्राप्त कर लिया गया होगा। अत: यद्यपि आंकड़े एक ही प्रकार के व्यक्तियों के विषय पर हैं, तथापि उसी वर्ग के अंदर ही उनमें विभिन्न प्रकार की असमानताएं हो सकती हैं। विश्लेषण और निर्वचन हेतु संख्याओं को समांग वर्ग में विभाजित करना आवश्यक होता है। परिमाण और विजातीयता से सम्बन्धित दोषों को दूर करने के लिए सांख्यिकीय सामग्री का सारणीकरण उनको संघनित और समांग रूप में उपस्थित करके किया जाता है। परंतु सारणी बनाने के पूर्व यह आवश्यक है कि उन्हें समांग वर्ग में व्यवस्थित करें ताकि सारणीकरण में कोई कठिनाई न हो। आंकड़ों को समानताओं और विभिन्नताओं के अनुसार वर्गों और विभागों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को प्राविधिक पद में वर्गीकरण कहते हैं। अत: संग्रहित सूचनाओं के विषम तत्वों में सजातीयता उत्पन्न करने का संकेत वर्गीकरण द्वारा किया जाता है। वर्गीकरण समानताओं को अभिव्यक्त करता है जो व्यक्तिगत इकाइयों की बहुशाखाओं से छाँटी जाती है। आंकडों के वर्गीकरण में ऐसी इकाइयाँ जिनमें समान विशेषताएं हैं, एक वर्ग में रखी जाती है और इस प्रकार से सम्पूर्ण सामग्री कुछ वर्गों में विभाजित हो जाती है। वर्गीकरण के उपरांत भी सांख्यिकीय सामग्रियाँ तुलना और निर्वचन योग्य नहीं होती। तथापि, सामग्री सारणीकरण के उपगम में यह पहला कदम होता है। सारणीकरण के बाद संख्याओं का विश्लेषण और निर्वचन किया जा सकता है।

16.2.2 आदर्श वर्गीकरण की विशेषताएँ

यद्यपि सांख्यिकीय विश्लेषण में वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण उपक्रम (Prelimlnary) है, इस कार्य के लिए कोई अति कठोर नियम नहीं निर्धारित किया जाता है। प्रावैधिक रूप में, प्रत्येक अन्वेषण कार्य में आंकड़ों का वर्गीकरण अनुसंधान की प्रकृति विषय और उसके उद्देश्य का पूर्वलेखन करने के उपरान्त ही निश्चय किया जा सकता है। **एक** आदर्श वर्गीकरण में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए—

(क) यह स्पष्टार्थ होना चाहिए–यदि वर्गीकरण में कोई अस्पष्टता है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्गीकरण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सकता। वर्गीकरण का कार्य आंकड़ों से असंदिग्धता को दूर करना है। यह आवश्यक है कि विभिन्न वर्गों की परिभाषा इस प्रकार की जाए कि उनमें किसी प्रकार का संदेह अथवा भ्रम न रह जाए। परंतु यह कोई सरल कार्य नहीं है। उदाहरणार्थ यदि हमें जनसंख्या को दो वर्गों में बाँटना है, जैसे साक्षर और निरक्षर तो प्रयोग किए गए इन पदों की विस्तृत परिभाषा देना आवश्यक है। एक साक्षर व्यक्ति कौन है? उत्तर देना कठिन है। कोई निकाय निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। भारत की गत जनगणना में एक साक्षर वह व्यक्ति परिभाषित किया गया था, जो कोई सरल पत्र लिख पढ़ सके। प्रावैधिक रूप में यह कोई अत्यंत संतोषजनक परिभाषा नहीं है। सरल पक्ष से क्या तात्पर्य है, एक ऐसा विषय है जिस पर मतभेद हो सकते हैं, परन्तु व्यावहारिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से परिभाषा संतोषजनक है।

(ख) यह स्थायी (Stable) होना चाहिए–एक आदर्श वर्गीकरण वह है जो स्थायी रह सके। यदि यह स्थायी नहीं है और यदि प्रत्येक बार अनुसंधान संचालित करने पर उसे बदलना पड़ता है तो ऐसी दशा में आँकड़े तुलना योग्य न रह जाऐंगे।

(ग) यह अनाग्रही (Flexible) होना चाहिए–एक अच्छा वर्गीकरण अनाग्रही होना चाहिए और नई दशाओं और परिस्थितियों के साथ-साथ उसमें समंजन की योग्यता भी होना चाहिए।

(घ) वर्गीकरण अनुसंधान के अनुकूल होना चाहिए (In acordence with the Enquiry) :

वर्गीकरण इस प्रकार का होना चाहिए कि अनुसंधान के उद्देश्य के साथ उसका पूर्णतया मेल हो अर्थात् अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल हो। यदि अनुसंधान का उद्देश्य पास फेल के आधार पर विद्यार्थियों की तुलना करना है तो जाति के आधार पर उनका वर्गीकरण करने से कोई लाभ नहीं होगा।

(ङ) सांख्यिकीय शुद्धता (Statistical Accuracy)– वर्गीकरण सांख्यिकीय दृष्टि से भी शुद्ध होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जितनी इकाइयों का वर्गीकरण करना है वे सभी इकाइयाँ वर्गीकरण के अन्तर्गत किसी न किसी वर्ग या समूह के अन्तर्गत अवश्य सम्मिलित हो जायें, यह जरूरी है। वर्गीकरण के विभिन्न वर्गों में सम्मिलित इकाइयों का योग यदि अध्ययन की जाने वाली समस्त इकाइयों के योग के बराबर है तो वर्गीकरण सांख्यिकीय दृष्टिकोण से परिशुद्ध है।

(च) वर्गीकरण के वर्गों का आकार पर्याप्त होना चाहिए (Size of the classes should be adequate) – वर्गीकरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए विभिन्न वर्ग न तो अधिक बड़े हों और न ही अधिक छोटे, तथ्यों की मात्रा (संख्या एवं गुण) देककर ही वर्गो का आकार निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि वर्ग विस्तार बहुत अधिक

रख दिया जाए तो यह संभव है कि वर्गों की संख्या काफी कम हो जाएगी, पर इससे समस्या यह उत्पन्न होगी कि वे वर्ग तुलना की दृष्टि से अधिक उपयोगी व विश्वसनीय नहीं रह जाएंगे।

16.2.3 वर्गीकरण का आधार (Basis of Classification) :

एकत्रित तथ्यों का हम किस भाँति वर्गीकरण करेंगे यह तथ्यों की प्रकृति व प्रकार तथा अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। फिर भी वर्गीकरण के कुछ आधारों का उल्लेख हम यहाँ कर सकते हैं–

(1) गुणात्मक आधार (Qualititive Basis)–गुणात्मक आधार पर वर्गीकरण उन तथ्यों का किया जाता है जिन्हें अंकों में प्रकट नहीं किया जा सकता। अत: ऐसे तथ्यों का वर्गीकरण उनके गुणों या लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण में एक गुण विशेष वाली इकाइयों को एक वर्ग या समूह में और दूसरे गुण वाली इकाइयों को दूसरे वर्ग या समूह में रखकर वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरणार्थ धर्म या वैवाहिक स्थिति या साक्षरता आदि के आधार पर किसी जन समुदाय का विभाजन गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है।

(2) गणनात्मक आधार (Quantitative Basis)–जब एकत्रित तथ्यों की प्रकृति इस प्रकार है कि उन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है तो उनका वर्गीकरण गणनात्मक आधार पर किया जा सकता है तो उनका वर्गीकरण गणनात्मक आधार पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, ऊंचाई, आयु, आय-व्यय, वजन आदि से संबंधित तथ्यों का गणनात्मक, आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है।

(3) सामयिक आधार (Periodical Basis)– इस आधार पर किए गए वर्गीकरण में समय को वर्गीकरण का आधार माना जाता है। अर्थात् इसमें तथ्यों का वर्गीकरण समय के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर वर्गीकरण करना अत्यंत सरल होता है क्योंकि विभिन्न समय या अवधि के अन्तर्गत तथ्यों को रखना कठिन नहीं होता। उदाहरणार्थ किसी मिल या फैक्ट्री में विभिन्न वर्षों में श्रमिकों की संख्या अथवा प्रति दस वर्ष के बाद भारत में हुई जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या का वर्गीकरण हम सामयिक आधार पर कर सकते हैं।

(4) भौगोलिक आधार (Geographical Basis)–संकलित तथ्यों का स्थान अथवा भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भी वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरणार्थ विभिन्न प्रान्तों में बी० ए० कक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर किया गया, वर्गीकरण ही होगा।

16.2.4 वर्गीकरण के प्रकार (Type of Classification)

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उपर्युक्त आधारों पर किए गए वर्गीकरण ही वर्गीकरण का एक-एक प्रकार बन जाता है, पर इन चार प्रकारों में कुछ उप-प्रकार भी

हैं और कुछ अन्य प्रकार के वर्गीकरणों का भी उल्लेख किया जाता है। निम्नलिखित विवेचना से यह बात और भी स्पष्ट हो सकेगी–

(1) गुणात्मक वर्गीकरण (Qualitative Classification) किसी विशिष्ट गुण के होने या न होने के आधार पर जब तथ्यों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है तो उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि वैवाहिक स्थिति के आधार पर हमें 100 व्यक्तियों का वर्गीकरण करना है तो वह इस प्रकार होगा–

विवाहित	59
अविवाहित	25
विधुर	03
विधवा	09
तलाक शुदा	02
कुल योग	100

गुणात्मक वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है–

(अ) सरल या विभेदात्मक वर्गीकरण –इस प्रकार के वर्गीकरण में तथ्यों का वर्गीकरण तो उनके गुणों के आधार पर किया जाता है परंतु गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के केवल दो ऐसे वर्ग या समूह बनाए जाते हैं जिससे कि उन तथ्यों के अन्तर्निहित विभेद स्पष्ट हो जाएं–जैसे शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री, पुरुष देशी-विदेशी, एक संबंधी व गैर रक्त संबंधी आदि।

(ब) बहुगुणी वर्गीकरण –जब तथ्यों को उनके गुणों के आधार पर दो से अधिक वर्गों में बाँटा जाता है तो उसे बहुमुखी वर्गीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि धर्म के आधार पर हम 100 व्यक्तियों को हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिक्ख, इसाई और इस्लाम धर्म के अन्तर्गत बाँट देते हैं तो वह बहुगुणी वर्गीकरण होगा। इनमें से प्रत्येक का आगे और विभाजन हो सकता है जैसे हिन्दू धर्म को मानने वाले लोगों का पौराणिक धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म तथा शाख़ धर्म में वर्गीकरण किया जा सकता है। उसी प्रकार इसाई धर्म के लोगों को रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट, इन दो वर्गों में बाँटा जा सकता है। उसी प्रकार शिक्षा के आधार पर एक बहुगुणी वर्गीकरण इस प्रकार का हो सकता है

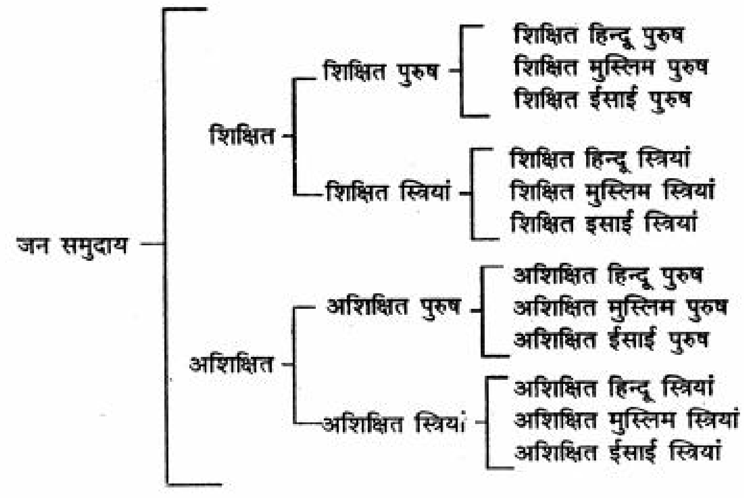

गुणात्मक वर्गीकरण का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। अनुसंधानकर्त्ता प्राय: अपनी इच्छा से या अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए अपनी सुविधानुसार तथ्यों को कुछ निश्चित वर्गों में बॉट लेता है। पर गुणात्मक वर्गीकरण में कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यह तय करना कठिन होता है कि किस इकाई को किस वर्ग में रखा जाए। उदाहरणार्थ जो पति-पत्नी तलाक के लिए अदालत में मुकदमा लड़ रहे हैं उन्हें विवाहित वर्ग के अन्तर्गत रखा जाए या तलाक प्राप्त वर्ग के अन्तर्गत यह निश्चय करने में असुविधा होती है। अत: गुणात्मक वर्गीकरण करने में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

(द) गणनात्मक वर्गीकरण – गणनात्मक वर्गीकरण में तथ्यों का प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूप से अंकों या संख्याओं में किया जाता है। आय, व्यय, उत्पादन, भार, आयु, लम्बाई, चौड़ाई आदि से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण ही होता है। यह वर्गीकरण आवृत्ति वितरण पर आधारित होता है जो कि तथ्यों के विस्तार के अनुसार किया जाता है। गणनात्मक वर्गीकरण के निम्नलिखित प्रकार हैं–

(अ) खण्डित श्रेणी के अनुसार वर्गीकरण – कुछ तथ्य इस प्रकार के होते हैं जिन्हें कि पूरे-पूरे अंक या संख्या में प्रकट किया जा सकता हैं जैसे बच्चों या परिवारों की संख्या। यह संख्या 1, 2, 3, 4 आदि पूर्ण अंक ही होगी न कि 1.5, 2.7 या 3.9 में। इस प्रकार के अंकों को खण्डित माला या खण्डित श्रेणी कहते हैं। इन खण्डित श्रेणियों के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। यदि एक ही खण्डित अंक या श्रेणी एकत्रित तथ्यों में बार-बार प्रकट होती है तो इस प्रकार बार-बार आने की संख्या उस श्रेणी की आवृत्ति कहलाती है इस आवृत्ति को तथ्य की किसी खंडित श्रेणी के सामने रखकर जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसे आवृत्ति सारणी कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि 20 परिवारों में बच्चों की संख्या 5, 3, 4, 2, 6, 7, 2, 1, 83, 1, 5, 4, 5, 34, 15, 4 और 6 तो खण्डित श्रेणियों के श्रेणियों के अनुसार आवृत्ति वितरण के आधार पर इन 20 परिवारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है–

बच्चों की संख्या	परिवारों की संख्या
1	3
2	2
3	3
4	4
5	•4
6	2
7	1
8	1
कुल योग	20

(ब) अखंडित श्रेणियों अथवा वर्गान्तर के अनुसार वर्गीकरण (Classification according to continuous series of class Intervals) : –

जब संकलित तथ्यों की कुल संख्या बहुत अधिक हो और सबसे बड़े व सबसे छोटे पद में अंतर भी बहुत अधिक हो तो ऐसी स्थिति में तथ्यों को एक-एक समूह रूप में प्रकट किया जाता है। ऐसी स्थिति में गणनात्मक तथ्यों की सीमाएं स्वैच्छिक तौर पर निश्चित कर दी जाती है और उन्हीं सीमाओं के अंदर रहते हुए तथ्यों को विभिन्न वर्गों में बाँट दिया जाता है। एकत्रित तथ्यों की प्रकृति के अनुसार ही ये सीमाएँ अर्थात् एक उच्चतम सीमा (Upper limit) और दूसरी निम्नतम सीमा (lower limit) निश्चित की जाती है। फिर इन दोनों सीमाओं के अंदर कुछ वर्ग अपनी स्वेच्छा या सुविधानुसार बना लिए जाते हैं। जैसे यदि आय के संबंध में एकत्रित आंकड़ों से यह पता चले कि सबसे कम आय 100 रु0 है और सबसे अधिक आय 1000 रु0 है तो इन दोनों निम्नतम और अधिकतम सीमा के बीच हम कुछ आय समूहों को बना सकते हैं जैसे 100 से 200 पाने वाला आय समूह 200 से 300, 300 से 400 आदि। प्रत्येक वर्ग के निम्नतम व अधिकतम सीमा के बीच जो अंतर होता है उसें वर्गान्तर या वर्ग विस्तार (class interval) कहते है। इस वर्गान्तर को हम निम्नलिखित चार प्रकार से प्रस्तुत कर सकते है–

1	2	3	4
10-20	10 तथा 20 से कम	0-19	10
20-40	20 तथा 40 से कम	20-39	30
40-60	40 तथा 60 से कम	40-59	50
60-80	60 से 80 से कम	60-79	70
80-100	80 तथा 100 से कम	80-99	90

उपर्युक्त चार प्रकार से वर्ग सीमाओं को प्राय: प्रदर्शित किया जाता है। परंतु प्रथम व तृतीय प्रणाली ही अधिक लोकप्रिय है।

समाजशास्त्र की एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों को 50 नम्बर के एक प्रश्न-पत्र में जो नम्बर मिले वह इस प्रकार है–22, 47, 9, 42, 31, 17, 13, 15, 18, 13, 2, 21, 27, 38, 15, 0, 33, 10, 34, 29, 26, 16, 25, 33, 36, 10, 24, 22, 26, 19, 14, 36, 18, 25, 21, 33, 35, 25, 18, 28, 25, 27, 38, 10, 3, 31, 24, 3, 12, 16, 33, 14, 26, 29, 27, 29, 28, 35, 26 और 27।

इन प्राप्तांकों को वर्गान्तर के अनुसार वर्गीकरण करने से परिणाम इस प्रकार होगा–

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या
0 - 5	4
5-10	1
10-15	7
15-20	11
20-25	6
25-30	16
30-35	7
35-40	1
40-45	1
45-50	1
कुल योग	55

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि 55 विद्यार्थियों को 10 समूहों में प्राप्तांक के आधार पर विभाजित किया गया है। साधारणतया समूहों या वर्गों की संख्या 20/25 से ज्यादा या 6/8 से कम नहीं होना चाहिए। फिर भी वर्गों की कुल संख्या संकलित तथ्यों की कुल संख्या पर निर्भर करती है। यदि वर्गों की संख्या बहुत कम है तो वर्गीकरण का रूप सरल अवश्य होगा, पर साथ ही यह संभावना होगी कि संकलित तथ्यों की कोई विशेषता या कुछ गुण पर्याप्त रूप में प्रकट न हो सके। उसी प्रकार वर्गों की संख्या बहुत अधिक होने से वर्गीकरण का महत्व ही कम हो जाता है और तथ्यों को सरलता से समझा नहीं जा सकता। अत: वर्गों की संख्या का निर्धारण खूब सोच-विचारकर करना चाहिए।

(3) सामयिक वर्गीकरण (Periodical Classification) यह समय पर आधारित वर्गीकरण है। इसमें समय या अवधि ही प्रधान होता है। जब हम एकत्रित तथ्यों को दिनों, महीनों, वर्षों अथवा किसी ऐतिहासिक क्रम के अनुसार व्यवस्थित व वर्गीकृत करते हैं तो उसे सामयिक वर्गीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरण में लखनऊ विश्वविद्यालय में सन् 1945 से सन् 1951 तक के विद्यार्थियों की संख्या का वर्गीकरण किया गया है–

लखनऊ विस्वविद्यालय के छात्रों की संख्या

वर्ष	कला वर्ग	विज्ञान वर्ग	विधि के छात्र	वाणिज्य वर्ग	कुल छात्र
1945-46	1783	590	391	401	3165
1946-47	2057	650	478	532	3717
1947-48	2096	723	438	640	3897
1948-49	2252	848	394	689	4183
1949-50	2267	900	554	726	4447
1950-51	2613	1218	486	749	5066

4. स्थानानुसार वर्गीकरण (Classification according to place)

यदि संकलित तथ्यों को स्थान या भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे स्थानानुसार वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण का स्पष्टीकरण निम्नलिखित उदाहरण से हो सकेगा–

संसार के विभिन्न महाद्वीपों का क्षेत्रफल

महाद्वीप	क्षेत्रफल (100) वर्ग किमी० में
एशिया	41,900
दक्षिण अमेरिका	40,687
अफ्रीका	29,946
उत्तरी अमेरिका	19,653
यूरोप	11,426
ओसीनिया	8,550
अन्य	2764
कुलयोग	1,54,926

16.3 सारणीयन (Tabulation)

सामाजिक अनुसंधान में वर्गीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् सामग्री को और भी स्पष्ट तथा बोधगम्य करने के लिए तथ्यों का सारणीयन किया जाता है। वास्तव में सारणीयन वर्गीकरण के पश्चात् विश्लेषण-कार्य में अगला कदम होता है। इसके माध्यमं से तथ्यों में सरलता और स्पष्टता आती है और गणनात्मक तथ्य अधिक व्यवस्थित होकर प्रदर्शन के योग्य बन जाते हैं। इसके अन्तर्गत तथ्यों को विभिन्न स्तम्भों तथा पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है जिससे तथ्यों को समझने में सुविधा व सरलता हो। सर्वश्री जहोडा, ड्यूट्श, कुक के अनुसार, "जिस प्रकार संकेतन को तथ्यों के श्रेणीबद्ध करने को प्राविधिक पद्धति कहा जाता है, उसी प्रकार सारणीयन को सांख्यिकीय तथ्यों के विश्लेषण को प्राविधिक प्रक्रिया का अंग माना जाता है।"

सारणीयन की परिभाषा (Definition of Tabulation)

श्री एलहांस के अनुसार, "विस्तृत अर्थ में, सारणीयन तथ्यों की स्तम्भों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित व्यवस्था है। यह एक ओर तथ्यों के संकलन और दूसरी ओर तथ्यों के अन्तिम विश्लेषण के बीच की एक प्रक्रिया है।"

डॉ० चतुर्वेदी ने लिखा है, 'दो दिशाओं में पढ़ा जा सकने योग्य कुछ पंक्तियों तथा स्तम्भों में तथ्यों को एक क्रमबद्ध तौर पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सारणीयन कहा जाता है।"

घोष एवं चौधरी के अनुसार, "सारणीयन द्वारा गणनात्मक तथ्यों का इस भाँति व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रदर्शन करना है कि विचाराधीन समस्या हल हो जाए।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचना से स्पष्ट है कि जब एकत्रित तथ्यों का समुचित वर्गीकरण करके उन वर्गीकृत तथ्यों को एक तालिका के अन्तर्गत कुछ स्तम्भों तथा पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से सजा दिया जाता है कि तथ्यों की विशेषताएं व तुलनात्मक महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है तो इस प्रक्रिया को सारणीयन कहते हैं।

16.3.1 सारणीयन के उद्देश्य

सामाजिक अनुसंधान कार्य में सारणीयन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये उद्देश्य निम्नवत हैं–

1. तथ्यों को सुस्पष्ट तथा बोधगम्य बनाना –सारणीयन का मुख्य उद्देश्य एक तालिका के रूप में तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से सजा देना है कि वह सुस्पष्ट और बोधगम्य हो जाए। यदि हम तथ्यों के बारे में वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं तो तथ्यों की वास्तविकताओं को समझना सरल नहीं होगा। सारणीयन की प्रक्रिया इसी कार्य को सरल बना देती है। तथ्यों की सारणी बन जाने से तथ्य स्वत: ही सुस्पष्ट तथा बोधगम्य हो जाते हैं।

2. विशेषताओं का प्रदर्शन करना – सारणीयन का एक अन्य उद्देश्य तथ्यों की विशेषताओं का प्रदर्शन करना है। वास्तव में सारणी बन जाने से तथ्य कुछ सुनिश्चित स्तम्भों तथा पंक्तियों में सज जाते हैं। फलत: उनकी अनेक विशेषताएं आप से आप प्रगट होने लगती है। सच तो यह है कि तथ्यों की विशेषताओं को क्रमबद्ध रूप में रखना सारणीयन की आधारभूत मान्यता है। इसीलिए सारणी को देखकर एक ही दृष्टि में तथ्यों की सर्वांगीण स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

3. तथ्यों को तुलना योग्य बनाना – सारणीयन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से सजा देना है कि उनका तुलनात्मक अध्ययन सरलतापूर्वक किया जा सके। वास्तविकता तो यह है कि तथ्यों को जैसे ही एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक महत्व स्वत: ही स्पष्ट होने लगता है। उदाहरणार्थ, पिछले पाँच वर्षों में एक कॉलेज में प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थी पढ़ते रहे हैं, इसकी तालिका या सारणी जैसे ही बन जाएगी वैसे ही किसी भी वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की तुलना अन्य किसी भी वर्ष की संख्या के साथ सरलता के साथ की जा सकती है।

4. तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना – सारणी का एक अंतिम उद्देश्य तथ्यों को इस प्रकार संक्षिप्त करना है कि उनके महत्वपूर्ण गुणों को न छिपाते हुए उन्हें कम से कम स्थान के अंदर प्रदर्शित किया जा सके। यही कारण है कि 50 हजार विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय व फेल इन चार स्तम्भों के अंतर्गत एक सारणी बनाकर किसी कागज या किताब की केवल कुछ पंक्तियों में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसीलिए श्रीमती पी० वी० यंग ने सांख्यिकीय सारणी को सांख्यिकी की आशुलिपि कहा है।

16.3.2 उत्तम सारणी के गुण

सारणी एकत्रित तथ्यों को सरल, बोधगम्य तथा आकर्षक बनाने का एक साधन है और एक साधन के रूप में अधिक से अधिक उत्तम प्रकृति का होना चाहिए। इसके लिए सारणी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए–

1. आकर्षकता – एक उत्तम सारणी को इस प्रकार होना चाहिए कि वह हमारे ध्यान को स्वत: ही अपनी ओर खींच ले। सारणी के आकर्षक होने के लिए उसके खानों का समानुपातिक होना, संख्याओं को लिखने का ढंग स्वच्छता तथा लेख की सुंदरता आदि आवश्यक तत्व है। सारणी बनाना भी एक कला है और इसीलिए उच्चतम कलात्मकता का प्रदर्शन उत्तम सारणी का एक गुण बन जाता है।

2. समुचित आकार –एक उच्च स्तरीय सारणी का आकार समुचित होना चाहिए। सारणी का आकार बहुत बड़ा होने से सारणी की सरलता नष्ट हो जाती है। सारणी का एक उद्देश्य एकत्रित तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना है। आकार बहुत बड़ा होने पर इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। उसी प्रकार आकार बहुत छोटा होने पर कुछ तथ्यों की विशेषताएं प्रकट नहीं हो पाती और न ही तुलनात्मक अध्ययन पूर्णतया किया जा सकता है। यह भी सारणी के उद्देश्य के विपरीत है। इतना ही नहीं सारणी का आकार बहुत बड़ा होने पर उस कागज को मोड़कर रखना पड़ता है। यदि तथ्य अधिक विस्तृत है तो एक से अधिक सारणी का प्रयोग किया जा सकता है।

3. तुलना की सुविधा –एक अच्छे किस्म की सारणी में तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित रूप में सजाकर प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न तथ्यों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना हमारे लिए सरल हो जाए। आंकड़ों की तुलना सारणी का एक प्रमुख उद्देश्य होता है और इसीलिए इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथ्यों को सारणी के अन्तर्गत क्रमबद्ध रूप प्रदान करना उचित होता है।

4. स्पष्टता तथा सरलता –एक उत्तम सारणी का स्पष्ट तथा सरल होना भी परम आवश्यक है। सारणी इतनी सरल व स्पष्ट होनी चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति भी उसे देखकर समझ सके अर्थात् तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषताएं उसके लिए स्पष्ट हो जाएं। सारणी के स्पष्ट व सरल होने पर किसी भी आवश्यक आंकड़ों को हम तुरंत ढूंढ सकें।

5. उद्देश्य के अनुकूल –सारणी का निर्माण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि अध्ययन के उस उद्देश्य की पूर्ति हो, जिस उद्देश्य से सारणी को तैयार करना आवश्यक समझा गया है। उदाहरणार्थ–यदि अध्ययन का उद्देश्य जनसंख्या के चढ़ाव-उतार का विश्लेषण करना है तो सारणी में उन्हीं आंकड़ों को प्रस्तुत करना होगा जिससे यह उतार-चढ़ाव स्पष्ट हो जाए। अनावश्यक आंकड़ों या तथ्यों का बहिष्कार करना ही उचित होता है क्योंकि सारणी में उन्हें सम्मिलित कर लेने पर सारणी बोझिल हो जाती है।

6. वैज्ञानिकता –इसका तात्पर्य यह है कि सारणी को मनमाने ढंग से न बनाकर निश्चित वैज्ञानिक ढंग को अपनाना चाहिए। वैज्ञानिक विधि से निर्मित सारणी ही वास्तव

में उपयोगी होती है। यदि असंबद्ध और बिना किसी क्रम के आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाए तो इस प्रकार निर्मित सारणी से हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इससे न तो तथ्यों की विशेषतायें स्पष्ट होंगी और न ही उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि सारणी का निर्माण खूब सोच-विचारकर तथा वैज्ञानिक विधि के अनुसार किया जा ।

16.3.3 सांख्यिकीय सारणियों के प्रकार

सांख्यिकीय सारणियों के प्रकारों का उल्लेख हम दो आधारों पर कर सकते हैं। प्रथम उद्देश्य के आधार पर और द्वितीय, आकार के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर सारणियों के दो प्रकारों का उल्लेख किया जाता है–

(अ) सामान्य उद्देश्यीय सारणी (ब) विशिष्ट उद्देश्यीय अथवा संक्षिप्त सारणी

उसी प्रकार आकार के आधार पर भी सारणी दो प्रकार की होती है–

(क) सरल सारणी (ख) जटिल सारणी।

अब हम इन चारों प्रकार के सारणियों की विवेचना निम्नवत् करेंगे–

सामान्य उद्देश्यीय सारणी (General Purpose Table)– क्रॉक्सटन और काउडेन ने सामान्य उद्देश्यीय सारणी को संदर्भ सारणी के नाम से पुकारा है। उनका कहना है कि इस प्रकार की सारणियों से हमें केवल कुछ विषयों के संदर्भ का ज्ञान होता है और किसी भी इकाई के बारे में जानने में सुविधा होती है। इन विद्वानों के अनुसार, संदर्भ सारणी का प्राथमिक तथा प्रायः एकमात्र उद्देश्य तथ्यों को इस ढंग से प्रस्तुत करना है कि व्यक्तिगत मदों को पाठक तुरंत ढूंढ़ सके। इस प्रकार की सारणियों का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं रहता। इस प्रकार की सारणी में तथ्यों को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत न करके ज्यों का त्यों केवल सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से व्यवस्थित करके रख दिया जाता है।

संक्षिप्त सारणी (Summary Table)– क्रॉक्सटन तथा काउडेन (Croxten and cowden) ने लिखा है, 'संक्षिप्त सारणी जो प्रायः आकार में छोटी होती है, किसी एक निष्कर्ष अथवा कुछ निकट संबंध वाले निष्कर्षों को अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रखने के लिए तैयार की जाती है।'' वास्तव में संक्षिप्त सारणी सामान्य उद्देश्यीय सारणी का एक छोटा रूप होती है जिसको कि कुछ तथ्यों की विशेषताओं को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इसीलिए संक्षिप्त सारणी में उन सभी तथ्यों को छोड़ दिया जाता है जो कि विशिष्ट उद्देश्य से असंबंधित हैं।

सरल सारणी ,(Simple Table)–सरल सारणी को एकगुणीय सारणी भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रकार की सारणी में तथ्यों के केवल एक लक्षण या गुण को ही प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार की सारणी एक या अधिक प्रश्नों का सरलता से उत्तर दे सकती है जो एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं वरन् स्वतंत्र होते हैं। अर्थात् इस सारणी द्वारा किसी एक वर्ग से संबंधित एक ही स्वतंत्र कारक का प्रदर्शन होता है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित एकगुणीय सारणी 100 विद्यार्थियों द्वारा केवल गणित में प्राप्त अंकों का प्रदर्शन करती है–

गणित में 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या
30-40	15
40-50	25
50-60	29
60-70	21
70-80	10
योग	100

उपर्युक्त सारणी से 100 विद्यार्थियों के केवल एक गुण का प्रदर्शन होता है अर्थात् गणित में उन्हें कितने नम्बर मिले है। इस सारणी से यह पता नहीं चलता कि अन्य विषयों में उन विद्यार्थियों को कितने नम्बर मिले हैं। इसीलिए इन्हें एकगुणीय सारणी कहते हैं।

जटिल सारणी (Complex Table)– जटिल सारणी में तथ्यों के विषय में एक से अधिक लक्षणों पर प्रकाश डाला जाता है। इस प्रकार की सारणी जटिल केवल इसी अर्थ में है कि तथ्यों से सम्बन्धित कई गुणों को यह एक साथ प्रदर्शित करती है। कितने गुणों को प्रकट करती है, इस आधार पर जटिल सारणी को द्विगुणीय सारणी, त्रिगुणीय सारणी एवं बहुगुणीय सारणी में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक की विवेचना हम यहाँ एक-एक करके करेंगे–

1. द्विगुणीय सारणी (Two-way Table)–जब एक ही सारणी में किसी तथ्य से सम्बन्धित दो प्रकार के लक्षणों अथवा गुणों को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे द्विगुणीय सारणी कहते हैं। अनुसंधान कार्य के लिए यह प्राय: आवश्यक होता है कि एक ही तथ्य से दो पक्षों का स्पष्टीकरण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही द्विगुणीय सारणी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि उपरोक्त 100 विद्यार्थियों छात्र और छात्राओं दोनों के प्राप्तांकों को प्रदर्शित करने के लिए एक सारणी का निर्माण किया जाएगा तो वह द्विगुणीय सारणी कहलाएगी, जैसे–

गणित में 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक

प्राप्तांक	छात्र	छात्राएं	योग
30-40	9	6	15
40-50	16	9	25
50-60	15	14	29
60-70	12	9	21
70-80	6	4	10
योग	58	42	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 9 छात्र और 6 छात्राओं अर्थात् कुल 15 विद्यार्थियों ने 30 और 40 के बीच अंक प्राप्त किए। उसी प्रकार 40 और 50 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 25 है जिनमें 16 छात्र और 9 छात्राएं हैं। इस प्रकार उपरोक्त सारणी से हम दो संबंधित घटनाओं के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(2) त्रिगुणीय सारणी (Three-way Table)– इस प्रकार की सारणी जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है किसी घटना या तथ्य की तीन विशेषताओं की सूचना मिलती है। उदाहरणार्थ यदि उपर्युक्त द्विगुणित सारणी में छात्र व छात्राओं का छात्रावास में रहने और न रहने के आधार पर आगे और विभाजन कर दें तो वह सारणी त्रिगुणीय सारणी होगी क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या, छात्रावास में रहना और छात्रावास में न रहना ये तीन परस्पर सम्बन्धित सूचनाएं उस सारणी से प्राप्त हो सकेंगी।

अग्रलिखित सारणी से यह स्पष्ट है कि 30 और 40 के बीच अंक प्राप्त करने वाले 9 छात्रों में 4 छात्र ऐसे हैं जो कि छात्रावास में निवास नहीं करते और 5 छात्र ऐसे हैं जो छात्रावास में रहते हैं। इसी वर्ग में 6 छात्राएं है जिसमें से 4 छात्रावास में नहीं रहती जबकि 2 छात्राएं छात्रावास में रहती है। इस प्रकार अन्त त्रिगुणीय सारणी तीन सूचनाएं प्रदान करती है–एक विद्यार्थियों की संख्या : दो विद्यार्थियों में छात्र व छात्राओं की संख्या और तीन, छात्रावास में रहने वाले और न रहने वाले विद्यार्थियों की अलग-अलग संख्या।

गणित में 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक

(छात्रावास में रहने, न रहने के आधार पर)

विद्यार्थियों की संख्या

प्राप्तांक	छात्र			छात्राएं			कुल योग		
	छात्रवास में न रहने वाले	छात्रावास में रहने वाले	योग	छात्रवास में न रहने वाले	छात्रावास में रहने वाले	योग	छात्रवास में न रहने वाले	छात्रावास में रहने वाले	योग
30-40	4	5	9	4	2	6	8	7	15
40-50	6	10	16	5	4	9	11	14	25
50-60	6	9	15	7	7	14	13	16	29
60-70	7	5	12	6	3	9	13	8	21
70-80	4	2	6	2	2	4	6	4	10
योग	27	31	58	24	18	42	51	49	100

3. बहुगुणीय सारणी (Manifold or Higher order Table)

बहुगुणीय सारणी वह सारणी है जिसमें एक ही तथ्य या घटना के तीन से अधिक परस्पर आश्रित या संबंधित लक्षणों अथवा गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। यह सबसे जटिल प्रकार की सारणी होती है। पर सामाजिक अनुसंधान में विशेषकर गहन अध्ययन हेतु इस प्रकार की सारणी की अत्यंत आवश्यकता होती है क्योंकि इसके द्वारा एक तथ्य से सम्बन्धित अनेक लक्षण या युग एक साथ स्पष्ट हो जाते है जिससे तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण का कार्य पर्याप्त सरल हो जाता है।

यदि उपरोक्त त्रिगुणीय सारणी में प्रदर्शित सूचनाओं के साथ-साथ हम विद्यार्थियों की वैवाहिक स्थिति को भी दिखा दे तो वह बहुगुणीय सारणी बन जाएगी, जैसा कि अग्रलिखित उदाहरण से स्पष्ट होगा–

अग्रलिखित सारणी से हमें अनेक परस्पर सम्बन्धित प्रश्नों के विषय में सूचनाएं मिलती हैं जैसे विद्यार्थियों का उनके लिंग के अनुसार विवरण, छात्रावास में रहना या न रहना, विद्यार्थियों की वैवाहिक स्थिति आदि। इसी प्रकार अन्य कई लक्षणों के आधार पर सारणीयन किया जा सकता है। ये सभी बहुगुणीय सारणी कहलाती है।

गणित में 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक

(लिंग, रहने की दशा और वैवाहिक स्थिति के अनुसार)

		विद्यार्थियों की संख्या								
		छात्र			छात्राएं			योग		
रहने की स्थिति	प्राप्तांक	विवाहित	अवि०	योग	वि०	अवि०	योग	वि०	अवि०	योग
छात्रावास	30-40	2	2	4	3	1	4	5	3	8
में	40-50	4	2	6	2	3	5	6	5	11
न	50-60	3	3	6	4	3	7	7	6	13
रहने	60-70	5	2	7	3	3	6	8	5	13
वाले	70-80	3	1	4	2	1	3	5	2	7
	योग	17	10	27	14	11	5	31	21	52
छात्रावास	30-40	3	2	5	1	1	2	4	3	7
में	40-50	6	4	10	2	2	4	8	6	14
रहने	50-60	5	4	9	3	4	7	8	8	16
वाले	60-70	3	2	5	1	2	3	4	4	8
	70-80	1	1	2	1	1	2	2	2	4
	योग	18	13	31	8	10	18	26	23	49
	30-40	5	4	9	4	2	6	6	9	15
	40-50	10	6	16	4	5	9	14	11	25
योग	50-60	8	7	15	7	7	14	15	14	29
	60-70	8	4	12	4	5	9	12	9	21
	70-80	4	2	6	2	2	4	6	4	10
	कुल योग	35	23	58	21	21	42	56	47	100

आवृत्ति के आधार पर सारणीयन (Tabulation on the basis of frequency)

आवृत्ति के आधार पर भी सारणी दो प्रकार की होती है–एक को आवृत्ति

(Frequency Table) और दूसरी को संचयी आवृत्ति सारणी (Cummulative frequency table) कहते हैं। इन दोनों के विषय में अलग-अलग विवेचना कर लेना उपयोगी सिद्ध होगा।

(अ) आवृत्ति सारणी (Frequency Table)–जब खंडित श्रेणियों अथवा अखंडित श्रेणियों को सारणी में प्रदर्शित किय जाता है तो उसे आवृत्ति सारणी कहते हैं। अग्रलिखित उदाहरण से यह और भी स्पष्ट होगा–

50 विद्यार्थियों के समाजशास्त्र में प्राप्तांक

प्राप्तांक	आवृत्ति
0-10	3
10-20	5
20-30	10
30-40	9
40-50	7
50-60	6
60-70	4
70-80	3
80-90	2
90-100	1
योग	50

इसी प्रकार खंडित श्रेणियों को लेकर भी आवृत्ति सारणी का निर्माण किया जा सकता है–

35 परिवारों में बच्चों की संख्या

1	6
2	7
3	9
4	6
5	4
6	2
7	1
योग	35

(ब) संचयी आवृत्ति सारणी (Cummulative frequency Table)–इसमें प्रत्येक समूह या वर्ग की आवृत्ति को अलग-अलग प्रदर्शित नहीं करते बल्कि पिछली आवृत्ति में जोड़कर प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ यदि प्रथम वर्ग की आवृत्ति 3 दूसरे वर्ग की 5 और तीसरे वर्ग की आवृत्ति 10 है तो प्रथम वर्ग के सामने 3 दूसरे वर्ग के सामने (3+5) = 8

और तीसरे वर्ग के सामने (8+10) = 18 दिखाया जाना है। इस प्रकार नीचे की ओर आवृत्ति बढ़ती जाती है और अन्तिम वर्ग की आवृत्ति कुल तथ्यों की संख्या के बराबर होती है। उक्त निमित्त 50 विद्यार्थियों के समाजशास्त्र में प्राप्तांक को प्रदर्शित करते हुए जो आवृत्ति सारणी ऊपर बनायी गई है उसी को संचयी आवृत्ति सारणी के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है–

संचयी आवृत्ति सारणी (साधारण)

50 विद्यार्थियों के समाजशास्त्र में प्राप्तांक

प्राप्तांक	संचयी आवृत्ति
10 से कम	3
20 से कम	8
30 से कम	18
40 से कम	27
50 से कम	34
60 से कम	40
70 से कम	44
80 से कम	47
90 से कम	49
100 से कम	50

कभी-कभी इस आवृत्ति का विपरीत क्रम में भी संचयन करते हैं। उस अवस्था में नीचे की ओर आवृत्ति कम होती जाती है। जैसे–

संचयी आवृत्ति सारणी (विपरीत क्रम)

50 विद्यार्थियों के समाजशास्त्र में प्राप्तांक

प्राप्तांक	संचयी आवृत्ति
0 से अधिक	50
10 से अधिक	47
20 से अधिक	42
30 से अधिक	32
40 से अधिक	23
50 से अधिक	16
60 से अधिक	10
70 से अधिक	6
80 से अधिक	3
90 से अधिक	1

16.3.4 सारणी निर्माण के आवश्यक नियम एवं सावधानियाँ (Rules and Precautions in preparing Table)

सारणी निर्माण एक ऐसा कार्य है जो कि अनुसंधानकर्ता के अनुभव 'कार्यकुशलता और विशुद्ध ज्ञान पर आधारित होता है। सारणी निर्माण के कुछ विशेष एवं निश्चित नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। इन नियमों और संबंधित सावधानियों को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं–

1. सारणी का शीर्षक (Heading of the table)–सारणी का एक उचित संक्षिप्त शीर्षक होना चाहिए। यह आवश्यक है कि यह शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखा जाए और वह स्पष्ट एवं आकर्षक हो। शीर्ष ऐसा हो जिससे सारणी का विषय, वर्गीकरण का आधार यदि स्पष्ट हो सके। वास्तव में सारणी को देखकर ही यदि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो शीर्षक सार्थक होता है।

2. स्तंभों का आकार (Size of Column)–स्तंभों का आकार निर्धारित करते समय उस कागज के आक़ार का ख्याल रखना चाहिए जिस पर कि सारणी को बनाना है। तथ्यों के विवरण के आधार पर स्तंभों की लम्बाई-चौड़ाई निश्चित की जानी चाहिए। प्राय: प्रथम स्तंभ सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें खंडित या अखंडित श्रेणियों के वितरण लिखे जाते हैं। इसी प्रकार यह भी देख लेना चाहिए कि प्रत्येक स्तंभ में हमें कितनी बड़ी व छोटी संख्या लिखनी है, इसी संख्या के आकार के अनुसार स्तंभों या कॉलमों का आकार निश्चित करें जिससे कि संख्याओं को सरलता से लिखा जा सके।

3. अनुशीर्षक (Captions)–प्रत्येक स्तंभ व कॉलम का अनुशीर्षक होता है जिसे कि बहुत स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि एक कॉलम विशेष में किन तथ्यों या आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। कभी-कभी बहुत बड़ी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जनसंख्या 'लाखों' में अथवा 00,000 व्यक्तियों में। इस प्रकार के संकेतों को अनुशीर्षक के साथ ही जरूर लिख देना चाहिए।

4. पंक्तियों में सूचना (Writing in Rows)– तथ्यों या संख्याओं को पंक्तियों में लिखने की कई विधियाँ होती हैं। अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार किसी एक विधि को अपनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ कतारों को वर्णमाला के अनुसार एक क्रम से लिखा जा सकता है। उसी प्रकार स्थान के अनुसार समय और महत्व के अनुसार भी सूचनाओं को अथवा तथ्यों को पंक्तियों में लिखा जा सकता है।

5. स्तम्भों का क्रम (Sequence of Column)–कतारों के समान ही कॉलमों को भी कई प्रकार के क्रमों में लिखा जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है–

(क) प्रथम कॉलम में प्राय: विवरण लिखा जाता है जिससे कि आगे लिखी संख्याओं का परिचय प्राप्त हो।

(ख) अधिक महत्वपूर्ण सूचना यथासंभव बायीं ओर के कॉलमों में लिखी जानी

चाहिए।

(ग) तुलना की जाने वाली संख्याओं को पास-पास देना चाहिए जैसे स्त्री-पुरुष शिक्षित अशिक्षित

(घ) संख्याओं के प्रतिशत माध्य अथवा अनुपात को उन संख्याओं के बगल में ही रखना चाहिए।

6. स्तंभों का विभाजन (Division of Column)– यदि आकंड़ों या तथ्यों को कई वर्गों तथा उपवर्गों में विभाजित करके प्रदर्शित करना है तो उसी अनुसार कॉलमों का भी विभाजन कर देना चाहिए। पर यह विभाजन इस प्रकार का होना चाहिए कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से सरलतापूर्वक पृथक किया जा सके। इसके लिए प्रायः उपवर्ग की रेखा पतली तथा वर्गों की रेखा गहरी अथवा लाल स्याही से बनाई जाती है। योग वाले कॉलम की रेखा भी इसी प्रकार से कुछ गहरी खींची जाती है।

7. योग (Total)–यदि कॉलमों को कई उपवर्गों में विभाजित किया गया है तो प्रत्येक उपवर्ग का योग अलग-अलग देना चाहिए। जैसे यदि जनसंख्या को पुरुष, स्त्रियों तथा विवाहित, अविवाहित में बांटा गया है तो दोनों योग भी पृथक-पृथक दे देने चाहिए। वैसे भी प्रत्येक कॉलम का योग अवश्य होना चाहिए। आवश्यकतानुसार प्रत्येक कॉलम का योग खड़े और पड़े दोनों रूप में दे देना अधिक सुविधाजनक होता है।

(8) टिप्पणियाँ (Notes)–यदि सारणी में उल्लिखित संख्याओं या स्वयं सारणी के सम्बन्ध में कोई विशेष बात बनवानी हो तो उसे सारणी के नीचे एक या एकाधिक टिप्पणियों द्वारा प्रगट कर देना चाहिए। इसी प्रकार की टिप्पणियों में प्रायः सूचना के स्रोतों का अथवा कुछ विशिष्ट अपवादों का उल्लेख किया जाता है। टिप्पणी यदि किसी विशेष संख्या से सम्बन्धित है तो कोई चिह्न जैसे तारक आदि लगाकर यह स्पष्ट कर देना चाहिए एक अमुक टिप्पणी अमुक आँकड़े से संबंधित है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मुद्दों से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में उस कॉलम को खाली नहीं रखना चाहिए बल्कि कोई चिह्न बनाकर नीचे टिप्पणी में उसे स्पष्ट कर देना चाहिए जिससे कि यह शक न रहे कि वह स्थान भूल से छूट गया है।

16.3.5 सारणीयन के लाभ या उपयोगिता (Advantage or utility of Tabulation)

संकलित तथ्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए उन तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि सारणीयन के निम्नलिखित लाभ या उपयोगिता है–

(1) समस्त संकलित तन्त्र एक तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप तथ्यों के ढेर को क्रमबद्ध व सजा रूप प्राप्त हो जाता है।

(2) सारणीयन से जटिल व अव्यवस्थित तथ्यों को एक सरल व स्पष्ट रूप मिल जाता है। सारणीयन में निश्चित प्रयोजन के आधार पर तथ्यों को शीर्षकों तथा

उपशीर्षकों के अन्तर्गत तर्कपूर्ण ढंग से आयोजित कर दिया जाता है। फलत: तथ्यों का सरल व स्पष्ट रूप सामने आ जाता है और विश्लेषण कार्य में मदद मिलती है।

(3) सारणीयन से सांख्यिकीय विश्लेषण में बहुत सहायता मिलती है। माध्य, विचलन, सहसंबंध निकालने आदि की सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के अतिरिक्त ग्राफ तथा चित्र आदि बनाने में भी सारणियाँ अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती हैं।

(4) सारणीयन तुलनात्मक अध्ययन कार्य को अत्यंत सरल बना देता है क्योंकि सारणी में लिखित आंकड़ों को इस ढंग से सजाया जाता है कि तथ्यों का तुलनात्मक महत्व एकदम स्पष्ट हो जाए। उदाहरणार्थ यदि किसी समुदाय की संख्या संबंधी सारणी में स्त्री-पुरुष की संख्या को प्रदर्शित किया गया है तो उसे देखते ही हम यह बता सकते हैं कि उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या अधिक है अथवा पुरुषों की। इस प्रकार सारणी को देखकर किसी प्रकार की गणितीय विवेचना किए बिना ही तथ्यों की विशेषताओं को मोटे तौर पर समझा जा सकता है।

(5) सारणीयन से समय तथा स्थान की बचत होती है। सारणी द्वारा संकलित तथ्यों को कम-से-कम स्थान में प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए तथ्यों को समझने के लिए अधिक समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। इतना ही नहीं सारणी से किसी भी सूचना या तथ्य को ढूढ़ने में सरलता होती है जिसके कारण काफी समय की बचत भी होती है।

(6) सारणीयन वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु तथ्यों को तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करता है।

16.3.6 सारणीयन की सीमाएं (Limitation of Tabulation)

यह सत्य है कि संकलित तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण व व्याख्या के लिए सारणीयन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें निम्नवत् प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. सारणी के द्वारा केवल संख्यात्मक तथ्यों को ही प्रदर्शित किया जा सकता है। सारणी की यह एक उल्लेखनीय सीमा इसलिए बन जाती है कि सामाजिक तथ्य प्राय: गुणात्मक होते हैं और उनका प्रदर्शन सारणी द्वारा नहीं किया जा सकता।

2. सारणी की दूसरी सीमा यह है कि यह साधारण व्यक्तियों के लिए बहुधा बेकार की सिद्ध होती है। सारणियों को समझने के लिए अंकों का उच्च ज्ञान आवश्यक है। अत: सारणी की उपयोगिता केवल कुछ विशिष्ट व उच्च ज्ञान वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रह जाती है।

3. सारणी के अन्तर्गत किसी भी एक इकाई अथवा मद के महत्व को हम अलग से दिखा नहीं सकते चाहे अनुसंधान की दृष्टि से उसका कितना ही महत्व क्यों न हो। इसका परिणाम यह होता है कि उस महत्वपूर्ण इकाई को भी अन्य इकाइयों के साथ एक सामान्य स्थान या महत्व सारणी में मिलता है। इससे विश्लेषण व व्याख्या में पर्ण

परिशुद्धता नहीं पनप पाती है—यदि हम उस महत्वपूर्ण इकाई के बारे में निरन्तर सचेत न रहे और उसका पृथक उल्लेख वर्णनात्मक विवरण में न कर दें।

4. सारणी साधारण पाठकों के लिए बोझ बन जाती है क्योंकि इसे समझने के लिए अधिक दिमाग लगाना पड़ता है। इसके विपरीत वर्णनात्मक व्याख्या साधारण पाठकों के लिए आकर्षक तथा रूचिकर होती है।

उक्त सीमाओं को स्वीकार करने का अर्थ सारणीयन का परित्याग नहीं है। इसकी सीमाएं उसकी उपयोगिताओं से कहीं अधिक गौण हैं। हम वस्तुनिष्ठ अनुसंधान की कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उस अनुसंधान कार्य में सारणीयन का भी उचित स्थान प्राप्त न हो।

16.4 सारांश

इस इकाई में हमने देखा कि संग्रहीत सूचनाओं के विषय तत्वों में सजातीयता उत्पन्न करने का संकेत वर्गीकरण द्वारा किया जाता है। वर्गीकरण समानताओं को अभिव्यक्त करता है जो व्यक्तिगत इकाइयों की बहुशाखाओं से छाँटी जाती है। आंकड़ों के वर्गीकरण में ऐसी इकाइयाँ जिनमें समान विशेषताएं है, एक वर्ग में रखी जाती है और इस प्रकार से सम्पूर्ण सामग्री कुछ वर्गों में विभाजित हो जाती है। वर्गीकरण के उपरांत भी सांख्यिकीय सामग्रियां तुलना और निर्वचन योग्य नहीं होतीं। तथापि, सामग्री सारणीकरण के उपगम में यह पहला कदम होता है। सारणीकरण के बाद संख्याओं का विश्लेषण और निर्वचन किया जा सकता है। इस प्रकार सारणीकरण वर्गीकरण उपगम की प्राथमिक कार्यवाही है और यह सांख्यिकीय तथ्यों की समुचित प्रस्तुति की पृष्ठभूमि तैयार करती है।

16.5 शब्दावली

1. **सतत श्रेणी (Continuous Series)**—इस श्रृंखला के अन्तर्गत आने वाले प्राप्तांक को किसी भी सीमा तक उपविभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार की श्रृंखला के अन्तर्गत वह मान आते हैं जिनका सूक्ष्म विभाजन किया जा सकता है, जैसे; समय का विभाजन, घण्टा, मिनट, सेकेण्ड, आदि।

2. **खण्डित श्रृंखला (Discrete Series)**—वह श्रृंखला जो वास्तविक अंतर को प्रगट करती है, खण्डित श्रृंखला कहलाती है।

3. **व्यक्तिगत श्रृंखला (Individual Series)**—इस श्रेणी में प्रत्येक पद स्वतंत्र होता है। इस प्रकार की श्रृंखला तब बनानी चाहिए जब दिए हुए आंकड़ों से समूह अथवा वर्ग बनाने सम्भव न हो या प्रत्येक पद को महत्व देना हो।

4. **सूचीकरण/कूट निर्माण (Codification)**—तथ्यों का वर्गीकरण करने के पश्चात संख्यात्मक विवेचना के लिए उत्तरों का संकेतन करना होता है। इसका अर्थ है बड़े-बड़े वर्णनात्मक उत्तरों को संकेतों या प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना। यह काम सूचना

सम्पादन करते समय भी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि भिन्न-भिन्न उत्तरों को सांकेतिक श्रेणियों में इस प्रकार रख दिया जाए कि उनकी आवश्यक विशेषताएं स्पष्ट हो जाएं। इससे लाभ यह होता है कि बड़े-बड़े वर्णनात्मक उत्तरों के लिए 1, 2, 3, 4 आदि संख्याओं को निर्धारित कर दिया जाता है और उन्हीं संख्याओं के आधार पर उन उत्तरों को व्यक्त किया जाता है। इससे समय की काफी बचत हो जाती है और विश्लेषण कार्य में सरलता होती है।

16.6 संदर्भ ग्रन्थ

1. "सामाजिक शोध व सांख्यिकी"
   रवीन्द्र नाथ मुखर्जी
   विवेक प्रकाशन
   जवाहर नगर, नई दिल्ली।
2. सांख्यिकी के सिद्धान्त
   देवकी नंदन एलहँस
   किताब महल, इलाहाबाद
3. मीडिया शोध
   डॉ० मनोज दयाल
   हरियाणा साहित्य अकादमी
   पंचकूला

16.7 प्रश्नावली

लघु उत्तरीय प्रश्न

(क) वर्गीकरण की परिभाषा दीजिए।

(ख) वर्गीकरण के कौन-कौन से आधार हैं?

(ग) सारणीयन से आप क्या समझते हैं?

(घ) सारणी निर्माण के नियमों की चर्चा कीजिए।

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

(क) सामाजिक अनुसंधानों में वर्गीकरण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

(ख) आदर्श वर्गीकरण के गुणों का विवेचन कीजिए।

(ग) गणनात्मक वर्गीकरण के विविध प्रकारों का सोदाहरण वर्णन करें।

(घ) आवृत्ति के आधार पर सारणी के प्रकार बताइये।

(ङ) जटिल सारणी कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक की सोदाहरण व्याख्या प्रस्तुत कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

(1) वर्गीकरण के अन्तर्गत संग्रहित तथ्यों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया जाता है–

(i) समानता के आधार पर।

(ii) असमानता के आधार पर।

(iii) उपरोक्त दोनों आधार पर।

(iv) इनमें से कोई नहीं।

(2) इनमें से कौन वर्गीकरण का गुण नहीं है–

(i) वर्गीकरण में अनिश्चितता होनी चाहिए।

(ii) अनुसंधान के अनुकूल होना चाहिए।

(iii) सांख्यिकीय शुद्धता होनी चाहिए।

(iv) स्थायित्व होना चाहिए।

(3) जटिल सारणी को 'जटिल' कहा जाता है, क्योंकि–

(i) तथ्यों के विषय में एक से अधिक लक्षणों पर प्रकाश डाला जाता है।

(ii) तथ्यों से संबंधित कई गुणों को एक साथ प्रदर्शित करती है।

(iii) तथ्यों को अस्पष्ट बनाया जा सके।

(iv) (i) व (ii) दोनों।

(4) निम्नलिखित में से कौन सारणीयन का लाभ नहीं है–

(i) समस्त तथ्य एक तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं।

(ii) सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक होता है।

(iii) तुलनात्मक अध्ययन कार्य को अत्यंत सरल बना देता है।

(iv) तथ्यों को गोपनीय बनाया जा सकता है।

(5) इनमें से कौन सारणीयन का दुर्बल पक्ष नहीं है–

(i) साधारण व्यक्तियों के लिए अनुपयोगी होती है।

(ii) मात्र संख्यात्मक तथ्यों को ही प्रदर्शित किया जा सकता है।

(iii) समय तथा स्थान की बचत होती है।

(iv) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर–

1. (iii)
2. (i)
3. (iv)
4. (iv)
5. (iii)

इकाई -17 सांख्यिकीय विश्लेषण

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य

17.1 प्रस्तावना

17.2 सांख्यिकीय विश्लेषण

 17.2.1 सह संबंध विश्लेषण

 17.2.2 रेखीय समाश्रयण विश्लेषण

 17.2.3 काल श्रेणी विश्लेषण

 17.2.4 प्रसरण का विश्लेषण

17.3 सारांश

17.4 शब्दावली

17.5 संदर्भ ग्रन्थ

17.6 प्रश्नावली

17.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करके आप–

- शोध कार्य के दौरान एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- सह संबंध का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- रेखीय समाश्रयण विश्लेषण की सार्थकता का अध्ययन कर सकेंगे।
- काल श्रेणी विश्लेषण से परिचित हो सकेंगे।
- प्रसरण का विश्लेषण कर सकेंगे।

17.1 प्रस्तावना

मीडिया शोध के लिए सामान्यत: सामाजिक शोध की ही सहायता ली जा सकती है। सामाजिक शोधों में आंकड़े एकत्रित करने की विधियां भिन्न-भिन्न हैं। इन आंकड़ों का अभीष्ट मन्तव्य प्राप्त करने के लिए विश्लेषण कार्य अपरिहार्य है। इसके लिए सह संबंध विश्लेषण, रेखीय समाश्रयण विश्लेषण, काल श्रेणी विश्लेषण एवं प्रसरण विश्लेषण के द्वारा प्राप्त आंकड़ों से निष्कर्ष निर्गत किए जाते हैं। एक चर के दूसरे से संबंध की परीक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हैं, अपेक्षाकृत दोनों की निष्पत्ति मापी जाए। कुछ योग्यताएं निकटतम रूप से संबंधित हैं और क्या अन्य सापेक्ष रूप से स्वतंत्र हैं? क्या यह सत्य है कि अच्छी आवाज संगीत की निष्पत्ति में विभेद कर सकती है या

प्रतिभाशाली छात्र सामान्य छात्रों की अपेक्षा कम स्नायु रोगी होते हैं? यदि हम प्रमाणिक परीक्षण से ज्ञात किसी बालक की सामान्य बुद्धि के बारे में जानते हैं, हम श्रेणियों के रूप में व्यक्त उसकी विद्यालय संबंधी संभाव्य निष्पत्ति के विषय में कुछ भी कह सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं एवं ऐसी ही बहुत सी समस्याएं जिनमें योग्यताओं का संबंध निहित होता है, उनका अध्ययन सह संबंध विधि से किया जा सकता है।

यदि हम संबंधित चरों में से एक चर का सर्वोत्तम सम्भाव्य मूल्य, दूसरे चर के दिए हुए मूल्य के लिए जानना चाहें तो समाश्रयण से ज्ञात कर सकते हैं। वर्षा की मात्रा तथा चावल की उपज में सहसंबंध होता है। यदि हम यह जानना चाहें कि कितने परिमाण में वर्षा हो जिससे चावल की उपज एक निश्चित परिमाण में हो तो समाश्रयण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। समय की किसी इकाई जैसे वर्ष, माह, सप्ताह, दिन अथवा घण्टे के आधार पर वर्गीकृत समंकों का व्यवस्थित क्रम कालश्रेणी कहलाता है। अर्थात् जिस श्रेणी के चर मूल्य समय के प्रभाव को प्रकट करते हैं उसे काल श्रेणी कहते हैं। प्रसरण के विश्लेषण के अन्तर्गत दो अभिगमों की सापेक्ष कुशलता, उनकी सुविधाओं तथा असुविधाओं की धारणाओं के विषय में अध्ययन किया जाएगा।

17.2 सांख्यिकीय विश्लेषण

मीडिया शोधों में वैज्ञानिक निर्णय का मूल आधार सांख्यिकीय विश्लेषण है। यही कारण है कि आंकड़ों की विविधता को देखते हुए इस इकाई में सांख्यिकीय विश्लेषण का समावेश किया गया है। इसके अन्तर्गत सह संबंध विश्लेषण, रेखीय समाश्रयण विश्लेषण, कालश्रेणी विश्लेषण एवं प्रसरण विश्लेषण की विविध रीतियों का अध्ययन किया जाएगा। प्रिन्ट मीडिया तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के विविध आयामों यथा विज्ञापन प्रसार, कार्यक्रम ग्राहयता संबंधी आंकड़ों को संचित करने के पश्चात् विविध सांख्यिकीय विश्लेषण से सोध की प्रक्रिया संपादित होती है।

17.2.1 सह-संबंध विश्लेषण

यथार्थ जगत में प्रायः यह देखने में आता है कि जब किसी एक तत्व में कुछ परिवर्तन होता है तो दूसरे तत्वों में भी परिवर्तन होता है। उदाहरणार्थ जब किसी वस्तु की माँग बढ़ती है तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होने लगती है। जब हम ऐसी दो प्रवृत्तियों के पारस्परिक सम्बंधों का अध्ययन करना चाहते हैं तो सह संबंध विश्लेषण करते हैं। इन प्रवृत्तियों को सांख्यिकी में श्रेणियों के रूप में प्रकट किया जाता है। यदि दो श्रेणियों के समंक एक ही या प्रतिकूल दिशा में विचरण करते हुए पाए जाते हैं तो इसे सह विचरण कहते हैं। ऐसी श्रेणियों को परस्पर संबद्ध श्रेणियां कहा जाता है। लेकिन उनमें सह विचरण होना ही पर्याप्त नहीं है। उन दोनों तत्वों में परस्पर कारण तथा प्रभाव का संबंध भी होना चाहिए। इस प्रकार सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि "यदि एक श्रेणी के मूल्यों में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी के मूल्यों में भी परिवर्तन होता है तो इन श्रेणियों के

संबंध को सह-संबंध कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों श्रेणियों में से एक श्रेणी कारण और दूसरी उस कारण का प्रभाव बतलाती है। इनमें विचरण बतलाने वाली श्रेणी को मुख्य श्रेणी तथा प्रभाव बतलाने वाली श्रेणी को आश्रित (Relative series) कहा जाता है।

सहसंबंध की परिभाषा

प्रो० डब्ल्यू० आई० किंग के शब्दों में दो श्रेणियो या समूहों के बीच विद्यमान कार्य-कारण संबंध को ही सह-संबंध कहते हैं।

इसी प्रकार कोनर के शब्दों में, जब दो या अधिक राशियाँ सहानुभूति में इस प्रकार विचरण करती हैं कि जिससे एक में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी राशि में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पायी जाती है, वे राशियां सह-संबंधित कहलाती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि किन्हीं दो संबंध समंक श्रेणियों में साथ-साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को ही सह-संबंध कहते हैं। वे परिवर्तन एक ही दिशा में भी हो सकते हैं और विपरीत दिशा में भी। एक ही दिशा में होने वाले परिवर्तनों को धनात्मक परिवर्तन कहते हैं और जब एक समंक श्रेणी में एक दिशा में परिवर्तन होने पर दूसरी सम्बद्ध श्रेणी में विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं तो उनमें ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। सह-संबंध की सबसे सरल और संक्षिप्त परिभाषा ए० एम० टुट्टल द्वारा दी गयी हैं जो इस प्रकार है–दो या दो से अधिक चरों में पाए जाने वाले सह-विचरण के विश्लेषण को ही सह संबंध कहा जाता है।

किन्हीं भी दो अथवा अधिक समंक श्रेणियों में सह संबंध होने के लिए उनमें परस्पर परिवर्तन होने की आवश्यकता नहीं है अपितु ये परिवर्तन एक दूसरे के फलस्वरूप होने चाहिए। इसका आशय यह है कि दोनों श्रेणियों को आश्रयभूतत्व (Interdependence) भी होना चाहिए। कभी-कभी दो विभिन्न श्रेणियों में उच्चावचन आकस्मिक रूप से हो जाते हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे परिवर्तन अचानक संयोगवश भी होते हैं और उनमें उच्च दर का सह-संबंध होते हुए भी कारण परिणाम सम्बन्ध नहीं होता। इस दृष्टि से सह-संबंध की गाउले द्वारा दी गयी निम्नलिखित परिभाषा काफी निश्चित तथा स्पष्ट है–

जब दो परिमाणों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक परिमाण में परिवर्तन दूसरे परिमाण के परिवर्तनों से सहानुभूति रखते हों, जिससे कि एक की वृद्धि या कमी या विपरीत सम्बंधों में हो और एक के परिवर्तन की मात्रा जितनी अधिक हो उतनी ही दूसरे की हो तब दोनों परिमाण सह संबंधित कहलाते हैं।

सह संबंध के प्रकार (Types of Correlation)–

सह संबंध निम्नलिखित तीन प्रकार का हो सकता है–

1. धनात्मक तथा ऋणात्मक सह-संबंध (Positive and Negatione correlation)–जब दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो उनके सह संबंध को प्रत्यय अनुलोम या धनात्मक सह-संबंध कहते हैं। उदाहरणार्थ जब वस्तु की माँग में वृद्धि होने पर उसके मूल्यों में वृद्धि हो जाना। इसके विपरीत, जब दो श्रेणियों में परिवर्तन

एक ही दिशा में न होकर दो विपरीत दिशाओं में होते हैं, जैसे–वस्तु को पूर्ति में वृद्धि होने पर मूल्यों का गिर जाना तो उनके सह संबंध को प्रतीप (Inverse) अप्रत्यक्ष (Indirect) प्रतिलोम या ऋणात्मक (Negative) सह-संबंध कहते हैं।

2. रेखीय तथा वक्र-रेखीय सह-संबंध (Linear and Curve linar Correlation)–

जब दो श्रेणियों या परिमाणों में विचरण सदैव समान अनुपात में ही हो तो रेखीय सह संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी आपूर्ति 10% से बढ़ जाती हैं तो यह कहा जाएगा कि उस वस्तु के मूल्य एवं आपूर्ति में रेखीय सह-संबंध है। परंतु जब दो श्रेणियों या परिमाणों में परिवर्तन का अनुपात समान न हो अर्थात् उनमें भिन्न-भिन्न अनुपात में परिवर्तन होते हों तो उनमें वक्र-रेखीय सह संबंध होगा। रेखीय सह-संबंध वाली श्रेणियों को बिन्दु पथ पर अंकित करने पर एक सीधी रेखा बनती है जबकि वक्र रेखीय सह संबंध में ऐसा नहीं होता। सामाजिक तथा आर्थिक तत्वों में प्राय: वक्र रेखीय सहसंबंध ही पाया जाता है, रेखीय सह संबंध नहीं।

3. सरल, बहुगुणी तथा आंशिक सह संबंध (Simple, multiple and partial correlation) – दो चर मूल्यों के बीच पाए जाने वाले सह-संबंध को सरल सह-संबंध कहते हैं। इनमें एक चर स्वतंत्र होता है और दूसरा उस पर आश्रित। जब स्वतंत्र मूल्य दो या दो से अधिक हों और आश्रित चर मूल्य केवल एक हो तो उसे बहुगुणी सह-संबंध कहा जाता है। इस प्रकार बहुगुणी सह-संबंध में समस्त स्वतंत्र चर मूल्यों का संयुक्त प्रभाव आश्रित चर मूल्य पर पड़ता है। आंशिक सह-संबंध में अध्ययन तो दो से अधिक चर मूल्यों का किया जाता है किन्तु सह-संबंध केवल दो चर मूल्यों में ही निकाला जाता है और अन्य चर मूल्य स्थिर रखे जाते हैं।

सहसंबंध ज्ञात करने की विधियाँ (Measurement of Correlation)–

किन्हीं भी दो श्रेणियों के पारस्परिक सह-संबंध को निम्नलिखित विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है–

(अ) बिन्दु रेखीय विधियाँ

(i) साधारण बिन्दु रेखीय विधि

(ii) विक्षेप चित्र

(iii) सह संबंध सारिणी

(ब) गणितीय विधियाँ

(i) कार्ल पियर्सन विधि (Karl Pearson's Method)

(ii) संगामी विचलन विधि (The Concurrent Deviation Method)

(iii) कोटि अंतर विधि

(i) साधारण बिन्दु रेखीय विधि—सह संबंध ज्ञात करने की यह एक सरल विधि है। इसकी सहायता से सह संबंध की प्रवृत्ति का दृष्टिगत अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि में दोनों श्रेणियों के समंकों को एक बिन्दु रेख पत्र (Graph Paper) पर प्रांकित किया जा सकता है और प्रांकित बिन्दुओं को मिलाकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि दोनों श्रेणियों के समंकों में परिमाण की दृष्टि से अधिक अंतर न हो तो दोनों रेखाओं को एक ही आधार और एक पैमाने पर अंकित करना चाहिए। लेकिन यदि उनके मूल्यों में पर्याप्त अंतर हो तो दोनों के लिए अलग-अलग पैमाने मानने चाहिए। आवश्यक होने पर कृत्रिम आधार रेखा का भी प्रयोग किया जा सकता है।

बिन्दु रेखा पत्र पर अंकित रेखाओं की दिशाओं को देखकर ही सह संबंध का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि दोनों श्रेणियों की रेखाएं एक ही दिशा की ओर बढ़ती है तो उनमें धनात्मक सह संबंध होता है। यदि दोनों रेखाएं विरोधी दिशाओं में बढ़ती हैं तो उनमें ऋणात्मक सह संबंध होता है। यदि ये दोनों रेखाएं कोई निश्चित प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करती तो यह इस बात का प्रतीक होगा कि उन दोनों श्रेणियों में कोई सह-संबंध नहीं है।

यद्यपि सह-सम्बन्ध का अध्ययन करने की बिन्दु रेखा पक्ष विधि अतिसरल है क्योंकि इसमें कोई गणितीय सूत्र प्रयोग नहीं होता लेकिन यह एक प्रमाणिक विधि नहीं है। इससे सह-संबंध की केवल दिशा का ही बोध होता है। उसकी मात्रा बात नहीं होती। यही कारण है कि इस पद्धति का अधिक प्रयोग नहीं होता और सह-संबंध गुणांक की गणना की जाती है।

2. विक्षेप चित्र (Scatter Diagram)—सह संबंध ज्ञात करने की यह विधि बिन्दु रेखा पद्धति से ही मिलती जुलती है। इसकी रचना करने के लिए एक ओर X श्रेणी तथा दूसरी ओर Y श्रेणी का पैमाना मान लिया जाता है। इसके बाद x श्रेणी एवं y श्रेणी के प्रत्येक मूल्य को एक ग्राफ पेपर पर इस प्रकार अंकित किया जाता है कि दोनों मूल्यों के लिए एक बिन्दु अंकित है। इस प्रकार जितने मूल्यों के जोड़े होते हैं उतने ही बिन्दु अंकित किए जाते हैं। उदाहरणार्थ यदि x एवं y श्रेणी में 10-10 पद हों तो और दोनों श्रेणियों के पहले पदों का मूल्य क्रमश: 20 एवं 15 हो तो x अक्ष में 20 तथा y अक्ष में 15 की सीध के बीच एक बिन्दु अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार शेष पदों के जोड़ों के लिए भी क्रमश: 1-1 बिन्दु रखा जाएगा। इस प्रकार 10 जोड़ों के लिए 10 बिन्दु अंकित होंगे। इस प्रकार अंकित बिन्दुओं द्वारा प्राप्त चित्र को विक्षेप चित्र की संज्ञा दी जाती है तथा प्राप्त बिन्दुओं की उत्पत्ति अथवा प्रवृत्ति के आधार पर दो श्रेणियों में सह-संबंध का अनुमान लगाया जा सकता है।

यदि विक्षेप चित्र में समस्त बिन्दु बायीं ओर से दायीं ओर, एक सरल रेखा के लगभग साथ-साथ, ऊपर उठते हैं तब दो श्रेणियों में धनात्मक सह-संबंध होगा। इस प्रवृत्ति को प्रथम विक्षेप चित्र में दर्शाया जाता है। इसी प्रकार यदि बिन्दुओं की प्रवृत्ति दायीं ओर से बायीं ओर एक सरल रेखा के लगभग साथ-साथ, नीचे की ओर है तब

ऋणात्मक सह संबंध की स्थिति होती है। इसके विपरीत यदि बिन्दुओं से किसी निश्चित दिशा अथवा प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है तब दो श्रेणियों में सह संबंध का अभाव होगा।

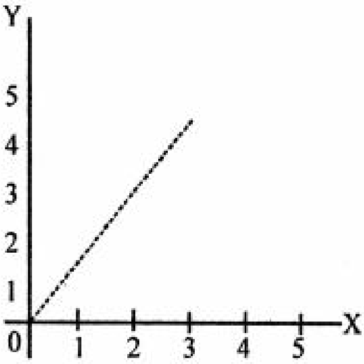

पूर्ण धनात्मक सह-संबंध

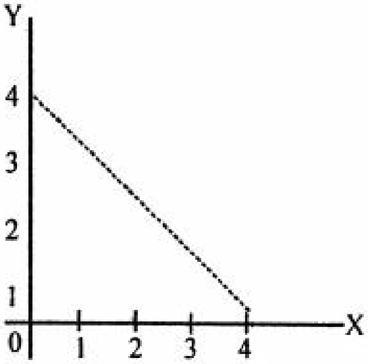

पूर्ण ऋणात्मक सह-संबंध

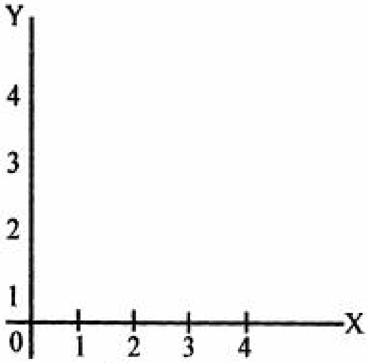

सह संबंध का अभाव

3. सह संबंध सारिणी (Correlation table)–

यह विधि भी सह-संबंध के चित्रमय प्रदर्शन की एक विधि है। इसमें दोनों श्रेणियों के मूल्यों को एक ओर ऊपर से नीचे तथा दूसरी के मूल्यों को बायीं से दायीं ओर को लिखते हैं। इसके पश्चात् उनकी आवृत्तियों को सामने के खाने में लिखा जाता है। अब आवृत्तियों के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। यदि खानों में लिखी हुई आवृत्तियाँ एक प्रवाह के रूप में हों तो उन दोनों श्रेणियों में सह संबंध होगा। आवृत्तियाँ का बायीं ओर से दायीं ओर को ऊपर उठता हुआ प्रवाह धनात्मक सह संबंध तथा दायीं ओर से बायीं ओर ऊपर उठता हुआ प्रवाह ऋणात्मक सह संबंध प्रकट करता है।

इंच में	वजन (पाउंड में)					
लम्बाई	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	योग
50-55	–	–	6	34	2	
55-60	–	5	15	6	–	
60-65	3	33	1	–	–	
65-70	16	3	–	–	–	
योग	19	41	22	40	2	124

उपरोक्त सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि दोनों श्रेणियों में धनात्मक सह-संबंध है क्योंकि आवृत्तियों का प्रवाह बायीं ओर से दायीं ओर को ऊपर की दिशा में उठता हुआ जा रहा है। इस प्रकार यह विधि विक्षेप चित्र विधि से काफी मिलती है। लेकिन इसमें भी वे ही अभाव पाएं जाते हैं जो सह–संबंध की अन्य बिन्दुरेखीय पद्धतियों में मिलते हैं अर्थात् इससे सह संबंध क होना या न होना तथा उसकी दिशा का ही बोध हो पाता है उसकी मात्रा का नहीं। यही कारण है कि सह संबंध का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए सह संबंध गुणांक की गणना की जाती है।

सह संबंध ज्ञात करने की गणितीय विधियाँ

1. कार्ल पियर्सन का सह-संबंध गुणांक

(Karl Pearson's Coefficent of Correlation)

सह संबंध ज्ञात करने की बिंदु रेखीय विधियाँ सहसंबंध का परिमाण बताने में असमर्थ रहती है। अत: इसके लिए सह संबंध गुणांक की गणना करना श्रेष्ठ है। यह सह संबंध ज्ञातकरने की सबसे उपयुक्त विधि है और इसमें कार्ल पियर्सन का सह-संबंध गुणांक उल्लेखनीय है। इसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने सन् 1870 में किया था और यह श्रेणियों के सह विचरण तथा प्रमाप विचलन (Covariance and standard deviation) पर आधारित है। सह-संबंध गुणांक को r से प्रकट किया जाता है।

(i) प्रत्यक्ष विधि अथवा ऋजु विधि

(Direct or Product Method)–

$$r = \frac{\Sigma xy}{n\sigma_x\sigma_y} \text{ or } r = \frac{\frac{\Sigma dxdy}{n}}{\sigma_x\sigma_y}$$

$$= \frac{\text{cov}(x,y)}{\sqrt{[V(x)v(y)]}}$$

यहाँ r = Coeffivent of correlation

$$Cov(x,y) = \sum(x-y)(y-y) = \sum x$$

$$v(x) = \Sigma (x-x)^2 = \Sigma x^2$$

$$v(y) = \Sigma (y-y)^2 = \Sigma y^2$$

Σ xy = Summation of the product of coerresponding deviations of x and y series from their Arithmatic mean.

n = Number of paired observation.

σ_x = Standard deviation of series x

σ_y = Standard deviation of scies y

dx = Statndard deviation of series Y

dx = (x – x), dy = (y–y)

उपरोक्त सूत्र का तभी प्रयोग किया जा सकता है जबकि विचलन वास्तविक समान्तर माध्यों से लिए जाएं और दोनों श्रेणियों के प्रमाप विचलन की भी पृथक से गणना कर ली जाए। इस सूत्र को निम्नलिखित रूप में सरल करके भी लिखा जा सकता है–

$$r = \frac{\Sigma xy}{\sqrt{\Sigma x^2 \times \Sigma y^2}} \text{ or}$$

$$r = \frac{\Sigma dxdy}{\Sigma dx^2 \times \Sigma dy^2}$$

सह संबंध गुणांक की विशेषताएं

(Properties of correlation coefficient)

(i) सह संबंध गुणांक का मान विचलन एवं पद विचलन से स्वतंत्र होता है अर्थात् यदि हम x तथा y श्रेणी के किसी भी मूल्य से विचलन अथवा पद विचलन लें तब भी r का मान एक ही आएगा।

(ii) यह एक शुद्ध संख्या है तथा यह मापन की इकाई से स्वतंत्र होता है।

(iii) r का मान सदैव –1 व +1 के मध्य होता है अर्थात्

$-1 \le r \le 1$

(2) अप्रत्यक्ष विधि (Indirect Method)–ऊपर लिखे गए दोनों सूत्रों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि दोनों श्रेणियों मे विचलन वास्तविक समान्तर माध्य से लिए जाएं। लेकिन समान्तर माध्य का सदैव पूर्णांक में होना ही आवश्यक नहीं। यदि वह पूर्णांक में नहीं हुआ तो विचलन लेने और गणना में कठिनाई होगी। अत: सरलता के लिए अप्रत्यक्ष विधि द्वारा गणना की जानी चाहिए। इस रीति में विचलन दोनों श्रेणियों के कल्पित माध्य से लिए जाते हैं और फिर सूत्र में $\Sigma dx\, dy$. $\Sigma\, dx^2$ तथा $\Sigma\, dy^2$ में वास्तविक और कल्पित माध्यों के अन्तरों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर दिए जाते हैं।

इस रीति में निम्न दो सूत्रों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है–

(i)
$$r = \frac{\Sigma dxdy - \left(\frac{\Sigma dx \times \Sigma dy}{n}\right)}{\sqrt{\left[\left(\Sigma dx^2 - \frac{(\Sigma dx^2)}{n}\right)\left(\Sigma dy^2 - \frac{(\Sigma dy)^2}{n}\right)\right]}}$$

(ii)
$$r = \frac{n\sum dxdy - (\Sigma dx)(\Sigma dy)}{\sqrt{\left\{\left[n\Sigma dx^2 - (\Sigma dx)^2\right]\left[n\Sigma d^2 - (\Sigma dy^2)\right]\right\}}}$$

यहाँ dx एवं dy क्रमश: x और y श्रेणियों के कल्पित माध्यों a एवं b से लिए गए विचलन है, अर्थात् dx = (x–a) तथा y = (y – b)

17.2.2 रेखीय समाश्रयण विश्लेषण (Linear Regression analysis)

शब्दकोश के अनुसार समाश्रयण (Regression) का शाब्दिक अर्थ है–पीछे हटना (Act of retuning or going back) उन्नीसवीं शताब्दी में सर फ्रसिस गोल्टन ने सर्वप्रथम समाश्रयण शब्द का प्रयोग पिता एवं पुत्र की लम्बाई के मध्य सह संबंध के अध्ययन में किया था तथा उस विषय में एक रुचिकर संबंध का प्रतिपादन किया। गाल्टन के अनुसार लम्बे पिता के पुत्र लम्बे एवं छोटे पिता के पुत्र छोटे होते हैं परन्तु लम्बे पिता के पुत्रों की औसत लम्बाई लम्बे पिताओं की औसत लम्बाई से कम तथा छोटे पुत्रों की माध्य लम्बाई छोटे पिताओं की माध्य लम्बाई से अधिक होती है। इस प्रकार जब पिता माध्य लम्बाई से कम या अधिक लम्बे होते हैं तब उनके पुत्रों की लम्बाई माध्य लम्बाई की ओर समाश्रयित या पीछे हटती है। इसी पीछे हटने की प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली रेखा को लेखाचित्र के अध्ययन द्वारा गाल्टन ने समाश्रयण रेखा का नाम दिया। तब से समाश्रयण शब्द का प्रयोग एक निश्चित प्रवृत्ति का द्योतक बन गया यद्यपि इसका उपयोग गाल्टन के प्रयोग से भिन्न हो गया। जब विभिन्न चरों से प्राप्त मूल्य परस्पर सम्बन्धित होते हैं तो उनके मध्य सम्बन्ध की मात्रा का अध्ययन सह-सम्बन्ध द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात् यदि हम संबंधित चरों में से एक चर का सर्वोत्तम सम्भाव्य मूल्य, दूसरे चर के दिए हुए मूल्य के लिए जानना चाहें तो समाश्रयण से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरणार्थ प्राय: हम देखते हैं कि एक मनुष्य जितना लम्बा होगा उसका वजन भी उतना अधिक होगा। इस प्रकार दो चरों, लम्बाई व वजन में सह-सम्बन्ध पाया जाता है। अब यदि हम जानना चाहें कि अमुक लम्बाई के व्यक्ति का सर्वोत्तम समभाव्य वजन कितना होगा अथवा अमुक वजन के व्यक्ति की सर्वोत्तम सम्भाव्य लम्बाई क्या होगी। इस उदाहरण में एक चर के ज्ञात मान द्वारा दूसरे चर का मान ज्ञात करना चाहते हैं जबकि दोनों पर परस्पर संबंधित है। सांख्यिकी में वह सिद्धान्त जिनके द्वारा हम एक चर के अज्ञात मूल्यों के सर्वोत्तम सम्भाव्य मूल्य, दूसरे चर के ज्ञात मूल्यों के लिए निकाल सकें, समाश्रयण कहलाता है। अत: समाश्रयण विश्लेषण द्वारा हम एक चर के मूल्यों में होने वाले निश्चित विचरण (Variation) से दूसरे चर के मूल्यों में माध्य विचरण (Average variaton) का अध्ययन करते हैं।

समाश्रयण के उपयोग (Uses of Regression in statistics)

समस्त आर्थिक (Economic) एवं व्यापारिक समस्याओं के समाधान हेतु प्राय: यह आवश्यक होता है कि हम योजनाबद्ध तरीके से व्यापार के भविष्य का पूर्वानुमान लगाएं। उदाहरण के लिए वस्तुओं के मूल्य तथा माँग में परस्पर सह-संबंध होता है। अत: प्रत्येक व्यापारी यह जानना चाहता है कि अमुक मूल्य पर वस्तु की कितनी माँग है अथवा अमुक माँग होने पर वस्तु का क्या मूल्य रखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ खाद्यान्न की आवश्यकता भी बढ़ती है, तब योजनाधिकारी के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता का अनुमान एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर लगाना एक अच्छी अर्थव्यवस्था में आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के

अनेकों अनुमान एक अर्थशास्त्री तथा व्यापारी को अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए लगाने पड़ते हैं। इन्हीं अनुमानित विधियों में से एक समाश्रयण विश्लेषण है। अब इस विधि का उपयोग आर्थिक तथा व्यापारिक समस्याओं में ही नहीं वरन् अन्य प्राकृतिक, भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों में भी होता है।

समाश्रयण विश्लेषण केवल दो चरों तक ही सीमित नहीं है वरन् इसका उपयोग तीन, चार या अधिक चरों के लिए भी हो सकता है। लेकिन इस अध्याय में हम केवल दो चरों का ही अध्ययन करेंगे।

समाश्रयण रेखाएं (Regression lines)–यदि हम अपना अध्ययन केवल दो चरों x तथा y तक सीमित रखते हैं तब दो निम्न समाश्रयण रेखाएं होंगी–

(i) y की x पर समाश्रायण रेखा।

(ii) x की y पर समाश्रयण रेखा।

दो चरों के पारस्परिक माध्य संबंध को प्रकट करने वाले सर्वोपयुक्त रेखाओं को समाश्रयण रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं एक चर के ज्ञात मूल्य के लिए दूसरे चर के सर्वोत्तम माध्य मूल्य को व्यक्त करती है।

y की x पर समाश्रयण रेखा x के दिए मूल्यों के लिए y के सर्वोत्तम माध्य मूल्यों को प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार x की y पर समाश्रायण रेखा y के दिए मूल्यों के लिए x के सर्वोत्तम माध्य मूल्यों को प्रस्तुत करती हैं।

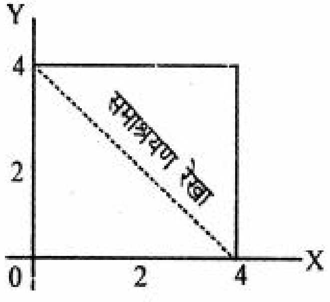

r = –1

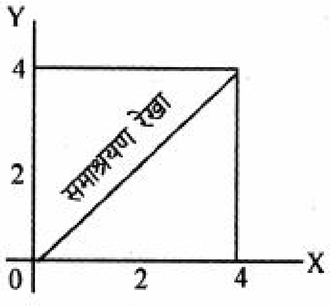

r = +1

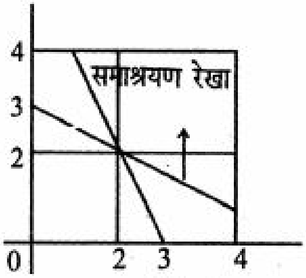

r = –0.5

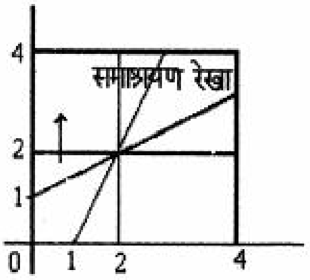

r = +0.50

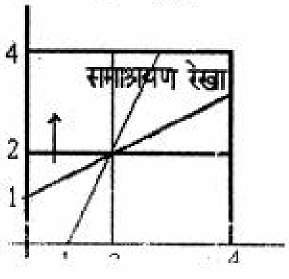

इस प्रकार प्रथम रेखा x के चर मूल्यों में विचरण से y चर में होने वाले परिवर्तनों को निरूपित करती हैं, अत: दो चरों के अध्ययन में दो समाश्रयण रेखाएं होती है। परंतु उपयुक्त दो चरों में परिपूर्ण धनात्मक तथा ऋणात्मक सह-संबंध हो तो दोनों समाश्रयण रेखाएं एक जैसी होंगी। अर्थात् उस दशा में केवल एक समाश्रयण रेखा होगी। इस प्रकार दो चरों में जितना अधिक सह-संबंध होगा, दोनों समाश्रयण रेखाएं उतनी ही समीप होंगी तथा इसके विपरीत सह–संबंध की न्यूनता से रेखाएं दूर होती जाएगी।

17.2.3 काल श्रेणी विश्लेषण

सांख्यिकीय तथ्यों को किसी भी निश्चित आधार पर व्यवस्थित करके विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं। समय (Time) की सांख्यिकीय सामग्री को वर्गीकृत करने का एक संतोषजनक और उपयोगी आधार है। आर्थिक अनुसंधानों में तो समय का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि समय के साथ-साथ आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन दिखायी देते हैं जैसे– जनसंख्या में वृद्धि होना, उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी होना। उत्पादन लागत में वृद्धि अथवा कमी होना। ऐसे परिवर्तनशील तत्वों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय विशेषज्ञ काल श्रेणी विश्लेषण की तकनीकों का व्यापक प्रयोग करते हैं।

जिस श्रेणी के चर मूल्य (variables) समय के प्रभाव को प्रकट करते हैं उसे कालश्रेणी कहते हैं। स्पाइगेल के शब्दों में एक काल श्रेणी एक निश्चित कालान्तर पर किए गए अवलोकनों से प्राप्त अध्ययन निष्कर्षों का समूह होती है। उदाहरणार्थ, भारत में पिछले पाँच वर्षों में हुए अनाज के उत्पादन को हम अग्रांकित प्रकार लिख सकते हैं–

वर्ष	अनाज का उत्पादन (मि० टन में)
1971	950
1972	1000
1973	1020
1974	1050
1975	1170

उपर्युक्त कालश्रेणी में समंको के वर्गीकरण का आधार 'वर्ष' है।

कालश्रेणी–विश्लेषण का महत्व (Importance of analysis time Series)

कालश्रेणी–विश्लेषण का सांख्यिकी में व्यापक महत्व है जैसे कि निम्नांकित विवरण से स्पष्ट है–

1. विगत व्यवहार के अध्ययन में सहायता (Help in understanding past behavior)–एक कालश्रेणी किसी भी आर्थिक अथवा व्यावसायिक समस्या से सम्बन्धित आंकड़े व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। अत: उसका विश्लेषण करके भूतकालीन

व्यवहार और स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है और उन भूतकालीन परिवर्तनों के अध्ययन से विभिन्न उपयोगी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

2. वर्तमान परिस्थितियों को समझने में सहायता (Help in understanding the existing circumstances)—कालश्रेणियों के विश्लेषण द्वारा हम विभिन्न आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले से निर्धारित प्रमापों तथा वास्तव में सम्पन्न कामों या परिणामों से तुलना कर सकते हैं और यदि विचलन कोई हों तो उनके कारणों का पता लगा सकते हैं।

3. अन्तर मूल्यांकन में सहायता (Help in Comparison)—एक ही फर्म अपनी विभिन्न वर्षों या महीनों के आधार पर तैयार की गयी बिक्री मात्रा, उत्पादन लागत या लाभार्जन समंकों की कालश्रेणी की सहायता से अपने क्रिया-कलापों का मूल्यांकन कर सकती है और दो भिन्न-भिन्न अवधियों में किए गए लाभ का अन्तर मूल्यांकन कर सकती है।

4. भावी नियोजन में सहायता (Help in future planning)—काल श्रेणियों के विश्लेषण से भावी नियोजन में भी बहुत सहायता मिलती है। भूतकालीन प्रवृत्ति के आधार पर भावी दीर्घकालीन प्रवृत्ति का अनुमान जगाया जा सकता है और तद्नुसार भावी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। यदि कालश्रेणी ठीक से बनायी गयी हो और किसी दीर्घकालीन प्रवृत्ति को भली प्रकार विश्लेषित कर लिया गया हो तो भावी विचरणों को संभावित सीमाओं के अंदर पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ प्रक्षेपित किया जा सकता है।

5. अन्य उपयोग (Other uses)—अर्थशास्त्रियों एवं व्यवसायियों के अलावा समाजशास्त्रियों उपभोक्ता सरकार, डॉक्टरों अथवा जीव वैज्ञानिकों आदि की समस्याओं का भी अध्ययन और विश्लेषण काल श्रेणियों की सहायता से किया जा सकता है। व्यापार में होने वाले आकस्मिक उच्चावचनों का अनुमान इनकी सहायता से भली प्रकार लगाया जा सकता है। विभिन्न कालश्रेणियों की परस्पर तुलना करके उनके कारण तथा प्रभाव का विश्लेषण किया जा सकता है।

कालश्रेणी के संघटक (Components of time series)— कालश्रेणी के रूप में उपलब्ध होने वाले समंकों पर (चाहे वे किसी भी समस्या से सम्बन्धित क्यों न हो), विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है जिन्हें हम श्रेणी के संघटक कहते हैं। उनका भली प्रकार विश्लेषण करके भावी प्रवृत्तियों का अनुमान भली-भाँति लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम एक ऐसी कालश्रेणी को ले लें जिसमें गेहूँ के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को दिखाया गया हो। इन गेहूँ मूल्यों पर विभिन्न कारकों का प्रभाव होगा। जैसे जनसंख्या में वृद्धि, उपभोक्ताओं की रूचियों में परिवर्तन, उपभोक्ता वर्ग की आय में परिवर्तन, सरकारी नीति, नियंत्रण एवं राशन व्यवस्था, गेहूँ की कृषि कला और उत्पादकता में अन्तर विभिन्न वर्षों में किया गया गेहूँ का आयात-निर्यात, व्यापार की मात्रा आदि। इन सभी तत्वों को दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन, नियमित या अनियमित उच्चावचन वाले कारकों आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अत:

कालश्रेणी के विश्लेषण की समस्या इन तत्वों को अलग-अलग करने और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने की है। किसी भी कालश्रेणी का विश्लेषण करते समय हमें निम्न तीन

(1) दीर्घकालीन उपनति का अध्ययन (Secular Trend)

(2) अल्पकालीन अथवा नियमित उच्चावचनों का अध्ययन (Short term or regular fluctuation)

(क) आर्तव या मौसमी विचरण (Seasonal Variation)

(ख) चक्रीय उच्चावचन (Cyclical flutuations)

(3) दैव या अनियमित उच्चावचन (Random or Irregular Fluctuations)

उपरोक्त तत्व ही एक कालश्रेणी के संघटक अथवा कारक कहलाते हैं। इन तत्वों को पहचान कर अलग-अलग करना और उनका अध्ययन करना ही कालश्रेणी का विश्लेषण है। यह उल्लेखनीय है कि एक समय में केवल एक ही प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन विश्लेषण किया जाना चाहिए। यदि हमें दीर्घकालीन परिवर्तनों का अध्ययन करना हो तो श्रेणी में से अल्पकालीन उच्चावचनों को अलग करना होगा। इसके विपरीत यदि हमें अल्पकालीन परिवर्तनों का अध्ययन करना हो तो उसमें से दीर्घकालीन परिवर्तनों को अलग करना होगा।

दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति का मापन

दीर्घ काल में किसी भी तथ्य के घटने या बढ़ने या स्थिर रहने की प्रवृत्ति को दीर्घकालीन उपनति कहते हैं। इस प्रकार किसी भी कालश्रेणी में दीर्घकालीन तत्वों का प्रभाव दर्शाने वाले कारकों को दीर्घकालीन उपनति कहा जाता है। दीर्घकालीन उपनति का निर्धारण करते समय अल्पकालीन उच्चावचनों को या तो पृथक कर दिया जाता है और या उनकी उपेक्षा कर दी जाती है तथा एक औसत दीर्घकालीन प्रवृत्ति की गणना कर ली जाती है। किसी भी कालश्रेणी में दीर्घकालीन प्रवृत्ति को बतलाने वाली तीन प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं—ऊपर की ओर जाती हुई उपनति अर्थात् वृद्धि की दशा नीचे की ओर गिरती हुई उपनति अर्थात् ह्रासोन्मुख दिशा अथवा स्थिरता की दशा। उदाहरणार्थ यदि हम गत 20 वर्षों में अनाज के मूल्यों में हुए उच्चावचनों की दीर्घकालीन उपनति की गणना करें तो यह वृद्धिशील उपनति दिखलाएगी। इसी प्रकार भारत में 20 वर्षों में हुई मृत्यु दरें ह्रासोन्मुख दीर्घकालीन उपनति प्रदर्शित करती है। इसके विपरीत यदि हम किसी भी पहाड़ी स्थान पर गत् 50 वर्षों में हुई वार्षिक वर्षा का औसत देखें तो वह स्थिर उपनति को दिखलाएगा। किसी भी कालश्रेणी में दीर्घकालीन उपनति ऐसे तथ्यों पर आधारित होती है, जिनमें उच्चावचन एक लम्बे समय में होते हैं अर्थात् इन तथ्यों में परिवर्तन एक दीर्घकाल के पश्चात् दृष्टिगोचर होते हैं।

किसी भी तथ्य सम्बन्धी कालश्रेणी में दीर्घकालीन प्रवृत्ति की गणना करने से दो प्रमुख लाभ होते हैं—उस तत्व में हो रही दीर्घकालीन प्रवृत्ति का पता लगाया जा सकता है और भावी वर्षों में क्या प्रवृत्ति रहेगी इसका पता भी चलाया जा सकता है। दूसरा लाभ

यह है कि एक फर्म की तथा एक उद्योग की उन्नति की तुलना दोनों की दीर्घकालीन उपनति मूल्यों की गणना करके सरलतापूर्वक की जा सकती है।

17.2.4 प्रसरण का विश्लेषण

प्रसरण के विश्लेषण का प्रयोग मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता के निर्धारण हेतु होता है। इसमें दो मध्यमानों के मध्य सार्थकता के अन्तर के निर्धारण हेतु दो स्थितियों पर विचार किया जाता है–

(i) जबकि मध्यमान (m) स्वतंत्र हों अर्थात् जब मापों का समूह जिनसे m प्राप्त किए जाते हैं, असहसम्बन्धित होता है।

(ii) जब m विभिन्न माप या प्राप्तांकों के सहसंबंध के कारण स्वतंत्र नहीं होते।

प्राप्तांकों के समूह के मध्य जब विचलनशीलता हो तो वह साधारणत: प्रमाणिक विचलन (σ) के रूप में प्रस्तुत की जाती है। विचलनशीलता को प्रसरण या σ^2 के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। प्रमाणिक विचलन (Standard deviation) के रूप में प्रसरण (Variance) का विचारणीय लाभ सदैव यह है कि ये अवसर यौगिक होते हैं एवं वर्गों का योग होते हैं जिन पर प्रसरण आधारित है।

मानाहम दो स्वतंत्र प्राप्तांक (असहसम्बन्धित) x तथा y को जोड़ते हैं, जो कि विजयी A के द्वारा x एवं y परीक्षण पर सघन (Composite) प्राप्तांक प्रदान करते हैं अर्थात् (Z = x + y) अब यदि हम अपने समूह में x तथा y प्राप्तांक जोड़ते हैं, प्रत्येक प्राप्तांक को उसके मध्यमान से विचलन के रूप में व्यक्त करने के बाद हम किसी भी विषयी के लिए यह रखेंगे–

$z = x + y$

इसमें $z = Z - Mz$, $x = X - Mn$, एवं $y = Y - My$ होता है।

इस समीकरण को दोनों ओर से वर्ग करते हुए एवं सभी विषयों को समूह में एकत्र (Semming) करते हुए हम सामान्य रूप में यह पाते हैं–

$$\Sigma z^2 = \Sigma x^2 + \Sigma y^2$$

क्रॉस प्रॉडक्ट शब्द $2\Sigma xy^2$, x एवं y की परिकल्पना से स्वतंत्र हो अलग हो जाता है। अत: हम देखते हैं कि धन में वर्गों का योग y के वर्गों के योग से जुड़ता है।

एवं यह Z में वर्गों के योग के समान हो जाता है। N से भाग करते हुए हम पाते हैं–

$$\frac{\Sigma z^2}{N} = \frac{\Sigma x^2}{N} + \frac{\Sigma y^2}{N}$$

या $\sigma^2 z = \sigma^2 x + \sigma^2 y$

साथ ही $\sigma_z = \sqrt{\sigma_z^2 - \sigma_y^2}$

प्रसरण के रूप में समीकरण प्रमाणिक विचलन के समीकरण की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक एवं लाभदायक है। अतः यदि हम σ_x^2 से प्रत्येक प्रसरण को भाग करते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है।

$$1 = \frac{\sigma_z^2}{\sigma_z^2} + \frac{\sigma^2 y}{\sigma^2 z}$$

इससे स्पष्ट होता है कि मिश्रित (Composite) z के प्रसरण का कौन सा अनुपात x के प्रसरण के अनुपात पर आरोप्य (Allributable) है एवं कौन सा अनुपात y के प्रसरण पर आरोप्य (Attributable) है एवं कौन सा अनुपात y के प्रसरण (variation) पर आरोप्य है। सम्पूर्ण विचलनशीलता का स्वतंत्र घटकों में यह विभाजन प्रमाणिक विचलन के साथ पहले ही नहीं किया जा सकता है।

2. जब प्राप्तांकों के वितरण समुच्चय में दो समूह संयुक्त होते हैं।

When two sets of scores are combined into a Single distribution.

विचलनशीलता में इसके सहयोगी अंशों की इस खराबी को दूसरे रूप में लिया जा सकता है। जब प्राप्तांकों के दो समूह A तथा B को एकत्र वितरण में साथ-साथ रखा जाता है। तब सभी प्राप्तांकों के वर्ग का जोड़ जो कि एकत्र विवरण की MT से किया गया है, वह वितरण A तथा B के घटकों से इस प्रकार सम्बन्धित हो जाता है।

$$\Sigma x_T^2 = \Sigma x^2 A + \Sigma x^2 B + NAd^2 A + NBd^2 B$$

इसमें

$\Sigma x_T^2 =$ MT; से वितरण T में SS का विचलन

$\Sigma X^2 A =$ MA; से वितरण A मे SS का विचलन

$\Sigma X^2 B =$ MB; से वितरण B में SS का विचलन

विवरण A तथा B में NA तथा MB क्रमशः प्राप्तांकों की संख्या है, T मध्यमान से A तथा B के मध्यमानों का विचलन dA एवं dB है, अर्थात्

$(MA - MT)^2 = d^2A$; $(MB - MT)^2 = d^2B$

ऊपर दी गई समीकरण Σx^2T के रूप में प्रस्तुत संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि किसी एकल वितरण में मध्यमान के इर्द-गिर्द विचलनों के वर्गों के योग से घटकों के वितरण को संवारते हैं, दो मानों में व्यक्त किए जा सकते हैं;

(i) प्राप्तांकों के दो समूहों के M के इर्द-गिर्द के SS अराथात् MA एवं MB एवं

(ii) MT से MA एवं MB के विचलनों के वर्गों का योग (वांछित M का गुणा)

17.3 सारांश

यद्यपि सांख्यिकी के मूल सिद्धान्तों का सार्वभौमिक महत्व है लेकिन आज सांख्यिकी में संभाविता, प्रतिचयन, गुण सम्बन्ध तथा सैद्धान्तिक आवृत्ति बंटन जैसी

तकनीकों का महत्व और प्रयोग बढ़ रहा है। मीडिया शोध, अनुसंधान या सर्वेक्षण का आधार अध्ययन विषय से संबंधित वास्तविक तथ्य है। इन तथ्यों को वास्तविक निरीक्षण साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली या किसी भी विधि से संकलित किया जाए। संकलित तथ्य इतने बिखरे हुए एवं जटिल रूप में होते हैं कि इनमें से कुछ भी निष्कर्ष प्राप्त करना एक दुरूह कार्य है। वर्गीकृत एवं सारणीकृत तथ्यों से निहितार्थ प्राप्त करने के लिए उनका विश्लेषण अपरिहार्य होता है। यही कारण है कि आंकड़ों के सह-संबंध विश्लेषण, रेखीय समाश्रयण विश्लेषण, काल श्रेणी विश्लेषण प्रसरण का विश्लेषण आदि के माध्यम से सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने का कार्य किया जाता है।

17.4 शब्दावली

सह संबंध–यदि एक श्रेणी के मूल्यों में परिवर्तन होने पर दूसरी श्रेणी के मूल्यों में भी परिवर्तन होता है, तो इन श्रेणियों के संबंध को सह-संबंध कहते हैं।

धनात्मक सह संबंध–जब दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता हैं तो उनके सह संबंध को प्रत्यक्ष अनुलोम या धनात्मक सह संबंध कहते हैं।

ऋणात्मक सह संबंध–जब दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में न होकर दो विपरीत दिशाओं में होते हैं तो उनके सह संबंध को ऋणात्मक सह संबंध कहते हैं।

दीर्घ कालीन उपनति (Secular trend)–

दीर्घकाल में किसी भी तथ्य के घटने या बढ़ने या स्थिर रहने की प्रवृत्ति को दीर्घकालीन उपनति कहते हैं। किसी भी कालश्रेणी में दीर्घकालीन तत्वों का प्रभाव दर्शाने वाले कारकों को दीर्घकालीन उपनति कहा जाता है।

17.5 संदर्भ ग्रन्थ :

शर्मा डी० सी०, शर्मा के० के०– **सांख्यिकीय विश्लेषण** केदारनाथ राम नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ।

Goon A. M. Gupta M. K. Dasnpta B

Fundamentals of statistics–The warld press prinate limilted Calcata.

सिन्हा वी० सी०–**सांख्यिकी के तत्व,** लोकभारती प्रकाशन 15-ए, महात्मा गाँधी मार्ग, इलाहाबाद।

Gupta S. C.– Fandamentals of Statistics

17.6 प्रश्नावली

लघु उत्तरीय प्रश्न :

(i) सह संबंध विश्लेषण की क्या उपयोगिता है?

(ii) धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंध में क्या अंतर है?

(iii) पियर्सन गुणांक से सह-संबंध की कौन सी प्रवृत्ति ज्ञात की जा सकती है।

(iv) फ्रांसिस गाल्टन ने सह-संबंध का उपयोग किससे में किया था?

(v) कालश्रेणी विश्लेषण किसे कहते हैं।

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न :

(i) सांख्यिकी में समाश्रयण के उपयोग पर प्रकाश डालिए।

(ii) कालश्रेणी विश्लेषण का क्या महत्व है।

(iii) कालश्रेणी के संघटक तत्वों का उल्लेख कीजिए।

(iv) प्रसरण के विश्लेषण पर प्रकाश डालिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

(i) किसी तथ्य के पारस्परिक संबंधित प्रवृत्तियों का अध्ययन किस विधि से होता है?

(अ) प्रसरण विश्लेषण (ब) काल श्रेणी विश्लेषण (स) सहसंबंध विश्लेषण (a) कोई नहीं

(ii) दो श्रेणियों या समूहों के बीच विद्यमान कार्य-कारण संबंध को सह-संबंध के रूप में किसने व्यक्त किया–

(अ) देवकी नंदन एलहांस (ब) प्रो० डब्ल्यू० आई किंग (स) कोनर (द) कोई नहीं।

(iii) दो श्रेणियों या परिमाणों में विचरण सदैव समान अनुपात में हो तो इसे कहा जाता है–

(अ) रेखीय सह संबंध (ब) प्रतिलोम सह-संबंध (स) आंशिक सह-संबंध (द) अ एवं ब दोनों।

उत्तर–

I. (स)

2. (ब)

3. (अ)

इकाई-18 केन्द्रीय प्रवृत्ति

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य

18.1 प्रस्तावना

18.2 केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापें

18.2.1 केन्द्रीय प्रवृत्ति का अर्थ और महत्व

18.2.2 केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप का उद्देश्य

18.2.3 केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार

18.2.4 केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापों की सीमाएं

18.2.5 केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों की तुलना।

18.3 सारांश

18.4 शब्दावली

18.5 संदर्भ ग्रन्थ

18.6 प्रश्नावली

18.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप–

- मीडिया के क्षेत्र में केन्द्रीय प्रवृत्ति की उपयोगिता को समझ सकेंगे।
- सांख्यिकीय केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न प्रकारों को जान सकेंगे।
- केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापों की सीमाओं को समझ सकेंगे।
- केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे।

18.1 प्रस्तावना

मीडिया में शोध कार्य नए सिद्धान्तों की खोज, पूर्व निर्धारित नियमों की जांच, नवीन अनुसंधान प्रणालियों की खोज तथा संचार संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। मीडिया के क्षेत्र में नई-नई समस्याओं तथा नई-नई घटनाओं के उत्पन्न होने से नई परिस्थितियों के संदर्भ में मीडिया से संबंधित नए नियमों की खोज आवश्यक हो जाती है। बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में पुराने नियमों के आधार पर निष्कर्ष

नहीं प्राप्त किए जा सकते। मीडिया अनुसंधान, पूर्व निर्धारित नियमों अथवा सिद्धान्तों की सत्यता के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ मीडिया के स्वरूप एवं संरचना में भी परिवर्तन आता रहता है। अत: मीडिया को संचालित करने वाले पूर्व निर्धारित नियम सदैव सत्य सिद्ध नहीं होते। इस कारण इन प्रचलित नियमों का परीक्षण आवश्यक होता है।

जटिल सामाजिक तथ्यों को जानने के लिए अधिक से अधिक उपयोगी और वैज्ञानिक उपकरणों तथा पद्धतियों के विकास के लिए भी संचार शोध किया जाता है। अत: नए नियमों की खोज और पुराने नियमों के सत्यापन के अतिरिक्त नवीन अनुसंधान प्रणालियों की खोज भी मीडिया या संचार शोध का अध्ययन क्षेत्र है। मनुष्य की संप्रेषणीयता से संबंधित नियमों का पता लगाने के लिए संचार वैज्ञानिकों को संचार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना होता है, ताकि भिन्न समस्याओं के कार्य-कारण संबंधों का पता लगाया जा सके और इसके आधार पर संचार से संबंधित नियमों का निर्माण किया जा सके। मीडिया में मौजूद कार्य-कलापों की विविधता और उनमें अनुसंधान की गुंजाइश को देखते हुए सांख्यिकीय प्रविधियों का अनुप्रयोग अपरिहार्य हो जाता है। इसलिए इस इकाई में सांख्यिकीय के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाएगा।

18.2 केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापें

जब आवृत्ति वितरण में प्राप्तांकों अथवा मापनों का सारणीयन हो जाता है तब दूसरा कार्य केन्द्रीय प्रवृत्तियों अथवा केन्द्रीय स्थिति की गणना करना होता है। प्राप्त सभी आंकड़ों में जो आंकड़े संघनित होते हैं, केन्द्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते है। ऐसे आंकड़ों को केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापन अथवा माध्य (Average) कहा जाता है। एक माध्य सम्पूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधि होता है और इसलिए इसका मूल्य अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच में होता है, सामान्यत: यह केन्द्र में अथवा बंटन के मध्य में निर्धारित होता है। केन्द्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा अनेक विद्वानों ने निम्नवत दिया है--

सिम्पसन एवं कॉफ्का (Simpsen and Cafka) के अनुसार केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप एक विशेष मान है जिसके आस-पास सभी आंकड़े संघनित होते हैं।

या लुन चाऊ के मतानुसार केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप एक विशेष मान है, इस अर्थ में कि एक चर अथवा श्रेणी में सभी अलग-अलग मानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका प्रयोग कभी-कभी किया गया है।

वी० वी० यंग (V. V. Young) के अनुसार विशाल अंकों की संक्षिप्त करने के लिए आवृत्ति वितरण अत्यधिक उपयोगी है किन्तु संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया सम्पूर्ण श्रेणी की विशेषताओं को एक अथवा अधिक कुछ महत्वपूर्ण अंकों में संकुचित करने के द्वारा बहुत आगे बढ़ाई जा सकती है। इन्हें केन्द्रीय प्रवृत्ति की विशेष माप, माध्य कहा जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक ऐसी संख्या जिसका प्रयोग सम्पूर्ण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, वह श्रेणी न तो न्यूनतम मूल्य रखती है न ही उच्चतम बल्कि वह मूल्य तो इन दोनो सीमाओं के बीच का एक मूल्य होता है जहाँ श्रेणियों की अधिकतम इकाइयाँ एकत्र हो जाती है। ऐसे अंक केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाते हैं।

18.2.1 केन्द्रीय प्रवृत्ति का अर्थ और महत्व

केन्द्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात् वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। साधारण शब्दों में केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों से प्राय: हमारा तात्पर्य औसत (average) से होता है। औसत कई प्रकार के होते हैं। मीडिया अध्ययनों में मुख्य रूप से तीन प्रकार के औसतों का प्रयोग किया जाता है—(1) मध्यमान (mean) (2) मध्यांक (Median) (3) बहुलक (Mode)। गिलफोर्ड (J. P. Guilford) ने इन तीनों मापों के अतिरिक्त दो अन्य मापों गुणोत्तर मध्यमान (Geometrie Mean) तथा हरात्मक मध्यमान (Harmonic Mean) का भी संक्षेप में वर्णन किया है।

केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों से हमें औसत का ज्ञान तो होता है, साथ ही साथ दो या अधिक समूहों की तुलना तथा प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने में यह माप उपयोगी है। उदाहरण के लिए, भिन्न-भिन्न रोगों से हुई मृत्यु दर की तुलना स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मानसिक या शारीरिक योग्यताओं की तुलना आदि। गिलफोर्ड के अनुसार औसत (Average) वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक है। दूसरे शब्दों में केन्द्रीय प्रवृत्ति (औसत) वह संख्या होती है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है।

केन्द्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, चलराशियों के इस प्रतिनिधित्वकारी मान, मूल्य या मात्रा को केन्द्रीय प्रवृत्ति का मान कहा जाएगा और जिन सांख्यिकीय विधियों द्वारा इस केन्द्रीय मूल्य की गणना की जाए, उसे केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाएगा। किसी चल राशि के वितरण में केन्द्रीय प्रवृत्ति उस समय पाई जाएगी जबकि चलराशि के वितरण में अधिकतर प्राप्तांक वितरण के मध्य भाग में स्थित हों तथा वितरण के दोनों किनारों की ओर प्राप्तांक घटते हुए क्रम में हों।

केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों से हमारा तात्पर्य केवल एक माप मध्यमान (Mean) से ही न होकर अन्य दो और मापकों—मध्यांक (Median) तथा बहुलक (Mode) से भी है। इन तीनों मापों में अन्तर केवल समय और शुद्धता का है। तीनों माप केन्द्रीय प्रवृत्ति के द्योतक हैं। मध्यमान (Mean) केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापकों में सबसे शुद्ध मान है—इसकी गणना में समय अधिक लगता है। मध्यांक-मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध है। इसकी

गणना में मध्यमान की अपेक्षा समय कम लगता है। बहुलांक, पध्यमान और मध्यांक की अपेक्षा कम शुद्ध मान है, इसकी गणना में दोनों मापों की अपेक्षा समय कम लगता है।

केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों का महत्व –

समाज विज्ञान के अनुसंधानों मे केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप का विशेष महत्व है। यदि किसी समूह से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाएं न भी हों तो केवल केन्द्रीय प्रवृत्ति के मानों द्वारा हम परिणाम तथा कुछ साधारण नियम ज्ञात कर सकते हैं। गैरेट (H.E. Garret, 1973) ने केन्द्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित महत्व बताएं हैं–

1. केन्द्रीय प्रवृत्ति समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करती है।
2. केन्द्रीय प्रवृत्ति सम्पूर्ण वर्ग के गुणों को संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
3. दो या दो से अधिक समूहों के कार्यों एवं गुणों की तुलना केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों के द्वारा सरलता से की जा सकती है।
4. गिलफोर्ड (J. P. Guilford, 1958) के अनुसार किसी समूह के गुणों और कार्यो को केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापो के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है।
5. केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों से प्राप्तांकों में अर्थ को केवल कुछ अंकों या शब्दों के द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है।
6. उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण में भी केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों का महत्व है। उदाहरण के लिए, प्रमाणिक विचलन (Standard Deviation) सह संबंध आदि ज्ञात करते समय केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों की आवश्यकता होती है।
7. केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप का प्रदत्त विश्लेषण में प्राथमिक योगदान रहता है। प्राय: उच्च अध्ययनों में इन मापों का प्रयोग प्राथमिक सांख्यिकीय विधियों के रूप में रहता है।

18.2.2 केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप का उद्‌देश्य

केन्द्रीय प्रवृत्ति अथवा माध्यों के मापन सांख्यिकीय आंकड़ों के वृहद समूह की एक झलक प्रस्तुत करते हैं जो सरलता से अपनी वास्तविक दशा में नहीं समझे जा सकते है। वे तथ्यों और मापों के वृहद समूहों के वास्तविक महत्व के पूर्ण ज्ञान में मानव बुद्धि की सहायता पहुँचाने की युक्तियाँ हैं। वे सामग्री के अनावश्यक्क विवरणों को हटाकर अन्वेषण के अन्तर्गत जटिल तत्वों का एक संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करते हैं। यदि मानव बुद्धि वृहद संख्याओं के सारे विवरणों और अनेक परस्पर सम्बन्धों को सरलतापूर्वक ग्रहण कर सकती तो माध्यों की कोई उपयोगिता न होती परंतु यह कार्य मनुष्य की क्षमता के बाहर है। उदाहरणार्थ वृहद संख्या न लेकर केवल 200 विद्यार्थियों की आय और व्यय 'ऊंचाई और वजन का भी विवरण कोई सरल कार्य नहीं है। सम्पूर्ण समष्टि को ध्यान में रखना असंभव होने के कारण माध्यों का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक समझा गया है। इसका उद्‌देश्य आंकड़ों की केन्द्रीय प्रवृत्ति को ही नहीं मानता है, बल्कि उच्चतर

विश्लेषण और तुलना हेतु भी इनकी माप आवश्यक हो जाती है। तुलना करने के लिए तो माध्य अत्यंत उपयोगी है।

18.2.3 केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार

निम्नलिखित वृक्षरेखा से विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापनों को प्रदर्शित किया जा सकता है–

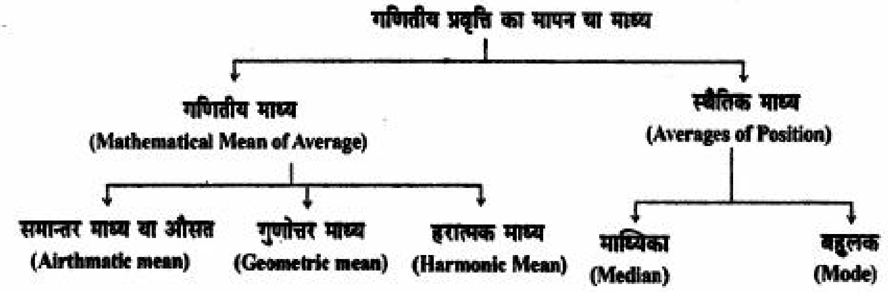

जे० पी० गिलफोर्ड (J. P. Gailford) द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त माध्यों में से हमें केवल समान्तर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक का अध्ययन करना है। इनके अतिरिक्त कुछ और कम महत्वपूर्ण माध्य हैं, द्विघातक माध्य (quadratic mean) आदि। कुछ माध्य ऐसे भी है जिनका प्राक्कलन समांतर माध्य को निकालने की प्रविधि से कुछ परिवर्तित रूप में किया जाता है। इनके उदाहरण हैं–गतिमान माध्य (Moving average) और संचयी माध्य (Progressive average) इन दोनों माध्यों का प्रयोग अधिकतर वाणिज्य सांख्यिकी में किया जाता है और काल श्रेणी के विश्लेषण में इनका उपयोग अत्यधिक है। उपर्युक्त दिए गए पाँच माध्यों में समान्तर माध्य, माध्यिका और बहुलक सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य उसके बाद आते हैं।

18.2.4 केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापों की सीमाएं

केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप की निम्नलिखित सीमाएं हैं–

1. केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापों की सबसे गंभीर सीमा यह है कि ये व्यक्तिगत विशेषताओं पर प्रकाश नहीं डालते। इन मापों से केवल सामूहिक गुणों, कार्यों एवं विशेषताओं को ही समझा जा सकता है।
2. जब सामूहिक गुणों, कार्यों या विशेषताओं में विषमता होती है तब उस अवस्था में यह केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उदाहरणार्थ यदि एक समूह के बच्चों का बुद्धिलब्धि 70, 80, 75, 129, 130, 140 हो तो मध्यमान बुद्धिलब्धि 104 होगी जो कि इस समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। क्योंकि 104 या इससे थोड़ा अधिक या कम बुद्धिलब्धि किसी बच्चे की नहीं है। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व न करने वाले केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापकों से यदि उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाए तो दूषित परिणाम प्राप्त होते हैं।

3. विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषणों में केन्द्रीय प्रवृत्ति के अलग-अलग मापकों से भिन्न-भिन्न परिणाम बात होते हैं।

18.2.5 केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों की तुलना

केन्द्रीय प्रवृत्ति के तीन माप हैं–मध्यमान, माध्यिका और बहुलक। इन तीनों मापों में कितनी समानता होगी, यह मुख्यत: आवृत्ति वितरण की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि यदि आवृत्ति वितरण Symmetrical (सममितीय) है तो तीनों का मान समान आता है। जब आवृत्ति वितरण में समानता होती है तब इनके मान भिन्न-भिन्न आते हैं। यदि वितरण में धनात्मक विषमता में मध्यमान का मूल्य कम, मध्यांक का मध्यमान से अधिक तथा बहुलांक का मध्यांक से भी अधिक होता है। यदि वितरण में ऋणात्मक विषमता में मध्यमान का मान सबसे अधिक उससे कम मध्यांक का मान और बहुलांक का मान सबसे कम होता है। शुद्धता की दृष्टि से मध्यमान सर्वाधिक शुद्ध, मध्यांक अपेक्षाकृत कम शुद्ध तथा बहुलांक सबसे कम शुद्ध मान है।

18.3 सारांश

मीडिया शोध की वर्तमान दयनीय दशा का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि जब 60 के दशक में मीडिया शिक्षा की नींव डाली गयी, तब इसकी आधार शिला ही इतनी कमजोर रखी गयी कि आज भारत में मीडिया शोध की स्थिति लड़खड़ाती नजर आती है। भारत में प्रकाशित मीडिया शोध पत्रिकाओं पें आज भी शोधात्मक आलेख की मात्रा अत्यल्प हैं, जबकि विचार प्रधान आलेखों की प्रधानता है। भारत में मीडिया शोध कार्यों की कोई सार्थकता या उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए मीडिया शोध की वर्तमान स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि ये शोध कार्य वास्तविक, व्यावहारिक एवं क्रियात्मक स्तर पर मीडिया के क्षेत्र में सहायक सिद्ध हो सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि मीडिया की प्रवत्ति के अनुरूप अर्थात् जनसमूह में प्रचलित घटनाओंऔर उसका मीडिया में प्रक्षेपण से सम्बन्धित आंकड़ों का चयन व विश्लेषण केन्द्रीय प्रवृत्ति के अनुसार ही किया जाए।

18.4 शब्दावली

समान्तर माध्य (Airthmatic Average)– किसी श्रेणी का समान्तर माध्य उसके पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने प्राप्त होने वाली राशि।

गतिमान माध्य (Moving average)–इनका प्रयोग प्राय: वाणिज्य, सांख्यिकी में किया जाता है।

संचयी माध्य (Progredsive average)–काल श्रेणी के विश्लेषण में इनका प्रयोग अत्यधिक होता है।

18.5 संदर्भ ग्रन्थ

मीडया शोध–डॉ० मनोज दयाल। हरियाणा साहित्य अकादमी, पंचकूला

सांख्यिकी के सिद्धांत–देवकी नंदन एलहंस, किताब महल, इलाहाबाद

शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग–हेनरी ई० गैरिट कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली

सामाजिक अनुसंधान–सुरेन्द्र सिंह उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ।

'सामाजिक अनुसंधान'–ओम प्रकाश शर्मा सरस्वती सदन, दिल्ली।

18.6 प्रश्नावली

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापकों में निम्न समस्याओं के अध्ययन में किस मापक का प्रयोग करेंगे–

(i) कक्षा के विद्यार्थियों की औसत बुद्धि ज्ञात करने में

(ii) एम० ए० के विद्यार्थियों के परीक्षाफल के अंकों के मध्य का अंक ज्ञात करने में?

(iii) लोकप्रिय जूते के फैशन का पता लगाने में?

विस्तृत उत्तरीय प्रश्न :

(i) केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापकों से आप क्या समझते हैं। इनकी सीमाओं और महत्व को समझाइये।

(ii) सांख्यिकीय विश्लेषण में केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापकों के उद्देश्य का वर्णन करिए।

(iii) केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापकों से आप क्या समझते हैं? मध्यमान, मध्यांक तथा बहुलक के लाभ और दोषों की तुलना कीजिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

(i) केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप के लिए उन्हीं आंकड़ों को लिया जाता है जो प्राप्त सभी आंकड़ों में–

(क) संघनित होते हैं।

(ख) बिखरे हुए रहते हैं।

(ग) प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(घ) क एवं ख दोनों।

(ii) इनमें से किस मध्यमान का उल्लेख गिलफोर्ड ने किया है?

(क) मध्यमान (Mean)

(ख) मध्यांक (Median)

(ग) बहुलक (Mode)

(घ) हरात्मक मध्यमान (Harmomie mean)

(iii) इनमें से कौन सी केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप का मान सबसे शुद्ध होता है?

(क) मध्यमान (Mean)

(ख) माध्यिका (Median)

(ग) बहुलक (Mode)

(घ) गुणोत्तर मध्यमान

(iv) इनमें से कौन स्थैतिक माध्य है?

(क) गुणोत्तर माध्य

(ख) माध्यिका

(ग) बहुलक

(घ) ग एवं घ दोनों

उत्तर

1. (घ)
2. (घ)
3. (क)
4. (ङ)

इकाई-19 माध्य माध्यिका एवं बहुलक

इकाई की रूपरेखा

19.0 उद्देश्य

19.1 प्रस्तावना

19.2 संचार अनुसंधान की सांख्यिकीय पद्धतियां

19.2.1 माध्य

19.2.2 माध्यों की उपयोगिता एवं उद्देश्य

19.2.3 आदर्श माध्य के आवश्यक गुण

19.2.4 सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार

19.3 मध्यांक (Median)

19.3.1 सरल श्रेणी में माध्यिका

19.3.2 असतत श्रेणी की माध्यिका

19.3.3 सतत श्रेणी में माध्यिका

19.3.4 मध्यांक या माध्यिका के गण दोष

19.4 बहुलक (Mode)

19.4.1 बहुलक की विशेषताएं

19.4.2 सरल श्रेणी में बहुलक निकालना

19.4.3 अखण्डित श्रेणी में बहुलक निकालना

19.4.4 बहुलक के गुण-दोष

19.5 सारांश

19.6 शब्दावली

19.7 संदर्भ ग्रन्थ

19.8 प्रश्नावली

19.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप–

- संचार अनुसंधान की सांख्यिकी पद्धतियों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
- माध्य की परिभाषा, उपयोगिता एवं उद्देश्य तथा विभिन्न सांख्यिकीय माध्यों के प्रकारों से परिचित हो सकेंगे।

- माध्यिका के गुण-दोषों से परिचित हो सकेंगे।
- बहुलक की परिभाषा, विशेषताएं, सरल एवं अखण्डित श्रेणी में बहुलक की गणना कर सकेंगे।
- बहुलक के गुण-दोषों से परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

19.1 प्रस्तावना

वर्तमान समय में भारत उपमहाद्वीप में भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण की आँधी चल रही है। ऐसी परिस्थिति में जीवन के सभी क्षेत्रों पर बाजार का दबाव दृष्टिगोचर होता है। ऐसे में भला मीडिया इससे कैसे अछूता रह सकता था। मीडिया में निरंतर एक छोड़ सी मची हुई है कि किस प्रकार अधिकाधिक लाभ अर्जित किया जा सके। इन परिस्थितियों में कई बार जनमाध्यमों का सामाजिक सरोकार गौड़ भी हो जाता है। अब यह दायित्व आता है मीडिया के शैक्षणिक आयाम पर, कि किस प्रकार की नवीन तकनीकी एवं रणनीति से, नए हालात में मीडिया को उसके सार्थक सरोकारों से जोड़ कर रखा जा सके। इन कार्यों के लिए अनुसंधान की सांख्यिकीय प्रविधियों की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में आप इन्हीं प्रविधियों यथा माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के अनुप्रयोग से परिचित हो सकेंगे।

19.2 संचार अनुसंधान की सांख्यिकीय पद्धतियाँ माध्य माध्यिका एवं बहुलक

समाज की समग्रता के विविध आयाम यथा : राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, अध्यात्मक एवं अन्य का पूरक आयाम संचार भी है। जनसंचार माध्यमों तथा उनसे संबंधित लोगों के संचार संबंधी खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा परिमाणात्मक या संख्यात्मक अध्ययनों में विशाल तथ्यों तथा आंकड़ों को इकत्र किया जाता है। इन विशाल तथ्यों तथा आंकड़ों का विश्लेषण और विवेचन करने के लिए सांख्यिकीय प्रणालियों की सहायता ली जाती है। संख्यात्मक अध्ययनों में इन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जब अध्ययन में इकाइयाँ बहुत अधिक हो जाती है तो प्रत्येक इकाई का वर्णन तथा उसकी व्याख्या करके निष्कर्ष निकालना तथा नियम बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इन विशाल इकाइयों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण तथा संक्षिप्तीकरण करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है।

सांख्यिकीय पद्धतियाँ विभिन्न एकत्र तथ्यों के बाद उनकी केन्द्रीय प्रवृत्ति, परिवर्तन की दिशा तथा दशा को ज्ञात करने के लिए संक्षिप्तीकरण भी करती है। सांख्यिकी पद्धतियों द्वारा उनकी क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित तुलना करके प्रमाणित निष्कर्ष

निकाले जाते हैं। इस प्रकार निकाले गए निष्कर्ष इतने विश्वसनीय या प्रमाणिक होते हैं कि इनका विभिन्न सांख्यिकीय विधियों द्वारा स्पष्ट पता लगाया जा सकता है। जैसे संख्या का वह मूल्य जो सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है माध्य कहलाती है।

19.2.1 माध्य (MEAN)

माध्य के अर्थ को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने इसकी निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं–

वी० वी० यंग के अनुसार–विशाल अंकों की संक्षिप्त करने के लिए आवृत्ति वितरण अत्यधिक उपयोगी है। संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया सम्पूर्ण श्रेणी की विशेषताओं को एक अथवा अधिक से अधिक कुछ महत्वपूर्ण अंकों में संकुचित करने के द्वारा बहुत अधिक आगे बढ़ाई जा सकती है। ये माध्य के रूप में जाने जाने हैं। ये एक चरण के विशिष्ट मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एलहान्स के अनुसार, यह स्पष्ट है कि एक ऐसी संख्या जिसका प्रयोग सम्पूर्ण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। वह श्रेणी न तो न्यूनतम मूल्य रखती हैं और न ही उच्च मूल्य बल्कि वह मूल्य तो इन दोनों सीमाओं के बीच का एक मूल्य होता है जहाँ श्रेणियों की अधिकाधिक इकाइयाँ एकत्र हो जाती हैं। ऐसे अंक (मूल्य) केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा माध्य कहलाते हैं।

क्राक्सटन और काउडेन के अनुसार–माध्य समंकों के विस्तार के अन्तर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य जिसका प्रयोग समंकमाला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है।

सिम्पसन और काफ्का के अनुसार केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी अन्य संख्याएं केन्द्रित होती हैं अथवा जो उन संख्याओं को दो भागों में विभाजित करता है।

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि माध्य सम्पूर्ण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला, केन्द्रीय मूल्य को प्रगट करने वाला एक अंक होता है जो कि उन श्रेणियों के न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य के बीच की एक स्थिति में होता है। इस प्रकार माध्य को देखकर ही सम्पूर्ण श्रेणियों की केन्द्रीय विशेषता तथा मूल्य का पता लगाना हमारे लिए सरल होता है। इस अर्थ में माध्य विशाल संख्याओं का संक्षिप्तीकरण करने का एक साधन बन जाता है।

19.2.2 माध्यों की उपयोगिता एवं उद्देश्य (Utility and Objectives of Mean)

संचार अनुसंधान, संचार सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के अध्ययनों में सामग्री का विश्लेषण एवं उसकी व्याख्या करनी होती है। माध्य इस कार्य को सम्पन्न करवाने में निम्नलिखित प्रकार से विशेष उपयोगी उद्देश्यमूलक तथा महत्वपूर्ण है–

1. संक्षिप्तीकरण करने में सहायक : सांख्यिकीय माध्य का मुख्य उद्देश्य विशाल तथ्यों के संक्षिप्तीकरण करने में सहायता कराना है। तथ्यों के वर्गीकरण तथा सारणीयन करने के बाद उनके परिणामों को याद रखना एक कठिन कार्य है। अगर उनमें प्रदर्शित तथ्यों की प्रवृत्ति को माध्य द्वारा एक अंक में आंकलन कर बता दिया जाए तो उसे याद रखना सरल हो जाता है।

2. तुलना में सहायक होता है : माध्य समंकों की समस्त राशि को संक्षिप्त व सरल करके तुलना योग्य बनाते हैं। समंकों की तुलना से बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों या समूहों के तथ्यों को क्रम से अलग-अलग माध्यों की सहायता से एक अंक के रूप में संक्षिप्त करके परस्पर तुलना कर सकते हैं।

3. माध्य विश्लेषण करने में सहायक होता है—घोष तथा चौधरी के अनुसार, विशाल समूह को एक संक्षिप्त रूप में प्रकट करके विश्लेषण और व्याख्या के कार्य को सरल बनाना माध्य का उल्लेखनीय कार्य है। अनुसंधानकर्त्ता विभिन्न माध्यों के मूल्यों का विशेषण करता है तथा व्याख्या करके किसी अध्ययन में सामान्यीकरण प्रस्तुत कर सकता है।

4. माध्य अनुपात के निर्धाण में सहायक होता है— माध्य के द्वारा तथ्यों के समूहों के परस्पर अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है।

5. माध्य विशाल आँकड़ों के सरलीकरण का कार्य करता है—माध्य विशाल आंकड़ों को सरल व छोटे रूप में प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा बड़ी-बड़ी तालिकाओं, बिखरे हुए बहुगुणीय तथ्यों आदि को सार रूप में प्रस्तुत करने का कार्य माध्य सरलतापूर्वक करके उन्हें तुरंत बोधगम्य स्पष्ट तथा सरल बना देता है। अतः सामग्री को सरल रूप प्रदान करना माध्य का मुख्य उद्देश्य है।

6. माध्य समग्र इकाई का प्रतिनिधित्व करता है—माध्यम द्वारा किसी विशाल तथ्यों के समूह, वर्ष अथवा समग्र के आंकड़ों को समझा परखा जाना जा सकता है। माध्य एक अंक के रूप में ऐसा निष्कर्ष होता है जो सम्पूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि अन्य सभी मूल्य उसके आस-पास वितरित होते हैं। वह पूर्ण समूह का निष्कर्ष होता है।

7. माध्य मार्ग-दर्शन का काम करता है—माध्यों के द्वारा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पता लग जाता है और इन्हीं परिवर्तनों के अनुसार देश की योजनाएं बनायी जा सकती हैं। अतः माध्य मार्ग दर्शन का कार्य भी करता है।

माध्य की उपर्युक्त उपयोगिताओं और उद्देश्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि माध्य वैज्ञानिकों, जनसाधारण, योजनाकारों आदि को कम समय में अध्ययन क्षेत्र के तथ्यों के संबंध में अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है जो समग्र को समझाने, निष्कर्षों को निकालने, उनकी परस्पर तुलना करने, विश्लेषण तथा मार्गदर्शन करने में बहुत सहायक हैं।

19.2.3 आदर्श माध्य के आवश्यक गुण

माध्य सम्पूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे मूल्य में ऐसे गुण होने चाहिए ताकि समंकों का ठीक रूप से प्रतिनिधित्व हो सके। पूल और केण्डाल द्वारा आदर्श माध्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं—

1. स्थिर परिभाषा

2. सभी मूल्यों पर आधारित

3. सरल तथा बोधगम्य

4. शीघ्र गणनीय

5. बीजगणितीय विवेचन के योग्य

6. निर्देशन परिवर्तनों से कम से कम प्रभावित।

माध्य के सामान्य गुण इस प्रकार है :

1. समझने में सरल (Easy to understand)

माध्य इतने संक्षिप्त व सरल होने चाहिए कि इनको देखने, समझने, व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं आए तथा अनुमान नहीं लगाना पड़े। अत: माध्य ऐसा होना चाहिए जो सुगमता से समझा जा सके, अन्यथा इसका प्रयोग बहुत ही सीमित होगा।

2. निर्धारण में सुगम (Easy to compute)

माध्य की गणन क्रिया सरल होनी चाहिए ताकि इसका प्रयोग व्यापक रूप से हो सके। यद्यपि माध्य का निर्धारण यथा संभव सरल होना चाहिए तथापि विशेष परिस्थितियों में परिणामों की शुद्धता के लिए अधिक कठिन माध्यों का प्रयोग भी किया जा सकता है।

3. श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित (Based on all items of the series)

माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए ताकि एक या अधिक मूल्यों में परिवर्तन होने से माध्य में भी परिवर्तन हो सके। यदि माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है तो वह पूरे समूह का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

1. न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों पर अनुचित प्रभाव से बचाव

यद्यपि माध्य सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए तथापि किसी विशेष मूल्य का माध्य पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अन्यथा माध्य श्रमंकों का सही प्रतिरूप व्यक्त नहीं करेगा।

5. स्पष्ट व स्थिर (Rigidly defined)—माध्य की परिगणना में व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ा तो फल भ्रामक तथा अशुद्ध होंगे।

6. बीजगणितीय विवेचन संभव है (Capable of algebric treatment)

एक आदर्श माध्य में बीजगणितीय विवेचन करना संभव होना चाहिए। तथ्यों व आंकड़ों की तुलना करने में दो समूहों के माध्यों की बीजगणितीय विधि से पुन: विश्लेषित करके दोनों समूहों का माध्य ज्ञात किया जाता है तथा उनके परस्पर संबंधों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए वह माध्य एक आदर्श माध्य होता है जिसका बीजगणितीय विवेचन करना आगे संभव हो।

7. न्यादर्शों की भिन्नता का कम से कम प्रभाव (Least effect of fluctuation of

यदि एक ही समग्र में से उचित रीति द्वारा विभिन्न न्यादर्श लेकर माध्य निकालें जाएं तो उन माध्यों में बहुत अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। अत: एक ही अध्ययन के क्षेत्र से विभिन्न न्यादर्श लेकर अध्ययन करने पर माध्य का मूल्य समान आता है तो वह माध्य आदर्श माध्य कहलाएगा।

19.2.4 सांख्यिकीय माध्यों के प्रकार

माध्य कई प्रकार के होते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उन्हें निम्नवत् तीन भागों में बाँटा गया है–

(1) स्थिति माध्य

(क) बहुलक (Mode)

(ख) मध्यांक (Median)

(2) गणितीय माध्य

(क) समान्तर माध्य

(ख) ज्यामितीय या गुणोत्तर माध्य

(ग) हरात्मक माध्य

(घ) द्विघातीय माध्य

(3) व्यापारिक माध्य

(क) चल माध्य

(ख) प्रभावशील माध्य

(ग) संग्रथिक माध्य

सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में तथ्यों के विश्लेषण तथा व्याख्याओं में समान्तर माध्य, बहुलक तथा मध्यांक का ही प्रयोग होता है। अत: ऐसी स्थिति में संचार अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में इन्हीं माध्यों की विवेचना करना समीचीन रहेगा।

1. समान्तर माध्य (Arithmatic mean)

समान्तर माध्य के लिए **औसत** शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। सर्वश्री घोष तथा चौधरी के अनुसार–"समान्तर माध्य वह परिणाम है जो कि किसी चर (Variable) में पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देकर प्राप्त होता है। प्रो० मिल्स के अनुसार समान्तर माध्य किसी विवरण का सपतोलन केन्द्र हैं।

एक अन्य विद्वान किंग के अनुसार–समंकमाला के पदों के जोड़ में उनकी संख्या के द्वारा भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे ही माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

उदाहरण–एक छात्र ने तीन वैकल्पिक विषयों में 75, 69, 66 अंक प्राप्त किए हैं। इनके योग 210 को 3 से भाग देने पर संख्या 70 आती है। अत: 70 उस छात्र के प्राप्त अंकों का समान्तर माध्य या औसत है।

समान्तर माध्य की विशेषतायें :

(1) सरलतम प्रणाली

(2) मूल्य का समान महत्व

(3) मद के मूल्य का विशेष महत्व

(4) गणना एक ही बार

(5) मदों के मूल्यों का योग

1. सरलतम प्रणाली–समान्तर माध्य केन्द्रीय प्रवृत्ति के आंकलन की एक सरलतम प्रणाली है। मदों की कुल संख्या का मदों के मूल्यों के कुल योग में भाग देने से यह माध्य प्राप्त होता है।

2. मूल्य का समान महत्व–समान्तर माध्य में प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई के मूल्यों को समान रूप से महत्व दिया जाता है।

3. मद के मूल्य का विशेष महत्व–मदों के मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है।

4. गणना एक ही बार इसके आकलन में प्रत्येक मद की तथा उसके मूल्य की गणना केवल एक बार की जाती है।

5. मदों के मूल्यों का योग कुल मदों की संख्या का समान्तर माध्य से गुणा करने पर मदों के मूल्यों के योग का आकलन किया जा सकता है।

समान्तर माध्य के प्रकार–समान्तर माध्य दो प्रकार का होता है–

(1) सरल समान्तर माध्य (Simple Arithmatic mean)

(2) भारित समान्तर माध्य (Weighted Arithmatic mean)

सरल समान्तर माध्य में श्रेणी के समस्त पदों को समान महत्व दिया जाता है जबकि भारित समान्तर माध्य में प्रत्येक मद को उसकी व्यक्तिगत महत्ता के अनुसार भार प्रदान करते हैं। सरल समान्तर माध्य की परिगणन की प्रक्रिया निम्नवत है–

(1) व्यक्तिगत श्रेणी में समान्तर माध्य का परिगणन

(Calculation of arithmatic mean in individual observation)

(2) खण्डित श्रेणी में समान्तर माध्य का परिगणन

(Calculation of arithmatie mean in discrete Series)

(3) अखण्डित श्रेणी में समान्तर माध्य का परिगणन

(Calculation of arithmatic mean in continuous series)

व्यक्तिगत श्रेणी में समान्तर माध्य का परिगणन

(Calculation of arithmatic mean in individual observation)

व्यक्तिगत श्रेणी में समान्तर माध्य निम्न दो प्रकार हैं विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(अ) प्रत्यक्ष विधि (Direct method)

(आ) लघु विधि (Short-cut method)

(अ) प्रत्यक्ष विधि (Direct method)

इस विधि के द्वारा समान्तर माध्य निकालने के लिए सर्वप्रथम समस्त पदों के मूल्यों को जोड़ लिया जाता है। फिर उसमें पदों की संख्या से भाग दिया जाता है। प्राप्त लब्धि समान्तर माध्य होता है।

$$\boxed{\overline{X} = \frac{\Sigma X}{N}}$$

संकेताक्षर : $\overline{X}$ = समान्तर माध्य (Arithmatic mean)

Σ = योग

X = मदों का मूल्य (व्यक्तिगत इकाइयों का मूल्य)

N = मदों की कुल संख्या (Number of observation)

ΣX = समस्त मदों के मूल्यों का योग

उदाहरण–10 छात्रों की लम्बाई के समान्तर माध्य की गणना कीजिए।

छात्र–	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
लम्बाई (सेमी)	161	164	170	172	162	165	171	169	161	170

$\overline{X} = \frac{\Sigma X}{N}$; N = छात्रों की संख्या

$$\overline{X} = \frac{1665}{10}$$

$\overline{X}$ = 166.5 सेमी०

समान्तर माध्य = 166.5 सेमी०

इस प्रकार 10 छात्रों की लम्बाई का समान्तर माध्य 166.5 सेन्टीमीटर है।

2. लघु विधि (Short Cut method)–यदि श्रेणियाँ लम्बी हों और मूल्य भिन्न-भिन्न हो तो प्रत्यक्ष विधि से समान्तर माध्य निकालने में जोड़ने आदि के काम में काफी परेशानी होती है। इसीलिए परिश्रम तथा समय बचाने के उद्देश्य में एक लघु विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके परिकलन करने की निम्नलिखित विधि है–

(क) सबसे पहले किसी भी मद के मूल्य को कल्पित माध्य मान लिया जाता है। चाहे कोई भी मूल्य कल्पित मध्यक (Assumed mean) के रूप में लिया जाये, उत्तर एक ही आएगा परन्तु जितना समान्तर माध्य केन्द्रीय माप के समीप होगा उतने ही विचलन कम आएंगे और गणना सरल होगी।

(ख) इस कल्पित समान्तर माध्य को श्रेणी के प्रत्येक मद में से घटा दिया जाता

है और उसके सामने विचलन लिखते जाते हैं। घटाते समय ऋणात्मक (–) तथा धनात्मक (+) चिह्नों का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पद मूल्य का विचलन या अंतर मालूम कर लिया जाता है। फिर इन समस्त विचलनों के योग का पदों की संख्या से भाग देकर जो लब्धि आती है। उसे कल्पित माध्य में जोड़ दिया जाता है। यही वास्तविक माध्य होता है। इनका सूत्र निम्नवत है–

$$\overline{X} = A + \frac{\Sigma dX}{N}$$

संकेताक्षर $\overline{X}$ = समान्तर माध्य

A = कल्पित माध्य

N = मदों की संख्या

d = विचलन

x = मद मूल्य

Σdx = समस्त मदों के मूल्यों का योग

खण्डित श्रेणी में समान्तर माध्य का परिगणन

(Calculation of Arithmatic mean in discrete series)

खण्डित श्रेणियों में समान्तर माध्य की गणना भी निम्नवत दो विधियों से की जाती है–

(अ) प्रत्यक्ष विधि (Direct Method)

(आ) लघु विधि (Short-cut method)

(अ) प्रत्यक्ष विधि–समान्तर माध्य उस अवस्था में निकाला जा सकता है जबकि विभिन्न पद खण्डित श्रेणियों में हो। ऐसी स्थिति में माध्य ज्ञात करने की विधि के निम्नलिखित चरण हैं–

(1) प्रत्येक आवृत्ति को उसके सम्बन्धित पद के मूल्य से गुणा कीजिए।

(2) इस प्रकार सभी गुणनफलों के योग को मालूम कीजिए।

(3) इन गुणनफलों के योगों को आवृत्तियों के योगों से भाग दीजिए।

(4) प्राप्त उपलब्धि समान्तर माध्य होगा।

निम्नलिखित सूत्र की सहायता से इसका परिकलन किया जाता है--

$$\overline{X} = \frac{\Sigma fx}{N}$$

$\overline{X}$ = समांतर माध्य

N = मदों की संख्या

f = मदों की आवृत्ति

Σfx = मदों के मूल्यों और आवृत्ति के गुणनफलों का योग

उदाहरण :

छात्र	5	6	8	4	2	7	4	3	5	9
प्राप्त अंक	28	20	21	18	16	15	14	11	29	24

प्राप्त अंक x	छात्रों की संख्या f	मूल्यो की आवृत्ति का गुणनफल (प्राप्तांक x छात्र संख्या) fx
11	3	33
14	4	56
15	7	105
16	2	32
18	4	72
20	6	120
21	8	168
24	9	216
28	5	140
29	5	145
योग	N = 53	Σfx = 1087

सूत्र $X = \frac{\Sigma fx}{N} = 20.5$

इस प्रकार 53 छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 20.5 अंक है।

(2) लघु विधि (Short cut method)

खण्डित श्रेणियों का लघु विधि से समान्तर माध्य निम्न प्रक्रिया द्वारा ज्ञात किया जाता है।

1. मद मूल्यों में से किसी एक मद के मूल्य को कल्पित माध्य (A) मान लिया जाता है।

2. कल्पित माध्य से प्रत्येक मद के मूल्यों का विचलन या अन्तर (Z–A) ज्ञात किया जाता है।

3. प्रत्येक विचलन का सम्बन्धित आवृत्ति से गुणा करके उस वद का कुल विचलन मूल्य (fdx) ज्ञात किया जाता है।

4. इसके बाद गुणनफल (fdx) का कुल योग (Σfdx) ज्ञात किया जाता है।

सूत्र $\overline{X} = A + \frac{\Sigma fdx}{N}$

सकताक्षर

$\overline{X}$ = समान्तर माध्य

A = कल्पित माध्य

N = मदों की संख्या

f = मदों की आवृत्ति

dx = विचलन

x = मद मूल्य

Σfdx = आवृत्ति और विचलित मूल्यों के गुणनफलों का योग

अखण्डित श्रेणी का माध्य परिगणन

(Calculation of Arithmatic mean in continuous Series)

(अ) प्रत्यक्ष विधि (Direct Method)

(आ) लघु विधि (Short-cut mehod)

(इ) पद-विचलन (Step deviation method)

(1) प्रत्यक्ष विधि (direct method)–सतत श्रेणियों का प्रत्यक्ष विधि से समान्तर माध्य निम्नांकित प्रक्रिया व सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है–

(i) सर्वप्रथम सतत श्रेणियों या वर्गान्तरों का मध्यमान अथवा मध्यमूल्य या मध्य बिन्दु ज्ञात करके उसे खण्डित श्रेणी में परिवर्तित कर लेते हैं।

(ii) मध्य मूल्यों का उनकी संगत आवृत्तियों से गुणा करते हैं। (fx)

(iii) सभी मध्य मूल्यों और आवृत्तियों के गुणनफलों का योग बात करते हैं (Σfx)

(iv) इस गुणनफल के कुल योग (Σfx) में आवृत्तियों के कुल योग को भाग देते हैं।

(v) इस प्रकार से प्राप्त योगफल समान्तर माध्य ही है।

सूत्र : $\overline{X} = \dfrac{\Sigma fx}{N}$

संकेताक्षर

X = समान्तर माध्य

N = आवृंत्तियों का योग

Σfx = मद के मध्यमूल्यों तथा आवृत्तियों के गुणनफलों का कुल योग।

(2) लघुविधि (Short-cut method)–यह लघु विधि भी खण्डित श्रेणियों का माध्य निकालने के लिए प्रयोग की जाने वाली लघुविधि के ही समान है। केवल इसमें ही वर्गान्तरों का मध्यमान निकाल लिया जाता है। अत: इस विधि को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं।

(1) सर्वप्रथम वर्गान्तरों का मध्य मूल्य अथवा मध्य बिन्दु बात करते हैं तथा इस प्रकार

वर्गान्तरों को खण्डित श्रेणी में परिवर्तित करते हैं।

(2) इन माध्य मूल्यों से मध्य मूल्य को कल्पित माध्य (A) मान लेते हैं।

(3) कल्पित माध्य से मध्य मूल्य का विचलन ज्ञात करते हैं (dx)

(4) प्रत्येक विचलन को मदों की आवृत्ति से गुणा करके गुणनफलों को ज्ञात करते हैं (fdx)

परिकलन : सतत श्रेणियों का लघु विधि से परिकलन निम्न सूत्र द्वारा किया जाता है।

सूत्र $\overline{X} = A + \frac{\Sigma fdx}{N}$

संकेताक्षर–

$\overline{X}$ = समान्तर माध्य

A = कल्पित माध्य

N = आवृत्तियों का योग

Σfdx = मद विचलनों और आवृत्तियों के गुणनफलों का योग

समान्तर माध्य के गुण (Merits of Arithmatic Mean)–

समान्तर माध्य के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं–

(1) **इसकी गणना में सरलता रहती है**–सांख्यिकीय माध्यों में समान्तर माध्य सबसे अधिक सरल है। इसको समझना अत्यंत सुगम है।

(2) **समान्तर माध्य सभी मूल्यों पर आधारित होता है**–यह सभी मदों के मूल्यों पर आधारित होता है। इसमें किसी मद को कम या अधिक महत्व नहीं दिया आता है। सभी मदों का महत्व बराबर होता है। अत: यह अध्ययन की सभी इकाइयों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। माध्यिका और बहुलक में यह गुण नहीं होता।

(3) **समान्तर माध्य में निश्चितता होती हैं**–इसकी परिभाषा सरल, स्पष्ट तथा सीमित होती है। इसका निर्धारण करने में अनुमान का कोई स्थान नहीं होता, इसमें स्थिरता व सुनिश्चितता होती है। माध्यिका तथा बहुलक में इस गुण का अभाव होता है।

(4) **इसमें बीजगणितीय विवेचन करना संभव होता है**–समान्तर माध्य में अनेक बीजगणितीय गुण होते हैं जिसके फलस्वरूप उसका उच्चस्तरीय सांख्यिकीय परिकलनों तथा विश्लेषणों में खूब प्रयोग किया जाता है।

(5) **इसमें स्थिरता होती है**–समान्तर माध्य पर निदर्शन के परिवर्तनों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसमें स्थिरता होती है। यह गुण अन्य माध्य में नहीं होता।

(6) **समान्तर माध्य में क्रमबद्धता अनावश्यक होती है**–इसमें मदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी नहीं होता है।

(7) **इसमें जाँच सम्भव होती है**–प्रत्येक दशा में समान्तर माध्य के परिणाम समान आते हैं, तथा परिणामों की जाँच विभिन्न प्रणालियों तथा तरीकों से कर सकते हैं।

(8) **समान्तर माध्य में तुलनात्मकता का गुण निहित होता है**–इसमें विभिन्न चरों, मूल्यों

की तुलना करने के लिए समान्तर माध्य का प्रयोग अधिक किया जाता है।

समान्तर माध्य के दोष (Demerits of Arithmatic mean)

समान्तर माध्य में अनेक गुणों के बावजूद भी कई दोष हैं। ये दोष इस प्रकार हैं–

यह अप्रतिनिधित्व पूर्ण होता है–समान्तर माध्य का मूल्य अध्ययन के अन्तर्गत मदों के बाहर होता है। अत: समान्तर माध्य से कई बार इस प्रकार का मूल्य आता है।

असाधारण मूल्यों का अधिक प्रभाव–श्रेणी अथवा समूह के असाधारण मूल्यों का समान्तर मूल्यों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि 7 व्यक्तियों की मासिक आय क्रमश: 100, 80, 90, 95, 2135, 210, 90 रुपये हैं तो इसका समान्तर माध्य

$$= \frac{100+80+90+95+2135+210+90}{7} = \frac{2800}{7} = 400$$

इस प्रकार समान्तर माध्य 400 रु० आया जबकि 5 व्यक्तियों की आय 100 रुपये के आस पास हैं। ऐसी स्थिति में समान्तर माध्य श्रेणी का वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाता।

(3) **निर्धारण करने में असुविधा**–यदि श्रेणी में पदों की संख्या अधिक है तो समान्तर माध्य को निरीक्षण मात्र से ही नहीं निकाला जा सकता। ऐसी स्थिति में लम्बे-लम्बे जोड़ गुणा आदि करने पड़ते हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक नहीं है।

(4) **यह अवास्तविक भी होता है**–जब कोई संख्या बहुत बड़ी अथवा बहुत छोटी होती है तो समान्तर माध्य अवास्तविक होता है।

(5) **श्रेणी की बनावट का ज्ञान नहीं**–समान्तर माध्य के द्वारा श्रेणी की बनावट के बारे में कोई ज्ञान नहीं हो पाता इसलिए समान्तर माध्य के आधार पर दो श्रेणियों की तुलना भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती।

(6) **थोड़े से पदों के छूट जाने पर समान्तर माध्य नहीं निकाला जा सकता**–समान्तर माध्य के श्रेणी अथवा समूहों के सभी पदों की माप अलग-अलग मालूम होना आवश्यक है। परंतु मध्यांक और बहुलांक कुछ पदों के छूट जाने पर मालूम किये जा सकते हैं।

(7) **घटने बढ़ने का क्रम स्पष्ट नहीं होता है**–समान्तर माध्य के द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि श्रेणी में पदों का मूल्य घट रहा है अथवा बढ़ रहा है। उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति की चार माह की आय क्रमश: 100, 150, 200, 350 रु० है तो आय का समान्तर माध्य 200 रु० आता है परंतु उसकि द्वारा आय में घटती-बढ़ती व्यवस्था के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता।

(8) **मात्र सिंहावलोकन से माध्य ज्ञात नहीं होता**–मूल्यों का सिंहावलोकन मात्र से समान्तर माध्य को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसमें परिकलन या गणना आवश्यक है।

19.3 मध्यांक अथवा माध्यिका (Median)

मध्यिका किसी श्रेणी के मध्य में स्थित वह बिन्दु है जो पूरी श्रेणी को दो समान भागों में बाँट देता है। इसका अभिप्राय यह है कि इस बिन्दु अथवा पद मूल्य से 50% पद मूल्य ऊपर होते हैं और आधे पद नीचे की ओर होते हैं।

डॉ० जे० सी० चतुर्वेदी के अनुसार "यदि एक श्रेणी के पदों को परिणामों के आधार पर बढ़ते या घटते हुए क्रम में सजाया जाता है तो बीच वाले पद की माप को मध्यिका कहते हैं।

एल्हांस के शब्दों में जब एक समंकमाला आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित होती है तो इस समंकमाला को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाले मध्य मूल्य को हम मध्यांक कहते हैं।

अर्थात् $M = \frac{N+1^{th}\ Item}{2}$

M – मध्यिका

N – पदों की संख्या

डॉ० बाउले के अनुसार, "किसी श्रेणी में आधी दूर पर स्थित पद का मूल्य ही माध्यिका है।"

प्रो० यूल व कैण्डल (Yule and Kendal) के अनुसार, माध्यिका, केन्द्रीय या माध्य मूल्य होता है, जबकि समूह के मूल्यों अर्थात् आवृत्तियों को उनके परिणाम के अनुसार क्रम से लिखा जाए या इस प्रकार लिखा जाए कि बड़े तथा छोटे मूल्य समान आवृत्तियों में बँट जाए।"

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मध्यांक दी हुई चल राशि के मानों के बीच वाली राशि का मान होता है। बीच वाला पद या राशि स्वयं माध्यिका नहीं होती, बल्कि वह तो माध्यिका का माप–दण्ड होता है। अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर माध्यिका की मुख्य विशेषताओं को निम्न प्रकार से प्रकट कर सकते हैं–

(i) माध्यिका बिल्कुल बीच वाला पद नहीं है, बल्कि उस पद का मूल्य होता है।

(ii) इसे ज्ञात करने के लिए श्रेणी को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखना पड़ता है।

19.3.1 सरल श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करना

सरल श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करने की निम्न दो विधियां हैं जो क्रमशः विषम, सम संख्या से अलग सम्बन्धित हैं।

(अ) यदि दी हुई श्रेणी विषय संख्या में हो तो पदों की संख्या के कुल मान में एक जोड़कर दो से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसका मूल्य ही अभीष्ट माध्यिका है।

$Me = \frac{N+1}{2}$ वें पद का मान

संकेताक्षर

Me = मध्यिका

N = पदों की संख्या

(ब) यदि श्रेणी सम संख्या में है तो पदों की कुल संख्या को दो से भाग देने पर प्राप्त फल के मान को $\frac{N}{2}+1$ वें पद के मान में जोड़कर आधा करने पर प्राप्त संख्या ही माध्यिका होगी।

$Me = \frac{1}{2}$ [$\frac{N}{2}$वें पद का मान + ($\frac{N}{2}$ + 1) वें पद का मान]

19.3.2 असतत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करना

इस श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के लिए वही सूत्र प्रयोग किया जाता है जो सरल श्रेणी में प्रयुक्त होता है। उसमें भी उसी प्रकार की प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसमें इकाइयों की संख्या ज्ञात करने के लिए आवृत्तियों का योग करना पड़ता है। अत: इसके लिए हमें संचयी आवृत्ति ज्ञात कर लेनी चाहिए।

संचयी आवृत्ति ज्ञान करने के लिए अधिक आवृत्तियों का योग लिखना पड़ता है। इस प्रकार क्रमिक आवृत्तियों का योग करने से अन्त में कुल आवृत्तियों का योग संचयी आवृत्ति के रूप में आ जाता है। उदाहरणार्थ यदि आवृत्तियाँ 3, 5, 8 व 13 हैं तो उनकी संचयी आवृत्तियाँ 3, 8, 16 तथा 29 होंगी अर्थात् 3 + 5 = 8,

8 + 8 = 16, 16 + 3 = 29। इसमें चारों आवृत्तियों का योग अन्तिम संचयी आवृत्ति में आ जाता है, यही कुल इकाइयाँ हैं।

अब पदों के साथ-साथ बारम्बारताएं दी हुई हैं। तो पहले हम उनकी संचयी बारम्बारताएं बनाते हैं, N/2 वें पद का मान ज्ञात करते हैं, N/2 को माध्यिका संख्या के नाम से पुकारते हैं, इसके पश्चात् यह पता करते हैं कि माध्यिका संख्या का मान किस पद की संचयी बारंबारता के अन्तर्गत आता है, वही पद माध्यिका होगा।

19.3.3 सतत श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करना : (Median in continuous series)

• सतत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम N+2/2 सूत्र की सहायता से मध्यिका की स्थिति ज्ञात की जाती है, अखण्डित श्रेणी में यह स्थिति किसी पद में न होकर वर्ग अन्तराल में होती है। जिस वर्ग अन्तराल में मध्यिका की स्थिति होती है, उसे मध्यिका वर्गान्तर कहते हैं।

माध्यिका वर्गान्तर का पता लग जाने पर अखण्डित (सत्त्) श्रेणी की माध्यिका निम्न सूत्र दारा ज्ञात की जाती है–

$$Me = L + \frac{\frac{N}{2} - F}{f \times 1}$$

संकेताक्षर

Me = माध्यिका (Median)

L = माध्यिका वर्गान्तर की निम्नतर सीमा

N = आवृत्तियों का कुल योग

F = मध्यांक वर्गान्तर से पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति

19.3.4 मध्यांक या माध्यिका के गुण-दोष

माध्यिका के गुण (Merits of Median)

माध्यिका के गुण अग्रलिखित हैं–

(i) माध्यिका प्रदत्त आंकड़ों की श्रेणी में उपस्थित रहती है, अत: यह सम्पूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है।

(ii) माध्यिका का निर्धारण निश्चित एवं शुद्ध हो सकता है।

(iii) इसको अवलोकन मात्र से ही ज्ञात किया जा सकता है।

(iv) माध्यिका को रेखाचित्र द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है।

(v) माध्यिका अत्यंत सरल होती है एवं शीघ्र तथा आसानी से समझ में आने वाला माध्य है। पदों को यदि हम क्रम से लगा दें तो माध्यिका आसानी से ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि यह ठीक बीच में होती है।

(vi) माध्यिका केवल बीच के अंकों को विशेष महत्व देती है, अत: इन पर सीमाओं का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है।

(vii) यदि हमें केवल पदों की संख्या ही ज्ञात हो तो हम माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें समस्त पदों के परिणाम, अन्तिम पदों की आवृत्तियों तथा असामान्य पदों के वर्ग अन्तराल के ज्ञान की अधिक आवश्यकता नहीं होती है।

(viii) यदि प्रदत्त श्रेणी में कुछ पद और बढ़ा दिए जायें, चाहे वे कितने ही बड़े अथवा छोटे हों, तो माध्यिका के मान में विशेष अन्तर नहीं होता है।

(ix) माध्यिका का उपयोग उन गुणों का माध्य निकालने के लिए होता है, जिन्हें हम गणितीय रीति से ज्ञात नहीं कर सकते, पर जिन्हें हम क्रम से रख सकते हैं जैसे बुद्धि, ईमानदारी, स्वास्थ्य, निपुणता, क्षमता आदि। अर्थात् माध्यिका का उपयोग उन अंकों की तुलना करने में अत्यंत आवश्यक है जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं माप सकते।

(x) यदि प्रदत्त श्रेणी, सतत श्रेणी में हो तो भी माध्यिका को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है

(xi) यह बहुलक की भाँति परिवर्तनशील और अनिश्चित न होकर स्थिर एवं निश्चित होती है।

(xii) माध्यिका के मूल्य में अन्य पदों के मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ता हैं। असामान्य मूल्य इसे प्रभावित नहीं कर सकते।

माध्यिका के दोष (Demeerits of Medain)

उपरोक्त अनेक गुणों के होते हुए भी माध्यिका में कुछ दोष हैं, जो निम्नलिखित हैं–

(i) यदि श्रेणी में पदों की संख्या कम होती है तो इस बात की संभावना रहती है कि माध्यिका समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यदि असतत् बंटन के लिए माध्यिका का स्थान निर्धारित करता है तो कई बार इसका मूल्य अनिश्चित आता है।

(ii) हम किसी भी सरल गणित सूत्र से इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं।

(iii) इसे ज्ञात करने के लिए समस्त पदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है।

(iv) यदि हम माध्यिका को कुल पदों की संख्या से गुणा कर दें तो हमें पदों का कुल योग ज्ञात नहीं होता है।

(v) इसको ज्ञात करने में समस्त समंक का प्रयोग नहीं होता है।

(vi) हम बीजगणितीय तरीकों से भी माध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते। उन विभिन्न माध्यिकाओं में से कोई ऐसी सामान्य माध्यिका नहीं निकाली जा सकती जो उन सभी श्रेणियों का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। इसका कारण यह है कि एक श्रेणी की माध्यिका, जो उस श्रेणी का माध्य मूल होती है पूर्णतया पृथक होगी।

(vii) पद माला या श्रेणी क्रम में बहुत अधिक अंतर होने पर कभी-कभी माध्यिका प्रतिनिधि मात्र नहीं होती अर्थात् पदों के विस्तार में बहुत भिन्नता होने पर भ्रामक परिणाम प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ पाँच व्यक्तियों की आय क्रमश: 10, 90, 500, 4000 और 15,000 रुपये हैं तो माध्यिका 500 रुपये होगी जो सर्वथा भ्रामक है।

(viii) यदि माध्य पद (Central item) दो वर्गों के बीच होता है तो माध्यिका को ज्ञात करना कठिन हैं, इसे केवल अनुमानित किया जा सकता है। यह ऐसी हो सकती है जो कि श्रेणीक्रम में न हो। उदाहरणार्थ 40 विद्यार्थियों में से 20 ने 10, 20 के वर्गान्तर में से अंक प्राप्त किए और 20 ने 25-35 के वर्ग अन्तराल में से अंक प्राप्त किए जो माध्यिका का निर्धारण न होकर स्थापना हो सकती है, यह 20 तथा 25 के बीच के अंक होंगे जो पदों में कहीं उपस्थित नहीं है।

(ix) माध्यिका समस्त पदों को समान महत्व देती है, अत: जहाँ तक पदों को महत्व देना होता है, वहाँ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता।

(x) पदों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर माध्यिका परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि मध्यम पद बदल जाता है, जैसे श्रेणी 1, 5 7, 9 एवं 11 की माध्यिका 7 है, परंतु यदि पदों की संख्या 1, 5, 7, 9, 11, 13, एवं 15 हो तो मध्यिका 9 हो जाएगी,

जो उपर्युक्त कथन के समर्थन में है।

(xi) माध्यिका एवं पदों की संख्या ज्ञात होने पर भी, पदों का संयुक्त मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते।

अतः माध्यिका सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक तथ्यों एवं सामाजिक तथ्यों के व्यावहारिक उपयोग की दृष्टि से सरल एवं शीघ्र समझ में आने वाला माध्य है। यह अत्यधिक विचलित एवं फैली हुई सामग्री एवं अनियमित आवृत्तियों में उपयोगी नहीं होती है।

19.4 बहुलक (Mode)

किसी पद माला या श्रेणी श्रृंखला में जिस मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसी मूल्य को बहुलक कहते हैं। इस प्रकार बहुलक पदमाला का सर्वाधिक सामान्य मूल्य होता है। यह पदमाला का ऐसा मूल्य या परिणाम है जो दिए हुए आँकड़ों में सबसे अधिक बार आता है अथवा वह परिमाण है जिसके आस-पास पदमाला के मूल्य अधिक बार एकत्रित रहते हैं। बहुलक का सबसे सरल अभिप्राय यह है कि उस मूल्य को प्राप्त करने वाले सबसे अधिक व्यक्ति हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी परीक्षा में दस विद्यार्थियों को क्रमशः 7, 9, 7, 5, 8, 12, 7, 6, 8 अंक प्राप्त होते हैं तो 7 बहुलक कहलाएगा क्योंकि यह संख्या सर्वाधिक बार प्राप्त की गई है या इसे प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या सबसे अधिक है।

निम्नलिखित परिभाषाओं से बहुलक का अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा :-

गिलफोर्ड (Gilford) के अनुसार बहुलक माप के पैमाने पर वह बिन्दु है जहाँ कि एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है।

इसी प्रकार डॉ० चतुर्वेदी ने लिखा है कि बहुलक को चल (Variable) का वह आकार जो सर्वाधिक बार आया है या सर्वाधिक आवृत्ति का बिन्दु अथवा सर्वाधिक घनत्व का बिन्दु कहकर परिभाषित किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि बहुलक उस पद का वह मूल्य है जो सबसे अधिक विशिष्ट या सामान्य है।

अपने दैनिक जीवन में हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि एक भारतीय की औसत ऊंचाई 5′ 6′′ है, भारतीयों का रंग काला होता है; औसतन आदमी ईमानदार होता है; औसतन पृष्ठ में तीन सौ पृष्ठ होते हैं इत्यादि। इन सभी वाक्यों में औसत शब्द वास्तव में बहुलक को ही प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ जब हम यह कहते हैं कि भारतीय की औसत ऊंचाई 5′ 6′′ होती है तो उसका तात्पर्य यह है कि भारतीयों की ऊंचाई में 5′ 6′′ की ऊंचाई सबसे अधिक बार सम्मिलित है अथवा 5′ 6′′ ऊंचाई वाले भारतवासियों की संख्या भारत में सबसे अधिक है।

19.4.1 बहुलक की विशेषताएं : (Characteristics of Mode)

उपर्युक्त परिभाषाओं व विवेंचना के आधार पर बहुलक की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है–

1. बहुलक एक श्रेणी (Series) के सभी पदों पर आधारित होता है। अत: उस पर पदमाला की बहुत छोटी या बहुत बड़ी संख्या (मूल्य) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
2. बहुलक आवृत्ति पर निर्भर है। इसीलिए पदों की अपेक्षा आवृत्ति का अधिक महत्व बहुलक ज्ञात करने में होता है।
3. बहुलक पदमाला का सबसे अधिक मूल्य वाला पद नहीं होता, अपितु वह पदमूल्य होता है जिसकी आवृत्ति या बारंबारता सर्वाधिक है। अत: यह सबसे छोटा पदमूल्य भी हो सकता है।
4. एक पदमाला में अधिकतम समान मूल्य वाले कई पद होने पर बहुलक ज्ञात करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में एक से अधिक बहुलक का उल्लेख करना पड़ता है।

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि बहुलक की गणना अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि यह उस पद का मूल्य है जिसकी आवृत्ति एक पदमाला में सबसे अधिक है। अत: किसी भी पदमाला को व्यवस्थित ढंग से संज्ञा लेने पर यह पता लग सकता है कि किस पद की आवृत्ति सबसे अधिक है।

19.4.2 सरल श्रेणी में बहुलक निकालना (Mode of Simple series)

सरल श्रेणी का बहुलक निकालना अत्यंत सरल है क्योंकि इसके लिए केवल विभिन्न पदों के मान के अनुसार पदों को क्रम से लगा लेना होता है और जिस पद की बारंबारता या आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। निम्नलिखित उदाहरण से यह और भी स्पष्ट हो जाएगा–

उदाहरण–निम्न पद मूल्यों से बहुलक ज्ञात कीजिए।

33, 20, 35, 50, 37, 33, 33, 25, 35, 34 और 35।

हल–पद मूल्यों को एक क्रम से रखने पर स्थिति इस प्रकार होगी–

20, 25, 33, 33, 34, 35, 35, 35, 35, 37, 50 उपरोक्त क्रम से यह स्पष्ट है कि 35 सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है। इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। अत: उपरोक्त पद मूल्य का वही 35 बहुलक होगा।

MO = 35

19.4.3 अखण्डित श्रेणी में बहुलक निकालना (Mode of continuous series)

अखण्डित श्रेणी का बहुलक मालूम करने के लिए सबसे पहले निरीक्षण द्वारा उस बर्गान्तर (class inteval) का पता लगाना चाहिए जिसमें बहुलक स्थित है। यदि बहुलक एक से अधिक है या निरीक्षण द्वारा बहुलक का पता नहीं चल पा रहा है तो समूहीकरण सारणी तथा विश्लेषण सारणी से बहुलक के वर्गान्तर का पता लगाना चाहिए। इस तरह बहुलक को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

सूत्र

$$M_0 = L_1 + \frac{f_1 \sim f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}(L_2 - L_1)$$

संकेताक्षर, MO = बहुलक

I_1 = बहुलक वर्ग की निम्न सीमा

L_2 = बहुलक वर्ग की उच्च सीमा

F_1 = बहुलक की आवृत्ति

F_0 = बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की आवृत्ति

F_2 = बहुलक वर्ग से आगामी वर्ग की आवृत्ति

उदाहरण

आकार	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
आवृत्ति	12	15	19	21	16	10

आकार	आवृत्ति
0-10	12
10-20	15
20-30	19
30-40	21
40-50	16
50-60	10

सूत्र के आधार पर

$$M_0 = L_1 + \frac{f_1 \sim f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}(L_2 - L_1)$$

$$= 30 + \frac{21 - 19}{2 \times 21 - 19 - 16}(40 - 30)$$

$$= 30 + \frac{2}{42 - 35}(10)$$

$$= 30 \times \frac{2}{7} \times 10$$

$$= 30 + \frac{20}{7}$$

$= 30 + 2.86 = 32.86$ **उत्तर**

19.4.4 बहुलक के गुण-दोष :

बहुलक के गुण (Merits of mode)

केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में बहुलक के निम्न गुण होते हैं–

(i) उत्तम प्रतिनिधि (Best representative)–बहुलक पदमाला का सर्वाधिक प्रतिनिधि मान होता है क्योंकि बहुलक वही होता है जिसकी आवृत्ति पदमाला में सर्वाधिक होती है क्योंकि बहुलक किसी भी श्रेणी का वह मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इस प्रकार बहुलक समूह का उत्तम प्रतिनिधि होता है।

(ii) गणना में सरल (Simple in calculation) :

बहुलक की गणना शीघ्रता, सरलता एवं यथार्थता से की जा सकती है। साधारणतया बहुलक श्रेणी अथवा समूह का निरीक्षण करने से ही पता लग जाता है।

(iii) सरलता से परिभाषित (Simply defined)–बहुलक सरलता से परिभाषित किया जा सकता है। यह वह शून्य है जो श्रेणी अथवा समूह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि साधारण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इसको भली प्रकार, समझा सकता है और परिभाषित कर सकता है।

(iv) परम मूल्यों से अप्रभावित (Not enfluened by extreme values) पदमाला या श्रेणी के चरम मूल्यों का बहुलक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह तो वह मूल्य होता है जो श्रेणी में बराबर आता है। अत: बहुलक का यह एक महत्वपूर्ण गुण है। इन श्रेणी माला में विद्यमान कोई बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि बहुलक तो वह है जो सबसे अधिक बार एक श्रेणी से सम्मिलित है।

(v) ग्राफ द्वारा निर्धारण करना संभव है

बहुलक की गणना ग्राफ की सहायता से बहुत सरलता से की जा सकती है।

(vi) कुछ पदों के अभाव में बहुलक निकालना संभव है (Determination of mode is possible in the absense of few terms)–बहुलक को श्रेणी के कुछ पदों की अनुपस्थिति में भी मालूम किया जा सकता है बशर्ते कि छूटे हुए बहुलक वर्ण में न आते हों।

(vii) व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभदायक–व्यापारिक दष्टिकोण से बहुलक अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि बड़ी कंपनियां ऐसी ही वस्तुएं बनाती हैं जो बहुलक पर आधारित हों। उदाहरणार्थ जूते बनाने वाली कंपनियां ऐसे जूते तैयार करती हैं जो अधिकार व्यक्तियों के उपयोग में आ सकें।

बहुलक के दोष (Demerits of Mode)

बहुलक में अनके दोष भी हैं जो निम्नलिखित हैं :

(1) बीजगणितीय प्रयोग संभव नहीं है बहुलक पर बीज-गणितीय प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी गणना आवृत्तियों के आधार पर की जाती है।

(2) अनिश्चित केन्द्रीय प्रवृत्ति का सूचक-

यदि किसी पदमाला या श्रेणी में सभी पदों की आवृत्तियां एक समान है तो बहुलक का निश्चय करना संभव नहीं है। कभी एक ही श्रेणी में दो-दो अथवा तीन-तीन बहुलक होते हैं। अत: यह कहना उपयुक्त होगा कि बहुलक केन्द्रीय प्रवृत्ति का निश्चित सूचक नहीं है।

(3) चरम मूल्यों का कोई महत्व नहीं –बहुलक में न्यूनतम और अधिकतम पदमूल्यों की अवहेलना की जाती है जिसके फलस्वरूप बहुलक के विषय में कोई अनुमान नहीं लगाया जाता।

(4) बहुलक पदमाला के सभी पदमूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता

बहुलक सभी पद मूल्यों का प्रतिनिधि करने में असमर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ यदि 50 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 50 रु० प्रति व्यक्ति हैं और अन्य व्यक्तियों की मासिक आय अलग-अलग हैं तो ऐसी स्थिति में बहुलक 50 रु० होगा जो कि समूह में केवल 40 व्यक्तियों की आय का प्रतिनिधिक करेगा, अन्य 46 व्यक्तियों की आय का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

(5) कुल मूल्य के बारे में ज्ञान न होना –यदि बहुलक से सब पदों की संख्या को गुणा किया जाए तो थोड़ी अथवा समूह के कुल मूल्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

19.5 सारांश–

माध्य, मध्यांक तथा बहुलक इन प्रतिनिधि अंको का द्योतक है जो कि अनेक आंकड़ों की ओर संकेत करते हैं कि उन आंकड़ों की माध्य प्रवृत्ति क्या है। जब अनेक आंकड़ों के बीच हमारा निष्कर्ष एक ठोस स्थिति को प्राप्त करने में हिचकिचाता है। उस अवस्था में माध्य प्रवृत्तियाँ हमारे लिए मार्ग-दर्शक का कार्य करती है, हमें अपने सुनिश्चित निष्कर्ष से विचलित होने से बचाती है तथा भ्रमपूर्ण ज्ञान से और अवैज्ञानिक के अन्धकार से बचाती है। एक वैज्ञानिक संचार अनुसंधान के लिए यह बड़ी आवश्यकता है।

19.6 शब्दावली

माध्य (Mean)–वह मूल्य जो किसी श्रोणी के समस्त पदों के मूल्य के योग को उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है।

माध्यिका (Median)–किसी समूह या थोड़ी के कई पदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम से व्यवस्थित करने पर उनके बीच के पद का मान ज्ञात कर लिया जाता है। इसे श्रेणी की माध्यिका कहते हैं।

बहुलक (Mode)–किसी समूह या श्रेणी के बहुत से पदों में ऐसा पद जो सम्पूर्ण समूह या श्रोणी में सबसे अधिक बार मौजूद हो, अर्थात् जिसकी बारम्बारता सबसे अधिक है। इसे बहुलक कहते हैं।

19.7 संदर्भ ग्रन्थ :

Aggarwal C. S. (1985)–Statistics Theory and Practice New acadamie publishing Jalandhar

देवकी नंदन –सांख्यिकी के सिद्धान्त, किताब महल, इलाहाबाद

डॉ० प्रीति वर्मा–डॉ० डी० एन० श्रीवास्तव–मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

19.8 प्रश्नावली

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सांख्यिकीय माध्य को परिभाषित कीजिए।

2. समान्तर माध्य के गुण की चर्चा कीजिए।

3. किन परिस्थितियों में मध्यांक (Median) मध्यमान (mean) से अच्छा माप है।

4. बहुलक की परिभाषा प्रस्तुत कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न :

5. सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले मुख्य माध्य कितने प्रकार के हैं? संक्षिप्त विवेचना कीजिए।

6. समान्तर माध्य निकालने की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए।

7. माध्यिका के गुण दोष की विवेचना कीजिए।

8. बहुलक क्या है? इसके गुण दोष एवं उपयोगिता बताइये।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न :

1. "अन्य समूह में तुलना का आधार प्रस्तुत करना माध्य का प्रमुख उद्देश्य है।" यह कथन किसका है–

(i) घोष तथा चौधुरी

(ii) डी० एन० एलहंस

(iii) इनमें से कोई नहीं।

2. Mode शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है–

(i) Modest

(ii) Model

(iii) La mode

(iv) कोई नहीं

3. "माध्य एक चरण के विशिष्ट मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं यह कथन किसका है–

(i) एलहान्स

(ii) कौनर

(iii) वी० वी० यंग

(iv) क्राक्सटन और काउडेन

उत्तर–

1. (i)

2. (iii)

3. (iii)

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

M.J.M.C. -07
मीडिया शोध

खण्ड

5

अनुप्रयुक्त शोध

इकाई-21	5
जनमत सर्वेक्षण एवं चुनाव पूर्व अध्ययन	
इकाई-22	24
एक्जिट पोल	
इकाई-23	34
रिपोर्टिंग की विधा के रूप में मीडिया शोध	
इकाई-24	48
मीडिया शोध के नैतिक मापदण्ड	
इकाई-25	60
लघु शोध प्रबन्ध एंव शोध प्रबन्ध की तैयारी	

परामर्श-समिति

प्रो0 केदार नाथ सिंह यादव	कुलपति - अध्यक्ष
डॉ0 हरीशचन्द्र जायसवाल	कार्यक्रम संयोजक
डॉ0 रत्नाकर शुक्ल	कुलसचिव - सचिव

विशेषज्ञ समिति

1- प्रो0 जे0 एस0 यादव	पूर्व निदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान , नई दिल्ली
2- प्रो0 राममोहन पाठक	निदेशक, मदन मोहन मालवीय, हिन्दी पत्रकारिता संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
3- प्रो0 सुधाकर सिंह	हिन्दी (प्रयोजनमूलक) विभाग, बी0एच0यू0, वाराणसी
4- डॉ0 विश्वनाथ पाण्डेय	जनसम्पर्क अधिकारी, बी0एच0यू0 वाराणसी
5- डॉ0 पुष्पेन्द्र पाल सिंह	अध्यक्ष-पत्रकारिता विभाग माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल

सम्पादक

डॉ0 अर्जुन तिवारी- वरिष्ठ परामर्शदाता, उ0प्र0रा0ट0 मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

लेखक मंडल

1- प्रो0 श्रीनिवास पाण्डेय	-	समन्वयक, प्रयोजनमूलक हिन्दी (पत्रकारिता बी0एच0यू0 वाराणसी)
2- डॉ0 शिव कृपा मिश्र	-	उपसम्पादक- दैनिक जागरण, वाराणसी
3- डॉ0 पूर्णिमा पाठक	-	नवभारत टाइम्स (नई दिल्ली), वाराणसी
4- श्री राजेश नारा।यण दुबे	-	मीडिया सेंटर, दुर्गाकुंड, वाराणसी
5- डॉ0 वीरेन्द्र व्यास	-	अध्यक्ष-पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, मं0 गॉ0 ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

© उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

खण्ड-5 खण्ड-परिचय : अनुप्रयुक्त शोध

के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयाँ हैं :-

इकाई 20 - जनमत सर्वेक्षण एवं चुनाव पूर्व अध्ययन

इकाई 21 - एक्जिट पोल

इकाई 22 - रिपोर्टिंग की विधा के रूप में मीडिया शोध

इकाई 23 - मीडिया शोध के नैतिक मापदण्ड

इकाई 24- लघु शोध प्रबन्ध एवं शोध प्रबन्ध की तैयारी

यह पूरा खण्ड मीडिया शोध के व्यावहारिक आयामों पर केन्द्रित है। जनमाध्यमों से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण खण्ड में जनमत सर्वेक्षण, चुनाव पूर्व अध्ययन, एक्जिट पोल, मीडिया के नैतिक मानदण्ड संदर्भित तथ्यों को सोदाहरण समझाया गया है। लोकतंत्र में चुनाव एक महती आवश्यकता है। मीडिया द्वारा चुनाव सर्वेक्षण, एक्जिट पोल में जो बातें बतायी जाती हैं उनका नागरिकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शोध के नैतिक मानदण्डों के द्वारा ही पीत, क्रीत, नवनीत पत्रकारिता को हतप्रभ किया जा सकता है। खण्ड के अन्त में 'मीडिया और मानवाधिकार' पर एक लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया है। यह एक माडल है जिसके आधार पर छात्र लघु शोध प्रबंध आसानी से प्रस्तुत कर सकते हैं।

20 जनमत सर्वेक्षण एवं चुनाव पूर्व अध्ययन

इकाई की रूपरेखा :

20.1.0 उद्देश्य

20.1.1 प्रस्तावना

20.1.2 जनमत क्या है?

20.1.3 सर्वेक्षण

20.1.4 जनमत सर्वेक्षण

20.1.5 जनमत सर्वेक्षण के प्रकार

20.1.6 जनमत सर्वेक्षण का आयोजन

20.1.7 जनमत सर्वेक्षण की उपयोगिता

20.1.8 जनमत सर्वेक्षण की सीमाएं

20.1.9 सारांश

20.1.10 शब्दावली

20.1.11 संदर्भ ग्रंथ

5.1.12 सम्बन्धित प्रश्न

20.1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप जान पायेंगे कि-

1. जनमत का क्या अर्थ है और सर्वेक्षण किसे कहते है?
2. जनमत सर्वेक्षण का अर्थ क्या है तथा इसके प्रमुख प्रकार कौन-कौन से है?
3. जनमत सर्वेक्षण के आयोजन, उपयोगिता, सीमाएं इत्यादि से भी आप का परिचय इस इकाई के अध्ययन से हो जायेगा।

20.1.1 प्रस्तावना

जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन प्रजातंत्र है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनमत का विशेष महत्व है। चीनी लोकोक्ति है-'वाक्स पोपली वाक्स डेयरी' अर्थात् 'द वाइस आफ द पीपुल इज द वाइस

ऑफ गॉड।' दूसरे शब्दों में जनता की आवाज भगवान की आवाज है और इसे अनसुना करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता।

प्रजातंत्र में जनता को ही आधार मानकर सारे कार्य होते है, किये जाते है। लोकतांत्रिक शासन में सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं का समाधान जनमत के माध्यम से ही निकाला जाता है। इसलिए जनमत और जनमत सर्वेक्षण का अध्ययन करना एक अध्येता के लिए आवश्यक होता है। जनमत राष्ट्र के अनेक निर्णयों को प्रभावित करता है। किसी राष्ट्र की नब्ज वहां उपस्थिति समसामयिक समस्याओं पर जनमत के माध्यम से टटोली जा सकती है।

जनमत सर्वेक्षण जनमाध्यमों के लिए विभिन्न समस्याओं पर सहमति बनाने और व्यक्त करने का अच्छा मंच होता है। इसलिए जनमत के बारे में जनमाध्यम सतर्क और सचेष्ट होते हैं। इस इकाई में जनमत और जनमत सर्वेक्षण के विविध पहलुओं से हम आपका परिचय करवा रहे है, उद्देश्य यह है कि जनमाध्यमों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी स्पष्ट धारणाएं बने और इसे समझने में आपकी अंतर्दृष्टि विकसित हो।

20.1.2 जनमत क्या है?

जनमत का अर्थ समझने के पहले इसमें शामिल दो घटक नामों जन (पब्लिक) और मत (ओपिनियन) को समझना आवश्यक है। जनता का अंग्रेजी और लैटिन रूपान्तर क्रमश: Public और Publicus से है जिसका अर्थ जनसमूह से होता है। किम्बाल यंग ने जन या जनता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "जनता आमने-सामने या कंधे से कंधा मिले रहने के कारण बंधी नहीं रहती है। जनता में व्यक्तियों की संस्था विभिन्न स्थानों में फैली हुई होती है और वह समान उत्तेजकों के प्रति जो प्रत्यक्ष या यांत्रिक साधनों द्वारा प्राप्त होती है, प्रतिक्रिया करती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जनता व्यक्तियों के उस असंयुक्त और असंगठित आधारहीन समूह को कहते है, जिसके व्यक्तियों की संख्या विभिन्न स्थानों पर फैली हुई होती है और जिनमें आपसी व्यक्तिगत सम्बंध नहीं होता है, परन्तु विचार और इच्छाएं लगभग समान होती हैं। इस विश्लेषण से जनता या जन की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं-

1. जनता असंगठित और असंयुक्त जनसमूह है।
2. जनता में व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है और लोग दूर-दूर फैले होते है।
3. जनता के सदस्यों में आपस में प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता।
4. जनता के लोगों की रुचियाँ और मत समान होते है और इसी समान के आधार के कारण लोग एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं।

5. जनता एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक समुदाय है जो प्रत्यक्ष और यांत्रिक साधनों द्वारा प्राप्त उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है।

6. जनता के लोगों के व्यवहार में समानता नहीं होती है क्योंकि इसका क्षेत्र विस्तृत होता है।

मत का अर्थ विचार, आस्था या विश्वास होता है। कुप्पूस्वामी के अनुसार विवादास्पद विषय के सम्बन्ध में विश्वास ही मत है। मत मुख्यत: एक प्रकार का ऐसा विचार आस्था या विश्वास है, जिसमें पूर्ण निश्चितता का अभाव होता है। मत मुख्यत: मौखिक और प्रतीकात्मक होते हैं। और बहुधा यह किसी विवादास्पद विषय के सम्बन्ध में होते हैं। मत स्थायी नहीं होते समय के साथ-साथ विचारों की परिपक्वता के साथ-साथ मतों का भी परिवर्तन होता जाता है।

सामान्यत: जनमत का अर्थ **'जनता का मत'** है या राज्य की समस्त व्यक्तियों की इच्छा से है। समाज में सभी सदस्यों के उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बन्धित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य व विषय हुआ करते है, जिनके सम्बन्ध में लोगों के अपने-अपने मत होते है। विचारों के आदान प्रदान, समालोचन, सम्प्रेषण और अंतक्रियाओं के कारण यह मत समन्वित हो जाते है और मतों का यह मिलाजुला स्वरूप भी जनमत कहलाता है।

अकोलकर के अनुसार-'जनमत विचारों के उस समूह को व्यक्त करता है, जो किसी मामले में लोग रखते या व्यक्त करते है।' कुप्पूस्वामी के अनुसार-'एक समय विशेष में किसी समस्या विशेष के सम्बन्ध में किसी छोटे या बड़े समुदाय का स्वीकृत मत ही जनमत है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर जनमत की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है।

1. जनमत कभी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हित में न होकर सार्वजनिक विशेष से सम्बन्धित होता है।

2. जनमत एक व्यापक निर्णय है जिसे एक समूह या समुदाय के अधिकांश लोग स्वीकार करते है। जनमत का बहुमत का संकेत मिलता है।

3. जनमत का निर्माण कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता और न ही जनमत महान व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है बल्कि जनमत की उत्पत्ति सामूहिक आधार पर होती है।

4. जनमत व्यक्यिों की पारस्परिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है।

5. जनमत के लिए आवश्यक नही कि वह तर्क पर ही आधारित हो। जनमत तर्कहीन भी हो सकते हैं।

6. जनमत जनसंस्कृति के सूचक होते हैं और जनसंस्कृति का प्रतिनिधित्व करते है।

7. एक समाज या समुदाय के प्रतिष्ठित सम्पन्न और शक्ति प्राप्त व्यक्तियों और वर्गो से जनमत प्रभावित होता है।

8. प्राय: जनमत किसी समय विशेष में किसी समस्या विशेष से सम्बन्धित होते है।

9. जनमत स्थिर अवधारणा नहीं है। यह निरन्तर बदलता रहता है।

10. जनमत प्राय: वाद-विवाद के बाद बनता है। वाद-विवाद के बाद मत अनुकूलन की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के आधार पर ही जनमत का उदय होता है।

11. जनमत केवल बहुसंख्यक मत नहीं है।

जनमत निर्माण की प्रक्रिया :

जनमत का निर्माण अचानक नहीं होता जनमत निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं है। सामाजिक प्रक्रियाओं की तरह जनमत निर्माण में भी कई चरण या स्तर होते है। जनमत के कुछ प्रमुख चरण निम्नवत् हैं।

1. **समस्या या विषय की उपस्थिति :** जनमत निर्माण का पहला स्तर समस्या या विषय को होना है जब तक कोई विषय या समस्या नहीं होगी तब तक जनमत निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं होगी। जिस प्रकार उत्तेजना के अभाव में प्रक्रिया हो ही नहीं सकती ठीक उसी प्रकार बिंना महत्वपूर्ण समस्या या विषय के जनमत का निर्माण भी नहीं हो सकता यह समस्या सामाजिक जीवन के किसी भी पहलू यथा अर्थ, राजनीति, धर्म इत्यादि किसी से भी सम्बन्धित हो सकती है।

2. **प्रारम्भिक खोजबीन का स्तर :** किसी भी समस्या की उत्पत्ति लोगों को समस्या के समाधान के लिए विवश करती है और उसी विवशता के कारण दूसरे स्तर का जन्म होता है। जब कोई समस्या आती है तो विस्तार से छान-बीन होती है तथा उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समस्या के हल के लिए समस्या को वास्तविक स्वरूप में समझना और संभावित हलों के बारे में पूर्वाग्रह रहित होकर सोचना आवश्यक होता है।

3. **विषय समाधान के लिए विभिन्न सुझाव :** किसी भी समस्या या विषय के सम्बन्ध में केवल वही व्यक्ति जिसका समस्या से सम्बन्ध होता है मत प्रस्तुत करते है। जिनका समस्या से सम्बन्ध नहीं होता वह उस समस्या में मत व्यक्त नहीं करते।

4. **निर्णय प्रक्रिया :** जनमत निर्माण की प्रक्रिया का चौथा स्तर यह है कि जनमत की समस्या या विषय में रुचि रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न सुझावों और योजनाओं में से किसी एक निर्णय को मान लें। कुछ लोगों को तो ऐसे सुझावों को केवल इसलिए मानना पड़ता है कि सुझाव अधिकांश लोगों द्वारा मान्य है। जबकि कुछ लोग अपनी पसन्द से ही हल को स्वीकार करते है।

5. **कार्य रूप में परिणिति :** जनमत का निर्माण होने पर उसकी कार्य रूप में परिणित सहज नहीं होती। उसके लिए विशेष प्रयत्न करना आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर भारत में आतंकवाद के लिए एक पड़ोसी देश को जिम्मेदार ठहराने में अधिकांश भारतीय एक मत है, किन्तु उसे इस कार्यवाही से रोकने का रास्ता कठिन है।

नमत के निर्धारक :

जनमत के निर्धारण करने में कई तत्व महत्वपूर्ण होते है-

1. **प्रेरणा :** प्रेरणा जनमत निर्माण को प्रभावित करती है। जब तक किसी समूह या समुदाय क स्रोता किसी विषय या समस्या की ओर आकृष्ट या प्रेरित नहीं होते तब तक जनमत नहीं बन पाता। प्रेरणा जितनी अधिक होगी जनमत का निर्माण उतना शीघ्र होगा।

2. **नेतृत्व :** जनमत के निर्माण में नेतृत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के नेता और उनका नेतृत्व जनमत निर्माण में सहायक होता है। इसी प्रकार विवादास्पद विषयों में विशेषज्ञ का मत जनमत निर्माण को प्रभावित करता है।

3. **सामाजिक प्रभाव :** जनमत को सामाजिक वर्ग भी प्रभावित करता है। प्राय: यह देखा गया है कि व्यक्ति जिस सामाजिक वर्ग से सम्बन्धित होता है उसके विरुद्ध मत नहीं देता, क्योंकि उसका उस वर्ग के अन्य सदस्यों घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

4. **घटनाएं एवं जनमत :** समाज में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का जनमत निर्माण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राजनैतिक हत्या, चरित्र हत्या, लूटमार, दंगे इत्यादि कुछ ऐसी घटनायें है जिनका जनता पर गहरा असर होता है ये घटनायें भी जनमत निर्माण में कभी-कभी निर्णायक भूमिका का निर्वाह करती है।

5. **जनमाध्यमों का प्रभाव :** समूह में प्रचार के लिए जनमाध्यम की सबसे उपयोगी तंत्र है और इसीलिए चाहे वह मुद्रित साधन हो या इलेक्ट्रानिक माध्यम जनमत निर्माण को प्रभावित करते है।

6. **अफवाह एवं प्रचार :** विषम परिस्थितियों में सही सूचनाओं के अभाव और कभी-कभी अफवाहों से भी जनमत निर्माण प्रभावित होता है।

प्रचार के साथ अफवाह और अधिक शक्तिशाली होकर जनमत निर्माण को प्रभावित करती है।

7. **पूर्वधारणायें** : पूर्वधारणायें और विश्वास भी जनमत निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कई बार वास्तविक स्थितियों और घटनाओं पर ध्यान न देकर पूर्व धारणाओं और विश्वास के आधार पर ही जनमत बन जाया करता है। विशेषकर परम्पराओं और धार्मिक मान्यताओं के सम्बन्ध में कोई समस्या उत्पन्न होने की दशा में पूर्वधारणायें और विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जनमत के निर्माण में।

8. **सामाजिक मूल्य** : सामाजिक मूल्य और मानक समाज को चलाने में दिशा–दर्शक होते हैं। समाज चाहे कोई भी हो कुछ नियम, कुछ आदर्श मानक व मूल्य सभी के होते हैं। जो व्यक्ति समाज में रहता है उन्हें इसका पालन करना पड़ता है। वह उन्हीं के अनुसार व्यवहार भी करता है। ऐसी स्थिति में जनमत निर्माण में ये सामाजिक मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जनमत का मापन : जनमत को नापने की अनेक विधियां है, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है–

1. **जनसमूह निरीक्षण विधि** : इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटेन में चार्ल्स मेज तथा टॉम हैरिसन ने किया। इस विधि में केवल बाह्य निरीक्षणों द्वारा ही जनमत को जानने का प्रयास किया गया है। अध्ययनकर्ता जनता के व्यवहारों का निरीक्षण ही नहीं करता है अपितु उनके विचारों को भी सुनता है। इस विधि द्वारा जनमत का अध्ययन समाचार पत्रों, विभिन्न लेखों, पत्र पत्रिकाओं एवं भाषा के आधार पर किया जाता है। अतः वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं प्राप्त होते हैं।

2. **मतदान** : अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। मतदान या वोट देने वाले व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने की पूरी छूट होती है और वह अपना मत गोपनीय स्तर पर प्रदान करता है। अतः वह मत स्वतन्त्रता पूर्वक किसी के सम्बन्ध में भी व्यक्त कर सकता है। इस विधि द्वारा प्राप्त जनमत अधिक विश्वसनीय और सत्य होता है।

3. **प्रश्नावली विधि** : जब जनता के लोग दूर-दूर तक फैले हुए होते है तब प्रश्नावली विधि के द्वारा भी जनमत का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नों के चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न जनमत की समस्या के सम्बन्ध में होने चाहिए और संक्षिप्त तथा सार्थक और सरल होने चाहिए।

4. **साक्षात्कार विधि :** साक्षात्कार विधि द्वारा जनमत का अध्ययन अधिक गहराई से किया जा सकता है। इस विधि द्वारा अध्ययन करने क लिए केवल प्रशिक्षित अध्ययनकर्ता की आवश्यकता होती है। वह इस लिए कि जनमत का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता को अपने निरीक्षणों और निर्णय के सम्बन्ध में तटस्थ रहना पड़ता है। तटस्थता के अभाव में शुद्ध और विश्वसनीय परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। जनमत के अध्ययन में बहुधा अनिर्णयात्मक साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है या वर्ग साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रथम प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार कर्ता की कोई निश्चित योजना नहीं होती परन्तु दूसरे प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययन योजना निश्चित और क्रमबद्ध होती है।

5. **अनुसूची विधि :** इस विधि द्वारा लिखित प्रश्नों के सेट पर प्रतिक्रिया प्राप्त कर जनमत का मापन किया जाता है।

6. **अवलोकन विधि :** अवलोकन विधि मूलरूप से अवलोकन प्रक्रिया पर आधारित होती है, जिसमें अध्येता तटस्थ होकर जनमत के बारे में निर्णय करता है और अवलोकन के आधार पर निर्णय करता है।

7. **अभिवृत्ति जांच विधि :** अभिवृत्ति जांच विधि में वे सभी विधियां आती है, जिनसे अभिवृत्तियों का मापन किया जा सकता है।

20.1.3 सर्वेक्षण

सर्वेक्षण का सामान्य अर्थ है बडे क्षेत्र में से आवश्यकतानुसार उपयोगी क्षेत्र का चुनाव कर उसकी अधिकांश विशेषताओं के प्रति मात्रात्मक दृष्टि से सूचनाओं को एकत्रित करना होता है। अंग्रेजी भाषा में सर्वे शब्द का भी लगभग यही अर्थ है। तथ्यों की खोज में सरसरी निगाह दौड़ाकर स्थिति का अध्ययन करना सर्वेक्षण कहलाता है। सर्वेक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा समाज के संगठन और क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के सम्बन्ध में संख्यात्मक तथ्य संकलित किये जाते है। संक्षेप में कहें तो-

1. यह क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन आयोजन है।
2. विस्तृत क्षेत्र, विस्तृत कारण और विस्तृत परिणामों परं नजर डालता है।
3. जनमत सर्वेक्षण का सीधा-साधा सम्बंध जनसमस्याओं पर जन अभिव्यक्ति पर है।

सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान को प्राय: एक ही अर्थो में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनमें कई अंतर है। अनुसंधान एक व्यापक शब्द है,

जबकि सामाजिक सर्वेक्षण इसी अनुसंधान का एक हिस्सा हैं। एक गुणात्मक विधि है तो दूसरा उस विधि का प्रयोग।

20.1.4 जनमत सर्वेक्षण

जनमत और सर्वेक्षण को पृथक-पृथक समझ लेने के उपरांत जनमत सर्वेक्षण को समग्र रूप से समझने की आवश्यकता है। जहाँ जनमत को हमने जन अभिव्यक्ति या जनता के मत के रूप में समझा है वहीं सर्वेक्षण का अर्थ सरसरी तौर पर किसी समस्या के विषय में लोगों की राय का संख्यात्मक एकत्रीकरण से है। जनमत सर्वेक्षण का सामान्य अर्थ हुआ कि जनता के मत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पद्धति से क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन।

20.1.5 जनमत सर्वेक्षण के प्रकार

जनमाध्यमों द्वारा किये जाने वाले जनमत सर्वेक्षण कई प्रकार के हो सकते है। उदाहरण के लिए सर्वेक्षण समुदाय विशेष की जानकारी देने वाला हो सकता है, अनुमान लगाने वाला हो सकता है या फिर किसी कथन की सत्यता की जांच के लिए हो सकता है। भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के अनुसार जनमत सर्वेक्षण भिन्न-भिन्न प्रकार के हो सकते है। जनमत सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है-

1. साधारण सर्वेक्षण
2. विशिष्ट सर्वेक्षण
3. प्राथमिक सर्वेक्षण
4. बार-बार सर्वेक्षण
5. नियमित सर्वेक्षण
6. कामचलाऊ सर्वेक्षण
7. समग्र सर्वेक्षण
8. निदर्शन सर्वेक्षण
9. समयबद्ध सर्वेक्षण
10. संख्यात्मक सर्वेक्षण
11. गुणात्मक सर्वेक्षण
12. चुनाव पूर्व सर्वेक्षण
13. चुनाव बाद सर्वेक्षण

1. साधारण **सर्वेक्षण :** साधारण जनमत सर्वेक्षण जनता, पाठको या दर्शकों से सामान्य जानकारियों के एकत्रीकरण के उद्देश्य से किये जाते है। दैनिक समाचार-पत्रों अथवा समाचार चैनलों में दैनन्दिन की घटनाओं पर लोगों के अभिमत एकत्र करने जैसे विषय साधारण सर्वेक्षण के अन्तर्गत आते हैं।

2. **विशिष्ट सर्वेक्षण :** जब किसी विशेष उद्देश्य को लेकर अथवा किसी उपकल्पना की सत्यता की जांच के सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है तो इसे विशिष्ट सर्वेक्षण कहते है।

3. **प्राथमिक सर्वेक्षण :** मूलभूत जानकारियों के एकत्रीकरण के लिए जो सर्वेक्षण किये जाते है वे प्राथमिक सर्वेक्षण की कोटि में आते है। गहराई से की जाने वाली रिपोर्टिंग में जो तथ्य सामान्य रूप से एकत्र किये जाते है वे प्राथमिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत आते है।

4. **बार-बार सर्वेक्षण :** कुछ जनमत सर्वेक्षण बार-बार किये जाते है। किसी प्त्र या चैनल की लोकप्रियता के लिए नेशनल रीडरशिप सर्वे (एन.आर.एस.) जैसे सर्वेक्षण इस कोटि में आते है।

5. **नियमित सर्वेक्षण :** कुछ घटनाओं या मुद्दों की मॉनिटरिंग के लिए उससे सम्बन्धित जानकारियों को बार-बार एकत्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया एक नियमित अंतराल के पश्चात् दोहराई जाती है। ऐसे सर्वेक्षणों को नियमित सर्वेक्षण कहते है।

6. **कामचलाऊ सर्वेक्षण :** कामचलाऊ जनमत सर्वेक्षण किसी बड़े शोधात्मक सर्वेक्षण के पृष्ठभूमि के लिए होते है, इनका उद्देश्य प्रारिम्भक तौर पर जानकारी एकत्र करना होता है, यदि उस दिशा में सहायता मिलती है तो सर्वेक्षण कार्य आगे बढ़ाया जाता है अन्यथा उसे उसी स्तर पर रोक दिया जाता है।

7. **समग्र सर्वेक्षण :** जब अध्ययन में सम्मिलित समस्त इकाईयों का अभिमत लेकर निष्कर्ष निकाला जाय तो ऐसे सर्वेक्षण को समग्र सर्वेक्षण कहते है।

8. **निदर्शन सर्वेक्षण :** जब समग्र की कुछ इकाईयों पर जानकारियां एकत्रित कर अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते है ऐसे सर्वेक्षणों को निदर्शन जनमत सर्वेक्षण या सैम्पल पब्लिक ओपीनियन सर्वे कहते है।

9. **समयबद्ध सर्वेक्षण :** कुछ सर्वेक्षण एक नियमित अवधि के बाद दोहराए जाते है जैसे प्रत्येक 10 वर्षो में जनसंख्या की संरचना का सर्वेक्षण होता है। ऐसे सर्वेक्षणों को समयबद्ध सर्वेक्षण कहते है।

10. **संख्यात्मक सर्वेक्षण :** जब सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल आंकड़ों में जानकारी को एकत्र करना हो तो ऐसे अध्ययन को संख्यात्मक सर्वेक्षण कहते है।

11. **गुणात्मक सर्वेक्षण :** जब जनमत सर्वेक्षण का उद्देश्य ऐसा हो कि संख्या की अपेक्षा गुणमूल्य या तत्त्व के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाय तो ऐसे सर्वेक्षणों को गुणात्मक सर्वेक्षण कहते हैं।

12. **चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण :** यह जनमत सर्वेक्षण का वर्तमान समय में बहुत प्रचलित प्रकार है। देश हो या प्रान्त, सत्ता और सरकारें हर आम और खास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। चुनाव लोकतंत्र में महत्वपूर्ण घटना होते हैं और इनके बारे में जानने की उत्सुकता बहुत अधिक होती है। जनमाध्यमों में चुनाव से पूर्व पार्टियों की स्थिति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की होड़ में शामिल व्यक्तियों का आंकलन और पार्टियों को होने वाले नफे-नुकसान की टोह लेने के लिए जो सर्वेक्षण कराए जाते हैं उन्हें चुनाव पूर्व सर्वेक्षण कहा जाता है।

13. **चुनाव बाद सर्वेक्षण :** भौगोलिक दृष्टि से देश का विस्तार अधिक होने से चुनाव के तुरन्त बाद मतपत्रों की गिनती का कार्य प्रारम्भ नहीं होता। परिणामों के प्रति लोगों की उत्सुकता को भुनाने के लिए चुनांव बाद सर्वेक्षण या एक्जिट पोल करने की परिपाटी जनमाध्यमों में खूब परवान चढ़ रही है। एक्जिट पोल इस मान्यता पर आधारित है कि वोट देकर मतदान केन्द्र से बाहर निकल रहा व्यक्ति आम तौर पर अपने निर्णय की सही जानकारी देता है और उसे बिना लाग लपेट के व्यक्त भी कर देता है। ऐसी स्थिति में एक्जिट पोल को आने वाले परिणामों की झांकी के रूप में देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक्जिट पोल के नतीजे वास्तविक नतीजों से भिन्न रहे है। जिससे इन सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

20.1.6 जनमत सर्वेक्षण का आयोजन

जनमत सर्वेक्षण का कार्य अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में शीघ्र सम्पादित करने की चुनौती जनमाध्यमों की होती है। अत: जनमाध्यमों द्वारा किये जाने वाले ऐसे सर्वेक्षणों के पूर्व कुछ मूलभूत व्यवस्थाओं और सर्वेक्षण के प्रबन्धकीय, सांख्यिकीय एवं सम्बन्धित अन्य पहलुओं का पूर्व निर्धारण आवश्यक होता है। जनमत सर्वेक्षण के आयोजन को हम सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित चरणों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं-

1. विषय या समस्या का चुनाव
2. उद्देश्य का चुनाव

3. परिभाषाओं का निर्धारण

4. न्यादर्श का चयन

5. तकनीक, उपकरणों तथा कार्यकर्ताओं का चुनाव

6. संगठनात्मक ढाचे का निर्धारण

7. तथ्यों का एकत्रिकरण

8. तथ्य संपादन

9. रिपोर्ट लेखन

1. **विषय या समस्या का चुनाव :** सर्वप्रथम विषय या समस्या का चयन कर लिया जाता है, जिस पर सर्वेक्षण का कार्य उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र का चयन किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र की सीमाएं ठीक प्रकार से निर्धारित कर ली जाती है, ताकि स्पष्ट हो जाय कि समस्या से सम्बन्धित तथ्यों का संकलन किस सीमा में करना है, जिन चीजों का सर्वेक्षण करना है उनका निर्धारण भी कर लिया जाता है, जिससे सर्वेक्षण के दौरान किसी दुविधा का सामना न करना पड़े।

2. **उद्देश्य का चुनाव :** विषय तो प्रायः विस्तृत होता है। सर्वेक्षण के निर्धारित उद्देश्यों का चुनाव विषय से एक कदम आगे बढ़कर किया जाता है। जो उसे अधिक धारदार बनाता है। जबतक सर्वेक्षण का उद्देश्य स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं किया जाता तब तक सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति समय तथा धन के खर्च के विषय में लगाये जाने वाले अनुमान सटीक नहीं होते। वास्तविकता तो यह है कि उद्देश्य के स्पष्ट होने से सर्वेक्षण की संरचना बनाने में सुविधा हो जाती है और अन्य बातों के बारे में पूर्वानुमान लगाना सरल हो जाता है।

3. **परिभाषाओं का निर्धारण :** परिभाषाओं का निर्धारण अध्ययन करने वाले को व्यर्थ भटकाव से बचाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हमने जिले के लिए सर्वेक्षण की संरचना ली है तो किन-किन स्थानों का चयन किया है। यदि हमारे उत्तरदाता युवा वर्ग के हैं तो उनकी आयु सीमा क्या होगी? यदि हमने मध्यम वर्गीय परिवार का चयन किया है तो उनकी वार्षिक आय किस सीमा तक होनी चाहिए इत्यादि समस्त जरूरी बातों को सुस्पष्ट और परिभाषित कर लेना आवश्यक है। अन्यथा तथ्यों का संकलन त्रुटिपूर्ण ही रहेगा।

4. **न्यादर्श का चयन :** समय और धन को बचाने की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र की समस्त इकाईयों को चयन न कर उनमें से कुछ इकाईयों को चुना जाता है और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त कर समग्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है। न्यादर्श या नमूने का चयन जितने अच्छे ढंग से

किया जायेगा अनुमान उतने ही सटीक होंगे। इकाईयों का चयन करते समय न्यादर्श के चयन में इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि न्यादर्श में वे सभी गुण हों जो समग्र में उपस्थित हैं।

5. **तकनीक, उपकरणों तथा कार्यकर्ताओं का चुनाव :** अध्ययन क्षेत्र से तथ्यों और सूचनाओं के संकलन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाये उसे पूर्व में निर्धारित कर लेना आश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी महाविद्यालय में युवाओं की मीडिया रुचियों से सम्बन्धित कोई अध्ययन किया जा रहा है तो यह तय करना होगा कि उनसे किस पद्धति द्वारा सूचनायें ली जायेंगी। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार विधि या अन्य कोई विधि जिसका प्रयोग करना है पूर्व में ही निर्धारित कर लेना उपयुक्त होगा। साथ ही यह भी तय करना आवश्यक है कि इन आंकड़ों को कौन से कार्यकर्ता एकत्रित करेंगे। संकलन करने वाले की मानसिकता, प्रवृत्ति और कभी-कभी पूर्वाग्रह भी शोध निष्कर्षो को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए न सिर्फ तथ्यों के संकलन की तकनीक का चुनाव बल्कि संकलित करने वाले कार्यकर्ताओं को भी सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए।

6. **संगठनात्मक ढ़ाचे का निर्धारण :** व्यक्तियों, विधियों, उपकल्पनाओं और विचारों का एक ढांचा बनाकर जो सर्वेक्षण आरम्भ होता है वह अधिक वैज्ञानिक सुव्यवस्थिति एवं निष्कर्षयुक्त होता है। सर्वेक्षण बड़ा हो अथवा छोटा उसे एक संगठनात्मक स्वरूप देना पड़ता है। बड़े सर्वेक्षणों में प्राय: एक केन्द्रीय कार्यालय स्थापित करना पड़ता है और वहां पर ही सभी नीतियों का निर्धारण कर लिया जाता है, जिसके आधार पर पूरे अध्ययन क्षेत्र में कार्य किया जाता है।

7. **तथ्यों का एकत्रिकरण :** इस पूरी व्यवस्था के बाद तथ्य संकलन का वास्तविक और महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ होता है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों ही तथ्य संकलन के स्रोत हो सकते है। आवश्यकता पड़ने पर अपने ही द्वारा संकलित किये गये तथ्यों को पुन: जांच कर देख लिया जाता है कि उद्देश्य के अनुरूप तथ्यों का एकत्रीकरण हो रहा है अथवा नहीं।

8. **तथ्य संपादन :** सूचनाएं एकत्र हो जाने के पश्चात् उनके वर्गीकरण, सारणीयन और विवेचन का कार्य आरम्भ होता है। सांख्यकीय विधियों द्वारा तथ्यों का शोधन भी किया जा सकता है।

9. **रिपोर्ट लेखन :** सर्वेक्षण का अन्तिम भाग रिपोर्ट तैयार करना होता है सर्वेक्षण चाहे स्वयं अनुसंधानकर्ता के लिए किया गया हो अथवा किसी संस्था के आदेश पर प्राप्त परिणामों का रिपोर्ट में ही सुव्यवस्थित रूप

में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पूरे सर्वेक्षण का चरणबद्ध वर्णन और निष्कर्षों का संकलन होता है।

20.1.7 जनमत सर्वेक्षण की उपयोगिता

जनमत सर्वेक्षण को बोलचाल के शब्दों में लोगों की नब्ज़ टटोलने का कार्य कह सकते है। विभिन्न मुद्दों पर अभिमत भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न होते है, इनसे मिलकर निकलने वाला मत जनमत कहलाता है। जेसिका लाल मर्डर केस में न्यायालय की टिप्पणी आ जाने के बाद और अपराधियों को लगभग मुक्त कर दिये जाने के बाद एक निजी चैनल द्वारा चलाये गये अभियान जस्टिस फॉर जेसिका एक ऐसा ही जनमत सर्वेक्षण था जिसने न सिर्फ देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को वरन् पूरे देश को इस पूरे मुद्दे पर पुर्नविचार के लिए तैयार किया। जनमत सर्वेक्षण प्रजातंत्र में विशिष्ट महत्व रखते है, क्योंकि इनके द्वारा ही सर्व शक्तिमान जनता की राय का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रस्तुतिकरण होता रहता है। जनमत सर्वेक्षण कि कुछ प्रमुख उपयोगिताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. जनभावनाओं की अभिव्यक्ति
2. भविष्य का पूर्वानुमान
3. तथ्य परक निष्कर्ष
4. समय और धन की बचत
5. गहराई से किये जाने वाले शोध की पृष्ठभूमि
6. समूह की विशेषताओं का प्रस्तुतिकरण
7. पक्षपात की संभावना कम
8. शीघ्र विस्तृत और गहराई से किये जाने वाले अध्ययनों के लिए उपयुक्त

20.1.8 जनमत सर्वेक्षण की सीमाएं

सामाजिक सर्वेक्षण के रूप में जनमत सर्वेक्षण जनमाध्यमों में प्रस्तुतिकरण की एक लोकप्रिय विधा है। जनमाध्यम अक्सर जनमानस के मन की टोह लेते रहते है। फिर चाहे वह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता हो या किसी पार्टी को मिलने वाले वोट। किसी प्रतिस्पर्धा में किसी व्यक्ति या टीम की जीतने की संभावनाएं हों या किसी सामाजिक मुद्दों पर आम राय जनमत सर्वेक्षण इन सभी दशाओं में बहुत उपयोगी भूमिका का निर्वाह करता है, किन्तु अध्ययन की पद्धति के रूप में इसकी कुछ सीमाएं भी है।

1. समस्या को सही रूप में न जान पाना।
2. तात्कालिक निष्कार्ष ।
3. व्यय साध्य और समय ।
4. अध्येता की कुशलता पर आधारित।
5. सांख्यकीय प्रस्तुतीकरण।
6. जल्दबाजी में निकाला गया निष्कर्ष।
7. गहराई और गम्भीरता का अभाव।
8. तथ्यों की शुद्धता।
9. वैचारिक मान्यताएं और पूर्वागृह।
10. परिस्थितियों का समान्य न होना।

1. **समस्या को सही रूप में न जान पाना :** अनेक बार मानव अपनी इन्द्रियों से जिन सूचनाओं को गृहण करता है वे पूर्णत: सत्य नहीं होती। हम जिस रूप में घटनाओं को देखते या सुनते है वे उसी रूप में सत्य और साबित करने योग्य नहीं होती। यही कारण है कि ऐसे अध्ययन मे अनेक त्रुटियां रह जाती हैं। प्रत्येक अवस्था में अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति आवश्यक होती है, लेकिन सर्वेक्षण में जब सभी सूचनाओं के संकलन में अनुसंधानकर्ता का प्रत्यक्ष जुड़ाव न हो तो तथ्यों की सत्यता संदेहास्पद हो जाती है।

2. **तात्कालिक निष्कार्ष :** जनमत सर्वेक्षण से निकाले निष्कर्ष अत्यंत तदर्थ और आस्थाई प्रकृति के होते हैं। किसी लोकप्रिय योजना के शुरू करने से सरकारों के काम-काज पर किया गया जनमत सर्वेक्षण बहुत सकारात्मक निष्कर्ष दे सकता है, तो वहीं एक कड़े निर्णय के पश्चात् किया गया जनमत सर्वेक्षण सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है। निष्कर्ष यह है कि सर्वेक्षण के निष्कर्ष तात्कालिक होते है और लम्बे समय तक इनपर भरोसा नहीं किया जा सकता।

3. **व्यय और समय साध्य :** सर्वेक्षण में चूंकि अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष सम्पर्क से जानकारी एकत्र करता है इसलिए समय और धन के व्यय की दृष्टि से यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक व्यय और समय साध्य होती है। क्षेत्र बड़ा होने पर कभी-कभी व्यय और समय की सीमा शोध के निष्कर्षो को भी प्रभावित करती हैं।

4. **अध्येता की कुशलता पर आधारित :** जनमत सर्बेक्षण में परिणाम अध्येता की कुशलता पर आधारित होते है। अत: एक कम कुशल अध्येता और एक अध्येता के द्वारा किये गये अध्ययन और निकाले

गये निष्कर्षों में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर हो सकती है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की सफलता अध्येता की कुशलता पर ही निर्भर करती है।

5. **सांख्यकीय** प्रस्तुतिकरण : जनमत सर्वेक्षण जनता के मत का एक सांख्यकीय प्रस्तुतिकरण है जो प्रत्येक दशा में सही तस्वीर प्रस्तुत करे यह आवश्यक नहीं। किसी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण का निष्कर्ष यह हो सकता है कि पांच प्रतिशत वोटरों में अनिर्णय की स्थिति है, किन्तु यही परिणाम के रूप में किसी सत्ताधारी दल से बहुमत छीन सकता है। या सत्ता पर कसी नये दल को बिठा सकता है।

6. **जल्दबाजी में निकाला गया निष्कर्ष** : जनमत सर्वेक्षण प्रायः समसामयिक विषयों पर किये जाते है। अतः इनमें सामयिकता या तत्कालिकता का तत्व महत्वपूर्ण होता है। मुद्दे पुराने न पड़ जायें इसलिए जनमाध्यम जल्द से जल्द सर्वेक्षण के निष्कर्षो को जनता के सामने प्रस्तुत करने के अधीर होते है और इसी कारण लिये गये निष्कर्ष भी अनेकबार जल्दबाजी में लिये जाते हैं।

7. **गहराई और गम्भीरता का अभाव** : बार-बार जनता की नब्ज टटोलने के नुस्खे के रूप में जनमत सर्वेक्षण गहराई और गंभीरता का भाव खो देते है। साथ ही प्रतिस्पर्धा के इस युग में जनमाध्यम लोकप्रियता में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कुछ अपेक्षाकृत महत्वहीन मुद्दों पर ही जनमत सर्वेक्षण का कार्य करते है, जिससे इनमें गहराई और गंभीरता का अभाव हो जाता है।

8. **तथ्यों की शुद्धता** : शोधकर्ता की योग्यता पर आधारित होने के कारण अनेक बार जनमत सर्वेक्षणों के जरिये जुटाये गये तथ्यों की शुद्धता संदेह के घेरे में होती है।

9. **वैचारिक मान्यताएं और पूर्वागृह** : अनेक जनमत सर्वेक्षणों में यह देख गया है कि इन्हें सम्पन्न करने वाले शोधकर्ताओं या प्रायोजित करने वाले संस्थानों की वैचारिक मान्यताएं और कभी-कभी पूर्वागृह भी जनमत सर्वेक्षण की सत्यता को संदेहास्पद बनाते है।

10. **परिस्थितियों का समान न होना** : परिस्थितियों के समान होने पर ही जनमत सर्वेक्षण के निष्कर्ष अन्य जगह लागू किये जा सकते है परन्तु ससमाजिक जीवन में परिस्थितियों की सामान्यतः कम ही देख को मिलती है, जिससे जनमत सर्वेक्षण के परिणाम प्रभावित होते हैं।

जनमत सर्वेक्षण का अभियान प्राय: सभी प्रमुख पत्र चलाते हैं। अपने यहाँ हिन्दी की पत्रिका 'इंडिया टुडे' द्वारा यह कार्य नियमित रूप से सम्पादित होता है। वर्ष २००६ के सितम्बर माह के अंक के सम्पादकीय तथा मुखपृष्ठ से जनमत सर्वेक्षण की एक बानगी प्रस्तुत है :-

इंडिया टुडे

अपनी बात

हम नियमित अंतराल पर अपने जनमत सर्वेक्षणों के जरिए देश के मिज़ाज का आकलन करते हैं. हम पिछले पांच साल से लगातार इस तरह के छमाही सर्वेक्षण करते आ रहे हैं. नियमित तौर पर ऐसा करने से हमें सियासत, शख्सियतों और सामाजिक मूल्यों के प्रति आम धारणा में होने वाली तब्दीलियों के बारे में सटीक जानकारी मिलती है. इस अंक की आवरण कथा बना इंडिया टुडे एसी-नील्सन-ओआरजी-मार्ग का देश के मिज़ाज का यह सर्वेक्षण व्यापक है. इसके तहत 98 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के 19 राज्यों में 14,351 वैध मतदाताओं के इंटरव्यू किए गए. इस महत्वपूर्ण नमूना सर्वेक्षण में देश की राय का सच्चा प्रतिबिंब मिलता है. यह सर्वेक्षण कामचलाऊ तरीके से किए गए उन दूसरे सर्वेक्षणों से बिल्कुल अलग है जिन्हें सिर्फ कुछेक सौ लोगों के नमूने लेकर ही राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के तौर पर पेश किया जाता है.

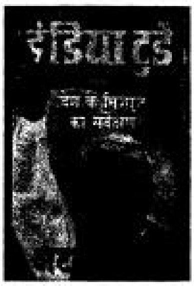

9 फर. 2004 का आवरण

मनमोहन सिंह की सरकार मई 2004 में बनी थी और यह उसके कार्यकाल की लगभग मध्यावधि है, एक ऐसी अवधि जब सरकारों को अपने मतदाताओं के कठोरतम परीक्षण से गुजरना होता है. इस परिप्रेक्ष्य में हमारा ताजा सर्वेक्षण उसके मुरझाए चेहरे पर खुशी ला सकता है. आमतौर पर, मध्यावधि से किसी सरकार की लोकप्रियता ढलान की ओर बढ़ने लगती है पर हमारा सर्वेक्षण दर्शाता है कि यूपीए ने अपनी वास्तविक संख्या से अधिक सीटों की संख्या बढ़ाई है और ये सभी बढ़ी सीटें उसे राजग की कीमत पर मिल रही हैं. हालांकि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली नजर आई हैं लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी रेटिंग गिरकर मनमोहन सिंह के बराबर आ गई है.

अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मीदवार रहे हैं जबकि उनकी पार्टी लड़खड़ा रही है. पिछले तीन सर्वेक्षणों में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे थे जबकि इस बार उत्तरदाताओं ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को चुना जो बड़े कारगर ढंग से मार्क्स और बाजारवाद में तालमेल बिठाकर चल रहे हैं. दूसरे अहम निष्कर्षों में आतंकवाद के बढ़ते दायरे का लोगों की चिंता का बड़ा विषय बनना है. जाहिर है, मुंबई विस्फोटों और विमानों व रेलगाड़ियों में बढ़ी सुरक्षा ने इसकी आंच घरों तक पहुंचा दी है. अन्य क्षेत्रों में, अनिल अंबानी उद्योगपतियों के बीच युवाओं के रोल मॉडल बनकर उभरे हैं, अमिताभ बच्चन पसंदीदा नायक की बादशाहत बनाए हुए हैं जबकि ऐश्वर्य राय अग्रणी महिला के पद पर काबिज हैं. कुल मिलाकर संदेश ठीकठाक हालात का है.

प्रभु चावला

विशेष जनमत सर्वेक्षण

यूपीए की सीटों में बढ़ोतरी लेकिन अभी भी बहुमत से दूर

वाजपेयी सबसे लोकप्रिय लेकिन राजग अपनी ढलान को रोक पाने में असमर्थ

कोई फिल्म रिलीज़ न होने के बावजूद ऐश्वर्य राय नंबर 1 पर

अनिल अंबानी सबसे पसंदीदा उद्योगपति के बतौर उभरे हैं

आतंकवाद के खतरे की बढ़ती चिंता

बहुमत सरकारी उपक्रमों की बिक्री के विरुद्ध

आरक्षण को मिला अप्रत्याशित समर्थन

20.1.9 सारांश

जनमत सर्वेक्षण और चुनाव पूर्व अध्ययन विगत कछ वर्षो से जनमाध्यमों के प्रस्तुतियों के अपरिहार्य अंग बन गये हैं। चाहे सरबजीत की रिहाई का प्रकरण हो या सौरव गांगुली को टीम में लिये जाने का प्रश्न जनमाध्यम लोगों की राय को एकत्र कर प्रस्तुत करने से नहीं चूकते। देश में अल्पमत साझा सरकारों के कारण बार-बार चुनावों और प्रान्तों में क्षेत्रीय दलों के सशक्त होने से चुनाव के पहले और बाद के विश्लेषणों का भी महत्व दिनो-दिन बढ़ रहा है। जनमाध्यम चाहे इलेक्ट्रानिक माध्यम हो या मुद्रित या नये माध्यम जनमत सर्वेक्षणों और चुनाव पूर्व पश्चात् अध्ययनों से परे नहीं है। समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विश्लेषण और विकास की पत्रकारिता की प्रधानता से भी जनमत सर्वेक्षणों को एक नयी ऊंचाई हासिल हुई है। जनमत सर्वेक्षण और चुनाव का अध्ययन इन दिनों जनमाध्यमों के सबसे लोकप्रिय विषय भी हैं और नये प्रशिक्षु पत्रकारों के लिए एक रोजगार का अवसर भी।

5.1.10 शब्दावली

एक्जिट पोल : मतदान के बाद मतदाताओं के मतों पर आधारित जनमत सर्वेक्षणों का वैज्ञानिक पद्धति से शोधन कर प्रस्तुत किया गया परिणाम एक्जिट पोल कहा जाता है।

सेफोलॉजी : मतदाता के चुनावी व्यवहार और सीटों के आंकलन और उसके आधार पर भविष्यवाणी करने के शास्त्र को सेफोलॉजी कहते हैं।

20.1.11 संदर्भ ग्रंथ

1. शोध पद्धतियां : डॉ. डी.एस. बघेल
2. सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय : चन्द्रभूषण पाण्डेय
3- Research Methodology : Kerlinger
4. Research Methodology : Dr. R.N. Trivedi
5. Mass Communication : Keval J. Kumar.

20.1.12 सम्बन्धित प्रश्न

20.1.12.1 लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. जनमत से आप क्या समझते है?

2. जनमत सर्वेक्षण को समझाइये।

3. जनमत मापन की प्रमुख विधियां कौन-कौन सी है?

20.1.12.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न -

1 जनमाध्यमों और चुनाव पूर्व सर्वेक्षण अध्ययन विषय पर एक आलोचनात्मक आलेख लिखिये।

2 समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रानिक चैनलों में आने वाले जनमत सर्वेक्षणों से आप किस सीमा तक प्रभावित होते है? इस क्षेत्र में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

20.1.12.3 बहुविकल्पीय प्रश्न -

(अ) 'वाक्स पोपली वाक्स डेयरी' लोकोक्ति है।

(1) भारत की (2) रूस की

(3) चीन की (4) वाही की भी नहीं

(ब) "एक्जिट पोल" होता है।

(1) मतदान के पूर्व (2) मतदान के बाद

(3) मतदान के समय (3) कभी नहीं

(3) जनता के लिए, जनता द्वारा तथा जनता की सरकार को कहते हैं ?

(1) राजतंत्र (2) भीड़तंत्र

(3) जनतंत्र (4) समूह तंत्र

20.1.12.4 बहुविकल्पीय प्रश्न -

(अ) (2)

(ब) (2)

(स) (3)

21 एक्जिट पोल

इकाई की रूपरेखा :

21.2.0 उद्देश्य

21.2.1 प्रस्तावना

21.2.2 एक्जिट पोल : परिचय एवं महत्व

21.2.3 मतदाता रुझान का अनुमान एवं एक्जिट पोल

21.2.4 वर्तमान मीडिया परिदृश्य एवं एक्जिट पोल

21.2.5 एक्जिट पोल की विश्वसनीयता से जुड़े कुछ प्रश्न

21.2.6 सारांश

21.2.7 शब्दावली

21.2.8 संदर्भ ग्रंथ

21.2.9 सम्बन्धित प्रश्न

21.2.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप जान पायेंगे कि-

1. एक्जिट पोल का क्या अर्थ है?
2. रिपोर्टिंग की विधा के रूप में एक्जिट पोल क्यों लोकप्रिय हो रहा है?
3. एक्जिट पोल में व्यक्तियों की राय के सम्बंध में किन आयामों को शामिल किया जाता है।
4. एक्जिट पोल से मतदाता के मतों का रुझान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है।
5. एक्जिट पोल कितने विश्वसनीय माने जा सकते हैं?

21.2.1 प्रस्तावना

भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक गणराज्य है। चुनाव यहाँ के सबसे बड़े राजनीतिक आयोजन है। बदलते वक्त के साथ चुनाव की प्रक्रिया और

परिणामा में बहुत से बदलाव आये है। पहले मतपेटियों की भारी भरकम आकार से आजकल की स्मार्ट वोटिंग मशीन तक बहुत बातें बदल चुकी है, लेकिन चुनाव के बारे में अनुमान लगाने का विशेषज्ञ प्रदर्शन स्व. इन्दिरा गांधी की मृत्यु और राजीव गांधी के प्रवेश के साथ हुआ। प्रणव और राधिका राय की कम्पनी न्यू देहली टेलीविजन कम्पनी ने दूरदर्शन के साथ मिलकर चुनाव विश्लेषणों की नवीन श्रृंखला प्रारम्भ की। शोध और सांख्यकीय विशेषज्ञों के लिए यह केवल एक विशिष्ट सर्वेक्षण मात्र थी, लेकिन आम पाठक और दर्शक के लिए यह कौतुहल और जिज्ञासा की वस्तु थी। सबसे पहले लिविंग इण्डिया मीडिया लिमिटेड की पत्रिका 'इण्डिया टुडे' ने कांग्रेस को आम चुनाव में 178 सीटे मिलने की घोषणा कर चुनाव विश्लेषणों में एक नये युग का सूत्रपात किया और तब से आज तक ये विश्लेषण दिन-प्रतिदिन न सिर्फ लोकप्रिय हो रहे है बल्कि टेलीविजन चैनलों की आय और शोध कम्पनियों में नवयुवकों के रोजगार का नया अवसर भी बन रहे है। चुनाव के विश्लेषण और एक्जिट पोल के विविध पक्षों पर इस इकाई में चर्चा की गयी है।

21.2.2 एक्जिट पोल : परिचय एवं महत्व

एक्जिट पोल एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक सर्वेक्षण ही है, जिसमें मतदान के तत्काल बाद वोटर से कुछ बिन्दुओं पर उसकी राय के आधार पर आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है। उन आंकड़ों को समग्र रूप में लिया जाता है फिर सांख्यकीय विधियों के उपयोग से मतदाता के रुझान के सहारे किसी राजनीतिक दल विशेष को मिलने वाली सीटों का अनुमान लगाया जाता है। बड़े पैमाने पर प्रायोजित चुनाव विश्लेषणों से चुनाव की निष्पक्षता को बचाने के लिए इस तरह के प्रस्तुतिकरण पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गयी है, लेकिन मतदान के बाद रुझान से सीटों का अनुमान लगाने और प्रस्तुत करने पर मिली स्वतंत्रता का लाभ चैनल उठा रहे है।

दरअसल एक्जिट पोल एक सैम्पल सर्वेक्षण है जिसमें कुछ व्यक्तियों की राय के आधार पर समग्र के बारे में अनुमान लगाया जाता है। एक्जिट पोल में मतदान केन्द्र से बाहर आने वाले मतदाता से कुछ मौलिक जानकारियां लिखित अथवा मौखिक रूप से एकत्र की जाती है। फिंर सर्वेक्षण के प्रबन्धकीय ढांचे के अनुरूप उन्हें एक निर्धारित स्थान पर एकत्र किया जाता है और सांख्यकीय विश्लेषण से क्षेत्र विशेष के बारे में सीट उम्मीदवार या राजनैतिक दल के परफार्मेस के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। एक्जिट पोल की धारणा इस बात पर अवलम्बित है कि मतदान केन्द्र से निकलकर आने वाला मतदाता अपने मत या रुझान को ठीक-ठीक प्रगट कर देता है। इसी आधार पर अनुमान निकाले और प्रस्तुत किये जाते है।

एक्जिट पोल पूरे मतदाता व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है। इसके सहारे चुनाव में निर्णायक मुद्दों व्यक्ति और राजनीतिक

दल की छवि, प्रत्याशी का प्रदर्शन, जातीय समीकरण इत्यादि मसलों पर जानकारी मिलती है। एक्जिट पोल वह कामचलाऊ अनुमान है जिसके सत्य होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन चुनाव की स्थितियों के विश्लेषण में एक्जिट पोल विशेष उपयोगी होते है और पूरे चुनाव परिदृश्य पर विचार मंथन के लिए व्यक्ति के अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराते है।

21.2.3 मतदाता रुझान का अनुमान एवं एक्जिट पोल

एक्जिट पोल में मतदाता अनुमान का रुझान सामान्यत: कुछ निर्धारित तथ्यों और तत्वों की जानकारी पर लगाया जाता है। मतदाता रुझान के अनुमान लगाने के कुछ प्रमुख आयाम निम्नांकित है-

1. क्षेत्र की समस्याएं
2. सत्तारूढ़ दल का प्रदर्शन
3. राजनीतिक दल की छवि
4. जिस दल की सरकार है उसका प्रदर्शन
5. देश या प्रदेश के नेतृत्व करने के लिए सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व
6. विगत वर्षो में सरकार या विपक्ष का कामकाज
7. मुद्दों और समस्याओं को सुलझाने में राजनीतिक दलों की तत्परता
8. नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की छवि
9. राजनीतिक दल से आशाएं
10. रानीतिक दलों के घोषणा पत्र और वायदे
11. पिछले चुनाव में मतदाता का रुझान
12. मतदान को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां
13. गठबंधन के घटक दल
14. जनमत की भूमिका
15. जातीय कारक
16. अन्य कारक

   1. **क्षेत्र की समस्याएं :** एक्जिट पोल के लिए अनुसूची या साक्षात्कार या किसी और तरीके से एकत्र किये गये जानकारियों में सबसे प्रमुख प्रश्न यही होता है कि आप अपने क्षेत्र या देश में किन समस्याओं को प्रमुख मानते है, जिस पर मतदाता का रुझान लिया जाता है।

2. **सत्तारूढ़ दल का प्रदर्शन :** सत्तारूढ़ दल के बारे में यह मान्यता होती है कि उसके प्रदर्शन से कुछ लोग निराश हो सकते है और बदलाव के लिए दूसरे पार्टी या प्रत्याशी को वोट दे सकते हैं। अतः एक्जिट पोल के लिए जिन जानकारियों को एकत्र किया जाता है उनमें सत्तारूढ़ दल के प्रदर्शन से सम्बन्धित प्रश्न भी होते हैं।

3. **राजनीतिक दल की छवि :** मतदाता के मन में राजनीतिक दल विशेष की छवि उसके वोटिंग व्यवहार को प्रभावित करती है। इसलिए एक्जिट पोल के लिए संकलित जानकारी में छवि से सम्बन्धित आयामों को शामिल किया जाता है।

4. **जिस दल की सरकार है उसका प्रदर्शन :** सरकार में आने के बाद दल और सरकार की दूरी समाप्त हो जाती है। प्रायः दल के बारे में लोग निष्कर्ष उसकी सरकार के प्रदर्शन के आधार पर लगाते हैं, इसलिए यह आयाम भी संकलित सामग्री में शामिल किया जाता है।

5. **देश या प्रदेश के नेतृत्व करने के लिए सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व:** भारत देश नायकों का देश रहा है। राजनीतिक दलों या सरकारों के नेतृत्वकर्ता कौन है? उनकी छवि कैसी है? उनमें करिश्माई तत्व वोटर देखते है या नहीं? ये सभी जानकारियां एक्जिट पोल के समय एकत्रित की जाती है।

6. **विगत वर्षो में सरकार या विपक्ष का कामकाज :** विगत वर्षो में सरकार के कामकाज पर चुनाव में वोटर का रूझान पता लगता है, इसलिए सरकार के कामकाज से सम्बन्धित आयामों पर भी सूचना संकलित की जाती है।

7. **मुद्दों और समस्याओं को सुलझाने में राजनीतिक दलों की तत्परता :** मुद्दों और समस्याओं को सुलझान में किसी राजनीतिक दल विशेष की क्या रणनीति है और पिछले वर्षो में कितनी कारगर रही है यह आयाम भी मतदाताओं के रुझान को प्रस्तुत करता है।

8. **नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की छवि :** नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की छवि यदि दागदार है तो प्रदर्शन अच्छा होने पर भी मतदाता आकृष्ट नहीं होते, जबकि स्वच्छ छवि और जनसामान्य से जुड़े होने का लाभ नेताओं को मिलता है।

9. **राजनीतिक दल से आशाएं :** राजनीतिक दल विशेष के बारे में मतदाताओं की अपनी राय होती है। मतदाता मानते है कि किस प्रकार की समस्याओं से कौन सा दल ठीक प्रकार से निपट

सकता है और यह मान्यता और आशा वोटर के मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है।

10. **रानीतिक दलों के घोषणा पत्र और वायदे :** कभी-कभी कुछ घोषणाएं अन्य सभी चीजों पर हावी हो जाती हैं। प्रतिमाह मुफ्त में 5 किलो चावल का नारा हो या अलग तैलंगाना राज्य का प्रश्न। कभी-कभी वादे और घोषणा-पत्र भी मतदाता के व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं।

11. **पिछले चुनाव में मतदाता का रुझान :** पिछले चुनाव में मतदाताओं ने किस राजनीतिक दल को वोट दिया और किस दल को नकार दिया इस पर भी एक्जिट पोल के समय जानकारी एकत्र की जाती है।

12. **मतदान को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां :** मतदान को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां भी कभी-कभी निर्णायक होती है। किसी क्षेत्र विशेष में हुये दंगे, बूथ कैप्चरिंग, महामारी या बाढ़ की स्थिति से भी मतदाता का व्यवहार परिवर्तित हो सकता है और इन घटको को भी भविष्यवाणी करते समय ध्यान में रखा जाता है।

13. **गठबंधन के घटक दल :** कभी-कभी किसी पार्टी विशेष के साथ गठबंधन के रूप में कौन सा दल है या नहीं यह बात भी मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करती है।

14. **जनमत की भूमिका :** जनमत की चुनाव में विशेष भूमिका होती है। जनमत के आधार पर भी बहुत से लोग किसे वोट देना है इसका निर्धारण करते है।

15. **जातीय कारक :** जातीय कारक भारतीय राजनीति का एक स्याह पक्ष है, लेकिन सच्चाई यह है कि जातीय इस देश में वोटिंग विहेवियर को निर्धारित करने वाली सबसे शक्तिशाली कारक है। पूरा चुनाव टिकट वितरण और यहां तक की नतीजे भी जातीय समीकरणों से अछूते नहीं रहते।

16. **अन्य कारक :** एक्जिट पोल के समय ऐसी अन्य कई जानकारियां भी एकत्र की जाती है, जिनसे मतदाता के वोटिंग व्यवहार को समझने में मदद मिले।

21.2.4 वर्तमान मीडिया परिदृश्य एवं एक्जिट पोल

वर्तमान मीडिया परिदृश्य में एक्जिट पोलों का महत्व सर्वविदित है, लेकिन कुछ वर्षो में परिस्थितियां भी इस प्रकार की रही है, जिन्होंने एक्जिट

पोल और मीडिया को पास-पास कर दिया है। पिछले कुछ वर्षो में एक्जिट पोल की लोकप्रियता के कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित है-

1. सूचना प्रौद्योगिकी का जाल
2. इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग
3. क्षेत्रीय दलो का महत्व
4. साझा सरकारें
5. मध्यावधि चुनाव
6. कांटे की टक्कर
7. राजनैतिक चेतना का विकास
8. प्रबन्धित चुनाव तन्त्र
9. सरकार और उसकी नीतियां
10. अन्य कारक

1. **सूचना प्रौद्योगिकी का जाल :** एक्जिट पोल की लोकप्रियता से पहले एक्जिट पोल कर सकने की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्न करना ज्यादा उचित होगा। आज से 20 वर्षो पूर्व ऐसे साधन ही नहीं थे कि पूरे देश या प्रदेश में जनमानस की नब्ज को टटोला जा सके। कम्प्यूटर क्रांति ने सूचनाओं के त्वरित स्थानान्तरण का रास्ता सुगम किया तो एक्जिट पोलों की व्यवस्था भी परवान चढ़ने लगी। पूरे देश में फैले शोधकर्ता पलक झपकते ही आंकड़ों को एकत्रित कर सांख्यिकीय विशेषण के लिए उपलब्ध करा देते है जिनके आधार पर विशेषज्ञ अनुमान लगाते है।

2. **इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग :** इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के प्रयोग से वोटिंग प्रक्रिया सरल हो गयी है। मतों की गणना जल्द हो जाती है, उसी दिन परिणाम आ जाता है। वोटिंग मशीन के कारण भी एक्जिट पोलों की लोकप्रियता बढ़ी है।

3. **क्षेत्रीय दलों का महत्व :** क्षेत्रीय दलों का महत्व बहुत बढ़ गया है। एक बड़ा हल सबसे बड़ा होकर भी सरकार नहीं बना सकता तो दूसरा राजनीतिक दल दो चार सीटे लेकर ही सरकारों का भाग्य विधाता बन जाता है। पल-पल बदलते जनादेश के इस खेल में एक्जिट पोल एक मसाले की तरह है जिसे सभी पसंद करते है।

4. **साझा सरकारें :** साझा सरकारें पिछले कुछ वर्षो से केन्द्रीय सत्ता पर काबिज रही है। बहुत सारे दलों से बहुत सारे लोगों की

सहानुभूति अन्ततोगत्वा उनके राजनीतिक भविष्य देखने की चाहत एक्जिट पोल की लोकप्रियता बढ़ाती है।

5. **मध्यावधि चुनाव :** बार-बार चुनावों ने भी एक्जिट पोल की लोकप्रियता को बढ़ाया है।

6. **कांटे की टक्कर :** कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजनीति में दो ही दल प्रमुख होते थे लेकिन बहुत सारे दलों के अस्तित्व में आने से प्रत्यासियों में चुनाव के दौरान कांटे की टक्कर होती है और पहले से हार-जीत का अनुमान लगाना कठिन होता है।

7. **राजनैतिक चेतना का विकास :** राजनैतिक चेतना का विकास पिछले कुछ वर्षो में जनमाध्यमों की सक्रियता से बहुत अधिक हुआ है इस कारण भी एक्जिट पोलों की लोकप्रियता बढ़ी है।

8. **प्रबन्धित चुनाव तन्त्र :** चुनाव हाइटेक हो गये है। कम्प्यूटर पर चुनाव क्षेत्र के विश्लेषण के बाद प्रत्याशियों का चयन होने लगा है। राजनीतिक दल अपनी साख के लिए व्यावसायिक कम्पनियों से सर्वे करा रहे है। पूरा चुनाव प्रबन्धित रूप में सम्पादित हो रहा है, जिससे इसमें रुचि और रूझान दोनों बढ़े है।

9. **सरकार और उसकी नीतियां :** सरकार की नीतियां लोगों को बहुत हद तक प्रभावित कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक चुनाव में एक विशेष राजनीतिक दल को लोगों ने इसलिए मत दिये कि दल ने वादा किया था कि आयकर में छूट की सीमा बढ़ायेगा। इन आशाओं के कारण भी एक्जिट पोल में लोगों की दिलचस्पी रहशी है।

10. **अन्य कारक :** परीक्षा के बाद परीक्षा परिणामों की जो उत्सुकता परीक्षार्थी की होती है वही उत्सुकता मतदान के बाद मतदाता की होती है। एक्जिट पोल इसे कुछ हद तक पूरा करते है, इसलिए लोकप्रिय है।

21.2.5 एक्जिट पोल की विश्वसनीयता से जुड़े कुछ प्रश्न

एक्जिट पोल की विश्वसनीयता न्यादर्श के चयन, लोगों की राय, सही सांख्यकीय विधियों के प्रयोग जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करती है। आवश्यक नही कि जिस विधि से एक स्थान पर निकाले गये निष्कर्ष सही साबित हों वही निष्कर्ष दूसरे स्थानों पर भी लागू हों। एक्जिट पोल की विश्वसनीयता पिछले कुछ वर्षो से हमारे देश में संदग्धि रही है। इसके मूल में चाहे जनमाध्यमों का अत्यधिक व्यवसायीकरण हो या राजनीतिक दलों का कारपोरेट कल्चर लेकिन इतना जरूर है कि इन विश्लोषणों और आंकलनों पर

जनता का विश्वास सहजं ही नहीं रहा। आज सर्वेक्षणों के साथ-साथ चैनलों या समाचारपत्र-पत्रिकाओं का किस राजनीतिक दल की ओर रुझान है, इसका भी लोग ध्यान रखते है। एक्जिट पोल की विश्वसनीयता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है :-

1. सर्वेक्षण का पैमाना
2. सैम्पल चयन की विधि
3. सैम्पल की विशेषताएं
4. पूर्वाग्रहरहित होकर तथ्यों का संकलन
5. भौगोलिक क्षेत्र
6. अध्ययनकर्ताओं की कुशलता
7. सांख्यकीय विधियों का सही प्रयोग
8. मतदाता की मन:स्थिति
9. क्षेत्र की सामाजिक संरचना
10. अन्य कारक

1. **सर्वेक्षण का पैमाना :** सर्वेक्षण का पैमाना जितना बड़ा होगा बहुत कुछ उस पर भी एक्जिट पोल के नतीजों की विश्वसनीयता और खरा उतरने की सम्भावना अधिक होती है, क्योंकि 10-20 लोगों पर सर्वेक्षण कर पूरे देश के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते।

2. **सैम्पल चयन की विधि :** प्रतिनिधि न्यादर्श का चयम करना बहुत आवश्यक है। न्यादर्श जितना समग्र के गुणों का प्रतिनिधित्व करेगा एक्जिट पोल के नतीजे उतने सटीक होंगे।

3. **सैम्पल की विशेषताएं :** सैम्पल की विशेषताओं को समग्र की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर किसी अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र में मतदाताओं का रुझान उन लोगों से लिया जाता है जो उस वर्ग के नहीं है, तो सैम्पल का आकार चाहे जो भी हो नतीजे सही नहीं आयेंगे।

4. **पूर्वाग्रहरहित होकर तथ्यों का संकलन :** तथ्यों का पूर्वाग्रहरहित रहकर संकलन करना एक्जिट पोलों की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है।

5. **भौगोलिक क्षेत्र :** भौगोलिक क्षेत्र जिसके बारे में अनुमान निकाला जा रहा है उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व होना परिणामों की सफलता के लिए आवश्यक है।

6. **अध्ययनकर्ताओं की कुशलता :** अध्ययनकर्ता यदि कुशल है तो वे तथ्यों को सही ढंग से समझबूझ कर एकत्रित करते है। तथ्य संकलन को किसी यांत्रिक प्रक्रिया के रूप में संपादित नहीं किया जा सकता।

7. **सांख्यिकीय विधियों का सही प्रयोग :** अनुमान लगाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है उनका सही होना परिणामों की सत्यता के लिए आवश्यक है।

8. **मतदाता की मन:स्थिति :** मतदाता की मन: स्थिति को भांपना अनुसंधानकर्ता का गुण होना चाहिए, तभी सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

9. **क्षेत्र की सामाजिक संरचना:** क्षेत्र की संरचना और उसके आधार पर सर्वेक्षण का ढांचा भी एक्जिट पोलों की विश्वसनीयता के निर्धारण में अहम कारक होता है।

10. **अन्य कारक :** एक्जिट पोलों की विश्वसनीयता उनके कुशल संचालन और अनुभवजन्य विश्लेषण पर निर्भर करती है।

21.2.6 सारांश

एक्जिट पोल भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के धीरे-धीरे प्रौढ़ हो रहे परिदृश्य का द्योतक है, जिसमें मतदाता के पास पहले से अधिक राजनीतिक चेतना और परिस्थितियों को समझने और विश्लेषण करने का हुनर है। एक्जिट पोल बाजार आधारित मीडिया व्यवस्था की सफलता का भी संकेत है, जिसमें प्रायोजक है, विश्लेषक है, मुद्दे है, सुदूर बैठे मतदाता की आवाज को प्रस्तुत करने का तकनीकी कौशल है और एक चमकता प्रस्तुतीकरण है- एक्जिट पोल

21.2.7 शब्दावली

स्विंग फैक्टर : जिन मतदाताओं का रूझान अस्पष्ट रहता है और यह सम्भावना रहती है कि वह मतदान के पूर्व किसी भी समय बदल सकता है तो इस तरह अन्तिम समय में स्थानान्तरित होने वाले वोटों को स्विंग फैक्टर कहते है।

वोटिंग विहेवियर : मतदाता किसी चुनाव विशेष में कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते है इसे वोटिंग विहेवियर या चुनावी व्यवहार कहा जाता है।

वोटिंग पैटर्न : चुनाव में मतदाताओं के मत देने से किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ सामने आती है इसे वोटिंग पैटर्न कहते है।

21.2.8 संदर्भ ग्रंथ

1. 'समाचारपत्र' 'राष्ट्रीय सहारा' का परिशिष्ट हस्तक्षेप
2. लिविंग मीडिया इण्डिया लिमिटेड की पत्रिका 'इण्डिया टुडे'
3. ई-जर्नलिज्म - डॉ. अर्जुन तिवारी
4- Mass Communicatjon In India : Keval J. Kumar

21.2.9 सम्बन्धित प्रश्न

21.2.9.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. एक्जिट पोल से आप क्या समझते है?
2. एक्जिट पोल की विश्वसनीयता किन बातों पर आधारित होती है? लिखिये।

21.2.9.1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क

1. भारत में मीडिया परिदृश्य में प्रस्तुत होने वाले चुनाव विश्लेषणों और एक्जिट पोल से आप कहाँ तक संतुष्ट है? इसमें सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे।
2. एक्जिट पोल के महत्त्व को सोदाहरण लिखिए।

22 रिपोर्टिंग की विधा के रूप में मीडिया शोध

इकाई की रूपरेखा :

22.3.0 उद्देश्य

22.3.1 प्रस्तावना

22.3.2 मीडिया शोध

22.3.3 मीडिया शोध के विविध रूप

22.3.4 बाजार आधारित व्यवस्था और मीडिया शोध

22.3.5 मीडिया शोध की दशा और दिशा

22.3.6 रिपोर्टिंग की आधुनिक प्रवृत्तियां

22.3.7 व्याख्यात्मक पत्रकारिता और मीडिया शोध

22.3.8 खोजपरक पत्रकारिता और मीडिया शोध

22.3.9 विकास पत्रकारिता और मीडिया शोध

22.3.10 सारांश

22.3.11 शब्दावली

22.3.12 संदर्भ ग्रंथ

22.3.13 सम्बन्धित प्रश्न

22.3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप जान पायेंगे कि-

1. रिपोर्टिंग की विधा के रूप में मीडिया शोध कैसे उपयोगी हो सकता है।
2. खोजपरक पत्रकारिता और व्याख्यात्मक पत्रकारिता के क्षेत्र में मीडिया शोध कैसे रिपोर्टिंग को नये आयाम प्रदान कर सकता है।
3. विकासात्मक रिपोर्टिंग में मीडिया शोध किस प्रकार सहयोगी हो सकता है।

4. योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के विश्लेषण में मीडिया शोध की भूमिका कैसे भ्रष्टाचार और अपव्यय को रोक सकती है।
5. समग्र इकाई रिपोर्टिंग के आधुनिक स्वरूप को मीडिया शोध से जोड़कर प्रस्तुत करने की तकनीक से आपका परिचय करायेगी।

22.3.1 प्रस्तावना

पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते समय आपको विविध प्रकार के समाचारों को प्राप्त करना और लिखना होता है। दैनिक समाचारपत्रों में अपराध, अदालत, दुर्घटना, सभा सम्मेलन, धरना प्रदर्शन आदि से सम्बन्धित समाचार प्रायः रोज ही छपते है, परन्तु इन समाचारों को समग्रता से प्रस्तुत करने के लिए इनके बारे में कुछ मूलभूत जानकारियों का होना आवश्यक है। बोलचाल की भाषा में इसे रूटीन रिपोर्टिंग भी कहते है।

समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सामाजिक घटनाओं को संप्रेषित करने का कार्य करते है, किसी भी क्षेत्र में गहराई से की जाने वाली और उद्देश्य परक रिपोर्टिंग को प्रमुख तीन भागों में बांटा जा सकता है। खोजी रिपोर्टिंग, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और विकास रिपोर्टिंग। इस तरह की रिपोर्टिंग सामाजिक जीवन के किसी भी आयाम चाहे वह आर्थिक मामले हों, पर्यावरण से सम्बन्धित विषय हों, विदेश नीति हो या किसी परियोजना से मिलने वाले लाभ या हानि का विश्लेषण किसी भी आयाम पर किये जा सकते हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग रोज-रोज नहीं होती। योजनाबद्ध ढंग से प्रबन्धन विषयों का चयन और निर्धारण करता है और पत्रकारों की एक पूरी टीम इस काम को अंजाम देती है। संसाधन और समय की दृष्टि से भी कोई तय सीमा नहीं होती। बिना डेड लाइन के यह कार्य निरन्तरता के आधार पर किया जाता है।

इस तरह की रिपोर्टिंग में मीडिया शोध का विशेष महत्व होता है। इसके आधार पर अनेक तरह के आंकड़े एकत्रित कर कार्य कारण में सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें रिपोर्टिंग की विषय-वस्तु किस प्रकार बनायी जाये इसकी एक झलक प्रस्तुत इकाई में हम आपको दे रहे है। इसे पढ़कर आप जान सकेंगे कि तथ्यों को खोजने और खोजे गये तथ्यों का विश्लेषण करने की आवश्यकता वर्तमान सन्दर्भों में क्यों है। इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए किस तरह की जानकारी और कौशल आवश्यक होता है। विकास में जनता को भागीदार बनाने वाली विकासात्मक रिपोर्टिंग में मीडिया शोध के निष्कर्षों के प्रयोग की जानकारी इस इकाई के माध्यम से आपको हो जायेगी।

22.3.2 मीडिया शोध

मीडिया शोध या मीडिया अनुसंधान सामाजिक अनुसंधान का ही एक रूप है। सामाजिक अनुसंधान के दो शब्द सामाजिक और अनुसंधान है। सामाजिक का साधारण अर्थ मानवीय सम्बंधों और समझदारियों पर आधारित उन व्यवहारों से है जो जीवन जीने की अवधि में मनुष्य, अन्य प्राणी या वस्तु, तथा विश्वासों से प्रभावित होता है या उन्हें प्रभावित करता है। जब ऐसे सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय जब हम अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते है। सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से मानव व्यवहारों को समझने उसकी व्याख्या और विश्लेषण करने का वह प्रयत्न है जो तर्क पूर्ण ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। पी.वी.यंग के अनुसार सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों, अंतःसम्बंधों की कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। समाजशास्त्रीय शोध या सामाजिक अनुसंधान मानव और मानव समूह के व्यवहारों और संबंधों का अध्ययन है।

शोध को अलग-अलग विषयों के विद्वान अलग-अलग ढंग से परिभाषित करते है, लेकिन मीडिया शोध भी अन्य सामाजिक शोधों की तरह व्यक्ति और उसके व्यवहारों के अध्ययन से सम्बद्ध है। मीडिया में मुख्यतः तीन प्रकार के शोध प्रचलित है।

1. जनमाध्यमों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों से समाज में पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन से सम्बन्धित शोध।
2. जनमाध्यमों की विषय-वस्तु का विश्लेषण और व्याख्या करने वाले शोध।
3. जनमाध्यमों की विषय-वस्तु और उसके सकारात्मक प्रभावों को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। इससे सम्बन्धित अध्ययन या शोध।

22.3.3 मीडिया शोध के विविध रूप

मीडिया शोध सामाजिक शोध का ही एक प्रकार है इसके कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित है-

1. शुद्ध या मौलिक शोध या सैद्धान्तिक उद्देश्य वाले शोध
2. क्रियात्मक शोध या उपचारात्मक शोध

3. उद्देश्य प्रेरित शोध या व्यावहारिक शोध

1. शुद्ध या मौलिक शोध या सैद्धान्तिक उद्देश्य वाले शोध : जब जनमाध्यमों से सम्बन्धित शोध सामाजिक जीवन घटना तथ्य समस्या सबके विषय में खोज करता है और कार्य कारण सम्बन्ध का पता लगाता है और मानव के ज्ञान में वृद्धि करता है और इसी के आधार पर नये नियमों के खोज या नये नियमों को स्थापित करता है तो उसे शुद्ध या मौलिक शोध कहते है।

2. क्रियात्मक या उपचारात्मक शोध : क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना है। दूसरे शब्दों में प्रयोगशालाओं से दूर मानव समूह के बीच किये जाने वाले शोध क्रियात्मक या उपचारात्मक शोध कहलाते है।

3. उद्देश्य प्रेरित शोध या व्यावहारिक शोध : जब सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में और समझने में शोध निष्कर्षो का सहारा लिया जाता है तो उसे उद्देश्य प्रेरित शोध कहा जाता है।

22.3.4 मीडिया शोध की दशा और दिशा

भारत में जनमाध्यमों को आधार बनाकर शोध करने का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। विश्व में भी संचार हो या मीडिया इनको आधार बनाकर अन्य विषयों में तो शोध हुए है, लेकिन संचार और मीडिया को ज्ञान की एक पृथक शाखा मानकर शोधकार्य पिछले 50 वर्षो से ही संपादित किये जा रहे है।

डेनियल लर्नर (1958) ने मध्य पूर्व में किये गये अपने शोध निष्कर्षो के आधार पर यह प्रतिपादित किया कि परम्परागत समाजों में जनमाध्यम परिवर्तन ला सकते है और तब से मैन, मशीन, मनी के साथ मीडिया को भी विकास का प्रमुख कारक स्वीकार किया जाने लगा। इस दिशा में सुप्रसिद्ध संचार विज्ञानी विल्बर श्राम (1965) और एवरेट रोजर्स ने डेनियल लर्नर के शोध निष्कर्षो की पुष्टि करते हुए कहा कि परम्परागत समाज में जनमाध्यम तेजी से परिवर्तन कर सकते है। पाश्चात्य विद्वानों की तरह ही भारत के अनेक संचार विशेषज्ञों ने मीडिया और विकास को जोड़कर अध्ययन किये और महत्वपूर्ण निष्कर्षो का प्रतिपादन किया। जिनमें भारतीय संचार विशेषज्ञ प्रो. यशपाल, डॉ. पी.सी. जोशी, प्रो. वाई.एल.राव, प्रो. जे.एस.यादव, प्रो. एन.एल. चावला, प्रो. एम.एन. श्रीनिवास, प्रो. वी.शनमुगनं, श्री जी. पार्थसारथी, प्रो. देवेश किशोर आदि प्रमुख है। संचार और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण शोध संदर्भ प्रस्तुत है :

लासवेल (1948) ने कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किससे कहता है और किस प्रभाव से कहता है उक्त प्रश्नों द्वारा

संचार प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है और संचार प्रक्रिया में मानव जनित और भौतिक कारकों में विभेद किया है। **कार्टस और लेजरफील्ड** (1955) ने अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान अपने अध्ययन के आधार पर संचार के द्वि-सोपानी (Two Step flow) सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिसमें यह स्पष्ट किया कि सूचना और संचार पहले उन लोगों तक पहुंचते है जो उनमें ज्यादा रुचि लेते है। बाद में उनकी सहायता से अन्य लोगों तक पहुंचते है जो अपेक्षाकृत कम रुचि लेते है। अर्थात् संचार पहले उन लोगों तक पहुंचता है जो उसे प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील रहते है और बाद में उन लोगों के जरिये अन्य लोगों तक पहुंचता है। **न्यूरथ** (1960) ने पाया कि रेडियो के द्वारा श्रोताओं के ज्ञान का औसत स्तर प्रसारण के पूर्व जहाँ 6.4 प्रतिशत था वहीं यह प्रसारण के बाद बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गया। **शर्मा और सक्सेना** (1963) ने पाया कि संचार के माध्यमों की प्रभावशीलता उपयोग के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है। उन्होंने यह भी पाया कि सामान्य रूप से जहाँ जनमाध्यम संचार के कम प्रभावशाली माध्यम है, वहीं फिल्म, रेडियो और प्रदर्शनी अधिक प्रभावशाली माध्यम है। **काल्डरवुड** (1964) ने पाया कि माध्यमिक विद्यालय के छात्रों में रेडियो प्रसारण के प्रभाव से शिक्षा का स्तर बढ़ा है। **श्राम** (1964) ने अपने अध्ययन में पाया कि "Social change of great magnitude is required. To achieve it, people must be informed, persuaded. educated. Information must flow, not only to them but also from them, so that their needs can be known, and they might participate in the acts and decisions of the nation-building; and information must also flow vertically so that decision may be made. Works should be organized, and skills should be learned at all levels of society for better utilization of the resources of society. Here is where the mass communication enters the calculus - the required amount of information and learning is so vast that only by making effective use of the great information multipliers, the mass media, can the developing countries hope to provide information at the rates their time tables for development demand". **मिल ने** (1965) ने किये गये अपने अध्ययन में पाया कि टेलीविजन के माध्यम से शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है। किन्तु यह शिक्षक का विकल्प नहीं बन सकता। **खान** (1965) ने अपने अध्ययन में यह पाया कि -

1. अपनाने की प्रक्रिया के भिन्न-भिन्न स्तरों पर अलग-अलग संचार माध्यम उपयोगी होते है।
2. प्राथमिक स्तर और मूल्यांकन स्तर पर व्यक्तिगत सम्पर्क सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है।
3. रुचि बढ़ाने और जागरुकता बढ़ाने के स्तर पर समूह संचार प्रभावी होता है।
4. अपनाये जाने के उच्च स्तरों पर संचार की परोक्ष विधियां अधिक उपयोगी होती है।
5. जनमाध्यम जागरुकता बढ़ाने के सबसे प्रभावशाली माध्यम है।

लाज़नबर्जर (1966) ने अपने अध्ययन में पाया कि जागरुकता के स्तर पर जनमाध्यम जैसे समाचारपत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि नये विचारों एवं अभ्यासों से संबंधित जानकारियों के लिए महत्वपूर्ण एवं त्वरित माध्यम होते है। **बेलसन** (1967) ने अपने अध्ययन में यह पाया कि गाँवों में टेलीविजन के अपेक्षा रेडियो प्रसारण का अधिक प्रभावी और गहन माध्यम है। **गैबनर** (1967) ने अपने अध्ययन में यह पाया कि मीडिया विशेषकर टेलीविजन का समाज पर बहुत प्रभावी असर होता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को Cultivation of dominant image pattern का नाम दिया। **शाहकरीह** (1969) ने दो गांवों का तुलनात्मक अध्ययन किया जिसमें से एक प्रगतिशील और दूसरा परम्परागत था। अध्ययन में संचार प्रवाह और समाजार्थिक स्तर के मध्य सार्थक सह-संबंध पाया। **संधू** (1970) में अपने अध्ययन में यह पाया कि कृषि इत्यादि से संबंधित कार्यक्रमों में यदि श्रोताओं की रुचि के गीतों का समावेश कर दिया जाता है तो ऐसे कार्यक्रमों की प्रति श्रोताओं की रुचि बढ़ जाती है। **गुप्ता** (1970) ने पाया कि कम उम्र के किसान अधिक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की अपेक्षा नयी तकनीकी के लिए ज्यादा उत्सुक होते है। **डिफ्लेयर** (1970) ने अपने अध्ययन के आधार पर साइको डायनेमिक मॉडल का प्रतिपादन किया और स्पष्ट किया कि प्रभावी अनुगामी संचार के लिए व्यक्ति की आंतरिक मनोवैज्ञानिक संरचना में परिवर्तन जरूरी है। **सिंह** (1972) ने **पाया** कि अधिकतर श्रोता प्रतिदिन आधे या एक घण्टे तक ही रेडियो सुनते है। **कटियार** (1973) ने अपने अध्ययन में पाया कि श्रवण व्यवहार और उपयोग व्यवहार के बीच सकारात्मक सह-संबंध होता है। **रोजर्स** (1973) ने **अपने** अध्ययन में विकास संचार के प्रति जो दृष्टिकोण प्रतिपादित किया वह जो कई मायनों में डेनियल लर्नर द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण समान ही था परंतु उन्होंने जिस पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा उसमें भिन्नता थी। उन्होंनें अपने अध्ययन में पाया कि "the diffusion of the new ideas and their practice as a crucial component of the modernization process. According to him "the mass communication influence appears to operate by a 'two step flow' process through awareness of the mass media, development of favourable attitudes and adaptation by inter-personal channels, particularly, opinion leaders. **साइट** (1975) सेटेलाइट इंस्ट्रेक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट (SITE) टेलीविजन के ग्रामीण विकास में पड़ रहे प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रारम्भ किया गया एक वृहद् अध्ययन था, जिसमें छः राज्यों के 2400 गांवों को अगस्त 1975 से जुलाई 1976 तक टेलीविजन से संप्रेषण उपलब्ध कराया गया और उसके प्रभाव का मापन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश दर्शकों ने टेलीविजन को शिक्षा और विकास का माध्यम समझने के बजाय मनोरंजन का साधन अधिक समझा। साइट कार्यक्रम का मूल्यांकन योजना आयोग और और स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर, अहमदाबाद द्वारा किया गया। **खेड़ा संचार परियोजना** (1975) गुजरात के खेड़ा ग्राम में टेलीविजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रारम्भ किया गया। जिसमें दो आदिवासी बहुल जिलों में 607 सामुदायिक टेलीविजन सेट, 483 गांवों में लगाये गये जिनका रख-रखाव राज्य सरकार के हाथ में था। यह एक सफल परियोजना रही जिसमें माना गया कि ज्ञान एवं जागरुकता के प्रसारण में संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस परियोजना के मूल्यांकनकर्ताओं का मानना था कि संचार विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने

में महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा सकता है। **मैकब्राइड (1978)** संयुक्त राष्ट्र संघ ने तीसरी दुनियां के देशों में सूचना एवं संचार की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था। जिसने **मेनी वाइस वन वर्ल्ड** नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि ''विकासशील राष्ट्र सूचना और संचार को विकास के एक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आपस में और अपने देशों में संचार की विषमताओं को यथासंभव कम कर संचार के प्रजातंत्रीकरण (Democratization of Communication) पर बल देना होगा। अपने सुझाव में अध्ययन दल ने कहा कि विकासशील राष्ट्रों को संचार माध्यमों की दृष्टि से दूसरों पर निर्भरता कम से कम कर अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए। संचार का व्यवसायीकरण बंद करना चाहिए और संचार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। **पवार और गुंजाल (1999)** ने अपने अध्ययन में यह पाया कि गैर संस्थागत अंतरवैयक्तिक माध्यम जागरुकता और अनुकूलन (Adoption) के स्तर पर अधिक प्रभावी होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरुकता और रुचि के स्तर पर प्रभावी होते हैं। समूह संचार मूल्यांकन और पूर्ण अनुकूलन की स्थिति में श्रेष्ठ होते हैं। समग्र अनुकूलन प्रक्रिया में अन्तरवैयक्तिक संचार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके बाद प्रिन्ट मीडिया का स्थान आता है। **मानदे, नन्दपुरकर, पिम्परीकर (1999)** ने अपने अध्ययन में यह पाया कि संचार अन्तराल (Communication Gap) को न्यूनतम करने के लिए प्रशिक्षण तकनीक का प्रयोग संचार प्रविधि में करना उपयोगी होता है। **आर्या और जमाल (1999)** ने अपने अध्ययन में यह पाया कि जहाँ शैक्षणिक स्तर कम हो वहाँ जनमाध्यमों के बजाय अन्तरवैयक्तिक संचार अधिक प्रभावी होता है। **पाण्डेय (2003)** ने हरियाणा के घिराय गांव का अध्ययन कर अपने निष्कर्ष में बताया है कि ग्राम समाज में आज भी मौखिक परम्परा हावी है और ग्रामीण समाज के अंतर्गत अंतरवैयक्तिक संचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संचार है। रेडियो और टेलीविजन की निरन्तर उपस्थिति से गांव में उपभोक्तावाद का एक नया वातावरण पनपने लगा है। **त्रिपाठी और नैय्यर (2003)** ने इण्टरनेट को ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण उपकरण निरूपित करते हुए इस तकनीकी को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही है। **वीरशेखरन, पेरूमल और सेमलैन (2003)** ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए जिस विचार को संप्रेषित किया जाना है वह सबसे पहले संप्रेषक के मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए और दिया जाने वाला संदेश लोगों के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। **सिंघल (2003)** ने एड्स से संबंधित अपने अध्ययन में पाया कि व्यवहार परिवर्तन के लिए किया जाना वाला संप्रेषण यदि संस्कृति से जुड़ा हुआ हो तो बहुत प्रभावी होता है। **Roberge (2003)** Development communication, yes, of course, but not as it was defined so far in what I have called "the development communication discourse." In that discourse, the development agents have defined unilaterally both development and communication. What is advocated in this essay is another form of communication for another form of development, i.e. another development communication; one that fosters the unfolding of harmony among people.

आधुनिक संदर्भ में मीडिया शोध बाजार की व्यवस्था का ही परिणाम है, क्योंकि ज्यादातर शोध उपभोक्ता पर प्रभाव और उपभोक्ता व्यवहार के

अध्ययन के लिए ही होते है, ऐसी स्थिति में मीडिया शोध को एक पृथक विषय बनकर पुष्पित पल्लवित होना अभी बाकी है।

22.3.5 रिपोर्टिंग की आधुनिक प्रवृत्तियां

आज का संवाददाता सिर्फ घटनाओं का सीधा-साधा प्रस्तुतिकरण कर चुप नहीं बैठके जाता बल्कि वह उसके कारण, उसके आसपास के संयोगों की छानबीन भी करता है। वह पर्दे के पीछे की भूमिका भी साथ ही साथ समझता है। कारणों की खोज करता है, उन्हें दूर करने का संकेत देता है और दोषी पद्धति या व्यक्ति को आड़े हाथों लेता है।

प्रारम्भिक काल में समाचार लेखन का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। इस बारे में यह मान्यता थी कि समाचार को संवाददाता उसकी वास्तविक दशा और सही आंकड़े देकर प्रस्तुत करे। उसे न तो भूतकाल उखाड़ना है और न ही भविष्य का अनुमान प्रस्तुत करना है। किसी प्रकार की राय देना भी उचित नहीं।

उद्देश्य :

1. समाचार के उद्देश्य से परिचित करना।
2. तर्कों के आधार पर तथ्यों की व्याख्या।
3. विषय/घटना का विशद विवेचन।
4. तथ्यों और घटनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना।
5. स्थिति की समीक्षा/नीति/घटना का प्रस्तुतिकरण।
6. जनमत निर्माण।
7. जनता का मार्गदर्शन कराना।
8. जटिल/बोझिल और अति तकनीकी विषयों पर जनता को जानकारी देना और उसे ग्राहय बनाना।
9. भविष्यवाणी या अनुमान लगाना।

रिपोर्टिंग की आधुनिक प्रवृत्तियां :

1. यह पाठक को सिर्फ क्या हुआ की जानकारी से बढ़कर क्यों हुआ से भी अवगत कराती है।
2. सभी पक्षों से समाहित करते हुए संकलित और सुपठित रूप, तर्कपूर्ण ढंग संपूर्ण समाचार को प्रस्तुत करना।
3. उच्चस्तरीय रिपोर्टिंग जो सही व व्याख्यात्मक हो।
4. चित्रों, साक्ष्यों और प्रदर्शन के अन्य तत्वों द्वारा संपूर्ण समाचार के विकास की क्रमबद्ध रिपोर्टिंग।

5. विवेचन तथ्यों की न कि मतों की।

6. उस सम्बन्ध में (विषय/घटना) पर पाठक की कोई जिज्ञासा अनुतरित नही रह जाती। व्यापक संपूर्णता।

7. सतही जानकारी से नीचे जाकर जो ऊपरी तौर से जो नहीं दिखाई पड़ती लेकिन समाचार को समझने क लिये आवश्यक।

8. गहराई और व्याख्या का अर्थ समाचार के बड़े आकार से कदापि नही है।

22.3.6 व्याख्यात्मक पत्रकारिता और मीडिया शोध

समाचार जगत में अत्यधिक स्पर्द्धा का परिणाम है- 1. व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग। 2. खोजी रिपोर्टिंग मुद्रित माध्यमों के पास स्थान सीमित है और इलेक्ट्रानिक माध्यमों के पास समय। अत: जहाँ इलेक्ट्रानिक माध्यमों के लिए समाचारों को और सूचनाओं को तत्काल प्रस्तुत करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता बन गयी है उसी प्रकार मुद्रित माध्यमों को लोग क्या हुआ से बढ़कर क्यों हुआ की जानकारी लेने के लिए पढ़ते हैं। विश्लेषण और खोज की रिपोर्टिंग में मीडिया शोध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दरअसल व्याख्या और खोज की पत्रकारिता अलग-अलग नहीं वरन् एक ही सिक्के के दो पहलू है। ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती जिसमें लिखने के लिए तथ्यों को ढूंढना या खोजना न पड़े। तो दूसरे ओर ऐसी भी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती जहां तथ्य उपलब्ध हों और जनसामान्य के लिए उनका विश्लेषण न करना पड़े। जिस रिपोर्टिंग में तथ्यों को खोजना अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है उसे खोजपूर्ण रिपोर्टिंग और जहाँ ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण होता है उसे व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग कहा जाता है। दोनों ही रिपोर्टिंग प्रारूप वर्तमान समय में इलेक्ट्रानिक माध्यमों की चकाचौंध की चुनौती झेल रहे मुद्रित माध्यमों के लिए महानायक है। इन दोनों ही प्रारूपों को ईमानदारी से प्रस्तुत करने के लिए मीडिया शोध बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि जनमाध्यमों ने विज्ञापन और जनसम्पर्क को छोड़कर सामान्य रिपोर्टिंग के विषयों में भी गहराई और व्यापकता के लिए मीडिया शोध का उपयोग किया जा रहा है।

समाचारों की व्याख्या आवश्यक क्यों ?

- प्रथम विश्वयुद्ध के बाद अमरीकी जनता को झटका लगा कि इतनी महत्वपूर्ण खबर पहले क्यों नहीं जान पाए।
- रिपोर्टिंग की मान्यताएं बदलने की जरूरत पर बल।
- 1930 की विश्वव्यापी मंदी से भयंकर आर्थिक अव्यवस्था। समाचार पत्रों के दायित्व पर प्रश्नचिन्ह।

- वी.स्कोनसीन युनिवर्सिटी में अपने भाषण मं स्व.मेनार्ड ब्राउन ने समाजिक संस्थान के दायित्व के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा था-''एसोसिएटिड प्रेस ने राजकीय और अन्य प्रवाहों के संबंध में सूचना प्रधान और पूर्ण पीठिकायुक्त सामाजिक सूचनाएं भेजने के लिये अप। संवाददाताओं को रोका है। ऐसा लगता है सिर्फ क्या हो रहा है इसके साधारण समाचार भेजकर उन्होंने अपना दायित्व समाप्त मान लिया।''
- प्रथम विश्वयुद्ध और मंदी के कारण विवेचनात्मक समाचार लेखन की मांग बढ़ी।
- 'टाइम्स' और न्यूज वीक पत्रिकाओं की बिक्री में एकाएक वृद्धि। रीडर्स डायजेस्ट को भी लाभ मिला।

विवेचनात्मक समाचार लेखन के पक्षधर 'न्यूयार्क टाइम्स' के लिस्टर मार्क्स विवेचनात्मक सामाजिक संवाददाता विरोधी कहते है कि समाचार सिर्फ सत्य पर आधारित होना चाहिए। लेकिन सत्य है? वास्तव में कोई भी विवरण निष्पेक्ष हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है उसी तरह समाचार की व्याख्या करने का अधिकार समाचार समिति और संपादक को है।

इस व्याख्या को समग्र रूप में प्रस्तुत करने के लिए मीडिया शोध बहुत उपयोगी उपकरण हो सकता है।

22.3.7 खोजपरक पत्रकारिता और मीड़िया शोध

खोजी पत्रकारिता वस्तुपरक तथ्यों की जांच करती है जो आम आदमी की जानकारी में नहीं होती या आम आदमी से छिपाकर रखी जाती है। साथ ही जनसंचार माध्यमों में भी जनसाधारण को नहीं मिल पाती बदलते नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ समाज और राष्ट्र निर्माण के लिये खोजी पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अमेरिका के समाचार पत्र न्यूज डे के पत्रकार बॉबग्रीन के अनुसार-''खोजी पत्रकारिता का अभिप्राय ऐसे खोजपूर्ण संवाद लेखन से है जिसके माध्यम से अनउद्घाटित महत्वपूर्ण मामलों को स्वयं के लेखन तथा प्रयत्न या पहल द्वारा प्रकाश में लाया जाता है। जिसे कुछ लोग या समूह छिपाना चाहते है।'' खोजपूर्ण संवाद लेखन के तीन महत्वपूर्ण तत्व-

1. संबंधित विषयक की जांच पड़ताल संवाददाता द्वारा स्वयं की जाती है।
2. उसी महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकाशन किया जाये जो जनता के लिये महत्व की हो।

3. खोजी पत्र में वे ही समाचार लिखे जाते है जो संबंधित व्यक्तियों द्वारा लोगों से छुपाये जा रहे है।

खोज की पत्रकारिता में भी वैज्ञानिक विधि की तरह कार्यकारण में युक्ति-युक्त सम्बन्ध खोजना पड़ता है और इस दिशा में मीडिया शोध महत्वपूर्ण होते है। पूरे तथ्यों पूरी सच्चाई और पूरी विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट पर कभी पक्षपात या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने का आरोप नहीं लगता, किन्तु ऐसी रिपोर्ट के निर्माण में मीडिया शोध के विभिन्न चरण उपयोगी हो सकते हैं और रिपोर्टिंग को नयी दिशा और ऊँचाई दे सकते है।

मीडिया शोध पर आधारित खोजी रिपोर्टिंग में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है-

1. उचित सच्चाई बतायें जितनी आवश्यक है।
2. उद्देश्यपूर्ण और तथ्यपरक हो।
3. रिपोर्टर की नैतिकता झलकनी चाहिए।
4. अन्याय क्या हुआ इसका विस्तार से खुलासा हो।।
5. प्रेस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें।
6. फीड बैक प्राप्त करते रहें।
7. स्वयं के गलत होने पर जिम्मेदारी स्वीकारें।
8. गहरी जांच और वास्तविकता की जांच।
9. स्कूप के पीछे नहीं सत्य के पीछे।
10. डेड लाइन नहीं होती है।

22.3.8 विकास पत्रकारिता और मीडिया शोध

विकास पत्रकारिता का लक्ष्य विकास से सम्बन्धित समाचारों को ऐसे ढंग से देना है, जिसे जनता रुचिपूर्वक पढ़े। यह देखा गया है कि विकास से संबंधित समाचारों को सही एवं रुचिकर ढंग से प्रस्तुत किया जाये तो आपेक्षित परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। और इससे विकास समाचारों के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अब लोगों के अनुसार विकासात्मक पत्रकारिता का अर्थ, सरकार समर्थक पत्रकारिता (Handout Journalism) है किन्तु यह धारणा भ्रामक है।

विकास पत्र के द्वारा जनता को जागरुक किया जाता है। समाज में व्याप्त समस्याओं के प्रति इसके द्वारा हम जनता को उसक अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराते है। विकासशील पत्र द्वारा सरकार की नीतियों

कार्यक्रमों, योजनाओं और समाज में हो रहे अन्य विकासात्मक कार्यों को जनता तक पहुँचाया जा सकता है लेकिन प्रचार के रूप में नहीं बल्कि जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से।

विकास पत्रकारिता का उद्देश्य यह नहीं है कि केवल विकास की बात ही लिखी जाये। वरन् आवश्यक है कि इसके अतिरिक्त उन सभी पहलुओं के परिवर्तन पर भी नजर रखी जाये जो व्यक्तियों के लिये आवश्यक है। इन सभी बातों के लिए मीडिया शोध बहुत आवश्यक है।

मीडिया शोध पर आधारित विकासशील रिपोर्टिंग निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकती है :

1. जनता में विकास कार्यक्रम (गैर सरकारी/सरकारी) के प्रति सक्रिय भागीदारी की भावना को जगाना।
2. विकास किसी का दिया उपहार नहीं है। बल्कि मनुष्य की मेहनत का परिणाम है। अतः विकास कार्यों में रत लोगों के विचारों को अधिक महत्व देना।
3. नवीन योजनाओं, खोजों, आधुनिकीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी क्या है। इससे क्या लाभ है आदि बातों को जनता तक पहुँचाना ताकि परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से पाठक जुड़े।
4. विभिन्न सफल कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुँचाना।
5. पिछड़े भागों की स्थिति (दुर्दशा) को पत्र के माध्यम से सरकार की दृष्टि में लाना। जिससे वहाँ विकास हो सके। विकास पत्रकारिता का एक उद्देश्य अपनी रिपोर्टिंग द्वारा जहाँ विकास नहीं हुआ उस ओर सरकार का ध्यान दिलाकर वहां भी विकास प्रक्रिया शुरू करवाना।
6. विकास पत्रकारिता द्वारा विकास प्रक्रिया में हो रहे भ्रष्टाचार, तथा भ्रष्ट अधिकारियों की करतूतों को भी जनता के सामने लाना।
7. समाज के व्यावसायिक संबंधों को प्रोत्साहन।
8. संभावित समाधानों की ओर संकेत।

मीडिया शोध पर आधारित विकास पत्रकारिता से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य –

1. रिपोर्टिंग से तात्पर्य जैसे कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी घटना या जानकारी को किसी जनमाध्यम द्वारा लोगों तक पहुँचाना है। विकास की बातों को जनता तक भागीदार और जागरुक बनाने के उद्देश्य से प्रेषित करना विकास पत्रकारिता है, लेकिन यहाँ यह

स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि विकास पत्रकारिता स्वयं में विकास नहीं है।

2. पश्चिमी संचार माध्यम विकासशील देशों में चल रही विकास प्रक्रिया को लेकर उत्साहित नहीं है। वे विकासशील देशों के जनजीवन के स्याह पक्षों को (Darker Side) उद्घाटित अधिक करते है और उनकी उपलब्धियों को उपेक्षा से देखते है। पश्चिम में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी है और पत्रकारिता का उद्देश्य लोगों का मनोरंजन और सूचना तक ही सीमित रह गया है। प्रसिद्ध उक्ति है कि पश्चिम में समाचार **वाइन वेल्थ** और **वूमेन** के आसपास ही रहते है, परन्तु भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में साहस सम्बल और सामर्थ्य की पत्रकारिता की आवश्यकता है। विकासशील पत्रकारिता इस उद्देश्य को पूरा करती है।

3. विकास पत्रकारिता में प्रस्तुतीकरण एक महत्वपूर्ण आयाम है। किसी विकास कार्यक्रम में असफलता, भ्रष्टाचार, देरी या अन्य कोई विसंगति को उद्घाटित करना पत्रकार का प्रमुख दायित्व होता है। उसके सम्मुख यह चुनौती होती है कि वह कठिन परिश्रमों से तथ्य पाये और अपनी योग्यता और अनुभव से उसे मनोरंजक और आकर्षक रूप में तर्क पूर्ण ढंग से क्रमबद्ध कर जनता के सम्मुख प्रस्तुत करे।

4. विकासशील पत्रकारिता प्रोपोगेण्डा नहीं है बल्कि वास्तविक यथार्थ और सत्य तथ्यों पर आधारित ऐसी जानकारी है जो विकास कार्यो में जनता को सहभागी बनाने के उद्देश्य से प्रसारित प्रचारित की जाती है।

22.3.9 सारांश

रिपोर्टिंग चाहे स्वास्थ्य के मामलों की हो या आर्थिक जगत की सभी में विशेषणात्मक और खोजी रिपोर्टिंग संभव है। इलेक्ट्रानिक माध्यमों की चकाचौंध में मुद्रित माध्यमों का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। अब पत्र क्या हुआ से ज्यादा क्यों हुआ पर जोर दे रहे है और लोकप्रिय हो रहे है। विश्लेषण और खोज की पत्रकारिता आज के पत्रकारिता जगत के ऐसे दो आधार है जिनके सहारे मुद्रित माध्यम इलेक्ट्रानिक माध्यमों को चुनौती दे पाने में सक्षम हो पा रहे है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए साहस, सम्बल और सामर्थ्य की पत्रकारिता आवश्यक है। इस दिशा में मीडिया शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मीडिया शोध को पत्रकारिता के इन तीनों ही रूपों पर गहराई से अपनी छाप छोड़ने के लिए बहुत सा सफर तय करना है, लेकिन पत्रकारों के साथ मालिकों को भी इस दिशा में अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा।

22.3.10 शब्दावली

डेप्थ रिपोर्टिंग : कभी-कभी रोजमर्रा की घटनाओं को छोड़कर किसी महत्वपूर्ण विषय पर योजनाबद्ध तरीके से जानकारी एकत्रित की जाती है और गहराई से उसका विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण किया जाता है इसे डेप्थ न्यूज कहा जाता है। आशय यह है कि रोजमर्रा की सामान्य रिपोर्टिंग से हटकर गहराई से की गयी रिपोर्टिंग।

न्यूज बिहाइण्ड द न्यूज : समाचारों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा लगभग घटित होने के समय ही दिखा दिये जाने के कारण मुद्रित माध्यमों में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि क्या हुआ से ज्यादा क्यों हुआ इसे लिखा जाये। सामान्य समाचार के पीछे की राजनीति, साजिश और खींचतान की सच्ची खबरों को 'न्यूज बिहाइण्ड द न्यूज' या 'न्यूज बिहाइण्ड द कर्टेन' कहा जाता है।

22.3.11 संदर्भ ग्रंथ

1. आधुनिक पत्रकारिता : डॉ. अर्जुन तिवारी
2. समाचार संकलन और लेखन : डॉ. नन्द किशोर त्रिखा
3. समाचार संकलन एवं लेखन : डॉ. सजीव भनावत
4- Active Reporter : James Lewis
5. News Reporting & Editing : K.M. Shrivastava

22.3.12 सम्बन्धित प्रश्न

1. मीडिया शोध से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।
2. मीडिया शोध समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक माध्यमों की रिपोर्टिंग को किस प्रकार बेहतर बना सकता है? स्पष्ट कीजिए।

23. मीडिया शोध के नैतिक मापदण्ड

इकाई की रूपरेखा :

23.4.0 उद्देश्य

23.4.1 प्रस्तावना

23.4.2 मीडिया और विकास

23.4.3 भावनात्मक एकीकरण

23.4.4 सामाजिक उत्तरदायित्व

23.4.5 जनता और सरकार के बीच सेतु

23.4.6 शिक्षा से सामर्थ्य

23.4.7 निर्बल की आवाज

23.4.8 अच्छे जीवन के प्रति ललक

23.4.9 आशा का वातावरण

23.4.10 जनमत निर्माण

23.4.11 उपेक्षित विषयों पर ध्यान

23.4.12 फ्री प्रेस और फेयर ट्रायल

23.4.13 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम व्यक्तिगत गोपनीयता

23.4.14 संस्कारों का संपोषण

23.4.15 भारतीयता की झलक

23.4.16 मूल्यों का आग्रह

23.4.17 अश्लीलता से मुक्ति

23.4.18 राष्ट्रहित सर्वोपरि

23.4.19 भाषायी संस्कार

23.4.20 आचार संहिता का पालन

23.4.21 सारांश

23.4.22 शब्दावली

23.4.23 संदर्भ ग्रंथ

23.4.24 सम्बन्धित प्रश्न

23.4.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम मीडिया शोध में नैतिक मापदण्डडों की चर्चा कर रहे है। दूसरे शब्दों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के साथ-साथ जनमाध्यमों के क्षेत्र में किये जाने वाले शोध कार्यो में नैतिक मापदण्ड या आधार अपनाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा शोध के निष्कर्ष भटकाव पैदा कर सकते है। मीडिया शोध में नैतिक मापदण्डों के बारे में विस्तार से चर्चा इस इकाई में की जा रही है। जिसके अध्ययन से आप समझ सकते है कि संवेदनशीलता की दृष्टि से मीडिया शोध दूसरे क्षेत्रों में किये जाने वाले शोध से किस तरह भिन्न है। मीडिया शोध में नैतिक मापदण्डों की आवश्यकता क्यों पडती है और वे कौन से नैतिक मापदण्ड है जिनकी कसौटी पर मीडिया शोध को खरा उतरना आवश्यक है।

23.4.1 प्रस्तावना

सामाजिक शोध के रूप में जनमाध्यमों की समस्याओं का अध्ययन दिन-प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कारण जनमाध्यम समाज की घटनाओं से प्रभावित भी हो रहे है और समाज को प्रभावित भी कर रहे है। 20वीं शताब्दी के अन्तिम 10 वर्षो में ही उपग्रह टेलीविजन का प्रचार-प्रसार हुआ है, लेकिन सामाजिक अध्ययनों के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। आज के अध्ययनों में 'प्री केबल सोसायटी' और 'पोस्ट केबल सोसायटी' जैसे प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जनमाध्यमों के क्षेत्र में किये जा रहे शोध कार्यो में एक दिशा एक दर्शन का होना जरूरी है। जनमाध्यमों में शोध के लिए नैतिक मापदण्ड आवश्यक है। उनके अभाव में शोध परिणामों को बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय का रूप नहीं दिया जा सकता।

'जनमाध्यम सामाजिक परिवर्तन के उपकरण है।' विकास के लिए जिन चार तत्वों की अनिवार्यता रेखांकित की जाती है उनमें मैन, मशीन, मनी के साथ मीडिया को भी शामिल किया जाता है। क्योकि विकास के लिए आवश्यक वातावरण के सृजन में जनमाध्यमों की प्रमुख भूमिका होती है। परम्परा और रूढ़ियों से बंधे समाज में जनमाध्यमों से ही गतिशीलता और सहभागी होने की भावना का संचार संभव है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जनमाध्यम विकास के एकमात्र कारक नहीं है। किसी देश के विकास में अनेक तत्वों का योगदान होता है जनमाध्यम उनमें से एक है। जनसंचार माध्यमों का विकास अपने आप में साध्य नहीं, साधन है। ये माध्यम बहुत बड़े परिवर्तन कारक है यह भी भ्रांत धारणा है। जनमाध्यमों की विपुलता को भी विकास का मानदंड नहीं माना जा सकता।

23.4.2 मीडिया और विकास

'विकास उपहार नहीं है।' विकास एक जटिल और गत्यात्मक, गुणात्मक प्रत्यय है। मात्र आर्थिक अवयवों से इसे जोड़कर देखना, इस अवधारणा को सीमित करना होगा। सभ्यता और संस्कृति, मानव और मूल्य, व्यक्ति और परिवार, प्रकृति और पर्यावरण, मानवाधिकार और जीवन स्तर आदि लम्बी विकास यात्रा के अनिवार्य पड़ाव हैं। स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आयी लोककल्याणकारी सरकारों ने नियोजित आर्थिक विकास का मार्ग चुना। सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों से असीमित लक्ष्यों की प्राप्ति के अनेक मॉडल बने। योजनाएं बनी, किन्तु अन्तिम व्यक्ति तक विकास के लाभ को पहुचाने का महत्वाकांक्षी स्वप्न 'आकाश कुसुम' साबित हुआ। विदेशी अवधारणाओं के विकास बीज देशी मिट्टी में नहीं जम पाये। फल नहीं मिले। पचास वर्षो बाद भी देश का विकास न तो वांछित गति से हो रहा है और न अभिष्ट दिशा में विचारणीय प्रश्न है। विकास का मूलभूत अंभिप्राय पूर्ण मानवीय विकास से है-विशेषकर उसके अस्तित्व और गुणवत्ता से। प्रसिद्ध विद्वान 'इन्वर्ट' के अनुसार-"विकास का वास्तविक अर्थ तकनीकी अथवा राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि से नहीं बल्कि ज्ञान और चेतना के उस विकास से है, जिसके द्वारा वह सहभागी बनता है।" विकास के लिए सहभागिता का भाव जनमाध्यम पैदा कर सकते है।

संक्रमणकाल से गुजरता भारतीय समाज आज निर्णायक दौर में है। पश्चिम की नकल से अपने विकास मॉडलों की विफलता हमारे सामने है। यही नहीं इस एक पक्षीय विकास अवधारणा ने सांस्कृतिक विखंडन, मूल्यहीनता, पर्यावरण प्रदूषण और आय के असमान वितरण की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर दी है। हम ऐसे मॉडल, ऐसी प्रणाली के विकास की चुनौती से रूबरू है जो देश को उसकी संस्कृति और संसाधनों के अनुरूप परिवर्तन का मार्ग दिखाये।

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसका क्रम निरंतर चलता रहता है। इसे दो आधारों पर देखा जा सकता है- परिस्थिति परिवर्तन और मन:स्थिति परिवर्तन। प्रारंभ में अवधारणा थी कि व्यक्ति बदलने से समाज बदलता है। दूसरे शब्दों में मनः स्थिति परिवर्तन से परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है। इस विचार का आधार धर्म था। बाद में प्रयोग हुए और कहा गया कि परिस्थिति परिवर्तन से मन: स्थिति स्वत: बदल जायेगी। यह परिवर्तन राजनीति के माध्यम से संभव हुआ। किंतु उपर्युक्त दोनों प्रयोग असफल हुए। आज मान्यता है कि परिस्थिति परिवर्तन और मन:स्थिति परिवर्तन साथ-साथ होते है। परिस्थिति के परिवर्तन में समाजार्थिक कारक महत्वपूर्ण होते है किन्तु मन:स्थिति परिवर्तन में जनमाध्यम काम कर सकते है। विकास में उनकी यही भूमिका है।

विकासशील राष्ट्रों की अपनी विशेषताएं होती हैं। विवशताएं होती हैं। भारत जैसे देश में जहाँ शौच के बाद हाथ धोने जैसी मूलभूत जानकारी देना जनमाध्यमों की जरूरत हो वहाँ पश्चिम के प्रचार तंत्रों का अंधानुकरण विकास के लिए आवश्यक वातावरण पैदा करने के स्थान पर कुंठा और हताशा को जन्म देगा। हमारे मीडिया भगीरथों को सूचना शिक्षा मनोरंजन की त्रिवेणी बहानी होगी। विकसित देशों की मान्यता कि समाचार सिर्फ वाइन, वैल्थ और वूमन के आसपास होते हैं। हमारे लिए उपयुक्त नहीं। हमें ऐसे माध्यम ऐसे कार्यक्रम चाहिए जो साहस संबल और समर्थ्य का सृजन जनमानस में कर सके। विकासशील देशों में विकास के लिए आवश्यक वातावरण के निर्माण के लिए विकास पत्रकारिता-विकास संचार की आवश्यकता है।

मीडिया के क्षेत्र में ऐसे शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो विकास में आम आदमी को जोड़ सकें। देश की आवश्यकता के अनुरूप परिस्थितियों का निर्माण कर सकने में सहायक साबित हो सकें। मीडिया शोध के लिए कुछ नैतिक मापदण्डों की चर्चा आगे के शीर्षकों में की गयी है।

23.4.3 भावनात्मक एकीकरण

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद देश की सीमाओं का निर्धारण जातिगत एकता अथवा समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर न होकर विजित राष्ट्रों की लाभ और सुविधा की दृष्टि से किया गया। जिसके फलस्वरूप आज अनेक नवस्वतंत्र देश जाति, भाषा और क्षेत्र के अलगाववाद का संत्रास झेल रहे हैं। इन देशों में भौगोलिक एकता तो स्थापित कर दी गई किंतु भावनात्मक एकता का अभाव है। जनमाध्यम इन देशों में ''राष्ट्र निर्माण'' की प्रक्रिया में योगदान दे सकते है। मीडिया को लोगों को इस बात का अहसास दिलाना चाहिए कि सभी व्यक्ति चाहे वे किसी भी भाषा, धर्म अथवा जाति के हों राष्ट्ररूपी मशीन के कलपुर्जे है। सबके समन्वित प्रयास से ही राष्ट्र एकता और अखंडता के सूत्र में बंधकर विकास कर सकते है हाल ही में घटित कारगिल प्रकरण इसका जीवंत उदाहरण है कि कैसे जनमाध्यम अस्थिरता से जूझते राष्ट्र को ''भावनात्मक एकता'' के सूत्र में जकड़ सकते है। जितनी बार हम अनेकता को रेखांकित करेंगे एकता प्रभावित होगी। इसलिए ऐसे शोध विषय न रखें जाये जिनके निष्कर्ष भावनात्मक एकीकरण के मार्ग में बाधक साबित हो सकते है।

23.4.4 महत्वपूर्ण लोगों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश

पिछले कुछ दिनों में मीडिया द्वारा अनेक सनसनीखेज रहस्य उजागर किये गये। जिसमें नेताओं को रिश्वत लेते दिखाये जाने से लेकर विवादास्पद

साक्षात्कार और बयान भी थे। जिनके सामने आने पर प्रभावशाली लोगों को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। यह जनमाध्यमों द्वारा बनाये गये जनमत का ही प्रभाव था कि जेसिकालाल का मृत केस पुनः जीवित हो उठा संदेश स्पष्ट है कि मीडिया यदि सामाजिक दायित्व निभाये तो लोगों की मनमानी पर नकेल कसी जा सकती है।

'जनमाध्यम महत्वपूर्ण लोगों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश है।' जनमाध्यम सामाजिक हितों की रक्षा करने में समर्थ है। सामाजिक हितों को ठेंगा दिखाकर अपना घर भरने वाले राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की पोल पट्टी मीडिया ने खोली है। सीमेंट, सड़क, बोफोर्स, हवाला और चारा सहित न जाने कितने घोटालों का आम जनता के सम्मुख लाने का श्रेय मीडिया को है। मीडिया से अपेक्षा है कि वह 'सामाजिक हित के रक्षक वफादार कुत्ते' की भूमिका का निर्वाह करे और व्यक्तियों तथा संस्थाओं को राष्ट्र के प्रति जवाबदेह बनायें।

23.4.5 जनता और सरकार के बीच सेतु

उपनिदेशवाद के कडवे अनुभवों से उबरे नवस्वतंत्र राष्ट्रों ने प्रजातंत्र को शासन व्यवस्था का आधार बनाया। भारत जैसे अनेक राष्ट्रों को जनसंख्या के विशाल आकार के कारण अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मार्ग अपनाना पड़ा। सच्चा प्रजातंत्र स्वतंत्र जनमाध्यमों पर निर्भर है। जनभावनाओं की वास्तविक अनुभूमि नीति-निर्माताओं को मीडिया ही करता है। साथ ही शासन द्वारा जनकल्याण की योजनाओं को जनता तक पहुँचा कर मीडिया जनता और शासन के बीच सेतु का कार्य करता है। प्रजातंत्र में शासन के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ 'खबर पालिका' का दायित्व भी कम महत्वपूर्ण नहीं। इसे शोध कार्यो द्वारा और महत्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता है।

23.4.6 शिक्षा से सामर्थ्य

निरक्षरता और अशिक्षा हमारे समाज पर कलंक है। शिक्षित नागरिक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। जनमाध्यम अनौपचारिक शिक्षा से लोगों में वैज्ञानिक सोच और तर्क विकसित कर सकते है। शिक्षा ऐसी हो जो बेचारगी पैदा न कर सामर्थ्य विकसित करे और व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करे।

जनमाध्यम अनौपचारिक शिक्षक होते है। वे ऐसी बहुत सी जानकारी और सीख लोगों को दे सकते है जो उनके दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन दोनों के लिए उपयोगी है। दुर्भाग्य है कि सूचना शिखा और मनोरंजन की त्रिवेणी सूख रही है। और केवल मनोरंजन की मटमैली धार भी पूरे मीडिया तंत्र की प्रतिनिधि प्रस्तुति हो चली है। जिस देश में अधिकांश लोग औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हों वहाँ मीडिया को शोध कार्यो से

निरन्तर ऐसी भूमिका की तलाश में रहना चाहिए जहां वहां शिक्षा के उद्देश्य को अधिक प्रतिबद्धता से निभा सके।

23.4.7 निर्बल की आवाज

स्वतंत्र भा त में भी शोषण विहीन और भयमुक्त समाज नहीं बन सका। आज भी लोगों का शोषण धनबल-बाहुबल की आड़ में हो रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। जनमाध्यम इसका प्रतिकार कर सकते है क्योंकि उन्हें डराना धमकाना आसान नहीं है। माध्यम निर्बलों, निराश्रितों की आवाज बनकर उन्हें न्याय दिला सकते है। उनके हक की लड़ाई लड़ सकते है।

इसे अनेक समाचार पत्रों और चैनलों ने अपना ध्येय बनाया है। वे बेखौफ होकर आम जनता की आवाज को सामने लाने का कार्य कर रहे है। पाकिस्तानी जेल में बंद सरबजीत का प्रकरण ऐसा ही प्रकरण है, जिसमें जनमाध्यमों के प्रयास के बाद सभी पक्षों में प्रतिक्रिया दिखाई।

23.4.8 अच्छे जीवन के प्रति ललक

माध्यम प्रयास करें तो वे लोगों में अच्छे जीवन के प्रति ललक पैदा कर सकते है। फिल्में इस दिशा में कार्य करती है किंतु कल्पनालोक में ले जाती है। विज्ञापन इस दिशा में अच्छा कार्य कर सकते है। विज्ञापन की दिशा में उपभोक्ता व्यवहार के व्यवहार से सम्बन्धित अध्ययन बड़ी संख्या में होते है। ऐसे शोध के निष्कर्ष जिनसे आम जनता में अच्छे जीवन के प्रति ललक जाग्रत हो उन्हें सबके सामने लाना और ऐसे विषयों पर शोध कार्यों को महत्व देकर प्रकाशित प्रसारित करना मीडिया शोध के नैतिक मापदण्डों में से एक हो सकता है।

23.4.9 आशा का वातावरण

विकासशील राष्ट्रों में बड़े पैमाने पर फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार से वहाँ के नागरिकों विशेषकर युवा पीढ़ी में गहरी निराशा है। माध्यम नकारात्मक बातों को प्रसार बढ़ाने की लालच में महिमामंडित कर छापते है। यदि वे लोभ संवरण कर कुछ रचनात्मक कार्यों को प्रमुखता से कवरेज दें तो मुल्क पर हमारी आस्था बढ़ेगी। जनमाध्यम अपने प्रयासों से देश की साफ-सुथरी तस्वीर पेश कर आशा की किरण जगा सकते है।

यह अच्छी बात है कि जनमाध्यम अपनी खोजपूर्ण निगाहों से समाज की खामियों को देख लेते है। समाज की खूबियों को सामने लाना भी मीडिया शोध के नये नैतिक मापदण्डों का आधार होना चाहिए।

23.4.10 जनमत निर्माण

जनमाध्यम जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है। जनमाध्यम किसी भी विषय पर एक ऐसी सामान्य राय बनाते हैं जिसमें हर आम और खास की भागीदारी रहती है। महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं पर ऐसे ही जनमत निर्माण की आवश्यकता है। जनमाध्यमों को शोध कार्यो द्वारा जटिल मुद्दों पर आमसहमति बनाने का प्रयास कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।

23.4.11 उपेक्षित विषयों पर ध्यान

सरकारों की अपनी जोड़-तोड़ में लोक महत्व के विषय कभी-कभी उपेक्षित रह जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, इत्यादि विषयों पर समाज और सरकार का ध्यान निरंतर आकृष्ट कराते रहना चाहिए। मीडिया शोध में ऐसे उपेक्षित विषयों को प्रधानता दी जा सकती है जो लोकप्रियता की दृष्टि से बहुत आगे नहीं है, किन्तु राष्ट्र निर्माण में उन मुद्दों की उपेक्षा करना संभव नहीं।

23.4.12 फ्री प्रेस और फेयर ट्रायल

प्राय: देखा जाता है कि जनमाध्यम जब किसी पक्ष पर प्रहार करते है तो उसे अपनी बात कहने का पूरा और पर्याप्त अवसर नहीं देते। यदि प्रेस स्वतंत्र है तो सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्रत है।

जनमाध्यमों को लोकहित के मुद्दों को उठाते सयम लोगों को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसे एक पक्षीय शोध जिनमें दूसरे की भूमिका पर गम्भीरता से विचार ही न हो। स्वस्थ्य समाज के विकास में सहयोगी नहीं हो सकते।

23.4.13 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम व्यक्तिगत गोपनीयता

यदि जनमाध्यमों को समाजहित में सब कुछ बताने की स्वंत्रता है तो व्यक्तिगत हित में व्यक्ति को कुछ बातें अपने तक सीमित रखने का अधिकार है।जब माध्यम गहराई से की जाने बाली रिपोर्टो में नामचीन हस्तियों के बेडरूम में झांकने लगते है तो वहां अंकुश की आवश्यकता महसूस होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सदा व्यक्तिगत गोपनीयता से मर्यादित रहना चाहिए।

23.4.14 संस्कारों का संपोषण

जनमाध्यमों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि विकास का अर्थ पश्चिम की नकल से नहीं है। देश विशेष की जरूरतों के मुताबिक तकनीकी और संसाधनों का चयन करके ही उसे उपयोग में लाना चाहिए। विकास के साथ परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने का दायित्व भी जनमाध्यमों का है। संस्कारों को संपोषित करने वाले शोध निष्कर्षों को महत्व मिलना चाहिए।

23.4.15 भारतीयता की झलक

लोक माध्यमों की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वे स्थानीय परिवेश, बोली परंपरा ओर संस्कृति, रीति रिवाजों की महक लिये हुए होते है। जिसके कारण ग्रामीण जनता पर इनका अपेक्षाकृत प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों के विकास की आवश्यक शर्त है-ग्रामीण विकास बिना ग्रामीण विकास के, विकास के उच्चतर सोपानों की प्राप्ति संभव नहीं। पाश्चात्य जीवन शैली में रचे बसे कार्यक्रम भारतीयता की झलक से कोसो दूर हों। एकता कपूर के धारावहिकों में भारत को खोजना मुश्किल है और प्रायोजन के अभाव में बुनियाद जैसे धारावाहिकों को दिखाना मुश्किल है।

23.4.16 मूल्यों का आग्रह

जन माध्यमों द्वारा किये जाने वाले शोध अथवा जन माध्यमों पर किये गये शोध में मूलहीनता के दर्शन न हो तो अच्छा है। प्रायः देखने में आता है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए एक छोटे से विषय को बहुत महत्वपूर्ण बनाकर और बहुत बढ़ा-चढ़ा कर जनमाध्यमों की विषय-वस्तु बनाया जाता है। मूल्यों के प्रति देशवासियों के आग्रह को कायम रखना मीडिया की एक नैतिक जिम्मेदारी है और अपसंस्कृतिक या मूल्यहीनता को प्रोत्साहित करने वाले विषयों पर शोध कार्यो को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

23.4.17 अश्लीलता से मुक्ति

पश्चिम की मान्यता है कि वही समाचार रुचि-पूर्वक पढ़े जाते है। जो 3w's के आसपास (Wine, welth, women) होते हैं । विकासशील देशों के लिये यह उपयुक्त नहीं है। विकास के समाचारों को पर्याप्त महत्व देकर सकारात्मक वातावरण का निर्माण इन देशों की प्राथमिक आवश्यकता है। इस क्षेत्र में जनमाध्यंम अच्छा कार्य कर सकते हैं। लोगों के सेक्स व्यवहार पर सर्वेक्षण कर गर्मागर्म चित्रों के साथ प्रस्तुत करना कुछ पत्रिकाओं और पत्रों का स्थाई भाव बनता जा रहा है। ऐसे शोध केवल पाठक और दर्शकों को बढ़ाने

के लिए उपयोगी हो सकते हैं। माध्यम की सकारात्मक भूमिका की दृष्टि से नहीं।

23.4.18 राष्ट्रहित सर्वोपरि

जनमाध्यमों द्वारा कभी-कभी ढूंढकर ऐसे भी समाचार प्रस्तुत किये जाते है जो व्यापक राष्ट्रहित में स्वीकार्य नहीं हो सकते। मीडिया स्वतंत्र तो है, किन्तु व्यक्ति हो या संस्था राष्ट्रहित से सर्वोपरि कोई नहीं है। अत: जनमाध्यमों के क्षेत्र में किये जाने वाले शोध में राष्ट्रहित की इस मूल भावना को प्रधानता देना मीडिया शोध के नैतिक मापदण्डों में शामिल है।

23.4.19 भाषायी संस्कार

शोध के जरिये संस्कारों को संपोषित करना मीडिया का नैतिक दायित्व है। देश में विविध भाषायें हैं । सभी को पर्याप्त महत्व और विकास के अवसर मिले इसके लिए आवश्यक है कि मीडिया भाषायी संस्कारों को उन्नति बनाने के लिए शोधकार्यों को प्रोत्साहित करे। स्तरहीन और अपशब्दों के प्रयोग से परहेज कर मीडिया को एक संस्कार की भाषा और एक भाषा का संस्कार प्रस्तुत करना बेहतर आवश्यक है। जनमाध्यमों विशेषकर सिनेमा में भाषा का गिरता स्तर चिन्तनीय विषय है और मीडिया शोध के जरिये अपसंस्कारों को हासिये पर लाकर भाषायी संस्कारों को संपोषित करना एक नैतिक आधार हो सकता है।

23.4.20 आचार संहिता का पालन

मीडिया एक स्वतंत्र सत्ता है, किन्तु यह मानमानी करने के लिए स्वतंत्रत नहीं है। शोध हो या आचरण प्रस्तुतिकरण हो या व्यवसाय सभी क्षेत्रों के लिए इस मीडिया के विभिन्न संगठनों ने आचार संहिता का निर्माण किया है। शोध के क्षेत्र में इन आचार संहिताओं का पूरी निष्ठा के साथ पालन करना मीडिया का एक नैतिक मापदण्ड हो सकता है।

23.4.21 सारांश

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के महानिदेशक और प्रसिद्ध पत्रकार अच्युतानंद मिश्र ने अपने लेख संचार माध्यम और नैतिकता में नैतिक मापदण्डों पर विस्तार से प्रकाश डाला है-''सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की परम्परागत विधा को आधुनिक संचार तकनीक ने बदलकर रख दिया है। संचार माध्यमों पर यह गंभीर आरोप है कि उन्होंने मनुष्य को उपभोग तथा यांत्रिक दास में परिवर्तित कर दिया है। उसकी मौलिकता

सामाजिक अस्मिता, संवेदना का स्पंदन, कला और संगीत की कोमल अनुभूतियों को भी संकुचित करने का काम किया है। उसकी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों, भाषाओं के प्रति उपेक्षा, इतिहास, साहित्य, पारम्परिक मनोरंजन के प्रति हीनता तथा तिरस्कार का भाव जगाया जा रहा है। खेती और उद्योग रोजगार और चिकित्सा के स्वदेशी तकनीक को शक्तिशाली बाजार की स्पर्धा में खड़ा करके नष्ट करने की कोशिश हो रही है। दावा तो परम्परा और आधुनिकता के सहविकास का है, लेकिन प्रयत्न बाजार के एकाधिकार और प्राकृतिक संसाधनों की असीमित लूट स्थापित करने का है। भारतीय संदर्भ में यह सत्य प्रमाणित है कि पिछले दो दशक में संचार माध्यमों को बाजार की देशी-विदेशी ताकतों ने अपना निशाना बनाया है। विशाल राष्ट्रीय कम्पनियों से ही उन्हें शक्ति और संसाधन मिल रहे हैं। सम्पूर्ण प्रबन्धन तंत्र पर उनका नियंत्रण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज के बड़े मीडिया संस्थानों का आराध्य अखबारों का पाठक या चैनलों का दर्शक नहीं है। उसका प्रेरणास्रोत उपभोक्ता और बाजार है सामाजिक सरोकार नहीं। शिक्षा संस्कृति या मनोरंजन के नाम पर जो टुकड़े पाठकों और दर्शकों के सामने फेंके जाते हैं उसके माध्यम से अमेरिकीय और यूरोपीय जीवन शैली की विकृतियां थोपने की कोशिश है। संचार माध्यमों के पास इस आरोप का कोई ठोस उत्तर नहीं है कि पाठकों और दर्शकों के बीच अपनी विश्वसनीयता को दांव पर लगाकर वे बाजार के पक्ष में क्यों खड़े हैं। भारतीय अर्थ व्यवस्था, राजनीति और समाज जीवन पर भोगवादी उत्पादों और लुभावने वैश्विक नारों के सहारे नियंत्रण करने की कोशिश के एजेण्ट क्यों बन रहे हैं? सामाजिक सरोकारों तथा वंचितों के अधिकारों के पक्षधर होने के बजाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ खड़े होने की क्या मजबूरी है। राष्ट्रीय एकीकरण साम्प्रदायिक एकता, मानव मूल्यों के लिए समर्पित होने का दावा करने वाले इन माध्यमों की असलियत क्या है। अनियंत्रित अधिकारों और अकूत लाभ कमाने की हवस का भविष्य क्या है? 1980 में 'यूनेस्को' की एक रपट में कहा गया था कि माध्यमों की विषयवस्तु राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए देश और समाज की भाषा और संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। संचालकों का हित उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? संचार माध्यमों का यह आचरण समाज विरोधी और अनैतिक है।

जमीन, आसमान और पूरे वायुमण्डल पर संचार माध्यमों की बढ़ती ताकत, शक्तिशाली संसाधनों और उनकी निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों के दायरे में यह भी पूछा जा रहा है कि क्या वे अपनी आलोचना के प्रति सहिष्णु हैं? क्या उन्हें अर्द्धसत्य या असत्य छापने और दिखाने का अनियंत्रित अधिकार प्राप्त है? क्या उनके आन्तरिक विवेक और लोकहित की कथित प्रतिबद्धता पर भरोसा किया जा सकता है। क्या कोई समाज, सरकार या संस्था बिना किसी नैतिक आचार संहिता को स्वीकारे जीवित और विश्वस्त रह सकती है? क्या संचार माध्यमों के लिए कोड आफ कन्डक्ट जरूरी है? अगर

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और स्टिंग आपरेशन की छूट के बीच नागरिक हितों की रक्षा और उनकी निजता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? स्वतंत्रता के बाद अब तक के इतिहास में प्रेस कौसिल मीडिया से किसी आचार संहिता का पालन कराने में क्यों असफल साबित हुई है? संस्थाएं चाहे सम्पादकों की हों या श्रमजीवी पत्रकारों की, हर दौर में आचार संहिताओं को मीडिया संचालकों ने कूड़े की टोकरी में डाल दिया था जो आज भी वहीं पड़ी है। इमरजेन्सी और प्रेस पर सेन्सर के दौरान सरकार के प्रेरणा से कुछ सम्पादकों ने जो आचार संहिता बनाई थी उसने आचार संहिता की नैतिकता को ही नष्ट कर दिया था। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या जनसंचार माध्यमों की बढ़ती ताकत और प्रवृत्तियाँ नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता के विरुद्ध जा रही है? अगर हाँ तो इसे कैसे रोका जा सकता है? क्या आज देश में किसी ऐसी संस्था का अस्तित्व है जिसका हस्तक्षेप या नैतिक दबाव मीडिया को स्वेच्छा से स्वीकार्य हो सके।"

23.4.22 शब्दावली

आचार संहिता : ये वे नियम है जिन्हें, कोई व्यक्ति संस्था या समाज स्वेच्छा से अपने ऊपर लागू करता है और उसके अनुरूप ही आचरण करता है।

फेयर ट्रायल : व्यक्ति या संस्था को अपने बचाव में तथ्य तर्क और मत प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता ही फ़ेयर ट्रायल कहलाती है।

23.4.23 संदर्भ ग्रंथ

1. आधुनिक पत्रकारिता : डॉ. अर्जुन तिवारी
2. हिन्दी पत्रकारिता विविध आयाम : डॉ. वेद प्रताप वैदिक
3. जनसंचार : राधेश्याम शर्मा

4- Mass Communication in India : Kewal Jai Kumar.

5. Mass Communication: Dr. J.S. Murthy

23.4.24 प्रश्नावली

23.4.24.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. नैतिक मानदण्ड क्या है?
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं ?
3. फेयर ट्रायल क्या है ?

23.4.24.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर एक विचारात्मक आलेख लिखिए।
2. मीडिया शोध के लिए आप किन नैतिक मापदण्डों को अपरिहार्य मानते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
3. जनमाध्यमों से सम्बन्धित वर्तमान शोध और उसके निष्कर्षों से क्या आप सहमत हैं? मीडिया शोध परिदृश्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

24 लघु शोध प्रबन्ध एवं शोध प्रबन्ध की तैयारी

इकाई की रूपरेखा :

24.5.0 उद्देश्य

24.5.1 प्रस्तावना

24.5.2 समस्या का चयन

24.5.3 उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन

24.5.4 इकाइयों का चयन

24.5.5 परिकल्पना का निर्धारण

24.5.6 अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण

24.5.7 उत्तरदाताओं का चयन

24.5.8 सूचना के स्रोत

24.5.9 प्रविधियों का निर्धारण

24.5.10 तथ्यों का अवलोकन व संकलन

24.5.11 वर्गीकरण और सारणीयन

24.5.12 तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन

24.5.13 निष्कर्ष एवं सुझाव

24.5.14 सामान्यीकरण और सिद्धान्त निर्माण

24.5.15 रिपोर्ट लेखन

24.5.16 सारांश

24.5.17 शब्दावली

24.5.18 संदर्भ ग्रंथ

24.5.19 सम्बन्धित प्रश्न

24.5.0 उद्देश्य

इस इकाई में संचार के छात्रों के लिए लघु शोध को करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस इकाई का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके आप समझ सकते है कि-

1. जनसंचार के क्षेत्र में शोध के लिए किन विषयों का चयन किया जाय।

2. जनसंचार के क्षेत्र में लिये गये विषय पर अध्ययन करने के लिए कौन सी अध्ययन प्रविधि अपनाई जाये।

3. तथ्यों के संकलन और सारणीयन के बाद परिणाम और निष्कर्षो को कैसे जन सामान्य के उपयोग में लाने लायक बनाया जाय।

इस पाठ्यक्रम की पूर्णता के लिए लघु शोध प्रबन्ध स्वयं कर सकने की क्षमता विकसित करने के लिए इस इकाई के साथ ही एक मॉडल लघु शोध प्रबन्ध दिया जा रहा है, जिसका अध्ययन कर आप समझ सकते है कि ऐसे ही किसी विषय को लेकर शोध कार्य कैसे सम्पादित किया जाय। शोध के क्षेत्र में व्यावहारिक मार्गदर्शन देने वाली यह इकाई आपको रोचक लगेगी ऐसी आशा है।

24.5.1 प्रस्तावना

जनसंचार के क्षेत्र में नित नूतन प्रयोग हो रहे है। सेटेलाइट टेलीविजन के आने के पूर्व किसी को विश्वास नहीं था कि संचार परिदृश्य इतना बदल जायेगा। मार्शल मैक्लुहन की विश्वग्राम की संज्ञा उपग्रह संचार के जादुई युग की ही देन है। जनमाध्यमों ने समाज को प्रभावित किया है। सामाजिक व्यवहार भी जनमाध्यमों के प्रभाव से अछूते नहीं है। आज की आवश्यकता है कि संचार के विद्यार्थी केवल घटनाओं की जानकारी मात्र से संतुष्ट न हो जायें, वरन् मुद्रित, इलेक्ट्रानिक और नये माध्यमों के समाज में पड़ रहे प्रभाव का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। इस दृष्टि से जन माध्यमों की समाज को जोड़ने और तोड़ने वाले प्रभावों को विश्लेषित करना भी आवश्यक है।

लघु शोध प्रबन्ध शोध का एक संक्षिप्त रूप है। इसमें किसी सामाजिक समस्या को लेकर वैज्ञानिक विधि से अध्ययन कर कारण और परिणामों में युक्ति-युक्त सह सम्बंध का निर्धारण किया जाता है। समस्याओं को हम अपने दैनिक जीवन में घट रही विविध घटनाओं या पूर्व में अध्ययन की गयी समस्याओं या घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्व कथन के आधार पर चयन कर सकते है।

24.5.2 समस्या का चयन

जनसंचार के क्षेत्र में शोध कार्य का प्रारम्भ करने का बिन्दु समस्या का चयन होता है। समस्या का निर्धारण शोधकर्ता स्वयं के अवलोकन और अनुभव से भी कर सकता है और किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था द्वारा निर्धारित विषय पर शोध कार्य किया जा सकता है। हर विचार या समस्या

शोध का विषय नहीं बन सकती साथ ही सार्थक शोध के लिए सार्थक विषय का चयन भी आवश्यक होता है। अत: समस्या के चयन में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। शोध का विषय निर्धारित करते समय हमें यह सोचना पड़ता है कि इस विषय से सम्बन्धित तथ्य प्राप्त हो सकेंगे अथवा नहीं। इकाईयों का निर्धारण कैसे होगा? इस समस्या पर पूर्ण या आंशिक रूप में एक या किसी अन्य पहलू पर अध्ययन हो चुका है या नहीं। समस्या का चयन शोध के पूर्व किया जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना अनुसंधानकर्ता भटक सकता है और धन और समय की बर्बादी होती है इसलिए एक योग्य या अनुभवी अनुसंधानकर्ता समस्या का विधिवत् चयन करता है। पी.वी.यंग ने समस्या के चयन में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखने का निर्देश दिया है।

1. समस्या का विषय इस प्रकार का हो जिसे समझने की योजना शोधकर्ता मे हो एवं जिससे सम्बन्धित शोध कार्य को एक निश्चित अवधि में पूर्ण किया जा सके।
2. अध्ययन किये जाने वाले विषय से सम्बन्धित यदि अन्य शोध उपलब्ध नहीं हो तो विषय का क्षेत्र व्यापक न रखा जाये।
3. उपलब्ध प्रविष्टियों की सहायता से विषय का अध्ययन किया जा सकता है अथवा नहीं इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।
4. उस समस्या के चयन से शोध करने पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकते है अथवा नहीं।

जनमाध्यमों के क्षेत्र में शोध के लिए विषय का चयन करते समय उसकी व्यवहारिकता को परख लेना बहुत आवश्यक है। कभी-कभी आकर्षक दिखने वाले शोध विषयों से शोध परिणाम या तो निकाले नहीं जा सकते या निकाले भी जाते है तो औसत स्तर के। कुछ शोध विषयों में जटिलता का अंश इतना अधिक होता है कि सामान्य अध्ययनकर्ता उससे सहज निष्कर्ष निकालने में सफल नहीं होता। शोध के विषय चयन में मार्गदर्शक सिद्धांत यही है कि छोटी-छोटी सी समस्या लें और गहराईपूर्वक उसका अध्ययन कर लें। निष्कर्ष भावी शोधकर्ताओं की दृष्टि से उपयोगी हो और वर्तमान में शोध की उपादेयता सिद्ध करते हों।

24.5.3 उपलब्ध साहित्य का पुनरावलोकन

शोधकर्ता द्वारा समस्या के चयन कर लेने के बाद उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक होता है। शोध से संबंधित अध्ययन शोधकर्ता के लिए विषय को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और साथ ही शोध की राह को सुगम बना देता है। शोध का विषय निर्धारण करने के बाद उससे सम्बन्धित पूर्व में किये गये अध्ययन, लेख, पुस्तकें, समाचार-पत्र, प्रतिवेदन इत्यादि का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के

अध्ययन से शोधकार्य सरल हो जाता है और अध्ययन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान भी हो जाता है। शोध में आने वाली सम्भावित समस्याओं की झलक भी कभी-कभी संबंधित साहित्य पढ़ने से मिल जाती है। पूर्व में किये गये शोध किस मायने में उपयोगी रहे है उनमें कौन सा पक्ष उपेक्षित रहा है, किस बात को आधार बनाकर अधिक अध्ययन किये गये है इत्यादि बातों की जानकारी संबंधित साहित्य के अध्ययन से हो जाती है।

24.5.4 इकाईयों का चयन

अध्ययन की इकाई का निर्धारण शोधकार्य से पूर्व करना बहुत आवश्यक है। इकाई को ठीक-ठीक परिभाषित करना भी आवश्यक है। जनमाध्यमों से संबंधित सामाजिक अध्ययन वर्ग, समूह या समुदाय पर हो सकते है या किसी एक व्यक्ति, समाज, राज्य को केन्द्र में रखकर सम्पन्न किये जा सकते है। इकाईयों का निर्धारण करते समय शोध के लिए उपलब्ध धन और समय का ध्यान रखना आवश्यक है। अस्पष्ट और जटिल इकाईयां जहाँ शोध को अतार्किक बना सकती हैं वहीं इकाईयों का सही चयन कुछ ही इकाईयों के अध्ययन से समग्र के बारे में एक सम्पूर्ण दृष्टि देने में सफल हो सकता है। इकाईयों के चयन में निम्नलिखित बातें स्मरणीय हो सकती है-

1. इकाई विशिष्ट तथा पूर्व निश्चित होनी चाहिए।
2. इकाई ऐसी हो जिसे उचित तरीके से ज्ञात किया जा सके।
3. इकाईयों में एकरूपता या समानता होना जरूरी है।
4. इकाई ऐसी हो जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हो अर्थात् उसमें समग्र के प्रतिनिधि गुण हों।
5. इकाई का चयन शोध के उद्देश्य के अनुरूप ही करना चाहिए।

24.5.5 परिकल्पना का निर्धारण

जन माध्यमों से सम्बन्धित किसी विषय पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किसी प्रस्ताव या कथन को आधार माना जाता है। जो शोध की अध्ययन की सामग्री एकत्र करने के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। इसे प्राकल्पना कहते है। प्राकल्पना शोध के बारे में वह अस्थाई या काम चलाऊ निष्कर्ष है जिसकी पुष्टि की जाना अभी शेष है। समस्या के अध्ययन के पूर्व प्राकल्पना के निर्माण से शोध में अनावश्यक भटकाव से मुक्ति मिलती है और चाहे तथ्यों का संकलन हो या विश्लेषण शोध एक पूर्व निर्धारित दिशा में ही चलता है। दूसरे शब्दों में किसी अध्ययन या परीक्षण के लिए कारण और परिणामों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जिस कथन को आधार बनाया जाता है उसे प्राकल्पना कहा जा सकता है। शोध के लिए यह आधार कथन

वैज्ञानिक पद्धति से जाँचा-परखा जाता है और उसके बाद ही यह निर्णय लिया जाता है कि कथन सत्य था अथवा असत्य। समस्या के बारे में प्राकल्पना सही सिद्ध भी हो सकती है और गलत भी। लुण्डबर्ग के अनुसार प्राकल्पना एक सामाजिक सामान्यीकरण है, जिसकी प्रमाणिकता की परीक्षा करना बाकी है।

प्राकल्पना के अभाव में शोधकर्ता अपने अध्ययन में क्रमबद्धता, व्यवस्था व तारतम्यता बनाये रखने में असफल हो सकता है। डुनहम का कहना है कि प्राकल्पना शोधकर्ता के कार्य को दिशा प्रदान करती है और उसे यह बताती है कि क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ देना है।

24.5.6 अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण

अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। शोधकर्ता के पास सीमित साधन व समय होता है, जिससे किसी समस्या का अध्ययन बहुत बड़े क्षेत्र में और निरन्तर करते रहना सम्भव नहीं होता है। अतः आवश्यक होता है कि हम अपनी समस्या के अनुरूप ही अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित कर लें और उसमें से ही तथ्यों का संकलन करें। अध्ययन क्षेत्र का आकार छोटा या बड़ा, सीमित या विस्तृत किस प्रकार का होगा यह अध्ययन की आवश्यकता और उसके उद्देश्यों के अनुसार तय होता है। जहाँ सीमित क्षेत्र में गहराई से अध्ययन सम्पादित किया जा सकता है, वहाँ बड़े क्षेत्र में केवल सतही तौर पर जानकारियों का संग्रह करना संभव हो पाता है। अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण में निम्नलिखित बातें मार्गदर्शक हो सकती है-

1. अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्र न तो बहुत छोटा हो और न बहुत बड़ा।
2. अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण शोध की प्रकृति पर निर्धारित होता है।
3. अध्ययन क्षेत्र समस्या की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए जैसे-मध्यमवर्गीय परिवार पर किये जा रहे किसी शोध कार्य के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में किसी पॉश कालोनी का चयन निरर्थक हो सकता है।
4. अध्ययन क्षेत्र में समस्या प्रतिनिधिरूप में विद्यमान होनी आवश्यक होती है।

24.5.7 उत्तरदाताओं का चयन

अध्ययन क्षेत्र निर्धारित हो जाने के बाद उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है। उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन की प्रकृति और विषय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल किया जाता है। सामाजिक शोधों में समग्र की

सभी इकाईयों का अध्ययन संभव नहीं हो पाता इसलिए कुछ प्रतिनिधि उत्तरदाताओं का चयन कर उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालने का कार्य किया जाता है। इन इकाईयों का चयन शोधकर्ता सैम्पलिंग पद्धति द्वारा करता है। आवश्यकता पड़ने पर उद्देश्य के अनुरूप भी उत्तरदाताओं के चयन से शोध के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है।

समग्र मे से कितनी इकाईयों का चयन किया जाय इसका सहज निर्णय करना संभव नहीं होता। कुछ शोधों में प्रकृति के अनुसार समग्र के 10 या 20 प्रतिशत इकाईयों का चयन कर निष्कर्ष निकाला जाता है, तो कुछ में उत्तरदाताओं की संख्या का प्रतिशत अधिक भी हो सकता है। जब समग्र में से कुछ प्रतिनिधि उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है तब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उत्तरदाताओं का समूह ऐसा हो जो समग्र की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता हो अर्थात् पूरे क्षेत्र में उत्तरदाताओं की जो प्रकृति है उसका प्रतिनिधि स्वरूप शोधकर्ता द्वारा चयन किये गये सैम्पल में मिल जाय।

24.5.8 सूचना के स्रोत

इस बात को तय कर लेने के उपरांत कि हमें अपने शोध के संदर्भ में किन उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया प्राप्त करनी है उन स्रोतों का निर्धारण किया जाता है जहाँ से आवश्यक सूचनाएं शोध के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त की जाती है। सूचनायें दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है–

1. प्राथमिक स्रोत 2. द्वितीयक स्रोत

1. प्राथमिक स्रोत : प्राथमिक स्रोत सूचना के वे स्रोत होते है, जिनसे शोधकर्ता अध्ययन से संबंधित जानकारी स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करता है अर्थात् वह शोध के उद्देश्य के अनुकूल जानकारी स्वयं उत्तरदाताओं से संकलित करता है। जो सामग्री अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से एकत्रित की जाती है प्राथमिक स्रोत से प्राप्त सामग्री कहलाती है। इसे प्राइमरी डेटा भी कहते है।

2. द्वितीयक स्रोत : द्वितीयक स्रोत वे स्रोत है, जिनसे कोई जानकारी किसी शोधकार्य में उपयोग तो की जाती है, किन्तु मूलतः जानकारी का एकत्रीकरण किसी और उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि कोई शोधार्थी जनमाध्यमों का ग्रामीण विकास पर प्रभाव विषय पर शोध अध्ययन करता है तो ऐसी स्थिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से लिये गये आंकड़े द्वितीयक स्रोत से प्राप्त आंकड़े कहे जायेंगे, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण उस शोध के लिए नहीं किया गया है, अपितु रिपोर्ट के कुछ अंशों को शोधकार्य में ले लिया गया है।

23.5.9 प्रविधियों का निर्धारण

निर्धारित अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से जिन वांछनीय सूचनाओं का संकलन किया जाना है उनके लिए उपकरणों तथा प्रविधियों का पूर्व में ही निर्धारण कर लेना आवश्यक होता है। जनमाध्यमों के लिए किये जाने वाले शोधकार्यो में अनुसंधानकर्ता सूचनाओं के एकत्र करने के लिए अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, अवलोकन जैसी परम्परागत पद्धतियों के साथ-साथ सहभागी ग्रामीण आंकलन प्रविधियों का उपयोग भी कर सकता है। अनुसंधानकर्ता यदि अनुसूची प्रश्नावली या साक्षात्कार विधि का प्रयोग करता है तो जानकारी के संकलन के लिए आवश्यक प्रश्नों का निर्माण भी उसे स्वयं ही करना पड़ता है। उपकरणों और प्रविधियों का निर्माण और उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना आवश्यक है अन्यथा शोध के निष्कर्ष प्रभावित हो सकते है।

23.5.10 तथ्यों का अवलोकन व संकलन

उपकरण एवं प्रविधियां निर्धारित हो जाने के पश्चात् उन प्रविधियों से तथ्य संकलन का कार्य किया ज़ाता है। तथ्य संकलन के लिए उत्तरदाताओं से सम्पर्क किया जाता है और जिस मात्रा में जानकारी शोध के उद्दश्यों के अनूरूप आवश्यक होती है उतना प्राप्त की जाती है। प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता के लिए चूंकि उनके संकलन के तरीकों पर निर्भर करती है, इसलिए तथ्यों का संकलन शोधकर्ता को पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से करना होता है अर्थात् अनुसंधानकर्ता को तथ्य संकलन में पूर्वाग्रह रहित होकर तथ्यों का संकलन करना पड़ता है।

24.5.11 वर्गीकरण और सारणीयन

अनुसंधानकर्ता जब उत्तरदाओं से बहुत सी सूचनाओं को एकत्रित करता है तो पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी कुछ ऐसे तथ्य होते है, जिनका प्रत्यक्षः शोध से सम्बंध नहीं होता। अतः आवश्यक तथ्यों को वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सारणीबद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम खनिज तेल से पेट्रोल बनाने के रिफाइनरी के काम के रूप में भी देख सकते है। जहाँ एक ही पदार्थ के विभिन्न उत्पादों को अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग रूप में एकत्रित शोधित वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है। वर्गीकरण और सारणीयन सांख्यकीय विधियों के प्रयोग के लिए बहुत आवश्यक है।

24.5.12 तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन

किसी शोध समस्या के अध्ययन के लिए जिन तथ्यों को संकलित किया जाता है उनकी व्याख्या विश्लेषण और विवेचन अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है। जो तथ्य एकत्र किये जाते है उन्हें व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब जैसी आवश्यकता होती है विश्लेषण को बोधगम्य और सरल बनाने के लिए प्रयास किया जाता है, जिससे सांख्यकीय तथ्यों का वास्तविक रूप में क्या निष्कर्ष निकलता है इसकी विस्तृत और पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा सके।

24.5.13 निष्कर्ष एवं सुझाव

शोध की सार्थकता उसके द्वारा दिये गये या प्रतिपादित किये गये निष्कर्षो में है। जनमाध्यमों के लिए मूलत: तीन प्रकार के शोध अध्ययन होते है एक एक ऐसे शोध जिसमें जनमाध्यमों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, दूसरे ऐसे जिनमें जनमाध्यमों की विषय-वस्तु का अध्ययन किया जाता है और तीसरे ऐसे जिसमें क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। तीनों शोध प्रारूप बहुत उपयोगी होते है और इनसे निकाले गये निष्कर्ष सामाजिक अध्ययनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते है।

अध्ययन के दौरान और उसके निष्कर्षो में शोधकर्ता जो महसूस करता है उन बातों को भविष्य में सुझाव के रूप में अध्ययन के साथ संकलित करता है ताकि आने वाले समय में उस दिशा में होने वाले शोध कार्यो में अध्येता द्वारा बताये गये आयामों को शामिल किया जा सके।

24.5.14 सामान्यीकरण और सिद्धान्त निर्माण

वैज्ञानिक शोध और सामाजिक शोध का मूलभूत अंतर यही है कि वैज्ञानिक शोध में अध्ययन की विषय-वस्तु व्यवस्थित एवं सातत्यता लिए होती है। जबकि सामाजिक शोध में अध्ययन मानवीय व्यवहारों का किया जाता है जो व्यक्ति से व्यक्ति परिस्थिति से परिस्थिति और अन्य कई कारकों के कारण अलग-अलग होते है तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील होते है। सामाजिक शोध के निष्कर्ष अनेक परिस्थितियों में एक सा परिणाम देने का एक नियम का रूप धारण करते है और बाद में सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित होते है।

कार्लमार्क्स का द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो या हॉब्स लॉक रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रारम्भ शोध के उपरांत सामान्यीकरण और सिद्धान्त निर्माण का ही परिणाम थे।

सामाजिक शोध का आधार चूंकि मानवीय व्यवहार है इसलिए इनके परिणाम भी जटिल होते हैं और वैज्ञानिक शोधों के परिणामों की तरह एक नियंत्रित परिस्थिति में प्राप्त नहीं किये जाते। अतः इनसे सामान्यीकरण और सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया पूर्णतः स्थायी न होकर सतत सतर्क दृष्टि की मांग करती है।

24.5.15 रिपोर्ट लेखन

सम्पूर्ण शोध को शोध मानकों के अनुरूप सम्पादित करना ही पर्याप्त नहीं वरन् व्यापक उपयोग के लिए उसे एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में लिखना भी आवश्यक है। लघु शोध के समस्या चयन से लेकर सिद्धांत निर्माण और सामान्यीकरण की प्रक्रिया तथा सुझाव और निष्कर्ष तक किसी शोध कार्य को व्यवस्थित रूप में रखने के लिए रिपोर्ट लेखन आवश्यक है।

रिपोर्ट लेखन का उद्देश्य अनुसंधान के बारे में एक ऐसा प्रलेख (Document) प्रस्तुत करना है जो मनुष्य के ज्ञान को विस्तृत करने में सहायक हो सके। प्रायः शोध किसी सिद्धांत की पुष्टि, किसी सिद्धांत में नया आयाम जोड़ने, किसी सिद्धांत को गलत सिद्ध करने अथवा किसी नये सिद्धांत की रचना के लिए होते है। इसे एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से क्रमबद्ध कर लिखा जाता है।

रिपोर्ट या प्रतिवेदन की सामग्री :

किसी रिपोर्ट या प्रतिवदेन में विषय सामग्री निम्नलिखित रूप में संकलित की जातो है।

1. प्रस्तावना
2. समस्या का विवरण
3. उद्देश्य
4. विषय
5. अध्ययन क्षेत्र
6. अध्ययन विधि
7. निदर्शन
8. संगठन
9. तथ्यों का विश्लेषण
10. संलग्न सूचना या परिशिष्ट
11. तथ्यों की उल्लेखनीय विशेषता
12. सुझाव

24.5.16 सारांश

लघु शोध प्रबन्ध, शोध का संक्षिप्त और प्रारम्भिक रूप है। जनसंचार के शोधार्थियों को उच्च शैक्षणिक स्तरों पर अथवा जनमाध्यमों में कार्य करते समय अनेक छोटे या गहराई से किये जाने वाले शोध कार्यो को सम्पन्न करना पड़ता है। लघु शोध में शोध की सम्पूर्ण प्रविधि एक पूर्ण शोध के रूप में ही होती है केवल पैमाना छोटा होता है। लघु शोध में समस्या के चयन से लेकर सांख्यिकीय विधियों के उपयोग तथा निष्कर्ष, सुझाव और संदर्भ ग्रंथ सूची तक सब कुछ पूर्ण शोध जैसा ही होता है। महत्वपूर्ण यह है कि मीडिया के छात्र जनमाध्यमों से जुड़ी किसी समस्या के सामाजिक पहलू का

सीमित क्षेत्र में अध्ययन करे और कारण-परिणामों में सम्बन्धों को खोजने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए एक लघु शोध प्रबन्ध की सम्पूर्ण रूपरेखा इस इकाई के साथ ही प्रस्तुत की जा रही है। उसके आधार पर आप अपने क्षेत्र में किसी समस्या का चयन करें और वैज्ञानिक विधि से उसका अध्ययन करने का प्रयास करें।

24.5.17 शब्दावली

समग्र : अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाईयों को समग्र कहा जाता है। यदि किसी जिले में किसी सामाचार-पत्र के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या के रूप में किया जा रहा है तो उसके पढ़ने वाले समस्त पाठक समग्र कहे जायेंगे।

न्यादर्श या सैम्पल : समग्र में से जिन इकाईयों अध्ययन के लिए चयन किया जाता है उन्हें न्यादर्श या सैम्पल कहा जाता है।

24.5.18 संदर्भ ग्रंथ

1. शोध पद्धतियां : डॉ. डी.एस. बघेल
2. सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकीय : चन्द्रभूषण पाण्डेय
3- Research Methodology : Kerlinger
4. Research Methodology : Dr. R.N. Trivedi
5. Mass Communication : Keval J. Kumar.

24.5.19 सम्बन्धित प्रश्न

24.5.19.1 लघु उत्तरीय प्रश्न

1. जनमाध्यमों से सम्बन्धित किसी समस्या का अध्ययन करने के पूर्व किन-किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?
2. लघु शोध के विभिन्न चरणों का विस्तार से प्रकाश डालिये।

24.5.19.2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. किसी शोध कार्य को सम्पादित करने में प्राय: कौन सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। स्पष्ट कीजिए।
2. जनमाध्यमों से सम्बन्धित किसी समस्या को चयन कर उस पर आधारित लघु शोध की सम्पूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

मीडिया और मानवाधिकार

मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में मीडिया की भूमिका
टेलीविजन समाचार चैनलों के विशेष संदर्भ में

Media and Human Rights: The Role of Television News Channels in Creating Awareness on Human Rights

मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन (M.J.M.C.) उपाधि
हेतु प्रस्तुत

लघुशोध प्रबन्ध

शोधकर्ता

....

शोध निर्देशक

....
....
....

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

इलाहाबाद, उ.प्र., 2006-07

MJMC-07/378

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शोध छात्र ....ने **शोध विषय– मीडिया और मानवाधिकार (मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में मीडिया की भूमिका टेलीविजन समाचार चैनलों के विशेष संदर्भ में)** पर अध्ययन कार्य मेरे निर्देशन में पूर्ण किया है। श्री ....द्वारा प्रस्तुत यह लघु शोध प्रबंध, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन (M.J.M.C.) की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार यह ....का मौलिक कार्य है।

....

शोध निर्देशक का नाम और

हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मैं, ...शोध अध्येता, यह घोषणा करता हूँ कि **मैंने शोध विषय- मीडिया और मानवाधिकार (मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में मीडिया की भूमिका टेलीविजन समाचार चैनलों के विशेष संदर्भ में)** पर अध्ययन कार्य ....के निर्देशन में पूर्ण किया है। यह लघु शोध प्रबंध, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

मेरा यह कार्य सर्वथा मौलिक है।

सत्र : ....

अध्ययन केन्द्र : ....

रजि. नं. : .... शोधकर्ता के हस्ताक्षर

रोल नं. : ....

आभार

....
शोधकर्ता का नाम

अनुक्रमणिका

अध्याय - I : प्रस्तावना

अध्याय - II : मानवाधिकार का परिचय

अध्याय - III : समसामयिक टेलीविजन परिदृश्य

अध्याय - IV : शोध प्रविधि

अध्याय - V : शोध परिणाम और विश्लेषण

अध्याय - VI : सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

संदर्भ ग्रंथ सूची

परिशिष्ट

तालिका सूची

क्र.	तालिका विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	आयु के अनुसार उत्तरदाताओं का परिचय	
1.2	लिंग अनुपात के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय	
1.3	साक्षरता के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय	
1.4	परिवार की प्रकृति के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय	
1.5	आय के स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय	
1.6	व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय	
1.7	जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय	
2.1	माध्यम की अभिरुचि के अनुसार उत्तरदाताओं का परिचय	
2.2	चैनल को दिये गये समयानुसार उत्तरदाताओं का परिचय	
2.3	चैनलों के उपयोग के उद्देश्यानुसार उत्तरदाताओं का परिचय	
2.4	माध्यम विशेष की प्रभावशीलता के अधार पर उत्तरदाताओं का परिचय	
3.1	शासकीय सूचना एवं संचार तंत्र की पहुँच	
3.2	शासकीय सूचना और संचार तंत्र का प्रभाव	
3.3	मनोवृत्ति परिवर्तन में शासकीय तंत्र की भूमिका	
4.1	अशासकीय संप्रेषण माध्यमों की पहुंच	
4.2	अशासकीय संप्रेषण माध्यमों का प्रभाव	
4.3	मनोवृत्ति परिवर्तन में अशासकीय तंत्र की भूमिका	
5.1	मानवाधिकारों पर सामग्री	
5.2	मानवाधिकार संबंधी मामलों को प्रमुखता	
5.3	मानवाधिकारों सें संबंधित विज्ञापन	
5.4	मानवाधिकार संबंधी जानकारी का स्रोत	
5.5	मानवाधिकार संबंधी खबरों का प्रभ्णवी प्रस्तुतिकरण	
5.6	मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को महत्व	
5.7	मानवाधिकार संबंधी रिपोर्टिंग में निष्पक्षता	
5.8	मानवाधिकारों पर विशेषज्ञों का मत	
5.9	मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को अधिक समय	
5.10	मानवाध्किारों के प्रति जागरुकता सृजन में भूमिका	

प्रस्तावना

मीडिया और मानवाधिकार दोनों ही बीती सदी के उत्तरार्द्ध में लोकप्रिय हुई अवधारणाएं है। दोनों को अवधारणाओं के रूप में भी देखा जा सकता है और व्यवस्था के रूप में भी। सत्तर के दशक में अमेरिका में और इराक-अमेरिका के 1991 युद्ध से उपग्रह संचार ने भारत में अपनी लोकप्रियता बढ़ानी शुरू की और आज मीडिया इतना महत्वपूर्ण कारक हो गया है कि शोध अध्ययनों में केबल टेलीविजन के पूर्व समाज और केबल टेलीविजन के बाद के समाज को आधार मानकर अध्ययन हो रहे है।

मीडिया और मानवाधिकार का अन्योन्याश्रित संबंध है। मीडिया में ही मानवाधिकार के हनन की बात सबसे पहले उठती है दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवस्था के मानदण्डों से या किसी निर्णय से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से मानवाधिकार प्रभावित होते है तो सर्वप्रथम मीडिया ही वह माध्यम होता है जिसके सहारे व्यक्ति या संस्थाएं अपना विरोध दर्ज करती है। अतः मीडिया और मानवाधिकार एक दूसरे के पूरक बन जाते है। कई बार यह भी सवाल उठांया जाता है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता मीडिया का अनुचित इस्तेमाल कर सरकार या शासन पर अनावश्यक दबाव बनाते है। इस बहाने की व्यवस्था या नियम से मानवाधिकार का हनन हो रहा है। ऐसी स्थिति में मीडिया को विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार मसलों को उठाया जाये जिससे एक ओर तो मानवाधिकार के हनन के मामलों में भी कमी आये, मीडिया और मानवाधिकार की आड़ लेकर किसी गलत बात के समर्थन में इस व्यापक तंत्र का दुरूपयोग रोका जाये।

भारत में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। जो संविधान की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। संविधान की धारा 19(1)। में वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार की स्वतंत्रता दी गयी है और धारा 19(1)ठ में उन परिस्थितिओं का वर्णन है, जिनमें वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति-युक्त निर्बंधन लगाये जा सकते है। कहने का तात्पर्य कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल मीडिया को ही प्राप्त नहीं, बल्कि यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। मीडिया के संदर्भ में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा और सबसे असरदार उपयोग मीडिया के द्वारा ही होता है।

मानवाधिकार मानवीय गरिमा और मूल्यों के अनुसार व्यक्ति विशेष को किसी भी व्यवस्था में सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मुहैय्या कराती है।

लेकिन सत्ताओं के अतिक्रमण से अनेक बार व्यक्ति और संस्थाओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसी दशा में यह निर्णय करना बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो जाता है कि किसी घटना विशेष में वास्तव में मानव के अधिकारों का हनन हुआ है कि नहीं। दूसरे शब्दों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि व्यक्ति की स्वयं की गोपनीयता से मर्यादित होती है तो मानवाधिकारों के बारे में भी यह निर्णय कठिन होता है कि अमुख परिस्थिति में मानव के अधिकारों का अधिक हनन हो रहा है या व्याप्क समाजहित में ऐसा करना आवश्यक है। इसीलिए मानवाधिकारों की व्याख्याओं पर प्रश्न उठते रहते है। यह सच है कि परिस्थितियों का निरपेक्ष विवेचन सम्भव नहीं है। लेकिन यदि यह विवेचन पश्चिम में बैठे आकाओं की मनमर्जी के मुताबिक होने लगता है तो इस सम्पूर्ण अवधारणा में ही कुछ खोट नजर आती है। जहाँ तक मानव को मानवीय गरिमा से जीवन जीने का मौका देने की व्यवस्था के रूप में मानवाधिकारों का प्रश्न् है यह सर्वथा उचित और अनुकरणीय है। लेकिन जब इनकी आड़ में किसी देश की सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात या अपने आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाता है, तो इस पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

मानवाधिकार वस्तुतः पश्चिम की अवधारणा है क्योंकि वसुधैव कुटुम्भकम को जीवन का प्रेरणा सिद्धांत मानने वाली भारतीय संस्कृति में सिर्फ मानव ही नहीं प्रकृति, पर्यावरण और पशुओं के अधिकार के व्यापक परिप्रेक्ष में चिंतन मनन किया गया है और समग्र रूप में देखें तो मानवाधिकार हमारे संस्कृति में सभी के अधिकारों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। दूसरा मानवाधिकार एक व्यक्ति वादी अवधारणा है। जिसमें एक व्यक्ति के अधिकारों को श्रेष्ठ माना गया है। जबकि भारतीय चिंतन कहता है कि एक परिवार के लिए यदि एक व्यक्ति को, एक समुदाय के लिए एक परिवार को, एक राज्य के लिए एक गांव को, एक राष्ट्र के लिए एक राज्य को और यदि समष्टि के लिए किसी राष्ट्र को छोड़ना भी पड़े तो व्यापक हित में ऐसा करना गलत नहीं है।

प्रस्तुत अध्ययन मीडिया और मानवाधिकार के इन्हीं नाजुक संबंधों की पड़ताल का ईमानदारी से किया गया प्रयास है। मीडिया और मानवाधिकार के व्यापक परिदृश्य में अध्ययन की गंभीरता को बढ़ाने के लिए और गहराई से अध्ययन करने के लिए केवल समाचार एवं समसामयिक विषयों के टेलीविजन चैनलों को ही शामिल किया गया है।

प्रथम अध्याय में मीडिया और मानवधिकारों की समसमायिक परिदृश्य में अंतसम्बंधों को स्पष्ट किया गया है और अध्ययन के उद्देश्य और सीमाओं को भी रेखांकित किया गया है। इस अध्ययन को करने के पीछे की परिस्थितियों का वर्णन भी प्रस्तावना शीर्षक से दिये गये इस अध्ययन में है।

दूसरा अध्याय मानवाधिकार के बारे में परिचयात्मक दृष्टि देता है, जिसमें पत्रकारों के उत्पीड़न सहित मानवाधिकार के अनेक आयामों को सम्मिलित किया गया है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को भी अध्याय का अंग बनाया गया है।

तीसरा अध्याय समसामयिक टेलीविजन परिदृश्य पर दृष्टि डालता है। जिसमें आज की स्थिति में विभिन्न चैनलों विशेषकर समाचार और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम प्रसारित करने वाले न्यूज चैनलों पर विशेष रूप से सामग्री दी गयी है।

चौथे अध्याय में इस शोध कार्य में अपनायी गयी शोध प्रविधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिसमें इकाईयों के चयन से लेकर अंतरवस्तु विश्लेषण और गुणात्मक अध्ययन के समस्त पहलुओं को शामिल किया गया है।

पांचवे अध्याय में अध्ययन के परिणामों को दिया गया है। छठवें अध्याय में सारांश, निष्कर्ष और सुझावों का संकलन है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन को सम्पादित करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये ताकि शोध कार्य निर्दिष्ट दिशा और अभीष्ठ लक्ष्य की ओर ले जाया जा सके।

- अध्ययन में सहभागी उत्तरदाताओं का सामान्य परिचय एवं अध्ययन (Profile)
- उत्तरदाताओं की मीडिया अभिरुचियों का अध्ययन (Media Habits)
- शासकीय सूचना और संचार तंत्र (डी.डी.न्यूज) के प्रभाव का अध्ययन।
- अशासकीय सूचना और संचार तंत्र (आज तक) के प्रभाव का अध्ययन।

* मानवाधिकार के प्रति चेतना जाग्रत करने में शासकीय एवं अशासकीय चैनलों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन।

साहित्य का पुनरावलोकन

मीडिया और मानवाधिकार आज के प्रमुख चर्चित विषयों में से एक है। मानवाधिकार के संबंध में समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान क्षेत्रों में अनेक कार्य सम्पादित किये जा रहे है। मीडिया और मानवाधिकार पर देश के शीर्षस्थ पत्र-पत्रिकाओं में ख्यातिलब्ध विद्धानों द्वारा अनेक अध्ययन और विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस अध्ययन में उन सभी सामग्रियों का यथा सम्भव संदर्भ लिया गया है या अध्ययन किया गया है, जो मीडिया या मानवाधिकार में से किसी एक अथवा दोनों से संबंधित हो।

अध्ययन की सीमाएं

प्रस्तुत अध्ययन व्यापक पैमाने पर मीडिया और मानवाधिकार (मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में मीडिया की भूमिका टेलीविजन समाचार चैनलों के विशेष संदर्भ में) के संबंध में किया गया एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अध्ययन कर कार्य कारण में संबंध स्थापित करना था। परंतु इस अध्ययन के लिए जितने बड़े पैमाने पर आर्थिक सुविधाओं, संगठनात्मक व्यवस्थाओं एवं संसाधन की आवश्यकता पड़ती है उसका एक व्यक्तिगत शोध के लिए संग्रहित करना दुरूह कार्य था। अत: प्रस्तुत अध्ययन की कुछ सीमाएं भी है जिनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है।

1. प्रस्तुत अध्ययन में अपनायी गयी विधियां संबंधित क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उपयोग की गयी है। अत: इसका इसी रूप में दूसरे स्थान पर लागू करना सफलता की गारण्टी।
2. तथ्यों का संग्रहण साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से होने के कारण व्याख्यात्मक त्रुटि से संभावना से परे नहीं हुआ जा सकता।
3. तथ्यों के संग्रहण हेतु उत्तरदाताओं का चयन दैव निदर्शन विधि के आधार पर होने के कारण समग्र के लिए अध्ययन के निष्कर्ष को पूर्ण रूप से मान्य केवल सांख्यकीय गणना के प्राप्त परिणामों के आधार पर नहीं किया जा सकेगा।

4. यद्यपि मनोवृत्ति परिवर्तन एक लम्बा समय लेने वाली प्रक्रिया किन्तु शोध अध्येता के पास उपलब्ध सीमित समय होने के कारण इस समय में ही होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया गया है।

5. प्रस्तुत अध्ययन में अनेक चरों का अध्ययन किया गया **किन्तु पैसा और साधन की सीमाओं के कारण इसके और अंतसम्बन्धियों की पड़ताल संभव नहीं थी**

विशेष-संसद के रूप में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र पर शांति, विकास, कल्याण तथा मानवीय गरिमा में अभिवृद्धि करने की महत्वपूर्ण जिमम्दारियाँ है। 24 अक्टूबर, 1945 को अस्तित्व में आए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया कि "हमें मूलभूत मानवीय अधिकारों, मानव की गरिमा तथा मूल्य, स्त्री-पुरुष तथा छोटे या बड़े राष्ट्रों सहित मानव जाति के कल्याण से संबंधित समस्त पक्षों पर विश्वास है तथा लिंग, भाषा, धर्म या नस्ल के भेदभाव बिना मानवाधिकारों के प्रचार एवं अभिवृद्धि के प्रयास करने है।"

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार - "मानवाधिकारों से तात्पर्य जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा जैसे अधिकारों से है।" वस्तुतः मानवाधिकार, वे मूलभूत मानवीय अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक समाज या काल में गरिमामयी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मानवाधिकारों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इन्ही अधिकारों में से लिए गए कुछ अधिकार जब संविधानों द्वारा संरक्षण प्राप्त हो जाते है तो वे मौलिक अधिकारों का रूप ग्रहण कर लेते है। कुछ अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में भी प्रवर्तित रहते है तो कतिपय देशों में इन्हें विधायिका द्वारा पारित पृथक् कानूनों के माध्यम से क्रियांन्वित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को स्वीकार की गई 'मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा' में मानवाधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है।

महासभा क्षरा दी गई मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषण (1948) के अतिरिक्त कतिपय अन्य प्रसंविदा, सहमति पत्र तथा सम्मेलनों में स्वीकृतिसर्वमान्य सिद्धांत भी मानवाधिकारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते है। सन् 1966 में स्वीकृत 'नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा' जो कि दस वर्ष पश्चात् 'मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट'ीय बिल' के रूप में महासभा द्वारा स्वीकृत हुई, भी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन् 1993 में मानवाधिकार आयोग के आयुक्त का पद पृजित किया गया। लगभग 200 कार्मिकों से युक्त यह आयोग, जिनेवा में स्थिति है तथा समस्त सदस्यों राष्ट्रों में मानवाधिकारों की स्थिति पर अनुसंसाधन, परामर्श एवं निर्देशक का कार्य करता है।

संयुक्त राष्ट्र की मान्यता रही है कि मानवाधिकारों को चर्चा करते समय इसके व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, युद्ध अपराधियों, श्रमिकों, शरणार्थियों तथा अन्य सम्बद्ध पक्षों से संबंधित कल्याणकारी प्रयासों एवं न्याय तंत्र को भी सम्मिलित किया जाय। मानवाधिकारों प्रसार तथा रक्षा के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में नस्लवाद भेद समाप्ति घोषणा (1963), रंगभेद समाप्ति (1973,1976), धर्म तथा विश्वास आधारित असहिष्णुता समाप्ति (1981), भाषायी, धर्म तथा नस्ल आधारित अल्पसंख्यकों की रक्षा हेतु घोषणा (1992), रोजगार तथा व्यवसाय में भेदभाव समाप्ति सम्मेलन (1958, 1960), गुलामी प्रथा समाप्ति समाधान हेतु सहमति (1951, 1954,1960,1967 तथा 1985), संघ बनाने की स्वतंत्रता (1950,1971,1978 तथा 1979) और क्रूरता, अमानवीय तथा प्रताड़ना से बचाव से सम्बंधित सहमति पत्र (1975, 1984, 1988, 1988,1989,1990 तथा 1992) प्रमुख है।

सामाजिक प्रगति तथा विकास संबंधी घोषणा (1969), मानसिक रूप से विमन्दित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा (1971), भूख तथा कुपोषण उन्मूलन की घोषण (1971), भूख तथा कुपोषण के उन्मूलन की घोषणा (1974), मानवता के विकास एवं शांति हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग की घोषणा (1975), विकलांगों के अधिकारों की घोषणा (1975), शांति के अधिकारों की घोषणा (1984), विकास के अधिकार की घोषणा (1986) तथा देशान्तरगमन करने वालों श्रमिकों एवं उनके परिवारों अधिकारों की रक्षा सम्बंधी अन्तरराष्ट्रीय सहमति (1990) भी उल्लेखनीय कदम है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए है।

आधी दुनियां अर्थात् महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के क्रम में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर सहमति पत्र (1952,1954), महिलाओं से भेदभाव करने के समस्त प्रकारों के उन्मूलन समबंधी घोषणा (1967), आपातकाल तथा सशस्त्र विद्रोह के समय महिलाओं एवं बच्चों की रक्षा सम्बंधी धोषणा (1974) तथा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति की घोषणा (1959) तथा बच्चों को गोद लेने तथा अनाथ बच्चों की रक्षा संबंधी घोषणा (1986) भी महत्वपूर्ण कदम कहे जा सकते है।

वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए विगत छः दशकों में निरंतर सार्थ प्रयत्न किये है। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक राज्यों में न केवल जनचेतना में अभिवृद्धि हुई है, बल्कि

मानवाधिकारों एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। व्यक्ति का व्यक्ति से शोषण के बचाव हेतु अन्तरराष्ट्रीय दबावों एवं कानूनों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर मानवाधिकारों के प्रति सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता एवं आस्था में वृद्धि हो तथा मानवता का प्रसार हो। बीसवी सदीके अंतिम दशक में भारत सहित अधिसंख्य विकासशील राष्ट्रों में गठित हुए मानवाधिकार आयोगों ने इस दिशा में निर्णायक प्रयास किए हैं। 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' के ध्येयवाक्य को लेकर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी संयुक्त राष्ट्र के उस स्वप्न को साकार करने में जुटा है जो सुखी सम्पन्न, गरिमामयी तथा शांतिपूर्ण विश्व समाज के लिए संजोया गया है।

पत्रकारों के मानवाधिकारों का हनन :

मानवाधिकार का आशय किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा से सम्बद्ध है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है और संयुक्त राष्ट्रसंघ की महान उपलब्धि है।

मानवाधिकार स्थैतिक नहीं है। ये गतिशील है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के विकास कार्यक्रम के तहत् हर वर्ष प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में नए आयामों की झलक मिलती है। वे सब तत्व जो मानव के विकास के मार्ग में बाधक है वहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन है, रोजगार भी उतना ही बड़ा मानवाधिकार है जितना जीने का अधिकार है। मंहगाई भी मानवाधिकार का हनन है, आबादी की विस्फोटक बाढ़ मानवाधिकार का हनन है, प्रदूषित पर्यावरण मानवाधिकार पर अतिक्रमण है।

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन अक्टूबर 1993 में हुआ। राष्ट्रीय तथा राज्य मानवाधिकार आयोगों को विशेष रूप से उन मानवाधिकारों की रक्षा का भार सौंपा गया है। जिनका पुलिस तथा सुरक्षा बलों द्वार अतिक्रमण किया जाता है, यह पर्याप्त नहीं है, वास्तव में मानवाधिकार आयोग को दण्ड तथा राहत देने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए।

मानवाधिकार आयोग के अब तक जितने अध्यक्ष रह चुके है उन सबने ज्यादा अधिकारों की मांग की है। मानवाधिकारों की मौजूदा परिभाषा में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े संवैधानिक अधिकारों में वे अधिकार भी जोड़े जाए जो उन अन्तर्राष्ट्रीय संधियों व परम्पराओं में

किए गये है जिनमें भारत का एक पक्षकार है। साथ ही सरकार को आयोग की सिफारिशें भी मानना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी संगठनों का एकतरफा पक्षपातपूर्ण नजरिया रहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित सभी संगठन केवल अपराधियों एवं आतंकवादियों के मानवाधिकारों की बात करते है। लेकिन आतंकवादियों के हाथों मारे गए निर्दोष लोगों के बारे में कुछ नहीं कहते। भारत में जम्मू-कश्मीर में मारे गए निर्दोष लोगों की बात एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं करता है। पाश्चात्य देशों में मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट इतनी ज्यादा एक तरफा और पूर्वाग्रहग्रस्त होती है कि उनकी नीति और उद्देश्यों पर शक होने लगता है।

जर्मनी यदि भारत के कालीन उद्योग में बच्चों के अधिकार का सवाल उठाता है तो इसके पीछे उसका व्यावसायिक हित छिपा दिखाई देता है। अमेरिका भी यदि चीन में किसी घटना के बहाने मानवाधिकार का प्रश्न उठाता है तो उसके पीछे मकसद वहां की सरकार और उसकी व्यवस्था को बदनाम करना होता है। वास्तव में मानवाधिकार का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के ब्रिटिश विभाग के एक पत्र में मुखपृष्ठ पर इस मानवाधिकार संघ ने काश्मीरी महिलाओं पर सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार बताने के नाम पर एक दक्षिण भारतीय स्त्री का चित्र दे दिया था। ऐसे कई उदाहरण है जिनमें इन संगठनों का पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है।

प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान, सूचना और बौद्धिक संतुष्टि पाने का मानवाधिकार है। इसके लिए मीडिया उसका उपयुक्त एवं स्वतंत्र साधन है। मीडिया लोकतंत्र की आत्मा है, राजनैतिक और सामाजिक संवाद का प्राण तत्व है। यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। जन-जन की आवाज है, लेकिन मीडिया यह तभी कर सकता है, जब उस पर सरकारी अंकुश न हो, उसकी आवाज दबाई न जाए। जैसे-जैसे सरकार राजनैतिक संगठन अपनी मर्यादाओं और नियमों के बाहर जाकर फायदा उठाने की कोशिष करेंगे, उतना ही मीडिया पर दबाव और हमले बढ़ते जाएंगे। लोकतंत्र के आधारों में से मीडिया एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ है। परन्तु विश्व में मीडिया के ऊपर हमले बढ़ते जा रहे है। मीडियाकर्मी की हत्याएं बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टटयूट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पत्रकारों का पूरे विश्व में सरकारी दमन हो रहा है। पत्रकारों पर हमले की घटनाएं विश्व के अधिकांश देशों में हो रही है। इनमें

कई विकासशील तथा पूर्वी यूरोप के देश शामिल है। मीडिया को दबाने की कोशिश पश्चिमी देशों में भी हो रही है। विश्व के विभिन्न देशों में पिछले वर्षों में कई पत्रकारों की हत्याएं हुई।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकांश देशों में से कुछ ही मीडिया की स्वतंत्रता का गम्भीरतापूर्वक सम्मान करते है। सत्तारूढ़ व्यक्तियों की आलोचना करने वाले पत्रकारों का दमन किया जाता है। युनेस्को के महानिदेशक ने कहा कि सच्चाई बताने वालों को अक्सर राजनैतिक, जातीय, धार्मिक, असहिष्णुता का कोपभाजन बनना पड़ता है। चीन, इराक, ईरान, म्यांमार, जाम्बिया, इण्डोनेशिया, मैक्सिको, सर्बिया, ट्यूनीशिया और यमन में हालात खराब है। खंडा तथा अलजीरिया में मीडिया के विरूद्ध हिंसा की घटनाएँ इस्लामी विद्रोहियों तथा सरकारी सैनिकों दोनों ही पक्ष से हुई है। इसके कारण कई पत्रकारों को देश छोड़कर भागना पड़ा है। रूस में भी पत्रकारों के लिए काम करना कठिन रहा है।

सम्पादकों को रासुका में बंद रखना खूब तानाशाही मानसिकता के सूचक है। कोयंबटूर में राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारो कों चाकू मारे। कश्मीर घाटी में पत्रकारों की दूर्दशा किसी से छिपी नही है। वहाँ पत्रकारों को सरकार तथा आतंकवादियों दोनों का शिकार होना पड़ता है। महाराष्ट्र से प्रकाशित समाचार पत्रों के कार्यालयों पर शिवसैनिकों ने कई बार हमले किए।

तमिलनाडू में पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमें लगाए गए। तहलका डाट काम के पत्रकारों पर भी मुकदमें दायर किए जा रहे है। नागालैण्ड में पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों पर हमला किया। मानवाधिकार आयोग ने इसे घोर आपत्तिजनक माना है। शिवानी हत्याकाण्ड में एक आई.पी.एस. अधिकारी पर मुकदमा चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमों भी पत्रकारों को पीट चुके है। फिल्मों में काम करने वाले कलाकार भी कई बार पत्रकारों पर हमला बोल देते है। राजनैतिक लोगों के अपराधियों से संबंध होते है और उनके माध्यम से पत्रकारों को डराया धमकाया जाता है।

उपर्युक्त सभी घटनाएँ यह परिलक्षित करती है कि मीडिया की स्वतंत्रता पर खतरा और दबाव बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं खबरपालिका चारों स्तम्भ महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संबंध में स्पष्ट प्रावधान है परन्तु मीडिया के संबंध में कोई

स्पष्ट प्रावधान नहीं है न तो उनके अधिकारों के बारे में और न ही उनकी सुरक्षा के संबंध मे। बल्कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम जैसे कानून आज भी विद्यमान है। इस अधिनियम के प्रावधानों से मीडियाकर्मियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सूचना के अधिकार बिल को संसद में रखा जा रहा है परन्तु शासकीय गोपनीय कानून को समाप्त करने या संशोधन करने के विषय में सरकार बिल्कुल भी नहीं सोच रही हैं। वर्तमान समय में शासकीय गुप्त बात अधिनियम अप्रासंगिक हो चुका है। इसी प्रकार मानहानि तथा न्यायालय की अवमानना कनूनों में भी संशोधन की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मीडिया से संबंधित लोगों पर हो रहे हमलों के संबंध में सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए। जो मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यदि उसी के मानवाधिकारों का हनन होगा तो वह इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे निभायेगा। इसलिए मीडिया पर बढ़ रहे दबाव एवं उनके मानवाधिकारों के हनन को रोकना होगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। मीडिया की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होगा तभी मीडिया अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा पायेगा। इस प्रकार मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

आधुनिक संचार माध्यम :

विकास मानव समाज की मौलिक विशेषता है। विकास ही जीवन्तता है। प्रकृति अपने विकास में रुकती नही, वह सदैव गतिशील है। विकास का अर्थ परिवर्तन है जो समाजहित के अनुरूप होता है। समाज के चौमुखी विकास के लिए संचार अनिवार्य है। जनसंचार के माध्यम से सूचना के आदान-प्रदान की क्षमता ने मानव के सामाजिक क्षेत्र को विस्तृत किया है। जैसे-जैसे संचार के क्षेत्र में उन्नति हुई वैसे-वैसे मानव के जीवन में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा। मौखिक संचार ने मनुष्य को सुसंस्कृत बनाया और उसकी संस्कृति और परम्परा को मजबूत किया। मुद्रण कला का अविष्कार संचार क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति थी। मुद्रण की क्रांति आगे चलकर विचारों की क्रांति सिद्ध हुई। आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा कम्प्यूटर ने मनुष्य की क्षमताओं को विस्तृत करके उसे आश्वस्त किया है।

आधुनिक यांत्रिक विकास ने मनुष्य के विकास को सकारात्मक रूप से सभी आयामों पर प्रभावित किया। संचार जगत भी उससे अछूता नही रह सका। संचार के यांत्रित विकास की यात्रा प्रिंटिंग प्रेस, फिल्म, रेडियो, टी.वी. से होती हुई उपग्रह तक पहुँच गई है। इसकी विकास यात्रा का अंत कहाँ होगा इस संदर्भ में कुछ भी कहना संभव नहीं है। बहरहाल आधुनिक संचार माध्यमों के अब तक विकसित स्वरूप पर दृष्टि डालना यहाँ अपेक्षित है।

टेलीविजन :

टेलीविजन जनसंचार का सर्वाधिक प्रभावशाली अपेक्षाकृत नया माध्यम है।ध्वनि के साथ चित्रों को प्रेषित करने के कारण इससे मानवीय संवेदना एवं व्यक्तित्वको सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए दर्शक पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इस दृश्य श्रव्य माध्यम की कोई भौगोलिक सीमा न होने के कारण इसे सार्वभौमिक माध्यम (ग्लोबल मीडिया) भी कहा जाता है। टेलीविजन के आविष्कार से संचार जगत में युगान्तरकारी परिवर्तन आया है। इस माध्यम के द्वारा सुदूर घटी किसी घटना का दर्शन हू-ब-हू होता है। प्रेस और रेडियों की कमियों और सीमाओं को दूरदर्शन ने लगभग खत्म कर दिया है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह दर्शकों को निष्क्रिय और अकर्मण्य बना देता है तथा उसके सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है, क्योंकि टेलीविजन देखते समय दर्शक को सोचने के लिए अवकाश ही नहीं मिलता। इसलिए इसे 'ईडिएट बाक्स' भी कहा जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार टेलीविजन बच्चों को समय से पूर्व प्रौढ़ अवस्था में पहुँचा देता है, वह दर्शक को यथार्थ स्थिति से जूझने से कतराता है और स्पप्नजीवी हो

जाता है। ऐसे सस्ते मनोरंजन के कार्यक्रमों के कारण गलत जीवन मूल्यों को और हिंसात्मक प्रवृत्ति को तेजी से बढ़ावा मिला है।

बावजूद इसके आधुनिक संचार क्रांति में टेलीविजन की भूमिका निर्णायक है यह माध्यम अपने भीतर परिवर्तन की तमाम संभावनाओं को समेटे हुए है। तमाम रूढ़ियों और अंधविश्वासों तथा गलत परम्पराओं पर प्रहार कर समाज में जागृति लाने का सार्थक प्रयास टेलीविजन के माध्यम से किया जा सकता है। बहुत हद तक ऐसा किया भी गया। टेलीविजन शब्द में दो भाषाओं का समन्वय है। इसमें 'टेली' शब्द ग्रीक भाषा का है 'विजन' का अर्थ है देखना अर्थात् टेलविजनका हिन्दी में अर्थ हुआ दूर से देखना अथवा दूरदर्शन। टेलीविजन का चमत्कार हतप्रभ करता है और आश्वस्त भी। हाथ में रिमोट कन्ट्रोल लिए हम अपने बंद करमें में बैठे-बैठे ही विश्व भर की गतिविधियों से रूबरू हो जाते है। यह उसकी सबसे बड़ी अलौकिक शक्ति है। आँखों देखा हाल अथवा सीधे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम संचार जग्रत में जीवन्तता और रोचकता ला देता है।

हालाँकि आधुनिक अर्थो में टेलीविजन का आविष्कार सन् 1922 में स्काटलैंड के जे.एल.बैयर्ड ने किया, किन्तु सन् 1884 में जर्मन वैज्ञानिक निपकोव ने वायरलेस द्वारा चित्र प्रेषित करने का उपक्रम किया था। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस में टेलीविजन बनाने की दिशा में कई प्रयोग हुए। 1915 के आसपास रूसी वैज्ञानिक ब्लादिमीर जोयार्किन (VLADIMIR ZWÓRYKIN) ने **'आइनोस्कोप'** का प्रदर्शन किया जो वस्तुतः टेलीविजन कैमरा ट्यूब का ही आदि रूप था। सैद्धांतिक रूप से टेलीविजन का प्रदर्शन सन् 1926 में जे0एल0 बैयर्ड ने किया था। सर्वप्रथम न्यूयार्क और वाशिंगटन के मध्यमप्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम तार द्वारा प्रेषित किया गया। टेलीविजन कार्यक्रम श्रृंखला की इसे पहली कड़ी माना जा सकता है। टेलीविजन का विश्व में सर्वप्रथम निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण सन् 1936 में ब्रिटेन में बी.बी.सी. ने प्रारम्भ किया। फ्रांस में सन् 1938 में, न्यूयार्क में सन् 1939 तथा अमेरिका में सन् 1941 में टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारम्भ हो गया।

भारत में टेलीविजन का प्रारम्भ 15 सितम्बर, 1959 में प्रयोग के आधार पर यूनेस्को द्वारा चलायी गयी एक विशेष परियोजना के अधीन किया गया। उस समय इसका प्रसारण केवल दिल्ली के आसपास चौबीस कि.मी. तक सीमित था। पहले टेलीविजन का उपयोग आधे घण्टे तक सामाजिक शिक्षा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रसारित करना था। बाद में इसका समय बढ़ा कर एक घण्टा कर दिया गया। प्रारम्भ में दूरदर्शन सप्ताह में सिर्फ एक बार कार्यक्रम प्रस्तुत करता था, आगे इसे बढ़ाकर **दो** तीन बार कर दिया गया। प्रारम्भ में टेलीविजन को सार्वजनिक स्थानों पर लगाकर लोगों को दिखाया जाता था।

भारत में दूरदर्शन की नियमित विकास यात्रा सन् 1964 से प्रारम्भ

होती है। 15 अगस्त, 1965 से भारत में दूरदर्शन पर नियमित रूप से एक घण्टे का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। डा. विक्रम साराभाई के प्रयास से सन् 1967 में अहमदाबाद में स्पेस एप्लिकेशन सेन्टर (एस.ए.सी.) की स्थापना हुई। भारत की ग्रामोन्मुखी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खेड़ा (गुजरात) का व्यावहारिक कार्यक्रम प्रसारण केन्द्र 'साइट' अब सेटेलाइट स्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेण्ट के नाम से अपनी सार्थकता के कारण विश्व विख्यात हो गया। साइट की सहातया में आई.आई.टी. कानपुर, विज्ञान शिक्षा का होमी भाभा केन्द्र द्वारा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च और विक्रम साराभाई कम्यूनिटी साइन्स सेन्टर की आल इंडिया रेडियो से मुक्त कर दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध भारतीय दूरदर्शन के निम्नलिखत लक्ष्य है :

1. गरीब और निर्बल वर्गो हेतु सामाजिक कल्याण के उपायों पर बल देना।
2. राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना।
3. सामाजिक परिवर्तन में प्रेरक भूमिका अदा करना।
4. जनसामान्य में वैज्ञानिक चेतनाओं का विकास करना।
5. परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण करने के संदेश को प्रसारित करना।
6. भारत की कला और सांस्कृतिक गरिमा के प्रति जागरुकता पैदा करना।
7. खेल-कूद को लोकप्रिय बनाना।
8. पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जनसामान्य में जागरुकता लाना।
9. कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित कर हरित क्रांति और पशुपालन को बढ़ावा देकर श्वेत क्रांति के लिए जनता को प्रेरित करना।
10. लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना।

दूरदर्शन की शक्ति इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि इसने अल्पकाल में ही अपनी पहुँच देश के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र तक कर ली है। 15 सितम्बर 1959 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भारत के प्रथम प्रायोगिक टी.वी. केन्द्र का उद्घाटन किया। दूसरा प्रसारण केन्द्र बम्बई में प्रारम्भ हुआ। इसी वर्ष पूना से भी प्रसारण प्रारम्भ हुआ। सन् 1973 में अमृतसर और श्रीनगर में, सन् 1975 में कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ में टेलीविजन केन्द्र खुले। सन् 1976 में टेलीविजन प्रसारण क्षमता के अंतर्गत 115 मिलियन जनसंख्या तथा 75 सौ वर्ग कि.मी. भौगोलिक क्षेत्र था, इसके अन्तर्गत 19,000 गाँवों की लगभग 20 मिलियन जनसंख्या थी, उस समय 5,00,000 (5 लाख) टी.वी. सेट थे, जिनमें से 1300 सामुदायिक केन्द्र में लगे हुए थे। (ये सभी आंकड़े सन् 1977 में यूनेस्को से प्रकाशित एम.बी. देसाई की पुस्तक

कम्युनिकेशन पालिसी' पर आधारित है।) सन् 1882 में तत्कालीन सूचना एंव प्रसारण मंत्री बसंत साठे के कार्यकाल में दूरदर्शन का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। 5 अगस्त, 1982 को भारतीय दूरदर्शन की विकासयात्रा में तीन प्रमुख आयाम सम्मिलित हुए – पहला रंगीन टेलीविजन, इन्सेट और राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम। उल्लेखनीय है 15 अगस्त, 1982 को ही 41 टांसमीटरों से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के लाल किले से दिये गये भाषण को अखिल भारतीयँ स्तरपर प्रसारित किया गया था। इसके बाद सन् 1984 भारतीय दूरदर्शन की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। सितम्बर, अक्टूबर, 1984 के बाद इसका विस्तार इतनी तीव्र गति से संचालित हुआ कि प्रत्येक दिन एक नया ट्रांसमीटर स्थापित होने लगा। यह विश्व टेलीविजन जगत में एक नया कीर्तिमान है।

सन् 1964 में गठित तथा सन् 1965 में अपनी संस्तुति सौपनें वाली अशोक चंद्रा जांच समिति ने दूरदर्शन के विस्तार की सिफारिश की। सिफारिश के अनुसार भारत जैसे विकासशील देश में टेलीविजन का उपयोग महत्वपूर्ण है। इसलिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक टी.वी. का व्यापक विस्तार हो जाना चाहिए। समिति ने टी.वी. संचार के लिए उपग्रह के प्रयोग पर भी बल दिया। फलस्वरूप सितम्बर 1969 में भारत और अमेरिका के बीच उपग्रह के परीक्षण की दिशा में प्रयोग का अनुबंध हुआ। नासा (नेशनल ऐरॉनाटिक्स एण्ड स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन) तथा इसरों (अंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन) ने इस दिशा में सन् 1973 में सराहनीय प्रगति की। सन् 1975 में उपग्रह संचार में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग इनटेलसेट के माध्यम से व्यवहार में लाया गया जिसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्र को संचार उपग्रह की सुविधा प्रदान करता था।

भारत में 'आर्यभट्ट' नामक उपग्रह 19 अप्रैल, 1975 को अन्तरिक्ष में भेजा गया। 7 जून, 1978 को दूसरा भारतीय उपग्रह 'भास्कर' को अन्तरक्षि में भेजा गया। इनसेट-1 बहुउद्देशीय उपग्रह को सन् 1981 में अन्तरक्षि में भेजा गया। परन्तु इसने कुछ समय बाद ही काम करना बंद कर दिया। 1981 में भूतल सामयिक प्रयोगात्मक संचार उपग्रह 'एप्पल' को अन्तरक्षि में भेजा। इसने 15 अगस्त, 1981 को सफलतापूर्वक दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्रसारित किया। बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट-1 ए को दस अप्रैल से अन्तरिक्ष में भेजा गया जिससे मौसम तथा अन्य सूचनाएँ प्राप्त होने लगी। परन्तु कुछ दिनों बाद ही यह असफल हो गया। 30 अगस्त, 1983 को अमेरिका के सैटेलाइट लांचर द्वारा इनसेट-1 बी को अन्तरिक्ष में भेजा गया। यह अक्टूबर, 1983 से कार्यरत है इससे दूरदर्शन का समूचे राष्ट्र में सीधा प्रसारण संभव हो सका।

भारत की अधिकांश जनता गाँव में ही निवास करती है। अपेक्षाकृत यह अधिक अशिक्षित और पिछड़ी हुई है। इसलिए उन्हें शिक्षित करना तथा उन्हें विज्ञान तथा किसानी की नई-नई तकनीकों से अवगत कराना टेलीविजन

का उद्देय भी है और जिम्मेदारी भी। इन्सेट-1 बी की सहायता से भारत के सभी दूरदर्शन केन्द्रों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है जिससे एक ही समय पर समूचे देश में किसी भी कार्यक्रम को एक साथ देख सकते हैं। यह टेलीविजन संचार माध्यम की उपलब्धियाँ है।

वर्तमान समाज में दूरदर्शन ने इस कदर घूसपैठ कर ली है कि उसके अभाव में जिंदगी नीरस लगने लगती है। जनसम्पर्क अभियान के लिए यह सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। सरकारी नियंत्रण होने के कारण दूरदर्शन की विश्वसनीयता पर प्राय: प्रश्नचिह्न लगता रहा है जो अशुभ लक्षण है। सरकारी नीतियाँ प्रसारण कार्यक्रम का एक हिस्सा तो हो सकती है, किन्तु अगर वह माध्यम को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगी तो निस्संदेह माध्यम की छवि बिगड़ेगी और संचार प्रक्रिया बाधित होगी।

चाहे जनता को खबरों से सूचित करना हो, शिक्षित करना हो, अथवा उसका मनोरंजन करना हो, सभी दृष्टियों से दूरदर्शन की उपयोगिता सर्वाधिक है। इधर दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ने का प्रमुख कारण रहा है मनोरंजन के कार्यक्रमों में विविधता। दूरदर्शन पर प्रतिदिन अनेक राष्ट्रीय और मैट्रो मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है जिनमें फीचर फिल्म, धारावाहिक, नाटक, नृत्य, संगीत तथा फिल्मी गानों पर आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम शामिल है। इसके साथ ही दूरदर्शन के दर्शकों का एक बहुत बड़ा अंग ऐसा भी है जो समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रमों, वृत्तचित्रों, समाचारों इत्यादि को देखने के लिए उसके समय का बेसब्री से प्रतीक्षा करता रहता है।

दूरदर्शन ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और आदर्शो पर आधारित ऐतिहासिक धारावाहिक रामायण, महाभारत, श्रीकृष्ण और जय हनुमान को प्रसारित करके सदियों पुराने इतिहास को जीवंत रूप से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अनेक सामाजिक धारावहिक जैसे 'विरासत', 'तमस', 'घुटन', 'दर्द', 'नीमा का पेड़' इत्यादि वर्तमान समाज की त्रासद स्थितियों को उजागर करने में सफल रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों में व्यक्ति अपने आपको, अपने समाज को अथवा राजनीतिक चरित्र को देख और महसूस कर सकता है। इस प्रकार दूरदश्रन व्यक्ति को सूचित करने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। जरूरत है कि दूरदर्शन निरपेक्ष होकर कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करे, मनोंरजन कार्यक्रमों की स्वास्थ्य प्रदता एवं उसकी उपयोगिता के प्रति सतर्क रहे और सामाजिक परिवर्तन के प्रति अपनी 'प्रतिबद्धता' एक उत्तरदायित्व को गंभीरता से समझे।

डीडी. न्यूज चैनल

1991 से हुई केबल क्रांति के रूप में दर्शकों को दूरदर्शन के अलावा भी अनेक विकल्प उपलब्ध करा दिये। उपग्रह टेलीविजन से विशेषीकृत चैनलों

का प्रयोग और प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता को देखते हुए दूरदर्शन ने भी अपने स्वरूप में परिवर्तन किया है। डीडी. न्यूज दूरदर्शन का समाचार समसामयिक विषयों का चैनल है, जिसमें समाचार, विश्लेषण, परिचर्चा, साक्षात्कार इत्यादि कार्यक्रमों से समसामयिक मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है। यह मुख्य रूप से सूचना और शिक्षा को समर्पित चैनल है जिसमें मनोरंजन का अंश सीमित होता है।

आज तक

लिविंग मीडिया इण्डिया लिमिटेड भारतीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण नाम है। कुछ वर्षो पूर्व सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने दूरदर्शन के मैट्रो चैनल पर आज तक नाम का एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। इसकी लोकप्रियता को देखकर कुछ वर्षो बाद टी.वी. टुडे नेटवर्क ने आज तक नाम का सूचना और सामयिक विषयों का नया न्यूज चैनल प्रारम्भ किया, जो बहुत लोकप्रिय है। आज तक मूलतः हिन्दी का न्यूज चैनल है और अंग्रेजी में हेडलाइंस टुडे नाम का चैनल टी.वी. टुडे द्वारा लांच किया गया है। विशेष, सीधी बात, दुनियां, खेल आज तक, सिनेमा आज तक और सबसे फिट आज तक चैनल के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रम है। प्रभु चावला इण्डिया टुडे ग्रुप के प्रधान संपादक है तो अरुण पुरी इसके मालिक है। आज तक चैनल ने सूचना और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों में नई प्रवृत्तियों को प्रारम्भ किया है और यह आज तक की लोकप्रियता का ही परिणाम है कि सूचना और समसामयिक विषयों के चैनलों में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन मीडिया और मानवाधिकार (मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में मीडिया की भूमिका टेलीविजन समाचार चैनलों के विशेष संदर्भ में) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में सम्पन्न किया गया है। इस अध्याय में अपनाई गयी शोध प्रविधि का विवरण दिया गया है। अध्याय तीन खण्डों में वर्गीकृत है। प्रथम खण्ड में शोध अभिकल्प की जानकारी दी गयी है। द्वितीय खण्ड में प्रक्षेत्र तकनीक एवं अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग का विवरण है। तृतीय खण्ड में चर एवं उनके मापन की विधि को स्पष्ट किया गया है।

खण्ड-I शोध अभिकल्प (Research Design)

शोध प्रविधि का यह प्रथम खण्ड छः उपखण्डों में वर्गीकृत है :

1. माध्यम का चयन (Selection of Medium)
2. चैनल का चयन (Selection of Channel)
3. कार्यक्रमों का चयन (Selection of Programmes)
4. उत्तरदाताओं का चयन (Selection of Respondents)
5. प्रारम्भिक अध्ययन (Pilot Study)
6. पूर्व परीक्षण (Pre-Testing)

माध्यम का चयन (Selection of Medium) :

जनसंचार के प्रमुख तीन माध्यम माने गये है। मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रानिक माध्यम, परम्परागत माध्यम। आधुनिक अध्ययनों में यह वर्गीकरण कुछ बदले हुए रूप में है। आज माध्यमों को ओल्ड और न्यू मीडिया की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मानवाधिकार की चेतना जगाने का कार्य अशिक्षित या कम शिक्षित लोगों में किया जाना अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए अध्ययन में माध्यम का चयन करते समय मुद्रित माध्यमों को साक्षरता का बंधन होने से और परम्परागत माध्यमों की क्षीण होती लोकप्रियता के कारण अध्ययन में शामिल न कर इलेक्ट्रानिक माध्यमों को लिया गया है। इलेक्ट्रानिक माध्यमों में भी विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर टेलीविजन के समाचार एवं समसामयिक विषयों के चैनलों को लिया गया है।

चैनल का चयन (Selection of Channel) :

अध्ययन में सूचना एवं समसामयिक विषयों के चैनलों में दो सबसे लोकप्रिय टेलीविजन चैनलों को शामिल किया गया है। ये चैनल है- डी.डी. न्यूज और आज तक।

कार्यक्रमों का चयन (Selection of Programmes)

अध्ययन में सूचना एवं समसामयिक विषयों के चैनलों में दो सबसे लोकप्रिय टेलीविजन चैनलों को शामिल किया गया और इनके विविध कार्यक्रमों

में से प्राइम टाइम कार्यक्रमों मानवाधिकार सम्बंधी कवरेज का अध्ययन किया गया। प्राइम टाइम में रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक के बीच में प्रसारित कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन (Selection of Respondents) :

उत्तरदाताओं का चयन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम जिले के कर्वी तहसील के वयस्क स्त्री/पुरुषों का चयन दैव निदर्शन पद्धति (Random Sampling Method) से किया गया।

प्रारम्भिक अध्ययन (Pilot Study) :

मानवाधिकारों के प्रति चेतना जाग्रत करने में जनमाध्यमों का कोई योगदान है कि नहीं इस बात का अध्ययन करने के लिए चित्रकूट जिले के कर्वी क्षेत्र में अध्ययन कर जानकारी प्राप्त की गयी जिसमें 85 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं का मानना था कि समाचार चैनल मानवाधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है।

पूर्व परीक्षण (Pre-Testing) :

अध्ययन क्षेत्र में वास्तविक समंक संकलन का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व साक्षात्कार अनुसूची का पूर्व परीक्षण कर आवश्यक संशोधन और परिमार्जन किया गया ताकि उत्तरदाताओं के लिए साक्षात्कार अनुसूची स्पष्ट, सही, उपयुक्त और बोधगम्य हो सके। यह कार्य साक्षात्कार अनुसूची को त्रुटिरहित कर अधिक प्रभावी ढंग से जानकारियों के संकलन में उपयोगी बनाने के उद्देश्य से किया गया।

खण्ड-प्प शोध प्रक्षेत्र तकनीक एवं सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग (Field Techniques and Statistical Methods Used)

शोध प्रविधि का यह द्वितीय खण्ड आठ उपखण्डों में वर्गीकृत है :

1. अध्ययन के उपकरण (Tools of Study)
2. अध्ययन अवधि (Period of Enquiry)
3. समंक संकलन की पद्धति (Method of Data Collection)
4. अध्ययन पद्धति (Method of Study)
5. सैद्धान्तिक रूपरेखा (Theoritical Framework of Study)
6. समंकों का विश्लेषण (Analysis of Data)
7. वर्गीकरण एवं सारणियन (Classification and Tabulation)
8. सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग (Use of Statistical Method)

अध्ययन के उपकरण (Tools of Study)

अध्ययन के विविध पहलुओं से संबंधित जानकारियों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया।

अध्ययन अवधि (Period of Enquiry)

प्रस्तुत अध्ययन 1 सितम्बर, 2004 से 1 नवम्बर, 2004 तक सम्पन्न किया गया।

समंक संकलन की पद्धति (Method of Data Collection)

अध्ययन को गहन एवं वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि से अनुसंधान की साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि (Interview Schedule Technique) का सहारा लिया गया। साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि के अन्तर्गत शोध अध्येता ने उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क किया और प्रश्न पूछकर अध्ययन विषय से संबंधित सूचनायें संकलित कीं। साक्षात्कार अनुसूची की रचना इस प्रकार से की गयी जिससे कि अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के समय अपेक्षित तथ्यों के संकलन के साथ-साथ गाँव के सामाजिक जीवन, भौगोलिक संरचना, आर्थिक संरचना, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप एवं संचार माध्यमों की पहुँच और प्रभाव आदि से संबंधित तथ्यों की जानकारी भी प्राप्त की गई।

क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययनकर्ता ने साक्षात्कार अनुसूची में संक्षिप्त, सरल व बोधगम्य प्रश्नों को ही सम्मिलित किया। अनुसूची में सन्देहपूर्ण, अस्पष्ट, विशिष्ट एवं बहुअर्थक प्रश्नों का प्रयोग नहीं किया।

अध्ययन की सैद्धान्तिक रूपरेखा (Theoritical Framework of Study)

प्रस्तुत अध्ययन एक सर्वेक्षण शोध (Survey Research) है, जिसमें साक्षात्कार अनुसूचि के माध्यम से उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गयी है कि मानवाधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने में समाचार और समसामयिक विषयों के टेलीविजन चैनलों के कार्यक्रमों का कितना योगदान रहता है।

अध्ययन की सैद्धान्तिक रूपरेखा (Theoritical Framework of Study)

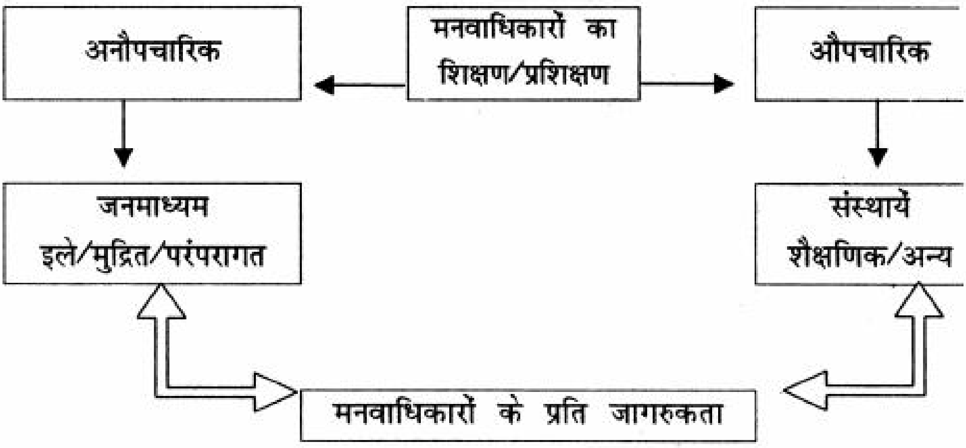

समंकों का विश्लेषण (Analysis of Data)

प्रस्तुत शोध अध्ययन मं दो प्रकार से समंको का संकलन किया गया है।

- प्राथमिक तथ्य।
- द्वितीयक तथ्य।

प्रस्तुत अध्ययन चूंकि सर्वेक्षण रिसर्च है इसलिए इसमें ज्यादातर तथ्य प्राथमिक ही है। सैद्धान्तिक अध्यायों के लिए ही द्वितीयक स्रोत से जानकारी लेकर उदधृत की गयी है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन में साक्षात्कार अनुसूची तथा द्वितीयक तथ्यों के संकलन में पुस्तकों, जर्नल और रिपोर्टो का स्रोत लिया गया है। इन्टरनेट से भी बहुत सी जानकारियां लेकर अध्ययन के तथ्यों को अद्यतन किया गया है। उत्तरदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के पूर्व साक्षात्कार अनुसूची का सीमित क्षेत्र में प्रयोग कर उत्तर की वैद्धता और पारस्परिक सम्बद्धता की जांच कर ली गयी है। उसके उपरान्त ही साक्षात्कार अनुसूची को अनुसंधान में शामिल उत्तरदाताओं से अभिमत प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया गया है।

वर्गीकरण एवं सारणीयन (Classification and Tabulation)

अध्ययन के उद्देश्य के अनुरूप संकलित समंकों का वर्गीकरण एवं सारणीयन कर सांख्यिकीय विधियों के उपयोग से उत्तरदाताओं के अभिमतों का परीक्षण और विश्लेषण किया गया।

सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग (Use of Statistical Methods)

प्रस्तुत अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है और परिणाभ प्राप्त किये गये है

खण्ड-III चर एवं उनका मापन

(Variables and their Measurement)

प्रस्तुत अध्याय, इस अध्ययन में शामिल विविध चरों एवं उनके मापन के बारे में है। शोध प्रविधि का यह तृतीय खण्ड पाँच उपखण्डों में वर्गीकृत है :

- अध्ययन में सहभागी उत्तरदाताओं का सामान्य परिचय (Profile)
- उत्तरदाताओं की मीडिया अभिरुचियों का अध्ययन (Media Habits)
- शासकीय सूचना और संचार तंत्र (डी.डी.न्यूज) के प्रभाव का अध्ययन।
- अशासकीय सूचना और संचार तंत्र (आज तक) के प्रभाव का अध्ययन।
- मानवाधिकार के प्रति चेतना जाग्रत करने में शासकीय एवं अशासकीय चैनलों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन।

1. उत्तरदाताओं का सामान्य परिचय

अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं के अभिमतों के आधार पर सामान्य जानकारी का अध्ययन निम्नलिखित चरों के आधार पर किया गया है :

1.1 **सामान्य विवरण :** प्रस्तुत अध्ययन चित्रकूट जिले के कर्वी तहसील के 200 उत्तरदाताओं के अभिमतों को लिया गया है। अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से निष्कर्ष प्राप्त किये है।

1.2 **आयु :** उत्तरदाताओं की आयु किसी भी अध्ययन में महत्वपूर्ण होती है। इस अध्ययन में उत्तरदाताओं को दो आयु समूहों - 18 से 30 वर्ष और 30 से 45 वर्ष में वर्गीकृत किया गया है।

1.3 **स्त्री-पुरुष अनुपात :** अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं में स्त्री/पुरुष अनुपात का अध्ययन किया गया है। ताकि अध्ययन एकांगी न हो जाये।

1.4 **साक्षरता :** साक्षरता अनेक समस्याओं को दूर करने का माध्यम बन सकती है। यह अध्ययन ग्रामीण क्षेत्र में सम्पादित किया गया था। अतः साक्षरता के आधार पर उत्तरदाताओं को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया - साक्षर, अल्प साक्षर और निरक्षर।

1.5 **परिवार की प्रकृति :** परिवार की प्रकृति के आधार पर उत्तरदाताओं से अभिमत लिया गया। परिवार को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया संयुक्त परिवार और एकल परिवार।

1.6 **आय का स्तर :** उत्तरदाताओं के आय के स्तर की जानकारी प्राप्त की गयी। यह जानकारी तीन वर्गो में प्राप्त की गयी। जिसमें उत्तरदाताओं के लिए 5-10 हजार रु., 10-15 हजार रु., तथा 15 हजार रु. से अधिक आय के स्तर रखे गये।

1.7 **व्यवसाय :** उत्तरदाताओं से उनके अभिमतों के आधार पर किये जा रहे व्यवसाय की जानकारी प्राप्त की गयी।

1.8 **जाति :** ग्रामीण जीवन में जाति एक महत्वपूर्ण घटक होती है। इस आधार पर उत्तरदाताओं की जाति की जानकारी प्राप्त की गयी।

2. उत्तरदाताओं की मीडिया अभिरुचियों का अध्ययन

2.1 **चैनलों की अभिरुचि :** अध्ययन में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि उपलब्ध माध्यमों में कौन सा माध्यम उन्हें सबसे अधिक पसन्द है।

2.2 **चैनलों को दिया जाना वाला समय :** उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की गयी कि वे एक दिन में प्राय: कितना समय जनमाध्यमों के लिए देते है।

2.3 **उद्देश्यों के आधार पर चैनलों का प्रयोग :** जनमाध्यमों का प्रमुख उद्देश्य लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्यों के आधार पर उत्तरदाताओं से अभिमत प्राप्त किये गये कि वे जनमाध्यमों का उपयोग सबसे अधिक किस उद्देश्य के लिए करते है।

2.4 **चैनल विशेष की प्रभावशीलता :** उत्तरदाताओं से पूछा गया कि उनके आस-पास की परिस्थितियों के आधार पर उस क्षेत्र में कौन सा माध्यम अधिक प्रभावी हो सकता है।

3. शासकीय सूचना एवं संचार तंत्र के प्रभाव का अध्ययन

भारत में विकास संबंधी जानकारियों के सूचना ओर संप्रेषण हेतु केन्द्र और राज्य स्तर पर एक व्यापक सूचना और संचार तंत्र कार्यरत है। शासकीय सूचना और संचार तंत्र की जनता तक पहुँच के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी। अध्ययन में शासकीय सूचना और संचार तंत्र के प्रतिनिधि के रूप में डी.डी. न्यूज चैनल को लिया गया है।

3.1 **शासकीय सूचना एवं संचार तंत्र की पहुँच :** अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं के अभिमतों के आधार पर केन्द्रीय शासन के सूचना और संचार-तंत्र (डी.डी.न्यूज) की पहुँच कहाँ तक है इस बात का अध्ययन किया गया।

3.2 **शासकीय सूचना और संचार तंत्र का प्रभाव :** केन्द्रीय स्तर हो या राज्य स्तर पर शासकीय सूचना और संचार तंत्र का एक बड़ा नेटवर्क देश के कोने-कोने में पहुँचता है, परन्तु शासकीय माध्यम (डी.डी.न्यूज) प्रभाव की दृष्टि से कितने महत्वूपर्ण है इस बात का अध्ययन करने के लिए शासकीय सूचना एवं संप्रेषण के प्रभाव (डी.डी.न्यूज) के बारे में उत्तरदाताओं से अभिमत प्राप्त किया गया। उनसे पूछा गया कि आप शासकीय माध्यमों के प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ मानते है, औसत मानते है, न्यून मानते है या अप्रभावी मानते हैं।

3.3 **मनोवृत्ति परिवर्तन में शासकीय तंत्र की भूमिका :** उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी कि जागरुकता या ज्ञान के स्तर के सृजन में शासकीय माध्यमों (डी.डी.न्यूज) की क्या भूमिका है? उत्तरदाताओं के अभिमतों के आधार पर मनोवृत्ति परिवर्तन में जनमाध्यमों की भूमिका को प्रदर्शित किया गया है।

4. अशासकीय सूचना और संचार तंत्र के प्रभाव का अध्ययन

प्रस्तुत अध्ययन में शोध अध्येता द्वारा अशासकीय माध्यमों के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया। अशासकीय माध्यम के प्रतिनिधि के रूप में लिविंग मीडिया इण्डिया लिमिटेड के टी.वी. टुडे नेटवर्क टेलीविजन चैनल आज तक को लिया गया। आज तक टेलीविजन चैनल के प्रभाव का अध्ययन उत्तरदाताओं के अभिमतों के आधार पर किया गया।

4.1 **अशासकीय संप्रेषण माध्यमों की पहुँच :** अशासकीय माध्यम की पहुँच और प्रभाव के अध्ययन के लिए चुने गये चैनल आज तक की पहुँच का अध्ययन उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमतों के आधार पर किया गया।

4.2 **अशासकीय संप्रेषण माध्यमों का प्रभाव :** उत्तरदाताओं के अभिमतों के आधार पर शोध अध्येता द्वारा आज तक चैनल के प्रभाव का मापन किया गया।

4.3 **मनोवृत्ति परिवर्तन में अशासकीय तंत्र की भूमिका :** उत्तरदाताओं के अभिमतों से यह जानने का प्रयत्न किया गया कि आज तक टेलीविजन चैनल की मनोवृत्ति परिवर्तन में क्या भूमिका है।

5. मानवाधिकार के जागरुकता सृजन में समाचार चैनलों की तुलनात्मक भूमिका का अध्ययन

शोध अध्येता द्वारा अध्ययन में शामिल किये गये शासकीय (डी.डी. न्यूज) और अशासकीय (आज तक) चैनलों की मानवाधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने में भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। उत्तरादाताओं के अभिमतों के आधार पर इस बात का अध्ययन किया गया कि मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने में शासकीय और अशासकीय माध्यमों/चैनलों की क्या भूमिका है।

इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं से अभिमत निम्नांकित आधारों पर प्राप्त किये गये –

5.1 मानवाधिकारों पर सामग्री :

मानवाधिकार पर जितनी अधिक सामग्री कोई चैनल प्रसारित करेगा उसके दर्शकों में जागरुकता का प्रतिशत बढ़ना तय है। उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि किस चैनल में आपको मानवाधिकार संबंधी सामग्री ज्यादा मिलती है।

5.2 मानवाधिकार संबंधी मामलों को प्रमुखता :

मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को प्रमुखता भी दी जा सकती है और गौण भी रखा जा सकता है। अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गयी, कि किस चैनल में मानवाधिकार संबंधी मुद्दें अधिक प्रमुखता पाते है।

5.3 मानवाधिकारों से संबंधित विज्ञापन :

मानवाधिकारों से संबंधित कार्यक्रम ही नहीं इससे संबंधित विज्ञापन भी दर्शकों में जागरुकता का सृजन करते है। अतः विज्ञापन के आधार पर भी दोनों चैनलों के बारे में उत्तरदाताओं का अभिमत प्राप्त किया गया।

5.4 मानवाधिकार संबंधी जानकारी का स्रोत :

मानवाधिकार संबंधी जानकारी के स्रोत के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त कर यह जानने का प्रयत्न किया गया कि कितने उत्तरदाताओं को डी.डी. न्यूज और कितनों को आज तक चैनल से मानवाधिकार के बारे में जानकारी हासिल हुई है।

5.5 मानवाधिकार संबंधी खबरों का प्रस्तुतिकरण :

मानवाधिकार संबंधी खबरों का रुचिकर प्रस्तुतिकरण जागरुकता में निश्चित वृद्धि करता है। अतः इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गयी।

5.6 मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को महत्व :

मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को जो चैनल जितनी प्रमुखता से स्थान देगा उसके दर्शकों में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता का सृजन के स्तर की जानकारी के लिए उत्तरदाताओं के अभिमत प्राप्त किये गये।

5.7 मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की रिपोर्टिंग में निष्पक्षता :

मानवाधिकार के मुद्दे अक्सर उलझे हुए रहते है पूरी स्पष्टता और निष्पक्षता से यदि इन मुद्दों का ट्रीटमेंट न किया जाये तो दर्शकों पर विपरीत असर भी पड़ सकता है। अतः निष्पक्षता के बारे में उत्तरदाताओं का अभिमत प्राप्त किया गया।

5.8 मानवाधिकारों पर विशेषज्ञों का मत :

मानवाधिकारों पर चैनलों में विशेषाज्ञों के मत को कितना महत्व और स्थान मिलता है इस बारे में उत्तरदाताओं से अभिमत प्राप्त किया गया।

5.9 मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को अधिक समय ?:

मानवाधिकार संबंधी खबरों को चैनल कितना समय देते है। इस बारे में अभिमत प्राप्त किया गया।

5.10 मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में भूमिका :

मानवाधिकार के सृजन में चैनलों की संपूर्ण भूमिका के बारे में प्रश्न कर उत्तरदाताओं का अभिमत ज्ञात किया गया।

शोध परिणाम एवं विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन मीडिया और मानवाधिकार (मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में मीडिया की भूमिका टेलीविजन समाचार चैनलों के विशेष संदर्भ में) यह शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में सम्पन्न किया गया। अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त जानकारियों को वर्गीकृत एवं सारणीबद्ध कर सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग से अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम ज्ञात किये गये। शोध के लिए जो विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किये गये थे उन्हीं के आधार प्राप्त परिणामों का विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया गया है :

खण्ड-1

- अध्ययन में सहभागी उत्तरदाताओं का सामान्य परिचय (Profile)

खण्ड-2

- उत्तरदाताओं की मीडिया अभिरुचियों का अध्ययन (Media Habit)
- शासकीय सूचना और संचार तंत्र (डी.डी.न्यूज) के प्रभाव का अध्ययन।
- अशासकीय सूचना और संचार तंत्र (आज तक) के प्रभाव का अध्ययन।
- मानवाधिकार के प्रति चेतना जाग्रत करने में शासकीय एवं अशासकीय चैनलों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन।

1. उत्तरदाताओं का सामान्य परिचय

उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति जनमाध्यमों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को प्रभावित करती है। अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के व्यक्तियों पर संप्रेषण के विविध प्रारूपों का प्रभाव भी अलग-अलग होता है। अध्ययन में 200 उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमतों के आधार पर उनका सामान्य परिचय निम्नवत है :

तालिका 1.1 : आयु के अनुसार उत्तरदाताओं का परिचय

N=200

आयु सीमा	उत्तरदाताओं की संख्या
18 से 30	89 (44.5)
30 से 45	82 (41)
45 से अधिक	29 (14.5)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत मे है।

प्रस्तुत तालिका में आयु समूह के अनुसार उत्तरदाताओं को प्रदर्शित किया गया है। अध्ययन में शामिल 18-30 वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं की संख्या 44.5 प्रतिशत है जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के उत्तरदाताओं की संख्या 14.5 प्रतिशत है।

अध्ययन में सबसे अधिक 18-30 वर्ष आयु समूह के उत्तरदाताओं को लिया गया है। जो युवा वर्ग की अधिक भागीदारी के उद्देश्य से है। 45 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओं की कम संख्या मानवाधिकारों के प्रति चेतना में उनकी कम रुचि को प्रदर्शित करती है। यदि मानवाधिकारों के प्रति युवा पीढ़ी सचेत होती है, तो इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को भी जल्द ही मिलता है। इस उद्देश्य से इस अध्ययन में युवाओं को अधिक शामिल कर यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि इस महत्वपूर्ण आयु समूह में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के सृजन में टेलीविजन चैनलों की क्या भूमिका है।

तालिका 1.2: लिंग अनुपात के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
पुरुष	134 (67)
महिला	66 (33)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं को उनके लिंग के आधार पर प्रदर्शित किया गया है। अध्ययन में 67 प्रतिशत पुरुष और 33 प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया गया है।

तालिका 1.3 : साक्षरता के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
साक्षर	80 (40)
अल्पसाक्षर	83 (41.5)
निरक्षर	37 (18.5)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में साक्षरता के आधार का उत्तरदाताओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन में 40 प्रतिशत साक्षर 41.5 प्रतिशत अल्प साक्षर और 18.5 प्रतिशत निरक्षर उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है।

आमतौर पर समाजशास्त्रीय अध्ययनों में साक्षरता के आधार पर उत्तरदाताओं को दो कोटियो साक्षर और निरक्षर मे ही वर्गीकृत किया जाता है। कर्वी एक ग्रामीण और शहरी संस्कृति के मेल वाला स्थान है और यहाँ बहुत से उत्तरदाता ऐसे थे जिन्हें न तो साक्षर की कोटि में रखा जा सकता था और न निरक्षर की कोटि में। इन उत्तरदाताओं को अल्पसाक्षर की कोटि में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.4: परिवार की प्रकृति के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
एकल	122(61)
संयुक्त	78(39)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में हैं।

प्रस्तुत तालिका में उत्तरदाताओं को उनके परिवार के प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर प्रदर्शित किया गया है। अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं में से 61 प्रतिशत एकल परिवार से और 39 प्रतिशत संयुक्त परिवारों से है। शहरी क्षेत्रों में एकल परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है लेकिन यह प्रवृत्ति अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगी है।

तालिका 1.5 आय के स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
पाँच से दस हजार तक	40 (20)
दस से पन्द्रह हजार तक	102 (51)
पन्द्रह हजार से अधिक	58 (29)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में उत्तरदाताओं को आय के आधार पर प्रदर्शित किया गया है। 5-10 हजार रु. की आय समूह में 20 प्रतिशत उत्तरदाता है, 10-15 हजार रु. की आय समूह में 51 प्रतिशत उत्तरदाता है वहीं 15 हजार रु. से अधिक आय वाले समूह में 29 प्रतिशत उत्तरदाता है।

तालिका 1.6 : व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
कृषि कार्य	96 (48)
नौकरी	39 (19.5)
व्यापार	37 (18.5)
मजदूरी	19 (9.5)
पुश्तैनी कार्य	09 (4.5)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में उत्तरदाताओं को व्यवसाय के आधार पर प्रदर्शित किया गया है। कृषि कार्य में 48 प्रतिशत उत्तरदाताओं है वहीं नौकरी में 19. 5 प्रतिशत उत्तरदाता है, व्यापार में 18.5 प्रतिशत उत्तरदाता है, मजदूरी में 9.5 प्रतिशत उत्तरदाता है और जो पुश्तैनी कार्य में लगे हुए है उनका प्रतिशत 4.5 है।

तालिका 1.7 : जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
सवर्ण	120 (60)
पिछड़ा वर्ग	45 (22.5)
अनु.जाति/अनु.जनजाति	35 (17.5)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में उत्तरदाताओं को जाति के आधार पर प्रदर्शित किया गया है। इनमें से सवर्ण उत्तरदाताओं का 60 प्रतिशत है, पिछड़ा वर्ग का 22.5 प्रतिशत और अनु.जाति/अनु.जनजाति का 17.5 प्रतिशत है।

2. उत्तरदाताओं की मीडिया अभिरुचियों का अध्ययन

तालिका 2.1 : माध्यम की अभिरुचि के अनुसार उत्तरदाताओं का परिचय

N=200

माध्यम का प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या
समाचार पत्र	39 (19.5)
टेलीविजन	80 (40)
रेडियो	69 (34.5)
फिल्म	12 (6)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

मीडिया अभिरुचियों के अध्ययन अंतर्गत प्रस्तुत इस तालिका में स्पष्ट किया गया है कि कितने प्रतिशत उत्तरदाता किस माध्यम को सबसे अधिक पसन्द करते है। तालिका से स्पष्ट है कि 19.5 प्रतिशत उत्तरदाता समाचार पत्र को, 40 प्रतिशत उत्तरदाता टेलीविजन को, 34.5 प्रतिशत उत्तरदाता रेडियो और 6 प्रतिशत उत्तरदाता फिल्म को सबसे अधिक पसन्द करते है।

तालिका 2.2: चैनलों को दिये गये समयानुसार उत्तरदाताओं का परिचय

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
1 घण्टे से कम	89(49.5)
1 से 2 घण्टे	74 (37)
2 से 3 घण्टे	22(11)
3 घण्टे से अधिक	15(7.5)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में उत्तरदाताओं द्वारा माध्यम विशेष को दिये गये समयानुसार वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें टेलीविजन चैनलों को 1 घण्टे से कम समय देने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 49.5, 1-2 घण्टे का समय देने वाले उत्तरादाताओं का प्रतिशत 37, 2-3 घण्टे का समय देने वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत 11 और 3 घण्टे से अधिक समय देने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 7 है।

तालिका 2.3: चैनलों के उपयोग उद्देश्यानुसार उत्तरदाताओं का परिचय

N=200

उद्देश्य	उत्तरदाताओं की संख्या
सूचना	23(11.5)
शिक्षा	92 (46)
मनोरंजन	72(36)
अन्य	13 (6.5)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में चैनलों के उपयोग के उद्देश्यानुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। सूचना को प्रधान उद्देश्य मानकर चैनलों को देखने वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत 11.5, शिक्षा को प्रमुख उद्देश्य मानने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 46, मनोरंजन को प्रमुख उद्देश्य मानने वाले

उत्तरदाताओं का प्रतिशत 36 और अन्य कारणों को प्रमुख मानने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 6.5 है। डी.डी. न्यूज और आज तक चैनलों को देखने वाले उत्तरदाताओं में से अधिकांश इसे शिक्षा प्राप्त करने के प्रमुख कारण से देखते हैं।

तालिका 2.4: माध्यम विशेष की प्रभावशीलता के आधार पर परिचय

N=200

माध्यम का प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या
मुद्रित	52 (26)
टेलीविजन	85 (42.5)
रेडियो	45 (22.5)
अन्य	18 (9)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में जन संप्रेषण के साधनों में उत्तरदाता किसे अधिक प्रभावी मानते हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका में दर्शाये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि जन संप्रेषण के अन्य माध्यमों की अपेक्षा टेलीविजन को सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम मानने वाले उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक 42.5 प्रतिशत है।

3. शासकीय सूचना एवं संचार तंत्र के प्रभाव का अध्ययन

भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक व्यापक संचार तंत्र शासकीय सूचनाओं, विज्ञापनों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाता है। प्रादेशिक स्तर पर भी इसकी इकाईयाँ कार्यरत है। प्रादेशिक सरकारें अपने लिये प्रादेशिक संचार तंत्र का प्रयोग करती हैं। शासकीय सूचना तंत्र के इस शीर्षक के अंतरर्गत शासकीय संचार तंत्र के प्रभाव का अध्ययन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय और प्रादेशिक दोनों स्तरों के संचार तंत्र को शामिल किया गया है।

तालिका 3.1 : शासकीय सूचना और संचार तंत्र की पहुँच

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
मुद्रित माध्यम	33 (16.5)
दूरदर्शन	83 (41.5)
आकाशवाणी	58 (29.0)
सिनेमा	19 (9.5)
परम्परागत माध्यम	7 (3.5)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में शासकीय सूचना और संचार तंत्र की पहुँच को

दर्शाया गया है। शासकीय मुद्रित माध्यम 16.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं तक, दूरदर्शन 41.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं तक, आकाशवाणी के कार्यक्रम 29 प्रतिशत उत्तरदाताओं तक, शासकीय तंत्र द्वारा दिखाई जाने वाली फिल्में 9.5 प्रतिशत और परम्परागत माध्यमों से शासकीय प्रचार-प्रसार की पहुँच 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं तक है।

शासकीय माध्यमो में सबसे अधिक प्रसार भारती का दूरदर्शन चैनल 41.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं तक पहुँचता शासकीय तंत्र द्वारा परम्परागत माध्यमों की पहुँच निरन्तर कम होती उनकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करती है। शासकीय माध्यमों द्वारा परम्परागत माध्यमों से किया गया संप्रेषण मात्र प्रतिशत उत्तरदाताओं तक पहुँचता है।

तालिका 3.2 : शासकीय सूचना और संचार तंत्र का प्रभाव

N=200

माध्यम	उत्तरदाताओं की संख्या
मुद्रित माध्यम	52 (26.0)
दूरदर्शन	47 (43.5)
आकाशवाणी	78 (39.0)
सिनेमा	19 (9.5)
परम्परागत माध्यम	4 (2.0)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में शासकीय सूचना और संचार तंत्र के प्रभाव को दर्शाया गया है। शासकीय माध्यमों में मुद्रित माध्यमों को 26 प्रतिशत, दूरदर्शन को 43.5 प्रतिशत, आकाशवाणी को 39 प्रतिशत, सिनेमा को 9.5 प्रतिशत और परम्परागत माध्मयों को 2 प्रतिशत उत्तरदाता सबसे प्रभावी माध्यम मानते हैं।

तालिका 3.3 : मनोवृत्ति परिर्वतन में शासकीय तंत्र की भूमिका

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
जागरुकता/ज्ञान स्तर बढ़ाने में	141 (70.5)
अभिप्रेरणा स्तर बढ़ाने में	42 (21.0)
कौशल स्तर बढ़ाने में	17 (8.5)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में शासकीय माध्यमों से मनोवृत्ति परिवर्तन के बारे में

उत्तरदाताओं के अभिमतों को प्रदर्शित किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि 70.5 प्रतिशत उत्तरदाता जागरुकता/ज्ञान के स्तर को बढ़ाने में शासकीय माध्यमों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं, अभिप्रेरणा के स्तर का बढ़ाने में 21 प्रतिशत और कौशल स्तर को बढ़ाने में 8.5 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा मानते है कि शासकीय माध्यमों का महत्व है।

4. अशासकीय सूचना और संचार तंत्र के प्रभाव का अध्ययन

अशासकीय सूचना और संचार तंत्र यद्यपि पहुँच की दृष्टि से शासकीय माध्यमों से कम रहा है किन्तु दिनों दिन इसकी पहुँच और प्रभाव में वृद्धि हो रही है।

तालिका 4.1 : अशासकीय संप्रेषण माध्यमों की पहुँच

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
मुद्रित माध्यम	48 (24.0)
निजी टेलीविजन चैनल	84 (42.0)
निजी रेडियो चैनल	28(14.0)
फिल्म	40 (20.0)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तलिका में अशासकीय माध्यमों की पहुँच को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से दैनिक समचार पत्र शामिल है जो 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं तक पहुँचते है, निजी टेलीविजन चैनलों का विस्तार दिनो-दिन हो रहा है ये 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं तक पहुंचते है, निजी रेडियो चैनल 14 प्रतिशत और फिल्में 20 प्रतिशत उत्तरतदाताओं तक पहुँचती है।

अशासकीय माध्यम पहले सिर्फ मुद्रित जगत में ही थे। देश में निकलने वाले प्रमुख पत्र और पत्रिकायें निजी प्रकाशन समूहों द्वारा प्रकाशित किये जाते थे। 1990 तक भारत में सिर्फ दूरदर्शन का प्रसारण ही टेलीविजन के नाम पर था लेकिन 1991 में केबल टेलीविजन की शुरुआत और बाद में उपग्रहं चैनलों के आने के बाद आज विशाल नगरों में ही नहीं छोटे-छोटे कस्बो तक इन टेलीविजन चैनलों की पहुँच बढ़ती जा रही है। निजी रेडियो चैनल के रूप में एफ.एम. रेडियो भी निरन्तर लोकप्रिय हो रहा है।

तालिका 4.2 : अशासकीय संप्रेषण माध्यमों का प्रभाव

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
मुद्रित माध्यम	86 (43.0)
निजी टेलीविजन चैनल	74 (37.0)
निजी रेडियो चैनल	28(14.0)
फिल्म	12 (6.0)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि अशासकीय माध्यमों के प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। 43 प्रतिशत उत्तरदाता मुद्रित माध्यमों को, 37 प्रतिशत उत्तरदाता निजी टेलीविजन चैनलों को, 14 प्रतिशत उत्तरदाता निजी रेडियो चैनल को और 6 प्रतिशत उत्तरदाता फिल्म को संप्रेषण का सबसे प्रभावशाली माध्यम मानते है। यहाँ तथ्य ध्यान देने योग्य है कि फिल्मों की पहुँच तो

अधिक है किन्तु प्रभाव की दृष्टि से वे कम प्रभावशाली है।

तालिका 4.3: मनोवृत्ति परिवर्तन में अशासकीय तंत्र की भूमिका

N=200

विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या
जागरुकता/ज्ञान स्तर बढ़ाने में	121 (60.5)
अभिप्रेरणा स्तर बढ़ाने में	64 (32.0)
कौशल स्तर बढ़ाने में	15 (7.5)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में मनोवृत्ति परिवर्तन में अशासकीय तंत्र की भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। जागरुकता/ज्ञान को 60.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को, अभिप्रेरणा को 32 प्रतिशत और कौशल स्तर बढ़ाने में 7.5 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा मानते है कि अशासकीय तंत्र की प्रभावशाली भूमिका है।

5. मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में समाचार चैनलों की तुलनात्मक भूमिका का अध्ययन

जन माध्यम अनौपचारिक शिक्षक की भूमिका निभाते है पर्यावरण संरक्षण की बात हो, एड्स नियंत्रण की बात हो या मानवाधिकार के प्रति जागरुकता सृजन की, भारत जैसे विकासशील देश में जनमाध्यमों की भूमिका एक अनौपचारिक शिक्षक की है (Media is Non-formal Education) की है। भारत में निरक्षरता का प्रतिशत अधिक होने से इलेक्ट्रानिक माध्यम विशेषकर टेलीविजन सामाजिक मुद्दों पर जागरुकता सृजित करने का प्रभावी माध्यम है। प्रस्तुत अध्ययन में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के सृजन में सामाचार चैनलों की भूमिका का विशेष अध्ययन किया गया है। नीचे दिये गये परिणाम में उत्तरदाताओं से मानवाधिकारों के विषय में पूँछे गये प्रश्नों पर उनके द्वारा व्यक्त अभिमतों को प्रदर्शित किया गया है मानवाधिकार संबंधी प्रश्न इस परिप्रेक्ष्य में पूँछे गये है कि शासकीय माध्यम डीडी. न्यूज चैनल और अशासकीय निजी माध्यम आज तक चैनल में कौन सा चैनल तुलनात्मक रूप से मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के सृजन में अधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह करता है।

तालिका 5.1: मानवाधिकारों पर सामग्री

N=200

प्रश्न	डीडी. न्यूज	आज तक
मानवाधिकारों की चर्चा आपने किस चैनल में ज्यादा सुनी है।	126 (63)	74 (37)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में शासकीय और अशासकीय (निजी) चैनलों में मानवाधिकार से संबंधित प्रसारित सामग्री पर उत्तरदाताओं के अभिमतों को प्रदर्शित किया गया है। 63 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डीडी. न्यूज चैनल में मानवाधिकारों पर ज्यादा समाग्री प्रसारित की जाती है जबकि 37 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि आज तक चैनल में मानवाधिकारों पर अधिक सामग्री होती है।

तालिका 5.2: मानवाधिकार संबंधी मामलों को प्रमुखता

N=200

प्रश्न	डीडी. न्यूज	आज तक
मानवाधिकार से संबंधित प्रकरणों को किस चैनल में ज्यादा प्रमुखता मिलती है।	116(58)	84(42)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में दोनों न्यूज चैनलों द्वारा मानवाधिकार संबंधी मामलों को कितनी प्रमुखता दी जाती है इस प्रश्न पर उत्तरदातओं के अभिमतों को प्रदर्शित किया गया है। 58 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डीडी. न्यूज चैनल में मानवाधिकार संबंधी मसलों को अधिक प्रमुखता मिलती है जबकि 42 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि आज तक चैनल मानवाधिकारों को अधिक प्रमुखता देता है।

तालिका 5.3: मानवाधिकारों से संबंधित विज्ञापन

N=200

प्रश्न	डीडी. न्यूज	आज तक
मानवाधिकार से सम्बंधित विज्ञापन किस चैनल में अधिक प्रसारित होते है।	128(64)	72 (36)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में मानवाधिकारों से संबंधित विज्ञापन किस चैनल में अधिक प्रसारित होते है, इस प्रश्न पर उत्तरदाताओं के तुलनात्मक अभिमतों को प्रदर्शित किया गया है। विज्ञापन जागरुकता सृजन के प्रभावी माध्यम है और जिस चैनल में मानवाधिकारों से संबंधित ज्यादा विज्ञापन प्रसारित किये जाएंगे उसके दर्शकों में मानवाधिकारों के प्रति अधिक चेतना जागृत होगी। तालिका से स्पष्ट है कि डीडी. न्यूज चैनल में 64 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि मानवाधिकार के संबंध में अधिक विज्ञापन प्रसारित होते है।

तालिका 5.4: मानवाधिकार संबंधी जानकारी का स्रोत

N=200

प्रश्न	डीडी. न्यूज	आज तक
मानवाधिकार के संबंध में आपको जो जानकारी है उसमें किस चैनल का योगदान आप अधिक मानते है।	112(56)	88(44)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

एक विषय के रूप में मानवाधिकार की चर्चा 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में शुरू हुई। अनेक लोगों को मानवाधिकार के संबंध में जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली। प्रस्तुत तालिका में जानकारी के स्रोत के संबंध में उत्तरदाताओं के अभिमतों का संग्रह है। तालिका से स्पष्ट है कि 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मानवाधिकार संबंधी जानकारी डीडी. न्यूज चैनल स्रोत से मिली जबकि 44 प्रतिशत उत्तराताओं की जानकारी का स्रोत आज तक न्यूज चैनल है।

तालिका 5.5: मानवाधिकार संबंधी खबरों का प्रभावी प्रस्तुतिकरण

N=200

प्रश्न	डीडी. न्यूज	आज तक
मानवाधिकार से संबंधित खबरों का प्रस्तुतिकरण किस चैनल में अधिक प्रभावी होता है।	138(69)	62(31)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रभावी संप्रेषण जागरुकता सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रस्तुत तालिका में मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों के प्रभावी प्रस्तुतिकरण के बारे में उत्तरदाताओं के अभिमतों का संकलन है 69 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डीडी. न्यूज चैनल में प्रस्तुत सामग्री अधिक प्रभावी होती है जबकि 31 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है, कि आज तक न्यूज चैनल मे प्रस्तुत सामग्री अधिक प्रभावी होती है।

तालिका 5.6: मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को महत्व

N=200

प्रश्न	डीडी. न्यूज	आज तक
मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की रिपोर्टिंग को कौन सा चैनल अधिक महत्व देता है।	104(52)	96(48)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में हैं।

मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को कौन सा चैनल अधिक महत्व देता है। प्रस्तुत तालिका में इस विषय में उत्तरदाताओं के अभिमतों को संकलित कर प्रदर्शित किया गया है। 52 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डीडी. न्यूज चैनल में मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को अधिक महत्व मिलता है।

तालिका 5.7: मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की रिपोर्टिंग में निष्पक्षता

N=200

प्रश्न	डीडी. न्यूज	आज तक
मानवाधिकार संबंधी मामलों की रिपोर्टिंग के संबंध में आप किस चैनल को अधिक निष्पक्ष मानते है।	72 (36)	128(64)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की निष्पक्षता पर अक्सर सवाल उठते रहते है। आमतौर पर मानवाधिकार हनन के मामलों में दो पक्ष आमने सामने होते है और दोनों पक्षों के प्रति चैनलों के द्वारा बरती जाने वाली निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस अध्ययन में जब उत्तरदाताओं से मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के प्रस्तुतिकरण में चैनलों द्वारा बरती गयी निष्पक्षता के बारे में प्रश्न किय गया तो 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि आज तक चैनल ने मानवाधिकार संबंधी मामलों का अधिक निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण किया जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि डीडी. न्यूज चैनल ने मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के प्रस्तुतिकरण में ज्यादा निष्पक्षता बरती।

तालिका 5.8: मानवाधिकारों पर विशेषज्ञों का मत

N=200

प्रश्न	डीडी. न्यूज	आज तक
मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के प्रस्तुतिकरण में कौन सा चैनल विशेषज्ञों की राय को अधिक महत्व देता है।	102(51)	98(49)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में विशेषज्ञों के मत को महत्व दिये जाने के संबंध में उत्तरदाताओं की अभिमतों का संकलन है वर्तमान न्यूज चैनल प्रस्तुतिकरण की प्रवृत्तियों के अनुसार मानवाधिकार संबंधी मसलों की रिपोर्टिंग में बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के अभिमतों को शामिल किया जाता है। जिससे दर्शकों को पूरे प्रकरण को समझने में सहायता मिलती है। विशेषज्ञों का मत जागरुकता के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभता है। इस विषय में दोनों समाचार चैनलों के बारे में राय रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत लगभग बराबर है। अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तरदाता मानते है कि दोनों ही चैनल विशेषज्ञों के मत को बहुत महत्व देते है।

तालिका 5.9: मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को अधिक समय

N=200

प्रश्न	डीडी. न्यूज	आज तक
मानवाधिकार संबंधी मामलों की रिपोर्टिंग को कौन सा चैनल अधिक समय देता है।	122(61)	78(39)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में मानवाधिकार संबंधी मसलों को दिये गये समय के बारे में उत्तरदाताओं के अभिमतों को संकलित किया गया है। 61 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डीडी. न्यूज चैनल मानवाधिकार के मसलों को अधिक समय देता है जबकि 39 प्रतिशत उत्तरदाता यह श्रेय आज तक चैनल को देते हैं।

तालिका 5.10: मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में भूमिका

N=200

प्रश्न	डीडी. न्यूज	आज तक
मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के सृजन में आप किस चैनल की भूमिका को अधिक प्रभावशाली मानते है।	148(74)	52(26)

नोट - कोष्ठक में दिये गये अंक प्रतिशत में है।

प्रस्तुत तालिका में सभी मुद्दों को मिलाकर जागरुकता सृजन में चैनलों की भूमिका के बारे में उत्तरदाताओं के अभिमतों का संकलन कर प्रस्तुत किया गया है। सभी पक्षों पर विचार कर अंत में जब उत्तरदाताओं से इस प्रश्न के बारे में अभिमत प्राप्त किया गया कि मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के सृजन में किस चैनल की भूमिका अधिक प्रभावशाली है और किस चैनल की कम? इस प्रश्न के उत्तर में 74 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि मानवाधिकारों के बारे में जागरुकता सृजन में शासकीय माध्यम डीडी. न्यूज चैनल की भूमिका अधिक प्रभावशाली है जबकि 26 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि निजी चैनल आज तक की भूमिका मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के सृजन में अधिक प्रभावशाली है।

प्रस्तुत अध्ययन मीडिया और मानवाधिकार (मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में मीडिया की भूमिका टेलीविजन समाचार चैनलों के विशेष संदर्भ में) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में सम्पन्न किया गया है। जनसंचार के प्रमुख तीन माध्यमों में से इसमें इलेक्ट्रिानिक माध्यमों को लिया गया है वह इसलिए क्योंकि इस कस्बाई क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत कम है, और टेलीविजन चैनल शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में साक्षरता के कारण बाधित नहीं होते। इलेक्ट्रिानिक माध्यमों में भी विषयवस्तु की प्रकृति के आधार पर टेलीविजन के समाचार एवं समसामयिक विषयों के चैनलों (न्यूज चैनल) को अध्ययन में लिया गया। अध्ययन में सूचना एवं समसामयिक विषयों के जिन दो सबसे लोकप्रिय चैनलों को शामिल किया गया वे हैं प्रसार भारती का दूरदर्शन न्यूज चैनल और लिविंग मीडिया इण्डिया लिमिटेड का या टी.वी. टुडे नेटवर्क का आजतक चैनल। अध्ययन के लिए जिन कार्यक्रमों को मानवाधिकार संबंधी कवरेज के लिए चुना गया उसमें दोनों ही चैनलों के रात्रि 8:00 से 10:00 बजे तक के बीच प्रसारित कार्यक्रम शामिल किये गये।

इन कार्यक्रमों का जागरुकता सृजन में असर देखने के लिए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम जिले के कर्वी तहसील के 200 स्त्री पुरुषों का चयन दैव निदर्शन पद्धति से किया गया। अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व पायलेट अध्ययन में इस बात की जानकारी प्राप्त की गयी कि मानवाधिकार संबंधी चेतना जागृत करने में समाचार चैनलों की क्या भूमिका है जिसके उत्तर में अध्ययन में शामिल 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन माध्यमों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इसी आधार पर साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा उत्तरदाताओं से जानकारियों को प्राप्त कर संकलित किया गया। साक्षात्कार अनुसूची को प्रयोग करने से पूर्व उसका पूर्व परीक्षण किया गया और आवश्यक संशोधन और परिमार्जन से उसे स्पष्ट, सही, उपयुक्त और बोधगम्य बनाया गया। प्रस्तुत अध्ययन में 1 सितम्बर 2004 से 1 नवम्बर 2004 तक के कार्यक्रमों को शामिल किया गया। अध्ययन की सैद्धांतिक रूपरेखा में यह स्वीकार किया गया कि मानवाधिकारों का शिक्षण प्रशिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पद्धतियों से संभव है। साथ ही साथ यह भी माना गया कि जनमाध्यम और शिक्षण संस्थायें मानवाधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इस अध्ययन में जनमाध्यमों की भूमिका का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में अधिकांश तथ्य प्राथमिक स्रोतों से ही एकत्रित किये गये किन्तु टेलीविजन के समसामयिक परिदृश्य और मानवाधिकार की सैद्धांतिक रूपरेखा को स्पष्ट करने वाले अध्यायों में पुस्तकों, शोध पुस्तिकाओं, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा तैयार साहित्य और इस विषय में होने वाले समाजशास्त्रीय अध्ययनों के साथ पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि में प्रकाशित समाचार विचार और विज्ञापनों को भी शामिल किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार संकलित समंकों का वर्गीकरण एवं सारणियन कर सांख्यकीय विधियों के उपयोग से उत्तरदाताओं के अभिमतों का परिक्षण और विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत अध्ययन में सांख्यकीय विधियों के प्रयोग से परिणाम प्राप्त किये गये और उनका विश्लेषण अध्ययन के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप किया गया जो निम्नलिखित है-

- अध्ययन में सहभागी उत्तरदाताओं का सामान्य परिचय एवं अध्ययन
- उत्तरदाताओं की मीडिया अभिरुचियों का अध्ययन (Media Habits)
- शासकीय सूचना और संचार तंत्र (DD-News) के प्रभाव का अध्ययन
- अशासकीय सूचना और संचार तंत्र (आजतक) के प्रभाव का अध्ययन
- मानवाधिकार के प्रति चेतना जाग्रत करने में शासकीय एवं अशासकीय चैनलों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन।

निष्कर्ष :

अध्ययन के निष्कर्षों को शोध परिणामों की तरह ही दो भागों में वर्गीकृत किया गया है प्रथम खण्ड में - अध्ययन में सहभागी उत्तरदाताओं का सामान्य परिचय एवं निष्कर्ष है तो दूसरे खण्ड में - उत्तरदाताओं की मीडिया अभिरुचियों के अध्ययन का निष्कर्ष, शासकीय सूचना और संचारतंत्र के प्रभाव का, अशासकीय सूचना और संचार तंत्र के प्रभाव का और मानवाधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने में शासकीय और अशासकीय चैनलों की भूमिका के तुलनात्मक अध्ययन के निष्कर्षो का संकलन है।

उत्तरदाताओं का सामान्य परिचय :

अध्ययन में लगभग 45' प्रतिशत उत्तरदाता 18-30 वर्ष के शामिल किये गये, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु समूह के उत्तरदाताओं की संख्या 14.5 प्रतिशत है। अध्ययन में 18-30 वर्ष आयु समूह की अधिक भागीदारी युवा वर्ग की अधिक भागीदारी को रेखांकित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि मानवाधिकारों के प्रति चेतना के संदर्भ में युवा पीढ़ी अधिक सचेत है

जिसका प्रतिफल आने वाले समय में मिल सकेगा। अध्ययन में 67 प्रतिशत पुरुषों को शामिल किया गया है और देखा गया है कि मानवाधिकारों के प्रति पुरुषों में महिलाओं के प्रति अधिक जागरुकता है। प्रकरण दर्शाते है कि मानवाधिकार हनन के मामले अधिकतर महिलाओं से संबंधित होते है ऐसी स्थिति में महिलाओं को जागरुक करने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है। साक्षरता को आधार माने तो 40 प्रतिशत साक्षर और 41.5 प्रतिशत अल्प साक्षर लोगों को अध्ययन में शामिल किया गया। चित्रकूट ग्रामीण और शहरी लोगों के मेलजोल से बना क्षेत्र है जिसमें ग्रामीण सभ्यता का प्रभाव अधिक है। इस दृष्टि से कम निरक्षरों का अध्ययन में शामिल होना इस पिछडे क्षेत्र में बढ़ती साक्षरता का संकेत देता है। परिवारों की प्रकृति के आधार पर 61 प्रतिशत परिवार एकल हैं जो प्रदर्शित करते है कि शहरी क्षेत्र की तरह अब चित्रकूट में भी एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है। आय के आधार पर 10 से 15 हजार रुपय की आय समूह में अध्ययन में शामिल लगभग आधे उत्तरदाता है जो इस क्षेत्र में बढ़ती समृद्धि का संकेत होते है। जिन उत्तरदाताओं को इस अध्ययन में शामिल किया गया उसमें सबसे अधिक कृषि कार्यो में लगे है जो दर्शाते है अब भी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय कृषि या उस पर आधारित उद्योग ही है। पुस्तैनी कार्यो में लगे हुये लोगों का कम प्रतिशत पुस्तैनी व्यवसाय के प्रति घटते रुझान को प्रदर्शित करता है। अध्ययन में लगभग 23 प्रतिशत पिछड़े वर्ग और 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति को उत्तरदाताओं का होना इस क्षेत्र के सामाजिक जातिगत ताने-बाने को स्पष्ट करता है।

उत्तरदाताओं की मीडिया अभिरुचि के अध्ययन का निष्कर्ष :

उत्तरदाताओं की मीडिया अभिरुचियों का अध्ययन भी इस अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य था जिसके विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षेत्र में समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और फिल्म मे से सबसे लोकप्रिय माध्यम टेलीविजन है, इसके बाद रेडियो और उसके बाद समाचार पत्रों का स्थान आता है। उत्तरदाता लगभग 35 चैनलों जिनमें फ्री टू एयर और पे चैनल शामिल है, का आनन्द लेते है। ज्यादातर उत्तरदाता एक घण्टे से भी कम टेलीविजन देखते है तीन घण्टे से अधिक देखने वालों की संख्या 8 प्रतिशत स भी कम हें। टेलीविजन कम देखने का कारण कृषि कार्यो में व्यस्तता के साथ-साथ यहां विद्युत सप्लाई में कई-कई घण्टों की रुकावट भी है।

समाचार चैनलों का प्रमुख उद्देश्य सूचना और शिक्षा प्रदान करना है।

अन्य चैनलों में उद्देश्य के अनुसार मनोरंजन का प्रतिशत कुछ अधिक होता है। यह चौकाने वाला तथ्य है कि इस क्षेत्र में 36 प्रतिशत उत्तरदाता मनोरंजन के लिए और 46 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षा के लिए न्यूज चैनलों को देखते है। जो इस क्षेत्र में बढ़ रही जागरुकता को प्रदर्शित करता है। माध्यम विशेष प्रभाव के आधार पर विश्लेषण करें तो सारांश निकलता है कि टेलीविजन इस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, अपने तड़क-भड़क युक्त प्रस्तुतिकरण और साक्षरता के बाधा न होने के गुण के कारण टेलीविजन इस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। **शासकीय सूचना और संचार तंत्र के प्रभाव का अध्ययन का निष्कर्ष:**

भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक व्यापक शासकीय तंत्र सूचनाओं, विज्ञापनों और कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाता है, लगभग इन्ही उद्दश्यों की पूर्ति के लिए प्रादेशिक इकाईयां भी गठित की गयी हैं। र्निविवाद रूप से दूरदर्शन चैनल की पहुँच सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या तक है। प्रभाव की दृष्टि से भी दूरदर्शन को सबसे अधिक प्रभावशाली और सिनेमा को सबसे कम प्रभावशाली माध्यम माना गया है।

शासकीय माध्यमों से मनोवृत्ति परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अध्ययन में शामिल अधिकांश उत्तरदाता जिनका प्रतिशत लगभग 71 है यह मानते है कि इन माध्यमों का प्रभााव मुख्यत: जागरुकता/ज्ञान के स्तर को बढ़ाने में होता है। अभिप्रेरणा स्तर और कौशल स्तर को बढ़ाने में इन माध्यमों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानने वाले लोगों का प्रतिशत कम है।

अशासकीय सूचना और संचारतंत्र के प्रभाव का अध्ययन का निष्कर्ष:

अशासकीय सूचना और संचार यद्यपि पहुँच की दृष्टि से शासकीय माध्यमों से बहुत कम है किन्तु दिनों-दिन इसकी पहुँच और प्रभाव के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं तक दैनिक समाचार पत्र पहुंचते है, 42 प्रतिशत निजी टेलीविजन चैनल लोगों के घर-घर में है जबकि 14 प्रतिशत लोगों को रेडियों चैनल के कार्यक्रम पहुँच रहे है निजी रेडियो चैनल के रूप में एफ.एम. रेडियो निरन्तर लोकप्रिय हो रहा है। प्रभाव की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावी मुद्रित माध्मय है इसके बाद निजी टेलीविजन चैनलों और निजी रेडियो चैनलों का नम्बर आता है। मनोवृत्ति परिवर्तन में अशासकीय तंत्र की भूमिका के बारे में अध्ययन में शामिल 61 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते है कि वह जागरुकता और ज्ञान को बढ़ाते है, जबकि 32 प्रतिशत अभिप्रेरणा

के स्तर को बढ़ाने में और 7 प्रतिशत कौशल के स्तर को बढ़ाने में इन माध्यमों की भूमिका को महत्वूपर्ण मानते हैं।

मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में समाचार चैनलों की तुलनात्मक भूमिका के अध्ययन का निष्कर्ष :

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जन माध्यम अनौचारिक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात हो, एड्स के प्रति जागरुकता सृजन की बात या मानवाधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने का प्रश्न हो तो जनमाध्यमों की भूमिका निश्चय ही महत्वूपर्ण हो जाती है। समय-समय पर जिन विषयों और क्षेत्रों के बारे में जागरुकता सृजन की चुनौती समाने आती है जनमाध्यमों ने अब तक इनका बखूबी निर्वाह किया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि मानवाधिकारों प्रति जागरुकता और चेतना के सृजन में जनमाध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है और आगे भी रहेगी। इस अध्ययन में शामिल 200 उत्तरदाताओं से आजतक और डी.डी. न्यूज चैनलों में से अनेक आधारों पर प्रभाव का आंकलन किया गया और निष्कर्षो को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

मानवाधिकारों की चर्चा आपने किस चैनल में ज्यादा सुनी है अर्थात् मानवाधिकारों को कौन सा चैनल अधिक महत्व देता है यह जानने के लिए जब प्रश्न किया गया तो 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मानवाधिकारों पर अधिक सागग्री प्रसारित करने वाला समाचार चैनल माना।

मानवाधिकार संबंधी मामलों को प्रमुखता देने के बारे में आधे से अधिक उत्तरदाता भी डी.डी. न्यूज के पक्ष में थे। जब इस विषय पर जानकारी प्राप्त की गयी कि मानवाधिकारों से संबंधित विज्ञापन किस चैनल में अधिक प्रसारित किये जाते हैं तो 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसमें डी.डी.न्यूज को चैनल को पहला आज तक को उसके बाद का स्थान दिया।

उत्तरदाताओं से जब यह प्रश्न किया गया कि मानवाधिकारों के संबंध में आपकी जानकारी का स्रोत कौन सा है तब दोनो ही चैनलों को लगभग बराबर उत्तरदाताओं ने महत्व दिया अर्थात् दोनों ही चैनल मानवाधिकारों के बारे में प्रमुख स्रोत है। मानवाधिकार संबंधी खबरों के प्रभावी प्रस्तुतिकरण मे डी.डी. न्यूज चैनल को लगभग 70 प्रतिशत उत्तरदाता अधिक प्रभावी मानते है 52 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि डी.डी. न्यूज चैनल मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को अधिक महत्व देता है जबकि मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की

रिपोर्टिंग में निष्पक्षता के बारे में प्रश्न पूछे जाने पर 64 प्रतिशत उत्तरदाता आजतक की रिपोर्टिंग को निष्पक्ष मानते है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मानवाधिकार के अधिकांश मसलों में एक पक्ष सरकार ही होता है ऐसे स्थिति में सरकारी सूचना एजेंसी होने के कारण डी.डी.न्यूज उतनी निष्पक्षता से कार्य नहीं कर पाती जितना दूसरे निजी चैनल करते है।

मानवाधिकार के संबंध में विशेषज्ञों के मत का महत्वपूर्ण स्थान है और इस पर उत्तरदाताओं के अभिमतों के अध्ययन से पता चलता है कि दोनों ही चैनलों पर विशेषज्ञों के मत को उत्तरदाता महत्वपूर्ण मानते हैं।

मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को कौन सा चैनल अधिक समय देता है यह प्रश्न पूछे जाने पर 61 प्रतिशत उत्तरदाता यह श्रेय डी.डी.न्यूज को देते है और इस लघु शोध अध्ययन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण केन्द्रीय पहलू पर उत्तरदाताओं से अभिमत प्राप्त किया गया अर्थात् जब उनसे यह प्रश्न किया गया कि मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के सृजन में तुलनात्मक रूप से आजतक न्यूज चैनल की भूमिका अधिक है अथवा डी.डी.न्यूज चैनलों की 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एक स्वर से स्वीकार किया कि डी.डी.न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में भूमिका आजतक द्वारा इस संबंध में प्रसारित कार्यक्रमों से अधिक है।

मानवाधिकारों के बारे में जागरुकता सृजन के मामले में जनमाध्यमों की भूमिका निश्चय ही महत्वपूर्ण है चाहे वह निजी चैनल हो अथवा शासकीय चैनल हो। भारत में दूरदर्शन को सामुदायिक विकास के उपकरण के रूप में अपनाया गया और इसकी पहचान भी सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में किये जाने की कोशिश सदा चलती रही है। जबकि निजी चैनलों के कार्यक्रमों में मनोरंजन के प्रधान्य को विशेषज्ञ एकमत से स्वीकार करते हैं, जहाँ तक समाचार चैनलों का प्रश्न है डी.डी.न्यूज स्वायत्ता के बाद भी जहां शासकीय उपलब्धियों पर अधिक जोर देता है वहीं लोकप्रिय आजतक चैनल सनसनी खेज और सबसे तेज समाचार चैनल की भूमिका में निश्चय ही निजी चैनलों के आने से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की सामग्री इन माध्यमों के आने से बढ़ी है लेकिन फिर भी निर्विवाद रूप से इतना कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय हित के मसलों पर अब भी जो प्रधानता शासकीय माध्यम देते है वह निजी माध्यम नहीं देते है, निजी माध्यमों के लिए खबरों का सनसनी खेज होना, तड़क-भड़क वाला होना अधिक महत्वपूर्ण है जबकि डी.डी. न्यूज चैनल जैसे स्वायत्त शासकीय चैनलों में अब भी शिक्षा और सूचना को अधिक

महत्व दिया जा रहा है। शासकीय चैनल अब भी साहस, संबल और सामर्थ की पत्रकारिता को संबंल देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे है जबकि अशासकीय या निजी माध्यमों की नजर दर्शकों की संख्या बढ़ाने और मुनाफा कमाने पर अधिक है।

तुलनात्मक रूप से विचार करने पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मानवाधिकारों पर चेतना जागृत करने में निजी चैनलों की अपेक्षा शासकीय चैनल की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। या अशासकीय चैनल अधिक प्रभावशाली है।

सुझाव :

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर कुछ सुझाव दिये जा सकते है जिनकी संक्षिप्त रूप रेखा निम्नलिखित है-

- चाहे डी.डी.न्यूज चैनल हो या आजतक चैनल या कोई अन्य चैनल किसी भी चैनल में मानवाधिकारों पर प्रथक-प्रथक न तो कोई कार्यक्रम है और न ही इसे केन्द्रीय मुद्दा मानकर कोई टेलीविजन पत्रिका ही है। मानवाधिकार पर अलग से कार्यक्रम शुरू करने से इस बारे में जागरुकता का प्रचार-प्रसार अधिक होगा।
- मानवाधिकारों के संबंध में खबरों का प्रसारण तो प्रचुरता से होता है लेकिन मानवाधिकार के मूलभूत नियम कानूनों की जानकारी देने वाले कार्यक्रमों का अभाव है। इस दिशा में पहल की जानी चाहिए।
- मानवाधिकार के हनन के खिलाफ जहाँ शासकीय या अशासकीय हस्तक्षेप से स्थितियों में सुधार हुआ है वहां की केस स्टडी लोगों के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि लोगों में विश्वास का वातावरण और अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने का माद्दा पैदा हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. एच.ओ. अग्रवाल 2002 मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स कानूनी पुस्तक विक्रेता एवं प्रकाशक 107, दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद-211 002
2. डॉ. जय जय राम उपाध्याय 1999 मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेंसी 30-डी./1, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद-2 211 002

बेसिक फैक्ट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशंस, न्यूयार्क, 2000

यू.एन.ब्रिफिंग पेपर्स :ह्यूमन राइट्स, ए. यूनाइटेड नेशंस प्रायोरिटी, न्यूयार्क, 1998

इमेज एंड रियलिटी : क्वशचंस एंड आन्सवर्स अबाउट द यूनाइटेड नेशंस न्यूयार्क, 1999

विषय : मीडिया और मानवाधिकार

(मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में मीडिया की भूमिका टेलीविजन समाचार चैनलों के विशेष संदर्भ में)

खण्ड – 1 : उत्तरदाता की सामान्य जानकारी (च्तवपिसम)

1. उत्तरदाता का नाम :			2. पिता/पति का नाम :		
3. जिला :	4. विकास खण्ड :			5. ग्रामसभा :...........	
6. आयु :	18-30 वर्ष	30-45 वर्ष		45 वर्ष से अधिक	
7. लिंग :	स्त्री	पुरुष			
8. साक्षरता :	साक्षर	अल्पसाक्षर		निरक्षर	
9. परिवार :	एकल	संयुक्त			
10. आय :	5000 से कम	5000-10000 तक		10000 से अधिक	
11. व्यवसाय :	कृषि	नौकरी	व्यापार	मजदूरी	पुश्तैनी कार्य
12. जाति :	सवर्ण		पिछड़ी जाति		अनु.जाति/अनु.ज.जाति

खण्ड – 2 उत्तरदाताओं की मीडिया अभिरुचि की जानकारी

2.1 माध्यमों की उपलब्धता :	समाचार पत्र	टेलीविजन	रेडियो	फिल्म
2.2 माध्यम को दिये जाने वाला समयः	1घण्टे से कम	1-2घण्टे	2-3 घण्टे	3घण्टे से अधिक
2.3 चैनल के उपयोग का उद्देश्य :	सूचना	शिक्षा	मनोरंजन	अन्य
2.4 माध्यम विशेष की प्रभावशीलता :	मुद्रित	टेलीविजन	रेडियो	अन्य

खण्ड – 3 : शासकीय सूचना एवं संचार तंत्र के प्रभाव का अध्ययन।

प्र.3.1: शासकीय सूचना और संचार तंत्र के निम्नलिखित में से कौन-कौन से साधन आप तक पहुँचते हैं।

1. मुद्रित माध्यम 2. दूरदर्शन 3. आकाशवाणी
4. सिनेमा 5. परम्परागत माध्यम

प्र.3.2: शासकीय सूचना और संचार तंत्र से होने वाले संप्रेषण के प्रभाव का कितना प्रभाव आप पर पड़ा है?

1. मुद्रित माध्यम 2. दूरदर्शन 3. आकाशवाणी
4. सिनेमा 5. परम्परागत माध्यम

प्र.3.3: शासकीय सूचना और संचार तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा स्तर बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान है ?

1. जागरुकता/ज्ञान स्तर 2. अभिप्रेरणा स्तर 3. कौशल स्तर

खण्ड – 4 : अशासकीय सूचना और संचार तंत्र के प्रभाव का अध्ययन।

प्र.4.1: अशासकीय सूचना और संचार तंत्र के निम्नलिखित में से कौन-कौन से साधन आप तक पहुँचते हैं।

1. मुद्रित माध्यम 2. दूरदर्शन 3. आकाशवाणी
4. सिनेमा 5. परम्परागत माध्यम

प्र.4.2: अशासकीय सूचना और संचार तंत्र से होने वाले संप्रेषण के प्रभाव का कितना प्रभाव आप पर पड़ा है?

1. मुद्रित माध्यम 2. दूरदर्शन 3. आकाशवाणी
4. सिनेमा 5. परम्परागत माध्यम

प्र.4.3: अशासकीय सूचना और संचार तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा स्तर बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान है ?

1. जागरुकता/ज्ञान स्तर 2. अभिप्ररणा स्तर 3. कौशल स्तर

खण्ड - 5 : मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता सृजन में समाचार चैनलों की तुलनात्मक भूमिका का अध्ययन

प्र.5.1 मानवाधिकारों की चर्चा आपने किस चैनल में ज्यादा सुनी है।

डी.डी.

न्यूज/आजतक

प्र.5.2 मानवाधिकार से संबंधित प्रकरणों को किस चैनल में ज्यादा प्रमुखता मिलती है।

डी.डी.न्यूज/आजतक

प्र.5.3 मानवाधिकार से संबंधित विज्ञापन किस चैनल में अधिक प्रसारित होते है।

डी.डी.

न्यूज/आजतक

प्र.5.4 मानवाधिकार के संबंध में आपको जो जानकारी है उसमें किस चैनल का योगदान आप अधिक मानते है। डी.डी.न्यूज/आजतक

प्र.5.5 मानवधिकार से संबंधी खबरों का प्रस्तुतिकरण किस चैनल में अधिक प्रभावी होता है। डी.डी.न्यूज/आजतक

प्र.5.6 मानवाधिकार संबंधी मुद्दों की रिपोर्टिंग को कौन सा चैनल अधिक महत्व देता है।

डी.डी.न्यूज/आजतक

प्र.5.7 मानवाधिकार संबंधी मामलों की रिपोर्टिंग के संबंध में आप किस चैनल को अधिक निष्पक्ष मानते है। डी.डी.न्यूज/आजतक

प्र.5.8 मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के प्रस्तुतिकरण में कौन सा चैनल विशेषज्ञों की राय को अधिक महत्व देता है। डी.डी.न्यूज/आजतक

प्र.5.9 मानवाधिकार संबंधी मामलों की रिपोर्टिंग को कौन सा चैनल अधिक समय देता है।

डी.डी.न्यूज/आजतक

प्र.5.10 मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता के सृजन में आप किस चैनल की भूमिका को अधिक प्रभावशाली मानते है।

डी.डी.न्यूज/आजतक

शोध कर्ता का नाम शोध निर्देशक का नाम